



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

**भारतीय वित्तीय प्रणाली
(INDIAN FINANCIAL SYSTEM)**

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) बी. एल. वर्मा

कुलगुरु

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक एवं सदस्य

संयोजक

प्रो. (डॉ.) अनुरोध गोधा

आचार्य (वाणिज्य)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सदस्य

प्रो. जे. के. टंडन

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. पी. के. शर्मा

सेवानिवृत्त आचार्य, प्रबन्ध विभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. सोम देव

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. एन. डी. माथुर

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. जे. पी. यादव

आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. गोपाल सिंह

पूर्व निदेशक (शोध)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. रीटा माथुर

आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

श्री राजेश संड

निदेशक (आर्थिक सेवाएं)

नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल, दिल्ली

प्रो. आशीष माथुर

विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध विभाग

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

प्रो. एच. आर. गोदारा

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रो. बी. एल. गुप्ता

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. एम. डी. अग्रवाल

सेवानिवृत्त आचार्य (वाणिज्य विभाग)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. एम. एल. शर्मा

आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संपादन एवं पाठ-लेखन

संपादक

प्रो. रेनु जटाना

पूर्व प्रोफेसर, डीन एवं संकाय अध्यक्ष

एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

पाठ लेखक

• डॉ. सचिन गुप्ता (इकाई-1,2)

सहायक आचार्य

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

• डॉ. छितर मल (इकाई-4,5)

प्रो. (से.नि.) ई. ए. एफ. एम. विभाग

कॉलेज शिक्षा, जयपुर

सह संपादक

प्रो. (डॉ.) अनुरोध गोधा

आचार्य (वाणिज्य)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

• डॉ. अदिति शर्मा (इकाई-15,16)

सहायक आचार्य (प्रबंधन)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

• डॉ. नीलकमल पुरोहित (इकाई-17,18,19)

विभागाध्यक्ष एवं सहआचार्य (लेखांकन एवं सांख्यिकी विभाग)

एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, जयपुर

- **प्रो. रेणु जटाना** (इकाई-3,6,7,12)
पूर्व प्रोफेसर, डीन एवं संकाय अध्यक्ष
एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
- **डॉ. ओ.पी. गुप्ता** (इकाई-13)
सेवानिवृत्त आचार्य (वाणिज्य)
डी.ए.वी. कॉलेज, श्री गंगानगर (राज.)
- **प्रो. मीनू माहेश्वरी** (इकाई-9)
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
- **डॉ. प्रज्ञा धीर** (इकाई-10,14)
आचार्य (वाणिज्य एवं प्रबन्धन)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
- **प्रो. गोपाल सिंह** (इकाई-11)
पूर्व निदेशक (शोध)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
- **डॉ. सुरेश कुमार जैन** (इकाई-8,20)
सेवानिवृत्त सहायक आचार्य (वाणिज्य)
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा
- **डॉ. किरण सोनी** (इकाई-23)
सह आचार्य (प्रबंधन)
गीतांजली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ डबोक, उदयपुर
- **डॉ. एन.डी. कोहरी** (इकाई-21)
उपाचार्य (से.नि.)
राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय, बीकानेर
- **डॉ. कपिल देव शर्मा** (इकाई-22)
पूर्व प्राचार्य
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. (डॉ.) बी. एल. वर्मा
कुलगुरु
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

प्रो. बी. अरुण कुमार
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

डॉ. रवि गुप्ता
प्रभारी
पाठ्यक्रम उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

July 2026

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by mimeograph or any other means, without permission in writing from the V.M. Open University, Kota.

Published on behalf of Registrar V.M. Open University, Kota.



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विषय सूची

भारतीय वित्तीय प्रणाली

इ. स.	इकाई का नाम	पृष्ठ स.
1.	वित्तीय प्रणाली का अर्थ, उद्देश्य और कार्य	1 – 12
2.	भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना	13 - 26
3.	वित्तीय प्रणाली तथा आर्थिक विकास	27 - 38
4.	भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मुद्दे	39 - 51
5.	भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार	52 - 63
6.	मुद्रा बाजार	64 - 75
7.	पूंजी बाजार	76 - 91
8.	प्राथमिक बाजार	92 - 103
9.	सेकेंडरी बाजार	104 - 114
10.	मर्चेन्ट बैंकिंग	115 - 127
11.	भारतीय रिजर्व बैंक	128 - 143
12.	भारत में वाणिज्यिक बैंक	144 - 159
13.	ग्रामीण वित्त	160 - 171
14.	मौद्रिक नीति	172 - 183
15.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	184 - 197
16.	विकास बैंक	198 - 210
17.	बीमा संगठन	211 - 220
18.	विदेशी विनिमय बाजार	221 - 233
19.	वित्तीय सेवायें	234 - 243
20.	स्टॉक एक्सचेंज	244 - 256
21.	भारतीय प्रतिभूति एवम् विनिमय बोर्ड	257 - 268
22.	साख सन्निधारण	269 - 287
23.	अन्तर्राष्ट्रीय विनियम	288 - 299

इकाई -1

वित्तीय प्रणाली का अर्थ, उद्देश्य और कार्य (Meaning, Objectives and Functions of Financial System)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 वित्तीय प्रणाली का अर्थ
- 1.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ
- 1.4 भारतीय वित्तीय प्रणाली के उद्देश्य
- 1.5 भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्य
- 1.6 सारांश
- 1.7 अधिगम परिणाम
- 1.8 शब्दावली
- 1.9 स्वपरख प्रश्न
- 1.10 संदर्भ व ग्रंथ सूची
- 1.11 अन्य पठन सामग्री
- 1.12 वेब संसाधन / लिंक

1.0 उद्देश्य (Objective)

शब्द 'वित्त' अपने सबसे बुनियादी अर्थों में मौद्रिक संसाधनों को संदर्भित करता है, जबकि 'वित्तपोषण' वाक्यांश जरूरतमंद लोगों और संगठनों को आवश्यक मौद्रिक संसाधनों की आपूर्ति करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली के घटकों की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है। शब्द "वित्तीय प्रणाली" एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन और/या सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए सार्वजनिक बचत को एकत्रित करना और जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थानों को आवश्यक नकदी वितरित करना सम्मिलित है। वित्तीय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता अर्थव्यवस्था की बचत और निवेश दरों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता है। छात्रों को इस पाठ्यक्रम के समापन पर वित्तीय प्रणाली के विभिन्न विचारों को समझने, लक्ष्य बनाने और भारत में वित्तीय प्रणाली के विकास और कमजोरियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में जो बचत होती है उसे निवेश में स्थानांतरित किया जाता है जो फलदायी उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। यह बदले में, अर्थव्यवस्था में सकल उत्पादन उत्पन्न करता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के मापन में एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है।

ऊपर उल्लिखित इसे पूंजी निर्माण के रूप में जाना जाता है जहां यह तीन अलग-अलग चरणों – बचत, वित्त और निवेश से गुजरता है। अधिशेष बचत से अर्थव्यवस्था के घाटे वाले क्षेत्रों में धन प्रवाहित होता है। पूंजी निर्माण को सक्षम करने के लिए मध्यस्थता या एक प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो पूंजी निर्माण के लिए अग्रणी बचत का निर्माण और व्यवस्थित करेगी। वह प्रणाली, जो अर्थव्यवस्था में यह कार्य करती है, वित्तीय प्रणाली कहलाती है।

1.2 वित्तीय प्रणाली का अर्थ (Meaning of Financial System)

किसी देश की वित्तीय प्रणाली का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह उन लोगों की सेवा करती है जो अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उन लोगों की भी जो उत्पादक संपत्तियों में निवेश करते हैं। यह प्रणाली दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए देश के संसाधनों को व्यवस्थित और आवंटित करती है।

वित्तीय संस्थानों, बाजारों, उपकरणों और सेवाओं का एक समग्र नेटवर्क वित्तीय संसाधनों का कुशल हस्तांतरण और आवंटन सुनिश्चित करता है। लोगों की भलाई और जीवन स्तर इस प्रणाली की क्षमता से सीधे जुड़े होते हैं, जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।

“वित्तीय प्रणाली” में वित्तीय बाजार और उन्हें समर्थन देने वाले संस्थान शामिल होते हैं। इसमें धन प्रबंधन, वित्तीय संस्थान, बाजार, नियम, कानून और प्रथाएँ शामिल हैं। वित्तीय प्रणाली की भूमिका बचत को निर्देशित करने और निवेश की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है।

“वित्त” शब्द मौद्रिक संसाधनों को संदर्भित करता है, जबकि “वित्तपोषण” जरूरतमंद लोगों को मौद्रिक संसाधन उपलब्ध कराने की गतिविधि को दर्शाता है। वित्तीय प्रणाली में, जनता की बचत जुटाई जाती है और जरूरतमंदों को आवश्यक धन प्रदान किया जाता है, जिससे उत्पादन या सेवाओं का प्रावधान संभव होता है।

विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रणालियाँ होती हैं: राष्ट्रीय, वैश्विक और फर्म-विशिष्ट। ये सम्पत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक, निजी और सरकारी क्षेत्रों के वित्तीय साधनों से जोड़ती हैं।

एक वित्तीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बचत को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका उपयोग सबसे अधिक उत्पादक तरीके से किया जाए। इस प्रणाली में व्यक्ति, बचतकर्ता, बिचौलिये, बाजार और बचत उपयोगकर्ता सभी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। एक स्थिर और सुरक्षित अर्थव्यवस्था के लिए विकसित बाजार आवश्यक होते हैं। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सेवाएँ, संस्थान और उपकरण शामिल होते हैं, जो बचत, निवेश और पूंजी निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाना है, ताकि निवेश के लिए आवश्यक धन यथासंभव कुशलता से वितरित किया जा सके।

इस तरह, वित्तीय प्रणाली का प्राथमिक कार्य बचत को जुटाना, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए वितरित करना, और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। इसमें वित्तीय संस्थान, बाजार, उपकरण, सेवाएँ, और नियामक तंत्र शामिल होते हैं।

गोल्डस्मिथ के अनुसार, बचत और निवेश के कार्यों को अलग करना, वित्तीय साधनों की शुरुआत से संभव हो जाता है, जो निवेश की दक्षता और पूंजी निर्माण को राष्ट्रीय उत्पादन के लिए बढ़ाता है। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली का विकास अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली को औपचारिक (संगठित) और अनौपचारिक (असंगठित) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जैसे संस्थान भारत के आधिकारिक वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करते हैं।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख घटक हैं:

1. **व्यक्तिगत साहूकार:** जैसे पड़ोसी, रिश्तेदार, जमींदार, व्यापारी, और स्टोर के मालिक।

2. **सामूहिक संगठन:** ये संगठन 'निधि' या 'संघों' के रूप में काम करते हैं, जो अपने नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। इन्हें फिक्स्ड फंड, एसोसिएशन, और सेविंग क्लब के रूप में जाना जाता है।
3. **स्वतंत्र दलाल और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ:** जैसे कि साझेदारी फर्मों में साहूकार, वित्त, निवेश, और चिट फंड उद्यम शामिल होते हैं।

भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की शुरुआत ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय प्रणाली उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच धन के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।

भारत में एक स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, पूंजी बाजार और विभिन्न सेवा क्षेत्रों का विनियमन किया गया है। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली अधिशेष निधियों को एकत्रित कर और उन्हें उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से नियोजित करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उधारकर्ता, उधारदाताओं, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और बीमा फर्म जैसे संस्थान धन और संपत्ति के सक्रिय आंदोलन में शामिल होते हैं, जिससे निवेशकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। यह आर्थिक विकास में योगदान करता है और अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के कार्य प्रदान करता है, जैसे:

- भुगतान प्रणाली
- बचत विकल्प
- वित्तीय बाजारों में तरलता
- अप्रत्याशित वित्तीय खतरों से निवेशकों की सुरक्षा

कॉर्पोरेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी नीतियों के अनुसार विकसित नियमों का एक अलग सेट आवश्यक है।

वित्तीय प्रणाली की परिभाषा

वित्तीय प्रणाली एक व्यापक ढांचा है जो वित्तीय संस्थानों, बाजारों, साधनों और सेवाओं का समुच्चय है। इसका मुख्य उद्देश्य बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच धन का प्रभावी और कुशलतापूर्वक हस्तांतरण करना है। यह प्रणाली आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, निवेश को बढ़ावा देने और संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने में सहायक होती है।

वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. **वित्तीय संस्थान:** जैसे बैंक, बीमा कंपनियाँ, और म्यूचुअल फंड।
2. **वित्तीय बाजार:** जैसे शेयर बाजार, बांड बाजार, और मुद्रा बाजार।
3. **वित्तीय साधन:** जैसे शेयर, बांड, और डेरिवेटिव।
4. **वित्तीय सेवाएँ:** जैसे ऋण, बीमा, और संपत्ति प्रबंधन।

इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य न केवल बचत और निवेश को जोड़ना है, बल्कि यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, और बाजार सहभागियों की भलाई में योगदान देना भी है।

वित्तीय प्रणाली की परिभाषा विभिन्न लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत की गई है। यहाँ कुछ प्रमुख परिभाषाएँ दी गई हैं:

1. **रॉबर्ट मिनस्की (Robert H. Minsky):** "वित्तीय प्रणाली वह ढांचा है जो बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच वित्तीय संसाधनों का आदान-प्रदान करने के लिए आवश्यक साधनों और संसाधनों को जोड़ता है।
2. **जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes):** "वित्तीय प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जो धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो।"

3. **द्वारका धुरी (D. S. Dhuri):** "वित्तीय प्रणाली वित्तीय संस्थानों, बाजारों और साधनों का एक ऐसा समूह है जो बचत को निवेश में परिवर्तित करने और संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने का कार्य करता है।"
4. **अर्थशास्त्री बर्नार्ड श्वार्ज (Bernard Schwartz):** "वित्तीय प्रणाली उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समुच्चय है जो वित्तीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं।"
5. **लिओनार्ड वायनर (Leonard Winer):** "वित्तीय प्रणाली विभिन्न बाजारों, संस्थाओं, और उत्पादों के माध्यम से बचत और निवेश के बीच का पुल है, जो आर्थिक विकास में योगदान देती है।"

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य धन के प्रभावी आवंटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

1.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of the Indian Financial System)

भारतीय वित्तीय प्रणाली एक आर्थिक संरचना है, जिसमें वित्तीय संस्थान उधारकर्ताओं, उधारदाताओं और निवेशकों के बीच धन और संपत्ति के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। यह प्रणाली बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक कड़ी स्थापित करती है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों वित्तीय क्षेत्र शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और लाभ को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य घटक:

1. उधारदाता और उधारकर्ता
2. वित्तीय मध्यस्थ
3. वित्तीय साधन
4. वित्तीय बाजार
5. धन निर्माण
6. मूल्य खोज

भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **वित्तीय बाजारों का विस्तार:** यह वित्तीय बाजारों को गहरा और व्यापक बनाने में योगदान देती है।
- **बचत और निवेश को प्रोत्साहन:** यह बचतकर्ताओं और निवेशकों को जोड़कर दोनों को प्रोत्साहित करती है।
- **पूंजी उत्पादन में सहयोग:** यह पूंजी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करती है।
- **जोखिम आवंटन:** यह विभिन्न वित्तीय बाजारों में जोखिम आवंटन में सहायता करती है।

वित्तीय प्रणाली का मूल उद्देश्य बचतकर्ताओं और निवेशकों को जोड़ना है, जिससे कुशल और प्रभावी धन जुटाव और आवंटन की अनुमति मिलती है। यह दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सुधार को प्रोत्साहित करती है।

यह प्रणाली न केवल परियोजनाओं के चयन में सहायता करती है, बल्कि निवेश के प्रदर्शन की निगरानी के लिए भी प्रोत्साहित करती है। वित्तीय बाजार और संस्थान कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी में मदद करते हैं और कम प्रदर्शन करने वाले उद्यमों के अधिग्रहण के खतरे को भी पेश करते हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली

यह प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान, साथ ही आर्थिक संसाधनों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुरक्षित, समय पर और कुशल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक उचित संचालन आवश्यक है। भुगतान और निपटान नेटवर्क, वित्तीय उद्योग के मुख्य भागों के रूप में, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। चेक, वचन पत्र, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सभी बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और यह प्रक्रिया तेजी से स्वचालन की ओर बढ़ रही है।

जोखिम प्रबंधन

एक वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य जोखिम का इष्टतम आवंटन करना है। यह बचत और क्रेडिट आवंटन से जुड़े जोखिमों को सीमित करने के लिए पूलिंग और आदान-प्रदान के माध्यम से काम करती है। एक प्रभावी वित्तीय प्रणाली उचित जोखिम को कम करने का प्रयास करती है और इसे विभिन्न परिचालन नियमों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

वित्तीय बीमा सेवाएँ निवेशकों को अप्रत्याशित नुकसान से बचाती हैं, और डेरिवेटिव जैसे वित्तीय उत्पाद जोखिम हस्तांतरण में मदद करते हैं।

सूचना का महत्व

वित्तीय प्रणाली आर्थिक और वित्तीय निर्णय लेने वालों के लिए मूल्य डेटा उपलब्ध कराती है। प्रतिभागियों के पास जानकारी होती है, जो उन्हें सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जैसे कि निवेश, बिक्री, पुनर्निवेश या किसी विशेष संपत्ति को बनाए रखने के संबंध में। यह प्रक्रिया न केवल मूल्यांकन को आसान बनाती है, बल्कि सूचना असमानता को कम करने में भी सहायक होती है।

इस प्रकार, भारतीय वित्तीय प्रणाली आर्थिक संसाधनों के कुशल आवंटन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1.4 वित्तीय प्रणाली के उद्देश्य (Objectives of Financial System):

एक वित्तीय प्रणाली के मौलिक लक्ष्यों में धन उत्पन्न करना, निवेश को बढ़ावा देना और लाभ प्राप्त करना शामिल है। किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली की प्रासंगिकता इन उद्देश्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। वित्तीय प्रणाली के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

1. **फंड जुटाना:** वित्तीय प्रणाली की शुरुआत छोटे बचत समूहों से धन जुटाने से होती है। यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन इकट्ठा करती है, जिससे बचतकर्ताओं को विभिन्न संस्थानों, सेवाओं और प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सके।
2. **औद्योगिक निवेश के लिए धन का वितरण:** वित्तीय प्रणाली जनता से संसाधन जुटाकर उन्हें विभिन्न उद्योगों में निवेश करने का लक्ष्य रखती है। इस प्रक्रिया से औद्योगिक क्षेत्र की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जो इसके विस्तार में योगदान करती है।
3. **पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना:** यह प्रणाली उद्योगों को केवल धन आवंटित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं के लिए अपने राजस्व से एक हिस्सा बचाने के लिए भी प्रेरित करती है।
4. **आर्थिक विकास की दर में वृद्धि:** वित्तीय संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति को गति देना है। बचत निधियों को औद्योगिक पूंजी की आवश्यकताओं के लिए निर्देशित करना और उन्हें पूंजी निर्माण में निवेश के लिए प्रेरित करना, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता करता है।

5. **वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना:** एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे बाजार में विश्वास बना रहता है और आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहती है।
6. **जोखिम का प्रबंधन:** वित्तीय प्रणाली विभिन्न निवेश विकल्पों के माध्यम से जोखिम का उचित आवंटन करती है, जिससे निवेशक अपनी निवेश रणनीतियों में विविधता ला सकते हैं और अनिश्चितताओं से बच सकते हैं।
7. **सूचना का प्रवाह:** वित्तीय प्रणाली आर्थिक निर्णय लेने में सहायता के लिए बाजार में सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करती है, जिससे निवेशक सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली केवल धन का प्रवाह सुनिश्चित करने का कार्य नहीं करती, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास, स्थिरता और कुशलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय प्रणाली की अवधारणा:

वित्तीय प्रणाली एक संरचित ढांचा है, जो विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बाजारों और साधनों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य धन का कुशल आवंटन, निवेश को बढ़ावा देना, और आर्थिक विकास को समर्थन देना है। यह प्रणाली न केवल बाजारों को जोड़ती है, बल्कि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय प्रणाली के प्रमुख तत्वों में वित्तीय संस्थान सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय मध्यस्थ शामिल हैं। ये संस्थान बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक पुल का कार्य करते हैं, जिससे धन का उचित वितरण सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, बैंक अपनी जमा राशि को उधार देकर उद्योगों और व्यक्तियों को आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व वित्तीय बाजार हैं, जहाँ विभिन्न वित्तीय संपत्तियों का व्यापार होता है। शेयर बाजार, बांड बाजार, और मुद्रा बाजार जैसे प्लेटफॉर्म निवेशकों को अवसर प्रदान करते हैं। ये बाजार निवेशकों को अपने पूंजी निवेश के लिए सही विकल्प चुनने में मदद करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है।

वित्तीय साधन भी वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये उपकरण जैसे स्टॉक्स, बांड, डेरिवेटिव आदि हैं, जिनका उपयोग निवेश और पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। इन साधनों के माध्यम से निवेशक अपनी पूंजी को विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

वित्तीय प्रणाली के कार्यों में सबसे पहले धन जुटाने की प्रक्रिया आती है। यह प्रक्रिया बचतकर्ताओं से धन इकट्ठा करने और उसे विभिन्न निवेशों के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति देती है। इसके बाद, तरलता प्रदान करने का कार्य आता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियों को आसानी से नकद में परिवर्तित किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन भी वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह विभिन्न वित्तीय उत्पादों के माध्यम से निवेशकों के जोखिम को विभाजित करने में मदद करता है। जब निवेशक अपने धन को विभिन्न उत्पादों में वितरित करते हैं, तो उनका समग्र जोखिम कम होता है।

अंततः, वित्तीय प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विकास में योगदान करना है। यह उद्योगों को आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराकर विकास को बढ़ावा देती है। जब उद्योगों को उचित वित्तीय संसाधन मिलते हैं, तो वे उत्पादन बढ़ाते हैं, नए उत्पादों का विकास करते हैं, और रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं।

संक्षेप में, वित्तीय प्रणाली न केवल धन का प्रभावी प्रबंधन करती है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संसाधनों का कुशल वितरण और उपयोग सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली एक स्वस्थ और समृद्ध अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो सभी आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करती है।

वित्तीय प्रणाली के घटक :

वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. **वित्तीय संस्थान:** ये संस्थान जैसे बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, और अन्य वित्तीय मध्यस्थ होते हैं। ये बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच पूंजी का आदान-प्रदान करते हैं और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
2. **वित्तीय बाजार:** ये प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वित्तीय संपत्तियों का व्यापार होता है, जैसे शेयर बाजार, बॉण्ड बाजार, और मुद्रा बाजार। ये बाजार निवेशकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं।
3. **वित्तीय साधन:** ये विभिन्न उपकरण हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉण्ड, डेरिवेटिव, और अन्य प्रतिभूतियाँ, जो निवेश और पूंजी जुटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये साधन निवेशकों को लाभ कमाने का मौका देते हैं।
4. **वित्तीय सेवाएँ:** ये सेवाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे ऋण, बीमा, वित्तीय परामर्श, और संपत्ति प्रबंधन। ये सेवाएँ व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करती हैं।
5. **नियामक संस्थाएँ:** ये संगठन वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने का कार्य करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक, सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) आदि। ये संस्थाएँ वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं।
6. **वित्तीय उपकरण:** ये वित्तीय संपत्तियों के विविध रूप होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

इन घटकों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली धन के कुशल आवंटन, आर्थिक विकास, और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
2. एक उदाहरण दीजिए कि वित्तीय बाजार कैसे किसी संगठन को निवेश के अवसर प्रदान करता है।
3. वित्तीय प्रणाली में बीमा कंपनियों की क्या भूमिका होती है, समझाइए।
4. भारत की वित्तीय प्रणाली के किसी एक घटक का वर्णन कीजिए और उसका महत्व समझाइए।

1.5 भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्य (Functions of Financial System)

किसी देश की वित्तीय प्रणाली निम्नलिखित कार्य करती है, जो वित्तीय बाजारों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के संयुक्त प्रयासों से संभव होते हैं:

1. **चलनिधि प्रावधान:** वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख कार्य तरलता प्रदान करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि देयताओं को समय पर पूरा किया जा सके। यह परिसंपत्तियों को बिना किसी नुकसान के नकदी में बदलने की क्षमता को दर्शाता है।
2. **बचत जुटाना:** लाखों व्यक्ति पैसे बचाते हैं, लेकिन यह धन तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक कि इसे वित्तीय संपत्तियों में परिवर्तित नहीं किया जाता। वित्तीय संस्थान इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बचतकर्ताओं से धन जुटाकर इसे निवेश के लिए उपलब्ध कराते हैं।
3. **छोटी बचत से बड़े निवेश तक का मार्गदर्शन:** वित्तीय प्रणाली छोटी बचत को एकत्रित करके उद्योगों में बड़े निवेश के लिए पुनर्निर्देशित करती है। यह बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए बचतकर्ताओं और उद्योगों के बीच एक पुल का काम करती है।
4. **परिपक्वता परिवर्तन कार्य:** वित्तीय संस्थान जमाकर्ताओं से एक निश्चित अवधि के लिए धन लेते हैं और इसे उन व्यक्तियों या व्यवसायों को उधार देते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह परिपक्वता परिवर्तन का कार्य करती है।

5. **जोखिम परिवर्तन:** वित्तीय प्रणाली छोटे बचतकर्ताओं के लिए जोखिम को संतुलित करती है। छोटे निवेशक उच्च जोखिम वाले व्यवसायों में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, जबकि वित्तीय संस्थान अपने अनुभव और विशेषज्ञता के माध्यम से जोखिम का उचित वितरण करते हैं।
6. **भुगतान कार्य:** वित्तीय प्रणाली उत्पादों और सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक सरल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। चेक, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से लेन-देन की लागत और समय कम हो जाता है।
7. **मनी पूलिंग:** वित्तीय प्रणाली बड़े पैमाने पर निवेश के लिए धन को एकत्रित करती है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स और फर्मों में निवेश संभव हो पाता है।
8. **कॉर्पोरेट प्रदर्शन की निगरानी:** यह प्रणाली निवेश के प्रदर्शन की ट्रैकिंग में मदद करती है और निवेशकों को उनके निवेश के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है।
9. **सूचना कार्य:** वित्तीय बाजार महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे निवेशक सही निर्णय ले सकते हैं। यह जानकारी वित्तीय संपत्तियों के मूल्य निर्धारण और बाजार की प्रवृत्तियों को समझने में सहायक होती है।
10. **स्थानांतरण कार्य:** यह प्रणाली संसाधनों को भौगोलिक सीमाओं के पार स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, जिससे वैश्विक निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
11. **नवीनता और विकास:** एक वित्तीय प्रणाली का सुधारात्मक उद्देश्य नई वित्तीय परिसंपत्तियों और उपकरणों का विकास और प्रस्तुत करना है। यह उधारकर्ताओं और निवेशकों की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए सेवाओं और विधियों को अद्यतन करती है।
12. **प्रदर्शन मूल्यांकन:** वित्तीय प्रणाली प्रोजेक्ट्स के चयन और उनके प्रदर्शन की समीक्षा में भी सहायता करती है, जिससे पूंजी विकास को बढ़ावा मिलता है।
13. **आर्थिक स्थिरता में योगदान:** वित्तीय प्रणाली न केवल संसाधनों का आवंटन करती है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे बाजार में विश्वास और विकास की गति बनी रहती है।
14. **वित्तीय समावेशन:** वित्तीय प्रणाली समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे आर्थिक विकास में समग्र भागीदारी सुनिश्चित होती है।

इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली कई महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि बाजार के स्थायित्व और दक्षता को भी सुनिश्चित करती है।

वित्तीय प्रणाली और आर्थिक प्रगति

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वित्तीय प्रणाली कई तरीकों से आर्थिक प्रगति में योगदान करती है, जिसमें धन का आवंटन, प्रबंधकों की देखरेख, बचत जुटाने, और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना शामिल है। अर्थशास्त्री लंबे समय से मानते हैं कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय विकास को वित्तीय क्षेत्र की जानकारी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने, अनुबंधों को लागू करने, लेनदेन को सुविधाजनक बनाने, और विशेष प्रकार के वित्तीय अनुबंधों, बाजारों और मध्यस्थों के विकास के लिए प्रोत्साहन बनाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सभी लागतें न्यूनतम रखी जाती हैं।

वित्तीय विकास की प्रक्रिया

वित्तीय विकास तब संभव होता है जब ज्ञान, प्रवर्तन, और लेनदेन की लागत में सुधार होता है। इससे वित्तीय साधनों, बाजारों, और बिचौलियों को बेहतर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति मिलती है। पूंजी संचय और तकनीकी नवाचार के माध्यम से, वित्तीय कार्य अर्थव्यवस्था की बचत और निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है।

पूंजी संचय और स्थिर विकास

स्थिर विकास की स्थिति को स्थापित करने के लिए पूंजी संचय को उन उत्पादों का उपयोग करके मॉडल किया जा सकता है, जो निरंतर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। वित्तीय प्रणाली द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ स्थिर विकास दर को प्रभावित करती हैं, जिससे पूंजी निर्माण की दर भी प्रभावित होती है।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

लघु अध्ययन (Case Study):

केस अध्ययन 1:

राहुल एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी नहीं है। उसे वित्तीय प्रणाली के माध्यम से निवेशकों से पूंजी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

प्रश्न:

राहुल को अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के कौन-कौन से विकल्प मिल सकते हैं? वित्तीय प्रणाली के किन घटकों का वह उपयोग कर सकता है?

केस अध्ययन 2:

नीतू को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भविष्य में धन की आवश्यकता होगी, और वह निवेश करने की योजना बना रही है। वह वित्तीय प्रणाली के माध्यम से एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प ढूंढ रही है।

प्रश्न:

नीतू को किन वित्तीय साधनों में निवेश करना चाहिए, और वित्तीय प्रणाली कैसे उसकी मदद कर सकती है?

1.6 सारांश (Summary)

यह अध्याय वित्तीय प्रणाली की अवधारणा को स्पष्ट करता है और यह दर्शाता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली किस प्रकार व्यवस्थित होती है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के तीन मुख्य घटक हैं: वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार और नियामक। इसमें क्रेडिट, आर्बिट्रिज, सट्टा, और संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण लिंकेज शामिल हैं।

भारत सरकार की राजकोषीय प्रणाली राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभाजित है, जिसमें वित्त आयोग जैसे कई नियामक संगठनों द्वारा वित्तीय प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। राज्य की वित्त और वित्तीय प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए एक वार्षिक बजट विकसित किया जाता है।

एक वित्तीय प्रणाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। विनिमय के स्थिर और व्यापक रूप से स्वीकृत माध्यम के उपयोग से लेनदेन की लागत कम होती है, जिससे व्यापार की सुविधा और उत्पादन में विशेषज्ञता बढ़ती है। आकर्षक प्रतिफल, तरलता, और जोखिम विशेषताओं वाली वित्तीय परिसंपत्तियां बचत को प्रोत्साहित करती हैं।

वित्तीय मध्यस्थ विभिन्न वित्तीय साधनों का मूल्यांकन और उधारकर्ताओं की गतिविधियों की निगरानी करके संसाधनों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाते हैं। आर्थिक एजेंटों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे वे बाजारों में पूल, मूल्य, और विनिमय जोखिमों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं।

व्यापार, संसाधनों का कुशल उपयोग, बचत, और जोखिम उठाना एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की नींव हैं। वास्तव में, देश वित्तीय प्रणाली के सक्रिय समर्थन से इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो विकास के महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गया है।

1.7 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद, विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान और कौशल हासिल करेंगे:

1. **वित्तीय प्रणाली की समझ:** विद्यार्थी वित्तीय प्रणाली की अवधारणा, उसके तत्वों और कार्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।
2. **विभिन्न वित्तीय संस्थानों की पहचान:** विद्यार्थी विभिन्न वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझ पाएंगे।
3. **वित्तीय बाजारों का ज्ञान:** विद्यार्थी वित्तीय बाजारों के प्रकार, जैसे शेयर बाजार, बांड बाजार और मुद्रा बाजार की पहचान कर सकेंगे और उनके कार्यों को समझेंगे।
4. **वित्तीय साधनों का ज्ञान:** विद्यार्थी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे स्टॉक्स, बांड और डेरिवेटिव का उपयोग और महत्व समझ सकेंगे।
5. **आर्थिक विकास में योगदान:** विद्यार्थी समझेंगे कि वित्तीय प्रणाली कैसे आर्थिक विकास में योगदान देती है, विशेषकर उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराकर।
6. **जोखिम प्रबंधन की क्षमताएँ:** विद्यार्थी विभिन्न वित्तीय उत्पादों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की अवधारणाओं को समझेंगे।
7. **सामाजिक और आर्थिक संबंधों की पहचान:** विद्यार्थी यह जान सकेंगे कि वित्तीय प्रणाली का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।
8. **वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता:** विद्यार्थी वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सक्षम होंगे, जिससे वे बेहतर निवेश विकल्प चुन सकें।
9. **वित्तीय नियमों का ज्ञान:** विद्यार्थी भारतीय वित्तीय प्रणाली के नियामक निकायों, जैसे सेबी और नाबार्ड की भूमिका को समझेंगे।
10. **आधुनिक आर्थिक संदर्भ में समझ:** विद्यार्थी समझेंगे कि वित्तीय प्रणाली एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में कैसे कार्य करती है और यह विकास को कैसे प्रभावित करती है।

इन परिणामों के माध्यम से, विद्यार्थी वित्तीय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों और उनके प्रभाव को प्रभावी ढंग से समझ सकेंगे, जो उनके आगे के अध्ययन और पेशेवर जीवन में सहायक सिद्ध होंगे।

1.8 शब्दावली (Glossory)

1. **संपत्ति:** वित्तीय लेखांकन में, संपत्ति किसी व्यवसाय या आर्थिक इकाई के स्वामित्व या नियंत्रण में मौजूद सभी संसाधनों को संदर्भित करती है। यह मूर्त (जैसे भवन, मशीनरी) या अमूर्त (पेटेंट, ट्रेडमार्क) हो सकती है, जिसका उपयोग सकारात्मक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। संपत्ति का मूल्य उस स्वामित्व को दर्शाता है जिसे आवश्यकतानुसार नकद में परिवर्तित किया जा सकता है।
2. **वित्तीय संस्थान:** वित्तीय संस्थान ऐसे संगठन हैं जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। ये संस्थान जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आर्थिक लेन-देन सुगम बनते हैं।
3. **वित्तीय मध्यस्थ:** वित्तीय मध्यस्थ, जैसे वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक और म्यूचुअल फंड, वित्तीय लेनदेन में दो पक्षों के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे संसाधनों के प्रवाह को सुगम बनाते हैं और बचतकर्ताओं को सुरक्षित और लाभदायक निवेश के अवसर प्रदान करते हैं।
4. **जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद):** यह एक आर्थिक संकेतक है, जो किसी देश के भीतर निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न कुल मूल्य का माप है। यह उत्पादन से उत्पन्न राजस्व और अंतिम उत्पादों और सेवाओं पर खर्च की गई कुल राशि को दर्शाता है। जीडीपी से देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है।

5. **भारतीय वित्तीय प्रणाली:** यह प्रणाली भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ है। यह घरेलू बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच नकदी के प्रवाह को समन्वित करती है, जिससे पूंजी निवेश और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं। यह वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है।
6. **दायित्व:** दायित्व किसी व्यक्ति या कंपनी पर बकाया एक राशि है, जो वित्तीय लेनदेन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। यह आर्थिक लाभों के हस्तांतरण के माध्यम से समय के साथ निपटारी की जाती है। दायित्वों में कर्ज, क्रेडिट, और अन्य वित्तीय दायित्व शामिल होते हैं।
7. **नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक):** यह भारत में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए एक प्रमुख नियामक निकाय है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का समग्र विनियमन करता है और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।
8. **सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड):** यह एक स्वायत्त नियामक निकाय है, जो भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियम और विनियमों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार के विकास को बढ़ावा देना है।
9. **बाजार जोखिम:** यह वह जोखिम है जो किसी वित्तीय संपत्ति के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। बाजार की स्थिति, राजनीतिक परिवर्तन, और आर्थिक संकेतक सभी इस जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं।
10. **ऋण बाजार:** यह एक ऐसा बाजार है जहाँ विभिन्न प्रकार के ऋण instruments जैसे बॉण्ड्स और डेबेंचर जारी किए और कारोबार किए जाते हैं। यह बाजार निवेशकों को फिक्स्ड आय की पेशकश करता है और कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करता है।
11. **निवेश:** निवेश एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति या संस्था अपने धन को किसी वित्तीय साधन या संपत्ति में लगाते हैं, ताकि भविष्य में लाभ प्राप्त किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जो विकास और समृद्धि को बढ़ावा देती है।

1.9 स्वपरख प्रश्न (Self-Test Questions)

1. मुद्रा बाजार क्या है?
2. स्वदेशी बैंकों के कार्यों की सूची बनाएं?
3. आरबीआई के छह कार्यों का उल्लेख करें।
4. वित्तीय बाजारों की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करें।
5. वाणिज्यिक बैंकों को परिभाषित करें। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों पर भी चर्चा करें।
6. मौद्रिक नीति और म्यूचुअल फंड को परिभाषित करें।
7. विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।
8. एक्जिम बैंकों के उद्देश्य क्या हैं।
9. बैंकिंग कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच कोई तीन अंतर बताएं।

1.10 संदर्भ व ग्रंथ सूची (References and Bibliography):

- Aspal, P. K., Dhawan, S., & Nazneen, A. (2019). Significance of bank specific and macroeconomic determinants on performance of Indian private sector banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(2), 168.

- Kaushal, S., & Ghosh, A. (2016). Financial institutions and economic growth: An empirical analysis of Indian economy in the post liberalized era. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3).
 - Matheen, A., Kumar, K. S. S., Hina, Q. U., & Sharmila, V. (2017). Impact of GST on Indian Financial System.
-

1.11 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material):

- Basu, T. (2021). Indian financial system.
 - Bharti, P. (2018). *Indian Financial System*, 5/e. Pearson Education India.
-

1.12 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/Links):

- <http://www.igntu.ac.in/eContent/IGNTU-eContent-457919741593-B.Com-6-Prof.ShailendraSinghBhadouriaDean&-FINANCIALSERVICES-All.pdf>
- <https://www.grandacademicportal.education/assets/images/admin/20181015113800.pdf>

इकाई -2

भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना

(Structure of Indian Financial System)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 वित्तीय प्रणाली की संरचना
- 2.3 वित्तीय संस्थान
- 2.4 वित्तीय संस्थान तीन परिवर्तन सेवाएं प्रदान करते हैं
- 2.5 वित्तीय संस्थानों के प्रकार
- 2.6 संगठित उद्योग
- 2.7 असंगठित क्षेत्र
- 2.8 गैर-मध्यस्थ बनाम मध्यस्थ: एक तुलना
- 2.9 आर्थिक बाजार
- 2.10 वित्तीय बाजारों की विशेषताएं
- 2.11 वित्तीय बाजारों के महत्वपूर्ण कार्य हैं
- 2.12 वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण (ए) प्राथमिक और द्वितीयक बाजार
- 2.13 द्वितीयक बाजार के कार्य
- 2.14 वित्तीय सेवाएँ
- 2.15 एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली के प्रमुख तत्व
- 2.16 वित्तीय प्रणाली डिजाइन
- 2.17 वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच की कड़ी क्या है ?
- 2.18 सारांश
- 2.19 अधिगम परिणाम
- 2.20 शब्दावली
- 2.21 स्वपरख प्रश्न
- 2.22 संदर्भ व ग्रंथ सूची
- 2.23 अन्य पठन सामग्री
- 2.24 वेब संसाधन/लिंक

2.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई की मदद से छात्र भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना और उसके घटकों से अवगत होंगे एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों के कामकाज का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। छात्र वित्तीय प्रणाली के घटकों और मध्यस्थों के कार्यों और कामकाज को समझने में सक्षम होंगे और वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे।

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय वित्तीय प्रणाली (Indian Financial System) देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह प्रणाली न केवल धन के आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करती है, बल्कि आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। वित्तीय प्रणाली में विभिन्न घटक शामिल होते हैं, जैसे वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन और सेवाएं, जो सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं।

भारत की वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार के संस्थान शामिल हैं, जिनमें बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ऋण देना, बचत को जमा करना, निवेश की सलाह देना, और बीमा सेवाएं।

वित्तीय संस्थानों की भूमिका केवल धन का प्रबंधन करना ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना है। इनकी गतिविधियाँ न केवल व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, भारतीय वित्तीय प्रणाली में संगठित और असंगठित वित्तीय बाजारों का समावेश है, जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता से न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होती है।

इस प्रकार, भारतीय वित्तीय प्रणाली एक जटिल और विविधतापूर्ण ढांचा है, जो देश की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अध्ययन से हमें इस प्रणाली की कार्यप्रणाली और इसके विभिन्न घटकों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है।

2.2 वित्तीय प्रणाली की संरचना (Structure of the Financial System)

किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली या वित्तीय क्षेत्र निम्नलिखित घटकों से बनता है: (ए) विशेषज्ञ और गैर-विशिष्ट वित्तीय संस्थान (बी) संगठित और असंगठित वित्तीय बाजार (सी) वित्तीय साधन और सेवाएं जो पैसे के लेनदेन की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, सिस्टम में बाजार के संचालन और गतिविधियों के साथ-साथ वित्तीय अंतर्संबंध शामिल हैं। इन घटकों को परस्पर अनन्य होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्थान वित्तीय बाजारों में काम करते हैं और इस प्रकार उन बाजारों का एक घटक हैं। शब्द "वित्तीय प्रणाली" परस्पर या उलझे हुए आर्थिक संस्थानों, एजेंटों, प्रथाओं, बाजारों, लेनदेन, दावों और देनदारियों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है। वित्तीय प्रणाली का संबंध धन, ऋण और वित्त से है - परस्पर संबंधित लेकिन विभिन्न अवधारणाएँ। मुद्रा विनियम का वर्तमान साधन या भुगतान का तरीका है। एक क्रेडिट या ऋण एक राशि है जिसे ब्याज के साथ चुकाया जाना चाहिए और एक आर्थिक इकाई के कर्तव्य की ओर इशारा करता है। वित्त एक ऐसा शब्द है जो किसी राज्य, फर्म या व्यक्ति के मौद्रिक संसाधनों को संदर्भित करता है जिसमें ऋण और स्वामित्व निधि शामिल होती है।

2.3 वित्तीय संस्थान (Financial Institution)

ये संस्थान बचत को जुटाने व धन के प्रभावी आवंटन में सहायता करते हैं। वित्तीय संस्थान वे कंपनियाँ हैं जो धन जुटाने वाले बचत जमाकर्ता, और क्रेडिट या वित्त प्रदाता के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा, जनता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे अपने माल के मामले में गैर-वित्तीय (औद्योगिक और वाणिज्यिक) व्यावसायिक संस्थाओं से भिन्न होते हैं; जबकि जमाएँ, ऋण और प्रतिभूतियाँ जैसी वित्तीय संपत्तियों में पूर्व सौदा, मशीनरी, उपकरण, वस्तुओं की सूची, अचल संपत्ति, और इसी तरह की वास्तविक संपत्तियों में बाद का सौदा। वित्तीय

और “वास्तविक क्षेत्रों” के बीच विभाजन की व्याख्या यह नहीं की जानी चाहिए कि वित्त क्षणभंगुर या बेकार है। हालांकि, हमें वित्तीय संस्थानों को उनके मूल संचालन, बचतकर्ताओं या उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी विशेषज्ञता की डिग्री, जिनके साथ वे आम तौर पर सौदा करते हैं, या जिस तरीके से वे स्थापित किए गए थे, के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। अन्य शब्दों में, अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थानों की एक बड़ी संख्या और विविधता को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मानदंडों में कार्यात्मक, भौगोलिक, गतिविधि का क्षेत्रीय क्षेत्र और स्वामित्व प्रकार शामिल हैं।

2.3 वित्तीय संस्थान (Financial Institution)

किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली या वित्तीय क्षेत्र निम्नलिखित घटकों से बनता है: (ए) विशेषज्ञ और गैर-विशिष्ट वित्तीय संस्थान (बी) संगठित और असंगठित वित्तीय बाजार और (सी) वित्तीय साधन और सेवाएं जो पैसे के लेनदेन की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, सिस्टम में बाजार के संचालन और गतिविधियों के साथ-साथ वित्तीय अंतर्संबंध शामिल हैं। इन घटकों को परस्पर अनन्य होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्थान वित्तीय बाजारों में काम करते हैं और इस प्रकार उन बाजारों का एक घटक हैं। शब्द “वित्तीय प्रणाली” परस्पर या उलझे हुए आर्थिक संस्थानों, एजेंटों, प्रथाओं, बाजारों, लेनदेन, दावों और देनदारियों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है। वित्तीय प्रणाली का संबंध धन, ऋण और वित्त से है - परस्पर संबंधित लेकिन विभिन्न अवधारणाएं। मुद्रा विनिमय का वर्तमान साधन या भुगतान का तरीका है। एक क्रेडिट या ऋण एक राशि है जिसे ब्याज के साथ चुकाया जाना चाहिए और एक आर्थिक इकाई के कर्तव्य की ओर इशारा करता है। वित्त एक ऐसा शब्द है जो किसी राज्य, फर्म या व्यक्ति के मौद्रिक संसाधनों को संदर्भित करता है जिसमें ऋण और स्वामित्व निधि शामिल होती है।

2.4 वित्तीय संस्थान तीन परिवर्तन सेवाएं प्रदान करते हैं (Financial Institutions provide three Transformation Services)

- देनदारी, परिसंपत्ति और आकार का परिवर्तन जिसके लिए बड़ी संख्या में छोटी जमाओं द्वारा सुरक्षित बड़े ऋण जारी करने के माध्यम से नकदी के संग्रहण और वितरण की आवश्यकता होती है।
- बचतकर्ताओं के लिए अनुकूलित अल्पकालिक दावों या तरल जमा के प्रावधान के माध्यम से परिपक्वता परिवर्तन और इसलिए उधारकर्ताओं को दीर्घकालिक ऋण जो उनके निवेश के नकदी प्रवाह से मेल खाते हैं।

विविध पोर्टफोलियो के अधिग्रहण और प्रत्यक्ष ऋण जोखिम के परिवर्तन और शमन के माध्यम से जोखिम परिवर्तन। वित्तीय संस्थान इन सेवाओं का उपयोग पहले से अनुपलब्ध बचत तक पहुँच प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थान उपभोक्ताओं को आय की प्रत्याशा में खर्च करने में सहायता करते हैं और उद्यमियों को वित्त उपलब्धता की सुविधा के द्वारा भौतिक पूंजी प्राप्त करने में सहायता करते हैं। 1990 के दशक में वित्तीय संस्थानों की भूमिका में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। कई वित्तीय संस्थानों ने मर्चेन्ट बैंकिंग, अंडरराइटिंग और गारंटी लेनदेन को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष उधार से परे अपने प्रसाद में विविधता लाई है।

2.5 वित्तीय संस्थानों के प्रकार (Types of Financial Institution)

वित्तीय संस्थानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (ए) बैंकिंग संस्थान (बी) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान। बैंकिंग संस्थान (भारतीय रिजर्व बैंक) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जिम्मेदारी है कि वह देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करे।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम १९४९, प्राथमिक कानून है जो भारत में वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। भारतीय बैंकों को दो बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: वाणिज्यिक और खुदरा। 1. संगठित उद्योग 2. असंगठित बाजार संगठनात्मक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी संगठित बैंकिंग उद्योग का हिस्सा हैं।

2.6 संगठित उद्योग (Organized Industry)

(ए) वाणिज्यिक बैंक: अन्य सभी वित्तीय संस्थान नियमों के एक सेट का पालन करते हैं जिसे शेड्यूल के रूप में जाना जाता है। सत्ताईस वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी स्वामित्व वाले हैं, शेष गैर-घरेलू हैं। १९६९ से पहले भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक था। जुलाई १९६९ में, ५० करोड़ से अधिक जमा आधार वाले १४ प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। १९८० के दशक के दौरान, छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कुल मिलाकर बीस हो गए।

(बी) सहकारी बैंक: सहकारी बैंकिंग भारतीय बैंकिंग के संगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अनुभाग का प्रतिनिधित्व राज्य सहकारी समिति विधियों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के संग्रह द्वारा किया जाता है। दरअसल सहकारी समितियां क्रेडिट या गैर-क्रेडिट हो सकती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में, सहकारी ऋण समितियों के विभिन्न रूप संचालित होते हैं। इन संस्थाओं को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (ए) ग्रामीण ऋण समितियां जो मुख्य रूप से प्रकृति में कृषि हैं, (बी) शहरी ऋण समितियां जो मुख्य रूप से प्रकृति में गैर-कृषि हैं। कृषि ऋण विभिन्न प्रकार के सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

(सी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने के लिए राज्य सरकार और सहायक वाणिज्यिक बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय और किसान बैंकिंग और ऋण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रुख कर सकते हैं। समाज के सबसे गरीब सदस्यों को वित्त तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। भारत के ग्रामीण वित्तीय बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में, वे महत्वपूर्ण हैं। जून २००२ के अंत तक ए १९६ आरआरबी थे, जबकि १९८१ में केवल १०७ और १९७५ में छह थे। (डी) विदेशी बैंकों के संबंध में: भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति ब्रिटिश काल की है। एक विदेशी बैंक को दूसरे देश में एक शाखा के साथ एक बैंक के रूप में परिभाषित किया जाता है और उस देश में एक प्राथमिक मुख्यालय होता है जहां बैंक का मुख्यालय होता है। १९९३ में डीरेग्यूलेशन (सरकारी प्राधिकरण को हटाने) ने भारतीय बैंकिंग बाजार में कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। विदेशी बैंकों में शामिल हैं: सिटीबैंक सीलोन का राष्ट्रीय बैंक।

2.7 असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector):

असंगठित बाजार देशी बैंकर और साहूकार असंगठित बैंकिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे पहले, वहाँ बहुत सारे स्वदेशी बैंकर हैं। पारंपरिक बैंकों के विपरीत स्वदेशी बैंकर निजी व्यवसायों या व्यक्तियों के स्वामित्व और संचालित होते हैं। वे भी बैंकों की तरह ही वित्तीय मध्यस्थ होते हैं। एक प्रमुख पेशेवर साहूकार जो बैंक या साहूकार नहीं है, उनका प्रमुख व्यवसाय होना चाहिए। स्वदेशी बैंकों और हंडियों के बीच वाणिज्यिक पत्र का कारोबार किया जा रहा है। दूसरा, साहूकार पूरी तरह से आय के एक स्रोत पर भरोसा करते हैं: उनका अपना नकद भंडार। ग्रामीण या शहरी,

पेशेवर या गैर-पेशेवर एवं साहूकार सभी आकार और आकारों में आते हैं। कई किसान, व्यापारी और व्यापारी इस समूह को बनाते हैं। वे बिना किसी निगरानी के काम करते हैं। उनके ऋण पर उच्च ब्याज दर लगाई जाती है।

B. गैर-बैंकिंग संस्थान जबकि गैर-बैंकिंग संस्थान कई विशेषताओं को साझा करते हैं, बैंकिंग संस्थान निम्नलिखित द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं: वे अर्थव्यवस्था के भुगतान तंत्र में भाग लेते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लेनदेन सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी जमा देनदारियां राष्ट्रीय मुद्रा आपूर्ति के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, और उनके पास सामूहिक रूप से जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता है। बैंकिंग संस्थान जो कानूनी आरक्षित आवश्यकताओं का पालन करते हैं, वे पूरी तरह से अपने स्वयं के धन से उधार दे सकते हैं, जबकि अन्य बैंकों को बचतकर्ताओं की बचत पर भरोसा करना चाहिए। सेयर्स दो श्रेणियों में अंतर करने के लिए क्रेडिट के “पुर्वेयर्स” और “क्रिएटर्स” वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। एलआईसी, यूटीआई, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं जो भारत की बैंकिंग प्रणाली के अंदर काम करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक (आईडीबीआई) भी शामिल हैं।

2.8 गैर-मध्यस्थ बनाम मध्यस्थ: एक तुलना (Non-Arbitrator vs Arbitrator: A Comparison)

वित्तीय फर्मों के लिए मध्यस्थ और गैर-मध्यस्थ दो अतिरिक्त वर्गीकरण हैं। गैर-मध्यस्थ संगठनों के विपरीत, जो बचतकर्ताओं को धन उधार देते हैं, मध्यस्थ जमाकर्ताओं और निवेशकों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां अंतिम बचतकर्ताओं के प्रति होती हैं, जबकि उनकी संपत्ति उन निवेशकों या उधारकर्ताओं से आती है जिन्हें वे उधार देते हैं। बिचौलिए सभी वित्तीय संस्थानों में पाए जाते हैं। शब्द “गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती” गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करता है जो बैंकों (एनबीएफआई) के बजाय बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं। भारत में कुछ NBFI UTL, LIC GIC हैं। उधारकर्ता वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से लंबी अवधि के ऋण सुरक्षित कर सकते हैं जबकि वास्तविक ऋणदाता केवल अल्पकालिक ऋण जारी कर रहे हैं। जो लोग लंबी अवधि की संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे इसे करने के लिए अल्पकालिक ऋण का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। यह मानते हुए कि बड़ी संख्या में होल्ड है, बैंक अपने जमाकर्ताओं से कहता है कि वे किसी भी समय अपना पैसा निकाल सकते हैं, भले ही बैंक ने लंबी अवधि के ऋण बनाने के लिए जमाकर्ताओं के धन का उपयोग किया हो। बैंक जमा किसी भी समय निकाला जा सकता है। हालांकि खाते पर प्राप्त ब्याज को कुछ प्रकार की जमा राशि पर जब्त कर लिया जाना चाहिए। अंत में, बैंक जमाकर्ताओं के धन को जमा करके ऋण जोखिम को कम करते हैं। उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को अप्रत्यक्ष वित्तपोषण से लाभ होता है क्योंकि यह उनकी लेनदेन लागत को कम करता है, जमा को अधिक तरल बनाता है, और उधार देने के जोखिम को कम करता है।

जहाँ तक वित्तीय बिचौलियों की भूमिका का सवाल है, उन्हें वह ध्यान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं... फंड के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत संरचनाओं की अप्रभावीता के कारण निवेशक असुरक्षित है। कुशल वित्तीय मध्यस्थता का लक्ष्य बचतकर्ताओं से निवेशकों को धन हस्तांतरित करने की लागत को कम करना है। वित्तीय स्तरीकरण के परिणामस्वरूप, मध्यस्थता की कुल लागत के कारण बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थता की लागत कई गुना बढ़ जाती है। गरीब देशों में, औद्योगिक देशों की तुलना में वित्तीय मध्यस्थता की कुल लागत काफी अधिक है।

आईडीबीआई और नाबार्ड जैसी गैर-मध्यस्थ संस्थाएं विशिष्ट उद्देश्यों, क्षेत्रों और क्षेत्रों की सहायता के लिए सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप मौजूद हैं, नीति के रूप में उनकी स्थापना इस विश्वास से प्रेरित थी कि कुछ उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पारंपरिक निजी संस्थानों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है। हम उन्हें गैर-

बैंकिंग सांविधिक वित्तीय संगठनों के रूप में संदर्भित करते हैं क्योंकि उनकी स्थापना सरकार (NBSFO) द्वारा की गई थी।

2.9 आर्थिक बाजार (Financial Market)

वित्तीय उद्योग में, एक बाजार को उस स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ वित्तीय संपत्तियाँ बनाई या व्यापार की जाती हैं। वित्तीय बाजारों में भागीदार वित्तीय बाजार के रूप में ज्ञात तंत्र का उपयोग करके वित्तीय दावों का व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा, बाजार एक तंत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा मांग और आपूर्ति इन दावों के लिए मूल्य निर्धारित करने के लिए परस्पर क्रिया करती है। एक वित्तीय संपत्ति भविष्य की राशि और ब्याज या लाभांश के रूप में एक आवधिक भुगतान का दावा है जो एक वित्तीय संपत्ति है। वित्तीय बाजार वे स्थान हैं जहाँ वित्तीय दावों और सेवाओं को खरीदा और बेचा जा सकता है। इन बाजारों में वित्तीय उत्पादों का कारोबार फर्मों, वित्तीय संस्थानों, लोगों और सरकारों द्वारा या तो सीधे या दलालों और डीलरों के माध्यम से एक्सचेंजों या ऑफ-एक्सचेंजों पर किया जाता है। वित्तीय संस्थान, एजेंट, दलाल, डीलर, उधारकर्ता, ऋणदाता, बचतकर्ता, और अन्य सभी इन बाजारों के खिलाड़ी हैं, जो कानूनों, अनुबंधों और संचार नेटवर्क द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं।

एक वित्तीय संपत्ति का मूल्य निर्धारण इस बात पर आधारित होता है कि खरीदार कितना पैसा कमाने की उम्मीद करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश निवेशकों की अपेक्षाओं के आधार पर उनके मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। निवेशक अपने पैसे का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं (कम से कम राशि खर्च करके), और उधारकर्ता अपने ऋण पर सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करना चाहते हैं। उचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार निवेशकों और धन के उपयोगकर्ताओं को धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है। यह निवेशकों और अंतिम उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदे की स्थिति है।

2.10 वित्तीय बाजारों की विशेषताएँ (Features of Financial Market)

- वित्तीय बाजारों को लेनदेन की उच्च मात्रा और वित्तीय संसाधनों की तीव्र गति से परिभाषित किया जाता है।
- वित्तीय बाजारों को लेनदेन की उच्च मात्रा और वित्तीय संसाधनों की तीव्र गति से परिभाषित किया जाता है।
- तुरंत, कई बाजारों और लिखतों के प्रकारों में अंतरपणन संभव हो जाता है। ऑपरेटरों की एक छोटी संख्या के व्यवहार की सामान्यता के कारण, वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर होते हैं और घबराहट और संकट की बिक्री के लिए प्रवण होते हैं।
- परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में वित्तीय मध्यस्थों का प्रभुत्व होता है जो निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं और अपने ग्राहकों की ओर से जोखिम उठाते हैं। यदि इनमें से एक बाजार गिरता है, उदाहरण के लिए, गैर-वित्तीय बाजार, तो अन्य को नुकसान हो सकता है।
- वैश्विक वित्तीय बाजार अपने घरेलू समकक्षों के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। किसी देश के घरेलू बाजार में विफलता या कमजोरी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों का घरेलू बाजार के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त विशेषताओं के आलोक में वित्तीय बाजारों को कड़ाई से विनियमित और निगरानी की जानी चाहिए।

2.11 वित्तीय बाजारों के महत्वपूर्ण कार्य (The important functions of Financial Market)

1. जब खरीदार और विक्रेता संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं, तो मूल्य की खोज के रूप में जानी जाने वाली एक प्रक्रिया होती है।
2. नकदी प्राप्त करने के लिए एक निवेशक को अपनी वित्तीय संपत्ति बेचने की क्षमता प्रदान करने के लिए
3. लेनदेन और सूचना लागत कम है
4. व्यवसायों पर डेटा का प्रसार। कंपनी के स्टॉक में व्यापार को और अधिक कुशल बनाने के लिए यह निवेशकों को अपने स्वयं के शोध करने और वास्तविक समय में कंपनी के संचालन पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
5. वित्तीय दावों को बदलकर बचत और उधार लेने की प्राथमिकताओं को समायोजित किया जा सकता है।
6. पोर्टफोलियो प्रबंधन में सहायता करना

2.12 वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण- प्राथमिक और द्वितीयक बाजार (Classification of Financial Markets - Primary and Secondary Markets)

वित्तीय क्षेत्र में दो प्रकार के बाजार हैं: प्राथमिक और द्वितीयक। हालांकि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार वित्तीय बाजारों के सबसे आम विभाजन हैं। प्राथमिक बाजारों को कभी-कभी नए निर्गम बाजारों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे नए वित्तीय दावों या प्रतिभूतियों से निपटते हैं। दूसरी ओर द्वितीयक बाजार प्रतिभूतियों में ट्रेड करता है जो पहले ही जारी हो चुके हैं या अब बकाया हैं। निवेशकों के लिए अपने शेयरों को बेचना आसान बनाकर तरलता सुनिश्चित की जाती है। निवेशक, यदि वे चाहें, तो अपनी संपत्ति को बेचकर और दूसरों को अपने अतिरिक्त धन के साथ उन्हें हासिल करने की अनुमति देकर अपनी संपत्ति को लगातार पुनर्गठित कर सकते हैं। एक सेकेंडरी ट्रांजैक्शन किसी शेयर के शुरुआती इश्यू के बाद का कोई भी ट्रेड होता है। व्यावसायिक इकाइयों को प्रमुख बाजारों से नई या बड़ी हुई धनराशि प्राप्त होती है। प्राथमिक बाजार में दी जाने वाली प्रतिभूतियों को अधिक तरल बनाकर द्वितीयक बाजार अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त पूंजी की आपूर्ति में योगदान करते हैं। शेयर बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार साथ-साथ मौजूद हैं।

सेबी के लिए, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करें। बाजार में विकास को प्रोत्साहित करें। साथ ही इसे विनियमित करें। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं:

- a) नियामकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्रतिभूति बाजारों का पर्यवेक्षण
- b) स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इश्यू बैंकर्स, मर्चेन्ट बैंकर, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और अन्य सिक्योरिटीज मार्केट बिचौलियों के कार्यों को किसी भी तरीके से पंजीकृत और विनियमित करना।
- c) म्यूचुअल फंड जैसी सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीकरण और निरीक्षण।
- d) धोखाधड़ी और अन्यायपूर्ण प्रतिभूति बाजार प्रथाओं का निषेध
- e) प्रतिभूतियों के अंदरूनी व्यापार को प्रतिबंधित करना तथा

- f) बड़े पैमाने पर स्टॉक अधिग्रहण और व्यापार अधिग्रहण को विनियमित करना। प्रतिभूति बाजार में स्टॉक एक्सचेंजों, बिक्रेतियों और स्व-नियामक संगठनों की पृष्ठभूमि और लेखा परीक्षा
- g) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना
- h) उपरोक्त लक्ष्यों के लिए अनुसंधान करना
- i) आपको आवंटित किसी भी अतिरिक्त जिम्मेदारी को मानते हुए।

प्राथमिक बाजार वह है जहाँ ताजा निर्गम बेचे जाते हैं। नया निर्गम बाजार इसका दूसरा नाम है। यह नए पैसे का बाजार है। प्राथमिक बाजार में धन जुटाने के लिए प्रॉस्पेक्टस, अधिकार प्रसाद और निजी प्लेसमेंट का उपयोग किया जाता है।

द्वितीयक बाजार पूर्व स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों के पुनर्विक्रय या विनिमय के लिए एक बाजार है। इस बाजार को शेयर बाजार भी कहा जाता है। भारत में, द्वितीयक बाजार अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों से बना है जो सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित होते हैं। संघीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थाओं और संयुक्त स्टॉक कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का एक संगठित बाजार बनाने के लिए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है।

2.13 द्वितीयक बाजार के कार्य (Secondary Market Functions)

- बकाया इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों को अधिक तरल और विपणन योग्य बनाना।
- पुनर्निवेश प्रक्रिया के लिए निवेश के माध्यम से सबसे प्रभावी चैनल को नकदी आवंटित करके आर्थिक विकास में योगदान करें।
- आंतरिक वातावरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों का तात्कालिक मूल्यांकन देना। सूक्ष्म स्तर पर, इस तरह के मूल्यांकन से पूंजी की लागत और आर्थिक संगठनों की वापसी की दर की गणना करना आसान हो जाता है।
- निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक स्तर की सुरक्षा और निष्पक्षता प्रदान करना।
- उद्यमों को अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करें क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बाजार मूल्य प्रदर्शन को दर्शाता है और निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध है।

2.14 वित्तीय सेवाएँ (financial services)

इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन और देयता प्रबंधन कंपनियों की सेवाएं शामिल हैं। वे आवश्यक वित्त प्राप्त करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि उनका प्रभावी ढंग से निवेश किया गया है। वे वित्तपोषण संयोजन का निर्धारण करने में सहायता करते हैं और ऋणदाता सेवा के स्तर तक विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय सेवाओं के प्रकार

- बैंकिंग
- धन प्रबंधन
- म्यूचुअल फंड्स
- बीमा

भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना एक ऐसे तंत्र के इर्द-गिर्द है जो निवेशकों, उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच धन को आगे-पीछे करने की अनुमति देता है। भारतीय वित्तीय प्रणालियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काम करती हैं। वे विभिन्न प्रकार की परिष्कृत, परस्पर जुड़ी सेवाओं, बाजारों और संगठनों से बने होते हैं जिन्हें निवेशकों और जमाकर्ताओं के बीच एक कुशल और सुसंगत संबंध बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2.15 एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली के प्रमुख तत्त्व (Key Elements of a Well-Working Financial System)

एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली में एक ठोस कानूनी और नियामक वातावरण होना चाहिए, स्थिर धन, ठोस सार्वजनिक बजट और ऋण प्रबंधन। एक केंद्रीय बैंक, एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली, एक सूचना प्रणाली और एक अच्छी तरह से कार्य करने वाला प्रतिभूति बाजार।

चूंकि वित्त अनुबंधों पर स्थापित होता है, निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा केवल शक्तिशाली कानूनी और नियामक संगठनों द्वारा की जा सकती है जो नियमों को विकसित और गंभीर रूप से लागू करते हैं। नतीजतन, एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक एक मजबूत कानूनी ढांचा है। सार्वजनिक व्यय प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और उनका प्रबंधन करना साथ ही उन्हें कुशलतापूर्वक कवर करने के लिए पर्याप्त संसाधन हासिल करना, सभी ठोस सार्वजनिक वित्त के महत्वपूर्ण भाग हैं। दुनिया भर की सरकारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतीत में वित्तीय प्रणालियों का निर्माण किया गया था। एक अच्छी वित्तीय प्रणाली के विकास में औद्योगिक देशों के ठोस सार्वजनिक वित्त और ऋण प्रबंधन विधियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

एक केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली के संचालन के प्रबंधन और विनियमन का प्रभारी होता है। यह अंतिम उपाय के ऋणदाता बैंकों के बैंकर, सरकार के बैंकर, सार्वजनिक ऋण और विदेशी मुद्रा के प्रबंधक और सार्वजनिक ऋण और विदेशी मुद्रा के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का आर्थिक विकास दर पर प्रभाव पड़ता है। एक स्वायत्त केंद्रीय बैंक के अस्तित्व से एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का निर्माण सुगम होता है।

एक अच्छी वित्तीय प्रणाली में बैंकों की एक विस्तृत श्रृंखला भी होनी चाहिए जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, साथ ही बिना असफलता के महत्वपूर्ण झटके का विरोध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रत्येक देश में, बैंक प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ होते हैं। वे अन्य बातों के अलावा समाशोधन और भुगतान प्रणाली के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बाजार का संचालन करते हैं। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से वितरित की जाती है। बैंक के ऋण जोखिम विश्लेषण के भाग के रूप में, वे परियोजना के जोखिमधलाह का विश्लेषण भी करते हैं। बैंक इन असंख्य कार्यों को कितनी सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, यह बैंकिंग की वित्तीय सुदृढ़ता को निर्धारित करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सूचना है। एक वित्तीय प्रणाली में, सभी खिलाड़ियों की समान जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। एक अच्छी वित्तीय प्रणाली तभी बनाई जा सकती है जब उपयुक्त प्रकटीकरण तंत्र और सूचना प्रणाली नेटवर्किंग स्थापित हो।

वित्तीय बाजारों द्वारा स्टॉक और ऋण संपत्ति दोनों में व्यापार करना आसान बना दिया गया है। वित्तीय बाजार जो कुशल हैं, उद्यमों के लिए पूंजी तक पहुंच को आसान बनाकर, पूंजी की लागत में कटौती और तरलता में सुधार करके और विदेशों से निवेश को आकर्षित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। एक कुशल प्रतिभूति बाजार खराब प्रदर्शन करने वाले निगमों के लिए शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के जोखिम के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन को लागू करके बाजार अनुशासन को बढ़ाता है।

2.16 वित्तीय प्रणाली डिजाइन (Financial System Design)

वित्तीय बाजारों और संस्थानों में मध्यस्थता एक वित्तीय प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है जो अच्छी तरह से जुड़े वित्तीय बाजारों और संस्थानों का एक लंबवत संगठित वेब है। विभिन्न देशों में अलग-अलग वित्तीय प्रणालियाँ हैं। एक अर्थव्यवस्था की संरचना, विकास, और राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक चर सभी वित्तीय प्रणाली के डिजाइन को प्रभावित करते हैं।

सभी अलग-अलग ध्रुवीय डिजाइनों के बीच, दो स्टिक आउट हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी की बैंक-प्रभुत्व प्रणाली, उस प्रणाली का एक चरम उदाहरण है जो शेयर बाजार पर अधिक महत्व नहीं रखती है। बाजार-प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणालियाँ, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं, वे हैं जहाँ वित्तीय बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जबकि बैंकिंग संस्थान बहुत कम केंद्रीकृत होते हैं।

2.17 वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच की कड़ी क्या है? (What is the link between the financial system and economic development?)

एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली का अस्तित्व आर्थिक गतिविधि और प्रगति में सहायता करता है। आर्थिक विकास होने के लिए वित्तीय प्रणाली में सुधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बाजार संस्थान और उपकरण आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। वित्तीय प्रणाली के साथ बचत को अधिक उत्पादक उद्देश्यों की ओर ले जाकर देश के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है।

बिचौलियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधन और सेवाएँ प्रदान करके वित्त उद्योग बचत की राशि और दर को बढ़ाने में मदद करता है। वित्तीय प्रणाली के अधिक प्रतिस्पर्धी होने के साथ अधिक संसाधनों को किसी दिए गए जोखिम के लिए उच्चतम रिटर्न निवेश की ओर निर्देशित किया जाता है। यह वित्तीय मध्यस्थता की लागत को कम करता है और आर्थिक विकास को बढ़ाता है।

एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई वित्त प्रणाली के माध्यम से नवाचार की लागत को कम करके और इसकी लाभप्रदता में वृद्धि करके आर्थिक विकास को तेज किया जा सकता है। वित्तीय प्रणाली वाले देश जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करते हैं, अपनी उत्पादन क्षमताओं को उन्नत करके अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रख सकते हैं।

परिसंपत्ति मूल्यांकन बढ़ी हुई तरलता, सूचना उत्पादन और संचरण और आर्थिक विकास की गति और चरित्र सभी एक वित्तीय प्रणाली द्वारा सहायता प्राप्त हैं।

वित्तीय प्रणाली प्रबंधन व्यवसायों को अनुशासित और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन होता है। जब घरेलू वित्तीय प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से जुड़ी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार पूंजी प्रवाह को बढ़ाने का काम करते हैं। यह संबंध पोर्टफोलियो विविधता के माध्यम से जोखिम को कम करके आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद करता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य घटक कौन से हैं?

- A) केवल वित्तीय संस्थान
- B) वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार और वित्तीय साधन

- C) केवल वित्तीय बाजार
D) केवल वित्तीय साधन
2. कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अंतर्गत आता है?
A) बीमा कंपनी
B) सहकारी बैंक
C) म्यूचुअल फंड
D) वित्तीय एनजीओ
3. वित्तीय संस्थानों का प्रमुख कार्य क्या है?
A) केवल ऋण देना
B) धन का प्रबंधन और आवंटन
C) केवल बचत करना
D) केवल निवेश करना
4. किस प्रकार के वित्तीय संस्थान को गैर-बैंकिंग संस्थान कहा जाता है?
A) वाणिज्यिक बैंक
B) सहकारी बैंक
C) बीमा कंपनियां
D) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5. वित्तीय सेवाओं में परिवर्तन के लिए कौन सी सेवा प्रदान की जाती है?
A) केवल जोखिम परिवर्तन
B) केवल आकार परिवर्तन
C) देनदारी, परिसंपत्ति और आकार का परिवर्तन
D) केवल परिपक्वता परिवर्तन

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. एक व्यवसाय के लिए एक वित्तीय संस्थान का चयन करें और उसके लाभ और हानियों का विश्लेषण करें।
2. किसी स्थानीय बैंक के साथ एक बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया का विवरण दें।
3. आपके विचार में, एक वित्तीय संस्थान कैसे स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है? एक उदाहरण दें।
4. किसी एक वित्तीय साधन (जैसे: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, या बीमा) का चयन करें और उसके कार्यों का वर्णन करें।

2.18 सारांश (Conclusion)

आर्थिक सुधार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक वित्तीय प्रणाली में निहित है। एक तरफ, वित्त अर्थव्यवस्था का 'दिमाग' है, और वित्तीय प्रणाली का कौशल सकल पूंजी निर्माण के जीडीपी विकास में अनुवाद की दक्षता को आकार देता है। किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास और विकास एक विकसित वित्तीय प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करता है। वित्तीय विकास और आर्थिक विकास के बीच संबंधों के संबंध में दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं; जिसके अनुसार, एक कुशल वित्तीय प्रणाली वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाती है और उसके बाद उन्हें बाजार तंत्र की मदद से सर्वोत्तम संभव तरीके से निवेश करती है जिससे आर्थिक विकास होता है। अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, आर्थिक विकास और वित्तीय विकास एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र बैंक शाखाओं, एटीएम, वित्तीय

मध्यस्थों और शाखा रहित बैंकिंग समाधानों के माध्यम से दूरस्थ और दूर के क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम है। वित्तीय प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की आवश्यकता है। साथ ही वित्तीय प्रणाली के कुशल संचालन के लिए उचित शासन और विनियमन की आवश्यकता है। अंत में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक विकसित वित्तीय प्रणाली देश के आर्थिक विकास और विकास का नेतृत्व करती है।

2.19 अधिगम परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय को अध्ययन करने के बाद, छात्रों को निम्नलिखित अधिगम परिणाम प्राप्त होंगे:

1. **भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना की समझ:**

छात्रों को भारतीय वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों जैसे वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, और वित्तीय साधनों की संरचना को समझने में सक्षम होंगे।

2. **वित्तीय संस्थानों की भूमिका:**

छात्र यह समझ पाएंगे कि वित्तीय संस्थान कैसे धन के संचय, आवंटन और उपयोग में मदद करते हैं, और आर्थिक विकास में उनकी भूमिका क्या है।

3. **बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थानों के प्रकार:**

छात्र विभिन्न प्रकार के बैंकिंग (वाणिज्यिक, सहकारी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (जैसे बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड) के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे।

4. **वित्तीय सेवाओं का महत्व:**

छात्र यह जान पाएंगे कि वित्तीय संस्थान कैसे विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और ये सेवाएं व्यक्तिगत और सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं।

5. **वित्तीय परिवर्तन सेवाएं:**

छात्र यह समझेंगे कि वित्तीय संस्थान तीन प्रकार की परिवर्तन सेवाएं (देनदारी, परिसंपत्ति और आकार का परिवर्तन; परिपक्वता परिवर्तन; और जोखिम परिवर्तन) कैसे प्रदान करते हैं।

6. **आर्थिक सुधारों का प्रभाव:**

छात्र 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों के बाद वित्तीय संस्थानों में आए बदलावों को समझने में सक्षम होंगे और इन सुधारों के परिणामों का विश्लेषण कर सकेंगे।

7. **वित्तीय प्रणाली की समग्रता:**

छात्र भारतीय वित्तीय प्रणाली की समग्रता को समझने में सक्षम होंगे, जिसमें संगठित और असंगठित वित्तीय बाजारों का समावेश होता है।

इन अधिगम परिणामों के माध्यम से, छात्र न केवल भारतीय वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि यह प्रणाली आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

2.20 शब्दावली (Glossary)

1. **भारतीय वित्तीय प्रणाली:** हमारे देश के आर्थिक विकास के सबसे आवश्यक भागों में से एक भारतीय वित्तीय प्रणाली है। यह प्रणाली देश के नागरिकों (घरेलू बचत) और उन लोगों के बीच नकदी के प्रवाह का समन्वय करती है जो दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए समझदारी से इसे (निवेशक/व्यवसाय) निवेश कर सकते हैं।

2. भारतीय रिजर्व बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसने 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत परिचालन शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करता है।
3. वित्तीय संस्थान: एक वित्तीय संस्थान एक धर्म है जो जमा, ऋण, निवेश और मुद्रा विनिमय सहित वित्तीय और मौद्रिक गतिविधियों में माहिर है।
4. संगठित उद्योग: संगठित क्षेत्र, जो सरकार के पास पंजीकृत होता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में लोगों को सुनिश्चित काम मिलता है, और रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं।
5. सहकारी बैंक: सहकारी बैंक एक सहकारी आधार पर स्थापित और उनके सदस्यों से संबंधित वित्तीय संस्थाएं हैं। ये बैंक नियमित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।
6. असंगठित क्षेत्र: असंगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर रोजगार की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित नहीं होता है।
7. आर्थिक बाज़ार: यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक निर्णय और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण देश के व्यक्तिगत नागरिकों और व्यवसायों की बातचीत द्वारा निर्देशित होते हैं।
8. वित्तीय सेवाएँ: वित्तीय सेवा वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है जो विभिन्न क्रेडिट उपकरणों, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वित्त प्रदान करती है। वित्तीय साधनों में, हमें चेक, बिल, वचन पत्र, ऋण लिखत, साख पत्र आदि मिलते हैं।
9. आर्थिक विकास: आर्थिक विकास एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। पूंजीगत वस्तुओं, श्रम शक्ति, प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी में वृद्धि सभी आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं।
10. वित्तीय जोखिम: वित्तीय जोखिम एक निवेश या व्यावसायिक उद्यम पर पैसा खोने की संभावना है। कुछ अधिक सामान्य और विशिष्ट वित्तीय जोखिमों में क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम शामिल हैं। वित्तीय जोखिम एक प्रकार का खतरा है जिसके परिणामस्वरूप इच्छुक पार्टियों को पूंजी की हानि हो सकती है।

2.21 स्वपरख प्रश्न (Self Testing Questions)

1. एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली वित्तीय प्रणाली के लिए प्राथमिक कारक क्या हैं?
2. आर्थिक विकास और वित्तीय प्रणाली के बीच क्या संबंध है?
3. वित्तीय बाजारों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए।
4. वित्तीय सेवाओं के सभी पहलुओं को बताएं और परिभाषित करें।
5. भारतीय वित्तीय प्रणाली में सेबी की भूमिका और जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए।
6. विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थान कौनसे हैं और वे वित्तीय मध्यस्थों से कैसे भिन्न हैं।
7. भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

2.22 संदर्भ व ग्रंथ सूची (References and Bibliography):

- Mohan, R., & Ray, P. (2017). *Indian Financial Sector: Structure, Trends and Turns*. International Monetary Fund.

- Pandey, A., & Banwet, D. K. (2018). Innovations in Indian Financial System: Remedy for Economic Growth?. *Technology Analysis & Strategic Management*, 30(11), 1283-1295.
- Pandit, B. L. (2015). *The Global Financial Crisis and the Indian Economy*. Springer.
- Shah, R. (2015). Investment Perception regarding Indian Financial Markets. *Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology*, 4(6).

2.23 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Kulshreshtha, P., & Mittal, A. (2015). Volatility in the Indian Financial Market Before, During and After the Global Financial Crisis. *Journal of Accounting and Finance*, 15(3), 141.
- Rathore, H. S., & Prajapati, R. (2019). The Impact of Financial Globalization on Indian Financial Market: A Case Study of Regional Rural Bank. *Available at SSRN 3389130*.

2.24 वेब संसाधन/लिंक्स (Web Resources/Links)

- <http://giacr.ac.in/notes/IFSS.pdf>
- <https://www.ibef.org/industry/financial-services-india.aspx>

इकाई-3

वित्तीय प्रणाली तथा आर्थिक विकास (Financial System and Economic Development)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 वित्तीय प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा
- 3.3 वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ
- 3.4 वित्तीय प्रणाल का क्षेत्र
- 3.5 वित्तीय प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था का अंतरसंबंध
- 3.6 वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य
- 3.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली के संघटक अथवा अंग
- 3.8 आर्थिक विकास की प्रवृत्तियाँ
- 3.9 वित्तीय प्रणाली एवं आर्थिक विकास
- 3.10 सारांश
- 3.11 अधिगम परिणाम
- 3.12 शब्दावली
- 3.13 स्व-परख प्रश्न
- 3.14 संदर्भ व ग्रंथसूची
- 3.15 अन्य पठन सामग्री
- 3.16 वेब संसाधन / लिंक

3.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई में आप वित्तीय प्रणाली का अर्थ वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ, वित्तीय प्रणाली का क्षेत्र, वित्तीय प्रणाली के कार्य, वित्तीय प्रणाली के अवयवों एवं वित्तीय प्रणाली व अर्थव्यवस्था का संबंध, आर्थिक विकास की प्रवृत्ति एवं वित्तीय प्रणाली तथा आर्थिक विकास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली किस प्रकार आर्थिक विकास में सहयोग देती है, इसे अवगत कराना इस इकाई का उद्देश्य है।

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

वित्त किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल एवं आधार स्तंभ होता है। एक अर्थव्यवस्था में वित्त का महत्व रक्त की भांति होता है जिस प्रकार मानव शरीर के संचालन हेतु रक्त निरंतर आवश्यक है ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था रूपी शरीर में वित्त रक्त की भांति सुचारु रूप से प्रवाहित होकर अर्थव्यवस्था के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि अर्थव्यवस्था में एक वर्ग के पास अतिरिक्त वित्त है जबकि दूसरी तरफ अन्य वर्ग के पास वित्त का अभाव है, अतः इन दोनों वर्गों के मध्य जो सेतु की भूमिका निभाता है वहीं वित्तीय प्रणाली कहलाती है। किसी भी देश की

आर्थिक उन्नति तथा विकास एक मजबूत वित्तीय प्रणाली पर निर्भर करता है। वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था में व्यर्थ पड़े वित्त को उत्पादक कार्यों की तरफ प्रवाहित करने में सेतु का कार्य करती है।

3.2 वित्तीय प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of financial system)

वित्तीय प्रणाली मुख्य रूप से दो शब्दों वित्त तथा प्रणाली से मिलकर बना है। वित्त का सामान्य अर्थ है किसी भी संस्था के संचालन हेतु उपलब्ध मौद्रिक कोष, जिसमें स्वामित्व तथा उधार दोनों सम्मिलित किया जाता है तथा प्रणाली का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक सम्बन्धित कार्यों की परस्पर संबंधित व जटिल संरचना से है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली से आशय एक ऐसी जटिल संरचना से है जिसके माध्यम से किसी भी संस्था अथवा उपक्रम को मौद्रिक कोष संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था का समूह हैं, जिसमें अतिरिक्त उपलब्ध धन को आवश्यकता वाले समूह की तरफ प्रवाहित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से हमें ज्ञात होता है कि वित्तीय प्रणाली दोहरी भूमिका का निर्वहन करती है। जहां एक तरफ वह कोषों का संग्रहण करती है वहीं दूसरी तरफ वह कोषों का आवंटन भी करती है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली कोषों के प्रवाह में आधारभूत भूमिका का निर्वहन करती है।

दूसरे शब्दों में वित्तीय प्रणाली वित्त की एक ऐसी जटिल एवं अंतर-संबंधित संरचना को दर्शाती है, जिसमें उन समस्त बाजारों, संस्थानों, साधनों तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में वित्त का प्रवाह बचतकर्ता से विनियोगकर्ता की तरफ होता है।

वित्तीय प्रणाली की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं:

जे. एफ. ब्रेडले के अनुसार वित्तीय प्रणाली व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूँजी का सम्यक प्रयोग एवं पूँजी के साधनों के सतर्कतापूर्ण चयन से है ताकि व्यवसाय को इसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निर्देशित किया जा सके।

राबिंसन् के अनुसार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विनियोगकर्ताओं तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में जो तंत्र कार्य करता है उसे वित्तीय प्रणाली कहा जाता है।

इजरा सोलोमन के अनुसार वित्तीय प्रणाली को कोषों की व्यवस्था करने से संबंधित एक स्टाफ गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये अपितु समग्र-प्रबंध के एक अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिये।

अन्य शब्दों में, वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत नीति – निर्धारकों, देश की मौद्रिक प्रणाली, विदेशी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं तथा पूँजी बाजार में कार्यरत निवेश संगठनों की क्रियाओं आदि का सम्मिलित किया जाता है।

3.3 वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of Financial System)

वित्तीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय प्रणाली एक एकीकृत संगठित तथा नियमित वित्तीय बाजार एवं संस्थान है जो कि घरेलू तथा निगम क्षेत्रों की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।
2. वित्तीय प्रणाली परंपरागत स्वरूप में केवल कोषों के संग्रहण तक सीमित थी लेकिन वर्तमान में यह एक सतत प्रशासनिक कार्य है जो कोषों के संग्रहण व प्रभावपूर्ण आवंटन दोनों से संबंधित है।

3. वित्त अर्थव्यवस्था का साधन ही नहीं अपितु साध्य भी है अतः इस दृष्टिकोण से वित्तीय प्रणाली कार्य निष्पत्ति का मापक है।
4. वित्तीय प्रणाली की प्रकृति मूलतः केंद्रीकृत होती है जिससे प्रभावी समन्वय व नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
5. वित्तीय प्रणाली देश के औद्योगिकरण का आधार बिंदु होता है।
6. देश की आर्थिक नीतियों का वित्तीय प्रणाली से गहरा संबंध होता है। आर्थिक नीतियों से देश की वित्तीय प्रणाली की दशा व दिशा तय होती है।
7. वित्तीय प्रणाली में अनेक वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, जो वित्तीय प्रक्रिया में सलग्न रहती हैं ! ये सभी संस्थाएँ बचतों को गतिमान करती हैं तथा उन सभी के बीच के जो विनियोग हेतु बचतों की मांग करते हैं, उन्हें वितरित करते हैं।
8. वित्तीय प्रणाली वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन भी करती है। बैंक प्राथमिक प्रतिभूतियों को क्रय करके मुद्रा का निर्माण करते हैं! अर्थात् अतिरिक्त से घाटे की इकाइयों में निधियों का हस्तान्तरण करके वित्तीय प्रणाली परिसंपत्तियों का सृजन करती है।

3.4 वित्तीय प्रणाली का क्षेत्र (Scope of Financial System)

निम्नलिखित चार्ट द्वारा वित्तीय प्रणाली के क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है :

वित्तीय प्रणाली का क्षेत्र	
क्षेत्र	सम्बंधित कार्य
वित्तीय नियोजन	*उद्देश्य का निर्धारण
	*नीतियों का निर्धारण
	*कार्य-विधि का निर्धारण
	*वित्तीय योजना का निर्माण
	*संभावित परिवर्तन के समायोजन हेतु अग्रिम आयोजन की व्यवस्था
वित्त प्राप्ति की व्यवस्था	*पूर्वानुमानित पूँजीकरण
	*प्रस्तावित पूँजी-ढाँचे की रचना
वित्तीय प्रशासन	*वित्त कार्य का संगठन
	*सम्पत्तियों का प्रभावपूर्ण प्रबन्ध
	*वित्तीय नियंत्रण
वार्षिक वित्तीय विवरणों का निर्माण एवं लाभ का निर्धारण	वित्तीय विवरणों का वैधानिक नियमों एवं प्रचलित व्यावसायिक चलन के अनुसार निर्माण
	*लाभ की मात्रा का निर्धारण
शुद्ध लाभ का आबंटन	*लाभांश-नीति का निर्माण
वित्तीय निष्पत्ति का मूल्यांकन	कार्य- निष्पत्ति का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना

3.5 वित्तीय प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था का अंतरसंबंध (Interrelation between Financial system and the economy)

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में उस देश की वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होने के कारण इसके कार्यों में भी विविधता दिखाई देती है। वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करती है:-

1. **बचत एवम निवेश के मध्य सेतु का कार्य :** वित्तीय प्रणाली के दो महत्वपूर्ण व आधारभूत कार्य होते हैं: पहला अर्थव्यवस्था के आधिक्य वित्त (बचत) को चलन में लाना एवम दूसरा इस आधिक्य कोषों को ऋण अथवा निवेश के रूप में उन व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रदान कराना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार यह बचत की आपूर्ति (बचतकर्ता) और निवेश योग्य निधियों की मांग (विनियोक्ता) के मध्य सेतु का कार्य करता है।
2. **मौद्रिक संसाधनों को गति प्रदान करना :** वित्तीय प्रणाली में बचत जुटाने और ऋण आवंटित करने में शामिल जोखिम के प्रबंधन और नियंत्रण करने के उपाय शामिल हैं, जिससे यह लेनदेन की लागत को कम करने और रिटर्न बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली द्वारा अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से न केवल बचत एकत्रित होती है बल्कि यह प्रणाली बचत का प्रभावी उपयोग भी करती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संसाधनों को गति प्राप्त होती है।
3. **पूंजी निर्माण को बढ़ावा :** वित्तीय प्रणाली, बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच की कड़ी है। यह वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए भौगोलिक सीमाओं के पार भुगतान प्रदान करती है। जिससे संसाधनों के हस्तांतरण में सुविधा होती है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली, बचत की आपूर्ति और निवेश योग्य निधियों की मांग को एक साथ लाकर पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।
4. **सन्तुलित आर्थिक विकास में सहायक :** वित्तीय प्रणाली द्वारा अर्थव्यवस्था में वित्त के अभाव व उपलब्धता के मध्य बेहतर तालमेल करके निवेश किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली किसी भी देश के सन्तुलित आर्थिक विकास करने में सहायता प्रदान करती है। उर्पयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ! वित्तीय प्रणाली तथा देश के अर्थव्यवस्था के विकास में वित्तीय प्रणाली के प्रमुख अंगों का उचित रूप में कार्य करना आवश्यक है।
देश के आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली के संघटक अथवा अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः इनका अध्ययन आवश्यक है।

3.6 वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य (Functions of Financial Intermediate Institutions)

वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय कोषों के निरन्तर प्रवाह से वित्त बाजार को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं, इनसे देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:-

1. **बचतों का संग्रहण (Collection of Small Savings) :** वित्त बाजार में सक्रिय वित्तीय संस्थाएँ जनता, व्यावसायिक फर्मों तथा कम्पनियों की छोटी-छोटी बचतों को संग्रह करके बड़े कोषों का निर्माण करती हैं जो अन्ततः वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था की वित्त व्यवस्था तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

2. **उद्योग एवं व्यापार की वित्त व्यवस्था (Finance for Industry and Trade) :** वित्तीय संस्थाएँ उद्योग एवं व्यापार के उत्पादक कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था कर उनके विकास एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उनकी वित्तीय समस्याओं के समाधान में योगदान देती हैं। वित्त तो उद्योग का जीवनदाता रक्त है। अतः वित्तीय संस्थाओं के अभाव में उद्योग एवं व्यापार के विकास की कल्पना निरर्थक एवं निराधार है।
3. **सरकार के लिये वित्त व्यवस्था (Finance for Government) :** आधुनिक सरकारों को आर्थिक क्षेत्र में विकास कार्यों तथा कल्याण कार्यों पर खर्च करने के लिये भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय संस्थाएँ केन्द्र तथा राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष ऋण एवं साख सुविधा प्रदान करती हैं। वहीं सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय में सहयोग देकर उन्हें आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है।
4. **जोखिम का विस्तार (Risk Enhancement) :** वित्तीय संस्थाएँ संग्रहित धन को विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार निवेश करती हैं जिससे जोखिम को कम किया जा सके। उनके धन से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। अतः बैंक निवेश के विविधीकरण से जोखिम का विस्तार करने में सफल रहते हैं।
5. **वित्त बाजार में स्थिरता (Stability in Finance Market) :** बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएँ विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर अर्थव्यवस्था के वित्त बाजार को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। वहीं साथ-साथ वित्त बाजार में वित्त कोषों के निरन्तर प्रवाह तथा कम आवश्यकता वाले क्षेत्रों से अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण कर उनके विकास से वित्त बाजार में स्थिरता बनाये रखती हैं।
6. **वित्त बाजार में तरलता (Liquidity in Finance Market):** वित्तीय संस्थाएँ जनता से प्राप्त धन को विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजित करते समय उन कोषों में पर्याप्त तरलता बनाये रखने का प्रयास करती हैं। वे मांग के अनुरूप बाजार में तरलता बनाये रखकर वित्त बाजार में स्थिरता का प्रयास भी करती हैं। यही कारण है कि बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ अपने कोषों से ज्यादातर अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण ही प्रदान करती हैं।
7. **ऋणदाता एवं ऋणी के बीच सम्पर्क सूत्र (Intermediary between Lenders and Debtors):** वित्तीय संस्थाएँ जहाँ एक ओर ऋणदाता और ऋणी के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करती हैं वहाँ दूसरी ओर दोनों ही एक-दूसरे लाभान्वित होते हैं। ऋणदाता को ब्याज व लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है एवं ऋण को अपने द्वारा उद्योग-व्यापार में निवेशित कोषों की पूर्ति होती है एवं उस निवेश से लाभ प्राप्त होता है।
8. **वित्तीय कोषों का सृजन (Creation of New financial Resources) :** वित्तीय संस्थाओं द्वारा न केवल नकद कोषों का संग्रहण किया जाता है, वरन बैंकिंग संस्थाएँ अपनी प्राथमिक जमाओं के आधार पर व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा साख कोषों का सृजन करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था के विकास एवं विस्तार में यह कोष सहायक होते हैं।

अतः स्पष्ट है कि वित्तीय संस्थाएँ निवेशकों एवं बचतकर्ताओं के बीच सम्पर्क सूत्र बन कर देश के उत्पादक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। इससे देश के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होकर जन कल्याण में वृद्धि होती है।

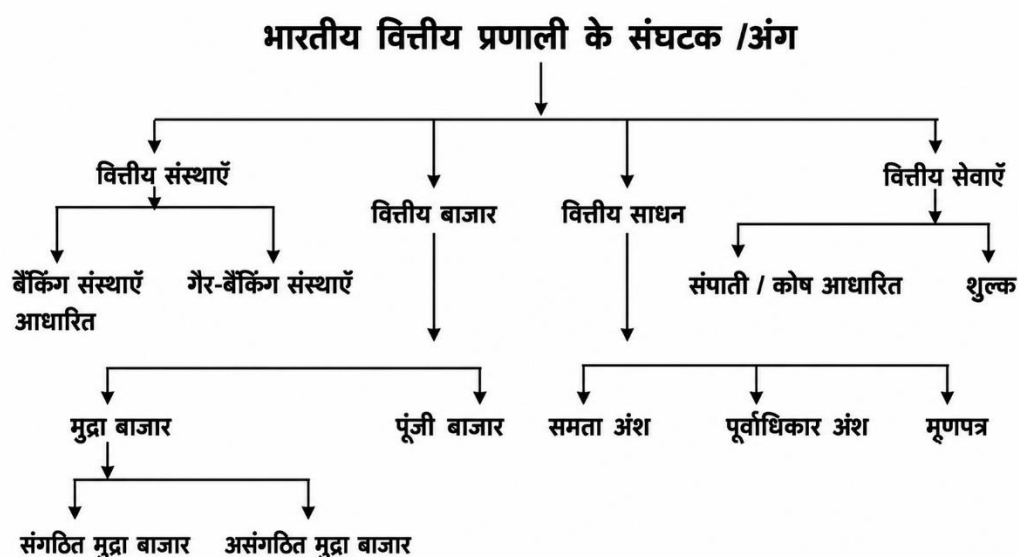
स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. निम्न में से वित्तीय प्रणाली का क्षेत्र है -
 - (अ) वित्तीय नियोजन
 - (ब) वित्त प्राप्ति की व्यवस्था
 - (स) वित्तीय प्रशासन
 - (द) उपयुक्त सभी
2. निम्न में से वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ हैं -

- (अ) यह यर्क एकीकृत संगठित एवं नियमित वित्तीय बाजार एवं संस्थान है
- (ब) वित्तीय प्रणाली देश के औद्योगिकरण का आधार बिंदु होता है
- (स) अ और ब दोनों
- (द) उपयुक्त में से कोई नहीं
3. निम्न में से वित्तीय प्रणाली का क्षेत्र से सम्बंधित हैं -
- (अ) वित्तीय योजना का निर्माण (ब) पूर्वानुमानित पूंजीकरण
- (स) वित्तीय नियंत्रण (द) उपयुक्त सभी
4. निम्न में से वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य हैं -
- (अ) बचतों का संग्रहण (ब) पूंजी निर्माण को बढ़ाना
- (स) वित्तीय प्रशासन (द) उद्देश्य का निर्धारण
- उत्तर – 1 (द) 2 (स) 3 (द) 4 (अ)

3.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली के संघटक अथवा अंग (Main components of Indian Financial system)

वित्तीय प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु इसमें कई पहलू सम्मिलित होते हैं। वित्तीय प्रणाली एक सुव्यवस्थित संस्थागत संरचना होती है जिसके प्रमुख घटक अथवा अंग के रूप में वित्तीय बाजारों, वित्तीय संस्थान, वित्तीय उपकरणों एवं वित्तीय सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो कि समाज द्वारा की गयी बचतों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। इसे निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है !



(अ) वित्तीय संस्थान:-

वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार के ऐसे संस्थान है जोकि निवेशक तथा बचतकर्ता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वे आधिक्य इकाई की बचतों को एकत्रित करती है तथा उन्हें आवश्यकता वाले क्षेत्र में लगा देते हैं ताकि अच्छी प्रत्याय दर मिल सके। वित्तीय संस्थानों को वित्तीय मध्यस्थ/बिचौलिया भी कहा जाता है क्योंकि ये एक

मध्यस्थ/बिचौलिए की तरह कार्य करता है, यह बचतकर्ता से धन लेकर जमा करता है तथा धन को निवेशकों को देता है। इसलिए व्यापारिक बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फण्ड, नाबार्ड इत्यादि वित्तीय संस्थान के उदाहरण हैं। वित्तीय संस्थान कई प्रकार के सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जिसमें निर्माण से विस्तारक योजनाओं की पूर्ण सेवाएं सम्मिलित होती हैं।

वित्तीय संस्थानों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है:- बैंकिंग संस्थान एवं गैर बैंकिंग संस्थान। बैंकिंग संस्थान, वे संस्थान हैं जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा जिनके ऊपर केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। केन्द्रीय बैंक की हैसियत से भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण, नियमन तथा विकास करता है। भारतीय बैंकिंग संस्थाओं को विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है: संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र। संगठित बैंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित हैं जबकि असंगठित बैंकिंग क्षेत्र में देशी बैंकर, सेठ, साहूकार इत्यादि सम्मिलित हैं।

गैर-बैंकिंग संस्थाएं, वे संस्थान हैं जो जनता से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। गैर बैंकिंग संस्थाओं को भी विस्तृत रूप से दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है:- संगठित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (जैसे कि नाबार्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि) तथा असंगठित गैर-बैंकिंग संस्थाओं (जैसे कि किराया क्रय कम्पनियां, पट्टा कम्पनियां, भवन वित्त कम्पनियां, आढ़तिया कम्पनियां, मर्चेन्ट कम्पनियां इत्यादि)।

(ब) वित्तीय बाजार:-

वित्तीय बाजार वह व्यवस्था है जो वित्तीय दावों अथवा सेवाओं के लेनदेन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस बाजार में वित्तीय उपकरणों व वित्तीय संपत्तियों में व्यवहार किए जाते हैं। वित्तीय संपत्तियों से तात्पर्य है अंशपत्र, ऋणपत्र, बांड, प्रतिभूतियां इत्यादि। इस बाजार में विभिन्न सहभागी जैसे वित्तीय संस्थान, अभिकर्ता, दलाल, व्यापारी, लेनदार-देनदार इत्यादि मांग पूर्ति दोनों तरफ से इस पर जुड़े हुए होते हैं। इस बाजार में वित्तीय सम्पत्तियों तथा विभिन्न प्रकार के साख प्रपत्र जैसे कि चेक, बैंक जमा, बिल तथा बांड आदि में व्यापार किया जाता है।

उधार की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं के आधार पर वित्त बाजारों को दो भागों में किया जा सकता है: मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का संबंध अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन कोषों से है। यह एक ऐसा संस्थागत प्रबंध है जोकि अल्पकालीन समय के लिए उधार लेने तथा देने में सहायता करता है। मुद्रा बाजार में अल्पकाल से आशय कुछ घंटे, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या एक वर्ष अथवा उससे भी कम अवधि के लिए ऋण लिया जा सकता है। मुद्रा बाजार में उधार लेने तथा देने के लिए कोई निश्चित स्थान या जगह नहीं होती। अतः ऋणी एवं ऋणदाता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क होना आवश्यक नहीं है। इनके मध्य संपर्क दूरभाष, टेलीग्राफ या डाक द्वारा भी किया जा सकता है। मुद्रा बाजार में, ऋणी के रूप में मर्चेन्ट, व्यापारी, उत्पादक, बड़े-बड़े व्यवसाय, दलाल यहां तक कि सरकारी संस्थाएँ भी होती हैं। जबकि ऋणदाता में देश का केन्द्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, बीमा कम्पनियां तथा वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित होती हैं।

पूंजी बाजार का संबंध अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन कोषों से है। यह एक ऐसा संस्थागत प्रबंध है जोकि दीर्घकालीन समय (एक वर्ष से अधिक) के लिए उधार लेने तथा देने में सहायता करता है। पूंजी बाजार को दो भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक तथा द्वितीयक पूंजी बाजार। प्राथमिक बाजार का संबंध नवीन वित्तीय परिसंपत्तियों से है, अतः इसे नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं जिसमें किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा नई प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है। इसके विपरीत द्वितीयक बाजार में पूर्व में जारी की गई उपलब्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं।

मुद्रा तथा पूंजी बाजार दोनों को संयुक्त रूप से वित्तीय बाजार कहा जाता है। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं तथा इसकी अवधि एक साल या उससे कम होती है। दूसरी तरफ पूंजी बाजार

दीर्घकालीन ऋणों के लिए है यह अवधि एक साल से ज्यादा समय की होती है। मुद्रा बाजार प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र तथा ट्रेजरी बिल आदि में कार्य करता है दूसरी तरफ पूँजी बाजार अंश, ऋणपत्र, बांड इत्यादि में कार्य करता है। मुद्रा बाजार में वित्तीय संस्थानों के रूप में ब्रोकर्स, कटौती गृह तथा व्यावसायिक बैंक हैं। दूसरी तरफ पूँजी बाजार में वित्तीय संस्थानों के रूप में इनवेस्टमेंट ट्रस्ट, बीमा कंपनियाँ आदि हैं। अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र, हुंडी इत्यादि का समावेश किया जाता है जबकि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र, बॉण्ड इत्यादि को शामिल किया जाता है।

(स) वित्तीय साधन:-

वित्तीय संपत्तियाँ/अभिलेख/साधन, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। वे भविष्य में दूसरों की सम्पत्ति तथा आय पर दावे को प्रस्तुत करती हैं। अन्य शब्दों में वित्तीय साधन किसी व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध किसी इकट्टी राशि के भुगतान या ब्याज या लाभांश के रूप में आवधिक अदायगी के लिए किसी विशेष भावी तिथि पर दावा प्रस्तुत करते हैं। जिसके अंतिम भुगतान तक आवधिक भुगतान किया जाता है, जो कि ब्याज, लाभांश इत्यादि के रूप में हो सकता है।

वित्तीय प्रतिभूतियों को विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक प्रतिभूतियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्तिम बचतकर्ता या निवेशक के द्वारा अन्तिम उधार लेने वाले को प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती हैं। इसमें समता अंश पूर्वाधिकार अंश तथा ऋणपत्र सम्मिलित होते हैं। जबकि गौण प्रतिभूतियाँ को अप्रत्यक्ष प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है क्योंकि इन्हे प्रत्यक्ष रूप से अन्तिम उधार लेने वाले को जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अन्तिम बचतकर्ता को वित्तीय बिचौलियों द्वारा जारी किए जाते हैं। बीमा पत्र, संयुक्त कोषों की इकाइयाँ तथा बैंक जमा आदि गौण प्रतिभूतियों के उदाहरण हैं।

(द) वित्तीय सेवाएँ:-

वित्तीय प्रणाली की कार्यकुशलता मुख्य रूप से वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सेवाओं की आपूर्ति में शामिल प्रमुख संस्थान : बैंक तथा वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, साख पत्र निर्गमन करने वाली कंपनियाँ, निवेश प्रयास एवं सहयोग निधि, स्कन्ध विनियमों, पट्टा कंपनियाँ/उपकरण कंपनियाँ/उपभोक्ता वित्त पोषण कंपनियाँ, यूनिट ट्रस्ट इत्यादि।

सेवाएँ विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकृत की गई हैं:- सम्पत्ति आधारित/कोष आधारित सेवाएँ (उपकरण पट्टा/आर्थिक प्रबंध, किराया क्रय एवं ग्राहक साख, बिलों को भुनाना, साहसिक/जटिल पूँजी, बीमा सेवाएँ, आढ़तियाँ) आदि। जबकि फीस आधारित/सलाहकार सेवाएँ (संविभाग प्रबंध, निगम परामर्श, ऋण संघ द्वारा प्रकाशन, विलयन एवं अधिग्रहण, पूँजी पुनर्संरचना, स्कंध दलाली इत्यादि) शामिल हैं।

उपरोक्त वर्णित वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएँ बचतकर्ताओं एवं धन की मांग करने वालों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।

3.8 आर्थिक विकास की प्रवृत्तियाँ (Trends of economic development)

वित्त प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक जीवन, कृषि उद्योग, व्यवसाय तथा समस्त आर्थिक प्रणाली के संचालन में गतिशील भूमिका निभाता है ! यह व्यवस्था के प्रारम्भ होने से लेकर उसके विकास के सभी चरणों के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण है! आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ निम्न हैं :-

1. **बचत-निवेश को बढ़ावा :** चूँकि बचत, निवेश के लिए पहली शर्त है, इसलिए बचत में वृद्धि करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि निवेश में वृद्धि की जा सके। वित्तीय प्रणाली द्वारा बचत तथा निवेश दोनों में वृद्धि, आर्थिक

विकास की दर को बढ़ाती है। वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए व्यर्थ पड़ी बचतों को उपयोगी निवेश में हस्तान्तरण करके उनको अधिक गतिशील बना देता है।

2. **बचतकर्ता तथा विनियोक्ता के मध्य कड़ी का कार्य :** वित्तीय प्रणाली, औद्योगीकरण का आधार केंद्र है। वित्त के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नहीं है। देश में राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय कम होने से बचत क्षमता कम होती है व बचत क्षमता कम होने से देश में पूँजी का अभाव हो जाता है। वित्तीय प्रणाली बचत करने वालों तथा निवेश करने वालों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। इसी कारण सरकार द्वारा वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गयी है, जिससे देश में वित्त की कमी को दूर करके देश में औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के मार्ग प्रशस्त किया जा सके। वित्तीय प्रणाली विभिन्न बचतकारों की बचतों को इकट्ठा करके उन्हें सही तथा प्रभावी तरीके से निवेश में बदलने में सहायता करती है। इस प्रकार वित्तीय प्रणाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा विनियोक्ता के मध्य कड़ी का कार्य करती हैं।
3. **पूँजी निर्माण का आधार :** पूँजी निर्माण की प्रक्रिया (अर्थात् बचत को बैंकों में एकत्रित करना तथा बचत को फिर उधार लेकर निवेश करना) इस बात पर निर्भर करता है कि वित्त उचित समय पर उचित मात्रा तथा उचित ब्याज की दर पर उपलब्ध हो सके। यह सब एक अच्छी विकसित आर्थिक वित्त व्यवस्था ही प्रदान कर सकती है। इसलिए एक विकसित वित्तीय प्रणाली पूँजी निर्माण की प्रक्रिया का आधार बिंदु होता है।
4. **बाजार का विस्तार :** एक अच्छी वित्तीय प्रणाली देश के आर्थिक विकास के लिए बाजारों का भी विस्तार करती है। वित्तीय प्रणाली से मुद्रा की चलन गति में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे क्रय-विक्रय सम्बन्धी सौदों की मात्रा बढ़ जाती है तथा उत्पादकों के लाभों में वृद्धि होती है। इस प्रकार अच्छी वित्तीय प्रणाली बाजारों का विस्तार करने के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
5. **आर्थिक विकास की कुंजी :** अविकसित देशों में प्राकृतिक व मानवीय संसाधन बहुतायत से उपलब्ध होते हैं किन्तु वित्त के अभाव में इनका उचित प्रयोग न होने के कारण देश अभी भी अविकसित हैं। देश में विकसित वित्त व्यवस्था होने के कारण बचत तथा निवेश में वृद्धि होती है। इससे प्राकृतिक व मानवीय संसाधन का विकास होता है। नतीजतन देश में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ता है तथा देश के आर्थिक विकास में प्रगति होती है।

अतः आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास में सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3.9 वित्तीय प्रणाली एवं आर्थिक विकास (Financial system and economic development)

वर्तमान में प्रत्येक देश का प्रमुख उद्देश्य संतुलित एवं सर्वांगीण आर्थिक विकास करना होता है। पूँजी निर्माण हेतु देश के समक्ष दो विकल्प उपलब्ध होते हैं: निजी वित्त एवं सार्वजनिक वित्त। चूँकि निजी वित्त की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए सर्वांगीण एवं संतुलित विकास हेतु सार्वजनिक वित्त का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। वर्तमान में देश के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रमुख प्रयास निम्न प्रकार हैं:-

1. **आर्थिक व सामाजिक पूँजी की व्यवस्था :** तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक पूँजी-निर्माण एक आवश्यक शर्त है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक व सामाजिक आधारभूत ढांचा विकसित होने पर राष्ट्रीय विनियोग बढ़ते हैं। बचत के बढ़ने से पूँजी निर्माण बढ़ता है। चूँकि इस क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में विशाल धनराशि के विनियोजन की आवश्यकता होती है तथा लाभ की दर कम होती है।

2. **पूँजी निर्माण को बढ़ावा** : अर्द्धविकसित देशों में अपर्याप्त बचत-विनियोग के कारण सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पूँजी निर्माण को बढ़ावा दिया जाये। इस हेतु सरकार प्रत्यक्ष जैसे अनुपयोगी व्यय को कम करना, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना, बचत-विनियोग हेतु बैंक बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों के माध्यम से पूँजी निर्माण इत्यादि और अप्रत्यक्ष रूप में, पूँजी बाजार की मजबूती कर सम्बन्धी छूटें, उत्पादन सम्बन्धी सुविधा, साख निर्माण, पूँजी निर्माण हेतु घाटे की वित्त-व्यवस्था इत्यादि उपाय करती है।
3. **सन्तुलित आर्थिक विकास** : देश के सर्वांगीण विकास हेतु अर्थव्यवस्था में व्याप्त क्षेत्रीय एवं औद्योगिक असमानताओं को समाप्त करना आवश्यक है। चूँकि निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अतः इन प्रवृत्तियों को रोकने एवं देश के सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है।
4. **विधिक परिवर्तन द्वारा संस्थान परिवर्तन** : सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की दशा में सुधार लाने हेतु विभिन्न प्रकार के विधिक उपाय किए जाते हैं। इस हेतु सरकार विभिन्न प्रचलित कानून व अधिनियम में बदलाव करके अथवा नए कानून बनाकर, अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन करती है, ताकि आर्थिक स्थिति व लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
5. **औद्योगीकरण को बढ़ावा** : विकासशील देशों में निजी निवेश की सीमितता के कारण सरकार द्वारा आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके एवं नये उद्योगों को स्वयं प्रारम्भ करके औद्योगीकरण में सहायता करती है। अतः इससे देश में औद्योगीकरण में पर्याप्त सहायता एवं विकास को अत्यधिक बल मिलता है।
6. **आय का न्यायपूर्ण वितरण** : अर्द्ध - विकसित देशों में आर्थिक विषमता एक प्रमुख समस्या होती है। अतः सरकार द्वारा विभिन्न ऐसे कदम उठाये गए जिससे उत्पादन की प्रेरणाओं को कम किये बिना धन एवं आय के वितरण की विषमताओं को दूर किया जा सके।
7. **आर्थिक स्थिरता बनाये रखना** : तेजी एवं मन्दी काल में व्यावसायिक क्रियाकलाप असुरक्षित रहते हैं। अतः सरकार द्वारा तेजी-मन्दीकाल में मांग-पूर्ति तत्वों पर नियन्त्रण करने के लिए विभिन्न नीति-नियम क्रियान्वित करके व्यवसाय में हस्तक्षेप करती है। सरकारी हस्तक्षेप से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।
इसके अलावा भी सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंध इत्यादि के माध्यम से भी आर्थिक विकास बनाये रखती हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. वित्तीय प्रणाली के अर्थ को समझाइए।
2. वित्तीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं।
3. वित्तीय प्रणाली की दो विशेषताएं लिखिए।
4. वित्तीय प्रणाली संस्थाओं के दो कार्य लिखिये।

3.10 सारांश (Conclusion)

सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकसित या विकासशील होने में उस देश की वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय प्रणाली के माध्यम से वित्त का बेहतर प्रयोग/निवेश, वित्त की उपलब्धता तथा वित्त से सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति में वित्तीय सम्पत्ति की उत्पत्ति या हस्तान्तरण अर्थात् वित्तीय सम्पत्ति कोषों को ऋणदाता से ऋण मांगने वाले के पास हस्तान्तरित

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि एक वित्तीय प्रणाली विभिन्न संस्थानों, बाजारों, विनियमों और कानूनों, प्रथाओं, धन प्रबंधक, विश्लेषकों, लेनदेन और दावों और देनदारियों की एक संरचना है। जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और अधिशेष के क्षेत्रों से घाटे के क्षेत्रों में धन के प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय प्रणाली देश के आर्थिक विकास के लिए एक तंत्र प्रदान करती है जिसके द्वारा बचत को निवेश में बदल दिया जाता है। जो पूँजी के निर्माण में मदद करते हैं। इस प्रकार किसी भी देश का आर्थिक विकास एक सुगठित वित्तीय प्रणाली पर निर्भर करता है।

3.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी वित्तीय प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी वित्तीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी वित्तीय प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था का अंतर जान सकेंगे।

3.12 शब्दावली (Glossary)

- **गैर बैंकिंग संस्थाएं** – गैर बैंकिंग संस्थाएँ वह वित्तीय संस्थाएँ हैं जो वित्त बाजार में मध्यस्थों के रूप में कार्य कर वित्त व्यवस्था में सहायता करती है जैसे – गृह निर्माण के लिए ऋण।
- **बैंक** – परिसंपत्तियों का सृजन करती हैं।
- **बैंकिंग संस्थाएं** – बैंकिंग संस्थाएँ वह संस्थाएँ हैं जो जनता, व्यावसायिक फर्मों, अथवा संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों से जमा कर धन प्रकट करती है एवं प्रकट धन को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में निवेश करती है।

3.13 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. वित्तीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ बताइये ?
Discuss main characteristics of Financial system ?
2. भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य संघटक लिखिए ?
Write main components of Indian Financial system ?
3. “वित्तीय प्रणाली में आर्थिक विकास का चक्राकार प्रवाह निरंतर चलता रहता है।” कैसे ?
“Economic development is a continuous circular flow in Financial system.” How?
4. वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं के कार्य बताइये ! बैंकिंग संस्थाओं एवं गैर - बैंकिंग संस्थाओं में अंतर बताइये ?
Mention the functions of financial institution in financial market. Explain difference between Banking Financial Institution and Non- Banking Financial Institution.

3.14 संदर्भ व ग्रंथ सूची (Reference Bibliography)

- Miller, Roger LeRoy and David D. VanHoose. Money, Banking, and Financial Markets. Mason, OH : South Western Educational Publishing, 2006.

- SETH, M. L., MONEY BANKING INTERNATIONAL TRADE AND PUBLIC FINANCE. Agra: Lakshmi Narain Agarwal, n.d.
- Singhai, G.C and Singh S.K., Money and Banking. Agra: Sahitya Bhawan Publications, 2020.
- सिन्हा, वी.सी. और सिन्हा पुष्पा, मुद्रा एवम बैंकिंग. आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2014.
- Chaturvedi D.D., Mittal and Puri V. Money & Banking. Cuttack, Odisha: KITAB MAHAL, 2017.
- एस सी मित्तल. मुद्रा एवम अधिकोषण . आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 1993.

3.15 अन्य पठन सामग्री (Other reading material)

- डॉ. के. एल. गुप्ता. मुद्रा, बैंकिंग एवम राजस्व. आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2019
- डॉ. जे. पी. मिश्रा. मुद्रा, बैंकिंग एवम विनिमय. आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन , 2018.
- डॉ. टी. टी. सेठी. मुद्रा एवम बैंकिंग. आगरा : लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, 1972
- प्रो. बी. सी. मलकानी और डॉ. मनोज कुमार पन्त. मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय एवं व्यापार. नई दिल्ली : जे पी सी , 2017.

3.16 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/Links)

- <https://www.moneyandbanking.com>
- <http://web.gjuonline.ac.in/distance/book/bcom/BCOM%20203%20Money%20and%20Banking.pdf>
- <https://www.uou.ac.in/>
- <https://epustakalay.com/book/42715-mudra-avam-banking-by-dr-m-l-seth/>
- <https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lhec103.pdf>
- <https://m.rbi.org.in/hindi/Scripts/Sourceofinfo.aspx>

इकाई - 4

भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मुद्दे (Major Issues of Indian Financial System)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 4.0 उद्देश्य (Objective)
- 4.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 4.2 वित्तीय प्रणाली का अर्थ (Meaning of Financial System)
- 4.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली (Indian Financial System)
- 4.4 वित्तीय प्रणाली के अंग (Constituents of Financial System)
- 4.5 वित्तीय मध्यस्थी संस्थाएं (Financial Intermediary Institutions)
- 4.6 वित्तीय बाजार (Financial Market)
- 4.7 मुद्रा बाजार (Money Market)
- 4.8 भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (Defects of Indian Money Market)
- 4.9 भारतीय पूंजी बाजार (Indian Capital Market)
- 4.10 भारतीय पूंजी बाजार के दोष (Defects of Indian Capital Market)
- 4.11 मुद्रा एवं पूंजी बाजार के सुधारात्मक उपाय (Remedial Measures of Money and Capital Markets)
- 4.12 प्रमुख मुद्दे (Major Issues)
- 4.13 सुझाव (Suggestions)
- 4.14 सारांश (Summary)
- 4.15 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 4.16 शब्दावली (Glossary)
- 4.17 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)
- 4.18 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)
- 4.19 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

4.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से छात्रों को वित्तीय प्रणाली से आशय, भारत में वित्तीय प्रणाली, वित्तीय प्रणाली के अंग, वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं, वित्तीय बाजार की जानकारी प्रदान की गई है। भारत में वित्तीय प्रणाली के मुख्य मुद्दों एवं इनके समाधान के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंगों के साथ-साथ मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार के दोषों एवं इन्हें दूर करने के सुझाव भी दिए गये हैं जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली का अध्ययन किया जा सके।

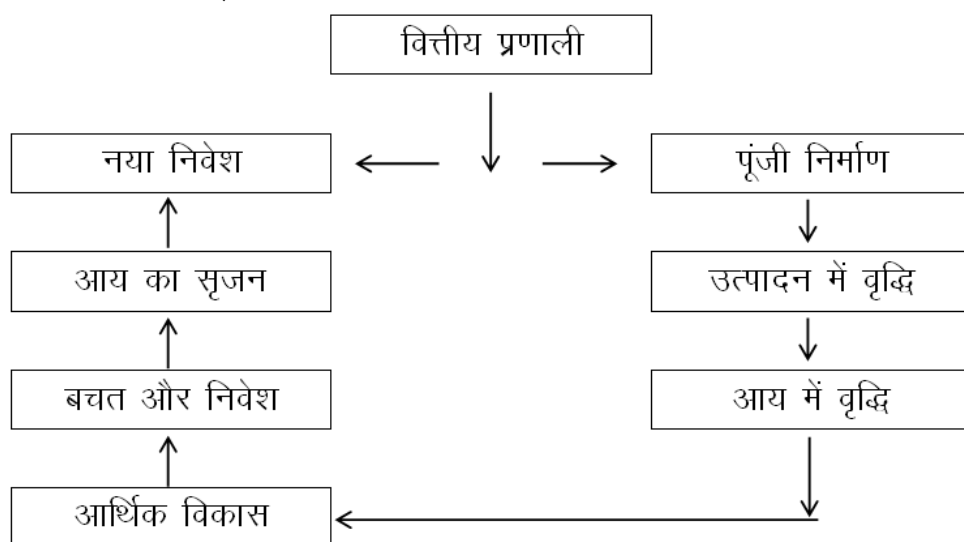
4.2 वित्तीय प्रणाली का अर्थ (Meaning of Financial System)

वित्तीय प्रणाली एक आर्थिक प्रणाली का आधार है जिसके अन्तर्गत बचतकर्ताओं एवं निवेशकर्ताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन करके रोजगार एवं आय में वृद्धि की जाती है। कोषों की मांग और कोषों की आपूर्ति के बीच सुगमता प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थायें विभिन्न बचतकर्ताओं से बचत एकत्र करके उत्पादक कार्यों में निवेश करने हेतु गतिशीलता प्रदान करती है। इस निवेश से रोजगार, आय, नई बचत, नया निवेश और नये आय का स्तर प्राप्त किया जाता है। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास संभव होता है।

वित्तीय प्रणाली किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होती है क्योंकि कोई भी व्यावसायिक फर्म कोषों की एक निश्चित लागत पर कोषों का संग्रहण करती है। वित्तीय संस्थाओं में कोषों का प्रवाह वित्तीय बाजारों का एक अभिन्न अंग होता है। कोषों को विभिन्न उपकरणों से सक्रिय किया जाता है जो कि वित्तीय उपकरण कहलाते हैं।

एक अर्थव्यवस्था में कुछ लोग अपने कोषों का चालू दरों पर निवेश करने को तत्पर होते हैं जबकि दूसरी ओर इन कोषों की मांग करने वाले लोग होते हैं। निवेशकर्ताओं द्वारा अपने कोष निवेश किये जाते हैं जिन्हें बचतकर्ता कहते हैं। इन्हें उधारदेय कोषों की आपूर्तिकर्ता भी कहा जाता है जबकि दूसरी ओर ऐसे कोषों की मांग करते हैं जिन्हें उधारदेय कोषों के मांगकर्ता कहा जाता है। वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य उधारदेय कोषों की मांग और उनकी पूर्ति के बीच सम्यक्स्था स्थापित करना होता है। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली का प्रादुर्भाव होता है। इसमें बचतें, विनियोग, प्रणाली, निवेशों का आवंटन तथा वित्तीय संसाधनों का विकास शामिल होता है।

वित्तीय प्रणाली द्वारा बचतों एवं निवेशों को सक्रिय करके आर्थिक विकास के लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। देश में निवेश के माध्यम से पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की जाती है और इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि से आय बढ़ती है, इससे पुनः निवेश बढ़ता है और नये निवेश से अर्थव्यवस्था में नई आय बढ़ती है। इससे कोषों का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के विकास की ओर बढ़ता है। प्रभावी वित्तीय प्रणाली के कार्य से आर्थिक विकास के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वित्तीय प्रणाली के चक्रीय प्रवाह को चार्ट - I से प्रदर्शित किया जा गया है:



चार्ट I से स्पष्ट है कि वित्तीय प्रणाली से पूंजी निर्माण, उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, आर्थिक विकास, बचत और निवेश, आय का सृजन तथा नया निवेश क्रियाशील होते हैं।

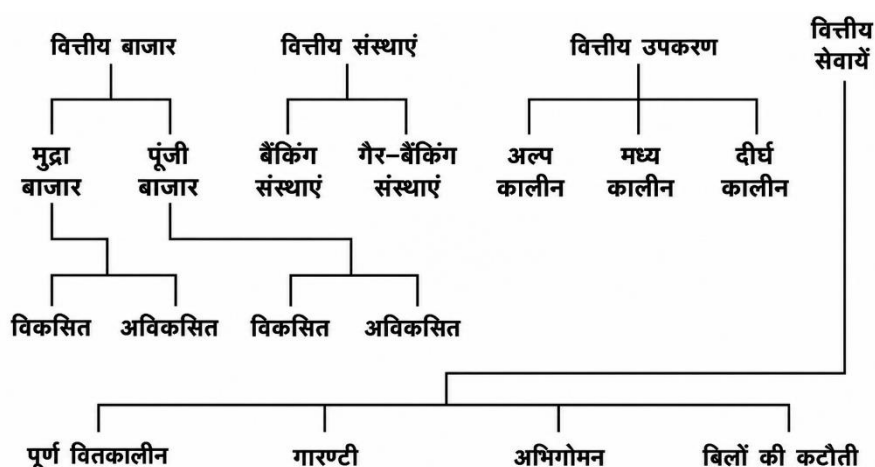
इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में जटिल एवं निकटतम वित्तीय संस्थाओं, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं, व्यवहारों, प्रक्रियाओं एवं अन्य तत्वों का समावेश होता है।

4.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली (Indian Financial System)

भारतीय वित्तीय प्रणाली में सभी वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय सेवाओं को शामिल किया जाता है जिससे कि वित्तीय प्रणाली का संतुलित संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके। भारतीय वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ आती हैं जिनके माध्यम से वित्तीय संसाधन और वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे वित्तीय संसाधनों की ऋणपूर्ति, अभिगोपन, ऋण पत्र तथा बिलों की कटौती की गारन्टी प्रदान की जाती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली में सभी वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय सेवाओं का समावेश किया जाता है। इनसे वित्तीय प्रणाली का संचालन सुव्यवस्थित तथा सन्तुलित रूप से होता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली को चार्ट –II में प्रदर्शित चरणों से स्पष्ट किया जा सकता है -

चार्ट II: भारतीय वित्तीय प्रणाली



चार्ट II से स्पष्ट है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय उपकरणों एवं वित्तीय सेवाओं को शामिल किया गया है। वित्तीय बाजारों में अल्पकालीन सौदे तथा दीर्घकालीन सौदे होते हैं। इन दोनों ही बाजार में विकसित तथा अविकसित बाजार विद्यमान हैं। वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग संस्थाएं शामिल हैं। वित्तीय उपकरणों में अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा उपकरणों का समावेश किया गया है। वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत पूर्ण वित्तकालीन, गारण्टी, अभिगोपन तथा बिलों की कटौती का समावेश किया जाता है।

4.4 वित्तीय प्रणाली के अंग (Constituents of Financial System)

वित्तीय प्रणाली के निम्नांकित अंग हैं:

- 1. वित्तीय बाजार (Financial Market) :** इसके माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन परिसम्पत्तियों का लेन देन किया जाता है। यह मुद्रा बाजार से किया जाता है। दीर्घकालीन लेनदेन पूंजी बाजार में किया जाता है। दोनों बाजार संगठित तथा असंगठित रूप में होते हैं। नये निर्गमनों का लेन-देन प्राथमिक बाजार में होता है तथा पुराने निर्गमनों का लेन-देन गौण बाजार में किया जाता है।

2. **वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) :** वे वित्तीय संस्थाएँ जिनके माध्यम से जनता, व्यावसायिक फर्मों तथा संयुक्त कम्पनियों से जमायें प्राप्त करती हैं तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के ऋण एवं अग्रिमों की आपूर्ति करती हैं।
इन संस्थाओं में बैंकिंग संस्थायें जमा राशियाँ प्राप्त करके ऋण एवं अग्रिमों की आपूर्ति करती हैं। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि होती है। गैर-बैंकिंग संस्थायें वित्त बाजार में मध्यस्थों का कार्य करके वित्तीय प्रबंधन का कार्य करती हैं। बीमा किश्तों के माध्यम से विभिन्न जोखिमों का बीमा करती हैं। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा कम्पनियाँ प्रमुख हैं।
3. **वित्तीय उपकरण (Financial Instruments) :** वित्तीय बाजार में जिन प्रपत्रों के माध्यम से निवेश किये जाते हैं उन्हें वित्तीय उपकरण कहा जाता है। इन उपकरणों को समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, याचक मुद्रा, व्यापारिक प्रपत्र, जमा प्रमाण-पत्र आदि के माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन निवेश मुद्रा बाजार में किये जाते हैं। अंश पत्र, ऋण पत्र, बाण्ड्स, स्टॉक, दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश दीर्घावधि में पूंजी बाजार में किये जाते हैं।
4. **वित्तीय सेवाएँ (Financial Services) :** विभिन्न बाजार सेवाएँ वित्तीय बाजार में प्रदान की जाती हैं। ऐसी सेवाएँ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। ऋण पर गारण्टी, अंशपत्रों का अभिगोपन, बिलों पर बट्टा काटना, वित्तीय संस्थाओं में पुनर्वित्त आदि सेवायें की जाती हैं। रिजर्व बैंक भी ऐसी सेवाएँ प्रदान करता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई सेवाओं का बाजार वित्तीय सेवा बाजार में किया जाता है। इस बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा विविध सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

4.5 वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएँ (Financial Intermediary Institutions)

यह वह संस्थाएँ हैं जो उधार देय कोषों की पूर्ति (बचतकर्ता) तथा उधारदेय कोषों की मांग (उधारकर्ता) के बीच एक कड़ी का काम करती हैं, उन्हें वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएँ कहते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय बाजार में कोषों का प्रवाह जारी रहता है तथा वित्तीय कोष साख कर्ताओं से ऋण लेने वाले के पास परोक्ष रूप से पहुँचते हैं। इन वित्तीय मध्यस्थता संस्थाओं में व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गृह निर्माण समितियाँ प्रमुख हैं। जीवन बीमा निगम, भारत का इकाई प्रत्यास (UTI) के अतिरिक्त गैर-बैंकिंग संस्थाएँ भी इस बाजार में कार्य संचालन करती हैं।

वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएँ एक देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वित्तीय बाजार की सुदृढ़ता इन संस्थाओं पर निर्भर करती है। ये संस्थाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में कार्य करती हैं और इनसे वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त होती है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है -

- (i) **बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया (Process of Banking Intermediary Institutions) :**
व्यापारिक बैंक वित्तीय मध्यस्थ हैं जो देश की मौद्रिक प्रणाली के माध्यम से कार्य करती हैं। बैंक बचतकर्ताओं से जमाएँ आकर्षित करती हैं तथा इन जमाओं के आधार पर उधारकर्ताओं को ऋण और अग्रिम देते हैं। ऋणियों से प्राप्त प्रतिफल से वित्तीय परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है। बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं और बाजार के कोषों में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार मध्यस्थ बैंकों की प्रक्रिया से बचतकर्ताओं से प्राप्त जमाओं का सृजन करते हैं।
- (ii) **गैर-बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया (Process of Non-Banking Intermediary Institutions) :** इन संस्थाओं द्वारा बैंकिंग मध्यस्थ प्रक्रिया के माध्यम से तीव्रतम सृजनात्मक प्रभाव पड़ता है। ये संस्थाएँ वित्तीय बाजार में मध्यस्थों का कार्य करते हुए कोषों के प्रवाह के गौण परिसम्पत्तियों में वृद्धि

करती है। इनके द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है और वित्तीय परिसम्पत्तियाँ प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही उन संस्थाओं को भी कोषों का हस्तान्तरण करती है जहाँ ऐसे कोषों की आवश्यकता पड़ती है इस प्रक्रिया में बैंकिंग क्षेत्र एक प्रत्यक्ष मध्यस्थी का कार्य नहीं करती हैं इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान माध्यम के रूप में होती है।

इस प्रकार बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया उनके कार्य संचालन पर निर्भर करती है। वित्तीय बाजार में इन कोषों का प्रवाह इन संस्थाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है।

इन संस्थाओं द्वारा ऋणदाता तथा ऋणियों के बीच एक कड़ी का काम किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त बचत का सृजन होता है और रोजगार के अवसरों तथा आय का सृजन होता है।

वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य एवं महत्व को निम्न बिन्दुओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- i. बचतों को गतिशीलता प्रदान करना,
- ii. उद्योग एवं व्यापार को साख प्रदान करना,
- iii. साखकर्ताओं के लिए लाभदायक,
- iv. कोषों का सृजन करना
- v. वित्तीय बाजार में स्थिरता प्रदान करना।

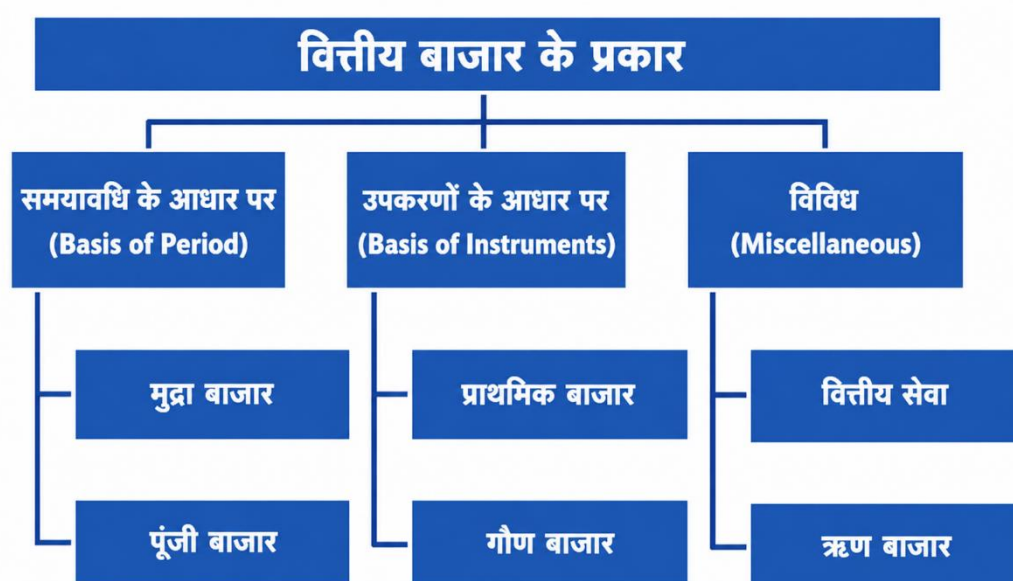
इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थ संस्थान उपभोक्ता साख, सरकार हेतु महत्व, जोखिमों का फैलाव, वित्तीय बाजार में तरलता की आपूर्ति, अर्थव्यवस्था को लाभदेय आदि के रूप में भी कार्य करती है।

4.6 वित्तीय बाजार (Financial Market)

वित्तीय परिसम्पत्तियों का सृजन तथा इनका बाजार में हस्तान्तरण करना मध्यस्थों के माध्यम से विक्रय संभव हो वह संगठन वित्तीय बाजार कहलाता है। जिससे वित्तीय उपकरणों के माध्यम से क्रय वित्तीय बाजार इस प्रकार वह बाजार जहाँ उधारदेय कोषों की पूर्ति उधार लेने वालों को की जाती है

वित्तीय बाजार की भौगोलिक सीमा एक देश तक रहती है।

चार्ट-III



अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन प्रपत्रों के आधार पर किये गये लेन देन मुद्रा बाजार में होते हैं जबकि दीर्घकालीन सौदे पूँजी बाजार में होते हैं।

उपकरणों के आधार पर भी वित्त बाजार में सौदे किये जाते हैं। विभिन्न कम्पनियों एवं सरकार द्वारा पहली बार निर्गमित प्रपत्रों में किये गये लेन-देन प्राथमिक बाजार में किये जाते हैं जबकि पुराने प्रपत्रों के लेनदेन गौण बाजार में किये जाते हैं।

जब व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से अंशपत्रों, ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों आदि का लेन-देन किया जाता है तो यह वित्तीय सेवा बाजार कहलाता है। इन सेवाओं के लिए ग्राहक से सेवा शुल्क लिया जाता है। साख की आपूर्ति उपभोग, आवास, कार आदि के लिए करने पर सेवा प्रदान की जाती है। उपभोक्ता, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना आदि के लिए उधार लिया जाता है। इस बाजार को ऋण बाजार कहा जाता है। यह अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन हो सकता है।

वित्तीय बाजार के प्रकार (Types of Financial Market) : वित्तीय बाजार को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है वे हैं -

- (1) समय के आधार पर (Basis of Period)
- (2) उपकरणों के आधार पर (Basis of Instruments)
- (3) विविध (Miscellaneous)

समय के आधार पर (Basis of Period) : वित्तीय बाजार को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जिस बाजार में अल्पकालीन नियमों के माध्यम से लेन देन किये जाते हैं उसे मुद्रा बाजार (Money Market) कहा जाता है। इसके विपरीत दीर्घकालीन विषयों के माध्यम से दीर्घकालीन सौदे किये जाते हैं वह पूँजी बाजार (Capital Market) कहलाता है। मुद्रा बाजार और पूँजी बाजार वित्तीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जिन संस्थाओं द्वारा विनियम वित्त, अल्पकालीन ऋण पत्र आदि में व्यवहार किया जाता है वे गतिविधियाँ मुद्रा बाजार के अन्तर्गत आती हैं। इसके विपरीत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंश पत्रों का क्रय-विक्रय, दीर्घकालीन ऋण पत्रों तथा सरकारी प्रतिभूतियों की क्रियाओं का लेन देन किया जाता है वे पूँजी बाजार के अन्तर्गत आते हैं। सामान्यतया मुद्रा तथा पूँजी बाजार में सहभागी संस्थाएँ एक-सी हैं। लेकिन मुद्रा बाजार में बैंकिंग संस्थाओं तथा पूँजी बाजार में गैर-बैंकिंग संस्थाओं की सहभागिता पायी जाती है।

वित्तीय उपकरणों के आधार पर (Basis of Financial Instruments) : वित्तीय बाजारों में अनेक प्रकार के वित्तीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का निर्गमन अनेक कम्पनियों तथा सरकार द्वारा किया जाता है। जब कम्पनियों तथा सरकार द्वारा इन उपकरणों का पहली बार निर्गमन किया जाता है तो इन्हें प्राथमिक वित्तीय बाजार (Primary Financial Markets) कहा जाता है। जब पहले से ही विद्यमान उपकरणों का क्रय विक्रय किया जाता है तो यह गौण वित्तीय बाजार (Secondary Financial Market) कहलाता है। प्राथमिक एवं गौण बाजारों में उपकरणों के आधार पर यह अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन बाजार कहलाते हैं।

विविध (Miscellaneous) : वित्तीय बाजारों को उनके कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। जब बैंकिंग संस्थाएँ जमाओं एवं निकासी के अतिरिक्त वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है और ग्राहकों को अंश पत्रों अथवा प्रतिभूतियों के लिए सेवाओं हेतु वसूली करते हैं तो ऐसे बाजार वित्तीय सेवा बाजार (Financial Service Market) कहलाता है। इसी प्रकार जब वित्तीय संस्थाओं द्वारा साख एवं सावधि ऋण दिये जाते हैं तो ऐसे बाजार ऋण बाजार (Debt Market) कहलाता है। वित्तीय संस्थाएँ बाजार ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती हैं। सरकार भी वित्तीय बाजारों से सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उधार लेती है। ऐसे बाजार को ऋण बाजार कहा जाता है। ऋण बाजार भी अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं।

इस प्रकार वित्तीय बाजारों की क्रियाओं के आधार पर बाजारों को मुद्रा बाजार, पूँजी बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार, वित्तीय सेवा बाजार तथा ऋण साख बाजार के रूप में विभक्त किया जाता है।

4.7 मुद्रा बाजार (Money Market)

प्रो. क्राउथर के अनुसार, “मुद्रा बाजार एक सामूहिक नाम जो कि फर्म एवं संस्थाओं को दिया जाता है जो निकट मुद्रा (Near Money) की विभिन्न श्रेणियों में व्यवसाय करता है।”

रिजर्व बैंक के अनुसार, “यह एक ऐसा केन्द्र है जहाँ मौद्रिक परिसम्पत्तियों में अल्पकालीन व्यवसाय करता है। यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उधारकर्ताओं को तरलता अथवा नकदी प्रदान करता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह वह बाजार है जहाँ अल्पकालीन कोषों का उधार लेना तथा देना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा बाजार में चलन एवं साख के प्रवाह का नियंत्रण करता है।

भारतीय मुद्रा बाजार एक ओर असंगठित बाजार है जिसमें देशी बैंकर होते हैं जिन पर रिजर्व बैंक का कोई नियमन एवं नियन्त्रण नहीं होता है। इसके विपरीत संगठित क्षेत्र (Organised Sector) है जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंक राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र बैंक, विदेशी बैंक सम्मिलित हैं। इन पर रिजर्व बैंक का नियमन तथा नियन्त्रण होता है। इसके साथ ही उप-बाजार (Sub-Markets) भी है जिसमें मांग मुद्रा बाजार, बिल बाजार, 364 दिवसीय बिल बाजार, जमा विपत्र, व्यावसायिक पत्र आदि शामिल हैं।

मुद्रा बाजार के अभिन्न अंग (Components of Money Market)

मुद्रा बाजार में अनेक वित्तीय संस्थाएँ कार्यशील होती हैं जिनके द्वारा अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये निम्नांकित हैं:

1. **केन्द्रीय बैंक (Central Bank)** : मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग केन्द्रीय बैंक है जो कि इसका संरक्षक होता है। भारत का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है जो कि देश में मुद्रा की आपूर्ति का सन्तुलन बनाये रखता है। यद्यपि इस बाजार में रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से लेन देन नहीं करता है लेकिन साख नियन्त्रण के उपायों के माध्यम से बाजार की क्रियाओं को प्रभावित करता है।
2. **व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)** : इन बैंकों द्वारा मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है। विनिमय बिलों पर बट्टा काटकर उद्योग और व्यापार को अल्पकालीन साख प्रदान करने का कार्य इन बैंकों द्वारा किया जाता है। स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पकालीन साख, नकद साख ओवर ड्राफ्ट और प्रतीक्षा पत्रों के आधार पर साख प्रदान करते हैं। इन संस्थाओं की मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. **सहकारी बैंक (Cooperative Banks)** : इन बैंकों द्वारा भी वाणिज्य बैंकों की तरह अल्पकालीन साख प्रदान किया जाता है। इन बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पाया जाता है। ग्रामस्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। भूमि बंधक बैंक द्विस्तरीय पर कार्यरत हैं। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक हैं। इनके द्वारा दीर्घकालीन साख प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सहकारी संस्थाएँ भी मुद्रा बाजार का एक अभिन्न अंग हैं।
4. **अन्य वित्तीय संस्थाएँ (Other Financial Institutions)** - व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाएँ अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करती हैं और मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। मुद्रा बाजार में डाकघर बचत योजनाएँ, कर्मचारी प्रोविडेंट फण्ड्स निधी तथा अन्य वित्तीय निगम की सहभागिता भी रही है।
5. **स्वीकृत गृह एवं बट्टा गृह (Acceptance Houses and Discount Houses)** - विकसित एवं संगठित मुद्रा बाजार में विनिमय बिलों का क्रय विक्रय किया जाता है। स्वीकृत गृहों द्वारा विनिमय बिल स्वीकार किये

जाते हैं। व्यापारियों द्वारा लिखे बिलों का बट्टा गृहों द्वारा बट्टा काटा जाता है। इन संस्थाओं का प्रादुर्भाव मुद्रा बाजार के विकास के कारण हुआ है। इनके विकास के कारण बिलों की स्वीकृति एवं उनके बट्टे काटने का कार्य किया जाता है। लन्दन तथा न्यूयार्क में विकसित तथा संगठित मुद्रा बाजार विद्यमान हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों द्वारा भी बिलों का बट्टा काटा जाता है।

6. **देशी बैंकर और साहूकार (Indigenous Bankers and Money Lenders)** - अर्द्ध विकसित मुद्रा बाजार में देशी बैंकर तथा साहूकार भी अपना कार्य करते हैं। ये संस्थाएँ व्यक्तिगत तथा अल्पकालीन साख प्रदान करती हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में देशी बैंकर तथा साहूकार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मुद्रा बाजार के इस भाग पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई प्रभावी नियमन नहीं होता है।

इस प्रकार मुद्रा बाजार में अल्पकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएं अन्तः निर्भर हैं और इनके द्वारा देश में अल्पकालीन साख की आपूर्ति करती हैं।

मुद्रा बाजार के उपकरण (Instruments of Money Market)

मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरण अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कोषों के प्रवाह को बनाये रखते हैं। मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरण निम्नांकित हैं:

1. **प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note)** : यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें ऋण ऋणदाता को दिये हुए धन को एक निश्चित अवधि में वापिस लौटाने की प्रतिज्ञा करता है। व्यावसायिक क्षेत्र में इस उपकरण की अवधि 90 दिन होती है। व्यापारिक बैंक इन उपकरणों का बट्टा काट कर साख प्रदान करते हैं। सभी देशों में प्रतिज्ञा पत्र अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है।
2. **विनिमय बिल (Bill of Exchange)** : हमारे देश में मुद्रा बाजार में इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें ऋणदाता ऋणी को निर्देशित करता है कि एक निश्चित तिथि पर राशि का भुगतान कर देगा। इस उपकरण की अवधि 90 दिन से 180 दिन तक होती है और इनका उपयोग व्यवसाय अथवा लेनदेन के उद्देश्य से किया जाता है। इन बिलों का व्यापारिक बैंकों तथा बट्टा गृहों द्वारा बट्टा काटा जाता है। एक विकसित मुद्रा बाजार में स्वीकृत गृह ऐसे बिलों को स्वीकार करते हैं।
3. **कोषागार विपत्र (Treasury Bills)** : इस प्रकार के विपत्र मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे बिलों का निर्गमन 12 महीने की अवधि के लिए किया जाता है। ऐसे बिल भारत में 91 दिनों से 364 दिनों तक निर्गमित किये जाते हैं कोषागार विपक्ष सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। ऐसे विपत्र वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
4. **अल्प सूचना पर देय माँग राशि (Money at Call and Short Notice)** : जब व्यापारिक बैंक 24 घण्टे से 14 दिन की अवधि के लिए साख प्रदान करते हैं तो ऐसे मुद्रा याचना पर अल्पकालीन नोटिस कहलाते हैं। ऐसे बिल मांगने पर तुरन्त देय होते हैं। इनकी देयता अनिवार्य होती है। मूलधन एवं ब्याज अनिवार्य रूप से देय होता है।
5. **वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)** : अनेक व्यावसायिक संस्थाएं व्यापारिक बैंकों से प्रत्यक्ष रूप से उधार न लेकर वाणिज्यिक पत्र अल्पकाल के लिए जारी करती हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात् इनके भुगतान की गारण्टी दी जाती है। इन प्रपत्रों का निर्गमन 90 के दशक से किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रपत्र प्रश्विमी देशों में लोकप्रिय हैं।
6. **जमा प्रमाण पत्र (Certificates of Deposits)** : इस प्रकार के प्रमाण-पत्र बचतकर्ताओं को निर्गमित किये जाते हैं जिनका उपयोग वे अधिक निवेश अवसरों में कर सकते हैं। इनका निर्गमन 5 लाख रुपये के गुणक में किया जाता है और अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक होती है। इनकी परिपक्वास्था 3 महीने से

1 वर्ष तक होती है। बैंकों द्वारा इन प्रमाण-पत्रों पर ऊँची ब्याजदर से भुगतान किया जाता है। ऐसे प्रमाण-पत्र धारक इनकी परिपक्वास्था तक रख सकते हैं। धारक को तरलता प्राप्त होती है।

मुद्रा बाजार के उपर्युक्त उपकरण बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा काम में लिये जाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करने वाली संस्थाएँ अनेक प्रकार की होती हैं और इन उपकरणों के माध्यम से बाजार में अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

4.8 भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (Defects of Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा बाजार के निम्नांकित दोष हैं -

1. **असंगठित मुद्रा बाजार (Unorganised Money Market) :** भारतीय मुद्रा बाजार का प्रमुख दोष देशी बैंकों (Indigenous Bankers) का होता है। इनके द्वारा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त में कोई अन्तर नहीं किया जाता है। गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा सामान्य जनता से कोष एकत्रित किये जाते हैं और इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण नहीं होता है।
2. **ब्याज दरों में भिन्नता (Diversity in Rates of Interest) :** उधार, जमा आदि पर व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों की ब्याज दरों में भिन्नता पायी जाती है। यह मुद्रा बाजार के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोषों की गतिशीलता में कमी के कारण पाया जाता है।
3. **बिल बाजार का अभाव (Lack of Bill Market) :** भारतीय मुद्रा बाजार में बिल बाजार की कमी पाई जाती है जिससे अल्पकालीन बिलों को स्वीकार करने एवं इन पर बट्टा काटने की सुविधा भी नहीं पाई जाती है। भारत में बिल बाजार पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है।
4. **साख पत्रों की कमी (Lack of Credit Instruments) :** भारतीय मुद्रा बाजार में साख पत्रों की कमी से लेनदेन आसानी से नहीं किया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन साख का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है।
5. **समन्वय का अभाव (Lack of Coordination) :** मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में भी बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव पाया जाता है। इससे अल्पकालीन साख का प्रवाह एवं लेनदेन आसानी से नहीं किया जाता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष हैं : असंगठित मुद्रा बाजार, ब्याज दरों में भिन्नता, बिल बाजार का अभाव, साख पत्रों की कमी, समन्वय का अभाव।

4.9 भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market)

पूँजी बाजार वह बाजार है जहाँ पर दीर्घकालीन कोषों का लेन देन किया जाता है। इस बाजार में मध्यम एवं दीर्घकालीन कोषों का संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से लेन-देन किया जाता है। इसका सम्बन्ध दीर्घकालीन कोषों को विनियोग के लिए जुटाना होता है। पूँजी बाजार में गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियों (Gilt Edged Securities), औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, विकास वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को शामिल किया जाता है।

भारतीय मुद्रा बाजार में निम्न उपकरणों (Instruments) को शामिल किया जाता है:

1. कम्पनी प्रतिभूतियाँ (Company Securities)
2. सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)
3. उपभोग ऋण (Consumer Loans)
4. व्यापारिक ऋण (Commercial Loans)
5. विदेशी बॉण्ड्स और अन्य उपकरण (Foreign Bonds and Other Instruments)

4.10 भारतीय पूंजी बाजार के दोष (Defects of Indian Capital Market)

पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों का लेनदेन होता है। इसके अन्तर्गत मध्यम एवं दीर्घकालीन सौदे होते हैं जिनमें विभिन्न संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। भारतीय पूंजी बाजार के निम्न दोष हैं:

1. समता बाजार (Equity Market) की समस्या पूंजी बाजार में विद्यमान है क्योंकि मुम्बई स्टॉक बाजार का एकाधिकार है।
2. विभिन्न प्रकार की अनुचित कार्यवाही के कारण बाजार के बाह्य लोगों को हानि होती है। खुली बोली के कारण उपयोगकर्ताओं और दलालों की पहुँच से दूर होते हैं।
3. बम्बई से बाहरी फुटकर निवेशकर्ता उप-दलालों के माध्यम से तरलता प्राप्त करते हैं।
4. अंशों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया में समय अधिक लगता है विशेष रूप से बम्बई से बाहर के निवेशकर्ता के संदर्भ में।

4.11 मुद्रा एवं पूंजी बाजार के सुधारात्मक उपाय (Remedial Measures of Money and Capital Markets)

भारतीय मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के दोषों को दूर करने के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय किये गये हैं। एस. चक्रवर्ती समिति तथा एम. नरसिम्हम समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर मुद्रा बाजार में निम्न सुधार किये गये हैं:

1. रिजर्व बैंक के नियन्त्रण एवं निगमन से बैंकों की जमा दरें, उधार देय दरें नियमित की गई है। बैंक दर में भी बार-बार परिवर्तन नहीं किये गये हैं। विगत वर्षों में रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में भी उच्चावचन देखने को नहीं मिले हैं।
2. भारत सरकार ने मुद्रा बाजार पारस्परिक कोष (Money Market Mutual Funds) भी व्यक्तियों के लिए सुलभ कर दिये हैं।
3. बघुल समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने 182 दिन तथा 364 दिन के कोषागार नियम जारी कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन परिपक्वाधि के कोषागार बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र भी जारी किये हैं।

भारत सरकार ने पूंजी बाजार के विकास के लिए निम्न कदम उठाये हैं:

1. भारतीय स्टॉक विनियम बोर्ड ने कम्पनियों की भारतीय जमा प्राप्तियाँ के खोलने एवं अन्य आवश्यकताओं का प्रकाशन कर दिया है।
2. निरन्तर सूचीबद्धता के लिए सूचीबद्ध कम्पनियों को सार्वजनिक हिस्सेदारी कुल निर्गमित अंश पत्रों का 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. शीघ्र एवं त्यागत प्रभावी विधि के अन्तर्गत कोष एकत्र किये जाने की सुविधा भी सेबी (SEBI) ने प्रदान कर दी है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा एवं पूंजी बाजार में सुधारात्मक उपायों में सम्मिलित हैं : रिजर्व बैंक द्वारा जमा दरों एवं उधार देय दरों का नियमन, पारस्परिक कोषों को आसान करना, रिजर्व बैंक द्वारा 182 दिन एवं 364 दिन के कोषागार नियम जारी करना।

4.12 प्रमुख मुद्दे (Major Issues)

भारतीय वित्तीय प्रणाली में अनेक विचारणीय मुद्दे हैं जिनका समाधान आवश्यक है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समितियों की सिफारिशों के बावजूद भी अनेक मुद्दे विद्यमान हैं। ये मुद्दे निम्नांकित हैं -

1. देशी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण एवं नियमन प्रभावी नहीं होने से ग्रामीण जनसंख्या का शोषण जारी है।
2. हुण्डियों (Hundies) का प्रमापीकरण नहीं किया गया है। देशी बैंक इनका उपयोग करते हैं। व्यापारिक बैंक इस प्रकार की हुण्डियों को स्वीकार नहीं करते हैं।
3. स्वीकृत गृह (Acceptance Houses), वित्त एवं बट्टा गृह (Finance and Discount Houses) की संख्या कम है जिससे अल्पकालीन वित्त का प्रवाह बाधक होता है।
4. अभिगोपन गृह (Clearing Houses) की स्थापना होनी चाहिए जिससे बैंकिंग सुविधाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके।
5. चिट फण्ड कम्पनी (Chit Fund Companies) निजी क्षेत्र में बड़ा व्यापार करती हैं। विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ देकर वे अपना व्यवसाय करती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा इन संस्थाओं पर नियन्त्रण लगाना चाहिए।
6. ग्राहकों की सेवाओं के गुणात्मक पहलू की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। लघु एवं मध्यम जमाकर्ता तथा उधारकर्ता की उपेक्षा हो रही है।
7. बैंकिंग संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। बैंकिंग कर्मचारियों के संघ भी दबाव की राजनीति करते हैं। बैंकों की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (Non-Performing Assets) निरन्तर बढ़ रही हैं। विभिन्न ट्रिबूनल्स में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु विलयन का विरोध संघों द्वारा किया जा रहा है।

4.13 सुझाव (Suggestions)

भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं -

1. मुद्रा बाजार को प्रभावी बनाने के लिए असंगठित बाजार पर रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण एवं नियमन लागू किया जावे।
2. हुण्डियों के माध्यम से निजी व्यवसायियों द्वारा लेन-देन किया जाता है। इनका प्रमापीकरण करके व्यापारिक बैंकों द्वारा मान्यता देनी चाहिए।
3. चिट फण्ड वाली कम्पनियों को रिजर्व बैंक द्वारा अवैधानिक घोषित किया जाए या नियंत्रित किया जाए जिससे कि बचतकर्ताओं और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सके।
4. पूँजी बाजार में दीर्घकालीन लेनदेन पर पारदर्शिता और जवाबदेह को प्रोत्साहन देने के लिए रिजर्व बैंक कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।
5. भारत में स्टॉक विनियम प्रमण्डल (SEBI) की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाकर बम्बई से बाहर निवेशकर्ताओं को पारदर्शिता और जवाबदेहता प्रभावी रूप से लागू की जावे। आन्तरिक लेनदेन में पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले पक्षकार को दण्डित करने का प्रावधान कठोरता से लागू किया जाए।
6. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वसहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं में आपसी विश्व एवं समन्वय स्थापित करके वित्तीय प्रणाली के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की

जानी चाहिए। इसके लिए रिजर्व बैंक, केन्द्र एवं राज्य सरकारें, बचतकर्ता तथा निवेशकों के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श के आधार पर कार्य योजना तैयार कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

4.14 सारांश (Summary)

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मुद्दों का अध्ययन आवश्यक है जिससे कि इनका समाधान करके वित्तीय क्षेत्र को सही दिशा दी जा सके। इससे अर्थव्यवस्था में बचतों व निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। निवेश में वृद्धि होगी। रोजगार, आय एवं बचत में वृद्धि करके तीव्र आर्थिक विकास संभव होगा।

4.15 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

वित्तीय प्रणाली एक चक्रीय प्रवाह है जिसके अंतर्गत नया निवेश, आय का सृजन, बचत और निवेश, आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, उत्पादन में वृद्धि तथा आय में वृद्धि की अन्तःनिर्भरता का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाएँ, वित्तीय उपकरण तथा वित्तीय सेवाओं को वित्तीय प्रणाली के अंगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुद्रा बाजार के अभिन्न अंगों में केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएँ, स्वीकृत एवं बट्टा गृह, देशी बैंकर और साहूकार सम्मिलित हैं।

4.16 शब्दावली (Glossary)

- **वित्तीय प्रणाली** - वह प्रणाली जिसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थाएँ, वित्तीय बाजार, वित्तीय उपकरण तथा वित्तीय सेवाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वित्तीय संसाधनों की पूर्ति तथा मांग के बीच कड़ी का काम करती है। इससे अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होता है।
- **मुद्रा बाजार** - अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन प्रपत्रों के आधार पर किये जाने वाले लेनदेन का बाजार मुद्रा बाजार कहलाता है। यह संगठित तथा असंगठित दोनों प्रकार का होता है।
- **पूंजी बाजार** - दीर्घकालीन प्रपत्रों के माध्यम से किये जाने वाले दीर्घकालीन प्रकृति के सौदे जिस बाजार में होते हैं वह पूंजी बाजार कहलाता है।

4.17 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. वित्तीय प्रणाली का अर्थ बताइए। वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंगों का विवेचन कीजिए।
Define financial system. Discuss various components of financial system.
2. भारतीय मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजारों के दोषों का विवेचन कीजिए।
Discuss the defects of Indian Money Market and capital markets.
3. भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए।
Describe the major issues of Indian financial system.
4. भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु सुझाव दीजिए।
Suggest the remedial measures to solve the major issues of Indian financial system.

4.18 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- C.M. Choudhary : Banking Services Operations, RBSA Publishers, Jaipur.

- Srivastava & Nigam : Management of Indian Financial Institutions, Himalaya Publishing House, Mumbai.
 - Sundharam and Dutt : Indian Economy, S. Chand & Co., New Delhi.
-

4.19 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- Yojana GoI Publication, New Delhi.
- Economic Times, New Delhi.

इकाई-5

भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार (Financial Sector Reforms in India)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 5.0 उद्देश्य (Objective)
- 5.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 5.2 वित्तीय क्षेत्र की प्रकृति (Nature of Financial Sector)
- 5.3 भारत में वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector in India)
- 5.4 वित्तीय संसाधनों का संमिश्रण (Components of Financial Resources)
- 5.5 बैंकिंग प्रणाली का सुधार (Reforms of Banking System)
- 5.6 बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम समिति, 1991 की सिफारिशें (Recommendations of Narasimham Committee 1991 on Banking System)
- 5.7 भारत में मुद्रा और पूंजीबाजार का सुधार (Reforms in Indian Money and Capital Markets)
- 5.8 बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति, 1998 (Banking Sector Reforms Committee, 1998)
- 5.9 विगत सुधारात्मक उपाय (Recent Reforms Measures)
- 5.10 सारांश (Summary)
- 5.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 5.12 शब्दावली (Glossary)
- 5.13 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)
- 5.14 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)
- 5.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

5.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को वित्तीय क्षेत्र की प्रकृति, भारत में वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय संसाधनों का संमिश्रण आदि की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। भारत में बैंकिंग प्रणाली का सुधार, बैंकिंग प्रणाली पर एम.नरसिम्हम समिति, 1991 की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भारत में मुद्रा एवं पूंजी बाजार का सुधार, बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर समिति 1998 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। विगत सुधारात्मक उपायों की जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है।

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणाली का एक अंग है। इसके अन्तर्गत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाएँ, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाओं का समावेश किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्थायित्व की स्थिति प्रदान करता है।

5.2 वित्तीय क्षेत्र की प्रकृति (Nature of Financial Sector)

वित्तीय क्षेत्र के लिए एक संगठित एवं कुशल संचालन हेतु वित्तीय प्रणाली आवश्यक है जिससे कि सुगमता से आय के आधिक्य कोषों का प्रवाह उत्पादक निवेश के लिए किया जा सके। इसके अन्तर्गत वित्तीय उपकरणों, वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ नीतियों, व्यूहरचनाओं, प्रक्रिया तथा व्यवहारों का समावेश किया जाता है।

एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संसाधनों का बचतकर्ताओं से निवेशकर्ताओं को कुशल आवंटन करके आर्थिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है।

5.3 भारत में वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector in India)

भारत में वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणाली के माध्यम से एक चक्रीय प्रवाह का कार्य करता है। इससे पूंजी निर्माण, उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, आर्थिक विकास, बचत एवं निवेश, आय सृजन, नये निवेश को गति मिलती है। इससे आर्थिक विकास के लक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली का सम्बन्ध उधार देय कोषों की माँग और पूर्ति से है। इसमें व्यक्तियों, संस्थाओं, कम्पनियों और सरकार के उधार देय कोषों की माँग और पूर्ति सम्मिलित है। इनको निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है:

1. **औद्योगिक वित्त (Industrial Finance)**- उद्योग और व्यापार के लिए मजदूरी एवं वेतन का भुगतान, कच्चे माल का क्रय, नई मशीनरी का क्रय, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें, विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध आदि के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। व्यापारियों को अपनी दुकानों तथा गोदामों में वस्तुओं के स्टॉक बनाये रखने एवं खरीद के लिए कोषों की आवश्यकता पड़ती है।
2. **कृषि वित्त (Agricultural Finance)** - कृषि के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्त, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक मशीनरी का क्रय, कुओं की खुदाई, भूमि पर स्थाई सुधार, पशुधन के क्रय आदि के लिए आवश्यकता पड़ती है।
3. **विकास वित्त (Development Finance)** - औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती हैं, इस वित्त की पूर्ति का स्रोत औद्योगिक वित्त तथा कृषि वित्त होता है।
4. **सरकारी वित्त (Government Finance)** - सरकार को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए व्यय करना पड़ता है। इनके विकास कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। सरकार विभिन्न स्रोतों से ऐसे वित्त की पूर्ति करती है।

इस प्रकार वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत अनेक संस्थाओं का समावेश किया जाता है। इसमें समाज द्वारा बचतों का सृजन, बचतों को गतिशीलता प्रदान करना और इन बचतों का विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग हेतु आवंटन करने का अध्ययन किया जाता है।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र में निम्न वर्गों को सम्मिलित किया जाता है:

- (i) बैंकिंग प्रणाली, बीमा कम्पनियाँ, पारस्परिक कोष (Mutual Funds), निवेश कोष, और अन्य संस्थाएँ जिनके द्वारा बचत की आपूर्ति की जाती है। इन बचतों को गतिशीलता प्रदान करके उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है।
- (ii) निवेशकर्ताओं में व्यक्तिगत निवेशकर्ता, औद्योगिक और व्यापारिक कम्पनियाँ तथा सरकार को शामिल किया जाता है। वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत इन सभी उधारकर्ताओं को शामिल किया जाता है।
- (iii) नई बचतों के प्रवाह को सुगम करके नये स्टॉक और अंशपत्रों का नया निर्गमन किया जाता है जिसे नये निर्गमन बाजार (New Issue Market) की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही भारत में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पहले से ही विद्यमान अंश पत्र तथा ऋण पत्रों का लेन देन किया जाता है। कम्पनियों एवं बचतकर्ताओं को एक प्रकार के निवेश से दूसरे प्रकार के निवेश में हस्तान्तरित करने में सहायक होते हैं।

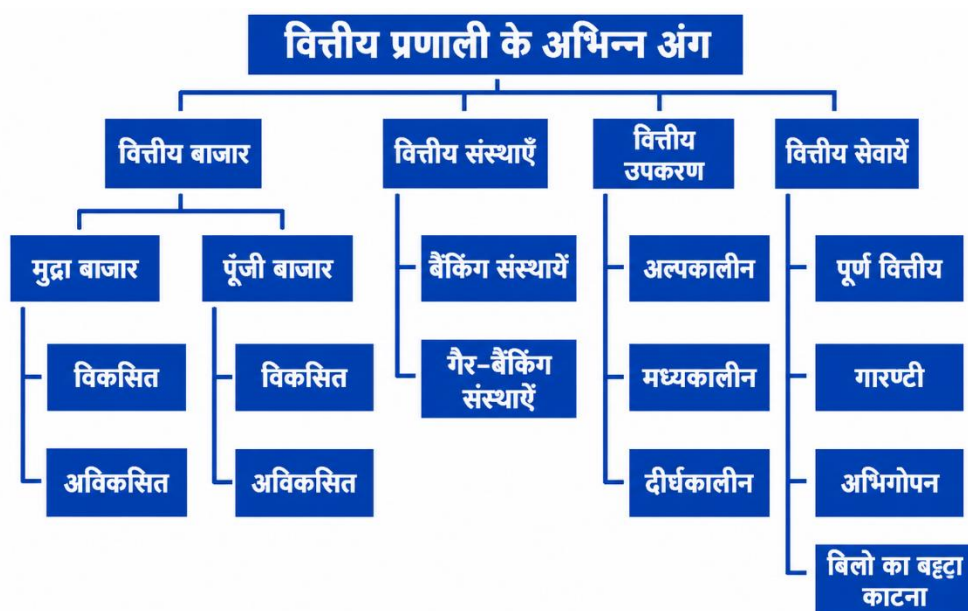
भारतीय वित्तीय क्षेत्र की विशेषताएँ निम्नांकित हैं:

- (i) इसके अन्तर्गत उन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिनका कार्य नियमन का होता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक प्रमुख हैं। आर्थिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं के नियमन, निर्देशन और नियन्त्रण का कार्य किया जाता है।
- (ii) मध्यमवर्ती बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाएँ भी हैं। बैंकों में निजी एवं सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित हैं तथा गैर-बैंकिंग संस्थाओं में विकास बैंक तथा निवेश बैंक शामिल किया जाता है। इनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, यू.आई.टी. प्रमुख हैं।
- (iii) मुद्रा एवं पूंजी बाजार जो विकसित तथा अविकसित हैं, इनमें सम्मिलित हैं।
- (iv) देशी बैंकर और साहूकार, गैर-मध्यमवर्ती संस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं।
- (v) वित्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों (Instruments) का समावेश किया जाता है। इन उपकरणों से प्राथमिक एवं गौण बाजार में अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन सौदे होते हैं। इनमें प्रतिभूतियों, परिसम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया जाता है।
- (vi) उधार देय कोषों की आपूर्ति पूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न अवधियों के लिए की जाती है। इससे अर्थव्यवस्था का तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है।
- (vii) उधार देय कोषों की माँग व्यक्तियों, घरेलू कार्यों, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय एवं सरकार द्वारा की जाती है।

5.4 वित्तीय संसाधनों का संमिश्रण (Components of Financial Resources)

वित्तीय संसाधनों के अनेक पहलू हैं जिनको वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जाता है। वित्तीय संसाधनों का संमिश्रण चार्ट-I में प्रदर्शित किया गया है —

चार्ट-1



1. **वित्तीय बाजार (Financial Markets)**- इससे अर्थव्यवस्था में वित्तीय परिसम्पत्तियों का आसानी से लेनदेन होता है। इसमें मुद्रा एवं पूंजी बाजार सम्मिलित हैं। बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अंशपत्र, ऋण पत्र आदि का इन बाजारों में क्रय-विक्रय होता है। जिस बाजार में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन सौदे होते हैं वह मुद्रा बाजार कहलाता है जबकि दीर्घकालीन बाजार पूंजी बाजार होता है। नये निर्गमों का लेनदेन प्राथमिक बाजार में तथा पुराने निर्गमों का लेनदेन गौण बाजार में होता है।
2. **वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions)** - वित्तीय प्रपत्रों के क्रय-विक्रय में सुगमता करने वाली संस्थाएँ वित्तीय संस्थाएँ कहलाती हैं। इस प्रकार की संस्थाएँ दो प्रकार के कार्य करती हैं।
 - i जमाओं को स्वीकार करना (Accepting Deposits)
 - ii गैर-जमा करना (Non-Deposit Activities)

इन दोनों कार्यों के आधार पर वित्तीय संस्थाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

 - i **जमाकर्ता संस्थाएँ (Depository Institutions)** : इनमें व्यापारिक बैंक, बचत एवं साख संस्थाएँ आती हैं। इनके द्वारा व्यक्तियों, फर्म एवं कंपनियों से जमाएँ स्वीकार की जाती हैं तथा मांगने पर इन्हें ऋण एवं अग्रिम दिये जाते हैं।
 - ii **गैर-जमाकर्ता संस्थाएँ (Non-Depository Institutions)**: इन्हें वित्तीय मध्यस्थ भी कहा जाता है। इनमें बीमा कंपनियाँ होती हैं जो जोखिम वहन करती हैं तथा दीर्घकालीन कार्यों हेतु ऋण प्रदान करती हैं। उदाहरणार्थ गृह निर्माण ऋण आदि।
3. **वित्तीय उपकरण (Financial Instruments)**: वे परिपत्र जिनके माध्यम से वित्तीय बाजारों में निवेश किये जाते हैं वित्तीय उपकरण कहा जाता है। इस प्रकार के उपकरण अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन होते हैं जैसे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, याचना बिल, व्यापारिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, अंशपत्र इनका प्रचलन मुद्रा बाजार में होता है। ऋण पत्र, बॉण्ड, स्टॉक दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं जिनका संबंध पूंजी बाजार से होता है।

4. **वित्तीय सेवाएँ (Financial Services):** वित्तीय संस्थाएँ वित्तीय बाजार में अनेक सेवाएँ प्रदान करती हैं। ऋणों पर गारण्टी, अंश पत्रों का अभिगोपन, बिलों पर बट्टा काटना, पुनर्वित्त करना आदि सेवाएँ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसे वित्तीय सेवा बाजार कहा जाता है।

5.5 बैंकिंग प्रणाली का सुधार (Reforms of Banking System)

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में बैंक साख का दुरुपयोग रोकने, बैंक साख का विस्तार, प्राथमिक क्षेत्रों- कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र तथा कमजोर वर्ग को साख, आर्थिक विकास को तेज करने हेतु बैंकिंग प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

इसके लिए वर्ष 1955 में स्टेट बैंक एवं इसकी सहायक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1969 तथा 1980 में क्रमशः 14 एवं 6 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई तथा 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इनकी लाभदेयता (Profitability) में निरन्तर कमी आयी है। इसके निम्न कारण रहे हैं:

- (1) **निर्देशित निवेश (Directed Investment)** - मूल्य स्थिरता प्राप्ति के लिए मौद्रिक विस्तार के नियमन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं। लेकिन इन प्रावधानों का दुरुपयोग बैंकिंग क्षेत्र में अनेक समस्याएँ उत्पन्न करता है। वर्ष 1980 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्ष 1980-81 से राजकोषीय घाटे में वृद्धि से सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा गैर-रिजर्व बैंक स्रोतों से उधार लेना शुरू कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा उधार लेने से स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि हुई। इस पर रोक लगाने के लिए नकद कोष अनुपात (CRR) तथा वैधानिक तरल अनुपात (SLR) में वृद्धि की गई। इससे सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों में भारी निवेश करना पड़ा। सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल बाजार ब्याज दरों से कम रहा। रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोषानुपात (CRR) पर बैंकों को कम ब्याज दिया। कुल निर्देशित निवेश अतिरिक्त बैंक जमाओं का 63.5 प्रतिशत हो गया जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकों की लाभदेयता में भारी गिरावट आई।
- (2) **निर्देशित साख कार्यक्रम (Directed Credit Programmes)** - व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य कृषि, लघु पैमाने की निर्माणकारी इकाइयों, निर्यात क्षेत्र, खाद्य वसूली कार्यक्रम, परिवहन मालिक आदि को सस्ती मात्रा में बैंक साख की आपूर्ति करना था। इस निर्देशित बैंक साख से आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। इस साख आपूर्ति से सुदृढ़ बैंकिंग सिद्धान्तों की उपेक्षा की गई क्योंकि प्रतिभूति आधारित साख के स्थान पर उद्देश्य पर आधारित साख दिया गया। प्राथमिकता क्षेत्रों को उधार देना, उधार देने के गुणात्मक पहलू की उपेक्षा, गैर उत्तरदायी उधार और आधिविकर्ष में वृद्धि आदि दशाएँ उत्पन्न हो गई। राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप साख अदायगी निर्णय पर हावी रहे। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) हेतु दिये गये साख में बैंकों ने आवश्यकता आधारित साख अनुमान तथा मूल्यांकन एवं अदायगी की उपेक्षा की।
- (3) **साख का अनुदानीकरण (Subsidisation of Credit)** - राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को रियायती ब्याज दर पर साख प्रदान करने से भी बैंकों की लाभदेयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आसान एवं समय पर साख इसकी लागत की तुलना में महत्वपूर्ण रही है।
- (4) **व्यय में वृद्धि (Increase in Expenditure)** - बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इनके व्यय में निश्चित सीमा तक रखने का प्रयास नहीं किया गया। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की आड़ में अनेक बैंकों की शाखाएँ

खोल दी गई। ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा केवल जमा राशियाँ एकत्र की गईं और इनके द्वारा पर्याप्त व्यावसायिक साख विस्तार नहीं किया गया। इससे इनकी आय में वृद्धि नहीं हुई। बैंकों द्वारा कृषि और लघु उद्योगों को अनुदानित ब्याज दर पर साख की पूर्ति की गई इससे इनका प्रशासनिक व्यय बढ़ गया। कर्मचारियों की भर्ती के कारण इन बैंकों में अधिक कर्मचारी हो गये और कर्मचारियों की कुशलता एवं कार्य संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकों के कर्मचारियों के वेतन का इनकी उत्पादकता से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इससे व्यय में वृद्धि के कारण व्यापारिक बैंकों की लाभदेयता धीरे-धीरे कम होती गई।

- (5) **नियमन एवं पर्यवेक्षण में ढील (Relaxation in Regulation and Supervision)** - व्यापारिक बैंकों के नियमन एवं पर्यवेक्षण में ढील का प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप का बोलबाला रहा है। अंकेक्षण ढांचा विश्वस्तरीय नहीं होने के कारण पर्यवेक्षण सही नहीं रह सका। इससे व्यवहार में वित्तीय अनुशासन की कमी रही है। बैंकों ने अपने नियन्त्रण प्रणाली का कोई ढाँचा तैयार नहीं किया।
- (6) **प्रतिस्पर्धा का अभाव (Lack of Competition)** - हमारे देश में बैंकों की अधिक संख्या एवं आकार बढ़ा होने के बावजूद भी इसमें प्रतिस्पर्धा की कमी रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बैंकिंग व्यवसाय का 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग संचालित करते हैं। लेकिन इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा की कमी है। ब्याज दरों के नियमन से इनमें प्रतिस्पर्धा तैयार की जा सकती है। भारतीय बैंकिंग संघ के कारण इनमें प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र और भी घट गया है। गैर-मूल्य प्रतिस्पर्धा बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में ग्राहक एक बैंक से दूसरी बैंक में हस्तान्तरित नहीं हो रहे हैं।

उपर्युक्त कमियों से स्पष्ट है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूँजी की कमी होती चली गयी और सामान्यतः बैंकिंग कार्यों का निष्पादन कुशलता पूर्वक नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता तथा प्रभावी कार्य संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में समय-समय पर सुधार किये गये। सुधारात्मक उपाय वर्ष 1991 में शुरू किये गये जिससे कि देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। रोजगार में वृद्धि, आय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि और तीव्र आर्थिक विकास संभव हो सके।

वर्ष 1985 में चक्रवर्ती समिति द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में इनके निष्पादन (Performance) के लिए कुछ सिफारिशों की गई थी लेकिन सरकार ने बैंकों के निष्पादन के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाये। वर्ष 1991 में देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा में सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधार करने का निश्चय किया। बैंकिंग क्षेत्र सुधार इस पैकेज (Package) का एक अभिन्न हिस्सा था। अगस्त 1991 में वित्तीय प्रणाली पर एक समिति का गठन एस.नरसिम्हम की अध्यक्षता में किया गया।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

बैंकिंग प्रणाली के सुधार के लिए आवश्यक है –

(i) निर्देशित निवेश पर विचार	(ii) नकद कोषानुपात
(iii) दोहरे नियंत्रण पर विचार	(iv) स्वतंत्र एवं स्वायत्त बैंक

5.6 बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम समिति, 1991 की सिफारिशें (Recommendations of Narasimham Committee 1991 on Banking System)

नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के निम्नांकित मुख्य बिंदु हैं :

1. संचालन लोचशीलता को एक सीमा तक बनाये रखना,
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने निर्णयों में आन्तरिक स्वायत्तता प्रदान करना तथा

3. बैंक क्रियाओं में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना।
 - i **निर्देशित निवेश (Directed Investment):** समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के लिए संसाधन गतिमान करने के लिए वैधानिक तरलतानुपात (Statutory Liquidity Ratio) को 38.5 प्रतिशत से घटाकर 5 वर्षों में 25 प्रतिशत करने को कहा। इससे बैंकों के पास अधिक धनराशि बचेगी जिसका प्रयोग कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में किया जा सकेगा।
 - ii **नकद कोषानुपात (Cash Reserve Ratio):** मुद्रा एवं उधार नियंत्रण के उपाय के रूप में इसके स्थान पर खुले बाजार की क्रियाओं पर निर्भर करना चाहिए। नकद कोषानुपात से बैंक अधिक राजस्व प्राप्त कर सकेंगे।
 - iii **निर्देशित उधार कार्यक्रम (Directed Credit Programme):** इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहिए। कृषि एवं लघु उद्योग अब परिपक्व अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। पिछले दो दशकों में ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) के रूप में दी गई सहायता काफी है और इसे अब समाप्त करना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत अब कमजोर वर्गों - सीमान्त किसान, ग्रामीण दस्तकार, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों, पिछी क्षेत्र (Tiny Sector) आदि को शामिल किया जाना चाहिए तथा यह घटाकर कुल बैंक के उधार का 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए।
 - iv **ब्याज दरों का ढांचा (Structure of Interest Rates) :** ब्याज दरों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जमा एवं उधार दरों पर सभी नियंत्रण तथा नियमों को समाप्त कर देना चाहिए।
 - v **बैंकिंग ढाँचे की संरचनात्मक प्रणाली (Structural System of Banking Structure):** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विलयन (Merger) तथा स्वामित्व पुनर्गठन द्वारा संख्या कम करके कुशलता में वृद्धि करने हेतु निम्न उपाय किये जावें:
 - I 3-4 बड़े बैंकों को शामिल करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाये जावें।
 - II 8 से 10 राष्ट्रीयकृत बैंक होने चाहिए जिनकी शाखायें देश में सामान्य बैंकिंग कार्य करते रहें।
 - III स्थानीय बैंकों की क्रियाएं किसी विशेष क्षेत्र तक होनी चाहिए।
 - IV ग्राम क्षेत्रों तक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों सहित गठन करके कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाओं हेतु वित्त प्रबंधन का कार्य करें।
 - vi **परिसम्पत्तियाँ पुनर्निर्माण कोष (Assets Reconstruction Fund):** राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा प्रत्यक्ष वित्त संस्थानों पर अव-मानक (Sub-standard), संदिग्ध एवं हानि वाली परिसम्पत्तियों का भार बढ़ गया है। इसके लिए परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कोष का गठन किया जावे जिससे कि अप्राप्य ऋणों (Bad Debts) और संदिग्ध ऋणों के एक भाग को इस संस्था को सौंपा जा सके।
 - vii **दोहरे नियंत्रण को समाप्त करना (Abolition of Double Regulation) ;** एक ओर रिजर्व बैंक तथा दूसरी ओर वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग का नियन्त्रण होने से प्रभावी कार्य संचालन नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही नियन्त्रण किया जावे।
 - Viii **स्वतंत्र एवं स्वायत्त बैंक (Independent and Autonomous Bank) :** प्रत्येक बैंक का कार्य संचालन स्वतंत्र एवं स्वायत्त होना चाहिए। रिजर्व बैंक को आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केन्द्र सरकार ने एम. नरसिम्हम समिति, 1991 की निम्न सिफारिशों का क्रियान्वयन किया गया है:

- I नकद कोषानुपात 15 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया।
- II वैधानिक तरलतानुपात 38.5 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत किया गया।
- III घरेलू सावधि जमा पर ब्याज दरें अनियन्त्रित कर दी गईं।
- IV पूंजी पर्याप्तता मापदण्ड (Capital Adequacy Norm) को घटाकर 8 प्रतिशत किया गया।
- V भारत सरकार ने बैंकिंग कम्पनी अधिनियम में संशोधन कर राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी निर्गमन (Capital Issue) द्वारा पूंजी बाजार से राशि एकत्र करने का अधिकार दे दिया।
- VI कार्य संचालन की स्वतंत्रता के रूप में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को नई शाखाएँ खोलने एवं विस्तार करने की छूट दी गई।
- VII नये निजी क्षेत्र के बैंकों को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिये गये हैं।
- VIII भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अधीन परामर्श परिषद का गठन कर बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली मजबूत कर दी है।
- IX विशेष वसूली न्यायाधिकरण (Special Recovery Tribunal) का गठन करके ऋण वसूली का कार्य शुरू कर दिया है। एक अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) का गठन भी कर दिया है।

तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही (Prompt Corrective Action : PCA)

विगत कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी हानि उठानी पड़ी है। कर से पूर्व इन बैंकों की संचयी हानि वित्तीय वर्ष 2015-16 के तीसरे त्रिमाही वित्तीय वर्ष 2017-18 में 92000 करोड़ रुपये हुई है। निरन्तर तीन वर्षों तक हानि होने से 21 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में से 11 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही (PCA) ढाँचा के अन्तर्गत रख दिया गया। तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी समुच्चय अनुपात (Capital Adequacy Ratio), विशुद्ध गैर-निष्पादन परिसंपत्तियाँ (Net NPAs) तथा परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (Return on Assets) आधार पर मूल्यांकन करता है। इसके अन्तर्गत बैंक वित्तीय और साख विवरण को सुधारने का प्रयास करते हैं।

इन्द्र धनुष कार्यक्रम का प्रारम्भ (Launching of Indra Dhanush Programme)

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निष्पादन सुधार के लिए अगस्त 2015 में एक सात बिन्दु कार्यवाही कार्यक्रम (Seven Point Action Programme) शुरू किया जिसे इन्द्र धनुष (Indradhanush) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न पहलुओं का समावेश किया गया है:

- (i) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में कार्यकारी निर्देशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्तियों को अलग-अलग करना।
- (ii) बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank Board Bureau) का गठन करना।
- (iii) पूंजीकरण हेतु योजना (Plan for Capitalisation) वर्ष 2018-19 के अंत तक 1.8 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें 700 बिलियन रुपये बजटीय आवंटन तथा 1.1 ट्रिलियन रुपये सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पूंजी बाजार से जुटाएंगे।
- (iv) डी-स्ट्रेसिंग बैंक की पुस्तिकाओं हेतु योजना (Plan for de-stressing banks' books)

- (v) सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को स्वतंत्र रूप से व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार देना बिना सरकारी हस्तक्षेप के।
- (vi) प्रमुख निष्पादन संकेतांकों के आधार पर जवाबदेयता हेतु नई ढाँचागत नीति।
- (vii) सुशासन करना (Better Governance)

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अपने व्यवसाय व्यूह रचना, संचालन, नियन्त्रण तथा वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में एक निजी इकाई के रूप में कार्य कर सकेंगे।

अस्सी तथा नब्बे के दशक में विश्व में वित्तीय संकट उत्पन्न हुए जिससे अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा। लेकिन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सुरक्षित रहा। यह एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक के सावधानी एवं समझदारी नियमन का प्रभाव तथा दूसरी ओर हमारे बैंकिंग क्षेत्र में वैश्वीकरण का परिणाम रहा है। विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के विषय में अनेक सवाल उत्पन्न करता है। गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों (NPAs) की वृद्धि, घटता लाभदेयता अनुपात (अनेक बैंकों में भारी घाटा) और बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी आदि के कारण सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास घटा है। शीघ्रातिशीघ्र भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्न आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है:

- (i) वित्तीय समावेश की आवश्यकता
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रवाह में सुधार
- (iii) प्राथमिक क्षेत्रों में उधार लक्ष्यों को पूरा करना
- (iv) आधारभूत संरचना हेतु वित्त प्रबंधन
- (v) गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों का हल
- (vi) बैंकिंग घोटालों का हल निकलना
- (vii) मान्यता प्राप्त करना (Recognition), प्रस्ताव (Resolution), पुनः पूंजीकरण (Recapitalisation) और सुधार (Reform) का हल ढूँढ़ना।
- (viii) विदेशी बैंकों के संचालन की समीक्षा करना (Reviewing Operations of Foreign Banks)

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निष्पादन सुधार के लिए आवश्यक है –

- (i) कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियाँ अलग-अलग हो
- (ii) बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन
- (iii) पूंजीकरण हेतु योजना
- (iv) सुशासन करना

5.7 भारत में मुद्रा और पूंजीबाजार का सुधार (Reforms in Indian Money and Capital Market)

रिजर्व बैंक ने सन् 1985 में चक्रवृत्ति समिति तथा वर्ष 1987 में विघुल कार्यदल समूह का गठन किया। भारतीय मुद्रा बाजार की कमियों एवं बाधाओं को दूर करने के निम्न सुधार किये गये:

1. भारत में बिल बाजार का विकास करने हेतु भारत का बट्टा एवं वित्त गृह (Discount and Finance House of India) स्थापित किया गया है।
2. भारतीय मुद्रा बाजार में तरलता वृद्धि तथा वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हेतु मुद्रा बाजार पारस्परिक कोषों की स्थापना हेतु व्यापारिक बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को अनुमति दे दी गई है।
3. बिल बट्टा दरों में कमी कर दी गई है।
4. 1989 में जमा प्रमाण पत्र योजना (CDS) वर्ष 1998 में प्रारम्भ कर दी गई।
5. व्यापारिक पत्र का निर्गमन (Issue of Commercial Paper) वर्ष 1998 में शुरू कर दिया गया है। इससे बड़ी कम्पनियाँ वित्तीय संसाधन जुटा सकेंगी।
6. असंगठित बाजार के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने हेतु व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है।
7. बैंकों को मांग एवं समय जमाओं पर ब्याज निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।
8. सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनेक सुधार किये गये हैं जैसे: विभिन्न अवधियों के कोषागार, पत्रों का निर्गमन नई योजनाओं के लिए अग्रिम देना, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्धारण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की छूट, पारस्परिक कोषों को तरलता सहायता, सरकारी प्रतिभूतियों हेतु प्राथमिक एवं गौण बाजारों का विकास तथा भारत का प्रतिभूति निगम का गठन।

पूंजी बाजार (Capital Market) की अनेक समस्याओं तथा कमियों को दूर करने के लिए आर्थिक सुधारों, 1991 के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये गये हैं:

- i वर्ष 1992 में भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय प्रमण्डल (SEBI) स्वायत्तशासी एवं नियमन प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया। यह स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं पर नियन्त्रण करेगा।
- ii अंश पत्र बाजार के मध्यस्थों का अनिवार्य पंजीकरण करवाना।
- iii स्टॉक दलालों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखना।
- iv सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्राथमिक बाजार से अंश पत्रों तथा बाण्ड्स के माध्यम से संसाधन जुटाने की छूट देकर बाजार में विविधता तथा सुदृढ़ता को बढ़ावा दिया गया।
- v भारतीय समता का वैश्वीकरण (Globalisation of Indian Equity) को प्रोत्साहन दिया गया है।
- vi अधिकार एवं बोनस निर्गमों (Rights and Bonus Issues) पर प्रतिबंध हटाकर कम्पनियों के निर्गमनों को बढ़ाया है।
- vii आन्तरिक लेनदेन (Inside Trading) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर पूंजी बाजार में निवेशकर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाया गया है। इसे दण्डित अपराध घोषित किया गया है।
- viii व्यापारिक बैंकों और मर्चेन्ट बैंकों का अनिवार्य पंजीकरण कर दिया गया है।
- ix विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं को प्रवेश की अनुमति देकर भारतीय पूंजी बाजार के क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया है।
- x पूंजी बाजार की सभी संस्थाओं एवं ऐजेन्सीज को भारतीय स्टॉक विनिमय बोर्ड के नियमन के अन्तर्गत कर दिया गया है।

5.8 बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति, 1998 (Banking Sector Reforms Committee, 1998)

इस समिति ने निम्न सिफारिशों की हैं:

1. बैंकों का विलयनीकरण (Merger) करना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
3. परिसम्पत्ति प्रबंध का अत्यधिक संकेन्द्रीयकरण को रोकना।
4. बैंकों द्वारा अधिक विशिष्टीकरण अपनाना जैसे फुटकर कृषि, निर्यात, लघु क्षेत्र उद्योग, निगम क्षेत्र आदि।

5.9 विगत सुधारात्मक उपाय (Recent Remedial Measures)

विभिन्न समितियों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में अनेक सुधार किये गये हैं। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप विभिन्न सुधार संभव हुए हैं। इन सुधारों में निम्नांकित प्रमुख हैं:

1. रिजर्व बैंक द्वारा स्वसहायता समूहों को छूट देकर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार एवं आय में वृद्धि की है। यह अनुमति वर्ष 1993 में दी गई।
2. रिजर्व बैंक ने जनवरी 2006 में व्यावसायिक पत्राचारों (Correspondents) को प्रोत्साहित किया है। इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (Micro Finance Institutions) के गठन को प्रोत्साहन मिला है।
3. वर्ष 2012 तक 2000 जनसंख्या वाले गाँवों में भी बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है।
4. डाकघरों को भी बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इनसे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ आसानी से सुलभ हो सकेगी।
5. रिजर्व बैंक के निर्देशन पर जनवरी 2010 से वित्तीय समावेशी योजनाओं (Financial Inclusive Plans) की शुरुआत कर दी गई है।

वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके बैंकों में सुदृढीकरण संरचनात्मक ढाँचे, विलयन (Merger) जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जो निम्नांकित हैं:

- i स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंकों को एक करके स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का रूप दे दिया है जोकि सबसे बड़ी बैंक है।
- ii कैनरा बैंक, सिण्डीकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का विलयन करके कैनरा बैंक कर दिया है।
- iii विजय बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलयन कर दिया है।
- iv ऑरिएण्टल बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलयन कर दिया है। इस प्रकार 27 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है।

5.10 सारांश (Summary)

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय-समय पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर देश में वित्तीय क्षेत्र के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। संख्यात्मक के स्थान पर गुणात्मक सुधार हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संसाधन उपलब्ध होंगे। रोजगार एवं आय का सृजन होगा। स्वायत्तता और पर्यवेक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

5.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

वित्तीय संसाधनों के सम्मिश्रण में निम्नांकित शामिल किए जाते हैं –

- (i) वित्तीय बाजार
- (ii) वित्तीय संस्थाएँ
- (iii) वित्तीय उपकरण
- (iv) वित्तीय सेवाएँ

5.12 शब्दावली (Glossary)

- **वित्तीय प्रणाली** - इसके अन्तर्गत कोषों की आपूर्ति करने वाले तथा कोषों की मांग करने वाले वर्ग का अध्ययन किया जाता है जिससे कि अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास संभव हो।
- **वित्तीय क्षेत्र** - यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं, उपकरणों एवं सेवाओं का अध्ययन करता है।

5.13 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. वित्तीय प्रणाली की परिभाषा दीजिए। वित्तीय संसाधनों के सम्मिश्रणका वर्णन कीजिए।
Define Financial System. Describe the components of financial resources.
2. आर्थिक सुधारों से भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on financial sector reforms in India after economic reforms.
3. इन्द्रधनुष कार्यक्रम की विवेचना कीजिए।
Discuss Indradhanush Programme.

5.14 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- सी. एम. चौधरी बैंकिंग सर्विसेज ऑपरेशन्स, आर पब्लिशर्स, ए.एस.बी जयपुर।
- दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चाँद एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
- सी. एम. चौधरी एवं मिश्रा, फाईनेन्शियल मार्केट ऑपरेशन्स, रमेश बुक डिपो, जयपुर।

5.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- (i) Yojana (Eng. & Hindi) Govt. of India Publication.
- (ii) Kurukshetra (Eng. & Hindi) Govt. of India Publication.

इकाई - 6

मुद्रा बाजार (Money Market)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 6.0 उद्देश्य
- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 मुद्रा बाजार का अर्थ एवं परिभाषा
- 6.3 मुद्रा बाजार की विशेषताएँ
- 6.4 मुद्रा बाजार के कार्य
- 6.5 मुद्रा बाजार का संगठन
- 6.6 मुद्रा बाजार के उपकरण
- 6.7 माँग मुद्रा बाजार
- 6.8 वाणिज्यिक बिल बाजार
- 6.9 ट्रेजरी बिल बाजार
- 6.10 व्यापारिक पत्र
- 6.11 जमा प्रमाण पत्र
- 6.12 मुद्रा बाजार के अन्य उपकरण (I) To (VII)
- 6.13 भारतीय मुद्रा बाजार की समस्याएँ
- 6.14 भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव
- 6.15 उदाहरण
- 6.16 सारांश
- 6.17 अधिगम परिणाम
- 6.18 शब्दावली
- 6.19 स्वमूल्यांकन प्रश्न
- 6.20 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 6.21 अन्य पठन सामग्री
- 6.22 वेब संसाधन/लिंक

6.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को मुद्रा बाजार का परिचय, इतिहास, अर्थ, विशेषताएँ कार्य एवं इसके संगठन की विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त माँग मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार की संपूर्ण जानकारी भी प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही इसकी पठन सामग्री को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

मुद्रा बाजार' से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहाँ मुद्रा के लेन-देन के सौदे किए जाते हैं। इस बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन विनियोग पूँजी के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूँजी में लेन-देन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन पूँजी का लेन-देन होता है। वास्तव में मुद्रा बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच एक प्रतियोगिता का संबंध होता है।

6.2 मुद्रा बाजार का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning of Money Market & Definition)

मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है। जहाँ उधार लेने तथा उधार देने वाली संस्थाएँ अथवा व्यक्ति परस्पर लेन-देन करते हैं एवं जहाँ अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। ये अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ अत्याधिक तरल स्थिति में होती हैं एवं बिना हानि के आसानी से विक्रय योग्य होती हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुसार, "मुद्रा बाजार वह केंद्र है जहाँ अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों का क्रय-विक्रय किया जाता है। यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा ऋणदाताओं को तरलता प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहाँ पर व्यक्तियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास अल्पकालीन विनियोगशील पूँजी, ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं एवं सरकार के पास उपलब्ध रहती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है।"

डा. क्राउथर के अनुसार "उन विभिन्न रूपों एवं संस्थाओं का सामूहिक नाम मुद्रा बाजार कहलाता है जो निकट मुद्रा की विभिन्न श्रेणियों में लेन-देन करते हैं।"

6.3 मुद्रा बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Money Market)

मुद्रा बाजार वह केन्द्र या बाजार है जिसमें अल्पकालीन निधियों का कारोबार होता है, अतः उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि मुद्रा बाजार का मुख्य उद्देश्य बाजार की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर मुद्रा बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती हैं:

मुद्रा बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Money Market)

- (1) मुद्रा बाजार में अल्पकालीन पूँजी की माँग एवं पूर्ति का परस्पर समायोजन होता है।
- (2) मुद्रा बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ऋण लेने वाले तथा ऋण देने वालों के मध्य प्रतिस्पर्धापूर्ण संबंध स्थापित होता है। ऋण लेने वालों में व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाएँ, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाएँ तथा व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। ऋण देने वालों में केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों, साहूकारों तथा महाजनों, वित्तीय संस्थाओं आदि को शामिल किया जाता है।

- (3) मुद्रा बाजार का संबंध किसी स्थान विशेष से न होकर उस संपूर्ण व्यापक क्षेत्र से होता है जहाँ अल्पकालीन मुद्रा का लेन-देन होता है। उधारकर्ताओं, उधारदाताओं तथा व्यापारियों के मध्य लेन-देन सम्बन्धी बातचीत टेलीफोन अथवा पत्र के माध्यम से होती है।
- (4) मुद्रा बाजार मौद्रिक परिसंपत्ति अर्थात् साख-पत्र एवं प्रतिभूतियों के लेन-देन का मुख्य केंद्र है।
- (5) मुद्रा बाजार के कारण सभी अंग अर्थात् व्यापारिक बैंक, स्वीकृति गृह, ट्रेजरी विपत्र क्रेता आदि अपनी-अपनी यथेष्ट तरलता बनाए रख सकते हैं।
- (6) मुद्रा बाजार में अल्पकालीन विनियोग योग्य पूँजी एवं माँग एवं पूर्ति का परस्पर समायोजन होता है। यह मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि इसी के द्वारा मुद्रा बाजार पूँजी बाजार को अलग करता है।

6.4 मुद्रा बाजार के कार्य (Functions of Money Market)

किसी भी देश के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है। मुद्रा-बाजार स्वयं में निहित गुणों एवं विशेषताओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। मुद्रा बाजार के कार्यों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

- (1) पूँजी का उचित वितरण-मुद्रा बाजार की सहायता से देश की पूँजी का विभिन्न क्षेत्रों में उचित वितरण संभव हो जाता है तथा व्यापारियों को उचित ब्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में अल्पकालीन पूँजी प्राप्त हो जाती है, जिससे देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।
- (2) तरलता में वृद्धि-व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को कभी भी तरलता में बदल सकते हैं जिससे विकसित राष्ट्रों में व्यापारिक बैंक अपनी जमा को याचना ऋण एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनियोजित कर देते हैं जिससे संपत्ति की तरलता के साथ-साथ ब्याज भी प्राप्त होता रहता है।
- (3) सूचक यंत्र-संगठित मुद्रा बाजार देश की अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र भी माना जाता है, जिसके आधार पर सरकार अपनी अर्थ नीति में आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। मुद्रा बाजार को भी आर्थिक नीति के अनुरूप परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे देश के आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो।
- (4) वित्तीय पूर्ति-एक सुसंगठित मुद्रा बाजार में सरकार अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर सकती है तथा आवश्यक मात्रा में धन प्राप्त कर सकती हैं।
- (5) प्रभावशाली मौद्रिक नीति- संगठित मुद्रा बाजार मौद्रिक नीति को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करता है जिससे साख का नियमन सरलता व सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सके। केंद्रीय बैंक ब्याज दर की सहायता से साख की मात्रा को उचित स्तर पर रख सकता है।
- (6) वित्तीय संस्थाओं, के लिए उपयोगी-व्यवस्थित एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। एक ओर तो बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा दूसरी ओर उस बचत को उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जा सकता है।

6.5 भारतीय मुद्रा बाजार का संगठन (organisation of money Market)

भारतीय मुद्रा-बाजार को निम्नलिखित तीन संगठित, असंगठित एवं सहकारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-

- (1) संगठित क्षेत्र- इस क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके सहयोगी, विदेशी विनिमय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित व्यापारिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते

हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ गैर-बैंकिंग कंपनियाँ और वित्तीय संस्थाएँ जैसे भारतीय सामान्य बीमा कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम भी संगठित मुद्रा-बाजार में कार्य करती हैं। चिट फंड और डाक खाना बचत बैंक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, खासतौर से छोटे शहरों और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में।

- (2) असंगठित क्षेत्र-मुद्रा-बाजार के इस भाग में देशी बैंकर और महाजन आते हैं जिन्हें देश के विभिन्न भागों में सेठ, साहूकार, आदि कहा जाता है। बहुत से देशी बैंकर बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ व्यापार और कमीशन का कार्य भी करते हैं, जबकि इनमें से कुछ अन्य बैंकिंग व्यवसाय ही करते हैं। देशी बैंकर हुण्डियों और वचन पत्रों का लेन-देन करते हैं। देश के आन्तरिक व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत भाग वित्त के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर करता है।
- (3) सहकारी क्षेत्र-सहकारी क्षेत्र मुद्रा-बाजार के संगठित और असंगठित भागों के लगभग मध्य में आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतया सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी साख समितियाँ आती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण साख के देशीय स्रोतों को बढ़ाना है। ये किसानों, बुनकरों, ग्रामीण शिल्पियों आदि को उनकी उत्पादन और विपणन क्रियाओं इत्यादि के लिए वित्त प्रदान करते हैं।

6.6 मुद्रा-बाजार के उपकरण (Instruments of Money Market)

मुद्रा-बाजार बहुत सी वित्तीय एजेंसियों से बनता है जो संगठित क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन साख का व्यापार करते हैं। यह लेन-देन रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, निजी बैंक, विकास बैंक, स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ, जैसे बीमा निगम (सामान्य एवं जीवन), औद्योगिक विकास बैंक, प्रोविडेंट फण्ड तथा वित्तीय निगम आदि मिलकर करते हैं। यह सभी संस्थाएँ एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। मुद्रा बाजार के प्रमुख उपकरण माँग मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक बिल बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार व्यापारिक पत्र जमा के प्रमाण पत्र आदि हैं।

6.7 माँग मुद्रा बाजार (Call Money Market)

यह विकसित मुद्रा-बाजार का एक भाग है जो बहुत कम अवधि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है।

यह मुद्रा-बाजार के संगठित क्षेत्र का बहुत सक्रिय और संवेदनशील भाग है। बिलों और स्टॉक के दलाल प्रायः व्यापारिक बैंकों से माँग ऋण लेते हैं अनुसूचित और गैर-अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के अलावा, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं ने भी माँग मुद्रा बाजार में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया है।

मुद्रा बाजार के अन्तर्गत 1 से 14 दिन की अत्यन्त अल्प अवधि के लिए ऋण लिया एवं दिया जा सकता है। लेकिन जमा की रसीद उधार लेने वाले के द्वारा उधारदाता को जारी की जाती है जो माँगे जाने पर ब्याज के साथ उधार ली गई राशि को लौटाता है। इस उपकरण में तरलता अधिक रहती है। इस प्रकार के ऋणों की जमानत प्रतिभूतियों के द्वारा दी जाती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, निगमों, एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ आदि इस बाजार में राशि उधार लेते एवं देते हैं। इसमें माँग पर देय ऋणों का लेन-देन होता है।

माँग ऋण बाजार की कार्य प्रणाली-सर्वप्रथम मुद्रा बाजार, माँग अथवा याचना ऋण बाजार के माध्यम से कार्य करता है। इसकी कार्य प्रणाली निम्न है-

- (अ) इस बाजार में वाणिज्यिक बैंक, स्कन्ध विपणि में व्यापारियों तथा बिलों के दलालों को अति अल्पकाल के लिए अपनी प्रयुक्त निधियों को अत्यन्त अल्प अवधि के लिए उधार दिया जाता है।

- (ब) बिलों के दलाल और स्टॉक के दलाल जो ऐसी निधियाँ उधार लेते हैं उनका उपयोग बिलों या स्टॉक का बट्टा अथवा क्रय करने के लिए करते हैं।
- (स) ऐसी निधियों को माँग अथवा याचना दर पर उधार लिया जाता है। यह दर बैंकों द्वारा उधार दी गई निधियों की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है।
- (द) भारत में, बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) तथा सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) की अपेक्षाएँ पूरी करनी होती हैं। यदि बैंकों के पास उपलब्ध नकद कोष इन अपेक्षाओं से कम होते हैं तो वे याचना ऋण बाजार से ऋण लेते हैं।

यदि दलालों को शीघ्र ऋण चुकाने के लिए कहा जाता है तो वे बड़े निगमों से निधियाँ लेकर भी ऋण चुकाते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि याचना ऋण बाजार अत्यन्त अल्प अवधि के लिए ही ऋण प्रदान करता है।

6.8 वाणिज्यिक बिल बाजार (Commercial Bill market)

वाणिज्यिक बिल बाजार, जिसे इंग्लैंड में बट्टा बाजार कहते हैं, एक उप-बाजार है जिसमें अल्पकालीन बिलों का क्रय-विक्रय किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण किस्म के बिल ट्रेजरी बिल, बैंक बिल और व्यापारिक बिल होते हैं, जिनकी अवधि 91 दिन की होती है क्योंकि ये बिल मूलतः उत्तर-दिनांकित चेक होते हैं अतः इन्हें मुद्रा-बाजार में आसानी से भुनाया जा सकता है। भारत में कोई अत्यन्त विकसित बिल बाजार नहीं है यद्यपि बड़े बैंक अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के बिलों का बट्टा (Discount) काटकर भुगतान करते हैं।

6.9 ट्रेजरी बिल बाजार (Treasury Bill Market)

विगत वर्षों तक केन्द्र सरकार मुद्रा बाजार में कोषागार विपत्रों को जारी करके तथा कोषागार विपत्रों के निधिकरण के माध्यम से बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करती है। तथा इसका उपयोग बजटरी घाटे की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है। ट्रेजरी बिल अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं परन्तु परिपक्वता पर अंकित मूल्य के बराबर ही भुगतान किया जाता है।

भारत में 1993 से पूर्व ट्रेजरी बिल दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता था परन्तु 1 जनवरी 1993 से ट्रेजरी बिलों को नीलामी द्वारा बेचा जाता है और सभी प्रकार के ट्रेजरी बिलों पर ब्याज की दर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।

भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रेजरी बिल होते हैं-तदर्थ तथा सामान्य। तदर्थ बिलों को प्रयोग करने की अनुमति केवल राज्य सरकारों, अद्र्वशासकीय विभागों तथा विदेशों के केन्द्रीय बैंकों की होती है। इनकी बिक्री बैंकों अथवा सामान्य जनता को नहीं की जाती। बाजार में इनका क्रय-विक्रय भी नहीं किया जा सकता। जबकि सामान्य ट्रेजरी बिल किसी को भी बेचा जा सकता है। तथा बाजार में इसका क्रय-विक्रय भी किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी ट्रेजरी बिलों को स्वीकार करता है।

अतः ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का अल्पकालीन वित्त प्राप्ति का एक उपकरण है। भारत में यह 14,91,182 एवं 364 दिवस के जारी किये जाते हैं। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, तथा राज्य सरकारों द्वारा इन बिलों को क्रय किया जाता है। किन्तु संयुक्त स्कन्ध वाली कम्पनियाँ, राष्ट्रीय सहकारी संगठन, भविष्य निधियाँ इन बिलों को क्रय नहीं कर सकती है। कोषागार बिलों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये तरल, निश्चित प्रतिफल, जोखिम-रहित एवं न्यूनतम लागत वाले होते हैं। इस तरह भारत में ट्रेजरी बिल सरकारी ऋण के मौद्रीकरण का बहुत बड़ा स्रोत बन गया था किन्तु 1 अप्रैल 1997 से तदर्थ ट्रेजरी बिलों की व्यवस्था को समाप्त करके अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था लागू

की गई है जो सरकार के आय एवं व्यय के अस्थायी असंतुलन की दशा में साधन उपलब्ध कराती है। तथा पुर्नकटौती हेतु प्रस्तुत बिलों को भी स्वीकार करता है।

6.10 व्यापारिक पत्र (Commercial Paper)

व्यापारिक पत्र मुद्रा बाजार का एक ऐसा नया उपकरण है जो उधार लेने वाली कम्पनी द्वारा किसी निश्चित तारीख को ऋण चुकाने का वचन होता है जो सामान्यतः 3 से 12 महिने की अवधि का होता है। यह कम्पनियों के लिए मुद्रा बाजार से ऋण प्राप्त करने का अच्छा साधन है लेकिन इसका निर्गमन करना आवश्यक है। एक कम्पनी 5 करोड़ रु. के व्यापारिक पत्रों का निर्गमन करके वित्त प्राप्त कर सकती है। व्यापारिक पत्र में निवेश का अधिकार व्यक्तियों, बैंकों भारतीय कम्पनियों तथा अनिवासी भारतीयों को दिया गया है। व्यापारिक पत्र पर ब्याज दर बाजार दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इनके माध्यम से कम दर पर ऋण उपलब्ध होने के कारण ऋण प्राप्त करने वाली कम्पनियों को लाभ प्राप्त होता है। बैंकों तथा अन्य निवेशकों के लिए यह बाजार बहुत उपयोगी रहा है क्योंकि बैंक व्यापारिक पत्रों में अपना धन विनियोजित करते हैं जो सुरक्षा व तरलता के साथ ही लाभ भी प्रदान करते हैं।

6.11 जमा के प्रमाण-पत्र (Certificates of Deposits-CD)

जमा के प्रमाण-पत्र वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर बट्टे के आधार पर जारी किये जाते हैं। बट्टा दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इसकी परिपक्वता अवधि 3 माह से एक वर्ष की होती है। न्यूनतम जमा राशि रु 10 लाख हैं।

6.12 मुद्रा बाजार के अन्य उपकरण

मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण अन्तर-बैंक अवधि बाजार, स्वीकृति बाजार, पुनर्खरीद नीलामी, भारतीय बट्टा एवं वित्त गृह, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम, प्राथमिक व्यापारी, अनुषंगी व्यापारी हैं। इनकी व्याख्या निम्नलिखित है:

- (I) **अन्तर-बैंक अवधि बाजार (Inter-Bank Loan Market) :** भारत में मुद्रा बाजार के उपकरण के रूप में अन्तर-बैंक अवधि बाजार ऋण अधिक लोकप्रिय है। जब किसी बैंक को आकस्मिक रूप में वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो वह कुछ अवधि के लिए किसी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। यह बाजार सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों के लिए ही होता है। इसमें किसी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बैंक आपस में लेन-देन के द्वारा अपनी मौद्रिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।
- (II) **स्वीकृति बाजार (Acceptance market) :** स्वीकृति बाजार का आशय बैंकों के स्वीकृति बाजार से है जो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में लगा होता है। स्वीकृति गृह जिन पर निर्यातकों और आयातकों दोनों को विश्वास होता है, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इस सेवा के लिए उन्हें आयातकों और निर्यातकों दोनों से कमीशन मिलता है। स्वीकृति बाजार समय पर भुगतान की गारंटी देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता करता है और विदेशी व्यापार में जोखिम को कम करता है। बिल स्वीकृति गृह पर लिखा जाता है, आयातक पर नहीं जिससे कि बिल पर अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आसानी से बट्टा कटवाया जा सकता है।
- (III) **पुनर्खरीद नीलामी (Repurchase Auctions) :** रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों पुनर्खरीद नीलामियाँ चालू की, ताकि माँग मुद्रा बाजार में ब्याज दरों को समरूप किया जा सके। इसे रिपोज भी कहा जाता है। यह एक प्रतिभूति की बिक्री और बाद में पुनर्खरीद का समझौता होता है। यह प्रतिभूति के धारक को प्रतिभूति की जमानत के रूप में रखकर नकदी प्राप्त करने का तरीका है। बैंक

प्रतिभूति के बदले में या नकदी अथवा रिजर्व बैंक के पास शेष द्वारा रिपोज लेन-देन करते हैं। रिपोज नीलामियाँ रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर की जाती हैं। रिपोज के लेन-देन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के सहायक केन्द्रीय बही खाता द्वारा होते हैं।

(IV) भारतीय बट्टा एवं वित्त गृह (Discount and Finance House of India) : इसे वित्त गृह ने अपने संसाधनों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की वित्तीय सहायता से स्थापित किया है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. भारतीय मुद्रा बाजार की सीमा में समूची वित्तीय व्यवस्था को लाना। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की गैर-बैंकिंग संस्थाएँ शामिल हैं।
2. इनके अल्पावधि आधिक्यों एवं घाटों को बाजार से सम्बन्धित दरों पर बैंकों के मामले में अंतर-बैंक लेन-देन के माध्यम एवं गैर-बैंको तथा अन्यो के मामलों में मुद्रा बाजार उपकरणों के द्वारा बराबर करना। यह ऋणी और ऋणदाता दोनों के रूप में भाग ले रहा है।

(V) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम (Securities Trading Corporation of India-SICI): भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों एवं खजाना बिलों में द्वितीयक बाजार को विकसित करना है। यह सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में तत्काल बायदा लेन-देन का करता है। यह निगम माँग अथवा नोटिस द्वारा मुद्रा बाजार में उधार लेता और देता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक व्यापारी है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से विपरीत रिपोज सुविधा के रूप में तरलता समर्थन प्राप्त होता है, यह सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और 91-दिवसीय खजाना बिलों का लेन-देन करता है।

(VI) प्राथमिक व्यापारी : प्राथमिक व्यापारी सरकारी प्रतिभूति बाजार एवं माँग मुद्रा बाजार में कार्यरत है। प्राथमिक व्यापारियों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन करने की इन्हें मंजूरी प्राप्त है- इन्हें प्राथमिक व्यापारियों को जारी की गयी सभी सरकारी प्रतिभूतियों की अभिगोपन राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक प्राप्त होता है।

(VII) अनुषंगी व्यापारी : रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनुषंगी व्यापारी भी स्थापित किये हैं जो इनके व्यापार और वितरण में द्वितीय-स्तर के रूप में कार्य करते हैं।

6.13 भारतीय मुद्रा की बाजार की समस्याएँ (Problems of Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा बाजार का सबसे महत्वपूर्ण दोष असंगठित क्षेत्र होना है। भारतीय मुद्रा-बाजार दुनिया के किसी विकसित मुद्रा-बाजार जैसे लंदन या न्यूयॉर्क मुद्रा-बाजार से तुलनीय नहीं है। इन विकसित मुद्रा-बाजारों के साधनों की मात्रा स्थिरता और लोच से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसमें बहुत सी कमियाँ हैं जिनमें से निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं-

1. **एकीकरण का अभाव** - अपनी आर्थिक क्रियाओं में भारतीय मुद्रा-बाजार के संगठित और असंगठित क्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतया अलग हैं। इनमें भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न संगठनों में सहयोग और समन्वय के बजाय प्रतिस्पर्धा अधिक है। व्यापारिक बैंक सहयोग करने की बजाय आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारतीय

रिजर्व बैंक का देशी बैंकों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये संगठित बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्बट्टा सुविधा का यदा-कदा ही उपयोग करते हैं। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति (खासतौर से बैंक दर) पूर्णतया प्रभावहीन हो गई है। कार्य के स्थान, प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों की किस्मों, अग्रिमों की प्रकृति और प्रतियोगिता के आधार पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में भी बहुत अंतर होता है। इसके अतिरिक्त मंदी के समय की तुलना में व्यस्त समय में ब्याज दरें हमेशा ऊँची होती हैं। भारतीय मुद्रा-बाजार का एक अन्य लक्षण यह है कि अल्पकालीन ब्याज दरें दीर्घकालीन ब्याज दरों से ऊँची होती हैं। तथापि हाल के वर्षों में इसमें कुछ सुधार हुआ है।

2. **अपेक्षाकृत अल्पविकसित बैंकिंग आदतें**-काफी शाखा विस्तार होने पर भी, बैंकों व साख पत्रों का प्रयोग कम लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त भारत में खासतौर से ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जमाखोरी एक लोकप्रिय आदत है। इसके फलस्वरूप सोने-चाँदी के जेवरों और अन्य अमौद्रिक परिसंपत्तियों में निवेश अधिक किया जाता है।
3. **भारतीय मुद्रा**- बाजार में भारतीय मुद्रा कोषों की कमी है क्योंकि ऋण के रूप में कोषों की माँग उनकी पूर्ति से सदा ही अधिक होती है। व्यस्त समय में यह कमी और बढ़ जाती है। भारत में विशाल जनसंख्या और दूर-दूर तक फैली गरीबी से प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है।
4. **ब्याज की दरों में भिन्नता**- भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों के मध्य सहयोग, सम्पर्क एवं समन्वय के अभाव के कारण उनमें प्रचलित ब्याज की दरों में भिन्नता पाई जाती है किन्तु विकसित मुद्रा बाजार के विभिन्न उपखण्डों में प्रचलित ब्याज की दरों में समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है परन्तु भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में न केवल विभिन्न ब्याज की दरें पाई जाती हैं अपितु विभिन्न ब्याज की दरों में कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। विकसित मुद्रा बाजार में बैंक-दर तथा ब्याज की दरों में एक निश्चित सम्बन्ध होता है तथा बैंक-दर के आधार पर ही ब्याज की दरें निर्धारित होती हैं, परन्तु भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों तथा बैंक-दर में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं होता है।
5. **सुसंगठित एवं विकसित बिल बाजार का अभाव**-साख व्यवस्था के उचित संचालन तथा विकसित मुद्रा बाजार के लिए एक सुसंगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मौद्रिक संस्थाएं देश के केन्द्रीय बैंक से सम्पर्क में आती हैं। हमारे देश में एक विकसित बिल बाजार का अभाव है, फलस्वरूप मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है।
6. **मुद्रा बाजार में मुद्रा की मौसमी कमी**- भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति में लोच का अभाव पाया जाता है, परिणामस्वरूप उद्योगों एवं व्यवसायों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। 'व्यस्त काल' अर्थात् नवम्बर से जून के मध्य कृषि फसलों की कटाई एवं विपणन के कारण यद्यपि मुद्रा बाजार में 'मुद्रा की मांग' तो बढ़ जाती है किन्तु मांग के अनुपात में पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है। इस स्थिति के कारण मुद्रा बाजार में मुद्रा की मौसमी कमी अनुभव की जाती है। इसके विपरित 'मंदी काल' अर्थात् जुलाई से अक्टूबर तक के मध्य, जबकि आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता आ जाती है, मुद्रा की मांग घट जाती है तथा ब्याज दरों में कमी आ जाती है।
7. **सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव**-भारतीय मुद्रा बाजार का एक अन्य दोष यह है कि देश में सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। देश में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार बहुत ही सीमित मात्रा में हो सका है तथा अधिकांश शाखाएं शहरी क्षेत्रों में ही स्थापित की गई हैं। अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के समुचित विस्तार न होने के कारण भारतीय

अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग 'कृषि अर्थव्यवस्था' आज भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर निर्भर है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. निम्न में से मुद्रा बाजार के कार्य है -
 - (अ) पूंजी का उचित वितरण
 - (ब) तरलता में वृद्धि
 - (स) वित्तीय पूर्ति
 - (द) उपयुक्त सभी
2. भारतीय मुद्रा बाजार को निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है -
 - (अ) यह यर्क एकीकृत संगठित एवं नियमित वित्तीय बाजार एवं संस्थान है
 - (ब) वित्तीय प्रणाली देश के औद्योगिकरण का आधार बिंदु होता है
 - (स) अ और ब दोनों
 - (द) उपयुक्त में से कोई नहीं
3. निम्न में से मुद्रा बाजार के उपकरण हैं -
 - (अ) अंतर- बैंक अवधि बाजार
 - (ब) स्वीकृति बाजार
 - (स) अ और ब दोनों
 - (द) अंश
4. भारतीय मुद्रा की बाजार की निम्न समस्याएँ हैं -
 - (अ) एकीकरण का अभाव
 - (ब) भारतीय मुद्रा
 - (स) ब्याज की दरों में भिन्नता
 - (द) उपयुक्त सभी

उत्तर – 1 (द) 2 (स) 3 (स) 4 (द)

6.14 भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव (Suggestions to improve the defects of Indian money market)

उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना एवं कार्य-प्रणाली में अनेक दोष एवं कमियाँ पाई जाती हैं, अतः इसे एक विकसित मुद्रा बाजार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रा बाजार में कार्यरत बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रभुत्व में भी वृद्धि हुई है, एवं वह मौद्रिक नीति का संचालन सफलतापूर्वक कर रहा है। किन्तु कुछ निम्न सुधार विकास के लिए आवश्यक हैं:

- (1) **असंगठित भाग पर प्रभावशाली नियन्त्रण :** मुद्रा बाजार के सम्बन्ध में इस बात की विशेष आवश्यकता है कि असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाये ताकि उसकी मौद्रिक नीति प्रभावी आधार पर क्रियान्वित की जा सके। इस दिशा में रिजर्व बैंक को पारस्परिक परामर्श के पश्चात् एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जो असंगठित भाग में कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्य हो। इस प्रयास के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक का असंगठित भाग से सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा तथा उसमें कार्यरत विभिन्न संस्थाएँ उसके नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य कर सकेंगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब तक रिजर्व बैंक का मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता है भारतीय मुद्रा बाजार एक सुसंगठित एवं विकसित बिल बाजार का स्वरूप नहीं ले सकता है।

- (2) **विकसित मुद्रा :** बाजार के लिए एक विकसित बिल बाजार का होना परम आवश्यक है ताकि साख व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके। विकसित बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारिक बैंक बिलों के माध्यम से ही रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण बिल बाजार विकसित नहीं हो सका है। किन्तु बिल बाजार को विकसित करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने कुछ सुधार किये हैं ताकि मुद्रा बाजार इस दोष से मुक्त हो सके।
- (3) **मुद्रा बाजार में विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना :** भारतीय मुद्रा बाजार में भी कुछ विशिष्ट संस्थाओं, जैसे-स्वीकृति गृहों, कटौती गृहों, विनियोगों, सलाहकार संस्थाओं आदि की स्थापना की जानी चाहिए ताकि बिलों का अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सके। अतः ऐसी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में प्रयास किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में देशी बैंकों को सहकारी आधार पर कटौती-गृहों की स्थापना की दिशा में पोत्साहित किया जा सकता है।
- (4) **समाशोधन गृहों की संख्या में वृद्धि :** मुद्रा बाजार के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाये। अतः इस सन्दर्भ में समाशोधन गृहों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कार्यरत समाशोधन गृहों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।
- (5) **हुण्डियों का प्रमापीकरण :** मुद्रा बाजार में व्यापारिक बिलों के प्रचार एवं प्रयोग को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से देशी हुण्डियों का प्रमापीकरण किया जाना आवश्यक है। प्रमापीकरण के फलस्वरूप उनके स्वरूप, भाषा एवं चलन सम्बन्धी नियमों में एकरूपता स्थापित की जा सकती है। इन प्रयासों के कारण देश में एक नियमित बिल बाजार विकसित किया जा सकता है।
- (6) **ब्याज की दरों में विभिन्नता को दूर करना :** भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न उपखण्डों में प्रचलित ब्याज की दरों में विभिन्नता पाई जाती है। ब्याजी दरों में विभिन्नता मुद्रा बाजार के समुचित विकास में बाधा उत्पन्न करती है। परन्तु रिजर्व बैंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्याजी दरों में विभिन्नता की प्रवृत्ति धीरे-धीरे दूर होती जा रही है।
- (7) **ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार :** सुसंगठित मुद्रा की स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाये ताकि कृषि वित्त के क्षेत्र में देशी बैंकों के प्रभुत्व को समाप्त किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत बैंकिंग संस्थाओं पर यह विशेष उतरदायित्व डाला गया है कि वे अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करें।

सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था के विकास एवं विस्तार तथा बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक के प्रभावपूर्ण नियंत्रण के परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना एवं कार्यप्रणाली में व्याप्त कमियां एवं दोष धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। तथा निकट भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि भारतीय मुद्रा बाजार एक 'विकसित मुद्रा बाजार' की श्रेणी में पहुंच सकेगा तथा देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ निर्माण में अपने दायित्व का निर्वाह करेगा।

6.15 उदाहरण

भारतीय मुद्रा बाजार उचित प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए जैसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना, 1949 में बैंकिंग कम्पनी विधान लागू किया गया, 1969 और 1980 में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि। किन्तु देशी बैंकर्स, साहूकार, महाजन आदि जो भारतीय मुद्रा बाजार का असंगठित भाग है वह इसके प्रयाप्त विकास में बाधक हैं। भारत में हुण्डियों का प्रयोग भी केवल स्थानीय बाजार तक ही सीमित है क्योंकि यह स्थानीय भाषाओं में लिखी जाती है एवं उनेक लिखने एवं प्रयोग करने की विधि भी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है। इसीलिए यह हुण्डियां कम लोकप्रिय होती हैं क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति इसे अपनी भाषा

राजस्थानी में तामिलनाडू का व्यवसायी तमिल भाषा में लिखता है। इससे यह हुण्डियां स्थानिय स्तर पर ही प्रचलित रहती हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. मुद्रा बाजार का अर्थ लिखिए।
2. मुद्रा बाजार को परिभाषित कीजिए।
3. मुद्रा बाजार के दो कार्य लिखिए।
4. मांग मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं।
5. जमा प्रमाण पत्र क्या है।

6.16 सारांश (Conclusion)

मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रपत्रों का वह बाजार है जो मुद्रा के निकट स्थानापन्न है यह अत्यन्त सरल, सरलता से विक्रय योग्य, एवं हानि की भी कम सम्भावना है। मुद्रा बाजार एक वर्ष या इससे कम समय में परिपक्व होने वाले अल्पकालीन ऋण पत्रों के शीघ्र स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करता है। इन प्रपत्रों का उपयोग व्यवसाय, उपभोक्ताओं, कृषि तथा सरकार की आवश्यकताओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार से सहायक होते हैं।

6.17 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी मुद्रा बाजार के अर्थ और परिभाषा जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी मुद्रा बाजार की विशेषताएं जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी मुद्रा बाजार के उपकरण के बारे में जान पायेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी मांग मुद्रा बाजार के बारे में जान पायेंगे।

6.18 शब्दावली (Glossary)

- **याचना या मांग मुद्रा बाजार :** याचना मुद्रा बाजार का आशय ऐसे बाजार से है जिसमें 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक न केवल अति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे ऋण बिना सूचना के भी प्राप्त होते हैं।
- **वाणिज्यिक बिल बाजार :** मुद्रा बाजार, बिल बाजार के माध्यम से भी कार्य करते हैं। व्यवसायी एवं सरकार को वाणिज्यिक बैंक, कटौती गृहों एवं दलालों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।
- **अनुषंगी व्यापारी :** रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनुषंगी व्यापारी भी स्थापित किए हैं जो इनके व्यापार और वितरण में द्वितीय स्तर के रूप में कार्य करते हैं। इनको तैयार वायदा लेन-देन की सुविधा दी गई है।

6.19 स्वपरख प्रश्न (Self –Test Questions)

1. मुद्रा बाजार किसे कहते हैं ? मुद्रा बाजार के कार्यों का वर्णन कीजिए।
What is meant by Money Market? Describe the functions of money Market
2. भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं बताइये।

Write characteristics of Money Market

3 टिप्पणी लिखिए: Write short notes on:

i.	माँग मुद्रा बाजार	1 Call Money market
ii.	वाणिज्यिक बिल बाजार	2 Commercial Bill
iii.	ट्रेजरी बिल बाजार	3 Treasury Bill Market
iv.	वाणिज्यिक पत्र बाजार	4 Commercial Paper

4 माँग मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं। इसकी कार्यप्रणाली बताइए।

What do you understand by call Money Market? Explain its working methodology?

6.20 संदर्भ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

- मिश्र जे.पी., -मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
- त्रिवेदी, दशोरा, नागर-भारतीय बैंकिंग प्रणाली, रमेश बुक डिपो जयपुर
- Jatana, Barodawala _ Indian Banking system, Vrinda Publications, New-Delhi
- सिंघई जे.सी. -मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व साहित्य भवन, आगरा
- Bharti V. Pathak – Indian Financial system. Peassow, Delhi and Chennai

6.21 अन्य पठन सामग्री (Other reading material)

- Dr. V.C. Sinha, Indian Banking system Sahitya Bhavan Publications Leoeingo, Agra.
- Lijayaragavan Iyengar, Introduction to Banking, Excel Books India Ltd. New Delhi
- Dr. Satish Kumar saha, India Banking System, SBPD Publications, Agra.
- बैंक वित्तीय प्रबंधन, Taxmann, Indian Institute of Banking and finance Mumbai
- एम.एल.भिंनन,मुद्रा, बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं लोक वित्त, वृंदा पब्लिकेशन प्रा. लि. दिल्ली (2012)

6.22 वेब संसाधन/लिंक

- <https://www.moneyandbanking.com>
- <http://web.gjuonline.ac.in/distance/book/bcom/BCOM%20203%20Money%20and%20Banking.pdf>
- <https://www.uou.ac.in/>
- <https://epustakalay.com/book/42715-mudra-avam-banking-by-dr-m-l-seth/>
- <https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lhec103.pdf>
- <https://m.rbi.org.in/hindi/Scripts/Sourceofinfo.aspx>

इकाई-7

पूंजी बाजार

(Capital Market)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 पूंजी बाजार का अर्थ एवं परिभाषा
- 7.3 पूंजी बाजार की विशेषताएं
- 7.4 पूंजी बाजार के कार्य एवं महत्व
- 7.5 पूंजी बाजार के अंग
- 7.6 पूंजी बाजार के उपकरण
- 7.7 उदाहरण
- 7.8 पूंजी बाजार में सुधार
- 7.9 सारांश
- 7.10 अधिगम परिणाम
- 7.11 शब्दावली
- 7.12 स्व-परख प्रश्न
- 7.13 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 7.14 अन्य पठन सामग्री
- 7.15 वेब संसाधन/लिंक

7.0 उद्देश्य (Objectives)

पूंजी बाजार वह स्थान है जहां पर दीर्घकालीन कोषों का लेन-देन होता है। इस बाजार में सामान्यतः ऋण-पत्र, अंश-पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इस बाजार में कई वित्तीय संस्थाएं कार्यरत होती हैं जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से ही दीर्घकालीन कोषों का प्रवाह वित्तीय बाजार में होता है। इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को पूंजी बाजार क्या है? इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं एवं कार्यों का विस्तृत विवरण बताया गया है। इकाई के अंत में पूंजी बाजार के अंग एवं उपकरणों की व्याख्या की गई है। जिससे विद्यार्थी वित्तीय बाजार के अंग, पूंजी बाजार को अच्छी तरह समझ सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

पूंजी बाजार में सक्रिय संस्थाएं विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से लेन-देन करती हैं। पूंजी बाजार में संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। इन संस्थाओं के बिना पूंजी बाजार को सक्रिय नहीं रखा जा सकता है। पूंजी बाजार में स्टॉक एक्सचेंज ऐसा भाग है जो प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय को सुविधाजनक एवं सम्भव बनाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो पूंजी बाजार उद्योग व्यापार के लिए नवीन पूंजी की आपूर्ति करता है। इस प्रकार पूंजी बाजार कम्पनियों के निवेश हेतु उपलब्ध धन राशि को पुनः उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त करने हेतु प्रेरित करता है। पूंजी

बाजार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, इसमें नई पूँजी का निर्गमन, अंश-पत्रों एवं ऋण-पत्रों का अभिगोपन तथा राज्य एवं केन्द्र सरकारों, विकास न्यासों इत्यादि के लिए पूँजी का प्रबन्ध किया जाता है। किन्तु इस बाजार का वह भाग जो भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित व नियन्त्रित नहीं होता है किन्तु दीर्घकालीन साख प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह असंगठित पूँजी बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाले देशी बैंकर तथा बड़े साहूकार जो ग्रामीण साख में दीर्घ अवधि ऋण प्रदान करते हैं। यह व्यक्तिगत स्तर पर दीर्घ अवधि के लिए स्वयं ही ब्याज दर निर्धारित करते हैं। इनका बाजार के उतार-चढ़ाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। किन्तु धीरे-धीरे अब संगठित बाजार के सुदृढ़ विकास के फलस्वरूप असंगठित बाजार का क्षेत्र छोटा होता जा रहा है।

7.2 पूँजी बाजार का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Capital market)

पूँजी बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहाँ पर दीर्घकालीन पूँजी से सम्बंधित लेनदेन या व्यवहार किये जाते हैं। इस बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों जैसे अंश, ऋण पत्र, बॉण्ड आदि का क्रय-विक्रय किया जाता है। इन प्रतिभूतियों में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रतिभूति, अधिकार अंश, बीमा प्रीमियम, जोगिम पूँजी, बंधक ऋण, आदि सम्मिलित किये जाते हैं।

व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पूँजीगत व्ययों की पूर्ति के लिये स्थायी पूँजी की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था ये संस्थाएँ दीर्घकालीन प्रतिभूतियों (समतुल्य अंश, पूर्वाधिकार अंश तथा ऋण पत्र) के क्रय-विक्रय द्वारा या बैंकों से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करके करती हैं। सरकार भी दीर्घकालीन ऋण हेतु मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करती है जिन्हें बैंक एवं वित्रीय संस्थाएँ अधिशेष कोषों के विनियोजन द्वारा क्रय करती हैं।

इस प्रकार पूँजी बाजार एक संगठित इकाई है जिसमें प्रभावी एवं कुशल तरीके से मुद्रा, पूँजी या वित्रीय संसाधनों को विनियोगकर्ताओं द्वारा उद्यमियों को उद्योग या वाणिज्य चाहे वह अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में है या सार्वजनिक क्षेत्र में हो उन्हें कोषों में स्थानान्तरित किया जाता है। इस बाजार के माध्यम से व्यवसाय एवं उद्योग को दीर्घकालीन कोष उपलब्ध होते हैं। इस तरह के कोषों की आवश्यकता बड़े व्यावसायिक घरानों, सरकार व उपभोक्ताओं को होती है। यह वित्तीय संस्थाएँ दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से ही दीर्घकालीन कोषों का प्रवाह होता है एवं उद्योगों व व्यवसाय को गति मिलती है।

परिभाषा (Definitions): पूँजी बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे बॉण्ड, स्टॉक आदि के व्यापार में लगे हुए रहते हैं। इनकी खरीद एवं बिक्री का कार्य व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा पूरा किया जाता है।

अतः पूँजी बाजार प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों बाजारों का सम्मिलित रूप है। अंशपत्र, ऋणपत्र एवं बॉण्ड पूँजी बाजार की आवश्यक पूँजी है।

पूँजी बाजार एक ऐसा बाजार है जो बचत करने वालों व निवेश करने वालों को एक स्थान प्रदान करता है। अर्थात् पूँजी को निवेश करने वालों व पूँजी की आवश्यकता वालों को प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए एक स्थान प्रदान करता है।

7.3 पूँजी बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Capital Market)

पूँजी बाजार की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- (I) पूँजी बाजार में दीर्घकालीन पूँजी के लेन-देन संबंधी व्यवहार किये जाते हैं।

- (II) इस प्रकार के बाजार में व्यावसायिक उपक्रमों एवं सरकारी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है।
- (III) दीर्घकालीन एवं स्थायी पूँजी की व्यवस्था पूँजी बाजार के द्वारा ही की जा सकती है।
- (IV) पूँजी बाजार प्रतिभूति हस्तान्तरण द्वारा पूँजी की तरलता एवं गतिशीलता में वृद्धि करते हैं।
- (V) इस बाजार में सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों का ही अधिकृत मध्यस्थों की सहायता से क्रय-विक्रय किया जाता है।
- (VI) पूँजी बाजार देश के आर्थिक विकास के प्रेरक होते हैं।
- (VII) ऐसे बाजार में मध्यस्थ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं।
- (VIII) पूँजी बाजार में अवांछनीय क्रियाओं पर नियंत्रण एवं निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी (SEBI) की स्थापना की गई है।
- (IX) पूँजी बाजार में विभिन्न प्रकार के निवेशक होते हैं। इसमें दोनो रूप से व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक जैसे सामान्य जनता, म्यूच्युल फण्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि होते हैं।
- (X) भारतीय पूँजी बाजार में व्यक्तिगत और संस्थागत रूप में विदेशी निवेशक और गैर प्रवासी भारतीय भी निवेश कर सकते हैं।
- (XI) पूँजी बाजार स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है।
- (XII) सामान्यतया पूँजी बाजार में उपलब्ध वित्तीय सम्पत्ति की परिपक्वता कम से कम एक साल से अधिक अवधि की होती है।
- (XIII) विकास बैंक एवं बीमा कम्पनियाँ पूँजी बाजार के मुख्य प्रतिभागी हैं।

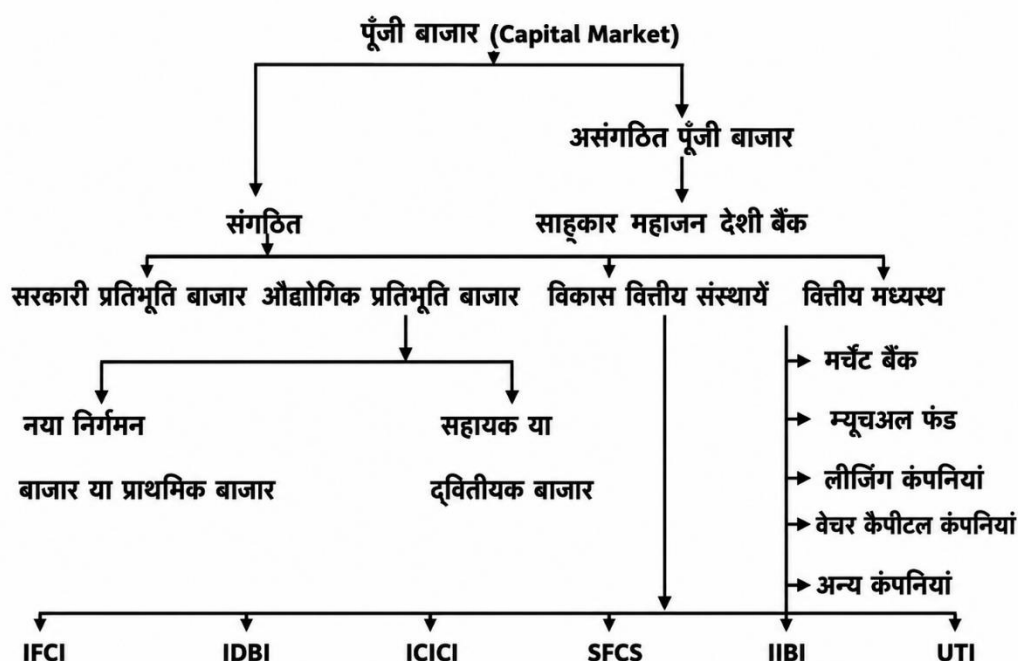
7.4 पूँजी बाजार के कार्य एवं महत्व (Importance and functions of Capital Market)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पूँजी बाजार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे देश में बचत संग्रह, विनियोग, औद्योगीकरण आदि को प्रोत्साहन मिलता है तथा अर्थव्यवस्था निरन्तर विकास की ओर अग्रसर होती है। जिन देशों के पूँजी बाजार विकसित एवं सुसंगठित होते हैं वहाँ उद्योग एवं व्यापार का तेजी से विकास होता है तथा आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। पूँजी बाजार सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास-आधार होता है। किसी भी राष्ट्र में पूँजी बाजार के महत्व को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-

1. **पूँजी निर्माण :** पूँजी बाजार उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाते हैं। इससे उत्पादन कार्यों में तेजी आती है तथा अनेक उद्योग-धन्धों का विकास होता है। स्थायी पूँजी हेतु वित्त प्राप्त हो जाने के कारण अनेक व्यवसायों, फर्मों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है एवं देश का विकास होता है।
2. **बचतों की गतिशीलता :** पूँजी बाजार जन सामान्य को अपनी बचतों के विनियोग का अवसर प्रदान करते हैं। इससे देश की छोटी-छोटी बचतें इकट्ठी इकट्ठी होकर औद्योगिक कार्यों में विनियोजित हो जाती हैं। पूँजी बाजार के कारण बचतें अनुत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों की ओर हस्तांतरित होती हैं एवं इससे पूँजी का सही उपयोग होता है।

3. **पूंजी का समुचित वितरण :** संगठित पूंजी बाजार में सभी वित्तीय संस्थाओं तथा वित्त चाहने वाले वर्गों का निरन्तर सम्पर्क बना रहता है। विनियोजकों एवं पूंजी के क्रेताओं का आपसी सम्पर्क सुगम हो जाने के फलस्वरूप पूंजी का प्रवाह अतिरिक्त वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में होता है। इससे देश में पूंजी के समान वितरण में सहायता मिलती है तथा ब्याज की दरों में भी समानता आती है। ये उचित स्तर पर बनी रहती है।
4. **साधनों का उच्चतम उपयोग :** पूंजी बाजार के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों-उद्योग, वाणिज्य, कृषि, खनन, वित्त, उर्जा, सूचना व सम्प्रेषण, ग्रामीण विकास, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास आदि के लिए कोष उपलब्ध हो जाते हैं। इससे राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम प्रयोग होता है तथा देश का सर्वांगीण विकास होता है।
5. **लाभदायकता में वृद्धि :** पूंजी बाजारों से वित्त की सुलभता के कारण उद्योगों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ जाता है, सुदृढ़ वित्तीय योजनाओं का निर्माण होता है तथा उपक्रमों के पूंजी ढांचे में सुधार होता है। फलस्वरूप साधनों की उत्पादकता बढ़ती है। तथा फर्मों की लाभदायकता में वृद्धि हो जाती है।
6. **सरकार को ऋण प्राप्ति :** सरकार पूंजी बाजार में अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करके देश के विकास कार्यों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों व परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। इससे सरकार विकास की दीर्घकालीन योजनाओं का कुशलता से संचालन कर सकती है।
7. **सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली :** पूंजी बाजार की क्रियाओं एवं व्यवहारों के फलस्वरूप देश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है जिससे व्यापारिक व विनियोग बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है।
8. **उद्यमिता का विकास :** पूंजी बाजार के विकास से देश में बचत प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति व उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति उद्यमशील, व्यवसायी एवं साहसी होने लगते हैं। इससे देश में बेरोजगारी दूर होती है।
9. **आर्थिक नीति की सफलता :** सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों की सफलता का आधार दीर्घकालीन वित्त ही है। आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए स्थायी पूंजी आवश्यक होती है। सरकार पूंजी बाजार को नियंत्रित करके अपनी आर्थिक व वित्तीय नीतियों की सफलता की सम्भावना को बढ़ा सकती है। इन नीतियों में औद्योगिक नीति, आयात-निर्यात नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, लाइसेंसिंग नीति आदि सम्मिलित हैं।
10. **तेज आर्थिक विकास ::** पूंजी बाजारों के विकास से देश में विनियोग, उद्योग-धन्धों, व्यावसायिक क्रियाओं आदि का विस्तार होता है तथा रोजगार, आय, उत्पादकता, धन-सम्पत्ति आदि में वृद्धि हो जाती है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है।
11. **पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता :** पूंजी बाजार का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करके सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। इससे राष्ट्र की दीर्घकालीन प्रगति सम्भव होती है।
12. **अर्थव्यवस्था का सूचक यन्त्र :** संगठित पूंजी बाजार किसी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता एवं औद्योगिक प्रगति का सूचक यन्त्र होता है। इसके द्वारा राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है।

7.5 पूँजी बाजार के अंग (Parts of Capital Market)



(A) संगठित पूँजी बाजार (Organised Capital Market)

संगठित पूँजी बाजार से अभिप्राय उस पूँजी बाजार से है जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का पूर्ण नियन्त्रण होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूति बाजार औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, विकास वित्तीय संस्थाएं एवं वित्तीय मध्यस्थ सम्मिलित होते हैं।

(B) असंगठित पूँजी बाजार (unorganized Capital market)

पूँजी बाजार के इस भाग पर रिजर्व बैंक व सेबी का नियन्त्रण नहीं के बराबर होता है। इसमें देशी बैंकर्स, साहूकार, महाजन, सराफा व्यापारी, आदि आते हैं।

(A) संगठित पूँजी बाजार के निम्नलिखित भाग हैं इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

- सरकारी प्रतिभूति बाजार (Government securities market):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के बाजार को सरकारी प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। स्थानीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में नगर निगम, नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, सुधार प्रत्यास आदि को सम्मिलित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ, सरकारी गारंटी, वाली होती है। सरकारी प्रतिभूति के रूप में केन्द्रीय सरकार के बाण्डस ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल आदि जारी किये जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार में कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि इनमें सुरक्षा, तथा कम जोखिम होता है।
- औद्योगिक प्रतिभूति बाजार- (Industrial Securities Market) :** इन्हें स्टॉक प्रतिभूति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देश के समस्त स्टॉक एक्सचेंज या NSE इत्यादि में हो रही सभी प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में इक्विटी बाजार का विशेष महत्व है। इक्विटी को समता अंश अथवा स्वामीगत पूँजी भी कहा जाता है। इन औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को दो भागों में बाटा जा सकता है-

(अ) नया निर्गमन बाजार या प्राथमिक बाजार

(ब) सहायक बाजार या द्वितीयक बाजार।

(अ) नया निर्गमन बाजार या प्राथमिक बाजार (Primary Market) पूंजी संग्रहित करने के लिए संस्थाओं के द्वारा अंश, ऋणपत्र आदि प्रथम बार जारी किये जाते हैं। तो इसे नया निर्गमन बाजार या प्राथमिक बाजार के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक बाजार निवेशक तथा कम्पनी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। नव निर्गमन बाजार का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से दलालों द्वारा क्रय-विक्रय की सेवाये उपलब्ध करायी जाती है। निवेशक द्वारा बैंकर्स, शेयर, दलाल इत्यादि के द्वारा अंशों का क्रय-विक्रय किया जाता है। यह स्टॉक को बेचने की जिम्मेदारी लेते हैं।

प्राथमिक बाजार की मुख्य विशेषताये (Features of Primary Market)

- (I) नव निर्गमन बाजार (New Issue market), नई प्रतिभूतियों का बाजार है।
- (II) इस बाजार का भौतिक अस्तित्व नहीं होता।
- (III) निर्गमित क्षेत्र इस बाजार के माध्यम से नये साधन हासिल करता है-जैसे-दीर्घकालीन वित्त इत्यादि।
- (IV) प्राथमिक बाजार की पहचान इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से की जा सकती है जिसे शेयर दलालों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- (V) 'सेबी' इस बाजार का नियमन एवं नियंत्रण करता है।
- (VI) यह बाजार सार्वजनिक निर्गमन (Public issue), राइट निर्गमन (Right issue) एवं निजी हस्तान्तरण द्वारा लम्बी अवधि के लिए कोष उपलब्ध कराती है।

(ब) सहायक या द्वितीयक बाजार (Secondary Market): पूंजी बाजार का वह अंग जिसमें पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है, सामान्यतः इन प्रतिभूतियों को शेयर बाजार में सूची बद्ध किया जाता है। इसे स्टॉक बाजार के नाम से भी जाना जाता है। अंश, ऋणपत्र बॉण्ड्स आदि प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्रय-विक्रय किया जाता है।

शेयर बाजार में लेन-देन की प्रक्रिया (Procedure for dealing at Stock Exchange): शेयर बाजारों में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय पंजीकृत एजेंट्स अथवा दलालों के माध्यम से ही किया जा सकता है। निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से लेन-देन की स्वीकृति नहीं है। शेयर बाजारों में लेन-देन की प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

एजेंट्स का चयन (Selection of Agent) : सबसे पहले निवेशक को प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए एक एजेंट का चयन करना होता है। इच्छुक निवेशक प्रत्यक्ष रूप से या किसी बैंक के माध्यम से दलाल तक पहुंच सकता है। निवेशक की वित्तीय स्थिति के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात दलाल अपनी कम्पनी में निवेशक का खाता खोलता है।

आदेश देना (Placing an order) : एजेंट अथवा दलाल द्वारा खाता खोलने के पश्चात निवेशक प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का आदेश दे सकता है। निवेशक क्रय योग्य प्रतिभूतियों के प्रकार, मूल्य तथा इसके उचित समय की जानकारी के लिए दलाल से सलाह भी ले सकता है। प्रतिभूतियों के बारे में संतुष्टि करने के बाद निवेशक दलाल को क्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या तथा जिस कीमत पर क्रय करना है वह कीमत बताता है तथा उन्हें क्रय करने का आदेश देता है।

अनुबंध करना (Making the Contract): दलाल अपने कम्प्यूटर पर क्रय अथवा विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या तथा कीमत की प्रविष्ट करता है तथा उसे बाजार में भेजता है। वह कीमत तथा संख्या सभी दलालों के कम्प्यूटरों की स्क्रीन पर दिखाई देती है। यदि वह कीमत अन्य दलाल के निवेशक द्वारा प्रविष्ट की गई कीमत के समान हो तो लेने-देन कर लिया जाता है, अन्यथा दोनों निवेशकों को अपनी कीमत में सुधार करना पड़ता है ताकि लेन-देन किया जा सके।

अनुबंध लेख (Contract Note): प्रतिभूतियां दो प्रकार की होती हैं- भौतिक तथा अभौतिक

भौतिक प्रतिभूतियों का निपटारा (Settlement of Securites In Physical Form): निवेशक अथवा ग्राहक दलाल को हस्ताक्षर किये गये हस्तान्तरण पत्र सहित भौतिक रूप से प्रतिभूतियां सौंप देते हैं। विक्रय करने वाला दलाल हस्तान्तरण पत्र तथा अंश प्रमाण पत्र उनसे संबंधित शेयर बाजार में भेजता है जबकि दूसरी ओर क्रय करने वाला दलाल शेयर बाजार के शोधन बैंक में धन राशि जमा करवाता है। यह प्रक्रिया उस दिन की जाती है जो शेयर बाजार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

अभौतिक प्रतिभूतियों का निपटारा (Settlement of Dematerialised securities): अभौतिक प्रतिभूतियों के लेन-देन की प्रक्रिया निम्नलिखित है-

विक्रय की स्थिति में निवेशक अपने जमाकर्ता भागीदार को अपने डी-मेट खाते को विक्रय की गई प्रतिभूतियों की संख्या से डेबिट करने तथा दलाल के डीमेट खाते को क्रेडिट करने के लिए कहते हैं।

जमा तिथि से पहले, विक्रय करने वाले निवेशक का दलाल शेयर बाजार के शोधन गृह में प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करता है।

भुगतान तिथि पर शोधन गृह विक्रय करने वाले दलाल को भुगतान करता है। खरीदने वाले दलाल के डी-मेट खाते को प्रतिभूतियों की संख्या से क्रेडिट किया जाता है।

निवेशक प्रतिभूतियों का विक्रय करने के लिए दलाल से भुगतान प्राप्त करता है। क्रय करने वाला दलाल अपने जमा कर्ता भागीदार को अपना शोधन खाता डेबिट तथा ग्राहक का खाता क्रेडिट करने के लिए कहता है।

सट्टेबाजों के प्रकार (Types of Speculators) भारतीय शेयर बाजार में निम्न प्रकार के सट्टेबाज होते हैं:

तेजडिया (Bull): तेजडिया को तेजी वाला भी कहा जाता है। वह एक ऐसा परिचालक है जो भविष्य में प्रतिभूतियों की कीमते के बढ़ने की सम्भावना के ख्याल से उनका क्रय करता है तथा भविष्य में बढ़ी हुई कीमतों पर विक्रय कर लाभ कमाता है। वह केवल लाभ कमाने के लिये प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है।

मंदडिया (Bears): पूंजी बाजार का मंदडिया प्रतिभूतियों की कीमतों को गिरा देता है। ये भविष्य में कीमतों के कम होने की उम्मीद रखते हैं, इसलिये वे प्रतिभूतियों का विक्रय अधिक कीमत पर आरम्भ करते हैं ताकि भविष्य में कम कीमत पर दोबारा खरीद सके। ऐसी स्थिति में बाजार में निराशावाद की स्थिति बन जाती है। यदि कीमतों में कमी आती है तो वह कीमतों में अंतर के कारण लाभ प्राप्त करता है।

बधिया तेजडिया: (Stage) यह तेजडिया शेयर बाजार में चैकन्ना रहता है। वह मंदडियों तथा तेजडियों की भांति शेयर बाजार में संलग्न नहीं रहता वह केवल नये अंशों के लिए ही आवेदन में विश्वास रखता है और यदि उसे आवंटन प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें प्रीमियम पर बेचता है।

भारत में स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange in India): भारत में शेयर बाजार के कारोबार का प्रारंभ 1830 ई. में हुआ था जब बंबई में काटन मिल एवं बैंकों के अंशों का लेन-देन करना प्रारम्भ हुआ था। 1855 में बंबई के कुछ गुजराती एवं पारसी दलालों ने बंबई टाउन हाल के पास बैठकर शेयर कारोबार प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे इन दलालों की संख्या बढ़ने लगी। 1874 में दलाल, स्ट्रीट में बैठकर शेयर कारोबार करने लगे। 1875 में इन्होंने The Native share & Stock Broker's Association के नाम से विधिवत रूप से पंजीयन करवाया। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एवं विश्व में 10 वें स्थान का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी के अनुसार वर्तमान में BSE Ltd. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इण्डिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं NSE IFSC Ltd. हैं। 1887 में इस एक्सचेंज ने अपने अन्तर्नियम एवं सीमा नियमों का पंजीयन करवाया। 2002 में स्टॉक एक्सचेंज का नाम बदलकर 'बम्बई स्टॉक एक्सचेंज' (BSE) कर दिया गया। यह वर्तमान में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार एम्सटर्डम (नीदरलैंड) में 1602 में स्थापित हुआ था।

3. **विकास वित्त संस्थायें (Development Financial Institutions):** विकास वित्त संस्थायें भी पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सभी संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में धन निवेश किया जाता है। इन संस्थाओं में ICICI, IDBI, IFCI, UTI प्रमुख हैं। विदेशी मुद्रा कोषों से भी इन संस्थाओं द्वारा राशि अर्जित की जाती है।
4. **वित्तीय मध्यस्थ (Financial Intermediators):** पूंजी बाजार में निम्न प्रकार के वित्रीय मध्यस्थ कार्य करते हैं:-

(अ) मर्चेण्ट बैंक (Merchant Bank): मर्चेण्ट बैंक द्वारा वित्तीय सलाह देना, ट्रस्टी प्रबंध संबंधी कार्य, बीमा सम्बन्धी सेवाएँ देना, सम्पत्ति मूल्यांकन करवाना आदि कार्य किये जाते हैं। मर्चेण्ट बैंक व्यापारिक बैंकों से अलग होते हैं। ये बैंक फुटकर के स्थान पर थोक में कार्य करना पसंद करते हैं। भारत में मर्चेण्ट बैंक का कार्य करने वाली संस्थायें व्यापारिक बैंक, तकनीकी संगठन आदि के मर्चेण्ट बैंकों पर सेबी का नियंत्रण होता है। इन बैंकों को सेबी के निर्देशानुसार ही कार्य करना पड़ता है।

(ब) म्यूचुअल फण्ड (Mutual Fund): भारत में 1964 में UTI की स्थापना म्यूचुअल फण्ड के रूप में की गई थी। म्यूचुअल फण्ड से पूंजी बाजार और अधिक गतिशील हो गया है। म्यूचुअल फण्ड को ईक्विटी का क्रेता तथा ऋणों का विक्रेता माना गया है। म्यूचुअल फण्ड अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में तथा मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरणों में करता है। म्यूचुअल फण्ड का पंजीयन कराना जरूरी होता है।

अतः यह कोष एक न्यास या ट्रस्ट है जो उन निवेशकर्ताओं की एक संख्या की बचतों को सामान्य निधि में जमा करता है एवं यह एक सामान्य वित्तीय लक्ष्य को आपस में बांटते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कम से कम कुछ हजार रूपयों का निवेश योग्य अतिरिक्त शेष (Surplus) है, वह पारस्परिक कोष में निवेश कर सकता है। 14 फरवरी 1992 को निजी क्षेत्र को बाजार में म्यूचुअल फंड की अनुमति प्रदान की। तथा उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे SEBI के प्रत्यक्ष निरीक्षण में कार्य करेंगे।

(स) लीजिंग वित्त कम्पनी (Leasing financial company): लीजिंग वित्त दो कम्पनी में पक्षों के बीच सम्पत्ति के प्रयोग को लेकर समझौता किया जाता है, जिसमें एक पक्ष Lessee और दूसरा पक्ष Lessor होता है। Lessee सम्पत्ति का प्रयोग करने वाला व Lessor सम्पत्ति का स्वामी होता है। यह समझौता निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। समझौते के अनुसार प्रतिमाह किराया निश्चित किया जाता है।

लीज दो प्रकार की होती है एक परिचालन जो अल्पकालीन होती है। दूसरी वित्तीय लीज, जो दीर्घकालीन होती है।

(द) वेंचर केपीटल कंपनियां (venture Capital Company) : ये कम्पनियाँ वित्तीय माध्यम के रूप में कार्य करती है। इन कंपनियों को वेंचर केपीटल कम्पनी फंड, जोखिम पूंजी कोष, वेंचर केपीटल कम्पनी मार्केट आदि के नाम से जाना जाता है। यह एक दीर्घकालीन एवं प्रबंधकीय भागीदारी का निवेश माना जाता है। भारत में वेंचर केपीटल का ढांचा म्यूचुअल फंड के समान समझा जाता है।

7.6 पूंजी बाजार के उपकरण (Instruments of Capital Market)

पूंजी बाजार में पहले इक्विटी और ऋण (Debt) दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था। पिछले कुछ वर्षों में पूंजी बाजार में कुछ नवीन परिवर्तन हुये हैं, जिनकी वजह से नये उपकरण जारी किये गये। पूंजी बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाता है। पूंजी बाजार के उपकरण इस प्रकार है-

1. **सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government securities):** ये प्रतिभूतियाँ दीर्घकालीन होती है जिन्हे व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ खरीदती है। इनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं द्वारा सरकारी बाण्ड, प्रतिभूतियाँ, परिवर्तनीय, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र आदि जारी किए जाते हैं।
2. **अंश (Share):** पूंजी को छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाता हैं, प्रत्येक भाग को अंश कहते है। अंश दो प्रकार के होते है।

I इक्विटी या समता अंश (Equity shares)

II पूर्वाधिकार अंश (Preferences shares)

I इक्विटी या समता अंश (Equity shares): जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं है, वह समता अंश कहलाते है। कंपनी विभाजन योग्य लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश बाँटने के बाद इक्विटी शेयर के धारकों को लाभांश बाटती है। सभी देनदारों को लाभ चुकाने के बाद बचे लाभ पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है। कम्पनी की सम्पत्तियों पर भी इनका अधिकार होता है क्योंकि ये कंपनी के स्वामी माने जाते है।

II पूर्वाधिकार अंश (Preferences shares): पूर्वाधिकार अंशधारियों को कुछ पूर्वाधिकार होते हैं जैसे लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार कंपनी के लाभों का वितरण हो, पुनर्भुगतान संबंधी मामले या कंपनी का समापन हो सभी में इन अंशधारकों को पूर्वाधिकार प्राप्त होता है।

3. **ऋणपत्र या बाण्ड: (Debentures or Bond)-** कम्पनी अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार “ऋणपत्र स्टॉक, बॉण्डस एवं अन्य प्रतिभूतियों को ऋणपत्रों में शामिल किया जाता है। जबकि वे सम्पत्ति पर प्रभार उत्पन्न करे या न करें।”

ऋणपत्र ऋण को स्वीकार करने पर दिया जाने वाला 'प्रमाण पत्र' होता है। जिसमें स्वीकार की जाने वाली राशि व ब्याज की दर तथा तिथि का उल्लेख होता है। यह एक निश्चित तिथि पर मूल राशि वापस करने का अनुबंध है।

बॉण्डस (Bonds): पूंजी बाजार में ऋणपत्र के स्थान पर बॉण्डस जारी करने का प्रचलन ज्यादा हुआ है। नयी पूंजी जुटाने के लिए कुछ बॉण्डस जारी किए गए है जो इस प्रकार है-

1. जीरो ब्याज बॉण्ड
2. आधारभूत संरचना के बॉण्ड

3 जीरो कूपन बॉण्ड 4. फ्लोरिंग रेट बॉण्डस

(4). **ऋण (Debt):** पूंजी बाजार में ऋण एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है। ऋण बाजार में कई प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, यह निम्न प्रकार हैं:

- सरकारी ऋण (Government debt): सरकारी प्रतिभूति के द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार ऋण प्राप्त कर सकती है।
- कम्पनी ऋण (Company Loan): इनमें सार्वजनिक एवं निजी कम्पनी द्वारा ऋण का लेन देन होता है।
- बन्धक ऋण (Mortgage Loan): ऐसे ऋण जिसमें सम्पत्ति आदि क्रय करने के लिए जमानत के आधार पर ऋण दिया जाता है।
- उपभोक्ता ऋण (Consumer Loan): उपभोक्ताजन वस्तुओं के क्रय के लिए ऋण प्राप्त करना, उपभोक्ता ऋण कहलाता है।
- गृह ऋण (Home Loan): व्यापारिक बैंकों द्वारा गृह निर्माण अथवा सुधार कार्य के लिए गृह ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- बैंकों के ऋण (Bank's Loan): व्यापारिक बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- विदेशी विनिमय उपकरण (Foreign Exchange Instruments): भारतीय कंपनियों ने विदेशी पूंजी बाजार में 5 से 9 साल के कई वित्तीय उपकरण उपलब्ध किये हैं जैसे-विदेशी मुद्रा, बाण्डस, विदेशी मुद्रा नोटस, यूरो मुद्रा बॉण्ड इत्यादि मुख्य रूप से हैं। विदेशी विनिमय उपकरण इस प्रकार है: जीडीआर यूरो, येंकी बॉण्ड, समवेल बाण्डस, ऐडीआर इत्यादि।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. पूंजी बाजार के निम्न में से कार्य या महत्व नहीं है -
(अ) पूंजी निर्माण (ब) बचतों की गतिशीलता
(स) मुद्रा जारी करना (द) साधनों का उच्चतम उपयोग
2. निम्न में से पूंजी बाजार के मुख्य अंग कितने हैं -
(अ) तीन (ब) दो (स) चार (द) पाँच
3. निम्न में से पूंजी बाजार के उपकरण नहीं हैं -
(अ) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ब) अंश
(स) ऋण पत्र या बॉण्ड (द) सरकार को ऋण देना
4. निम्न में से ऋण का प्रकार हैं -
(अ) सरकारी ऋण (ब) कम्पनी ऋण
(स) उपभोक्ता ऋण (द) उपयुक्त सभी
5. निम्न में से बॉण्डस का प्रकार नहीं हैं -

- (अ) जीरो ब्याज बॉण्ड (ब) आधारभूत संरचना के बॉण्ड
(स) जीरो कूपन बॉण्ड (द) कम्पनी ऋण

उत्तर – 1 (स) 2 (ब) 3 (द) 4 (द) 5 (द)

7.7 उदाहरण (Example)

पूंजी बाजार मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ताओं और उन आपूर्ति के उपयोगकर्ताओं से बने होते हैं। यह वित्तीय उत्पादों को बेचता है जैसे इक्विटीज एवं त्रण प्रतिभूतियों, पूंजी बाजार का प्राथमिक बाजार, अथवा आई.पी.ओ. के रूप में माना जाता है। इसमें द्वितीयक बाजार वह है जो मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार करता है। यह बाजार अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पैसे को उन लोगों के बीच स्थानांतरित करने में मदद करते हैं जो उनके पास है उसे वह उत्पादक उपयोग में प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीयक बाजार के मुख्य उदाहरण है जैसे न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नैस्डेक स्टॉक एक्सचेंज द्वितीयक पूंजी बाजार के उदाहरण हैं। त्वरित पूंजी गठन, बचत जुटाना, दीर्घकालिक पूंजी पैदा करना औद्योगिक और आर्थिक विकास की उन्नति, धन का गतिशील मार्ग और विदेशी पूंजी को बढ़ावा आदि पूंजी बाजारों के कुछ प्रमुख लाभ हैं। पूंजी बाजार का अस्तित्व लोगों को उत्पादन निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे देश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

7.8 पूंजी बाजार में सुधार (Capital market Reforms)

भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त नरसिम्हन समिति, अन्य समितियों और समूहों की सिफारिश पर भारतीय पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। यह निम्न प्रकार के हैं:-

- A) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India SEBI) -**
31 मार्च 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में की गई। मई 1992 में पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम, 1947 में रद्द करने पर 29 मई 1992 से निर्गम नियंत्रक का कार्यालय बंद कर दिया गया। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करने, पूंजी बाजार के विकास को उन्नत और स्टॉक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिए नियामक (Regulatory) प्राधिकरण है। सेबी ने इस दिशा में मध्यस्थों के पंजीकरण, कड़े प्रकटीकरण, मानदंड आंतरिक व्यापार पर विनियमन तथा स्टॉक एक्सचेंजों और म्यूचुअल फंडों की कार्य प्रणाली के निरीक्षण जैसे अनेक उपाय शुरू किए हैं। यह उपाय निवेशकों में विश्वास पैदा कर सकते हैं।
- B) प्राथमिक बाजार सुधार (Primary Market Reforms):** निगमन प्रक्रियाओं में अपर्याप्तताओं और कमियों को दूर करने के लिए प्राथमिक अथवा नये निगम (issue) पूंजी-बाजार में सुधार के लिए निम्न उपाय किये गए हैं-
- I शेयरों के मूल्य और अधिमूल्य (प्रीमियम) पर नियंत्रण हटा दिया गया है। कम्पनियाँ अब सेबी से अनुमोदन लेने के बाद शेयरों और डिबेंचरों की कीमतें और अधिमूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
 - II प्राथमिक बाजार में शेयरों और ऋणपत्रों का निगमन करने वाली कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपनी परियोजनाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य और विशिष्ट जोखिम कारकों को प्रकट करें।

- III जन साधारण हेतु जारी किया जाने वाला प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत 25 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है।
- IV सेबी द्वारा एक विज्ञापन संहिता के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि विज्ञापनों में ऐसा विवरण न हो जो निवेशकों को गुमराह करने वाला हो।
- V आवंटन प्रक्रिया में यह अनिवार्य होता है कि शेयर आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाते हैं और म्यूचुअल फण्ड्स तथा विदेशी संस्थागतों को पब्लिक इश्यूओं में से निश्चित आवंटन की अनुमति दी जाती है।
- VI सेबी का प्रतिनिधि पब्लिक इश्यू के अति-अभिमत होने की स्थिति में आवंटन प्रक्रिया का निरीक्षण करता है।
- VII सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों को सेबी के नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) के अन्तर्गत लाया गया है।
- VIII अनिवासी भारतीय और विदेशी कम्पनियां भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारतीय पूंजी बाजार में निवेश के लिए स्वतंत्र हैं।
- IX विदेशी निवेशक संस्थाएँ सेबी में पंजीकरण कराकर पूंजी बाजार में निवेश कर सकती हैं तथा विदेशी दलालों को एक समान शर्तों पर विदेशी निवेशकों की सहायता करने की अनुमति दी गई है।
- X सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया गया है कि वे पब्लिक इश्यू लाने वाली कम्पनियों से इश्यू राशि का 1 प्रतिशत अपने पास जमा करें। यदि कम्पनियां सूचीकरण करार का पालन नहीं करते हैं तथा आवंटन के 3 माह के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा वापसी धन और शेयर प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त 1 प्रतिशत राशि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
- XI व्यक्तिगत निवेश की स्थिति में पब्लिक इश्यू के लिए न्यूनतम अंशदान 2000 रु. निर्धारित किया गया है।
- XII कम्पनी के लिए इश्यू के बंद होने के 30 दिन के भीतर शेयरों का आवंटन पूरा करना आवश्यक होता है। उसके बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज चुकाना अनिवार्य है।
- XIII पब्लिक इश्यू के लिए प्रवर्तकों का योगदान इश्यू के आकार के असंबद्ध 20 प्रतिशत पर एक समान बनाया गया है।
- XIV अधिकार (Rights) इश्यू के विषय में रजिस्ट्रार की अनुमति अनिवार्य है।
- XV केवल कम्पनियों को मर्चेन्ट बैंकरो के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

C द्वितीयक बाजार सुधार (Secondary Market Reforms)-सेबी द्वारा द्वितीयक बाजार में मध्यस्थों के लिए अनेक नियामक और निरीक्षणात्मक उपाय शुरू किये गये हैं। द्वितीयक बाजार में मध्यस्थों के लिए विशिष्ट नियम और विनियम दर निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए मर्चेन्ट बैंकर्स, निवेश प्रबन्धक, रजिस्ट्रार दलाल और उपदलाल और शेयर हस्तान्तरण एजेंट्स आदि। उनके लिये अनिवार्य है कि वे विशिष्ट पूंजी पर्याप्तता मानदंड को पूरा करें और निवेशकों के लिए आचार संहिता का अनुसरण करें। कोई भी चूक की स्थिति में सेबी द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही का भी प्रावधान है।

इनमें से कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- I. सभी दलालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह उस स्टॉक एक्सचेंज में स्वयं को पंजीकृत कराएं जहां वह कार्य करना चाहते हैं।
- II. स्टॉक दलालों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंड व्यक्तिगत दलालों के लिए 3 प्रतिशत और निगम के सदस्यों के लिए 6 प्रतिशत किये गये हैं।
- III. स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि दलालों द्वारा ग्राहकों को जारी अनुबंध टिप्पणीयां सौदे होने के 24 घंटे के भीतर जारी हो जाएं।
- IV. ग्राहकों द्वारा दलालों को कीमत अन्तरों का भुगतान और दलालों द्वारा हस्तान्तरणों एवं बिक्री प्राप्तियों के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
- V. विनिमय में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए दलालों द्वारा ग्राहकों और अपने लिए पृथक खाते रखना अनिवार्य है। ग्राहकों को जारी अनुबंध टिप्पणीयों पर विनिमय मूल्य और दलाली का उल्लेख पृथक तौर पर होना चाहिये।
- VI. स्टॉक-एक्सचेंजों में शेयर बिचोलियों की प्रथा शुरू की गई है। वह उन शेयर-पत्रों की क्रय-विक्रय दर को एक साथ प्रदर्शित करते हैं जिसमें वह दलाली करते हैं।
- VII. स्टॉक दलालों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने बही खातों का लेखन परीक्षण कराये और हर वर्ष सेबी को लेखा परीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- VIII. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के गवर्निंग बोर्डों को व्यापक आधार वाला बना दिया है और उनके मध्यस्थाता, गलती और अनुशासनात्मक समितियों के संघटन में परिवर्तन कर दिया गया है।
- IX. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों की कार्यशीलता का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है।
- X. स्टॉक एक्सचेंज की कार्यशीलता पर सेबी द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालनों में असफल होने पर जुर्माना और व्यापार प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- XI. स्टॉक एक्सचेंज में अन्य धोखाधड़ियों और कीमतों में कृत्रिम उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सेबी ने निर्धारण के अंत में न दिये गये भाग पर दण्ड अंतर (Penal Margin) के रूप में, शेयर कीमतों में वृद्धि की स्थिति में खरीदारों के लिए विशेष कीमत अन्तर, कीमत में गड़बड़ी करने पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्यापार का सामूहिक स्थगन, आदि जैसे उपायों को प्रारंभ किया गया है।
- XII. कालान्तर में OTCEI और NSE तथा उसके बाद BSE द्वारा कई छोटे-छोटे एक्सचेंजों में भी आनलाईन स्क्रीन आधारित व्यापार की शुरुआत की गई है। इस समय देश के 22 स्टॉक एक्सचेंजों में से 20 में यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- XIII. भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के प्रचालनों को ठीक करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे आगे है जिसने इसके प्रचालनों को ठीक करने के लिए कई परिवर्तनों की शुरुआत की है जैसे सभी शेयर पत्रों के लिए BOLT (BSE's Online Trading System) प्रणाली प्रचालनीय बनाकर A और B समूह के शेयरों के लिए साप्ताहिक निर्धारणों की शुरुआत, तथा एंव शेयरों का पुनः समूहीकरण आदि।

- XIV. बाजार सुरक्षा बढ़ाने के इरादे में सेबी द्वारा दलालों के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता अधिक कर दी गई है।
- XV. सभी शेयर बाजारों को समाशोधन गृह निगम अथवा निपटान गारंटी निधियां स्थापित करने के लिए कहा गया है।
- XVI. विदेशी संस्थागत निवेशकों को 100 प्रतिशत ऋण मार्ग के द्वारा असूचीबद्ध कम्पनियों में निवेश करने और अपनी प्रतिभूतियों को सीधे प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।
- XVII. विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतियां उधार देने की अनुमति दी गई ताकि उन्हें अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सके।
- XVIII. विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसे डेरिवेटिव (derivatives) खरीदने और बेचने की अनुमति दी गई है जिनका शेयर बाजार में कारोबार होता है। उन्हें इनकी सुपूर्दगी लेने या देने की अपेक्षा किये बिना उनका कारोबार करने की अनुमति दी गई है।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. पूंजी बाजार के अर्थ को समझाइए।
2. पूंजी बाजार से क्या आशय है।
3. पूंजी बाजार की दो विशेषताएँ लिखिए।
4. पूंजी बाजार के दो कार्य लिखिए।
5. पूंजी बाजार के मुख्य अंग कितने हैं।

7.9 सारांश (Summary)

वित्तीय बाजार का वह भाग जहां पर दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है वह पूंजी बाजार कहलाता है। इसकी अवधि एक वर्ष से अधिक होती है। इस बाजार में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए त्रण एवं इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियों को खरीदा एवं बेचा जाता है। पूंजी बाजार के तीन मुख्य घटक होते हैं- बीमा, म्यूचल फंड एवं प्रतिभूति या शेयर बाजार। बीमा के अंतर्गत कोई कंपनी या सरकार एक निश्चित प्रीमियम के भुगतान के बदले कुछ निश्चित नुकसान जैसे-क्षति बीमारी या मृत्यु के लिए मुआवजे की गारंटी प्रदान करता है। म्यूचल फंड में अनेक निवेशक इसमें धन लगाते हैं और लाभ होने पर उसी अनुपात में निवेशकों में बांट दिया जाता है। कोई भी ऐसा वित्तीय उपकरण जिसका मौद्रिक मूल्य होता है, उसे ही प्रतिभूति, शेयर या बाण्ड कहा जाता है।

7.10 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी पूंजी बाजार का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जान पायेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी पूंजी बाजार की विशेषताएँ जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी पूंजी बाजार के कार्य एवं महत्त्व जान पायेंगे।

7.11 शब्दावली (Glossary)

- **शेयर-बाजार** : शेयर का अर्थ है हिस्सा और मार्केट का अर्थ है बाजार अर्थात् शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में अपने पैसे देकर हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है।

- **संगठित पूँजी बाजार (organized Capital Market) :** से अभिप्राय उस पूँजी बाजार से है जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का पूर्ण नियन्त्रण होता है।
- **असंगठित पूँजी बाजार :** यह पूँजी बाजार का वह भाग है जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण नगण्य होता है। फिर भी ये दीर्घकालीन पूँजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बाजार के अन्तर्गत देशी बैंकर, साहूकार, सर्राफ तथा शाह आदि सम्मिलित होते हैं।

7.12 स्व-परख प्रश्न (Self Test questions)

1. पूँजी बाजार क्या है? भारतीय पूँजी बाजार के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
(संकेत-सर्वप्रथम पूँजी बाजार का अर्थ बताते हुए भारतीय पूँजी बाजार की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। तत्पश्चात् पूँजी बाजार के विभिन्न अंगों का विवेचन करिए।)

What is Capital market? Briefly describe the main constituents of Indian Capital market.
2. भारतीय पूँजी बाजार के कार्यों का वर्णन करिए। इसके सुधार के बारे में आपके पास क्या सुझाव हैं?

Explain functions of Indian Capital market. What remedies can you suggest?
(संकेत-सर्वप्रथम भारतीय पूँजी बाजार के कार्यों को विस्तार सहित बताइए। तत्पश्चात् आवश्यक उपचारात्मक सुझाव दीजिए।)
3. पूँजी बाजार की परिभाषा दीजिए। क्या भारत में एक सुविकसित पूँजी बाजार है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

Define Capital market. Is there a well-organised Capital market in India? Give reasons for your answer
(संकेत-सर्वप्रथम पूँजी बाजार की परिभाषा दीजिए तत्पश्चात् लिखिए कि भारत का पूँजी बाजार सुसंगठित है।)

7.13 संदर्भ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography.)

- जे.पी. मिश्र, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
- त्रिवेदी, दशोरा, नागर-भारतीय बैंकिंग प्रणाली, रमेश बुक डिपो जयपुर
- Vasant Desai-Desai-The Indian Financial system and development, Himalaya Publishing House Pvt. Ltd. Mumbai 2009.
- Jatana, Barodawala, Indian Banking system, Vrinda Publications, New-Delhi
- डा. जे.सी. सिंघई-मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व साहित्य भवन, आगरा
- Bharti V. Pathak- Indian Financial system, Pearson, Delhi and Chennai

7.14 अन्य पठन सामग्री (Other reading material)

- Dr. V.C. Sinha, Indian Banking system Sahitya Bhavan Publications Agra.

- jayaragavan Iyengar, Introduction to Banking, Excel Books India Ltd. New Delhi
- Dr. Satish Kumar saha, India Banking System, SBPD Publications, Agra.
- बैंक वित्तीय प्रबंधन, Taxmann, Indian Institute of Banking and finance, Mumbai
- शोध-पत्र (Research Papers)
- Aditya Prasad Sahoo, "Impact of Derivatives an Indian Capital market -A Literature Review Srusti Managment Review 13(2), 8-14, 2020
- Sonal Shah, Dr C.A. Mala Dani , " Rise and growth of Indian Capital Market" International Journal of Accounting, Finance and Economics, Volum. issue ISSN 2659-2185
- Gulnora Abdurakhmanova, Narge a Shayus-upova, Aziza Irmatova, Dostonlek Rustamov International Journal of Psychological Rehabilitation vol 24, Issue 07,2021, ISSN 1475-7191 (8043-8051)
- Maurice obstfeld "The global Capital Market Reconsidend "Oxford Review of Economic policy, Volume 37, Issue 4, Winter 2021, Pages 690-706

7.15 वेब संसाधन/लिंक

- <https://www.moneyandbanking.com>
- <http://web.gjuonline.ac.in/distance/book/bcom/BCOM%20203%20Money%20and%20Banking.pdf>
- <https://www.uou.ac.in/>
- <https://epustakalay.com/book/42715-mudra-avam-banking-by-dr-m-l-seth/>
- <https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lhec103.pdf>

इकाई - 8

प्राथमिक बाजार

(Primary Market)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 8.0 उद्देश्य (Object)
- 8.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 8.2 प्राथमिक बाजार का अर्थ (Meaning of Primary Market)
- 8.3 प्राथमिक बाजार के कार्य (Functions of Primary Market)
- 8.4 नई प्रतिभूतियों के विक्रय की विधियाँ (Method of selling New Securities)
 - 8.4.1 प्रविवरण निर्गमन द्वारा (By Issue of Prospectus)-
 - 8.4.2 विक्रय के लिए प्रस्ताव (Offer for Sale)
 - 8.4.3 निर्गमन का निजी स्थापन (Private Placement of Issue)
- 8.5 अधिकार अंशों का निर्गमन (Issue of Right Shares)
- 8.6 नये निर्गमन बाजार से संबंधित एजेंसियाँ (Agencies Related with Issue Market)
- 8.7 नये निर्गमन बाजारों की समस्याएँ (Problems of the Issue market)
- 8.8 नये निर्गमन बाजार में कोष की मात्राएँ (Volume of funds in New Issue Market)
- 8.9 निर्गमन बाजार में सुधार (New Issue Market Reform)
- 8.10 प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार में संबंध (Relationship between Primary Market and Secondary Market)
- 8.11 सारांश (Summary)
- 8.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 8.13 शब्दकोष (Glossary)
- 8.14 स्वपरख प्रश्न (Self Examination Questions)
- 8.15 संदर्भ ग्रंथ (References)
- 8.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)
- 8.17 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

8.0 उद्देश्य (Object)

एक ऐसा बाजार जहाँ मध्यम एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। इसमें पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, बोनस, बॉण्ड ऋण पत्र, परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, निर्गमन अंश, पारस्परिक कोष, यूनिते, आई.टी., बचते, बीमा प्रीमियम, जोखिम पूंजी, लीजिंग या पट्टा, वित्त बाजार ऋण बंधक एवं विभिन्न प्रकार के ऋण इत्यादि शामिल होते हैं। पूंजी बाजार स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के माध्यम से अंशों, ऋण पत्रों, बॉण्ड, स्टॉक एवं अन्य प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य करता है।

पूँजी बाजार तीन प्रकार के होते हैं –

अ) प्राथमिक बाजार (Primary Market or New Issue Market)

ब) सहायक बाजार (Secondary Market)

स) सरकारी प्रतिभूति बाजार (Government Securities Market)

इस पाठ का उद्देश्य प्राथमिक बाजार को समझना है अर्थात् ऐसा बाजार जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ, वित्तीय निगम, वित्तीय संस्थाएँ, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, अथवा ऋण पत्र, बॉण्ड्स इत्यादि का निर्गमन कर जनता से पूँजी प्राप्त करती है। निजी कम्पनियाँ भी नया निर्गमन करती हैं लेकिन वो जनता से नहीं वरन अपने मित्रों, रिश्तेदारों, नातेदारों अपने समूह के विनियोजकों आदि को व्यक्तिगत रूप में करती है।

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्राथमिक बाजार वह स्थान है जहाँ नवजारी प्रतिभूतियाँ जैसे - स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर पहली बार जनता को बेची जाती है।

प्राथमिक बाजार में कम्पनी द्वारा निर्गमित नये अर्थों का क्रय-विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। इस बाजार में वित्तीय संस्थाएँ, निगम, कम्पनियाँ, सरकारें व्यापारिक बैंक आदि होते हैं। पूँजी बाजार स्कन्द विनियम केन्द्रों के माध्यम से अंशों, ऋणपत्रों, बॉण्ड्स एवं अन्य प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का कार्य करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राथमिक बाजार विभिन्न संस्थाओं का संगठित क्षेत्र है जहाँ पूँजी बाजार के उपकरण के माध्यम से लेनदेन हो जाता है।

अतः बाजार नई जारी की गई प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रारम्भिक बिंदु है जहाँ कम्पनियाँ सीधे निवेशकों से जुटाती है।

8.2 प्राथमिक बाजार का अर्थ (Meaning of Primary Market)

प्राथमिक बाजार या नया निर्गमन बाजार में प्रतिभूति का विक्रय सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर प्रथम बार किया जाता है। प्राथमिक बाजार में दो प्रकार के प्रस्ताव आते हैं केन्द्रीय सरकार नकद प्रस्ताव तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार तथा अर्द्धसरकारी निगम, कम्पनियाँ अपने नकद प्रस्ताव रखती हैं। ये प्रस्ताव समता व पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र, बॉण्ड्स, बोनस जमा ऋण आदि के रूप में होते हैं। स्थानीय सरकार, जिसमें नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पोर्टट्रस्ट, सुधार प्रत्यास, राज्यों के विद्युत मण्डल आदि आते हैं इनके द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ नकद प्रस्ताव के रूप में प्राथमिक बाजारों में प्रस्तुत की जाती हैं।

प्राथमिक बाजार में नये अंशों के निर्गमन में अभिगोपक संस्थाओं जैसे IDBI, ICICI, IFCL, LIC सामान्य बीमा निगम, UTI, विनियोग निगम इत्यादि द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर भाग लिया जाता है। कुछ व्यापारिक बैंक एवं अंश दलाल भी नये निर्गमन, मर्चेन्ट बैंकर्स की हैसियत से कार्य करते हैं।

प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक निर्गमन के अभिगोपन व दलाली का कार्य एकल या संयुक्त रूप से संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस संबंध में उप-अभिगोपक या उपदलाल की नियुक्ति भी की जा सकती है। कुछ संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ, विनियोग ट्रस्ट आदि उप गोपक या उपदलाल का भी कार्य करते हैं। किन्तु सेबी (SEBI) के अनुसार अभिगोपन को एच्छिक माना गया है। अंशों व ऋण पत्रों पर अभिगोपन कमीशन अधिकतम निर्गमन मूल्य का 2.5 प्रतिशत एवं दलाली 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक होती है। यदि निर्गमन की पूरी राशि प्राप्त हो जाए तो यह कमीशन एवं दलाली की राशि पूर्णतया अभिगोपक या दलाल को दे दी जायेगी अन्यथा अभिगोपकों को अनुपातिक तौर पर जो अंश/ऋण पत्र क्रय करने पड़ेंगे उसमें समायोजित की जायेगी।

8.3 प्राथमिक बाजार के कार्य (Functions of Primary Market)

यह बाजार कम्पनियों को आवश्यक मुद्रा उपलब्ध कराता है। इसका प्रमुख कार्य बचतकर्ता से उपयोगकर्ता के बीच बचतों का हस्तान्तरण करना है। यह विद्यमान एवं नई कम्पनियों को पूंजीगत व्यय हेतु कोष उपलब्ध करवाता है। निजी कम्पनियों को सार्वजनिक कम्पनियों के परिवर्तन की सुविधा भी देता है। प्राथमिक बाजार में नये निर्गमन को ही शामिल किया जाता है। नया अंश ऋण पत्र निर्गमन नई कम्पनी अथवा विद्यमान कम्पनी का भी हो सकता है। नये निर्गमन का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

- 1 नई कम्पनियाँ – प्रारम्भिक निर्गमन
- 2 पुरानी कम्पनियाँ – निर्गमन अतिरिक्त

नये निर्गमन बाजार के कार्यों को तीन प्रकार से निम्नानुसार बांटा जा सकता है :-

1) **प्राथमिक/प्रारम्भिक कार्य (Primary/Preliminary Work)**- बाजार में सारे कार्य संस्थागत मध्यस्थों के द्वारा किये जाते हैं। प्रारम्भिक कार्य निम्न हो सकते हैं :-

- 1) **प्रारम्भिक अनुसंधान (preliminary Investigation)**- निर्गमन प्रायोजित करने वाली या निर्गमन निकालने वाली कम्पनी के संबंध में प्रारम्भिक छानबीन करना ज़रूरी होता है। इन कम्पनियों की आर्थिक एवं वित्तीय सुदृढ़ता, उनकी तकनीकी योग्यता एवं उनकी वैधानिक स्थिति इत्यादि की जांच की जाती है।
- 2) **निर्गमन संबंधी सेवाएँ प्रदान करना (Provide Services for Issue)**- पूंजी निर्गमन के संबंध में एकत्रित विभिन्न प्रकार की जानकारी को नये निर्गमन बाजार अपनी सेवाओं से सहायता पहुंचाते हैं। नये निर्गमन के संबंध में निम्न जानकारी एकत्रित की जाती है -

1. नये निर्गमन का प्रकार
2. नये निर्गमन का मूल्य निर्धारण
3. नये निर्गमन का समय
4. नये निर्गमन प्रवर्तन की तकनीक
5. विक्रय तकनीक
6. विज्ञापन एजेंसियों का चुनाव
7. प्रतियोगिता
8. बाजार की दशाएँ
9. देश की राजनैतिक व आर्थिक स्थिति

उपरोक्त जानकारी एकत्र करके ही निर्गमन का निर्णय लिया जाता है किन्तु कोई भी प्रायोजक, कम्पनी या संस्था स्वयं के बल पर निर्गमन का दायित्व नहीं उठा सकती। उसे अन्य एजेंसियों की आवश्यकता पड़ती है जो निर्गमन को सफल बनावे एवं गारन्टी प्रदान करने में सहायता करती है।

3) **अभिगोपन संबंधी कार्य (Underwriting Works)** -बाजार निर्गम बाजार में नये निर्गमन की सफलता सन्देहजनक रहती है। यदि अभिदान कम होतो संचालक गण आबन्टन की कार्यवाही नहीं करते और न्यूनतम अभिदान होने पर आवेदन पत्र की राशि आवेदकों को लौटायी जाती है। यदि अभिदान न्यूनतम से भी कम होतो निर्गमन असफल माना जाता है।

अभिगोपक जनता द्वारा प्रतिभूति कम न करने की दशा में स्वयं क्रय करने की गारण्टी देते हैं। यदि प्रतिभूतियाँ क्रय कर ली जाती है तो उन्हें पूर्व निर्धारित दर से कमीशन मिलता है जो कि अधिनियम द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा नहीं हो सकता है।

8.4 नई प्रतिभूतियों के विक्रय की विधियाँ (Method of selling New Securities)

प्राथमिक बाजार में जब कोई कम्पनी या संस्था पहली बार प्रतिभूतियाँ निर्गमित करती है तो यह नये निर्गमन कहलाता है। जब विद्यमान कम्पनी द्वारा निर्गमन किया जाता है तो यह पश्चातवर्ती निर्गमन कहलाता है। निर्गमन का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है जैसे कि - नकद राशि प्राप्त करने के लिए, तकनीकी ज्ञान के विनिमय के लिए एवं सेवाओं के विनिमय के लिए, अंशों के विनिमय के लिए निर्गमन के उद्देश्य अलग-अलग हो सकते हैं किन्तु उनकी विक्रय विधि समान होती है।

साधारणतया कम्पनियाँ निम्न विधियों से प्रतिभूतियों का विक्रय कर, पूँजी प्राप्त करती हैं -:

1. प्रविवरण निर्गमन द्वारा (By Issue of Prospectus)
2. विक्रय के लिए प्रस्ताव (Offer for sale)
3. निजी स्थापन (Private Placement)
4. अधिकार अंशों का निर्गमन (Issue of Right Shares)

8.4.1 प्रविवरण निर्गमन द्वारा (By Issue of Prospectus)

एक सार्वजनिक कम्पनी को समामेलन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पूँजी का प्रबंध करना पड़ता है। पूँजी प्राप्त करने के लिए कम्पनी जनता को संक्षिप्त जानकारी प्रेषित करती है। इस प्रकार पूँजी करने के लिए अंशों को क्रय करने का नियंत्रण जनता को दिया जाता है। इस नियंत्रण के साथ कम्पनी की संक्षिप्त जानकारी प्रेषित की जाती है, इसे प्रविवरण कहते हैं।

एक ऐसा विवरण पत्र, सूचना, परिपत्र, विज्ञापन अथवा प्रलेख जिसमें कम्पनी के अंशों या ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, प्रविवरण कहलाता है। कम्पनी को प्रविवरण की विषय सामग्री के अन्तर्गत समस्त जानकारी जनता को देनी पड़ती है। प्रविवरण की विषय सामग्री में कम्पनी का नाम, पता संचालकों के नाम, पते, अंशों की जानकारी, न्यूनतम अभिदान अंशों पर देय राशि, अंशों पर प्रीमियम, कम्पनी की पूँजी ढाँचा, निर्गमित पूँजी, प्रार्थित पूँजी, प्रवर्तकों का नाम, प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी, स्टॉक एक्सचेंज का नाम, निर्गमन की शर्तें, निर्गमन का विवरण, निर्गमन की लागत, उत्पाद आदि के दलालों के नाम तथा अभिगोपक का विवरण होता है। प्रविवरण संचालक मंडल, वित्तीय संस्थाओं, स्कन्ध विनिमय केन्द्र, सॉलिसीटर आदि से पारित होना चाहिए। प्रविवरण में दी जाने वाली जानकारी मिथ्या, झूठी कपटपूर्ण नहीं होनी चाहिए। एक अंश पूँजी वाली सार्वजनिक कम्पनी बिना प्रविवरण निर्गमन के पूँजी प्राप्त नहीं कर सकती।

8.4.2 विक्रय के लिए प्रस्ताव (Offer for Sale)

यह प्रतिभूतियों के विक्रय की एक अप्रत्यक्ष विधि है। जब कम्पनी बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तो उसे निर्गमन की सफलता के लिए कुछ मध्यस्थों की सेवाएँ लेनी पड़ती है। ये मध्यस्थ निर्गमन गृहों से संबंधित होते हैं और जनता को अंश बेचने के लिए कम्पनी इनसे सीधे विक्रय के प्रस्ताव करती है। इसे ही विक्रय के लिए प्रस्ताव कहा जाता है।

कम्पनी विक्रय के लिए प्रस्ताव के अन्तर्गत कुछ मध्यस्थ, स्टॉक दलाल, मर्चेन्ट बैंक को एक निश्चित स्वीकृति मूल्य पर समस्त अंशों एवं प्रतिभूतियों का विक्रय कर देती है। थोड़े समय पश्चात् ये प्रतिभूतियाँ जनता को पुनर्विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाती है। निर्गमन गृह ऐसे मामलों में एजेंट की भूमिका निभाते हैं।

8.4.3 निर्गमन की निजी स्थापन (Private Placement of Issue)

जब नई निर्गमित प्रतिभूतियों के विक्रय की इस विधि के अन्तर्गत निर्गमनकर्ता प्रतिभूतियों को कुछ चुने हुए निवेशकों, निगमीय संस्थाओं, वित्तीय मध्यस्थों, निर्गमन गृहों, बैंकों आदि को विक्रय कर देता है तब यह निर्गमन का निजी स्थापन माना जाता है। वित्तीय माध्यम एवं कुछ प्रमुख संस्थाएँ पहले समस्त प्रतिभूतियों को स्वयं क्रय कर लेती हैं तथा बाद में इन्हें उचित मूल्य पर अन्य निवेशकों को बेच देती हैं। निजी स्थापन, घरेलू बचतों को गतिशीलता प्रदान नहीं करते किन्तु संस्था के कोषों में वृद्धि करने में लागत एवं समय को प्रभावित करते हैं। इन्हें लागत व समय प्रभावित करने वाली विधि माना जाता है। निजी स्थापन को साहसियों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला बनाया जा सकता है अर्थात् साहसियों की जितनी आवश्यकता हो उतनी प्रतिभूतियाँ निवेश के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है। इसमें सार्वजनिक निर्गमन एवं अधिकार निर्गमन के समान औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती है। निजी स्थापन में अभिगोपन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं में अभिगोपन होता है।

निजी स्थापन के लाभ (Advantages of Private Placement)

- 1 निर्गमन व्ययों में कमी (Reduction in Issue Expenses)
- 2 समय की बचत (Time Saving)
- 3 प्रविवरण निर्गमन की आवश्यकता नहीं (No Needs of Prospectus Issue)
- 4 लचीलापन (Flexibility)
- 5 पूंजी को गतिशील बनाना (Imparting Mobility to Capital)

निजी स्थापन से हानियाँ (Disadvantages of Private Placement)

- 1 अंशों का स्कन्ध विनिमय केन्द्र में सूचीबद्ध नहीं होना।
- 2 स्कन्ध विनिमय केन्द्रों में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय नहीं होना।
- 3 प्रवर्तकों को पूंजी की स्वयं व्यवस्था करना।

8.5 अधिकार अंशों का निर्गमन (Issue of Right Shares)

प्रतिभूतियों के निर्गमन में अधिकार अंशों का निर्गमन भी महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी नये अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो नये अंशों को क्रय करने का सर्वप्रथम अधिकार विद्यमान समता अंशधारियों को होता है। अतः इन अंशों को अधिकार अंश कहा जाता है। कोई कम्पनी प्रथम बार अंश आवण्टन के एक वर्ष बाद या कम्पनी निर्माण के दो वर्ष बाद प्रार्थित पूंजी को (जो भी पहले हो) बढ़ाना चाहती है तो इन अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है।

उद्देश्य (Purpose) -

अधिकार अंशों के निर्गमन से निम्न उद्देश्य पूरे किये जा सकते हैं -

- 1 वर्तमान अंशधारियों की नियंत्रण शक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि यदि बाहरी अंशधारियों को बड़ी मात्रा में अंश क्रय करने का प्रस्ताव किया जाता है तो विद्यमान अंशधारी अपनी नियंत्रण शक्ति से वंचित हो सकते हैं।
- 2 विद्यमान अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के मूल्यों से होने वाली हानि से बचाने के उद्देश्य से भी अधिकार अंश निर्गमित किये जाते हैं। उदाहरणार्थ सी.बी.ए.कम्पनी लिमिटेड के पास 10 रु. वाले 100,000 समता अंश है जिनका बाजार मूल्य 15 रु. प्रति अंश है। कम्पनी को 6,00,000 रु. है। वह बाजार की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता से 10 रु. वाले समता अंश निर्गमित कर पूंजी प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में नये निर्गमन के बाद कम्पनी की अंश पूंजी का कुल बाजार मूल्य होगा अर्थात् 5,00,000 + 6,00,000 रु. तथा प्रति अंश पूंजी का मूल्य 21,00,000 / 1,60,000 = 13.125 रु. होगा जो कि बाजार मूल्य नये समता अंश का बाजार मूल्य भी होगा। अतः 15 रु. प्रस्ताव करने से उसका बाजार मूल्य कम हो जायेगा।

यह वर्तमान समता अंशधारियों के लिए निश्चित मूल्य होगा किन्तु जो भी नये अंशों को क्रय करेगा उनके लिए लाभप्रद होगा।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार अंशों से संबंधित नियम निम्नलिखित है -

- 1 अधिकार अंश वर्तमान अंशधारियों को उनके पास पहले से मौजूद अंशों के अनुपात में प्रस्तावित किये जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कम्पनी ने 10,00,000 अंश पहले से निर्गमित किये हैं और वह कम्पनी जब 2,00,000 नये अधिकार अंश निर्गमित करना चाहती है तो वर्तमान अंशधारियों को 5 अंशों पर 1 अंश लेने का अधिकार होगा।
- 2 एक लिखित सूचना द्वारा अंश क्रय करने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए जिसमें अंशों की संख्या का उल्लेख हो।
- 3 अंशधारियों को अंशों के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए।
- 4 उक्त सूचना में यह भी लिखा होना चाहिए कि प्रस्तावित अंश या उसका कुछ भाग किसी अन्य के नाम हस्तान्तरित किया जा सकता है।

अधिकार अंशों के निर्गमन से लाभ (Advantages from Right Issue)- अधिकार अंशों के निर्गमन से निम्नलिखित लाभ होते हैं -

- 1 निर्गमन व्यय कम होते हैं।
- 2 वर्तमान अंशधारी के मौद्रिक लाभों में वृद्धि होती है।
- 3 अधिकार अंशों के अन्य हस्तान्तरित का अधिकार रहता है।
- 4 वर्तमान अंशधारियों को कम्पनी में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है।
- 5 कम्पनी को पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती।
- 6 कम्पनी की ख्याति में वृद्धि होती है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. प्राथमिक बाजार को समझाइये।
2. अधिकार अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया को समझाइये।
3. निम्न को समझाइये —
 - (A) प्रारंभिक अनुसंधान
 - (B) निर्गमन सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना
 - (C) निजी स्थापन के लाभ

8.6 नये निर्गमन बाजार से संबंधित एजेंसियाँ (Agencies Related with Issue Market)

नये निर्गमन बाजार में जब नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है तो कम्पनी को विभिन्न एजेंसियों की आवश्यकता पड़ती है। कम्पनी के प्रवर्तकों को नये निर्गमन बाजार से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ एकत्र करनी पड़ती हैं। ये सूचनाएँ नये निर्गमन के आकार-प्रकार, मूल्य निर्धारण, निर्गमन का समय, विक्रय एवं विज्ञापन एजेंसियों के चुनाव, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति आदि से संबंधित होती है। कोई भी कम्पनी, संस्था, प्रवर्तक, प्रायोजक नये निर्गमन का निर्णय इन्हीं सूचनाओं के आधार पर लेता है किन्तु निर्गमन की सफलता के लिए अन्य एजेंसियों या

पक्षकारों की सहायता भी लेनी पड़ती है। इन एजेन्सियों में निर्गमन प्रबंधक, निर्गमन रजिस्ट्रार, अभिगोपक, विज्ञापन एजेन्सी, वित्तीय संस्थाएँ, सरकारी एजेन्सियाँ आदि मुख्य हैं -

1 **निर्गमन के प्रबंधक (Issue Manager):** नये निर्गमन बाजार में कम्पनी के द्वारा प्रबंधक अग्रणी (Lead Manager) नियुक्त किया जाता है जो कि निर्गमन से संबंधित सभी कार्यों को समय-सीमा में पूरा करता है। अग्रणी प्रबंधक के रूप में कई वित्तीय संस्थाएँ अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इनमें मर्चेन्ट बैंकर, व्यापारिक बैंक, विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक हैं, एवं कुछ एजेन्सियाँ भी हैं, इनमें S.B.I. Capital Market, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक D.S.P. Financial Consultants Ltd., ICIC, Securities & Finance Company Ltd. इत्यादि हैं एवं कम्पनी इन संस्थाओं के साथ नियम-शर्तों को तय करके निर्गमन के लिए एक प्रबंधक एवं कम्पनी के बीच फीस का भुगतान आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। साधारणतया निर्गमन के प्रबंधक को निर्गमन की सफलता के लिए निम्नांकित कार्य करने पड़ते हैं -

- 1 प्रविवरण तैयार करना।
 - 2 निर्गमन का व्यय लेखा तैयार करना
 - 3 निर्गमन का समय तय करना
 - 4 सार्वजनिक निर्गमन का विपणन करना
 - 5 कम्पनी को निर्गमन से संबंधित रजिस्ट्रार, अभिगोपक, दलाल, बैंकर, विज्ञापन एजेन्सियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देना।
 - 6 सार्वजनिक निर्गमन में लगी हुई विभिन्न एजेन्सियों को दिशा निर्देश देना।
- 2 **निर्गमन रजिस्ट्रार (Issue Registrar):** नये निर्गमन की सफलता के लिए निर्गमन रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी की जाती है। निर्गमन रजिस्ट्रार को अपनी सुविधा के लिए आधारभूत संरचना पर ध्यान देना पड़ता है और इसके लिए कम्प्यूटर, टेलिफोन, इन्टरनेट एवं अन्य संसाधनों का प्रबंध करना पड़ता है। सामान्य तौर पर रजिस्ट्रार विभिन्न केन्द्रों से अंश आवेदन पत्र एवं चैक प्राप्त करता है एवं स्कन्ध विनिमय केन्द्र को आवंटन के लिए सिफारिश करता है। कुछ समय पश्चात् रजिस्ट्रार अंश प्रमाण पत्र संबंधित अंशधारियों को भेजने के लिए तैयार करता है। अंश प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य दस्तावेज भी कम्पनी को वापस कर देता है। निर्गमन रजिस्ट्रार अंश निर्गमन रिकार्ड कम से कम छः माह तक अपने पास रोक कर रख सकता है जिससे कि निवेशक को कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण किया जा सके।
- 3 **निर्गमन के बैंकर (Bankers of Issue):** नये निर्गमन में मर्चेन्ट बैंकर की भागीदारी मुख्य रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में अंश आवेदन फार्म एवं आवेदन पत्र की राशि एकत्र करने का कार्य बैंकर के माध्यम से किया जाता है। इन कार्यों के बदले में बैंकों को कमीशन दिया जाता है। यदि निर्गमन की लागत अधिक है तो एक से अधिक बैंकों की सेवाएँ ली जा सकती हैं। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से आवेदन फार्म एकत्र करने का कार्य भी करता है। बैंक दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई जैसे महानगरों में अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से आवेदन करता है। बैंकर जनता के बीच निवेश का वातावरण तैयार कर कम्पनियों के अंशों को क्रय करने की प्रेरणा भी देते हैं। बैंकर की सक्रिय भागीदारी भी निर्गमन की सफलता की बढ़ाती है।
- 4 **अभिगोपक (Underwriter):** नये निर्गमन के लिए अभिगोपक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निर्गमन की बिक्री के लिए अभिगोपक उत्तरदायित्व वहन करता है यदि नये निर्गमन का क्रय कम हुआ तो अभिगोपक स्वयं निर्गमन क्रय करके कम्पनी को चिंतामुक्त कर सकता है। अभिगोपक को अभिगोपन सम्बन्धी कार्य करने पर अधिकतम निर्गमन मूल्य की 2.5 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है। अभिगोपक मान्यता प्राप्त स्टॉक ब्रोकर या वित्तीय संस्थाएँ एवं बैंक होते हैं। इनके अन्तर्गत मुख्य तौर पर व्यापारिक बैंक, मर्चेन्ट बैंकर्स,

भारतीय आयात-निर्यात बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्कन्ध विनिमय केन्द्र के सदस्य एवं निजी साझेदारी फर्म अभिगोपन संबंधी कार्य करती हैं।

कम्पनियों के द्वारा अभिगोपनकर्ताओं की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही अभिगोपनकर्ताओं के पिछले रिकार्ड, अनुभव, सफलता एवं उपलब्धियों को भी ध्यान में रखा जाता है एवं उनके पिछले कार्योंनुभवों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि किसी अभिगोपक का पूर्व रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसे अभिगोपक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाती है एवं निर्गमन की समाप्ति के पश्चात् अभिगोपकनकर्ताओं को बेचे हुए अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में सूचित किया जाता है कि वे इन्हें प्राप्त कर लें। यदि कोई अभिगोपक इनका भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कम्पनी अभिगोपक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है।

- 5 **विज्ञापन एजेंसी (Advertising Agencies)**- नये निर्गमन के प्रवर्तक के संबंध में विज्ञापन एजेंसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन एजेंसियों का पूर्व कार्यानुभवों का अध्ययन सतर्कतापूर्वक किया जाता है एवं विज्ञापन की लागत के आधार पर विज्ञापन एजेंसी का चुनाव किया जाता है। निर्गमन की सफलता के लिए समाचारपत्र, मेगजीन, होर्डिंग्स, प्रेस रिलीज आदि मीडिया के साधनों का चुनाव किया जाता है।
- 6 **वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions)**: नये निर्गमन में वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी मुख्य होती है। ये संस्थाएँ अभिगोपन, प्रविवरण तैयार करना, सावधि ऋण उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में ICICI, LIC, GIC, UTI, IDBI, IFCI आदि वित्तीय संस्थाएँ भाग लेती हैं।
- 7 **सरकारी एवं नियामक एजेंसियाँ (Government and Regulatory Agencies)** - सार्वजनिक निर्गमन के समय विभिन्न सरकारी नियामक संस्थाएँ भी कार्य करती हैं। ये संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :
 - 1 सेबी (SEBI)
 - 2 कम्पनी रजिस्ट्रार
 - 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
 - 4 स्कन्ध विनिमय केन्द्र
 - 5 औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिकारी
 - 6 औद्योगिक विकास कौंसिल
 - 7 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड
 - 8 केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्राधिकरण

8.7 नये निर्गमन बाजारों की समस्याएँ (Problems of the New Issue Market)

नये निर्गमन बाजारों की विभिन्न समस्याओं को निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :-

- 1 **कोष की गतिशीलता में कमी (Lack of Mobility of Funds)**: नये निर्गमन बाजार में कोष की गतिशीलता नहीं पाई जाती है, क्योंकि घरेलू बचत के केवल 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत भाग को ही अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों में विनियोजित करने में सफलता मिलती है। कम्पनियों को अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में निजी या वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
- 2 **संस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रभाव (Effect of Institutional Activities)**: नये निर्गमन बाजारों पर संस्थानों द्वारा विनियोजन के लिए अपनाये जा रहे साधनों का प्रभाव भी पड़ता है। नये निर्गमन के लिए

बाजार विकसित किये गये हैं किन्तु मर्चेन्ट बैंकिंग जैसे साधनों का प्रभाव नगण्य रहा है। बैंकों ने भी कोई विकासात्मक भूमिका नहीं निभायी, साथ ही प्रबन्धकीय, तकनीकी, साहसिक पक्ष की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। मर्चेन्ट बैंकिंग के नकारात्मक प्रभाव के कारण विनियोक्ता कम्पनियों से दूर होते चले गये।

- 3 **धन की सुरक्षा (Safety of Money):** नये निर्गमन में धन की सुरक्षा का तत्त्व भी महत्वपूर्ण होता है। समता अंशों की तुलना में ऋणपत्रों में विनियोजन अधिक सुरक्षित माना जाता है। पूर्वाधिकारी अंशों में परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंशों की मांग अधिक रहती है।
- 4 **ऊँचा सममूल्य (High par-value):** पिछले वर्षों में समता अंशों का मूल्य ऊँचा रखा गया है। जिसके कारण विनियोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। छोटी कम्पनियों ने अधिक अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए ऊँचे मूल्यों पर समता अंशों का निर्गमन किया है।
- 5 **अनावश्यक खर्चे (Unnecessary Expenses):** विनियोक्ताओं को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशि विनियोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार के अनावश्यक व्यय झेलने पड़ते हैं। चूंकि बैंक संग्राहक केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं तो विनियोक्ता से सन् 1992 से नये निर्गमित अंशों के लेने के विद्यमान अंशधारियों के प्राथमिकता अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब नये अंश सभी को समान रूप से लेने का अधिकार है।

8.8 नये निर्गमन बाजार में कोष की मात्रा (Volume of Funds in New Issue Market)

नये निर्गमन बाजार में कोष की गतिशीलता जितनी अधिक होगी जनता का प्रतिसाद उतना अधिक पक्ष का होगा। इसी तरह पूंजी बाजार निर्गमीय क्षेत्रों से पूंजी प्रवेश की मान्यता से भी नये निर्गमन बाजार में कोष उपलब्ध होता है। कई विकास निगमों द्वारा देश स्तर पर एवं राज्य स्तर पर वित्तीय सहायता स्वीकृत कर वितरित करायी गई है, इसका प्रभाव भी पड़ा है। ऐसे निगमों में यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा कम्पनी है। इनके द्वारा ऋण पत्र, राइट्स निर्गमन की संख्या अधिक रही है।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. नये निर्गमन बाजार में कोष की मात्रा को समझाइये।
2. निम्न को समझाइये —
 - (A) अभिगोपक
 - (B) निर्गमन के बैंक

8.9 नये निर्गमन बाजार में सुधार (New Issue Market Reforms)

नये निर्गमन बाजारों के दोषों को दूर करने के लिए सेबी ने कुछ मुख्य दिशा-निर्देश दिये हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

- 1 सभी ऐसी कम्पनियों के लिए यह आवश्यक है कि नये निर्गमन करते समय जोखिम तत्वों को जनता के समक्ष लायें। जनता को केवल 25 प्रतिशत निर्गमन निर्धारित किया गया है।
- 2 पूंजी प्राप्त करने में झूठे मिथ्या या कपटपूर्ण विज्ञापन नहीं होने चाहिए।
- 3 अंश आवंटन आनुपातिक होना चाहिए।
- 4 जनता के लिए निर्गमित अंशों के लिए अति अभिदान होने पर निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 5 सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्गमित बाण्ड्स नियामक प्राधिकरण के अन्तर्गत रहेंगे।

- 6 अनिवासी भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों के लिए विनियोग की शर्तें शिथिल की गई हैं, विदेशी विनियोग संस्थाएँ पंजीकरण के पश्चात् ही विनियोग करेगी।
- 7 सेबी ने सभी स्कन्ध विनिमय केन्द्रों को निर्देशित किया है कि सार्वजनिक निर्गमन होने पर 1 प्रतिशत राशि अपने पास जमा करवायें तथा सूचीयन अनुबन्ध का पालन न करने पर निर्धारित 3 माह के भीतर आवंटन करने की दशा में यह राशि जब्त की जा सकेगी।
- 8 कम्पनी निगम बन्द होने के पश्चात् 30 दिन के अन्तर्गत आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ले अन्यथा उसे 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। अधिकार निर्गम के पूर्व कम्पनी रजिस्ट्रार की अनुमति लेनी पड़ेगी। मर्चेन्ट बैंकिंग के रूप में कार्य करने वाली कम्पनियों पर नियंत्रण रखा जायेगा।

8.10 प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार में संबंध (Relationship between Primary Market and Secondary Market)

प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार में आपसी संबंध है। इनके बीच संबंधों को निम्नानुसार बताया गया है -

- 1 **तरलता प्रदान करना (Provide Liquidity)** - प्राथमिक बाजार, सहायक बाजार पर निर्भर करता है। सहायक बाजार के बिना प्राथमिक बाजार कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सहायक बाजार प्राथमिक बाजार में निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करते हैं। सहायक बाजार में विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों को तरलता के कारण ही उचित मूल्य प्राप्त होता है।
- 4 **स्कन्ध विनिमय केन्द्र की गतिविधियाँ (Activities of Stock Exchange):** प्राथमिक स्कन्ध विनिमय केन्द्र की गतिविधियाँ सहायक बाजार में संचालित होती हैं। कम्पनी को अपनी सूचीयन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। स्कन्ध विनिमय केन्द्र के नियम, उपनियम एवं प्रावधानों का पालन कम्पनी को करना पड़ता है।
- 5 **निवेशों की सुरक्षा (Safety of Investment):** प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार न दिया जाता है। प्राथमिक बाजार निदोनों में विनियोग की सुरक्षा पर ध्यावेशकों एवं कम्पनी के बीच सम्पर्क स्थापित करता है। सहायक बाजार में निवेशकों को नये निर्गमनों में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कन्ध विपणन में कम्पनी एवं बचतकर्ता अप्रत्यक्ष रूप में सम्पर्क स्थापित करके विद्यमान प्रतिभूतियों में सौदे करते हैं।
- 6 **भाग लेने वाली संस्थाएँ (Participating Institutions):** बाजार में प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार दोनों पर ही बाजार की दशाओं, माँग एवं पूर्ति पर मुद्रास्फीति, व्यापारिक चक्र, मूल्यों में उच्चावचन, ब्याज दर, निवेश की मात्रा आदि का प्रभाव पड़ता है। दोनों बाजारों की कार्यप्रणाली एवं संगठनात्मक ढांचा अलग होता है फिर भी सहायक बाजार की गतिविधियों से प्राथमिक बाजार प्रभावित होता है।

8.11 सारांश (Summary)

प्राथमिक बाजार पूंजी बाजार का वह हिस्सा है जहाँ पर प्रतिभूतियाँ यथा अंश, ऋणपत्र, बॉण्ड्स इत्यादि कम्पनी द्वारा पहली बार निर्गमित की जाती है या पुरानी कम्पनी के द्वारा अतिरिक्त निर्गमन किया जाता है। सार्वजनिक कम्पनी अपने अंश, ऋणपत्र सार्वजनिक रूप से जनता को निर्गमन करती है एवं निजी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से निर्गमन है। प्राथमिक बाजार के तीन कार्य प्रारम्भिक कार्य, अभिगोपन कार्य एवं वितरण सम्बन्धी कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य में प्रारंभिक अनुसंधान एवं निर्गमन सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करना आता है।

नई प्रतिभूतियों के विक्रय की विधियाँ निम्न है -

1. प्रविवरण द्वारा निर्गमन
2. विक्रय के लिए प्रस्ताव

3. निजी स्थापन
 4. अधिकार अंशों का निर्गमन
- निर्गमन बाजार से संबंधित एजेन्सियाँ**

1. निर्गमन के प्रबंधक
2. निर्गमन रजिस्ट्रार
3. निर्गमन के बैंकर
4. अभिगोपक
5. विज्ञापन एजेन्सी
6. सरकारी एवं नियामक एजेन्सियाँ
7. वित्तीय संस्थाएँ

प्राथमिक बाजारों की समस्याएँ

1. कोष की गतिशीलता में कमी
2. संस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रभाव
3. धन की सुरक्षा
4. अनावश्यक खर्चे

प्राथमिक एवं सहायक बाजार में संबंध

1. तरलता प्रदान करना
2. स्कन्ध विनिमय केन्द्र की गतिविधियाँ
3. निवेशों की सुरक्षा
4. भाग लेने वाली संस्थाएँ

8.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस पाठ में हमने पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार के अंश निर्गमन, उनके क्रय-विक्रय की विधियों, अधिकार अंशों के निर्गमन, नये अंशों से सम्बंधित एजेंसियों, नये निर्गमन की समस्याओं, नये निर्गमन की मात्रा इत्यादि के बारे में अध्ययन किया गया। हमने निर्गमन के सुधार, प्राथमिक व द्वितीय बाजार के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की।

8.13 शब्दकोष (Glossary)

- LIC- Life Insurance Corporation of India
- UTI - Unit Trust of India
- IDBI - Industrial Development Bank of India
- IFCI - Industrial Finance Corporation of India
- ICICI - Industrial Credit and Investment Corporation of India

8.14 स्वपरख प्रश्न (Self Examination Questions)

- 1 प्रतिभूतियों से आप क्या समझते हैं?
- 2 अधिकार अंशों का निर्गमन क्या होता है।

- 3 नये निर्गमन बाजार में कोष की मात्रा क्या होती है।
 - 4 पूंजी बाजार का अर्थ बताइए।
 - 5 पूंजी बाजार में भाग लेने वाली संस्थाओं से आप क्या समझते हैं?
 - 6 पूंजी बाजार के उपकरणों को समझाइए।
 - 7 प्रतिभूति बाजार को समझाइए।
 - 8 नये निर्गमन बाजार में प्रारंभिक कार्यों को बताइए।
 - 9 प्रविवरण निर्गमन द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय को बताइए।
 - 10 विक्रय के लिए प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं?
 - 11 निजी स्थापन क्या है? इसके लाभ एवं हानियाँ बताइए।
 - 12 अधिकार अंशों के उद्देश्य एवं लाभों को बताइए।
 - 13 नये निर्गमन बाजार से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
-

8.15 संदर्भ ग्रंथ (References)

- Kishore, M. Ravi, Financial Management, Taxmann Publications
 - Maheshwari, S.N. Management Accounting & Financial
 - Kishore, M. Ravi, Management Control Accounting : Taxmann Publications
 - रमेश बुक डिपो, प्रबंध लेखाकन : अग्रवाल एवं अग्रवाल
 - Financial Management: Text, problems and cases, Mc. Graw Hill
-

8.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Wealth Insight
 - H.T. India
 - Forbes
 - The Economist
 - Business to-day
-

8.17 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

- <https://corporatefinanceinstitute.com>
- <https://www.investopedia.com>
- <https://grow.in.primarymarket>
- <https://nsearchives.nseindia.com>

इकाई -9

सेकेंडरी बाजार

(Secondary Market)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 9.0 उद्देश्य
- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 शेयर बाजार / स्कन्ध विपणि का अर्थ एवं परिभाषाएँ
- 9.3 शेयर बाजार / स्कन्ध विपणि की विशेषताएँ
- 9.4 शेयर बाजार / स्कन्ध विपणि के कार्य
- 9.5 स्कन्ध विपणिया विनिमय केन्द्रों के लाभ
- 9.6 स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के की सीमाएँ या दोष
- 9.7 सहायक बाजार में वित्तीय साधन
- 9.8 भारत में अंश बाजार
- 9.9 स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार की प्रक्रिया
- 9.10 सारांश
- 9.11 अधिगम परिणाम
- 9.12 शब्दावली
- 9.13 स्वपरख प्रश्न
- 9.14 संदर्भ व ग्रंथ सूची
- 9.15 अन्य पठन सामग्री
- 9.16 वेब संसाधन/लिंक

9.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् विद्यार्थी स्कन्ध विपणि/शेयर बाजार/सहायक बाजार का परिचय, अर्थ, परिभाषाएँ, विशेषताएँ जान पाएंगे। साथ ही विद्यार्थी शेयर बाजार/सहायक बाजार के कार्य, लाभ, सीमाओं, वित्तीय साधन, कार्यरत संस्थाओं तथा स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका के बारे में भी जान पाएंगे।

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

सहायक बाजार जहां पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार को स्कन्ध विपणियाँ/शेयर बाजार (Stock Market) भी कहा जाता है। शेयर बाजार में वर्तमान प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय बिना किसी कठिनाई एवं देरी के हो जाता है। स्टॉक बाजार एक सुसंगठित बाजार है जहाँ सरकारी, अर्द्ध सरकारी या

अन्य सार्वजनिक निकायों के अंश एवं ऋणपत्रों का क्रय-विक्रय उच्चतम पारदर्शिता एवं सुरक्षा के साथ किया जाता है। द्वितीयक बाजार में सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, यूटीआई, अभिगोपक, उप दलाल, मर्चेन्ट बैंक, राष्ट्रीय स्कंध विनिमय(NSE), स्कंध विनिमय केंद्र, पट्टा वित्त कंपनी आदि सभी भागीदार होते हैं।

द्वितीयक बाजारमें, प्राथमिक बाजार में सम्मिलित संस्थाओं यथा-व्यापारिक बैंकर्स, वित्तीय संस्थाओं, म्यूच्युअल फंड, व्यक्तिगत निवेशकों के साथ-साथ दलाल भी सम्मिलित होतेहैं जिनके माध्यम से अंशोंएवं ऋणपत्रों का क्रय-विक्रय होता है।

वास्तव में द्वितीयक बाजार, निवेशकों को उनके अंशों व ऋणपत्रों में तरलता प्रदान करने के साथ ही प्राथमिक बाजार के विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना देता है।

चूंकि सहायक बाजार के सभी कार्य स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किए जाते हैं। अतः स्टॉक एक्सचेंज के कार्य ही सहायक बाजार के कार्य होते हैं। इस संबंध में गोरवाल समिति के अनुसार "स्कंध विनिमय केंद्र एक बाजार या सेवा का संगठन करता है जो जनता के क्रेता-विक्रेता के हितों के लिए कार्य करें तथा इसमें प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय निरंतर होता रहे।"

सी.डी. देशमुख के शब्दों में "स्कंध विनिमय केंद्र एक प्रतिभूति बाजार है जो प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय करनेमांग-पूर्ति के आधार पर उनका वास्तविक मूल्यांकन करने, प्रतिभूतियों के व्यवहारों में सुरक्षा प्रदान करने तथा मूल्यों में गतिशीलता लाने में सहायता करता है। यह बचतों को विनियोजित करता है।"

9.2 शेयर बाजार/स्कंध विपणि का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Stock Exchange)

द्वितीयक बाजार, जहाँ वर्तमान प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। इसे स्कंध विपणि या शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संगठित बाजार है जहाँ प्रतिभूतियों, अंशों और ऋणपत्रों का क्रय-विक्रय चाहे वह सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान की या अन्य सार्वजनिक निकायों की उच्च श्रेणी की पारदर्शिता एवं सुरक्षा के साथ किया जाता है।

साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जब कोई निवेशक अंश, ऋण पत्र या प्रतिभूतियों का क्रय सीधे उसके निगमनकर्ता से न करके किसी अन्य निवेशक से करता है तो इसे द्वितीयक बाजार का लेन-देन कहा जाता है।

प्राथमिक बाजार में मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं एवं व्यक्तिगत निवेशकों की भूमिका होती है जबकि द्वितीयक बाजार में उपरोक्त तो साथ हैं ही, मध्यस्थ भी शामिल होते हैं। द्वितीयक बाजार में मध्यस्थों की भूमिका अहम रहती है जैसे-स्कंध दलाल, उपदलाल, संरक्षक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, अंश हस्तांतरण एजेंट आदि।

वास्तव में द्वितीयक बाजार के द्वारा प्राथमिक बाजार का विकास अधिक सुविधाजनक रूप से हो पाता है। द्वितीयक बाजार ही प्राथमिक बाजार के निवेशकों को उनके अंशों एवं ऋणपत्रों में तरलता उपलब्ध कराने हेतु सतत बाजार के रूप में कार्य करता है।

परिभाषाएँ (Definitions)

स्कंध विपणि /शेयर बाजार की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :-

1. **प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 1956**[(Securities Contract (Regulation) Act, 1956, Section 2(i)3] के अनुसार, "स्कंध विपणि का आशय व्यक्तियों की ऐसी संस्था से है, जो समामेलित हो या

असमामेलित किंतु जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय या उनमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता करने तथा इसका नियमन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई है।"

2. **पायले (Pyle)** के अनुसार, "स्कन्ध विपणि वह बाजार है जहाँ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग या सट्टे के उद्देश्य से क्रय-विक्रय किया जाता है।"
3. **गस्टेनबर्ग (Gerstenberg)** के शब्दों में "स्कन्ध विनिमय केन्द्र सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का संगठित नीलामी बाजार है, जहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता अपने-अपने दलालों के माध्यम से प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए परस्पर संपर्क करते हैं।"

9.3 शेयर बाजार/स्कन्ध विपणि की विशेषताएँ (Characteristics of Stock Exchange)

स्कन्ध विपणि एक संगठित बाजार है, जहाँ उद्योग, निगम आदि पूँजी प्राप्त करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. यहाँ पर विद्यमान एवं स्वीकृत सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है।
2. स्कन्ध विपणि/ शेयर बाजार में सौदे उनके सदस्यों, पंजीकृत दलालों, उपदलालों एवं अधिकृत एजेंट के बीच में होते हैं।
3. यहाँ सभी कार्य, इसके संविधान में निहित नियमों एवं उपनियमों के अंतर्गत किये जाते हैं।
4. स्कन्ध विपणि/स्कन्ध विनिमय केंद्र में व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है। फर्म या कंपनी को सदस्य नहीं बनाया जाता है।
5. स्कन्ध विपणि में अंश, ऋणपत्र व प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय केंद्र में सूचीयन होने के बाद ही किया जाता है।
6. यहाँ प्रतिभूतियों के सौदे नकद या वायदे के आधार पर होते हैं।
7. स्कन्ध विपणि में सौदे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं।
8. स्कन्ध विपणि या शेयर बाजार प्रतिभूतियों के प्रतिदिन के मूल्य व सौदे की मात्रा को आम जनता में सभी सूचना प्रदान करता है।

9.4 शेयर बाजार/स्कन्ध विपणि के कार्य (Functions of Stock Exchange)

स्कन्ध विपणि/शेयर बाजार विनियोजकों, कम्पनियों, समाज एवं देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो कि निम्नलिखित हैं:-

1. **प्रतिभूतियों को तरलता एवं विपणन उपलब्ध कराना :** स्कन्ध विपणि केंद्र सूचीगत प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का एक सुविधाजनक स्थान है। शेयर बाजार के माध्यम से धारक अपनी इच्छानुसार प्रतिभूतियों को नकद में परिवर्तित कर सकते हैं। शेयर बाजार निवेशक को अंशों, ऋणपत्रों, प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के निरंतर सुविधा उपलब्ध कराता है।
2. **प्रतिभूतियों का चुनाव करने में सहायक :** स्कन्ध विनिमय केन्द्र से विनियोजकों को यह जानकारी मिलती रहती है कि उन्हें अपना धन किस प्रतिभूति में लगाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक बचत को संग्रहित करने का माध्यम है। इसके माध्यम से व्यक्तियों एवं संस्थाओं की धनराशि का सही निवेश हो पाता है।
3. **निवेश में सुरक्षा प्रदान करना :** स्टॉक एक्सचेंज निवेशक को उनके निवेश पर उच्चकोटि की सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि यहाँ लेनदेन सदस्यों के मध्य विभिन्न नियमों, उपनियमों एवं पारदर्शिता के साथ होता है। शेयर बाजार में केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन-देन की ही अनुमति होती है। साथ ही निवेशक कंपनियों को कुछ

- सूचनाएँ नियमित रूप से प्रेषित करनी होती है। स्कन्ध विपणि में अवैध सट्टेबाजी को भी विभिन्न नियमों से रोका जाता है। इस प्रकार यहाँ निवेशक का विश्वास मजबूत होता है और वह निवेश को प्रोत्साहित करता है।
4. **प्रतिभूतियों के सूचीयन की जानकारी :** स्कन्ध विपणि विनियोजकों को यह भी जानकारी उपलब्ध कराता है कि कौन सी प्रतिभूति सूचीयत(Listed) है या असूचीयत(Unlisted)। स्कन्ध विनियम केन्द्र से विनियोजकों को सूचीयत प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्यों की भी जानकारी मिलती है। निवेशक सूचीयत प्रतिभूतियों को बैंक में जमानत के रूप में रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।
 5. **पूँजी की गतिशीलता एवं पूँजी नियंत्रण में सहायक :** शेयर बाजार में सुरक्षित विनियोग होने से अंशों के निर्गमन बाजार को तेजी मिलती है जिससे व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रमों के निवेश को गतिशीलता मिलती है। सूचीबद्ध कंपनियों को आवश्यक मात्रा में पूँजी प्राप्त हो जाती है। आम जनता को बचत करने, निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज से व्यक्तियों, संस्थाओं की अतिरिक्त धनराशि उत्पादन एवं साहसिक उपयोग में लगाई जाती है।
 6. **प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण एवं हस्तान्तरणीयता में वृद्धि :** स्कन्ध विपणि केन्द्र कम्पनी की लाभांश दर, आर्थिक सुदृढ़ता, आय अर्जन क्षमता, कर चुकाने के बाद घोषित लाभ इत्यादि के आधार पर कम्पनियों की प्रतिभूतियों एवं अंशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करता है। मूल्य निर्धारण का लाभ कम्पनियों को मिलता है। स्कन्ध विनियम केन्द्र में प्रतिभूतियों की विपणनशीलता बढ़कर, उनकी हस्तान्तरणीयता बढ़ती है जो कंपनियों को दीर्घकालीन वित्त प्राप्ति में सहायक होती है।
 7. **व्यापारिक एवं आर्थिक स्थिति का सूचक :** शेयर बाजार किसी भी देश की व्यापारिक एवं आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। कम्पनियों के अंशों का मूल्य उस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितियों के साथ बहुत संवेदनशील होता है। अगर कोई देश आर्थिक रूप से संपन्न है तो अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है एवं देश में आर्थिक मंदी है तो अंशों की कीमत गिर जाती है। इस प्रकार शेयर बाजार देश की आर्थिक एवं व्यावसायिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।
 8. **समाज व देश के लिए विविध कार्य :** स्कन्ध विपणि व्यक्तिगत एवं संस्थाओं की बचत को बढ़ावा देकर औद्योगिक विनियोग में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इनसे कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकारों की प्रतिभूतियों से पूँजी का प्रवाह उद्योगों की ओर होता है तथा इस पूँजी प्रवाह से पूँजी निर्माण एवं देश का विकास होता है। इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज समाज एवं देश के लिए पूँजी रचना एवं आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

किसी एक व्यापारिक समाचार पत्र या दैनिक समाचार पत्र के व्यापार कॉलम को पढ़िए। समाचार पत्र में उस पेज एवं स्तम्भ को ढूँढ़िये जहाँ अपने देश के महत्वपूर्ण शेयर बाजार के विभिन्न सूचीयत कम्पनियों के अंश मूल्य दिए गए हों। अब किन्हीं दस कम्पनियों को चुनकर चार सप्ताह तक प्रतिदिन उनके अंशों के मूल्यों को लिखिए। इन दस कम्पनियों के अंशों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव का अवलोकन करिए। अब यह देखिए कि देश का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण एवं उस कम्पनी की आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार अंश मूल्य पर प्रभाव डालती है।

9.5 स्कन्ध विपणि या विनियम केन्द्रों के लाभ (Advantages of Stock Exchanges)

किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को स्कन्ध विपणि के माध्यम से मापा जा सकता है। जनता की बचतों के पूँजी निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी की उपलब्धता हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। हम यहाँ स्कन्ध विपणि से (क) निवेशकों (ख) कम्पनी तथा (ग) समाज एवं देश को होने वाले लाभों का अध्ययन करेंगे।

(क) निवेशकों को लाभ (Advantages to Investors) -

निवेशक स्कन्ध विपणि से निम्नांकित लाभ प्राप्त कर सकते हैं :-

1. **विनियोग हेतु स्थान एवं नियमित बाजार की उपलब्धि (Availability of Place and Regular Market for Investment) :** स्कन्ध विपणि के क्षेत्र में दलाल, उपदलाल लिपिक, जॉबर, तथा अन्य सलाहकार कार्य करते हैं जो विनियोगकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हैं कि वे कहाँ विनियोग करें ताकि वे अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये सभी लोग विनियोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर सेवाओं हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। नये निर्गमनों एवं पश्चातवर्ती निर्गमनों में अपनी बचतों का विनियोग उचित प्रतिभूतियों में करने हेतु स्कन्ध विपणि में 'सहायक बाजार' उपलब्ध होते हैं। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय की तात्कालिक उपलब्धता की सुविधा उचित एवं इच्छित समय पर प्राप्त कर सकते हैं।
2. **सुरक्षित विनियोग (Safe Investment) :** लेन-देन स्कन्ध विपणि के माध्यम से करने से सुरक्षित रहते हैं। अतएव प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी एवं भुगतान संबंधी कठिनाई की चिंता से निवेशक को मुक्ति रहती है। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय स्कन्ध विपणि में होने से धोखाधड़ी की संभावना नगण्य होने से जोखिम का डर नहीं रहता। समय-समय पर प्रकाशित होने वाली आवश्यक सूचनाओं से विनियोगकर्ता के हित सुरक्षित रहते हैं।
3. **तरलता एवं हस्तान्तरणीयता (Liquidity and Transferability) :** विनियोगकर्ता सूचीयतप्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त करके ही क्रय-विक्रय करता है अतः क्रय-विक्रय द्वारा विनियोजित प्रतिभूतियों को नकद में परिवर्तित कर सकता है। इन प्रतिभूतियों की तरलता एवं सुगम मूल्यांकन के कारण बैंक से सरलता से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रतिभूतियों को आवश्यकतानुसार क्रय-विक्रय द्वारा दूसरे पक्ष में हस्तान्तरित कर सकता है।
4. **विनियोग के मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करना (Implementation of Investment Guidelines) :** स्कन्ध विपणि में विनियोगकर्ताओं को उचित सलाह एवं मार्गदर्शन हेतु जनसंपर्क कार्यालय खोला हुआ है। विनियोग सुरक्षा एवं विनियोक्ता संरक्षण हेतु सूचीयन प्रतिभूतियों एवं उनसे सम्बन्धित बाजार मूल्य, जोखिम की मात्रा, विशेषज्ञों की राय, प्रतिवेदन आदि का प्रकाशन स्कन्ध विपणि द्वारा किया जाता है।

(ख) कम्पनी को लाभ (Advantages to Company)

कम्पनियों के दृष्टिकोण से स्कन्ध विपणिके निम्नांकित लाभों का अध्ययन हम करेंगे:-

1. **ख्याति एवं साख में वृद्धि (Improvement in Goodwill and Creditability):-**
जिन कम्पनियों की प्रतिभूतियों का स्कन्ध विनिमय केन्द्र में सूचीयन हो जाता है उनकी ख्याति तथा साख अन्य कम्पनियों की अपेक्षा अधिक होती है। सूचीबद्ध कम्पनियों की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ माना जाता है। अतः विनियोगकर्ता ऐसी कम्पनियों के प्रति अधिक आश्वस्त होकर विनियोग करता है, परिणाम स्वरूप ऐसी कम्पनियों की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भी अपेक्षाकृत बढ़ जाता है।
2. **विस्तृत बाजार की उपलब्धता (Availability of Wide Market):-**
सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बारे में पूरे विश्व के निवेशक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः निवेश के अवसर भी बढ़ जाते हैं।
3. **प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता (Stability in Security Prices):-**
सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन न होने से स्थिरता रहती है। अतएव विनियोगकर्ता ऐसी कम्पनियों में अधिक विनियोग करते हैं।

(ग) समाज एवं देश को लाभ (Advantages to Society and Country):-

1. **देश के पूँजी निर्माण में सहायक (Helpful in Capital Formation of Country) :** स्कन्ध विनिमय केन्द्र जनता को अपनी छोटी-छोटी बचतों को निवेश करने के लाभप्रद अवसर प्रदान करती है। जनता को यह लाभप्रद अवसर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जिन पर प्राप्त लाभांश को निवेशक पुनः निवेश कर देते हैं। इस प्रक्रिया से पूँजी निर्माण की प्रक्रिया सतत चालू रहती है।
2. **देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि (Improvement in Industrial Development of Country) :** प्रतिभूतियों के निरंतर क्रय-विक्रय से नवीन निर्गमन बाजार को सहायता मिलती रहती है अतः औद्योगिक क्रियाओं का विस्तार होता है जिससे औद्योगिक विकास में वृद्धि होती है। अलाभकारी उद्योगों से पूँजी निकालकर लाभकारी उद्योगों में पूँजी विनियोजन से संतुलित विकास भी होता है।
3. **स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक (Indicator of Healthy Economy) :** स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के माध्यम से लेनदेनों की मात्रा अधिक होने से अंशों के मूल्यों में गतिशीलता बनी रहती है। यह गतिशीलता स्वस्थ अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करती है। इसमें बड़े पैमाने पर वित्त की उपलब्धता से दीर्घकालीन, मध्यमकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति होने से परियोजनाओं को समय-समय पर पूरा किया जा सकता है। अतएव मजबूत औद्योगिक ढांचा स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सहायक सिद्ध होगा।
4. **सरकार को वित्त प्राप्ति में सहायक (Helpful to collect Finance for Government) :** सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विद्युत बोर्ड आदि बॉण्ड्स, ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियाँ स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के माध्यम से जारी कर वित्त प्राप्त करती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के माध्यम से होने से सरकार को ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा होती है।
5. **विदेशी पूँजी का आकर्षण (Attraction of Foreign Capital) :** अगर अनिवासी भारतीय भारत में प्रतिभूतियों के निवेश के इच्छुक हो तो स्कन्ध विनिमय केन्द्र में उपलब्ध सूचनाएँ विनियोग करने में सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार विदेशी पूँजी को आकर्षित किया जा सकता है।

9.6 स्कन्ध विनिमय केन्द्रों की सीमाएँ एवं दोष (Limitations and Disadvantages of Stock Exchange)

1. **कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव (Unnecessary Fluctuation in Prices) :** निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों, अप्रत्याशित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक घटनाओं में परिवर्तन के कारण प्रतिभूतियों की कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव आता रहता है जिससे कीमतों में अस्थिरता से विनियोग भी कम होता है।
2. **अत्यधिक सट्टेबाजी (Excessive Speculation) :** यद्यपि सट्टेबाजी शेयर बाजार संचालन के लिए लाभप्रद व्यवस्था मानी जाती है तथापि आवश्यकता से अधिक सट्टेबाजी अनुचित कार्य को बढ़ावा देती है। सट्टेबाज न तो माल की सुपुर्दगी का लेन-देन करते हैं और ना ही कीमतों का आदान-प्रदान करते हैं बल्कि मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान कर हिसाब-किताब चुकता कर देते हैं। अतः सट्टेबाज अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों का लाभ उठाते हुए प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करते हैं।
3. **विकास में बाधा (Hurdles in Development) :** स्कन्ध विनिमय केन्द्र के सौदों को कई बार संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यहां कई सौदे सट्टेबाजी पर आधारित होते हैं। कई सौदों की प्रविष्टि नहीं हो या

कपटपूर्ण व्यवहार हो तो निवेशक निवेश करने में पीछे हट जाते हैं। परिणाम स्वरूप वित्त की कमी से विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

4. **कम्पनी की ख्याति प्रभावित होना (Impact on Goodwill of the Company) :** स्कन्ध विनिमय केन्द्रों में प्रतिभूतियों का मूल्य प्रकाशित किया जाता है। अगर कम्पनी की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य कम है तो कम्पनी को पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई होगी इसके विपरीत यदि बाजार मूल्य अधिक है तो कम्पनी को सरलता से पूँजी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार स्कन्ध विनिमय केन्द्र में प्रकाशित बाजार मूल्य से कम्पनी की ख्याति प्रभावित होती है।

9.7 सहायक बाजार में वित्तीय साधन (Financial Instruments in Secondary Market)

अब तक हम जान चुके हैं कि द्वितीयक या सहायक बाजार में पहले से क्रय की हुई अथवा विद्यमान प्रतिभूतियों का ही क्रय-विक्रय किया जाता है। हम यहाँ पर अंश, ऋणपत्र, ब्रांड्स, सरकारी प्रतिभूति एवं वित्तीय व्युत्पन्न के संबंध में अध्ययन करेंगे:

1. **अंश (Shares):-** लेन-देन में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली प्रतिभूति अंश है जो सामान्यतः निम्नांकित होते हैं:-

(अ) **समता अंश (Equity Shares):** सामान्य रूप में ऐसे अंश जो अधिमान अंश नहीं हैं, समता अंश कहलाते हैं। कम्पनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी ही होते हैं जिन्हें उनके द्वारा धारण किए गए अंशों के अनुपात में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त होता है। समता अंश पूँजी का निर्धारण कम्पनी के आर्थिक ढांचे पर निर्धारित होता है। कम्पनी की सभा में उपस्थित होने के साथ-साथ समता अंशधारियों को मत डालने का भी अधिकार होता है।

(ब) **अधिमान अंश (Preference Shares):** ऐसे अंश जिन्हें स्थाई दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है साथ ही कम्पनी के समापन के समय समता अंशों से पहले पूँजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन अंशधारियों को एक निश्चित समय अवधि के उपरान्त भुगतान करना आवश्यक होता है जिसे कम्पनी के लाभों में से अथवा नए अंशों के निर्गमन द्वारा अथवा दोनों में से किया जा सकता है। अधिमान अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अधिमान अंश सामान्यतः संचयी अधिमान अंश, असंचयी अधिमान अंश, अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, अनावशिष्टभागी अधिमान अंश, परिवर्तनीय अधिमान अंश, अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, संचयी परिवर्तनशील अधिमान अंश होते हैं।

(स) **बोनस अंश (Bonus Shares):** कभी-कभी कम्पनी के पास लाभ की मात्रा अधिक होती है ऐसी स्थिति में कम्पनी लाभों का पूँजीकरण बोनस अंश निर्गमन करके करती है। वर्तमान अंशधारियों को बिना प्रतिफल के उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में बोनस अंश आवंटित किए जाते हैं। ऐसे बोनस अंशों के आवंटन के फलस्वरूप कम्पनी के अंशों के बाजार मूल्य में कमी हो जाती है।

(द) **अधिकार अंश (Right Shares):** जब कोई कम्पनी किसी निर्धारित तिथि पर नए अंश जारी करने पर अपने ही वर्तमान अंशधारियों को इन नये अंशों को क्रय करने का प्रस्ताव देती है तो उसे अधिकार अंश निर्गमन कहा जाता है। इसका लाभ यह होता है कि कम्पनी को अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, जिससे खर्चों एवं समय में बचत होगी। ये अंश कम्पनी के अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में ही प्रस्तावित किए जाते हैं।

2. **ऋणपत्र (Debentures):** ऋणपत्र में ऋणपत्र स्कन्ध, बॉण्ड एवं कम्पनी का कोई भी अन्य प्रलेख शामिल है जो ऋण का प्रमाण प्रमाणित होता है चाहे उससे कम्पनियों की सम्पत्तियों पर भार उत्पन्न होता हो अथवा नहीं। ऋण के प्रमाण पत्र के रूप में जारी ऐसा प्रपत्र है जिस पर शोधन की तिथि एवं ब्याज दर अंकित होती है तथा लेनदारों से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त रखते हैं। ऋणपत्र रजिस्टर्ड, वाहक, सुरक्षित, असुरक्षित, परिवर्तनीय, अशोध्य, शोध्य, प्रथम एवं द्वितीय ऋणपत्र हो सकते हैं।
3. **गहन बट्टे वाले बंधक पत्र (Deep Discount Bonds):** विश्व की क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं द्वारा सर्वोत्तम दर्जा प्राप्त तरल एवं सुरक्षित बंधक पत्रों को सर्वप्रथम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किया गया था। एक अल्प निश्चित अवधि के उपरान्त इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।
4. **शून्य दर वाले पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र (Zero Interest Fully convertible Bonds):** ब्याज का भुगतान न करने से ये ऋणपत्र निर्गमित करना कम्पनी के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। इनके समापन के समय ब्याज का भुगतान करने की बजाय इन्हें साधारण अंशों में बदल दिया जाता है। अतः ब्याज दर पर लगने वाले कर की बचत निवेशकर्ता के लिए कर बचत (Tax Saving) वाले निवेश का फायदा प्रदान करती है।

9.8 भारत में अंश बाजार (Share Market in India)

सन् 1875 में भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से स्थापित किया गया। तत्पश्चात् 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, 1908 में कोलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किए गए। 1945 तक यह संख्या 21 हो गई। 1965 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट भारतीय शेयर बाजारों की मान्यता एवं नियमन हेतु पारित किया गया। वर्तमान में देश में 25 स्कन्ध बाजार हैं इनमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (N.S.E) मुख्य रूप से मुंबई में स्थापित है जिसने 1992 में स्थापना के उपरान्त 1994 से पूरे देश में कार्य करना प्रारम्भ किया।

स्कन्ध विनियम की नियामक व्यवस्था प्रतिभूति अनुबन्ध अधिनियम 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड एक्ट, 1992 (सेबी), कंपनी अधिनियम 1956 तथा डिपॉजिटरी एक्ट 1996 चार विधान द्वारा नियमन किया जाता है।

स्कन्ध विनियम केन्द्र का प्रबन्ध एवं नियमन वित्त मंत्रालय, सेबी एवं स्कन्ध विनियम के गवर्निंग बॉडी के त्रिस्तरीय ढांचे द्वारा किया जाता है। भारत में तीन Demutualisation राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) तथा भारतीय अधिप्रदाता पटल शेयर बाजार (Over the counter exchange of India-OTCEI) कार्यरत हैं। प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1957 और सेबी के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान की जाती है। इस हेतु स्टॉक एक्सचेंज केन्द्र सरकार को निर्धारित प्रपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करता है। केन्द्र सरकार आवेदन पत्र की जांच कर पंजीयन की औपचारिकताओं के बाद व्यापार व जनहित में मान्यता प्रदान करेगी। अगर स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार सार्वजनिक हित के विपरीत हो तो मान्यता समाप्त की जा सकती है। मान्यता रद्द होने पर स्टॉक एक्सचेंज तीन माह के अन्दर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

9.9 स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार की प्रक्रिया (Procedure of Trading at Stock Exchange)

वर्तमान समय में स्कन्ध विपणि में प्रतिभूतियों का व्यापार किसी भी बाहरी सदस्य के द्वारा न होकर दलालों के माध्यम से होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। अपनी प्रतिभूतियों का स्टॉक एक्सचेंज में क्रय-विक्रय करने के

लिए उनका सूचीयन कम्पनियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में करवाना आवश्यक होता है। व्यापार की इस प्रक्रिया के निम्नांकित चरण होते हैं:

1. **दलाल का चयन (Selection of Brokers):** निवेशक अपनी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय हेतु सर्वप्रथम दलाल का चयन करते हैं, इस हेतु निवेशक अपने बैंकर को भी नियुक्त कर सकते हैं। दलाल ग्राहक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट होने के उपरान्त कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2. **आदेश देना (Placing an Order):** दलाल के चयन के उपरान्त ग्राहक प्रतिभूति के क्रय-विक्रय हेतु आदेश प्रदान करता है। दलाल उपयुक्त समय व परिस्थिति विशेष में किस कम्पनी में निवेश करना बेहतर है इसका मार्गदर्शन भी करता है। ग्राहक किस कम्पनी में कितने अंश किस मूल्य पर खरीदने या बेचने हैं से सम्बन्धित आदेश फोन, ईमेल आदि के द्वारा दलाल को देता है।
3. **दलाल द्वारा व्यापार (Trading by Broker):** क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा इच्छित मूल्य का उद्घरण करने पर दलाल द्वारा सौदा किया जाता है। सौदा बदला या भावी आधार पर भी हो सकता है तथा नकद आधार पर भी हो सकता है।
4. **निवेशक को सूचना (Information to Investor):** दलाल द्वारा निवेशक को सूचना दिए जाने पर क्रेता द्वारा भुगतान का प्रबन्ध किया जाता है।
5. **सौदे का पूर्ण होना (Completion of Transaction):** इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक प्रविष्टि समाशोधन गृह की सहायता से सभी सौदे सम्पादित किए जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

अंशों में व्यवहार करने के लिए दलाल से संपर्क कीजिए। अपना डीमेट खाता खुलवाइये अथवा खाता खोलने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कीजिए। तत्पश्चात दलाल के मार्गदर्शन में अथवा अन्य आवश्यक तरीकों से जानकारी प्राप्त कर अंशों के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए अथवा क्रय-विक्रय की प्रक्रिया को अपनाइये।

9.10 सारांश (Summary)

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सेकण्डरी बाजार जिसे स्कन्ध विपणि या शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा सुसंगठित बाजार है जहाँ विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय उच्च श्रेणी की पारदर्शिता के साथ किया जाता है। द्वितीय बाजार में केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही सुगमतापूर्वक क्रय-विक्रय होता है। सेकण्डरी बाजार स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार में उपलब्ध मांग व पूर्ति के द्वारा किया जाता है।

स्कन्ध विपणि से निवेशकों को विनियोग हेतु स्थान व नियमित बाजार की उपलब्धि, सुरक्षित विनियोग, तरलता एवं हस्तान्तरणीयता, विनियोग के मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करने जैसे लाभ प्राप्त होते हैं तो कम्पनियों को ख्याति व साख में वृद्धि, विस्तृत बाजार की उपलब्धता, प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थिरता जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। स्कन्ध विपणि से देश के पूँजी निर्माण में सहायता, देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि, स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक, सरकार को वित्त प्राप्ति में सहायक तथा विदेशी पूँजी का आकर्षण जैसे लाभ समाज व सरकार को प्राप्त होते हैं। स्कन्ध विनियम केन्द्रों से कीमतों में अनावश्यक उतार चढ़ाव, अत्यधिक सट्टेबाजी, विकास में बाधा तथा कम्पनी की ख्याति प्रभावित होने जैसे दोषों का भी सामना करना पड़ता है। सहायक वित्तीय बाजार में अंश, ऋणपत्र, गहन बट्टे वाले बंधक पत्र तथा शून्य दर वाले पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र जैसे वित्तीय साधन उपलब्ध हैं। भारत में 1875 में जहाँ पहला स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ आज इन स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 25 है। स्कन्ध विनियम केन्द्र का प्रबन्ध एवं नियमन वित्त मंत्रालय, सेबी एवं स्कन्ध विनियम केन्द्र की गवर्निंग बॉडी के त्रिस्तरीय ढांचे द्वारा किया

जाता है। प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1957 और सेबी के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार की प्रक्रिया में दलाल का चयन, आदेश देना, दलाल द्वारा व्यापार, निवेशक को सूचना एवं सौदा पूर्ण होना शामिल करते हैं।

9.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस अध्याय का अध्ययन करने के उपरान्त विद्यार्थी द्वितीयक बाजार के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें सीख सकेंगे –

2. स्कंध विपणि के बारे में अर्थ और विशेषताओं को समझ सकेंगे।
3. स्कंध विपणि के विभिन्न कार्यों जैसे प्रतिभूतियों का चुनाव करने में सहायक, प्रतिभूतियों को तरलता एवं विपणन उपलब्ध कराना, निवेश में सुरक्षा प्रदान करना आदि के बारे में जान सकेंगे।
4. विनिमय केन्द्रों से निवेशकों को, कम्पनी को, समाज एवं देश को होने वाले विभिन्न लाभों को समझ कर द्वितीयक बाजार की महत्ता को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे।
5. स्कन्ध विनिमय केन्द्रों की विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से स्वयं निवेश करने में दक्ष तथा अन्य निवेशकों को सलाह देने में सक्षम होंगे।

9.12 शब्दावली (Glossary)

- **द्वितीय बाजार या शेयर बाजार:-** एक ऐसा संगठित बाजार जो कि विभिन्न प्रतिभूतियों यथा अंश, ऋणपत्र, राजकीय प्रतिभूतियों को निरंतर क्रय-विक्रय हेतु स्थान उपलब्ध कराता है।
- **निवेशक:-** शेयर बाजार में एक ही डीमैट खाता खोलकर अंश, ऋणपत्र आदि प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं।
- **समता अंश:-** सामान्य रूप में ऐसे अंश जो अधिमान अंश नहीं है। कम्पनियों के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं जिन्हें मताधिकार होता है।
- **अधिमान अंश:-** जिन्हें स्थाई दर से लाभांश प्राप्त करने के अधिकार के साथ कंपनी के समापन के समय समता अंशों से पूर्व पूँजी प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है।
- **बोनस अंश:-** लाभों की मात्रा अधिक होने पर लाभों के पूँजीकरण हेतु वर्तमान अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में बिना प्रतिफल दिए जाने वाले अंश।
- **अधिकार अंश:-** वर्तमान अंशधारियों को निर्धारित तिथि पर नए अंश क्रय किए जाने वाले प्रस्तावित अंश।
- **ऋणपत्र:-** ऐसा प्रलेख जो ऋण का प्रमाण है जिस पर ब्याज दर व शोधन तिथि अंकित होती है।

9.13 स्वपरख प्रश्न (Self – Test Questions)

1. शेयर बाजार की परिभाषा दीजिए।
Define Share Market.
2. स्कन्ध विपणि का अर्थ एवं इसकी विशेषताएँ बताइए।
Discuss the meaning and characteristics of Stock market.
3. बचत को प्रोत्साहन व पूँजी निर्माण में शेयर बाजार की भूमिका बताइए।
Describe the role of share market in encourage of savings and capital formation.

4. स्कन्ध विपणि की परिभाषा दीजिए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
Define stock exchange and explain its functions.
5. स्कन्ध विपणि के क्या लाभ हैं?
What are the advantages of Stock Exchange?
6. स्कन्ध विपणि की सीमाओं का वर्णन कीजिए।
Describe limitations of Stock Exchange.
7. सहायक बाजार में कौन से वित्तीय साधन उपलब्ध है, वर्णन कीजिए।
What are the financial instruments available in Secondary market? Discuss.
8. स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए।
Explain the procedure of trading at stock exchange in brief.

9.14 संदर्भ व ग्रंथ सूची (References& Bibliography)

- देशमुख, सी.डी., उद्धृत द्वारा मिश्रा, त्रिपाठी, वित्तीय बाजार परिचालन, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 2018-19, पृष्ठ 7.1
- गोरवाला समिति, उद्धृत द्वारा मिश्रा, त्रिपाठी, वित्तीय बाजार परिचालन, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 2018-19, पृष्ठ 7.1
- गस्टर्नबर्ग, उद्धृत द्वारा मिश्रा, त्रिपाठी, वित्तीय बाजार, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 2018-19, पृष्ठ 7.2
- पायले, उद्धृत द्वारा मिश्रा, त्रिपाठी, वित्तीय बाजार, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 2018-19, पृष्ठ 7.2
- प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम 1956, उद्धृत द्वारा मिश्रा, त्रिपाठी, वित्तीय बाजार, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 2018-19, पृष्ठ 7.2

9.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- गोर्डन, नटराजन, अग्रवाल, 'भारतीय वित्तीय बाजार एवं सेवाएँ', हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई
- मिश्रा, त्रिपाठी, 'वित्तीय बाजार परिचालन', आर.बी.डी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, नई दिल्ली
- शर्मा, अग्रवाल, जैन, बंसल, 'व्यूहरचनात्मक वित्तीय प्रबंध', आर.बी.डी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर

9.16 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/secondary-market/>
- <https://groww.in/p/secondary-market>

इकाई -10

मर्चेट बैंकिंग

(Merchant Banking)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 10.0 उद्देश्य (Objective)
- 10.1 मर्चेट बैंकिंग का परिचय (Introduction to Merchant Banking)
- 10.2 मर्चेट बैंकिंग का इतिहास (History of Merchant Banking)
- 10.3 मर्चेट बैंकिंग का अर्थ (Meaning of Merchant Banking)
- 10.4 मर्चेट बैंकिंग की परिभाषाएँ (Definitions of Merchant Banking)
- 10.5 भारत में मर्चेट बैंकिंग का विकास (Development of Merchant Banking in India)
- 10.6 मर्चेट बैंकिंग के कार्य (Functions of Merchant Banking)
- 10.7 मर्चेट बैंकिंग की महत्वपूर्ण सेवाएँ (Important Services of Merchant Banking)
- 10.8 भारत में मर्चेट बैंकिंग की सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ (Institutions providing services of Merchant Banking in India)
- 10.9 मर्चेट बैंकिंग के सम्बन्ध में सेबी के मार्गदर्शन (SEBI's Regulatory Framework for Merchant Banking)
- 10.10 सारांश (Conclusion)
- 10.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 10.12 शब्दावली (Glossary)
- 10.13 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)
- 10.14 सन्दर्भ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)
- 10.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)
- 10.16 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Link)

10.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को मर्चेट बैंकिंग का परिचय, इतिहास, अर्थ, परिभाषाएँ, भारत में मर्चेट बैंकिंग, कार्य, महत्वपूर्ण सेवाएँ, सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएँ, मर्चेट बैंकिंग के सम्बन्ध में सेबी के मार्गदर्शन से अवगत कराना ही इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

10.1 मर्चेट बैंकिंग का परिचय (Introduction to Merchant Banking)

उधमियों को पूंजी प्रदान करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं, वे मर्चेट बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। भारत में सन् 1972 में व्यापारिक बैंको तथा वित्तीय संस्थानों को मर्चेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्थापित

बैंकिंग कमीशन ने सुझाव दिया था। बैंकिंग कमीशन के अनुसार व्यापारिक बैंक अपनी नियमित बैंकिंग सेवाओं के साथ मर्चेन्ट बैंकिंग की सेवाएँ भी प्रदान करवाये। यूँ तो मर्चेन्ट बैंकिंग की सेवाओं का शुभारंभ सन् 1970 में ग्रिन्डलाय्स एवं सिटी बैंक द्वारा किया गया था। भारत में मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत समय तक विदेशी बैंको ने अपना एकाधिकार बना रखा था। सन् 1980 में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधन कर भारतीय बैंको को मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करवाने का अधिकार दिया गया।

10.2 मर्चेन्ट बैंकिंग का इतिहास (History of Merchant Banking)

सर्वप्रथम मर्चेन्ट बैंकिंग संस्था ब्रिटेन में प्रारम्भ हुई थी। ब्रिटेन में मर्चेन्ट बैंक को 'स्वीकृति निर्गमन गृह' (Accepting Issuing House) के नाम से जाना जाता है व अमेरिका में इसी को 'विनियोग बैंक' (Investment Bank) कहा जाता है। सामान्यतः मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, तभी मर्चेन्ट बैंकिंग विदेशी व्यापार से सम्बंधित सेवाएँ प्रदान करवाता है। उदाहरण सोने-चांदी में व्यापार, यूरो मुद्रा बाजार (Euro Money Market) में सक्रियता लेना, अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध बनाना व सम्भालना आदि। वर्तमान में मर्चेन्ट बैंकिंग के कार्यक्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है व मर्चेन्ट बैंक वित्तीय मामलों में सलाहकार बनके आगे आया है। इन बैंको द्वारा कंपनियों व फर्मों का हस्तांतरण, विलय एवं प्रतिभूतियों के प्रवर्तन, विपणन, वितरण, प्रशासन आदि का कार्य भी करते हैं।

मर्चेन्ट बैंकिंग की क्रियाएँ बहुत व्यापक होती है, यह व्यापारिक बैंको से बहुत अलग होते हैं। मर्चेन्ट बैंक साधारण फीस लेकर बड़ी-बड़ी वित्तीय सलाह एवं विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। यह बैंक सामान्यतया थोक (wholesale) बैंकिंग व्यावसाय करता है। मर्चेन्ट बैंक बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाईयों के लिए विभिन्न कार्य करता है। उदाहरण स्कन्ध दलाल, प्रतिभूति निर्गमकर्ता, व्यापारिक बैंको के साथ 'नए निर्गमनो' करते हैं आदि।

10.3 मर्चेन्ट बैंकिंग का अर्थ (Meaning of Merchant Banking)

मर्चेन्ट बैंक 'निर्गमन गृह' होते हैं जो की अपनी सेवाएँ किसी बड़ी औद्योगिक परियोजना एवं निगमीय इकाई को नए उपक्रम की स्थापना, नई कम्पनीयों के नवीन प्रोजेक्ट के प्रवर्तन, नियोजन, सम्पादन आदि के लिए देते हैं। यह सेवाएँ मर्चेन्ट बैंक तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय और संगठनात्मक क्षेत्र के लिए सेवाएँ प्रदान करवाते हैं। यह बैंक परामर्श भी प्रदान करवाती है। मर्चेन्ट बैंक किसी कंपनी या संस्था की पुनर्संरचना, सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन, कंपनियों के विलय, अधिग्रहण या एकीकरण आदि का कार्य करते हैं।

10.4 मर्चेन्ट बैंकिंग की परिभाषाएँ (Definitions of Merchant Banking)

रंदम हाउस डिक्शनरी के अनुसार, "मर्चेन्ट बैंक एक ऐसा संगठन है जो निगम के लिए प्रतिभूतियों को अंडरराईट करता है और ऐसे ग्राहकों को विलय की सलाह देता है एवं व्यावसायिक उद्यमों के स्वामित्व दिलवाने में मदद करता है। ये संगठन कभी कभी बैंक होते हैं जो व्यापारी होते हैं जो बैंकिंग नहीं करते हैं। कभी-कभी यह संस्थान एक ऐसे घर होते हैं जो न तो व्यापारी होते हैं न ही बैंक होते हैं।"

चार्ल्स पी. किन्ड्लेबुर्गेर के अनुसार, "मर्चेन्ट बैंकिंग वाणिज्य से बैंकिंग का विकास करता है, जिसे अक्सर इंग्लैंड में एक लंबे मध्यवर्ती चरण का सामना करना पड़ता है जिसे मूल रूप से मर्चेन्ट बैंकिंग के रूप में जाना जाता है।"

सेबी (मर्चेन्ट बैंकर) नियम, 1992 के अनुसार, "एक मर्चेन्ट बैंकर को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रतिभूतियों को बेचने, खरीदने या सदस्यता लेने या प्रबंधक, सलाहकार के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करके या तो जारी प्रबंधन के व्यवसाय में लगा हुआ है। ऐसे मुद्दे प्रबंधन के सम्बन्ध में सलाहकार या कॉर्पोरेट सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना।"

10.5 भारत में मर्चेन्ट बैंकिंग का विकास (Development of Merchant Banking in India)

भारत में मर्चेन्ट बैंकिंग का विकास बीसवीं शताब्दी के अंत में हुआ है। कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्ण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयोजना वित्तीयन, पूंजी संरचना एवं साहसी पूंजी प्रदान करने हेतु सेवाएँ निष्पादित की जाती थी। आरम्भिक अवस्था में निजी वित्तीय दलाली उद्योग जगत हेतु भिन्न – भिन्न सेवाएँ प्रदान करते थे, जो मर्चेन्ट बैंकिंग का ही स्वरूप था। यद्यपि तात्कालीन समय मर्चेन्ट बैंकिंग का आधार बहुत छोटा था। देश के औद्योगिक विकास के साथ प्राथमिक पूंजी बाज़ार में भी वृद्धि हुई है। नई-नई कंपनियों की स्थापना एवं उनके पब्लिक इश्यू की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि व्यापारिक बैंको द्वारा पूंजी बाज़ार में मर्चेन्ट क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियों एवं आयोगों द्वारा भी देश में मर्चेन्ट बैंकिंग की आवश्यकता को प्रतिपादित किया जा रहा है। इस प्रकार देश में विगत तीन दशक से पूर्ण मर्चेन्ट बैंकिंग की शुरुआत हो गई है।

मर्चेन्ट बैंकिंग की गतिविधि औपचारिक रूप से, सन् 1967 में भारतीय पूंजी बाज़ार में शुरू की गई थी जब ग्रिंडलेज बैंक से लाइसेंस प्राप्त हुआ था। पूंजी मुद्दों के प्रबंधन के साथ शुरू हुई ग्रिंडलेज ने उत्पादन योजना और सिस्टम डिजाइन से लेकर बाज़ार अनुसंधान तक विविध वित्तीय सेवाओं के लिए उद्यमियों के उभरते वर्ग की ज़रूरतों को मान्यता दी। मर्चेन्ट बैंकिंग विशेष रूप से छोटे पैमाने की इकाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा, इसमें बड़ी और माध्यम आकार की कंपनियों को प्रबंधन स्थिरता सेवाएँ प्रदान करते हैं। ग्रिंडलेज बैंक के बाद, सिटी बैंक ने सन् 1970 में मर्चेन्ट बैंकिंग डिविजन की स्थापना की। डिविजन ने नई परियोजनाओं के मूल्यांकन में नए उद्यमियों और मोजूदा इकाइयों की सहायता करने और उधार लेने और equity जारी करने के माध्यम से धन जुटाने का कार्य भी करता है।

10.6 मर्चेन्ट बैंकिंग के कार्य (Functions of Merchant Banking)

1. **कॉर्पोरेट परामर्श:** यह गतिविधियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो वित्त के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अपनी अधिकतम क्षमता पर एक कॉर्पोरेट उद्यम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य पुरानी लाइन कंपनियों और बीमार इकाइयों का कार्याकल्प करना और विकास और विविधीकरण के क्षेत्रों / गतिविधियों का पता लगाने में इकाइयों का मार्गदर्शन करना है।

निम्नलिखित गतिविधियाँ कॉर्पोरेट परामर्श के भाग हैं:

- i. सरकार की आर्थिक और लाइसेंसिंग नीतियों के आधार पर विविधीकरण के क्षेत्र में दिशानिर्देश प्रदान करना।
- ii. उत्पाद लाइनों का मूल्यांकन करना, उनकी वृद्धि और लाभप्रदता का विश्लेषण करना और भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान लगाना।
- iii. पुरानी कंपनियों और बीमार इकाइयों को उनकी तकनीक और प्रक्रिया का मूल्यांकन करके, उनकी आवश्यकताओं का आकलन करके और उनके पूंजी आधार का पुनर्गठन करके उनका कार्याकल्प करना।
- iv. नैदानिक अध्ययन की कमीशनिंग।
- v. पुनरुद्धार की संभावनाओं का आकलन और वित्तीय और संगठनात्मक ढांचे के आधुनिकीकरण और विविधीकरण और सुधार के माध्यम से पुनर्वास की योजना बनाना।
- vi. वित्तीय राहत आदि से संबंधित पुनर्वास की योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों के अनुमोदन की व्यवस्था करना।
- vii. पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय संस्थानों से सॉफ्ट लोन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, और बैंक से अपेक्षित क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करना।

- viii. पुनर्वास योजनाओं की निगरानी
- ix. रुग्ण इकाइयों के अधिग्रहण की संभावनाओं की खोज करना और परिणामी व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना और वित्तीय संस्थानों/बैंकों और अन्य संबंधित हितों/प्राधिकारियों के साथ बातचीत करना।
- 2. **परियोजना परामर्श** : यह कॉर्पोरेट परामर्श का एक हिस्सा है और परियोजना वित्त से संबंधित है। यह मोटे तौर पर परियोजनाओं का अध्ययन करता है, इसके कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता और प्रक्रियात्मक कदमों पर सलाहकार सहायता प्रदान करता है।

निम्नलिखित गतिविधियाँ परियोजना परामर्श का हिस्सा हैं:

- i. परियोजना के विचारों/परियोजना प्रोफाइल की सामान्य समीक्षा करना।
- ii. परियोजना कार्यान्वयन के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर सलाह प्रदान करना।
- iii. अपने स्वयं के विशेषज्ञों या बाहरी सलाहकारों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता की समीक्षा करना।
- iv. परियोजना रिपोर्ट और बाजार सर्वेक्षण तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओ) के चयन में सहायता करना, या टीसीओ द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट या बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- v. वित्तीय दृष्टिकोण से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना, और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी सहमति प्राप्त करने सहित विभिन्न प्रक्रियात्मक कदमों पर सलाह देना और कार्य करना।
- vi. सरकारी एजेंसियों से आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंस, डीजीटीडी पंजीकरण और विदेशी सहयोग के लिए सरकारी अनुमोदन के रूप में अनुमोदन/लाइसेंस/अनुमति/अनुदान आदि प्राप्त करने में सहायता करना।
- vii. भारत में भारतीय परियोजनाओं में और विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए भारतीय उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
- viii. संभावित निवेश के रास्ते की पहचान करना।
- ix. सटीक पूंजी संरचना करना और वित्तपोषण के पैटर्न को आकार देना।
- 3. **पूर्व-निवेश अध्ययन**: विकास और लाभ की संभावनाओं के संदर्भ में पूंजी निवेश के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अन्वेषण करने से जुड़ी गतिविधियों को "पूर्व-निवेश अध्ययन" कहा जाता है।

इसकी निम्नलिखित गतिविधियाँ हैं:

- i. किसी दी गई परियोजना की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पर्यावरण और नियामक कारकों, कच्चे माल की आपूर्ति की स्थिति, मांग अनुमानों और वित्तीय आवश्यकताओं की गहन जांच करना।
- ii. लंबे समय में कॉर्पोरेट लाभप्रदता और विकास को बढ़ाने की दृष्टि से क्लाइंट की अंतर्निहित ताकत पर निर्मित उन परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने में क्लाइंट की सहायता करना।
- iii. भारत में संयुक्त उद्यमों में भाग लेने की इच्छुक विदेशी कंपनियों के लिए आवश्यक अध्ययन करना।
- iv. भागीदारी की सीमा, सरकारी नियामक कारकों और भारत में कुछ उद्योगों के पर्यावरण सम्बंधित सलाह सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करना।
- 4. **पूँजी पुनर्गठन सेवाएं**: परियोजनाओं को प्रभावी पूंजी संरचना के माध्यम से उनकी अधिकतम क्षमता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए और पूंजी आधार को व्यापक और पुनर्गठन करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का सुझाव देने के लिए संचालन में विविधता लाने और समामेलन, विलय या व्यवसाय की स्थिति में बदलाव के

लिए योजनाओं को लागू करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां हैं इसे सामूहिक रूप से" पूंजीगत पुनर्गठन सेवाओं "के रूप में जाना जाता है।

इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

- i. आवश्यक पूंजीकरण की सीमा निर्धारित करने के लिए ग्राहक कंपनी की पूंजी संरचना की जांच करना।
 - ii. पूंजी मुद्रों के नियंत्रक के लिए एक व्यापक ज्ञापन तैयार करना, और सहमति हासिल करना जहां पूंजीकरण बोनस शेयर जारी करने के माध्यम से होता है
 - iii. कानूनी आवश्यकता के अनुरूप एक वैकल्पिक पूंजी संरचना का सुझाव देना, जैसे कि रिजर्व के पूंजीकरण की सीमा और 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' द्वारा विनिवेश की मात्रा और/या फेरा कंपनियों के मामले में इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जैसे कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों के नए मुद्दे।
 - iv. शेयरों के मूल्यांकन और आवेदित प्रीमियम के स्तर को न्यायोचित ठहराते हुए ज्ञापन तैयार करना।
 - v. जहां प्रस्ताव में बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल है, वहां कर निहितार्थों की गंभीरता से जांच करना।
 - vi. रुग्ण इकाइयों के लिए आदर्श पूंजी पुनर्गठन का सुझाव देना और ग्राहक कंपनियों को 'व्यापार में नई पूंजी लाने की सीमा और साधन' पर सलाह देना।
 - vii. पूंजी पुनर्गठन में विलय, अधिग्रहण और समामेलन शामिल हो सकते हैं, जिसमें मौजूदा उत्पादन प्रणालियों और इकाइयों का आधुनिकीकरण या विविधीकरण शामिल है।
5. **क्रेडिट सिंडिकेशन** : बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भारतीय और विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के उद्देश्य से क्रेडिट खरीद और परियोजना वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों को सामूहिक रूप से 'क्रेडिट सिंडिकेशन' के रूप में जाना जाता है।

क्रेडिट सिंडिकेशन में शामिल गतिविधियाँ निम्न हैं:

- i. शुरू की जाने वाली परियोजना की कुल लागत का अनुमान लगाना।
 - ii. कुल परियोजना लागत के लिए एक वित्तीय योजना तैयार करना जो प्रमोटरों और उनके सहयोगियों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों, सरकारी एजेंसियों और अंडरराइटर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
 - iii. सावधि ऋणदाताओं/वित्तीय संस्थानों/बैंकों से वित्तीय सहायता के लिए ऋण आवेदन तैयार करना और पूर्व-स्वीकृति वार्ता सहित उनकी प्रगति की निगरानी करना।
 - iv. वित्तपोषण में भागीदारी के लिए संस्थानों और बैंकों का चयन करना।
 - v. वित्तीय संस्थानों और बैंक के साथ सावधि ऋण आवेदन का अनुवर्ती कार्रवाई, और भागीदारी के उनके संबंधित हिस्से के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
 - vi. ब्रिज फाइनेंस की व्यवस्था करना।
 - vii. भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा निर्धारित कानूनी दस्तावेज औपचारिकताओं, समझौतों को तैयार करने आदि में तेजी से संस्थानों द्वारा स्वीकृत सावधि वित्त के आहरण के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करना
 - viii. कार्यशील पूंजी सम्बंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना।
6. **निर्गम प्रबंधन और हामीदारी** : यह उन गतिविधियों को नोट करता है जो कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के प्रबंधन से संबंधित हैं। पूंजी बाजार से धन जुटाने के उद्देश्य से इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर और डिबेंचर की व्यवस्था करना।
7. **पोर्टफोलियो प्रबंधन** : एक कॉर्पोरेट उद्यम के नकद संसाधनों के विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित निर्णय लेना, मात्रा, समय और खरीदी जाने वाली सुरक्षा के प्रकार को तय करना" पोर्टफोलियो प्रबंधन "के रूप में जाना जाता है।

8. **कार्यशील पूंजी वित्त** : एक उद्यम के दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त को कार्यशील पूंजी वित्त के रूप में जाना जाता है। मर्चेन्ट बैंकर फर्म को अपने कामकाज को सुचारू करने के लिए दिन-प्रतिदिन के खर्चों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।
9. **स्वीकृति क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग** : ऐसे उपकरणों के बल पर व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण की उन्नति के अलावा, विनिमय के बिल की स्वीकृति और छूट से संबंधित गतिविधियों को सामूहिक रूप से "स्वीकृति क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग" के रूप में जाना जाता है।
10. **विलय और अधिग्रहण** : यह मर्चेन्ट बैंकर द्वारा प्रदान की जाने वाली एक विशेष सेवा है जो मात्रा और विचार की प्रकृति और अन्य मामलों के बारे में विशेषज्ञ मूल्यांकन की पेशकश करके अधिग्रहण और विलय की बातचीत की व्यवस्था करता है।
11. **वेंचर फाइनेंसिंग** : उच्च जोखिम और उच्च इनाम परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इक्विटी वित्तपोषण के रूप में विशेष रूप से डिजाइन की गई पूंजी को वेंचर कैपिटल के रूप में जाना जाता है।
12. **लीज फाइनेंसिंग** : एक मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधि जिसमें लीजिंग करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है, लीज फाइनेंसिंग के रूप में जानी जाती है। पट्टे में पट्टेदार द्वारा उपयोग के लिए एक विशेष समय अवधि के लिए पट्टे पर संपत्ति को बेचना शामिल है।
13. **विदेशी मुद्रा वित्त पोषण** : विदेशी व्यापार लेनदेन को निधि देने के लिए प्रदान किए गए वित्त को 'विदेशी मुद्रा वित्त' कहा जाता है। विदेशी मुद्रा वित्त का प्रावधान निर्यात-आयात वित्त, मुद्रा ऋण, विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम और विदेशी सहयोग का रूप लेता है।
14. **दलाली सावधि जमा** : मर्चेन्ट बैंकर उस राशि की गणना करते हैं जो एक कंपनी द्वारा जनता से जमा और शेयरधारकों से ऋण के रूप में जुटाई जा सकती है। इसके अलावा यह कंपनी को इस संबंध में सभी नियमों और विनियमों का पालन करने में मदद करता है और इस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखने में सहायता करता है।
15. **म्यूचुअल फंड** : संस्थाएं और एजेंसियां जो असंख्य निवेशकों की बचत को विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट और अन्य प्रतिभूतियों के उत्पादक निवेश में लगाने के उद्देश्य से जुटाती हैं, उन्हें 'म्यूचुअल फंड' कहा जाता है।
16. **बीमार उद्योगों को राहत** : मर्चेन्ट बैंक अपनी तकनीक का मूल्यांकन करके पुरानी लाइनों और बीमार इकाइयों का कायाकल्प कर रहे हैं, पुनर्वास पैकेज विकसित कर रहे हैं जो वित्तीय संस्थानों और बैंकों को स्वीकार्य हैं, विलय और समामेलन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, बीआईएफआर (BIFR) से अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करना (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) बीमार इकाइयों के लिए और पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, बीमार उद्योगों के विलय और समामेलन करना।
17. **परियोजना मूल्यांकन** : प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, उत्पादन क्षमता और संयंत्र के स्थान में वैकल्पिक रूपों के संदर्भ में औद्योगिक परियोजनाओं के मूल्यांकन को 'परियोजना मूल्यांकन' के रूप में जाना जाता है। परियोजना मूल्यांकन अपरिहार्य है क्योंकि संसाधनों की कमी है और संसाधनों की प्रतिबद्धता के लिए परियोजनाओं के संदर्भ में वैकल्पिक अवसर मौजूद हैं।

10.7 मर्चेन्ट बैंकिंग की महत्वपूर्ण सेवाएँ (Important Services of Merchant Banking)

मर्चेन्ट बैंकिंग की सेवाओं के अंतर्गत निगमित क्षेत्र में पूंजी प्रबंधन सम्बन्धी समस्त सेवाएँ ली जाती हैं। बैंको द्वारा विभिन्न निगमों एवं संस्थाओं को पूंजी संग्रहण हेतु प्रदान की गयी सेवाएँ मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएँ कहलाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाओं का वितरण इस प्रकार है –

1. **कंपनियों की स्थायी जमा राशि का प्रबंध:** मर्चेट बैंकिंग के अंतर्गत बैंको द्वारा विभिन्न कम्पनियों के लिए स्थायी जमा राशि के प्रबंध सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान की जाती है।
2. **ऑफ शेयर वित्त सम्बन्धी सेवाएँ:** व्यापारिक बैंकों द्वारा आयातकों एवं निर्यातकों को तटीय वित्तीयन किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा में ऋण, गारंटी आदि कार्य संपन्न किये जाते हैं।
3. **अंशों का अभिगोपन:** बैंको द्वारा अंशों के अभिगोपन सम्बन्धी समस्त सेवाएँ मर्चेट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत ही आती हैं। सेबी द्वारा जारी मार्ग दर्शक नीतियों के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए यह आवश्यक है की उसके अंशों का अभिगोपन अवश्य किया जाये।
4. **निर्गमन प्रबंधन सम्बन्धी सेवाएँ:** व्यापारिक बैंकों द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के निर्गमन प्रबंधन सम्बन्धी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं। इसमें प्रविवरण तैयार करना, अंशों के अभिगोपन, स्टॉक एक्सचेंज सम्बंधित कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।
5. **कॉर्पोरेट सलाह:** मर्चेट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा निगम जगत को भिन्न-भिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं उसमें कार्यशील पूँजी व्यवस्था सम्बन्धी सलाह, वित्तीय विश्लेषण कार्य, विनियोग सम्बन्धी सलाह आदि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
6. **अन्य सेवाएँ:** उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त मर्चेट बैंकों द्वारा पोर्टफोलियों सम्बन्धी सेवाएँ, प्रवासी भारतीयों के विनियोग सम्बन्धी सेवाएँ, कंपनियों के विलीनीकरण एवं हस्तान्तरण सम्बन्धी सेवाएँ, ऑफ शेयर वित्तीयन सम्बन्धी सेवाएँ आदि प्रदान की जाती हैं।

10.8 भारत में मर्चेट बैंकिंग की सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ (Institutions providing services of Merchant Banking in India)

1. **व्यापारिक बैंक (Commercial Bank)** – मर्चेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1972 में ऐसी सेवाएँ देने के लिए अपने यहाँ एक विभाग बनाया था। तत्पश्चात कई अन्य व्यापारिक बैंकों ने यह सेवाएँ प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ किया। इनमें प्रमुख केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, ICICI, IDBI बैंक एवं सहायक कंपनियों – S.B.I Capital Market Ltd. (SBICAP), केनफिन (Canbank Financial Services Ltd.), BOB FISCAL (Bank of Baroda Fiscal Services Ltd.) हैं।
2. **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ (All India Financial Institutions)** – मर्चेट बैंकिंग के क्षेत्र में विकास बैंक (Development Bank) तथा औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI) बैंक वर्ष 1974 से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की सेवाएँ भी प्रदान कर रहे हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की सेवाएँ भी दी जा रही हैं; जैसे– प्रोजेक्ट कोउन्सेल्लिंग, ऋण संघटन, पट्टा वित्त (Lease Financing), प्रतिभूति निर्गमन प्रबंधन, उधमियों को पूँजी सहायता आदि। IDBI बैंक एवं I.F.C (Indian Financial Corporation) आदि भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
3. **तकनीकी परामर्शदात्री संगठन (Technical Consultancy Organisation)** – इस प्रकार के संगठन देश के प्रत्येक राज्य में स्थापित किये गये हैं जो की छोटी एवं मध्यम आकार की इकाइयों को मर्चेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। मर्चेट बैंकिंग स्कन्ध विनिमय के उतार-चढ़ाव के साथ रही है। 1994 – 96 वर्ष में स्कन्ध विनिमय में उछाल के साथ कई मर्चेट बैंक स्थापित हुए हैं किन्तु बाद में व्यावसाय से बाहर हो गये। भारत में मर्चेट बैंकिंग सेबी से नियंत्रित होते हैं।
4. **निजी परामर्शदात्री फर्म (Private Consultancy Firms)** – मर्चेट बैंकिंग व्यावसाय में कई निजी परामर्शदात्री फर्म कार्य कर रही हैं। इन फर्मों में Credit Capital Finance Corporation Ltd., J.M.

Financial and Investment Services Ltd., DSP Financial Consultant प्रमुख हैं। ये फर्म अनिवासियों को सलाह देने, अंतर्राष्ट्रीय वित्त में सहायता करने, कम्पनी की स्थायी जमा योजना में प्रबन्धकीय सेवा प्रदान करने, प्रतिभूतियों के निजी क्षेत्र में सहायता देने, अन्तर-निगम विनियोजन पर सलाह देने आदि का कार्य कर रही हैं।

स्व-मूल्यांकन –प्रथम

1. मर्चेन्ट बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो मुद्रा बाजार की गतिविधियों का संचालन करता है और :
 - (a) उधार
 - (b) हामीदारी और वित्तीय सलाह
 - (c) निवेश सेवा
 - (d) उपरोक्त सभी
2. भारत में औपचारिक व्यापारी बैंकिंग गतिविधि की शुरुआत हुई :
 - (a) 1978
 - (b) 1969
 - (c) 1769
 - (d) 1987
3. भारत में, मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधि की शुरुआत किसके द्वारा स्थापित मर्चेन्ट बैंकिंग डिवीजन से हुई थी :
 - (a) बार्कलेस बैंक
 - (b) ग्राइंड लेस बैंक
 - (c) यस बैंक
 - (d) इनमें से कोई नहीं
4. मर्चेन्ट बैंक की विकासात्मक गतिविधियाँ :
 - (a) हमेशा के लिए धन के स्रोत
 - (b) उद्योग और व्यापार का विस्तार
 - (c) आपूर्ति और मांग के बीच बढ़ती खाई को पाटना संभव नहीं है
 - (d) उपरोक्त सभी

उत्तर – (1) d (2) b (3) b (4) d

10.9 मर्चेन्ट बैंकिंग के सम्बन्ध में सेबी के मार्गदर्शन (SEBI's Regulatory Framework for Merchant Banking)



- A. परिचालन दिशानिर्देश** - :सेबी ने पात्र मर्चेट बैंकरो द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:
- 1. प्रस्ताव दस्तावेज जमा करना** : 20 करोड़ तक के निर्गम आकार का दस्तावेज प्रस्ताव मर्चेट बैंकर द्वारा बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ दायर किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में जारीकर्ता कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है। क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय का क्षेत्राधिकार अनुसूची XXII के अनुसार होगा।
 - 2. निर्गम सामग्री का प्रेषण** :अग्रणी मर्चेट बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षण होता है, तो इश्यू खोलने की तारीख से पहले प्रोस्पेक्टस की 10 प्रतियां 1000 आवेदन फॉर्म के साथ सीधे व्यक्तिगत रूप से संबोधित एक पत्र के साथ भेजी जाती हैं। सलाहकार (एन.आर.आई), भारतीय निवेश केंद्र, जीवन विहार बिल्डिंग, सनद मार्ग, नई दिल्ली।
 - 3. हामीदारी** :हामीदारों का चयन करते समय और हामीदारी व्यवस्था को अंतिम रूप देते समय, प्रमुख मर्चेट बैंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हामीदार स्वयं अधिक प्रतिक्रिया न दें क्योंकि उनकी हामीदारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।
 - 4. अनुपालन दायित्व** :मर्चेट बैंकर जारी करने के बाद निम्नलिखित दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
 - (i) संसाधन कर्मियों का संघ** :इन दिशानिर्देशों के अध्याय VII के खंड 7.1 के अनुसार, सार्वजनिक मुद्दों में अधिक सदस्यता के मामले में, बोर्ड आवंटन के आधार पर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए एसोसिएशन में एक जन प्रतिनिधि को नामित करता है।
 - (ii) निवेशक की शिकायतों का निवारण** :मर्चेट बैंकर निवेशक शिकायतों को उच्च प्राथमिकता देगा और शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए सभी निवारक कदम उठाएगा।
 - (iii) पोस्ट इश्यू मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना** :संबंधित लीड मर्चेट बैंकर इन दिशानिर्देशों के अध्याय VII के खंड 7.2 में निर्दिष्ट पोस्ट इश्यू मॉनिटरिंग रिपोर्ट की डुप्लिकेट में, नियत तारीखों से 3 कार्य दिवसों के भीतर, या तो पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करेगा या वितरित करेगा। उन्हें अनुसूची XXII में दिए गए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रधान कार्यालयों में।
 - (iv) अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) जारी करना** :स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग समझौते के अनुसार, जारी करने वाली कंपनियां कंपनी के जनता या मौजूदा शेयरधारकों को दी जाने वाली प्रतिभूतियों की राशि का 1% क्षेत्रीय स्टॉक के साथ जमा करेंगी। एक्सचेंज, बोर्ड से एनओसी जारी करता है।
 - (v) मर्चेट बैंकरो का पंजीकरण** :पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन मर्चेट बैंकर द्वारा सेबी (मर्चेट बैंकर) नियम और विनियम, 1992के विनियम 9 के अनुसार किया जाएगा; यह बताते हुए कि बोर्ड के पास प्रस्तुत सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - (vi) रिपोर्टिंग आवश्यकताएं** : (सेबी) मर्चेट बैंकर विनियम, 1992के विनियम 28 के अनुसार, मर्चेट बैंकर अपनी मर्चेट बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित, अर्थात 31 मार्च और प्रत्येक वर्ष का 30 सितंबर जो संबंधित अवधि की समाप्ति से 3 महीने के भीतर बोर्ड को पहुंच जाना चाहिए।
 - (vii) पेनल्टी पॉइंट्स का अधिरोपण** :परिचालन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए मर्चेट बैंकर पर पेनल्टी पॉइंट लगाया जा सकता है।
- B. विज्ञापन दिशानिर्देश:**
- 1. तथ्यात्मक और सत्य** :एक मुद्दा विज्ञापन सत्य, निष्पक्ष और स्पष्ट होगा और इसमें कोई भी कथन असत्य या भ्रामक नहीं होगा। ऑफ़र दस्तावेज में निहित जानकारी को पुनः प्रस्तुत करने वाला कोई भी विज्ञापन पूर्ण रूप से होगा और सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करेगा।
 - 2. स्पष्ट और संक्षिप्त** :एक स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने योग्य भाषा में विज्ञापन दिया जाएगा।

3. **लाभ का वादा** : एक निर्गम विज्ञापन में ऐसे बयान नहीं होंगे जो मुनाफे में तेजी से वृद्धि का वादा या गारंटी देते हैं।
4. **विज्ञापन का तरीका** : कोई भी मॉडल, मशहूर हस्तियां, काल्पनिक पात्र, स्थलचिह्न, कैरिकेचर या पसंद प्रस्ताव दस्तावेज या विज्ञापन जारी करने पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा या उसका हिस्सा नहीं होगा।
5. **वित्तीय डेटा** : यदि किसी विज्ञापन में कोई वित्तीय डेटा होता है, तो इसमें पिछले तीन वर्षों के डेटा भी शामिल होंगे और इसमें बिक्री, सकल लाभ आदि से संबंधित विवरण शामिल होंगे।
6. **जोखिम कारक** : अखबार, पत्रिकाएं, ब्रोशर या पैम्फलेट जैसे प्रिंट मीडिया में किए जाने वाले सभी मुद्दों के विज्ञापनों में जोखिम कारकों पर विस्तृत जानकारी के अलावा किसी भी मुद्दे से संबंधित हाइलाइट शामिल होंगे।
7. **जारी करने की तिथि** : जारीकर्ता कंपनी का कोई भी कॉर्पोरेट विज्ञापन बोर्ड के साथ प्रस्ताव दस्तावेज भरने के 21 दिनों के बाद जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि मुद्दा बंद नहीं हो जाता, जब तक कि विज्ञापन में उल्लिखित प्रस्ताव दस्तावेज में जोखिम कारक का उल्लेख नहीं किया जाता है।
8. **उत्पाद विज्ञापन** : कंपनी के किसी भी विज्ञापन में इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रदर्शन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भ नहीं होना चाहिए।
9. **सब्सक्रिप्शन** : कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि इश्यू के खुले या बंद होने के प्रभाव को छोड़कर, इश्यू को पूरी तरह से सब्सक्राइब या ओवरसब्सक्राइब किया गया है।
10. **निर्गम समापन** : निर्गम को बंद करने के संबंध में कोई घोषणा अंतिम तिथि को छोड़कर नहीं की जाएगी। यदि निर्गम प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले पूरी तरह से सदस्यता लिया गया है, तो घोषणा पूरी तरह से सदस्यता लेने के बाद ही की जानी चाहिए और जारी किया जाना बंद कर दिया जाना चाहिए।
11. **प्रोत्साहन** : अनुमेय हामीदारी कमीशन और दलाली के अलावा कोई प्रोत्साहन, विज्ञापन के माध्यम से इस मुद्दे के विपणन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
12. **आरक्षण** : यदि एनआरआई के लिए आरक्षण है तो जारी किए गए विज्ञापन में उसे निर्दिष्ट किया जाएगा और भारत में उस स्थान का भी उल्लेख किया जाएगा जहां व्यक्तिगत एनआरआई आवेदक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
13. **वचनबद्धता** : प्रमुख मर्चेन्ट बैंकर और जारीकर्ता कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन के लिए जारीकर्ता से एक वचन पत्र प्राप्त करना होगा कि जारीकर्ता कंपनी किसी भी सम्मेलन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं करेगी।
14. **प्रतियों की उपलब्धता** : यह सुनिश्चित करने के लिए कि जारीकर्ता कंपनी परिपक्वता के लिए जिम्मेदार प्रमुख मर्चेन्ट बैंकर से सभी इश्यू विज्ञापन प्रचार सामग्री के लिए अनुमोदन प्राप्त करती है और सभी संबंधित सामग्री की प्रतियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

रिक्त स्थान भरें –

1. 'मर्चेन्ट बैंक' शब्द का प्रयोग देश में किया जाता है।
2. मूल रूप से एक बचत और निवेश निगम है।
3. मर्चेन्ट बैंकिंग में, ... को इश्मू के बाद की गतिविधियों का प्रबंधन करना होता है।
4. एक मर्चेन्ट बैंकर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी श्रृंखला को कवर करता है।

उत्तर – (1) यूनाइटेड किंगडम (2) यूटीआई (3) लीड मैनेजर (4) कॉर्पोरेट परामर्श

10.10 सारांश (Summary)

मर्चेट बैंकिंग एक प्रकार की वित्तीय सेवा है जिसमें मुद्रों का प्रबंधन और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। मर्चेट बैंकर कॉर्पोरेट संस्थाओं को मर्चेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। मर्चेट बैंकरों द्वारा कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें प्रोजेक्ट काउंसलिंग, क्रेडिट सिंडिकेशन, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल, बिल डिस्काउंटिंग, लीजिंग, फैक्टरिंग, अंडरराइटिंग आदि शामिल हैं। सेबी ने मर्चेट बैंकिंग पर रेगुलेशन जारी किया है। नियम केवल मर्चेट बैंकर द्वारा की गई सीमित गतिविधियों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मर्चेट बैंकिंग द्वारा परिचालन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उनके पास पहले से जारी और बाद में जारी किए गए दायित्व हैं, जो इश्यू प्रबंधन का एक हिस्सा हैं।

कॉर्पोरेट उद्यम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कॉर्पोरेट परामर्श कहा जाता है। पूर्व-निवेश अध्ययनों में वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से विस्तृत व्यवहार्यता अन्वेषण शामिल हैं। क्रेडिट सिंडिकेशन भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में कंसोर्टियम के आधार पर वित्त प्रदान करने से संबंधित है। म्यूचुअल फंड असंख्य निवेशकों की बचत को जुटाने में लगे हुए हैं। परियोजना मूल्यांकन एक परियोजना की व्यवहार्यता के आकलन से संबंधित है। सेबी ने मर्चेट बैंकर के लिए आचार संहिता जारी की है।

10.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस अध्याय का लक्ष्य है –

- मर्चेट बैंकिंग का एक वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
- मर्चेट बैंकरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका का एक समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करना।
- मर्चेट बैंकिंग के इतिहास और विकास का विशद दृश्य प्रदान करना।
- भारत में मर्चेट बैंकिंग के विनियामक ढाँचे का संक्षेप में वर्णन करते हुए।

10.12 शब्दावली (Glossary)

- **मर्चेट बैंक** : यह एक ऐसा संगठन है जो कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों को अंडरराइट करता है और ग्राहकों को वाणिज्यिक उद्यमों के स्वामित्व में शामिल विभिन्न मुद्रों पर सलाह देता है।
- **कॉर्पोरेट परामर्श**: कॉर्पोरेट उद्यम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कॉर्पोरेट परामर्श कहा जाता है।
- **परियोजना परामर्श**: इसमें परियोजना की व्यवहार्यता अर्थात् परियोजना की पहचान और परामर्श के संबंध में मार्गदर्शन शामिल है। यह नई इकाइयों की स्थापना, मौजूदा सुविधाओं के विस्तार या सुधार के लिए हो सकता है। विभिन्न प्रक्रियात्मक कदमों पर सलाह, जिसमें सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए :विदेशी सहयोग।
- **इश्यू मैनेजमेंट**: परंपरागत रूप से यह मर्चेट बैंकर के मुख्य कार्यों में से एक है। जब भी कोई इश्यू जारी किया जाता है चाहे वह पब्लिक इश्यू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट और आगे चाहे वह इक्विटी शेयरों, प्रेफरेंस शेयरों या डिबेंचर के लिए हो, मर्चेट बैंकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता से धन जुटाने के कई आयाम और

औपचारिकताएँ हैं, जिनका पालन करना संबंधित कंपनियों के लिए संभव नहीं है, जहाँ मर्चेट बैंकर उनके बचाव में आते हैं। संभावित निवेशक को समझाने के लिए विपणन प्रयास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **पोर्टफोलियो प्रबंधन:** पोर्टफोलियो प्रबंधन को एक निवेश प्रबंधन परामर्श के रूप में अभ्यास किया जाता है, जिसमें निवेशक को सरकारी प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों, डिबेंचर, शेयरों और वारंट आदि जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों की तलाश करने की सलाह दी जाती है, जो मूल्य में वृद्धि या आय प्रदान करेंगे।
- **क्रेडिट सिंडिकेशन:** यह भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में एक संघ के आधार पर वित्त प्रदान करने से संबंधित है।
- **लीड मैनेजर:** विनियमों के तहत यह आवश्यक है कि प्रत्येक मुद्दे को कम से कम एक मर्चेट बैंकर द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए जो 'लीड मैनेजर' के रूप में कार्य कर रहा हो।
- **हामीदार (अंडररायटर):** एक निवेश और बैंकिंग फर्म, जो नई प्रतिभूतियों को जारीकर्ता के साथ निवेश करने वाली जनता को वितरित करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करती है।

10.13 स्वपरख प्रश्न (Self Testing Questions)

1. पोर्टफोलियो प्रबंधन क्या है?
2. मर्चेट बैंकर को परिभाषित करें?
3. एक मर्चेट बैंकर के लिए आवश्यक गुण बताइए?
4. भारत में मर्चेट बैंकरों की समस्याओं पर चर्चा करें?
5. 'परियोजना परामर्श' पर एक टिप्पणी लिखिए?
6. मर्चेट बैंकरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर चर्चा करें?
7. रत में मर्चेट बैंकिंग संचालन को विनियमित करने में सेबी की भूमिका की व्याख्या करें?
8. सेबी के अनुसार मर्चेट बैंकर की अधिकृत गतिविधियों की विस्तार से चर्चा करें?

10.14 सदर्थ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

- Jain. Sonal, Rathi. Manish, Thakur. Richa, Solanki. Umesh, *Marketing of Financial Services*, RBD Publishing House, Jaipur
- Matta. Satish K., *Management of Financial Institutions and Services*, Vrinda Publication (P) Ltd., New Delhi, 2nd Edition, 2011.
- Gurusamy. Dr. S., *Indian Financial System*, Tata Mc Graw Hill Education Private Limited, New Delhi, 2nd Edition, 2009.
- Gopalswamy. N., *Inside Capital Market*, Deccan Publication, 1996.
- Machiraju H.R., *Merchant Banking – Principles and Practices*, New Age International Publication (P) Ltd.

10.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Bloch, Earnest, *Inside Investment Banking*, Dow Jones – Irwin, Illinois, 1986.
- Bauer, Hans – Peter, “*What is a Merchant Bank*”, The Banker, London.

- Government of India, *Report of the Banking Commission*, 1972.
- Government of India, Ministry of Finance, *Guidelines of Merchant Banker*, F.No.1(44) SE/86 Pt.III, 9.4.1990.
- Securities and Exchange Board of India, *Merchant Banker Regulations*, 1992, Notification 22.12.1992.
- SEBI Regulations.
- M.Y. Khan, “Financial Services”, Tata McGraw.Hill, 12th Edition, 2012.
- Nalini Prava Tripathy, “Financial Services”, PHI Learning 2011.
- Machiraju, “Indian Financial System”, Vikas Publishing House, 2nd Edition, 2010.
- J.C. Verma, “A Manual of Merchant Banking”, Bharath Publishing House, New Delhi.
- Varshney P.N. & Mittal D.K., “Indian Financial System”, Sultan Chand & Sons, New Delhi.
- Sasidharan, “Financial Services and System”, Tata McGraw Hill, New Delhi, 2nd Edition, 2011.

10.16 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Link)

- Websites of SEBI and BSE.

इकाई -11

भारतीय रिजर्व बैंक

(Reserve Bank Of India)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

- 11.0 उद्देश्य
- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
- 11.3 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य
- 11.4 भारतीय रिजर्व बैंक की पूँजी, संगठन एवं प्रबंध
- 11.5 भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य
- 11.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण
 - 11.6.1 साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियाँ
 - 11.6.2 साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ
- 11.7 भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति का मूल्यांकन
- 11.8 भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति के अप्रभावी होने के कारण
- 11.9 सारांश
- 11.10 अधिगम परिणाम
- 11.11 शब्दावली
- 11.12 स्व-परख प्रश्न
- 11.13 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
- 11.14 अन्य पठन सामग्री
- 11.15 वेब संसाधन/लिंक

11.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- यह जान सकेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की गयी?
- यह जान पायेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध कैसा है?
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को समझ पायेंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त साख नियंत्रण की विधियों के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान मौद्रिक नीति और इसकी प्रभावोत्पादकता के बारे में मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक है, जो देश की सम्पूर्ण मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली का देश हित में नियमन, नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसके अलावा यह देश की मौद्रिक/साख नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन भी करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते इसकी देश के आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इसकी नीतियों और कार्य-कलापों का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक, गहरा एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हम इस इकाई में रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य, इसके प्रबन्ध एवं संगठन तथा कार्यों का अध्ययन करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि यह देश में साख नियंत्रण कैसे करता है?

11.2 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना (Establishment of Reserve Bank of India- RBI)

किसी भी देश में केन्द्रीय बैंक का होना आर्थिक विकास और स्थायित्व के साथ-साथ मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण एवं नियमन के लिए अपरिहार्य होता है। पहली बार 1773 में **वारेन हेस्टिंग्स** ने 'जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बिहार' को भारत का केन्द्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया था। बाद में 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य प्रख्यात अर्थशास्त्री **लॉर्ड कीन्स** ने देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मुद्दा उठाया था। तत्पश्चात् 1921 में प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ मद्रास तथा प्रेसीडेन्सी बैंक ऑफ बम्बई को मिलाकर '**इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया**' की स्थापना की गयी। यद्यपि इस बैंक को केन्द्रीय बैंक के अनेक कार्य सौंपे गये, किन्तु नोट निर्गमन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया; जबकि साख नियंत्रण का अधिकार इम्पीरियल बैंक के पास था। इसलिए मुद्रा एवं साख के नियंत्रण की इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा बैंकिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन की दृष्टि से **हिल्टन यंग कमीशन** ने देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी। बाद में 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भी देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। अन्त में **1933 के गोल-मेज सम्मेलन** में देश में राजनैतिक प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया।

उपर्युक्त की गयी सभी अनुशंसाओं/सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय विद्यायिका सभा द्वारा 8 सितम्बर, 1933 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिस पर 6 मार्च, 1934 को वॉयसराय जनरल ने हस्ताक्षर किये और इस प्रकार देश में '**रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934**' (Reserve Bank of India Act, 1934) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी। देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1935 से अपना विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया।

11.3 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य (Objectives of establishment of Reserve Bank of India- RBI)

भारत में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना के निम्नांकित उद्देश्य/कारण थे:-

- (i) अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण एवं मौद्रिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना;
- (ii) देश में एक सशक्त, सुव्यवस्थित एवं संतुलित बैंकिंग तथा ऋण प्रणाली का विकास करना;
- (iii) देश में मुद्रा एवं साख का समुचित प्रबन्धन करना;
- (iv) रुपये के आन्तरिक मूल्य (क्रय शक्ति) तथा (बाह्य मूल्य) विदेशी विनिमय दर में स्थिरता स्थापित करना तथा उसे बनाये रखना एवं विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करना;
- (v) बैंकिंग आदत को प्रोत्साहित कर बचतों को संस्थागत करना ;
- (vi) कृषि साख की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था करना तथा इस हेतु विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना करना;
- (vii) संगठित मुद्रा बाजार का विकास करना;
- (viii) व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का केन्द्रीयकरण करना;

- (ix) समाजिक न्याय तथा स्थिरतापूर्ण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में सहायक होना;
- (x) उद्योगों के लिए सावधिक वित्त तथा व्यापक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना; तथा
- (xi) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना।

11.4 भारतीय रिजर्व बैंक की पूँजी, संगठन एवं प्रबंध (Capital, Organization and Management of RBI)

I. पूँजी (Capital) - रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गयी थी। इसकी अधिकृत एवं निर्गमित पूँजी 5 करोड़ रु. थी, जो 100-100 रु. के 5 लाख अंशों में विभाजित थी और इसमें से 2200 अंश भारत सरकार के पास थे और शेष अंश निजी अंशधारियों के पास थे। फरवरी, 1947 में रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन करने का निर्णय किया गया, फलस्वरूप **सितम्बर, 1948** में देश की संसद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तान्तरण) अधिनियम, 1948 पारित किया गया, जिसके अनुसार **1 जनवरी, 1949** से भारतीय रिजर्व बैंक का **राष्ट्रीयकरण** कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक की समस्त पूँजी सरकार के स्वामित्व में आ गयी।

II. संगठन एवं प्रबंध (Organization and Management) - रिजर्व बैंक के संगठन एवं प्रबंध को निम्नांकित **तीन भागों** में बाँटा गया है, जिसका विवरण अग्रांकित है -

(i) **केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Board of Directors)**- रिजर्व बैंक के संगठन एवं प्रबंध व्यवस्था में केन्द्रीय संचालक मण्डल में कुल 20 सदस्य होते हैं और इसका गठन अधोलिखित प्रकार से होता है -

(अ) **एक गवर्नर** - गवर्नर रिजर्व बैंक का सर्वोच्च पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। (ब) **चार डिप्टी गवर्नर** - इनकी नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये सभी बैंक के पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। इनकी भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। (स) **पन्द्रह संचालक** - गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों के अलावा, 15 संचालकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसमें से चार संचालक/निदेशक बैंक के चार स्थानीय मण्डलों (प्रत्येक में से एक) से मनोनीत किये जाते हैं तथा 10 निदेशक और एक अधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा अलग से मनोनीत किये जाते हैं। स्थानीय मण्डलों से मनोनीत सदस्य स्थानीय मण्डल की सदस्यता अवधि तक ही केन्द्रीय संचालक मण्डल के सदस्य बने रह सकते हैं। सरकार द्वारा मनोनीत 10 संचालकों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक संचालक रह सकता है। सभी 15 संचालक अंशकालिक होते हैं तथा इन्हें बैंक की बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा-व्यय एवं भत्ता प्रदान किया जाता है।

गवर्नर केन्द्रीय संचालक मण्डल का अध्यक्ष होता है और केन्द्रीय संचालक मण्डल के अधीन उसके पास रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण शक्ति निहित होती है। चारों डिप्टी गवर्नर बैंक के कार्यों के सुचारू संचालन में गवर्नर की सहायता करते हैं।

(ii) **स्थानीय मण्डल (Local Boards)**- बैंक के केन्द्रीय संचालक मण्डल को समय-समय पर क्षेत्रीय एवं आर्थिक समस्याओं पर परामर्श देने हेतु चार स्थानीय मण्डल क्रमशः मुम्बई, चेन्नई, कोलकता तथा नई दिल्ली में स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक स्थानीय मण्डल में 5 सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। स्थानीय मण्डल

केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करने तथा उनकी देख-रेख के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्थानीय मण्डल के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेते हैं।

- (iii) **रिजर्व बैंक के कार्यालय (Offices of RBI)** - रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुम्बई में है तथा इसके चार सहायक कार्यालय मुम्बई, चेन्नई, कोलकत्ता तथा नई दिल्ली में हैं। रिजर्व बैंक भारत सरकार की अनुमति से किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। वर्तमान में इसकी देश में 25 से अधिक शाखाएँ हैं। देश में जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक की विदेशों में भी लन्दन, कराची तथा अन्य स्थानों पर शाखाएँ हैं।
- (iv) **रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग (Administrative Departments of RBI)** - रिजर्व बैंक के निम्नांकित 25 प्रशासनिक विभाग हैं जो इसके कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1 मुद्रा प्रबन्ध विभाग, 2 बैंकिंग विभाग, 3 बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, 4 विनियमन नियंत्रण विभाग, 5 साख नियोजन विभाग तथा अन्य विभाग। उपर्युक्त विभागों के अलावा, रिजर्व बैंक में निम्नांकित विभाग भी हैं - विधि विभाग, औद्योगिक एवं निर्यात वित्त विभाग, बाह्य निवेश एवं परिचालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा कम्प्यूटर सेवा विभाग, आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रशासन एवं कार्मिक प्रबन्ध विभाग, आन्तरिक ऋण प्रबन्ध विभाग, राजभाषा विभाग, परिसर विभाग, निरीक्षण विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, सचिव विभाग वित्तीय संस्था विभाग, तथा मौद्रिक नीति विभाग- इस विभाग का कार्य मौद्रिक नीति के निर्धारण एवं कुशल संचालन से सम्बन्धित है। वर्तमान में मौद्रिक नीति का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।

रिजर्व बैंक द्वारा खोले गये नये विभाग -व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग, ग्रामीण नियोजन तथा साख विभाग, वित्तीय कम्पनियों का विभाग, नगरीय बैंक विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

11.5 भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of RBI)

रिजर्व बैंक हमारे देश का केन्द्रीय बैंक है, अतः यह उन समस्त कार्यों का सम्पादन करता है, जो एक केन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाते हैं। **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934** के प्रस्तावनानुसार, “इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व बनाये रखने हेतु कोषों को रखना व चलन एवं साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्र हित में संचालन करना है।” इस परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य अग्रांकित हैं -

1. **नोट निर्गमन करना (Issue of notes)** -एक रुपये के नोट तथा सिक्कों को छोड़कर सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा (नोट) रिजर्व बैंक द्वारा निकाली जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक के पास **नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of note issue)** है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, यह बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 तथा 10,000 रु. के नोट निर्गमित कर सकता है और अभी तक बैंक द्वारा सभी अधिमानों (Denominations) के नोट निर्गमित किये जा चुके हैं। किन्तु वर्तमान में 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट का प्रचलन एवं निर्गमन बन्द है। नोट निर्गमन का कार्य बैंक के नोट निर्गमन विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ आपको यह ध्यान रहे कि एक रुपये का नोट तथा सभी अधिमानों के सिक्के भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा निकाले जाते हैं।
- नोट निर्गमन का आधार (Basis of note issue)** : रिजर्व बैंक द्वारा **बैंकिंग सिद्धान्त** पर आधारित **न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum reserve system)** के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। यह प्रणाली 1956 में **आनुपातिक कोष प्रणाली (proportional reserve system)** को समाप्त कर अपनायी गयी। तब रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम 515 करोड़ रु. के

समतुल्य कोष रखना आवश्यक कर दिया था। बढ़ते विदेशी विनिमय संकट के कारण रिजर्व बैंक अधिनियम में पुनः संशोधन कर 25 अक्टूबर, 1957 के आदेश द्वारा **न्यूनतम कोष 515 करोड़ से घटाकर 200 करोड़ रु.** कर दिया गया। इस 200 करोड़ रु. के न्यूनतम कोष में से 115 करोड़ रु. के समतुल्य स्वर्ण अथवा स्वर्ण के सिक्के तथा शेष 85 करोड़ रु. मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना आवश्यक किया गया। संकटकालीन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक भारत सरकार की पूर्व अनुमति से 85 करोड़ रु. मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियों के कोष को किसी भी सीमा (शून्य) तक घटा सकता है अर्थात् रिजर्व बैंक केवल मात्र 115 करोड़ रु. का स्वर्ण, स्वर्ण सिक्के रखकर कितनी भी राशि के नोट निर्गमित कर सकता है।

2. **सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार (Banker, agent and advisor to the government)** - रिजर्व बैंक देश की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। रिजर्व बैंक दोनों सरकारों की ओर से भुगतान स्वीकार करना, भुगतान करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, मुद्रा हस्तान्तरण, विदेशी विनियम की व्यवस्था करना तथा अन्य बैंकिंग कार्यों को सम्पन्न करता है। रिजर्व बैंक सरकार के अभिकर्ता के रूप में उन सभी कार्यों को सम्पन्न करता है, जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए रिजर्व बैंक इनसे कोई शुल्क नहीं लेता, किन्तु इनके बदले यह सरकारी खातों में जमा रकम पर कोई ब्याज भी अदा नहीं करता। रिजर्व बैंक सरकारों को उनकी अल्पावधि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **कोषागार विपत्र (Treasure bills)** बेचता है तथा उनको **अस्थायी ऋण (Ways and Means advances)** भी देता है।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक सरकार के मुख्य वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। वित्तीय और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होने के कारण यह सरकार को मुद्रा, साख तथा आर्थिक नीतियों के साथ-साथ, कोषों के विनियोजन, कृषि एवं औद्योगिक साख, सहकारिता, ऋणों के निर्गमन, वित्तीय व्यवस्था आदि अनेक विषयों पर समय-समय पर परामर्श एवं सुझाव देता है।

3. **बैंकों का बैंक एवं अन्तिम ऋणदाता (Banker's bank and lender of the last resort)**- देश का शीर्ष बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक देश में बैंकों के बैंक एवं अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का **न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 प्रतिशत** रिजर्व बैंक के पास नकद जमा कराना पड़ता है, जिसे **नकद कोषानुपात (CRR)** कहते हैं। इसमें रिजर्व बैंक देश, काल एवं परिस्थितिनुसार परिवर्तन कर सकता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आर्थिक संकट के समय अन्तिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाता है। यह बैंक अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करके उन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा उन्हें सस्ती धन प्रेषण (Remittances) संबंधी सुविधा भी प्रदान करता है। रिजर्व बैंक के पास बैंकों के नकद कोष जमा होने तथा नोट निर्गमन का एकाधिकार होने के कारण कोषों की कोई कमी नहीं होती है जिससे वह बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर डूबने से भी बचाता है।

4. **विदेशी विनियम प्रबन्धन (Management of foreign exchange)** - देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक देश के बहुमूल्य धात्विक कोषों एवं विदेशी विनियमय कोषों को न केवल अपने पास सुरक्षित रखता है, वरन् उनका भुगतान असंतुलन की स्थिति में विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थिरता बनाये रखने के लिए उपयोग करता है। ज्ञातव्य है कि रिजर्व बैंक रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाये रखने हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रित ढंग से आवश्यकतानुसार क्रय-विक्रय करता है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेशी विनिमय का प्रबन्ध करता है। विदेशी विनिमय के नियमन एवं प्रबन्ध

हेतु रिजर्व बैंक ने पृथक से विनियम नियंत्रण विभाग स्थापित कर रखा है। इसके अतिरिक्त यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) का भी संस्थापक सदस्य है।

5. **बैंकिंग प्रणाली का नियमन (Regulation of banking system)-** रिजर्व बैंक का एक कार्य ये भी है कि वह देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियमन इस प्रकार करें जिससे आम जनता का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बना रहे। इस कार्य हेतु **बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949** (Banking Regulation Act, 1949) में रिजर्व बैंक को बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

- (i) **बैंकों की स्थापना एवं लाइसेंस** - उक्त अधिनियम की धारा 22 के अनुसार देश में स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक लाइसेंस देने से पूर्व यह सुनिश्चित करता है कि लाइसेंस लेने वाला बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, अपने देयधन के पूर्ण भुगतान करने की क्षमता रखता हो तथा उसका कार्य जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं हो।
- (ii) **प्रबन्ध एवं संचालन** - बैंकिंग व्यवस्था के सुसंगठित विकास, कुशल प्रबन्ध एवं सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक के पास व्यापक अधिकार हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी बैंक के किसी भी निदेशक को अथवा प्रबन्धक को हटा सकता है, यदि वह उसे अवांछित समझे।
- (iii) **शाखा विस्तार** - बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा-23 के अनुसार बैंकों द्वारा नई शाखा खोलने अथवा किसी शाखा के स्थान में परिवर्तन करने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
- (iv) **निरीक्षण** - बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा-35 के अनुसार रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं/कमियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित बैंक को निर्देश दे सकता है।
- (v) **बैंक का विलयन एवं अवसायन (Merger and closure of banks)-** किसी भी बैंक के अन्य बैंक के साथ विलय से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ऐसे विलय को अनुमति देता है, जिसमें जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हों तथा बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो। जिन बैंकों की आर्थिक-वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी हो कि उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो रिजर्व बैंक उनके अवसायन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करता है। सार रूप में कहें, तो रिजर्व बैंक बैंकों का जन्मदाता ही नहीं, अन्त्योष्टिकर्ता भी है।

6. **समाशोधन कार्य (Clearing house function)-** रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के आपसी लेन-देन अथवा पारस्परिक भुगतानों का निपटारा करने के लिए समाशोधन गृहों का संचालन करता है। देश के प्रमुख 14 केन्द्रों पर रिजर्व बैंक स्वयं समाशोधन गृहों का प्रबन्ध देखता है तथा देश के अन्य स्थानों पर यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों के माध्यम से सम्पन्न करवाता है। सूचना तकनीक के वर्तमान युग में यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग व्यवस्था (Electronic Clearing System) द्वारा सम्पन्न किया जाता है। समाशोधन गृहों द्वारा बैंकों के आपसी भुगतान का अविलम्ब निपटारा केवल **पुस्तक प्रविष्टियों** (Book entries) के माध्यम से प्रति-दिन निर्धारित समयावधि में किया जाता है। इन्टरनेट एवं आधुनिक तकनीक द्वारा समाशोधन का कार्य शीघ्रता एवं सरलता से होने लगा है और इस कारण अब बैंक अपने ग्राहकों को तत्काल समाशोधन सुविधा भी प्रदान करने लगे हैं।

7. **साख नियंत्रण (Credit control)**- रिजर्व बैंक का देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साख का नियमन एवं नियंत्रण करना है। इस कार्य हेतु रिजर्व बैंक मात्रात्मक एवं गुणात्मक साख नियंत्रण विधियों का प्रयोग करता है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण उद्देश्य साख की उपलब्धता को उसकी माँग के अनुरूप बनाये रखना है ताकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व बना रहे और आर्थिक विकास के लिए धन की कमी न हो। साख नियंत्रण के कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसका विस्तृत अध्ययन हम इसी इकाई में आगे चलकर करेंगे।
8. **अन्य कार्य (Other functions)**
 - (i) **आर्थिक समकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन (Collection and publication of economic data)**- रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन करता है। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, वित्त, बैंकिंग, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, कीमत-स्तर, विदेशी विनिमय कोष एवं अन्य आर्थिक विषयों से सम्बन्धित समकों का संकलन कर उनका विश्लेषण करता है और उनके निष्कर्षों को विभिन्न प्रतिवदनों (रिपोर्ट्स) एवं प्रकाशनों में प्रकाशित करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वस्तु स्थिति को समझने और तदनु रूप नीति निर्माण करने में अत्यन्त उपयोगी साबित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख प्रकाशन निम्नांकित हैं –(i) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन (मासिक), (ii) चलन एवं वित्त पर रिपोर्ट (वार्षिक)। (iii) रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, (iv) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति तथा (v) रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण। इन नियमित प्रकाशनों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक समय-समय पर विभिन्न समितियों एवं सर्वेक्षणों के निष्कर्ष भी प्रकाशित करता रहता है।
 - (ii) **बैंकिंग शिक्षण एवं प्रशिक्षण (Banking education and training)**- रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु अनेक प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय-समय पर आयोजित करता रहता है। अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रिजर्व बैंक ने मुम्बई में **बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज** स्थापित कर रखा है। पूना में **‘कॉलेज ऑफ एग्री कल्चरल बैंकिंग; चेन्नई में ‘रिजर्व बैंक स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज’** स्थापित कर रखा है। इसके अलावा भी रिजर्व बैंक ने मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रखे हैं।
 - (iii) **मुद्रा हस्तान्तरण (Money transfer)**- रिजर्व बैंक सभी बैंकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा हस्तान्तरित करने का कार्य करता है।
 - (iv) **मुद्रा परिवर्तन (Exchange of money)**- रिजर्व बैंक पुरानी एवं विकृत (कटी-फटी) मुद्रा के बदले नयी मुद्रा तथा बड़े नोटों की जगह छोटे नोटों एवं सिक्कों में परिवर्तन करने का कार्य भी करता है।
 - (v) **बहुमूल्य धातुओं का क्रय-विक्रय** - रिजर्व बैंक अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए सोना, चांदी एवं विदेशी मुद्राओं का क्रय - विक्रय करता है।
 - (vi) **निक्षेप स्वीकार करना** - रिजर्व बैंक बिना ब्याज के केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से निक्षेप स्वीकार करता है।
 - (vii) **अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन-देन** - रिजर्व बैंक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन-देन करता है। बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों में अपना खाता खोल सकता है तथा उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।
 - (viii) **बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार (Expansion of banking services)**- रिजर्व बैंक ने देश के प्रत्येक कोने तथा दूर-दराज क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप देश में नगरीय, अर्द्ध-नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- (ix) **कृषि वित्त** -1982 में नाबार्ड की स्थापना के पूर्व तक रिजर्व बैंक कृषि साख से सम्बन्धित सभी कार्य करता था, किन्तु कृषि साख का समस्त कार्य अब नाबार्ड करता है। रिजर्व बैंक ने जुलाई 1982 में कृषि साख हेतु स्थापित दोनों कोषों राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष, तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष की राशि को नाबार्ड को हस्तान्तरित कर दिया।
- (x) **औद्योगिक वित्त** -रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राज्य वित्त निगमों की स्थापना में अपनी अंश पूँजी लगायी है तथा उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए 1974 में राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन कोष) की स्थापना की। इस प्रकार रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करता रहा है।

11.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण (Credit Control by RBI)

रिजर्व बैंक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य साख को नियंत्रित करना है, ताकि साख की मात्रा न तो अर्थव्यवस्था में इसकी माँग से अधिक हो और न ही कम। इन दोनों स्थितियों में ही **स्थिरता के साथ आर्थिक विकास** (Economic growth with stability) के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक को एक ओर तीव्र आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार जैसे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों हेतु पर्याप्त मात्रा में साख की आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है, तो दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि साख की आपूर्ति उसकी आवश्यकता से अधिक ना हो, अन्यथा अर्थव्यवस्था में स्फीतिजनक दबावों का सामना करना पड़ेगा।

साख नियंत्रण की विधियाँ/उपकरण (Methods/Instruments of credit control)

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त साख नियंत्रण की विधियों को निम्नांकित दो भागों में बाँटा जाता है -

11.6.1 साख नियंत्रण की परिमाणात्मक/मात्रात्मक विधियाँ (Quantitative methods of credit control)- इन विधियों के द्वारा **साख की मात्रा और लागत** (Volume and cost of credit) को नियंत्रित कर साख नियंत्रण किया जाता है। इन विधियों का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव पड़ता है अर्थात् ये **अविभेदात्मक** (non-discriminating) प्रकृति की हैं। इनके अन्तर्गत निम्नांकित विधियाँ सम्मिलित हैं -

- 1. बैंक दर (Bank rate)** -भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, “बैंक दर वह प्रमाणित दर है, जिस पर रिजर्व बैंक ऐसे विनिमय बिलों या व्यापारिक पत्रों का क्रय एवं पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है, जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रय किये जा सकते हैं।” सरल शब्दों में, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर बैंकों को ऋण देता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी बिलों की पुनर्कटौती करता है। रिजर्व बैंक, बैंक दर नीति के माध्यम से साख की मात्रा और उसकी लागत को प्रभावित कर देश में साख नियंत्रण करता है। यदि देश में साख की मात्रा में कमी करनी होती है, तो रिजर्व बैंक बैंक दर में वृद्धि कर देता है, फलस्वरूप साख की लागत (ब्याज दर) में वृद्धि हो जाती है, जिससे साख मात्रा में कमी आती है। इसे **मँहगी साख नीति** (Dear credit policy) कहा जाता है। मँहगाई को रोकने के लिए इस नीति का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत, जब देश में साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है, तो रिजर्व बैंक, बैंक दर में कमी कर देता है, फलस्वरूप साख की लागत कम हो जाने के कारण साख मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसे **सस्ती साख नीति** (Cheap credit policy) कहते हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा मन्दीकाल में सस्ती साख नीति का अनुसरण किया जाता है।

रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक बैंक दर में अनेक बार परिवर्तन किये हैं। बैंक दर में सर्वाधिक परिवर्तन 1991-2000 के दशक में हुए। 30 अप्रैल, 2003 को बैंक दर घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी और 25 जून, 2013 को बैंक दर 8.25 प्रतिशत थी। हमारे देश में बैंक दर नीति अधिक सफल नहीं रही क्योंकि यह प्रायः बाजार दरों का नेतृत्व करने (प्रभावित करने) की बजाय उनका अनुसरण करती रही है। इसके अलावा हमारे देश में संगठित और विकसित मुद्रा बाजार तथा अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लोचशीलता का अभाव भी बैंक दर की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा रहे हैं। जून, 2022 में **तरलता समायोजन सुविधा** (Liquidity Adjustment Facility) -प्रारंभ किये जाने से पूर्व भारत में बैंक दर **नीतिगत दर** (प्रमुख ब्याज दर) हुआ करती थी, इसके आधार पर शेष अन्य सभी अल्प अवधि की ब्याज दरें परिवर्तित अथवा प्रभावित होती थी। किन्तु तरलता समायोजन सुविधा के पश्चात् विनिमय बिलों, व्यापारिक-पत्रों तथा प्रतिभूतियों को बैंक दर के आधार पर पुनर्कटौती करना बन्द कर दिया गया, परिणामस्वरूप: मौद्रिक प्रबंधन के साधन के रूप में बैंक दर निष्क्रिय हो गयी। 5 मई 2022 से बैंक दर को 4.25 से बढ़ाकर 4.65 प्रतिशत और 8 जून, 2022 को इसे पुनः बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया गया है। अब बैंक दर के आधार पर बैंक दीर्घावधि के लिए ऋण लेते हैं।

2. **खुले बाजार की क्रियाएँ (Open market Operations – OMO)**- खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के क्रय-विक्रय करने से हैं। रिजर्व बैंक जब देश में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तो वह खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों एवं जनता से प्रतिभूतियाँ क्रय करता है जिससे बैंकों की तरलता और ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है और साख की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके विपरीत, जब रिजर्व बैंक साख की मात्रा घटाना चाहता है, तो वह खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है जिससे बाजार की तरलता/नकदी बैंकों व जनता के पास से रिजर्व बैंक के पास आ जाती है। इस कारण से बैंकों की उधार देने की क्षमता घट जाती है। रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं को बैंक दर नीति को प्रभावी बनाने के लिए **पूरक विधि** के रूप में प्रयुक्त करता रहा है। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के उद्देश्य से इस विधि का सीमित प्रयोग किया है। सरकार की ऋण नीति को सफल बनाने, प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने तथा बैंकों की मौसमी साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रायः इस विधि का प्रयोग किया जाता रहा है।
3. **नकद कोषानुपात में परिवर्तन (Changes in cash reserve ratio - CRR)**- रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा – 42 (1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी माँग जमाओं का 5 प्रतिशत तथा समय जमाओं का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास प्रारक्षित नकद कोष में रखना अनिवार्य था। अधिनियम में 15 सितम्बर, 1962 में किये संशोधन के परिणामस्वरूप प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमाओं (माँग एवं समय जमाओं दोनों को मिलाकर) 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकद कोष में रखना अनिवार्य किया गया और रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि इसे वह 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई, 1989 को नकद कोषानुपात बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। नरसिम्हा राव समिति की अनुशंसा के अनुसार नकद कोषानुपात को क्रमशः कई चरणों में घटाया गया। 4 मई 2022 की मौद्रिक नीति की घोषणानुसार यह 21 मई, 2022 से 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत हो गया है। और 8 जून 2022 को इसे बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया है। रिजर्व बैंक साख की मात्रा में कमी करने के लिए नकद कोषानुपात को बढ़ाकर बैंकों की तरलता और उधार देने की शक्ति को घटा देता है, जिससे साख सृजन कम होता है। इसके विपरीत, रिजर्व बैंक साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तो नकद कोषानुपात को घटा देता है, फलस्वरूप बैंकों के पास नकदी की मात्रा बढ़ जाती है और इससे उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। नकद कोषानुपात साख नियंत्रण का **प्रत्यक्ष एवं कारगर उपाय** है क्योंकि इसमें परिवर्तन के कारण बैंकों की

तरलता और उधार देने की क्षमता तत्काल प्रभावित होती है। रिजर्व बैंक ने इस विधि का प्रयोग अनेक बार खुलकर किया है।

4. **वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन (Change in statutory liquidity ratio - SLR)-** भारतीय बैंकिंग अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अनुसार, अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम 20 प्रतिशत तरल रूप में रखना अनिवार्य था, जिसे 1962 में एक संशोधन द्वारा बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। 22 सितम्बर, 1990 में इसे अपने उच्चतम स्तर पर 38.5 प्रतिशत कर दिया गया, जो अब तक की अधिकतम दर रही है। तत्पश्चात् नरसिम्हा राव समिति की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए तरल कोषानुपातों को चरणबद्ध तरीके से कम कर 21 अक्टूबर, 1997 को 25 प्रतिशत कर दिया गया। 23 जनवरी, 2007 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम में एक संशोधन कर वैधानिक तरल कोषानुपात की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया, फलस्वरूप रिजर्व बैंक को तरल कोषानुपात को किसी भी सीमा तक नीचे निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। तरल कोष बैंकों के ही पास रहते हैं, किन्तु इनका प्रयोग उधार देने के लिए नहीं किया जा सकता है।
रिजर्व बैंक जब भी देश में साख की मात्रा कम करना चाहता है, तब वह तरल कोषानुपात में वृद्धि कर बैंकों की साख निर्माण क्षमता घटा देता है तथा इसके विपरीत, जब भी वह साख की मात्रा बढ़ाना चाहता है, तरल कोषानुपात में कमी कर बैंकों की साख सृजन क्षमता को बढ़ा देता है। इस विधि द्वारा रिजर्व बैंक एक आदेश मात्र से तरल कोषानुपात में परिवर्तन कर तत्काल प्रभाव से बैंकों की साख सृजन शक्ति को आसानी से परिवर्तन कर सकता है। रिजर्व बैंक ने इस विधि का अनेक बार प्रयोग किया है। 5 मई, 2022 से वैधानिक तरल कोषानुपात 18 प्रतिशत है।
5. **रेपो दर (Repo rate)- इसे पुनर्क्रय दर (Repurchase rate) भी कहते हैं।** यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रेपो दर का प्रयोग बैंक दर की भाँति किया जाता है। अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने के लिए रिजर्व बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है और साख मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें कमी करता है। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण की इस विधि का प्रयोग अनेक बार किया है। रिजर्व बैंक आजकल रेपो दर का प्रयोग बैंक दर के स्थान पर करने लगा है। मँहगाई में वृद्धि के कारण रेपो दर को 5 मई, 2022 को पौन चार साल बाद (अगस्त 2018 के बाद) 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दी गयी तथा 8 जून, 2022 को इसे पुनः बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया गया है।
6. **व्युत्क्रम रेपो दर (Reverse repo rate) -** यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अतिरिक्त/फालतू तरल कोषों को जमा करता है। रिजर्व बैंक स्फीतिकाल में इस ब्याज दर को बढ़ाकर मुद्रा बाजार में अतिरिक्त तरलता को कम करता है और मन्दीकाल में इस ब्याज दर को घटाकर तरलता/साख की मात्रा में वृद्धि करता है। रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर में अनेक बार परिवर्तन कर चुका है। 8 जून, 2022 को रिवर्स रेपो रेट को 3.35 प्रतिशत पर यथावत बनाये रखा है।
7. **सीमान्त स्थायी सुविधा (Marginal standing facility (MSF))-** रिजर्व बैंक द्वारा यह सुविधा 2011-12 की मौद्रिक नीति घोषणा के समय से प्रारंभ की गई, जो 9 मई, 2011 से प्रभावी है। इस सुविधा के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत के विरुद्ध रात्रिकाल (overnight) के लिए ऋण ले सकते हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत बैंक अपनी शुद्ध मांग एवं समय दायित्वों (NDTL) के अधिकतम 2 प्रतिशत तक उधार ले सकते हैं, जिस पर ब्याज दर रेपो दर से 25 bps (0.25 प्रतिशत) अधिक ली जाती है। 5 मई 2022 से सीमान्त स्थायी सुविधा पर ब्याज दर 4.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.65 प्रतिशत कर दी गई और 8 जून, 2022 को इसे पुनः बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया गया

है। बैंक इस सुविधा का लाभ नकदी संकट के समय तथा अप्रत्याशित गम्भीर तरलता संकट के समय शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर सांय 5.30 बजे से 7.30 बजे के बीच उठा सकते हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत न्यूनतम ऋण राशि 1 करोड़ ₹ है तथा इससे अधिक राशि का ऋण 1 करोड़ ₹ के गुणांक में लिया जा सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा यह सुविधा अन्तर-बैंक बाजार में रातों-रात ब्याज दरों को कम करने तथा वित्तीय प्रणाली में सहज मुद्रा प्रवाह बनाये रखने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी थी।

11.6.2 साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ (Qualitative methods of credit control)

रिजर्व बैंक साख के प्रयोग, वितरण तथा दिशा को प्रभावित करने के लिए साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों का प्रयोग करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियों का उद्देश्य साख के विभिन्न उपयोगों पर निर्धारित प्राथमिकताओं व लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रण करना है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को साख की मात्रा तथा दिशा के नियमन का पूरा अधिकार है। रिजर्व बैंक गुणात्मक साख नियंत्रण की निम्नांकित विधियों का समय-समय पर प्रयोग करता रहा है -

1. **चयनित अथवा प्रवृत्त्य साख नियंत्रण (Selective credit control)-** भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा-36 (1) (a) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सभी बैंकिंग कम्पनियों अथवा किसी एक बैंकिंग कम्पनी को किसी विशेष लेन-देन अथवा विशिष्ट श्रेणी के लेन-देन की मनाही कर सकता है अथवा इसके बारे में सावधानी बरतने का निर्देश दे सकता है। चयनात्मक साख नियंत्रण के निम्नलिखित रूपों का रिजर्व बैंक प्रयोग करता रहा है -

(i) **भिन्न-भिन्न कटौती दर (Differential discount rates)-** रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती भिन्न-भिन्न दरों पर करता है। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक कृषि बिलों की कटौती बैंक दर से 0.5 प्रतिशत कम दर पर करता है। जिन क्षेत्रों में साख की मात्रा को हतोत्साहित करना होता है, वहाँ पुनर्कटौती दर ऊँची रखी जाती है और जिन क्षेत्रों में साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है, वहाँ पुनर्कटौती दर नीची रखी जाती है।

(ii) **मूल्यान्तर निर्धारण (Fixing of margins) -** इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए माल की जमानत पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर मूल्यान्तर (सीमा निर्धारण) कर देता है। मूल्यान्तर जितना अधिक होता है, व्यापारियों को उतना ही कम ऋण मिलता है। रिजर्व बैंक इस विधि का प्रयोग 1956 से धान, चावल, चीनी, गेहूँ, जूट, कपास इत्यादि वस्तुओं पर करता रहा है।

(iii) **आयात पूर्व जमा (Pre-import deposits)-** अनावश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत आयातक को माल के आयात करने से पूर्व ही उसका मूल्य जमा कराने का आदेश दिया जाता है।

(iv) **पूर्वानुमति से ऋण (Loans with prior permission) -** रिजर्व बैंक देश के बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि वे उसकी पूर्वानुमति के बिना निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रदान नहीं करें। उदाहरण के लिए, 1957 में खाद्यान्नों की जमानत पर ऋण देने से पूर्व बैंकों को रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था।

(v) **ऋणों पर प्रतिबन्ध (Restriction on loans) -** रिजर्व बैंक कतिपय क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। उदाहरण के लिए, 1956 में कुछ कम्पनियों के अंश-पत्रों की धरोहर पर ऋण

देने पर रिजर्व बैंक ने प्रतिबन्ध लगाया था। सट्टे के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर भी अनेक बार प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(vi) साख सीमा का निर्धारण (Fixing of credit limit)- रिजर्व बैंक कुछ क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता है अर्थात् बैंक निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्रदान नहीं कर सकते।

(vii) पुनर्वित्त सुविधा को वापस लेना (Withdrawal of refinance facility) - गम्भीर मुद्रा-स्फीति की दशा में रिजर्व बैंक मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कुछ वस्तुओं पर पुनर्वित्त सुविधा समाप्त कर देता है। रिजर्व बैंक ने ऐसा किया भी है।

(viii) ऋण-जमा अनुपात निर्धारित करना (Determining debt-deposit ratio) - रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह क्षेत्र विशेष में अथवा को दिये जाने ऋण तथा जमा का अनुपात निश्चित कर सकता है।

2. **साख की राशनिंग (Rationing of credit)-** इस विधि के अन्तर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख को विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों एवं व्यवसाय के बीच पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर आबंटन (राशनिंग) कर देता है। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वो कुल ऋणों का एक निश्चित भाग (40 प्रतिशत) अनिवार्यतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करेंगे।
3. **नैतिक अनुनय/प्रबोधन (Moral suasion) -** रिजर्व बैंक साख नियंत्रण हेतु बैंकों पर अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग करता है। यह बैंकों को समझाइश के आधार पर निर्धारित साख नियंत्रण नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। रिजर्व बैंक प्रचार-प्रसार, विज्ञापन द्वारा समय-समय पर बैंकों को साख के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक अपने विभिन्न प्रकाशनों, गश्ती-पत्रों (Circulars), प्रेस कान्फ्रेंसों तथा बैंक अधिकारियों की बैठकों में उसके द्वारा निर्धारित साख नीति अपनाने हेतु तार्किक परामर्श देकर अनुरोध करता है। उदाहरण के लिए, 1949 में रुपये के अवमूल्यन के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनुसूचित बैंकों को सट्टा कार्यों के लिए ऋण न देने का अनुरोध किया था। नैतिक अनुनय विधि को **जबड़े की हड्डी का नियंत्रण (Jawbone Control)** अथवा **‘कलाई पर थपक’ (Slap on the wrist)** के नाम से भी जाना जाता है और साख नियंत्रण का यह तरीका भारत, न्यूजीलैण्ड, कनाडा और आस्ट्रेलिया में बहुत सफल रहा है।
4. **प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct action)-** रिजर्व बैंक समय-समय पर अपनी साख नियंत्रण नीति को सफल बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श देता रहता है और उन पर विभिन्न प्रकार से नैतिक दबाव भी बनाता है। इसके उपरान्त भी, यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक की सलाह अथवा आदेश की अवहेलना करता है, तो वह उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। रिजर्व बैंक के पास बैंकों के विरुद्ध आदेशों की अवहेलना करने पर अथवा वित्तीय अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के व्यापक वैधानिक अधिकार हैं। रिजर्व बैंक के परामर्श अथवा आदेशों की अवहेलना करने पर वह बैंक विशेष की ऋण देने की क्रियाओं पर रोक लगा सकता है, उसके काम-काज पर प्रतिबन्ध लगा सकता है और यहाँ तक कि वह बैंक को बन्द करने का आदेश तक भी दे सकता है। नैतिक अनुनय उपायों की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण रिजर्व बैंक के पास बैंकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के व्यापक अधिकार होना है। 1952 में बैंक ऑफ

कराड को बन्द करने का निर्णय तथा मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के काम-काज पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय प्रत्यक्ष कार्यवाही के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

11.7 भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति का मूल्यांकन (Appraisal of RBI's Credit Control Policy)

रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति 'नियंत्रित साख प्रसार' (Controlled credit expansion) की रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य **स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास** (Economic growth with stability) रहा है। नियंत्रित मुद्रा/साख प्रसार नीति के अनुसार रिजर्व बैंक का सदैव यह प्रयास रहा है कि एक तरफ विकास कार्यों हेतु अर्थव्यवस्था में साख की कमी नहीं रहे, तो दूसरी ओर अत्यधिक साख प्रसार के कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिजनक दबाव उत्पन्न न हो। रिजर्व बैंक ने अपनी साख नीति के द्वारा मँहगाई को सीमा में रखते हुए त्वरित आर्थिक विकास हेतु भरसक प्रयास किये हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति आंशिक रूप से ही सफल रही है। रिजर्व बैंक अपनी साख नीति के द्वारा देश में बढ़ती हुई मँहगाई को नियंत्रित रखने में असफल रहा है जिसके कारण रुपये के आन्तरिक मूल्य (क्रय शक्ति) में काफी गिरावट आयी है। अप्रैल, 2022 में खुदरा मँहगाई दर 7.87 प्रतिशत थी, जो पिछले 8 वर्षों के उच्चतर स्तर पर है। अप्रैल, 2022 में थोक मँहगाई 15.08 प्रतिशत थी, जो विगत वर्षों 24 वर्षों में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, रुपये के बाहरी मूल्य (विदेशी विनिमय दर) में भारी गिरावट हुई है। इस संदर्भ में साख नीति की असफलता इस बात से परिलक्षित होती है कि स्वतंत्रता के पश्चात् से लेकर अब तक रुपये का चार बार (1949, 1966 तथा 1991 में दो बार) अवमूल्यन (Devaluation) करना पड़ा। वर्तमान में एक डालर के मुकाबले रुपये का मूल्य गिरकर लगभग 77.5 ₹ से अधिक हो गया है। देश में रोजगार के अवसर अवश्य बढ़े हैं, किन्तु अभी भी नगरीय और ग्रामीण बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर विद्यमान है। जहाँ तक विकास दर का सवाल है, दहाई अंकों में विकास दर का सपना अभी भी दिवास्वप्न बना हुआ है।

रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति की उपर्युक्त असफलताओं के उपरान्त भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह नीति पूरी तरह विफल रही है। रिजर्व बैंक की समयानुकूल उपयुक्त साख नियंत्रण नीति के कारण ही आज भारत विश्व में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन पायी है। आज भारत की विकास दर विश्व में सर्वाधिक है, रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है, गरीबी अपेक्षाकृत कम हुई है तथा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर देश में मौटे तोर पर आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है।

11.8 भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति के अप्रभावी होने के कारण (Causes of ineffectiveness of Credit Control Policy of RBI)

यद्यपि रिजर्व बैंक के पास साख नियंत्रण नीति को लागू करने के व्यापक वैधानिक अधिकार हैं, किन्तु इसके अप्रभावी रहने के अनेक कारण हैं, जो अग्रांकित हैं -

1. **देश में संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार का अभाव है।** इसके अलावा रिजर्व बैंक देश के असंगठित बाजार को नियंत्रित करने में असफल रहा है।
2. **देश में विकसित बिल बाजार का अभाव है।** रिजर्व बैंक देश में बिल संस्कृति का विकास करने में असफल रहा है।
3. **देश में उत्कृष्ट बैंकिंग परम्पराओं का अभाव है,** इस कारण वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के संकेत मात्र पर कार्य नहीं करते।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था में लोचशीलता का अभाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण रेपो दर में परिवर्तन मजदूरी, मूल्यों व ब्याज दरों को तत्काल प्रभावित नहीं कर पाते हैं।
5. देश में विशाल अमौद्रिक क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र रिजर्व बैंक के नियंत्रण के बाहर है।
6. रिजर्व बैंक का देश के मुद्रा एवं पूँजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण का अभाव है।
7. बैंकों के पास पर्याप्त तरल कोष होने के कारण वे रिजर्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहते हैं। इस कारण वे अपने स्तर पर ही साख सृजन कर सकते हैं।
8. रिजर्व बैंक के पास काले धन को रोकने के लिए सीमित अधिकार हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

मान लें कि आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ शिथिल होने लगे, तो आप किस प्रकार की साख नीति अपनायेंगे और क्यों?

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

यदि अर्थव्यवस्था में मँहगाई तेज गति से बढ़ने लगे, तो आप एक अर्थशास्त्री के नाते इसे कम करने के लिए किस प्रकार के मौद्रिक उपाय अपनाने की सलाह देंगे और क्यों?

11.9 सारांश (Summary)

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अधीन हुई और इसने अपना काम विधिवत रूप से 1 अप्रैल, 1935 से करना प्रारंभ किया। रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण करना, सशक्त, सुव्यवस्थित एवं संतुलित बैंकिंग का विकास करना, मुद्रा एवं साख व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन करना, रुपये के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाये रखना, कृषि एवं उद्योगों के लिए पर्याप्त साख सुविधा हेतु विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना इत्यादि थे। रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबन्ध केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है और बैंक का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा, बैंक के चार स्थानीय मण्डल हैं तथा इसका मुख्य कार्यालय मुम्बई में है, जिसके अधीन अनेक प्रशासनिक विभाग कार्यरत हैं। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं -नोट निर्गमन करना, सरकार का बैंकर, अभिकर्ता, सलाहकार, बैंकों का बैंक एवं अन्तिम ऋणदाता, विदेशी विनिमय प्रबन्धन, बैंकिंग प्रणाली का नियमन, समाशोधन कार्य एवं साख नियंत्रण।

रिजर्व बैंक साख नियंत्रण की परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करता है। परिमाणात्मक विधियों के अन्तर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, नकद कोषानुपात एवं वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर को सम्मिलित किया जाता है। गुणात्मक विधियों के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण चयनात्मक साख नियंत्रण विधि है। इसके अतिरिक्त इसके अन्तर्गत साख की राशनिंग, नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्यवाही भी को सम्मिलित किया जाता है। रिजर्व बैंक की साख नीति नियंत्रित विस्तार की रही है और अनेक कारणों की वजह से यह आंशिक रूप से ही सफल रही है।

11.10 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह जानने में सक्षम हो गये होंगे कि :

- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य थे?
- भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबन्ध कैसा है और यह समीचीन है या नहीं?
- भारतीय रिजर्व बैंक किन-किन कार्यों का निष्पादन करता है?

- भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण हेतु किन-किन परिमाणात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियों का प्रयोग कैसे और कब करता है?
- भारतीय रिजर्व बैंक की साख नीति किस सीमा तक सफल रही है?
- भारतीय रिजर्व बैंक की साख नीति के अप्रभावी होने के कौन-कौन से कारण रहे हैं?

11.11 शब्दावली (Glossary)

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled commercial banks)**- ये वे बैंक हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय सूची में सम्मिलित किया हुआ है।
- **साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियाँ (Quantitative methods of credit Control)** - इसके अन्तर्गत साख नियंत्रण की उन विधियों को सम्मिलित किया जाता है, जो केवल साख की मात्रा और लागत को प्रभावित करती हों तथा जिनका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव पड़ता हो।
- **साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ (Qualitative methods of credit control)** - जिन विधियों के द्वारा साख के प्रयोग, वितरण तथा दिशा को प्रभावित किया जाता है, उन्हें गुणात्मक विधियाँ कहते हैं।
- **बैंक दर (Bank rate)**- यह देश के केन्द्रीय बैंक की वह ब्याज दर होती है जिस पर वह वाणिज्यिक बैंकों के विनिमय बिलों एवं अन्य प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है अर्थात् उन्हें उधार देता है।
- **रेपो दर (Repo rate)** - इसे पुनर्क्रय दर भी कहते हैं। यह वह ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है।
- **व्युत्क्रम रेपो दर (Reverse repo rate)**- यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त तरल कोषों को जमा करता है।

11.12 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

अति लघुात्मक प्रश्न (Very - Short Answer Questions)

1. नकद कोषानुपात से आपका क्या आशय है?
2. सांविधिक तरल कोषानुपात का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
3. रेपो दर किसे कहते हैं?
4. प्रवृत्त साख नियंत्रण की किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए।
5. मात्रात्मक एवं गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापन क्यों की गयी ? स्पष्ट कीजिए।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों पर प्रकाश डालिए।
4. भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

11.13 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची (References and Bibliography)

- Desai Vasant : Indian Financial System, Himalaya Publishing House, New Delhi, 2018
- Machiraju, HR : Indian Financial System, Vikash Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi
- Annual Report of RBI
- RBI Bulletin (Monthly)

11.14 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- सिंह, गुप्ता एवं भण्डारी : मुद्रा एवं वित्तीय व्यवस्था, आर.बी.डी .पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2017-18
- झिंगन, एम.एल. : मुद्रा , बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और लोक वित्त, वृंदा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1018-19
- सेठी, टी.टी. : मुद्रा, बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2009

11.15 वेबसंसाधन लिंक (Web Resources/Links)

- <https://rbi.org.in/hindi/scripts/AboutUs.aspx>
- <https://navbharattimes.indiatimes.com/topics/rbi>
- <https://hi.wikipedia.org/wiki>

इकाई-12

भारत में वाणिज्यिक बैंक

(Commercial Banks in India)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 12.0 उद्देश्य
- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 बैंक का अर्थ एवं परिभाषा
- 12.3 भारतीय बैंकिंग का विकास
- 12.4 वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार
- 12.5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- 12.6 वाणिज्यिक बैंकों के कार्य
- 12.7 सारांश
- 12.8 अधिगम परिणाम
- 12.9 शब्दकोष
- 12.10 स्वपरख प्रश्न
- 12.11 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 12.12 अन्य पठन सामग्री
- 12.13 वेब संसाधन/लिंक

12.0 उद्देश्य (Objective)

दैनिक बोलचाल की भाषा में बैंक से हमारा तात्पर्य व्यापारिक बैंक से ही होता है। ये बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं और व्यापार और उद्योग को साख सुविधा प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक की आय का मुख्य साधन ब्याज का वह अंतर है जो ये ऋणों पर लेते हैं और अपने ग्राहकों को जमा पर देते हैं। व्यापारिक बैंकों का कार्य देश के चालू व्यापार को आर्थिक सहायता देना है। यह बैंक प्रायः अल्पकालीन ऋण देते हैं। देश के आंतरिक व्यापार की उन्नति कुछ सीमा तक इन बैंकों पर ही निर्भर है। धन जमा करना एवं धन उधार देना इन बैंकों का प्रधान कार्य है। भारत में अनेक राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक हैं जिनमें से प्रमुख बैंकों के नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि। ये सभी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिनकी पूँजी का अधिकांश भाग सरकार का होता है। सरकारी स्वामित्व होने के कारण इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सामाजिक उद्देश्यों को अधिक महत्त्व देना है। इस इकाई में हम व्यापारिक बैंक का अर्थ, परिभाषा, इनके कार्य, प्रकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय बैंकिंग का विकास, सार्वजनिक, निजी, विदेशी तथा क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंकों का अध्ययन करेंगे।

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द Banco (बैंको) से हुई मानी जाती है, जो फ्रेंच भाषा के शब्द Banke (बैंके) से बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में Bank (बैंक) हो गया है। बैंकों का अभिप्राय बैंच से है। पहले जमाने में कुछ लोग बैंचों पर बैठकर मुद्रा का लेन-देन करते थे। इसी से कालान्तर में बैंक शब्द मुद्रा का लेन-देन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग होने लगा।

बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, परन्तु यह माना जाता है कि आधुनिक बैंकों का आरम्भ यूरोप से हुआ और बाद में ये शनैः-शनैः सारी दुनिया में फैल गए।

12.2 बैंक का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Bank)

प्राचीन काल में आज जैसे बैंक नहीं थे, तथापि अनेक देशों में बैंकिंग कार्य महाजन, सुनार और सर्राफ, आदि द्वारा किया जाता था। आधुनिक बैंकिंग का शुभारंभ सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ माना जाता है जबकि सन् 1609 में Bank of Amsterdom (हॉलैण्ड), सन् 1619 में Bank of Hamburg (जर्मनी) और सन् 1694 में Bank of England (इंग्लैण्ड) स्थापित हुए। धीरे-धीरे बैंकों का आर्थिक महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूजी वाले बैंक स्थापित किए जाने लगे। इससे विकास की गति तेज हो गई। आधुनिक बैंकों के तीन पूर्वज हैं-व्यापारी (Merchant) महाजन, (Money lender) और सुनार (Gold Smith)।

बैंक की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं

गिलबर्ट (Gillbert) के अनुसार, “बैंक ‘पूजी’ अथवा, सही शब्दों में, ‘मुद्रा’ का व्यवसाय है।” इसका तात्पर्य यह है कि बैंक उधार देने वालों तथा उधार लेने वाले के बीच की एक कड़ी है क्योंकि वह कुछ व्यक्तियों से रकम जमा करके अन्य व्यक्तियों को उधार देता है।

बैंक की यह परिभाषा बहुत व्यापक (comprehensive) नहीं है क्योंकि यह बैंकों के केवल दो कार्यों ‘जमा करना और ऋण देना’ को महत्व देती है जबकि आधुनिक बैंकों के कार्य इससे कहीं अधिक विस्तृत हैं।

प्रो. किनले (Kinley) के अनुसार, बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है तथा लोग अपना पैसा उसमें जमा करते हैं जब उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती।

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) के अनुसार

“बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चैक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। इस परिभाषा में भी केवल जमा करने तथा ऋण देने सम्बन्धी क्रियाओं को बैंकिंग बताया गया है किन्तु इस परिभाषा में बैंकों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सम्मिलित नहीं हुए हैं।”

सेयर्स (Sayers) के अनुसार, “बैंक वह संस्था है, जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक ऋणों के भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है।”

हॉरेस हाइट (Horace White) के अनुसार, “बैंक साख का एक निर्माता और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यन्त्र है।”

क्राउथर (Crowther) के अनुसार, “बैंक अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है अर्थात् बैंक का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और बदले में अपने ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है।”

फिण्डले शिराज (Findlay Shirras) के मतानुसार, “बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कम्पनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां जमा या मुद्रा संग्रह या ड्राफ्ट और चैक से भुगतान या वसूल की जाने वाली राशियों से खाते खोले जाते हों, अथवा जहां स्टॉक, बॉण्ड और धातु के आधार पर मुद्रा के अग्रिम या ऋण दिए जाते हों और विनिमय बिलों व ऋणपत्रों को कटौती और बिक्री के लिए स्वीकार किया जाता हो।”

उपर्युक्त परिभाषाओं में बैंक को साख का निर्माण अथवा व्यवसाय करने वाली संस्था बताया गया है। निःसन्देह साख का निर्माण बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस पर भी यह परिभाषाएं बैंक की सही प्रकृति को पूर्णतया स्पष्ट नहीं करतीं।

अतः यह कहा जा सकता है कि चाहे ये सब कार्य एक व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, परन्तु कोई भी तब तक बैंकर या बैंक नहीं कहला सकता है, जब तक कि वह ये शर्तें पूरी न करता हो-

- (i) बैंकिंग उसका मान्यता प्राप्त व्यवसाय हो,
- (ii) वह अपने आपको बैंकर या बैंक मानता हो एवं जनता भी ऐसा समझती हो,
- (iii) उसका विचार भी ऐसा कार्य करके धनोपार्जन करना हो, एवं
- (iv) वह उसका गौण व्यवसाय न हो, बल्कि वह मुख्य व्यवसाय हो।

इस प्रकार बैंक अथवा बैंकिंग व्यवसाय का अर्थ ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करने से

है। जो माँगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके एवं चैक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा

सके अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों का अर्थ उन बैंकों से है जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य करते हैं।

12.3 भारतीय बैंकिंग का विकास (Development of Indian Banking)

बैंकों का आरम्भ भारत में ब्रिटिश शासन-काल में हुआ। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में एजेन्सी गृहों की स्थापना हुई। ये एक प्रकार की व्यापारिक फर्में थी जो व्यापार के साथ बैंकिंग कार्य भी करती थी। सन् 1770 में एलेक्जेंडर एण्ड कं. एजेन्सी गृह ने भारत में आधुनिक ढंग का सबसे पहला दी बैंक ऑफ हिन्दुस्तान स्थापित किया। किन्तु 1832 में एलेक्जेंडर एण्ड कं. के फेल हो जाने पर बैंक भी बन्द हो गया। सन् 1770 से 1870 के बीच देश में 39 बैंक स्थापित हुए किन्तु इनमें से अधिकतर समाप्त हो गये। इन बैंकों ने इतना अवश्य किया कि देश में बैंकिंग व्यवस्था की नींव डाली।

आधुनिक बैंकिंग के विकास का दूसरा युग: प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना के साथ आधुनिक बैंकिंग का विकास प्रारम्भ हुआ। सन् 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। सन् 1840 में बैंक ऑफ बम्बई तथा सन् 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों के शेयर खरीदकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उन्हें पूँजी प्रदान की। सन् 1862 तक इन बैंकों को पत्र मुद्रा जारी रखने का भी अधिकार प्राप्त था। इन बैंकों का भारतीय बैंकिंग के इतिहास में विशेष स्थान रहा। सन् 1921 में इन तीन बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई तथा 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बदल दिया गया।

बैंकिंग संकट काल (1913-17): सन् 1913 से बैंकों पर संकट के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे। प्रथम विश्वयुद्ध काल में तो स्थिति अधिक खराब हो गयी। सन् 1913 से 1917 के बीच कुल 87 बैंक फेल हो गये और उनकी लगभग

175 लाख रुपये की चुकता पूँजी डूब गयी जो उस समय के कुल बैंकों की चुकता पूँजी की लगभग आधी थी। इससे बैंकिंग व्यवसाय के प्रति जनता में अविश्वास की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इस काल में बैंकों के फेल होने के प्रमुख कारण ये थे कि स्वदेशी आन्दोलन के भावनात्मक प्रभाव में बहुत से ऐसे बैंक स्थापित हो गये जिनके पास न तो पर्याप्त साधन थे और न ही उनके प्रबन्ध तथा संचालन की उचित व्यवस्था थी। इस काल में देश में न तो कोई केन्द्रीय बैंक था और न ही बैंकों में पारस्परिक सहयोग की भावना थी। जनता में भी बैंकिंग की भावना का अभाव था, इसलिए जरा-सी अफवाह फैलने पर जमाकर्ता बैंक से जमाराशि की माँग करने लगते थे और अपना जमा धन तुरन्त वापस माँगने लगते थे। ऐसे संकटग्रस्त बैंकों द्वारा माँग का भुगतान न कर पाने पर उनका फेल हो जाना निश्चित हो जाता था। इस प्रकार सन् 1913 से 1917 तक का काल बैंकिंग संकट का विकट काल था।

दो महायुद्धों के बीच का काल (1918-38) : सन् 1918 से बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगा। प्रथम युद्ध-काल में मुद्रा-प्रसार के कारण जनता के पास अधिक धन पहुँच जाने से बैंकों के पास जमाएं बढ़ने लगी। पुराने बैंकों ने व्यापार का विस्तार किया और कई नये बैंकों की स्थापना भी हुई। सन् 1918 से 1921 तक के काल में देश में कुछ औद्योगिक बैंक भी खोले गये। सन् 1921 में भारत सरकार की मुद्रा-संकुचन की नीति से उत्पन्न व्यापारिक मन्दी के कारण बैंकों पर फिर से संकट आ गया। परिणामस्वरूप अनेक बैंक फेल हो गये। सन् 1924 से स्थिति में कुछ सुधार होने लगा और 1930 तक फेल होने वाले बैंकों की संख्या बहुत कम रही। सन् 1930 में आरम्भ हुई विश्वव्यापी मन्दी के कारण भारत में बैंकों के फेल होने का क्रम फिर से शुरू हो गया जो द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक चलता ही रहा।

महान् मन्दी के प्रारम्भ होने पर सन् 1930 में भारत सरकार ने केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति को नियुक्त किया था, जिसने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये :

- (1) देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए। तथा
- (2) एक व्यापारिक बैंकिंग कम्पनीज एक्ट बनाया जाए।

देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में सन् 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। सन् 1935 में इण्डियन कम्पनीज एक्ट (1913) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्धित नियमों में संशोधन किये गये।

द्वितीय महायुद्ध का काल : सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नया जीवन मिला। इस काल में मुद्रा-प्रसार के कारण सभी बैंकों के निक्षेप बढ़ गये, जिससे बैंकों को अपने व्यापार का विस्तार करने तथा अधिक साख का निर्माण करने का अवसर मिला। इन सब कारणों से द्वितीय युद्धकाल में भारतीय, बैंकों ने आशातीत उन्नति की एवं जनता का विश्वास बैंकों के प्रति बढ़ने लगा। सन् 1939 में इम्पीरियल बैंक सहित अनुसूचित व विनिमय बैंकों की कुल संख्या 51 थी जो 1946 में 93 हो गयी।

युद्धोत्तर-काल : युद्धकालीन संकट का अन्त होते ही व्यापार, आयात-निर्यात आदि अपने सामान्य रूप में आने लगे जिससे भारतीय बैंकों की सम्पति एवं दायित्व राशियों में परिवर्तन आरम्भ हो गया। निक्षेप गिरने लगे तथा उनकी रचना में परिवर्तन होने लगा। परन्तु युद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद बैंकों के विकास में कोई बाधा नहीं आयी।

15 अगस्त, 1947 को देश स्वतन्त्र हुआ और इसके साथ ही देश का दो भागों में विभाजन हो गया। इसका देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। संकटग्रस्त बैंकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की सहायता देने की भी व्यवस्था की गयी। जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की नीति में समन्वय स्थापित करना था। इसका मुख्यालय मुम्बई में स्थापित था। 16 मार्च 1949 से देश में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट लागू किया गया जिसके अन्तर्गत बैंकिंग व्यवस्था से सम्बन्धित व्यापक नियम बनाये गये और रिजर्व बैंक को बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने के विस्तृत अधिकार दिये गये।

12.4 वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार (Types of Commercial Banks)

भारतीय व्यापारिक बैंकों के निम्न प्रकार हैं- व्यापारिक बैंकों को संवैधानिक दृष्टिकोण से स्वामित्व एवं प्रबंध नियंत्रण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

(I) संवैधानिक आधार पर (On the Basis of Constitution) संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों का आशय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बनाये गये संविधान के अन्तर्गत रजिस्टर्ड बैंक से है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार निम्नलिखित हैं-

1 अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks)- अनुसूचित बैंक वह बैंक है, जिसका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची द्वितीय में सम्मिलित किया गया है। इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है, जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हैं-

- (1) बैंक की प्रदत्त पूँजी एवं संचित कोष 5 लाख रु. से कम न हो।
- (2) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को इस बात की सन्तुष्टि हो कि बैंक का कोई भी कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित में होगा तथा जमाकर्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी।

उक्त शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात् अनुसूचित बैंक को अग्रलिखित सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं-

- (1) व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- (2) व्यापारिक बैंक को स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त हो जाती है।
- (3) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया प्रथम श्रेणी के विनियम पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी देता है, किन्तु इन सुविधाओं के बदले अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास RBI द्वारा निर्धारित औसत दैनिक नकद कोष रखना पड़ता है एवं RBI Act, 1934 एवं बैंकिंग अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आवर्ती विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2 गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Bank)- गैर-अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अनुसूची द्वितीय में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन बैंकों को भी सांख्यिक नकद कोष शर्तों को मानना पड़ता है, किन्तु इस कोष को ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास रखने को बाध्य नहीं हैं। ये बैंक इस राशि को अपने पास रख सकते हैं। ये बैंक सामान्य कार्य हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते हैं, किन्तु असामान्य परिस्थितियों में सम्पर्क करके उधार प्राप्त कर सकते हैं।

(II) स्वामित्व एवं प्रबंध नियंत्रण के आधार पर (On the basis of ownership and control): स्वामित्व एवं प्रबंध नियंत्रण के आधार पर भारत में वाणिज्यिक बैंकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- (1) सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक भारत के बैंकिंग व्यवसाय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रमुख स्थान है। इनके भी दो मुख्य उपवर्ग हैं :

(क) भारतीय स्टेट बैंक समूह एवं (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक

(क) **भारतीय स्टेट बैंक समूह-** इस समूह में भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सात सहायक बैंक सम्मिलित हैं एवं यह भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सरकार ने उस समय के विद्यमान इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अधिग्रहीत कर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की थी। उस समय लगभग 93 प्रतिशत शेयर्स रिजर्व बैंक के पास थे। जहाँ कहीं भी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं हैं, भारतीय स्टेट बैंक उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 के

अंतर्गत आठ राज्यों से संबद्ध (associated) बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित किया गया।

इस प्रकार वर्तमान में स्टेट बैंक समूह में सात बैंक सम्मिलित हैं। वर्तमान में इन सात सभी स्टेट बैंको को SBI (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) का नाम दिया गया है। स्टेट बैंक समूह की स्थापना का उद्देश्य देश के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना एवं विस्तृत करना था।

(ख) **राष्ट्रीयकृत बैंक**-19 जुलाई 1969 को बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम 1970 के अंतर्गत देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का जिनकी प्रत्येक की जमा राशियाँ 50 करोड़ रुपए से अधिक थीं, का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पुनः लगभग एक दशक के बाद 15 अप्रैल 1980 को अन्य 6 वाणिज्य बैंकों को जिनकी जमा राशियाँ 200 करोड़ रुपए से अधिक थीं उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। वर्तमान में 6 जनवरी 2023 को सार्वजनिक बैंको के समविलयन के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो गई है। यह बैंक है:

1. पंजाब नेशनल बैंक (समायोजित ओरिएण्टल बैंक और कॉमर्स और युनाइटेड बैंक)
2. इण्डियन बैंक (समायोजित ईलाहबाद बैंक), चैन्नई
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (समायोजित सभी 7 एसोसिएट बैंक) मुम्बई
4. कनेरा बैंक (समायोजित सिंडीकेट बैंक बेगलुरु)
5. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया (समायोजित आंध्रा बैंक और कोरपोरेशन बैंक) मुम्बई
6. इण्डियन ओवरसिज बैंक, चैन्नई
7. युको बैंक, कोलकाता
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, पुणे
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, न्यु दिल्ली
10. बैंक ऑफ इण्डिया मुम्बई
11. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया मुम्बई
12. बैंक ऑफ बड़ोदरा गुजरात

(2) निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक-निजी क्षेत्र के बैंकों को दो भागों में विभक्त किया गया:

(क) **निजी स्वामित्व के व्यापारिक बैंक**- निजी क्षेत्र के बैंकों की दो श्रेणियाँ हैं। ऐसे निजी क्षेत्र के बैंक जो राष्ट्रीयकरण के समय विद्यमान थे, उनकी संख्या 23 है एवं उन्हें पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 1993 तक कोई भी निजी क्षेत्र का बैंक स्थापित न हो सका। 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जिनके अनुसार नए बैंकों की न्यूनतम पूँजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए एवं उन्हें पूँजी पर्याप्तता के 8 प्रतिशत मानदंड को स्थापना के प्रारंभ से ही पालन करना होगा। उक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर 9 नए बैंक स्थापित किए गए। उनमें से एक बैंक का बाद में दूसरे बैंक के साथ विलय हो गया। 30 मार्च 2002 को आई.सी.आई.सी.आई. लि. (ICICI Ltd.) जो एक महत्वपूर्ण विकास वित्त संस्था थी का विलय उसकी ही सहायक कंपनी अर्थात् आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. के साथ हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने बैंक ऑफ राजस्थान के संविलयन को सहमति प्रदान की जिससे बैंक ऑफ राजस्थान की सभी शाखाएं ICICI बैंक के नाम से कार्य करने लगी। अब यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक के पश्चात् भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। यह बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 2001 में यह दिशा-निर्देश संशोधित किया गया एवं इन बैंकों

में पूँजी की मात्रा को बढ़ाकर 200 करोड़ (पुनः 300 करोड़ बढ़ाई जानी है) रुपए कर दी गई एवं पूँजी पर्याप्तता के मानदंड को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

(ख) विदेशी बैंक- इस समय भारत में RBI के अनुसार 24 नवम्बर 2022 तक भारत में 46 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। ये भारत के बाहर निगमित (Incorporated) बैंकिंग कंपनियों की शाखाएँ हैं। भारत में कार्यरत शीर्ष विदेशी बैंक निम्न है:

बैंक ऑफ अमेरिका, दोहा बैंक, डयूश बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आदि भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक हैं। Standard chartered Bank इस बैंक की भारत के 43 शहरों में 300 शाखाएँ हैं।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)- देश के आर्थिक विकास को तभी गति प्रदान की जा सकती है जब ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए। अतः ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यह अनुभव किया गया कि व्यापारिक बैंक ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो रहे हैं। अतः ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बैंकिंग संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए। सन् 1975 में भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। देश के ग्रामीण भागों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप क्षेत्रों में विभाजित कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इनकी अधिकृत पूँजी 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा इन बैंकों को प्रायोजित करने का निर्णय लिया गया। यह बैंक ग्रामीण साख व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। 1 अप्रैल 2022, तक देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। इनमें केरल ग्रामीण बैंक देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इसकी स्थापना 8 जुलाई 2013 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय मल्लापुरम, केरल में है। इनकी सेवाएं, गोआ एवं सिक्किम राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। एवं Union Territories में भी इन्हें स्थापित नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में RRBS की संख्या सबसे अधिक 36 है। मध्यप्रदेश में 19 एवं बिहार में 16 RRBS हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

- निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता –
 (अ) टेली बैंकिंग (ब) स्व-चालित टेलर मशीन
 (स) होम बैंकिंग (द) मर्चेन्ट बैंकिंग
 - वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों के संविलयन के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हैं?
 (अ) 10 (ब) 8 (स) 12 (द) 11
 - सार्वजनिक बैंकों के संविलयन के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक इनमें से नहीं है –
 (अ) यूको बैंक, कोलकाता
 (ब) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे
 (स) बैंक ऑफ राजस्थान
 (द) बैंक ऑफ बड़ोदरा, गुजरात
 - स्वामित्व एवं प्रबंधन नियंत्रण के आधार पर भारत में वाणिज्यिक बैंकों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?
 (अ) पांच श्रेणियों में (ब) तीन श्रेणियों में (स) दो श्रेणियों में (द) छः श्रेणियों में
- उत्तर : 1(द) 2(स) 3(स) 4(स)**

12.5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Bank)

राष्ट्रीयकरण का अर्थ (Meaning of Nationalisation) - जब सरकार किसी उद्योग या व्यापार का स्वामित्व स्वयं ग्रहण कर लेती है तो इस क्रिया को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इस व्यवस्था में सम्बन्धित उद्योग का अधिकार सरकार के हाथ में आ जाता है, उसके संचालन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है और उससे सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण भी सरकार द्वारा होता है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण करने पर किसी उद्योग का स्वामित्व, नीति निर्धारण, संचालन तथा नियन्त्रण आदि सभी कार्य सरकार के हाथ में आ जाते हैं।

व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Commercial Banks)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। श्रीमती गांधी ने एक अध्यादेश द्वारा जो बाद में कानून बन गया, देश के 14 बड़े अनुसूचित बैंकों जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक थी, सरकारी स्वामित्व में ले लिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों पर केन्द्रिय सरकार का अधिकार हो गया और पुराने बैंकों को मुवाअजा देने के नियम निर्धारित किये गये। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अलग-अलग इकाईयों के रूप में कार्य करने के लिये कहा गया। उनके नाम के साथ 'लिमिटेड' शब्द हटा लिया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा बैंकों पर लगाये गये नियन्त्रण तथा रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंकों से सम्बन्धित अधिकार इन बैंकों पर पूर्ण रूप से लागू होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रिय सरकार द्वारा दिये गये आदेश मानने के लिये बाध्य होंगे और निर्धारित नियमों का पालन करेंगे।

राष्ट्रीयकरण की विशेषताएं (Characteristics of Nationalisation) – चौदह वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:

1. भारत के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का नियन्त्रण, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक थी, सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था।
2. जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनके नाम निम्नलिखित हैं:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (Central Bank of India) बैंक ऑफ इण्डिया (Bank of India) पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक (United Commercial Bank) कनारा बैंक (Canara Bank) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया (United Bank of India) देना बैंक (Dena Bank) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (Union Bank of India) इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) सिन्डिकेट बैंक (Syndicate Bank) इण्डियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) इण्डियन बैंक (Indian Bank) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)

इस सूची का क्रम बैंकों के व्यवसाय के आकार के अनुसार है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया अपनी जमा तथा ऋणों की राशि के आधार पर सबसे बड़ा बैंक था तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे छोटा बैंक था।

3. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सन् 1968 के अंत में इन बैंकों की कुल जमा राशि 2,741.76 करोड़ रुपये तथा अग्रिम राशि 1,743.66 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार समस्त अनुसूचित बैंकों की कुल जमा राशि का 62 प्रतिशत तथा कुल अग्रिम राशि का 65 प्रतिशत भाग इन चौदह बैंकों के पास था। इन बैंकों की चुकता पूंजी 28.50 करोड़ रुपये थी जो इनके कुल साधनों का लगभग 1 प्रतिशत भाग थी। स्पष्ट था कि ये बैंक अपना व्यवसाय दूसरों की पूंजी से ही चला रहे थे। इनके पास अपनी स्वयं की पूंजी नाममात्र की ही थी अतः देश हित को देखते हुए राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया।

4. राष्ट्रीयकृत बैंकों की समस्त सम्पत्ति, दायित्व और कोष सरकारी नियन्त्रण में आ गये।
5. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशधारियों को आपसी समझौते के अनुसार अथवा न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गयी। कुल क्षतिपूर्ति की राशि लगभग 82.5 करोड़ रुपये आंकी गयी जिसका भुगतान प्रतिभूतियों के रूप में करने की व्यवस्था की गयी।
6. यद्यपि प्रत्येक बैंक के लिये एक संरक्षक की नियुक्ति कर दी गई परन्तु केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।
7. प्रत्येक बैंक के अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक तथा संचालक मण्डल के सभी सदस्यों को उनके कार्यभार से मुक्त कर संचालक मंडल को भंग कर दिया गया।
8. इन बैंकों के अन्य कर्मचारी तथा अधिकारी अपने पदों पर यथावत बने रहे। अब वे सरकारी कर्मचारी हो गए थे।
9. राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन के लिये सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था।
10. विदेशी बैंकों की भारत में स्थित शाखाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। साथ ही 50 करोड़ रुपये से कम जमा राशि वाले बैंक भी निजी क्षेत्र में ही रहने दिये गये, क्योंकि इनका व्यवसाय का क्षेत्र सीमित था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं ये तर्क इस प्रकार हैं :

- (1) कुशल प्रबन्ध के लिए बैंकों की साख-नीति पर सफल व प्रभावकारी नियन्त्रण तभी हो सकता है जब बैंक सरकार के स्वामित्व में हो।
- (2) निजी बैंकों की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंक अधिक कार्यकुशल होते हैं।
- (3) समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होता है।
- (4) केन्द्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था के बीच एकता अथवा एकरूपता तभी सम्भव हो पाती है जब दोनों पर सरकार का स्वामित्व हो।
- (5) यदि निजी बैंक अन्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हो तो इनका राष्ट्रीयकरण पहले ही कर लेना उचित है।

सैद्धान्तिक आधार पर उपर्युक्त तर्कों के अतिरिक्त, कुछ अन्य तर्क भी दिये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं:-

- (1) **सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था:-** बैंकों के राष्ट्रीयकरण से स्वस्थ एवं दृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना होती है जिससे बैंक के फेल होने का भय नहीं रहता, जमाकर्ताओं का धन पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है और बैंकों के माध्यम से अधिकाधिक मात्रा में पूँजी एकत्र करना सम्भव होता है।
- (2) **एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक :** बैंकों के निजी स्वामित्व में रहना बड़े उद्योगों व बैंकों में गठबन्धन को प्रोत्साहित करना है। उद्योगपति बैंकों पर अधिकार जमा कर बैंकों के साधनों का अनेक उद्योगों के लिए प्रयोग करने लगते हैं। इससे अधिक शक्ति का थोड़े से लोगों के हाथों में केन्द्रीयकरण होता है और एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यह स्थिति सर्वसाधारण के विरुद्ध होती है और इसका अन्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो जाता है।
- (3) **आर्थिक विकास में सहयोग :** राष्ट्रीयकरण करने से बैंक देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देते हैं। बैंकों पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना अधिक सरल हो जाता है।

(4) अवांछनीय क्रियाओं पर नियन्त्रण : निजी स्वामित्व वाले बैंकों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। इस की पूर्ति के लिए बैंक समाज-विरोधी अवांछनीय कार्यों, जैसे सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी, अनुचित संग्रह, चोरबाजारी आदि के लिए भी ऋण देते हैं। इससे आन्तरिक व्यापार में अव्यवस्था फैलती है। तस्करी को बढ़ावा मिलता है और बैंकिंग साधनों का दुरुपयोग होता है। ऐसे कार्य रोकने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य होता है।

(5) नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नियोजित अर्थ-व्यवस्था के संचालन में सहायता मिलती है। प्रथम बैंकों के वित्तीय साधनों का प्रयोग सुनियोजित ढंग से निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार होने के कारण आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति अधिक सुनिश्चित हो जाती है। द्वितीय साख-नियन्त्रण का कार्य अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सकता है जिससे कीमतों तथा लागत के ढाँचे में स्थिरता लायी जा सकती है। तृतीय, बैंको से सरकार को लाभ प्राप्त होता है जिससे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण अनेक प्रकार से सहायक होता है।

राष्ट्रीयकरण का विरोध: देश के प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण कदम है। जनसाधारण द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का हार्दिक स्वागत किया गया, परन्तु देश में ऐसे लोग भी कम नहीं थे जिन्होंने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया जो निम्नलिखित हैं:-

(1) यह आशंका प्रकट की गयी कि व्यावहारिक रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे जिनके लिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य छोटे किसानों उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए बैंकों के दरवाजे खोलना है परन्तु यह सन्देह प्रकट किया गया कि ये लोग बैंक की पर्याप्त मात्रा में सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे।

(2) एक आशंका यह भी की गयी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबन्ध-व्यवस्था इतनी कुशल नहीं होगी जितनी की राष्ट्रीयकरण से पहले थी। सरकारी व्यवस्था विलम्ब, फीताशाही तथा अव्यावहारिकता के लिए काफी बदनाम है और इसका प्रभाव बैंकों पर भी पड़ेगा।

(3) बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण आंशिक मद्य-निषेध के समान अनेक कठिनाइयों उत्पन्न करेगा। यह आशंका प्रकट की गयी कि निजी क्षेत्र में देशी तथा विदेशी बैंक अधिक जमाराशि प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

(4) राष्ट्रीयकरण के विरोधियों का कहना था कि जिस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अचानक घोषणा की गयी, यह आपत्तिजनक थी। इससे औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र को धक्का पहुँचा।

(5) अनेक अर्थशास्त्रीयों के विचार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सामाजिक नियन्त्रण की नीति के अन्तर्गत बैंकों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये जा चुके थे और उनकी व्यवस्था तथा कार्यों में सुधार हो रहा था। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वे सामाजिक नियन्त्रण की योजना द्वारा भी पूरे किये जा सकते थे।

निःसन्देह बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक सही दिशा में उठाया गया सही कदम था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग काफी समय से की जा रही थी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीयकरण की घोषणा अचानक करना ही उचित था। राष्ट्रीयकरण राजनीतिक कारणों से नहीं किया गया, बल्कि इसने राजनीतिक मतभेदों को जन्म दिया। बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था से अधिक आशा नहीं की जा सकती थी। आर्थिक विकास से सम्बन्धित निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था। चौदह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेने पर लगभग 85 प्रतिशत बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार का अधिकार हो गया। इसने जनसाधारण में नयी आशाओं की लहर उत्पन्न की। बैंकों के कर्मचारियों ने भी इसका स्वागत किया। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है। 15 अप्रैल, 1980 से जिन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है इनमें प्रत्येक की जमा राशि 14 अप्रैल,

1980 को 200 करोड़ से अधिक थी। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गयी है। इन छः बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल जमाराशियों तथा बकाया ऋणों की राशियों में हिस्सा क्रमशः 84.1 प्रतिशत तथा 84.2 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 90.8 प्रतिशत तथा 90.7 प्रतिशत हो गया है। जिन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनके नाम ये हैं :

आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यु बैंक आफ इण्डिया, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा विजया बैंक।

शाखाओं की संख्या तथा जमाराशियों के आधार पर सब से बड़ा बैंक आन्ध्रा बैंक था। दूसरा स्थान पंजाब एण्ड सिंध बैंक का था। सबसे छोटा बैंक ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स था। 4 सितम्बर, 1993 को न्यु बैंक आफ इण्डिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर $14 + 6 = 20 - 1 = 19$ हो गई। एवं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, पूर्व में इसका पूर्ण विवरण-दिया जा चुका है।

12.6 वाणिज्यिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks)

इसमें वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य जमाएं प्राप्त करना, ऋण देना, प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य एवं नवीन कार्यों को सम्मिलित किया गया है :

(I) जमाएं प्राप्त करना (Receiving Deposits)

आधुनिक व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से रकम जमा करना होता है। बैंक प्रायः सभी वर्गों के लोगों से रकम जमा करते हैं, अतः वह विभिन्न वर्गों की सुविधा के लिए जमा योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के द्वारा विभिन्न वर्गों को बैंक में रकम जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें निम्न खातों के द्वारा ग्राहकों से जमाएं स्वीकार की जाती हैं:

i. चालू खाता (Current Account)

चालू खाते की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी समय कितनी भी रकम या रकमों जमा कराई जा सकती हैं और आवश्यकतानुसार कितनी भी बार निकलवाई जा सकती हैं। इस दृष्टि से बड़े-बड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए, जिनके पास प्रतिदिन भुगतान में अनगिनत चैक आते हैं और जिन्हें प्रतिदिन भुगतान में अनेक चैक देने पड़ते हैं, चालू खाता अत्यन्त सुविधाजनक एवं उपयोगी होता है।

चालू खाता एक महत्वपूर्ण सुविधा है क्योंकि इस खाते का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लेन-देन का सम्पूर्ण हिसाब बैंक रखता है और यदि कभी आवश्यकता पड़ जाय तो किसी भी भुगतान का प्रमाण बैंक प्रस्तुत कर सकता है। इस दृष्टि से चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को प्रायः उनकी जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। कुछ छोटे बैंक चालू खाते पर सांकेतिक ब्याज (Token Interest) दे देते हैं। वास्तव में, चालू खाते पर प्रायः प्रत्येक अच्छे बैंक द्वारा कुछ आकस्मिक शुल्क भी लिया जाता है। यह शुल्क इसलिए लिया जाता है क्योंकि बैंकों को चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों के लेन-देन का ब्यौरा समय-समय पर भेजना पड़ता है, उनके खातों में अनेक भुगतान करने पड़ते हैं और चालू खातों में जमा रकम का प्रयोग भी अत्यन्त सीमित रूप में ही किया जा सकता है क्योंकि यह रकम किसी भी समय ग्राहक द्वारा निकाली जा सकती है।

ii. बचत खाता (Saving Bank Account)

वेतनभोगी जनता तथा अन्य सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकों द्वारा एक विशेष प्रकार के खाते की व्यवस्था की जाती है जिसे 'बचत खाता' कहते हैं। इस खाते में छोटी रकमों भी जमा की जा सकती हैं। इस प्रकार के खातों में रकमों दिन में कितनी ही बार जमा तो करवा सकते हैं परन्तु निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल एक या दो बार ही

दी जाती है। बचत खाता सामान्य आय वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अत्यन्त उपयोगी होता है क्योंकि इसमें रकम जमा करने तथा निकालने की सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

iii. स्थाई जमा खाता (Fixed Deposit Account)

स्थायी जमा खाते में प्रायः एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करवाई जा सकती है। रकम जमा करते समय एक जमा रसीद (Deposit Receipt) मिलती है जिस पर रकम जमा होने की तारीख, रकम निकालने की तिथि तथा रकम और ब्याज की दर लिखी जाती है। यह (जमा रसीद) अपरिवर्तनीय (Non-transferable) होती है, अर्थात्, इस पर वर्णित रकम केवल जमा कराने वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं।

जमा खातों में जमा करवायी गयी रकम अवधि बीतने पर लौटाई जा सकती है, उससे पूर्व नहीं। यदि जमा करने वाले को समय से पूर्व रकम की आवश्यकता हो तो वह जमा रसीद की जमानत पर ऋण ले सकता है। इस ऋण पर प्रायः जमा पर मिलने वाले ब्याज से अधिक ब्याज देना पड़ता है।

iv. घरेलू बचत खाता (Home Saving Account)

भारत में कुछ बैंकों द्वारा अल्प बचत योजनाएं लागू की गई हैं जिनके अनुसार बैंक के कर्मचारी ग्राहक के घर जाते हैं और ग्राहक जो रकम जमा करना चाहता है वह जमा कर उसे रसीद तत्काल दे देते हैं। ग्राहकों के घर वे प्रायः महीने के पहले सप्ताह में चक्कर लगाते हैं क्योंकि उस समय उनके पास जमा के लिए कुछ रकम होती है।

(II) ऋण देना (Advancing Loans)

बैंक जितनी रकम जमा के रूप में प्राप्त करते हैं उनका अधिकांश भाग ऋण के रूप में देते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक आमदनी हो सके और वह उस आमदनी में से न केवल बैंक के खर्चे निकाल सकें बल्कि जमा करने वालों की रकम पर ब्याज भी चुकाया जा सके। ऋण देते समय बैंकों को ग्राहक की दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है- तरलता तथा आय।

व्यापारिक बैंकों द्वारा निम्न ऋण या अग्रिम दिए जाते हैं:

(1) नकद साख (Cash Credit) - व्यापारियों को प्रायः नियमित रूप में रकम उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। वे पहले से ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें वर्ष में कितनी रकम की आवश्यकता पड़ सकती है। तत्पश्चात् वह बैंक से उतनी रकम उधार लेने का समझौता कर लेते हैं। यह रकम एक ही बार में नहीं निकाली जाती बल्कि ग्राहक को जब-जब जितनी-जितनी रकम की आवश्यकता पड़ती है वह उतनी-उतनी रकम निकाल सकता है। उसे केवल वास्तव में निकाली गयी रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है।

नकद साख प्रायः पर्याप्त सम्पत्ति की जमानत पर ही दी जाती है। व्यापारी लोग बैंक के पास निश्चित रकम के अंश या प्रतिभूतियां जमा कर देते हैं और आवश्यक रकम लेते रहते हैं। अंशों तथा प्रतिभूतियों को धरोहर रूप में रखने का यह लाभ होता है कि उन पर लाभांश या ब्याज ग्राहक को ही मिलता है जबकि बैंक अपने भुगतान के प्रति पूर्ण आश्वस्त रहता है।

(2) अधिविकर्ष (Overdraft) - बैंक में चालू खाते रखने वाले व्यक्ति अपनी जमा रकम से अधिक रकम प्राप्त करने के लिए बैंक से समझौता कर लेते हैं कि बैंक उनको एक निश्चित रकम तक (अपने खाते में जमा रकम के अतिरिक्त) निकालने की अनुमति दे देगा। यह रकम ही अधिविकर्ष कहलाती है।

ग्राहक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसने जितनी रकम के अधिविकर्ष या समझौता किया है उतनी रकम तत्काल एक बार में ही निकाल लें। वह आवश्यकतानुसार राशियां समय-समय पर निकाल सकता है। उसे वास्तव में निकाली गयी रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। अधिविकर्ष देते समय बैंक ग्राहक की साख का ध्यान रखता है और पर्याप्त

जमानत रखकर ही अधिविकर्ष की स्वीकृति देता है। जमा रकम पर ब्याज लगाना आरम्भ हो जाता है, चाहे वह चैक द्वारा अपने खाते में से उस रकम का केवल एक भाग ही निकाले। इसके विपरीत अधिविकर्ष तथा नकद साख में निकाली गई रकम पर ही ब्याज लगता है।

(3) व्यापारिक बिलों की कटौती (Discounting of trade Bills) - बैंक द्वारा अपनी चालू पूंजी का एक भाग व्यावसायिक बिलों में विनियोजित किया जाता है। बैंक सावधि बिलों की कटौती करके तत्काल रकम देते हैं। कटौती करते समय वह इस बात का ध्यान अवश्य रखते हैं कि सम्बन्धित बिल व्यावसायिक बिल हो। व्यापारिक बिलों को भुनाकर ऋण देने की एक विशेषता तो यह है कि यह अल्पकालीन होते हैं और बैंक की रकम लम्बी अवधि के लिए नहीं फंसती। दूसरे, यदि व्यापारिक बैंकों को बिलों की भुगतान तिथि से पूर्व ही रकम की आवश्यकता पड़ जाय तो उन्हें केन्द्रीय बैंक से भुनाया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा बिलों की कटौती से व्यापार को भी लाभ होता है।

(III) प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य (Representative Functions) - आधुनिक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा कुछ सेवाओं के बदले निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है। ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा प्रायः निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

(1) ग्राहकों के लिए चैक, बिल, आदि के भुगतान का संग्रहण (Collecting payments on Cheques, Bills, etc.): बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चैक, बिल, ड्राफ्ट, हुण्डियों तथा अन्य विनिमयसाध्य विलेखों का भुगतान प्राप्त कर उनकी रकम ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। चालू खाता रखने वाले व्यापारियों के लिए यह सेवा प्रायः निःशुल्क प्रदान की जाती है। परन्तु, यदि चैक आदि अन्य स्थानों के हों तो उनके संग्रह के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है।

(2) चैक, बिल, आदि का भुगतान (Payment of Cheques and Bills): बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चैकों का भुगतान करते हैं। कभी-कभी वह अपने ग्राहकों के लिए बिल स्वीकार कर लेते हैं और तिथि पर उसका भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए ग्राहकों से कुछ शुल्क लिया जाता है।

(3) अन्य नियमित भुगतान करना और संग्रह करना (Making and Collecting other Regular Payments): बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, मकान किराया, ब्याज अथवा ऐसी रकमों का भुगतान कर देते हैं जिनकी राशि निश्चित होती है तथा जिनका भुगतान नियमित रूप से करना होता है। इन भुगतानों के सम्बन्ध में ग्राहक अपने बैंकों को स्थाई निर्देश (Standing order) लिखकर देते हैं जिसमें धन की राशि तथा भुगतान की तिथि लिख दी जाती है। बैंक निश्चित तिथि (fixed date) को वह रकम ग्राहक के नाम लिख कर सम्बन्धित व्यक्ति या संस्थान को भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए भी बैंक कुछ शुल्क लेते हैं। बैंक अपने ग्राहकों से लाभांश, ब्याज, किराया तथा अन्य प्राप्तियां वसूल कर उनके खाते में जमा करते हैं तथा उनका हिसाब भी रखते हैं।

(4) विशेष सुविधाएं प्रदान करना (Providing Remittance Facilities): बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। गत वर्षों में अनेक देशों में साख स्थानान्तरण प्रणाली प्रारम्भ हुई जिसके अनुसार ग्राहकों की एक निश्चित रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भेजी जाती है। कुछ बैंक इस प्रेषण क्रिया के लिए निश्चित शुल्क लेते हैं।

(5) अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय (Purchase and Sale of Shares and Securities): बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार के अंश, ऋणपत्र, सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते रहते हैं। इस दिशा में उनका पर्याप्त ज्ञान होने के कारण वह ग्राहकों के लिए इनका क्रय-विक्रय उचित समय तथा

मूल्य पर कर सकते हैं। वर्तमान में अधिकांश बैंक ने स्टॉक इन्वेस्ट योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत शेयर आवण्टित होने तक विनियोजकों की राशि बैंक के खाते में जमा की जाती है।

(6) प्रतिभूतियों का अभिगोपन (Underwriting of Securities): बैंक अपने ग्राहकों द्वारा निर्गमित अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेते हैं। इस कार्य के लिए वह अभिगोपन शुल्क या कमीशन लेते हैं।

(7) सन्दर्भ-पत्र (Letters of Reference)- आवश्यकता होने पर बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश-विदेश के अन्य व्यापारियों को देते हैं तथा देश-विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देने की व्यवस्था करते हैं। इस कार्य के लिए प्रायः कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

(8) ट्रस्टी, प्रबन्धक, आदि के रूप में कार्य करना (Acting as Trustees, Executors, etc.)- बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबन्ध, आदि करने का दायित्व भी उठा लेते हैं। इनक कार्यों में कभी-कभी उन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(9) वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना (Acting as Financial Advisor): अधिकांश बैंक प्रायः अपने यहां एक विशेष विभाग रखते हैं जो ग्राहकों को पूंजी निवेश के सम्बन्ध में सलाह देता है।

(IV) नवीन बैंकिंग कार्य (New Banking functions): भारत में अधिकांश व्यापारिक बैंकों ने विगत वर्षों में नवीन बैंकिंग शुरू की है जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(1) मर्चेण्ट बैंकिंग (Merchant Banking)- मर्चेण्ट बैंकिंग में कई सेवाएँ, जैसे-शेयरों, डिबेंचरों आदि के जारी करने का प्रबन्धन, ऋण जुटाने का काम, वित्तीय एवं प्रबन्धन सम्बन्धी परामर्श, विलय तथा अधिग्रहण, अप्रवासी निवेशों का प्रबन्ध आदि आती हैं। भारत में मर्चेण्ट बैंकिंग की शुरुआत ग्रेडले बैंक, सिटी बैंक जैसे विदेशी बैंकों ने की थी। आज भारत में कई वाणिज्यिक बैंक अपनी सहायक इकाइयों द्वारा ये सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

(2) लीजिंग (Leasing)- लीजिंग कम्पनी वित्त का ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ एक लीजिंग कम्पनी से अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी परिसम्पत्ति (अर्थात् कोई प्लांट, उपकरण, यातायात सुविधाएँ, भवन या कोई अन्य सेवाएँ) को किसी निश्चित अवधि के लिए किराए पर लेती हैं। लीजिंग कम्पनियाँ औद्योगिक इकाइयों को वित्त भी उपलब्ध कराती हैं।

(3) फैक्ट्रिंग सेवाएँ (Factoring Services)- लघु उद्योगों की ऋण वसूली की समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता से वाणिज्य बैंकों ने फैक्ट्रिंग सेवाएँ लागू की हैं। फैक्ट्रिंग के अन्तर्गत एक फैक्ट्रिंग संस्था अपने ग्राहक के द्वारा दी गयी साख का भुगतान स्वयं करके उसकी वसूली का कार्य करती है। इसके बदले में यह ग्राहक से कमीशन लेती है। फैक्ट्रिंग संस्था ऋण-वसूली से प्राप्त रकम को ग्राहक को वसूली की वास्तविक तिथि से पहले या वसूली के अन्त में दे देती है। इसके फलस्वरूप लघु उद्योगों को पूँजी का अभाव नहीं रहता है।

(4) इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग (Electronic Banking): इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाता है। इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस समय बैंकिंग विकास का स्तम्भ माना जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बैंकिंग का भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेगा। इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है :

(i) टेली बैंकिंग (Tele Banking)

(ii) स्व-चालित टेलर मशीन

(iii) पी. सी. बैंकिंग या होम बैंकिंग

(iv) टेलीफोन द्वारा भुगतान

(v) डायरेक्ट जमा प्रणाली

(vi) इलैक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रणाली

(vii) डायरेक्ट क्रेडिट

(viii) स्मार्ट कार्ड व क्रेडिट कार्ड आदि

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. बैंक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई?
2. बैंक को परिभाषित कीजिए।
3. वाणिज्यिक बैंकों के दो प्रकार बताइयें।
4. अनुसूचित बैंक की परिभाषा लिखिए।
5. बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?

12.7 सारांश (Summary)

भारतीय वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को यथाशीघ्र दूर करके हमें अपने बैंकिंग उद्योग को अधिक कार्य कुशल बनाना है क्योंकि निजीकरण, उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय वित्त का भी विश्वव्यापीकरण हो रहा है फलतः मुद्रा व पूँजी बाजार की क्रियाएँ भी विश्वव्यापी हो गयी है जिनके कारण न केवल भारत में विदेशी वित्त का प्रवाह निर्बाध गति से हो रहा है बल्कि भारतीय कम्पनियाँ भी विदेशी बाजारों से पूँजी एकत्र कर रही हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जिनका लाभ लेने के लिए हमें अपने बैंकिंग उद्योग को आर्थिक, सुसंगठित और कार्यकुशल बनाना होगा बैंकों की सेवाएँ परम्परागत ऋण से व्यावहारिक शुल्क आधारित सेवाओं पर केन्द्रित करना होगा। किसी भी देश की प्रगति के लिए बैंकों का सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक है।

12.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी बैंकों के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी बैंक का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में जान पाएँगे।

12.9 शब्दकोष (Glossary)

- **बैंक (Bank)** – इसका अभिप्राय बैंच से है। पहले ज़माने में कुछ लोग बैंचों पर बैठकर मुद्रा का लेन-देन करते थे। इसी से कालान्तर में बैंक शब्द मुद्रा का लेन-देन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग होने लगा।
- **गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Bank)** – यह एक बैंक है, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया की अनुसूची II में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- **लीजिंग (Leasing)** – यह कम्पनी वित्त का ऐसा प्रपत्र है, जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ एक लीजिंग कम्पनी से अनुबंध के अंतर्गत किसी परिसंपत्ति (अर्थात् कोईप्लांट, उपकरण, यातायात सुविधाएँ, भवन या अन्य सेवाएँ) को किसी निश्चित अवधि के लिए किराये पर लेती है।

12.10 स्वपरख प्रश्न (Self-test questions)

1. बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं ?
Who will issue the licence for opening new branches of banks?
2. भारत में व्यापारिक बैंकों के प्रकार बताइये।

Discuss the types of commercial banks in India.

3. भारत में साख नियन्त्रण किस बैंक द्वारा किया जाता है।

Which bank controls the credit of commercial banks?

4. व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए।

Discuss the main functions of commercial banks.

12.11 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

1. Commercial bank in Indian appraisal Sanjeeb Kumar Dey, Kunal books publisher Edn. 2012.
2. बैंकिंग सिद्धांत एवं व्यवहार-इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स
3. बैंकिंग एक परिचय-इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स.

12.12 अन्य पठान सामग्री (Other Reading Material)

1. सिन्हा बी.सी., मुद्रा एवं बैंकिंग-एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा
2. सिन्हा, मुद्रा एवं बैंकिंग साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
3. सिन्हा एवं सिन्हा, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा
4. Commercial Bank Management Kanhiya, singh, Mc Graw Hill Education)

12.13 वेब संसाधन/लिंक (Web links)

1. <http://www.the commercial bank.net>
2. <http://m.rbi.org.in-view> content
3. <http://sbi.co.in>
4. <http://moneymint.com-scheduled> banks

इकाई – 13

ग्रामीण वित्त

(Rural Finance)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 13.0 उद्देश्य
- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 ग्रामीण वित्त (कृषि साख) की आवश्यकता
- 13.3 ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त के प्रकार
 - 13.3.1 समय के आधार पर ग्रामीण वित्त
 - 13.3.2 प्रयोजन के आधार पर ग्रामीण वित्त
- 13.4 भारत में ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत
 - 13.4.1 गैर संस्थागत स्रोत
 - 13.4.2 संस्थागत स्रोत
- 13.5 ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त की कमियां
- 13.6 ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त की कमियों को दूर करने हेतु सुझाव
- 13.7 सारांश
- 13.8 अधिगम परिणाम
- 13.9 शब्दावली
- 13.10 स्व परख प्रश्न
- 13.11 संदर्भ व ग्रन्थ सूचि
- 13.12 अन्य पठन सामग्री
- 13.13 वेब संसाधन/लिंक

13 0. उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् विद्यार्थी ग्रामीण वित्त/कृषि साख की आवश्यकता, इनके प्रकार तथा स्रोतों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण वित्त को दो भागों (i) समय के आधार पर तथा (ii) प्रयोजन के आधार पर बांटा गया है। इसी प्रकार ग्रामीण वित्त के स्रोतों को भी (i) गैर संस्थागत स्रोत तथा (ii) संस्थागत स्रोत के रूप में विभाजित किया गया है। इस इकाई का यह उद्देश्य भी है कि विद्यार्थी ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त में आने वाली कमियों तथा उन कमियों को दूर करने के उपायों या सुझावों के सम्बन्ध में भी अवगत हो सकें।

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

जिस प्रकार उद्योगों व अन्य आर्थिक क्षेत्रों को उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी (वित्त) की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर किसानों को कृषि व सम्बद्ध कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। छोटी जोत व गरीबी के कारण किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं होता, आसान शर्तों पर, सही समय पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाने के लिए संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को अपने खेत में प्राप्त उपज का सही दाम नहीं मिल पाता और इस कारण उसकी उत्पादन लागत भी कई बार वसूल नहीं हो पाती। अशिक्षा व तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण किसानों व छोटे-छोटे कारीगरों, कुटीर उद्योग चलाने वाले उद्यमियों व दस्तकारों को ऋण लेकर ही अपना काम चलाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में वित्त के लिए उक्त सभी वर्गों को सदैव दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इनका सदैव वित्त के उपलब्धि के क्षेत्र में शोषण ही होता आया है। इस शोषण से मुक्ति के लिए और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु व कुटीर उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में, तथा नीची ब्याज दरों पर ग्रामीण (कृषि) वित्त उपलब्ध करवाने की महती आवश्यकता सदैव ही रही है।

कृषि वित्त एक व्यापक शब्द है जिसमें गांवों के ऋणदाता, बैंकिंग संस्थाएं आदि शामिल हैं जो किसानों को ऋण प्रदान करती है।

“कृषि वित्त से तात्पर्य उस प्रकार की साख से है जिसकी आवश्यकता खेती के कार्य में निहित होती है”

भारतीय किसानों का अधिकतर भाग छोटे व सीमांत किसानों का है जो निर्धन हैं। उनके पास नई तकनीक अपनाने के लिए तथा बाजार से नये साधन खरीदने के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं होती। ऐसी स्थिति में कृषि वित्त की व्यवस्था करके भारत में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास किया जा सकता है।

13.2 ग्रामीण वित्त (कृषि साख) की आवश्यकता (Need of Rural Finance/Agriculture Credit)

चूंकि भारत में कृषि क्षेत्र असंगठित है, अतः इस क्षेत्र की साख आवश्यकताएं संगठित औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न होती है। कृषकों को अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों व महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनका जमकर शोषण करते हैं। संस्थागत साख के माध्यम से इस शोषण को समाप्त या कम किया जा सकता है। संस्थागत साख का उद्देश्य निर्धन किसानों व दस्तकारों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध करवाना है।

ग्रामीण क्षेत्र में लघु कृषकों को बीज, खाद, पशु व कृषि उपकरण, कच्चा माल खरीदने, नई कृषि भूमि खरीदने, सिंचाई व जल की निकासी की व्यवस्था करने, शादी व पारिवारिक तथा सामाजिक क्रिया कलापों पर खर्च करने, सरकार को मालगुजारी चुकाने आदि के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसी स्थिति में कृषकों को निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता तथा उन्हें सरकारी सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता महसूस होती है। संस्थागत सहयोग के माध्यम से कृषकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

13.3 ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त के प्रकार (Types of Rural Finance/Agriculture Finance)

ग्रामीण वित्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है :-

13.3.1 समय के आधार पर कृषि वित्त (Agriculture Finance on the Basis of Time)

समय के आधार पर यदि देखा जाये तो भारत में ग्रामीणों को तीन प्रकार के ऋणों की कृषि गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है:

1. **अल्पकालीन ऋण (Short Term Loan):** प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों को उत्पादन कार्यों हेतु अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है जैसे बीज, खाद, मछली पालन, मुर्गी पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि। इसके अतिरिक्त कीटनाशक दवाईयां खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने, भू-राजस्व, लगान जमा करवाने, अपने पशुधन के लिये पशु आहार खरीदने आदि के लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन ऋण की परिपक्वता अवधि एक वर्ष की होती है तथा इसके भुगतान की अवधि 15 महिनो के लगभग मानी जाती है।
2. **मध्यकालीन ऋण (Medium Term Loan) :** मध्यकालीन ऋण की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक होती है लेकिन इनके भुगतान की अवधि वर्ष 5 माह से 15 माह होती है। ये ऋण साधनों के विकास या संरक्षण के लिये दिये जाते हैं, जैसे भूमि भवन, तालाब आदि की सुविधाओं में सुधार करने, कुओं पर मोटर लगाने, खेतों में बाड़ लगाने, कृषि औजार खरीदने, खेतों की जुताई हेतु बैल, कुएं गहरे करने आदि तथा दुधारू पशु खरीदने के उद्देश्य से ये ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।
3. **दीर्घकालीन ऋण (Long Term Loan) :** आमतौर पर दीर्घकालीन ऋणों की अवधि 5 से 10 वर्ष की होती है। इन ऋणों से परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है, जिसमें अन्ततः पूंजी का निर्माण होता है। इससे प्रौद्योगिकी उन्नयन होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों व ग्रामीणों को उत्पादन व उत्पादकता के माध्यम से आय में वृद्धि होती है। ये ऋण किसानों को खाद्यान्न का स्टॉक करने हेतु गोदाम बनाने, पशुओं हेतु आश्रय स्थल बनाने, कृषि भूमि खरीदने, कुओं बनाने, ट्रैक्टर व अन्य कृषि मशीनें खरीदने, खेत पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने, पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए स्वीकृत व वितरित किये जाते हैं।

13.3.2 प्रयोजन के आधार पर कृषि वित्त (Agriculture Finance on the Basis of Use)

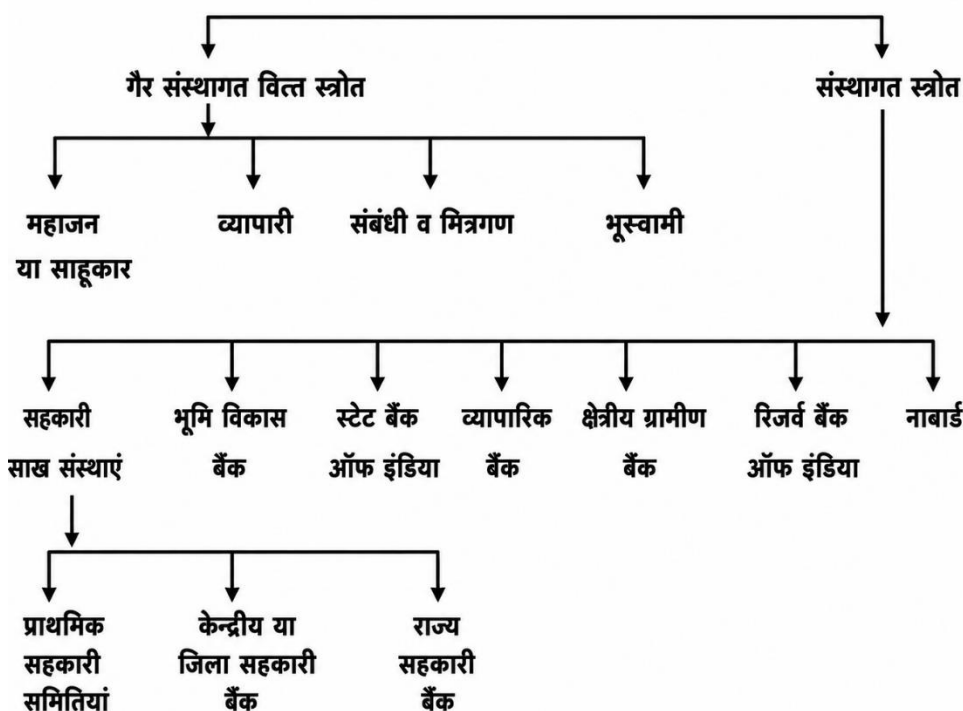
भारतीय किसानों को केवल कृषि कार्य के लिये ही नहीं अपितु अन्य सामाजिक व गैर उत्पादकीय कार्यों के लिये भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है जो निम्न प्रकार है :

- (i) **उत्पादक वित्त (Productive Finance):** इसके अन्तर्गत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने, बीज उन्नयन, उर्वरक, कृषि उपज को बाजार में बेचने, ट्यूब वेल लगाने, भूमि सुधार के लिए कुएं खुदवाने आदि कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण उपलब्धता एवं कृषि का व्यवसायीकरण होने के कारण खेती के कार्य में मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। अतः बड़ी मात्रा में कृषि वित्त की आवश्यकता बढ़ गई है।
- (ii) **उपभोग वित्त (Consumption Finance):** ज्यादातर किसानों को अपनी खेती से इतनी आय नहीं होती कि वे अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सकें। कभी बाढ़, कभी पाला पड़ने के कारण फसलें खराब हो जाती है और ऐसे किसानों को सूखा व अकाल में मजबूरी में ऋण लेना पड़ता है।
- (iii) **अनुत्पादक वित्त (Unproductive Finance):** उपभोग के अलावा भी भारतीय किसानों को वित्त की आवश्यकता होती है जैसे सामाजिक सरोकारों यथा बच्चों के जन्म, मृत्यु, भात भरने, विवाह समारोह भोज आदि के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। ऐसे ऋण अनुत्पादक होते हैं जो ज्यादातर ऊँची ब्याज दर पर महाजन या साहूकार द्वारा ही प्रदान किये जाते हैं।

13.4 भारत में ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत (Main Sources of Rural Finance/Agriculture Finance in India)

भारत में ग्रामीण या कृषि वित्त के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न प्रारूप द्वारा प्रदर्शित है :

भारत में ग्रामीण वित्त कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत (Main Sources of Rural Finance / Agricultural Finance in India)



13.4.1 गैर संस्थागत स्रोत (Non-Institutional Sources)

किसानों को उत्पादन और उपभोग कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने का परम्परागत स्रोत या निजी स्रोत हैं जो निम्नलिखित हो सकते हैं :

- (i) **महाजन या साहूकार (Money Lenders) :** देश में किसानों की ऋण की कुल आवश्यकता का एक बड़ा भाग महाजनों या साहूकारों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ये अपनी शर्तों पर किसानों को बड़ी आसान प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी समय ऋण की आपूर्ति कर सकते हैं।
- (ii) **व्यापारी कमीशन एजेंट (Businessman and Commission Agent):** ये किसानों को सामान्यतया अल्पकालीन ऋण देते हैं जब फसल को बेचने लिए किसान कृषि उपज मंडी या धान मंडी में आता है तो उस समय ये व्यापारी अपना दिया हुआ ऋण वसूल कर लेते हैं। व्यापारी जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में आढ़तिया भी कहा जाता है। ऋण देते समय यह शर्त लगा देता है कि किसान को अपनी फसल आढ़तिये की दुकान पर लाकर ही बेचनी होगी।
- (iii) **सम्बन्धी एवं मित्रगण (Relatives and Friends):** सम्बन्धी व मित्रगणों से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना भी एक गैर संस्थागत स्रोत माना जा सकता है।
- (iv) **भू-स्वामी (Landlord):** गाँव के बड़े भू-स्वामी जिन्हें ज्यादातर जमींदार के नाम से जाना जाता है, किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता करते हैं। आढ़तियों की तरह इनकी भी अपनी मनमानी शर्तें होती हैं जिनके पूरा होने पर ही ऋण दिये जाते हैं।

13.4.2 संस्थागत स्रोत (Institutional Sources)

संस्थागत स्रोतों के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं को शामिल किया जाता है:

- (1) **सहकारी साख संस्थाएं (Cooperative Institutions) :** भारत में सहकारी साख संस्थाओं का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारी साख का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन सम्पूर्ण ढांचे का आधार ग्राम स्तर पर स्थापित प्राथमिक साख समिति है जिस पर सम्पूर्ण सहकारी बैंक व्यवस्था संगठित की गयी है।
- (i) **प्राथमिक सहकारी समितियाँ (Primary Co-operative Societies) -** गांव के कोई भी दस व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना कर सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और इनकी कार्यशील पूंजी सदस्यों की सदस्यता शुल्क, जन-निक्षेप, केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण आदि के रूप में प्राप्त होती है।
- (ii) **केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank):** इनको सहकारी साख के ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि वे शीर्ष सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियों के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वस्तुतः सहकारी साख आन्दोलन की सफलता एक बड़ी सीमा तक इन बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता पर निर्भर करती है।
- (iii) **राज्य सहकारी बैंक (State Co-operative Bank):** राज्य सहकारी बैंकों का मूल उद्देश्य राज्य में कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं के एक सन्तुलन केन्द्र, समाशोधन गृह तथा वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना है। यह बैंक अपने-अपने राज्य के मुख्यालय पर स्थापित होता है। इनका मुख्य कार्य जिला सहकारी बैंक को ऋण सुविधाएं प्रदान करना है।
- (2) **भूमि विकास बैंक (Land Development Bank):** इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। सबसे पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में अविभाजित पंजाब में की गई थी। ग्रामीण साख संस्थाओं में भूमि विकास बैंक का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विगत कुछ दशकों में चूंकि किसानों की आर्थिक दशा में काफी सुधार हुआ है, अतः इन बैंकों ने भी अपनी ऋण नीति में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन किया है। ये बैंक किसानों की भूमि गिरवी या बंधक रखकर दीर्घ अवधि के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करवाते हैं।
- (3) **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) :** भारतीय स्टेट बैंक अपनी स्थापना से ही कृषि वित्त उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। जिन स्थानों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं हैं या सहकारी समितियाँ सुविधाएं देने में असमर्थ हैं वहाँ यह बैंक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण देता है। यह बैंक सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यह गोदामों को बनाने के लिए भी ऋण की सुविधा देता है तथा यह कृषकों को ट्रैक्टर व अन्य मशीनें क्रय करने एवं सिंचाई के लिए पम्प लगाने के लिए बैंक उनको सीधा ऋण प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलकर कृषि वित्त को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का प्रयास भी कर रहा है।
- (4) **व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) :** कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार चाहे किसी भी योजना को अपनाये, उनकी सफलता प्रमुख रूप से किसानों को पर्याप्त और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगी। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में नगण्य वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में यह बात अत्यन्त खेदजनक है। बैंक जनोपयोगी सेवाओं के महत्वपूर्ण भाग हैं। अतः इस उद्देश्य से दिसम्बर 1968 में बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (Social Control) स्थापित किया गया। बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों को अधिक ऋण-सेवा उपलब्ध कराना था जिनकी अब तक उपेक्षा की गई थी जैसे कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि। यह अनुभव किया गया कि वर्तमान में कृषि को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। कृषि देश का प्रमुख उद्योग है जिसका विकास किया जाना आवश्यक है। बैंकों पर सामाजिक

नियन्त्रण स्थापित कर उन्हें कृषि के लिए पर्याप्त वित्त देने हेतु आग्रह किया गया। बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण का प्रयास अधिक सफल नहीं हुआ। इस असफलता के कारण सरकार ने कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों की ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया। देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में तथा 6 अन्य बड़े वाणिज्यिक बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं का विस्तार, जमा राशि में वृद्धि, कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्रों को अधिक राशि में ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की गति में तीव्रता आई है।

- (5) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) :** 1972 में श्री आर० जी० सैरैया की अध्यक्षता में एक बैंकिंग आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने यह सिफारिश की कि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ देश में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी स्थापित किये जाने चाहिए। इससे लघु एवं सीमान्त कृषकों की ऋण समस्याओं को अच्छी तरह हल किया जाना सम्भव हो सकेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, कारीगर एवं छोटे उद्यमियों की ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन बैंकों की स्थापना प्रमुखतः पिछड़े एवं जन-जाति क्षेत्रों में स्थापित करने हेतु निर्णय किया गया, जहाँ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार अभी तक कम हुआ है। प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्र में शाखाएं स्थापित करेगा। यथासंभव बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों का चयन क्षेत्र के व्यक्तियों में से किया जायेगा, जिससे उन्हें ऋण प्राप्तकर्ताओं की वित्तीय समस्याएं समझने में आसानी होगी। प्रत्येक ग्रामीण बैंक एक समर्थक बैंक (Sponsor Bank) के निरीक्षण में कार्य करेगा। यह समर्थक बैंक इस ग्रामीण बैंक को विभिन्न प्रकार के कार्यों, जैसे शेयर पूंजी क्रय करने, उनकी स्थापना में सहयोग, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता में सहयोग को सम्पन्न करेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य की प्रगति की जांच के लिए एवं उनके कार्यक्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक समिति प्रो. एल.एम. दांतवाला की अध्यक्षता में 1977 में नियुक्त की गई। समिति ने यह अनुभव किया कि बैंक ग्रामीण ऋण ढांचे के महत्वपूर्ण अंग हैं और इनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्र में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धीरे-धीरे अपना सभी व्यापार इन बैंकों को इनकी क्षमता के आधार पर दे देना चाहिए।

इस समिति ने समग्र ग्रामीण संस्थागत ढांचे का अध्ययन किया था तथा मार्च 1981 में रिजर्व बैंक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। समिति द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि ग्रामीण बैंकों को अपना कार्यक्षेत्र ग्रामीण समुदाय के निर्बल वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रखना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलने में ग्रामीण बैंकों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- (6) **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) :** रिजर्व बैंक अपने निर्माण के समय से ही कृषि साख के प्रति जागरूक रहा है। अतः स्थापना के समय से ही रिजर्व बैंक में एक अलग कृषि विभाग स्थापित किया गया, जो कृषि साख समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का दल रखता था, जो केन्द्र, राज्य व सभी प्रकार के बैंकों को परामर्श देते थे। रिजर्व बैंक कृषि के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता वरन् राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण देता था और फिर राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों व प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को ऋण देता था। 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना करने से रिजर्व बैंक ने कृषि वित्त का अपना सारा कार्य नाबार्ड को सौंप दिया। संस्थागत साख/वित्त का बहु-एजेन्सी दृष्टिकोण अब कृषि वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक नहीं करता, वरन् नाबार्ड करता है।

- (7) **नाबार्ड (NABARD) :** इस बैंक की स्थापना से समन्वित ग्रामीण विकास, कृषि, लघु उद्योगों, ग्रामीण कुटीर उद्योगों, हस्तकला उद्योगों तथा अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के लिये अल्पकालीन ऋणों की पुनर्वित्त सुविधा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। यह बैंक व्यापारिक बैंक तथा अन्य वित्त संस्थाओं द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों के लिए दिए गए ऋणों के एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुम्बई में है जबकि इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालय तथा दो उप-कार्यालय हैं। यह बैंक ग्रामीण वित्त की व्यवस्था राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों को ऋणों तथा बैंकों के अल्पकालीन ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था के रूप में करता है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

एक ग्रामीण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा से ट्रैक्टर क्रय करने के लिए ऋण हेतु आवेदन किया। बाद में उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय हो गया। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा के जिस प्रबंधक ने ऋण स्वीकृत करना था, बैंक में किसी अन्य वजह से अवधि बीत जाने के बाद भी ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बेचारा ग्रामीण प्रतीक्षा कर रहा है। एक परामर्शदाता के रूप में आप क्या सहायता कर सकते हैं?

13.5 ग्रामीण वित्त (कृषि वित्त) की कमियाँ (Deficiencies of Rural Finance / Agriculture Finance)

- (i) **कुशल प्रबन्ध की समस्या (Problem of Efficient Management) :** सहकारी साख के सभी स्तरों पर कुशल प्रबन्ध के अभाव में उनमें घाटा, समय पर वित्त व्यवस्था, बकाया ऋणों की वसूली, सामान्य श्रेणी के प्रबन्धकों की कमी के कारण सहकारी साख की सफलता संदिग्ध रहती है।
- (ii) **सहकारी साख संस्थाओं में समन्वय का अभाव (Lack of Co-ordination in Co-operative Credit Institutions) :** सहकारी साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था में पारस्परिक ताल-मेल न होने से न केवल साख व्यवस्था कमजोर होती है, वरन् उनमें कई प्रशासनिक समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है।
- (iii) **बकाया ऋणों की वसूली की समस्या (Problems of Recovery) :** कृषि में मानसून की अनिश्चितता, अकाल, बाढ़, टिड्डी दल द्वारा फसल चौपट हो जाना आदि कई कारणों से जब किसान अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते, तो बकाया ऋणों की वसूली न हो पाने के कारण सहकारी साख के वित्तीय स्रोतों में कमी होती है इस कारण कई समितियाँ असफल हो जाती हैं।
- (iv) **कमजोर एवं असफल प्राथमिक साख समितियाँ (Weak and Failure of Primary Credit Co-operative Societies) :** प्राथमिक साख सहकारी समितियाँ, जो कृषि वित्त की मुख्य स्रोत हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं और उनकी असफलता का प्रतिशत भी निरन्तर बढ़ा है क्योंकि सदस्यों में आपसी मनमुटाव, अकुशल प्रबन्ध, बकाया ऋणों की वसूली में दिक्कतों के कारणों से ये समितियाँ असफल हो जाती हैं।
- (v) **सहकारी साख में वित्तीय साधनों एवं पूँजी का अभाव (Lack of Capital and Financial Resources in Co-operative Credit) :** सहकारी साख संस्थाओं के पास न केवल पूँजी की कमी है, वरन वित्तीय साधनों का भी अभाव रहता है। अतः कृषि के लिये पर्याप्त साख नहीं मिल पाती।
- (vi) **राज्य सहकारी बैंकों के प्रभावी नियंत्रण की समस्या (Problem of Effective Control of State Co-operative Banks) :** राज्य सहकारी बैंक राज्य का शीर्षस्थ बैंक है किन्तु इस बैंक का जिला स्तरीय

सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक साख सहकारी समितियों पर प्रभावी नियंत्रण न होने से कृषि वित्त व्यवस्था में बाधा आती है।

- (vii) **दीर्घकालीन साख में समस्याएँ (Problem in Long Term Credit) :** भूमि की खरीद, ट्रैक्टर, मशीनों तथा स्थायी सिंचाई साधनों के विकास में दीर्घकालीन साख की पूर्ति विकास बैंकों से होती है, किन्तु इन बैंकों का न तो पर्याप्त विकास हो पाया और न इन बैंकों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं। ऋणों में कई औपचारिकताएँ पूरी करना भी किसानों के लिये समस्या है।
- (viii) **राजनैतिक हस्तक्षेप की समस्या (Problem of Political Interference) :** सहकारी साख संस्थाओं में भी राजनीति हावी है। इसके कारण एक राजनैतिक दल दूसरे राजनैतिक दल की सत्ता को चुनौती देते रहते हैं। इससे साख संस्थाएँ निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर पातीं।
- (ix) **हानि उठाकर शाखा संचालन की समस्या (Problem of Operating Loss) :** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानि उठाकर भी ग्रामीण शाखाओं का संचालन करना पड़ रहा है। इसी प्रकार व्यापारिक बैंकों की शाखाओं के सामने उचित लाभ अर्जित करने की समस्या है।
- (x) **गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या (Problem of NPAs):** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा व्यापारिक बैंक जो ऋण कृषि तथा समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान करते हैं, उनमें से बहुत से ऋणों की वसूली न पाने से बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।
- (xi) **प्रायोजक बैंकों के साथ समन्वय की समस्या (Problem of Coordination with Sponsoring Banks):** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रायोजित हैं। दूर-दराज इलाकों में ऐसे बैंकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा उनमें उपयुक्त तालमेल न होने के कारण उनके वित्तीय साधनों की कमी कृषि वित्त में बाधा बनती है।
- (xii) **बैंकों के वित्त में समन्वय का अभाव (Lack of Coordination among Finance of Banks):** भारत में कृषि की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था का दायित्व बैंकों पर है किन्तु विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में परस्पर सूचनाओं का आदान-प्रदान न होने तथा उनमें पर्याप्त ताल-मेल न होने से संस्थागत साख में कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- (xiii) **बैंकिंग आदत के अभाव की समस्या (Problem of Lack of Banking Habit) :** भारत में अशिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं के विकास की धीमी गति से लोगों में जो कुछ भी बचत होती है, या तो उन्हें संग्रह कर रखा जाता रहा है अथवा अनुत्पादक कार्यों-मृत्युभोज, शादी-विवाह आदि फिजूल कार्यों पर खर्च कर दिया जाता है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के भारतीयों में बैंकिंग आदत के अभाव में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय साधनों में वांछित वृद्धि नहीं हो पाई है।
- (xiv) **संस्थागत साख के आवंटन की समस्या (Problems of Allocation of Institutional Credit):** जिला स्तर पर संस्थागत साख का आवंटन अग्रणी बैंक (Lead Bank) के माध्यम से होता है जो उपलब्ध साधनों का अपनी शाखाओं के मद्देनजर आवंटन कर देता है। किन्तु इस प्रकार के आवंटन में लक्ष्यों के अनुरूप राशि आवंटन न होने की शिकायतें प्रायः आती रहती हैं।
- (xv) **प्रायोजित योजनाओं की वित्त व्यवस्था में ऋणों एवं अनुदानों के निर्धारण की समस्याएँ (Problems of Determination of Loans and Subsidies for Sponsored Schemes):** वित्त संस्थाएँ सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार इन प्रायोजित योजनाओं में वित्त व्यवस्था तो कर देती हैं किन्तु

स्पष्ट आदेशों के अभाव में ऋण एवं अनुदान की राशियों का पृथक-पृथक निर्धारण न हो पाने से कई समस्याएँ सामने आती हैं।

13.6 ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त की कमियों को दूर करने के सुझाव (Suggestions for Removing Deficiencies of Rural Finance/Agriculture Finance)

- (i) **विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच पर्याप्त एवं उचित समन्वय की व्यवस्था (Proper Co-ordination Among Various Financial Institutions):** भारत में संस्थागत साख को अधिक सन्तुलित एवं विकासोन्मुख बनाने के लिये कृषि क्षेत्र की विभिन्न साख संस्थाओं में पर्याप्त एवं उचित समन्वय की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- (ii) **सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बीच समन्वय (Co-ordination Between Govt. and Commercial Banks):** सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की सहभागिता के अभाव में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये व्यापारिक बैंकों से वांछित संस्थागत साख उपलब्ध न हो पाने से प्रायोजित योजनाओं की सफलता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः व्यापारिक बैंकों तथा सरकार के बीच पर्याप्त एवं उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।
- (iii) **संस्थागत साख की स्पष्ट नीति का निर्धारण (Clear Policy Determination for Institutional Credit):** भारत में कृषि संस्थागत साख की प्राथमिकताओं के अनुरूप स्पष्ट नीति का निर्धारण आवश्यक है। इससे न केवल सन्तुलित संस्थागत साख का मार्ग प्रशस्त होगा, वरन प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्रामीणों को साख उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- (iv) **ऋण सम्बन्धी औपचारिकताओं का सरलीकरण (Simplification of Loan Formalities):** औपचारिकताओं की जटिलता के कारण कभी-कभी गरीब एवं ऋण के इच्छुक लोगों का झुकाव असंगठित क्षेत्र से ऋण लेने की ओर हो जाता है। ऋण औपचारिकताओं का सरलीकरण किया जाना चाहिये तथा उन्हें कम से कम खर्चीला बनाना चाहिये।
- (v) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन (Re-organisation of Regional Rural Banks):** ग्रामीण कृषि की अल्पकालीन साख की माँग को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अतः उनके विकास के लिये जहाँ एक ओर उनका प्रायोजक बैंकों के साथ पर्याप्त समन्वय जरूरी है, वहाँ दूसरी ओर उनको घाटे से उबारने तथा उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के लिये उनका पुनर्गठन भी किया जाना चाहिये।
- (vi) **बचतों एवं बैंकिंग आदत की प्रेरणा (Motivation for Savings and Banking Habits):** संस्थागत वित्त संसाधनों में वृद्धि हेतु देश में बचतों को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करना चाहिये। केवल बचत करना ही पर्याप्त नहीं, इन बचतों को बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं में प्रवाहित करने के लिये लोगों में बैंकिंग आदत की प्रेरणा भी आवश्यक है। यदि बचत ऊँची दर से भी हो किन्तु लोग उन बचतों को संग्रहित करके रख लें अथवा अनुत्पादक कार्यों पर फिजूल खर्च कर दें, तो वे बचतें देश में पूँजी निर्माण में मददगार नहीं हो सकेंगी।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

आप एक जागरूक तथा प्रगतिशील किसान हैं तथा गांव में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। जिस पंचायत समिति में आपका गांव आता है उस पंचायत समिति का प्रधान अपने राजनीतिक रसूख के कारण प्राथमिक सहकारी साख

समिति के द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले समस्त योजनाओं का लाभ स्वयं अपने ही पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों को पहुँचाने हेतु प्रयासरत रहता है। जरूरतमंद तथा अशिक्षित किसान उन योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित हो जाते हैं। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते अपने गाँव के लिए आपका क्या दायित्व बनता है?

13.7 सारांश (Summary)

किसी भी देश का आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक वहां उपलब्ध साख-सुविधाओं पर निर्भर करता है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तथा कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्रियाओं पर निर्भर है, अतः ग्रामीणों की विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिये वित्त की महती आवश्यकता है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन साख की जरूरत तो सदैव ही रही है बल्कि बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन और दीर्घकालीन साख की जरूरत भी निरंतर बढ़ती जा रही है।

कृषि व ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए जहां संस्थागत साख में सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा नाबार्ड की स्थापना की गई है वहीं गैर-संस्थागत स्रोतों के रूप में साहूकार व महाजन, व्यापारी व आढ़तिये, भू-स्वामी और मित्रगण व रिश्तेदार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। अल्पकालीन साख सामान्यतः एक वर्ष, मध्यम- कालीन साख 1 से 5 वर्ष तथा दीर्घकालीन साख 5 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर कृषि क्षेत्र में मौसमी फसलों, बीज, खाद आदि के लिए अल्पकालीन साख की मांग की जाती है जबकि पशुधन खरीदने, छोटी सिंचाई योजनाओं व खेती में काम आने वाले उपकरणों की खरीद के लिए मध्यकालीन साख की जरूरत पड़ती है। लम्बी अवधि के लिए साख की व्यवस्था ज्यादातर कृषि भूमि खरीदने, भवन निर्माण करने, कृषि ग्रामीण उद्योगों में काम आने वाली बड़ी मशीनों की खरीद के लिए की जाती है। प्रयोजन के आधार पर साख उत्पादक भी हो सकती है और गैर-उत्पादक भी। यदि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऋण लिये जाते हैं तो ये उत्पादक साख की श्रेणी में आयेंगे और यदि टेलिविजन, फ्रिज, मोटर वाहन, वाशिंग मशीन, फर्नीचर व सजावटी सामान आदि का क्रय करने के लिये ऋण गैर-उत्पादक ऋण की श्रेणी में रखा जायेगा।

भारत में सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय स्तूपीकार है। आधार स्तर पर प्राथमिकता साख समितियाँ हैं, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक है तथा राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक के रूप में राज्य सहकारी बैंक स्थापित किये गये हैं। ग्रामीण व कृषि साख की अपर्याप्तता, सरकार का और राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप साख की स्वीकृति व उपलब्धता में विलंब, ऊँची ब्याज दरें, मनमानी शर्तें तथा प्रबंध भी अकुशलता जैसे अनेक दोष इस क्षेत्र में व्याप्त हैं जिनका समाधान करना समय की मांग है। भ्रष्टाचार के कारण प्रत्येक योजना का लाभ बड़े किसान व भूमिपति उठा ले जाते हैं तथा लघु व सीमांत किसान व उद्यमी मुँह ताकते रह जाते हैं। सरकार को ग्रामीण व कृषि साख के क्षेत्र में जन विश्वास जमाने तथा प्रबंध में ईमानदार व्यवहार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

13.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

‘ग्रामीण वित्त’ से सम्बंधित इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आशा है कि विद्यार्थी ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त की आवश्यकता, कृषि वित्त के प्रकार तथा कृषि वित्त के प्रमुख स्रोतों के सम्बन्ध में भली-भाँति परिचित हो गये होंगे। ग्रामीण वित्त/कृषि वित्त के सम्बन्ध में ढेर सारी कमियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी इन कमियों से अवगत होने तथा उन्हें किस प्रकार से दूर किया जाये, के सम्बन्ध में भी अच्छी तरह समझने में समर्थ हुए होंगे, ऐसी संभावना की जाती है। इस पठन-सामग्री के मध्य में विद्यार्थियों को जागरूक रखने व उनसे संवाद करने की दृष्टि से दो

‘स्व मूल्यांकन संवादमूलक गतिविधि’ भी दी गई है, ताकि यह जाना जा सके कि आप विषय-सामग्री को वास्तव में किस सीमा तक समझ पाने में स्वयं को योग्य पाते हैं।

13.9 शब्दावली (Glossary)

- **संस्थागत साख :** जो सरकार या देश के केन्द्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित एवं नियमित वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाती है।
- **अल्पकालीन साख:** जो सामान्यतः 1 वर्ष से 15 महीनों के लिए दी जाती है।
- **मध्यमकालीन साख:** जो सामान्यतः 15 महीनों से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाती है।
- **दीर्घकालीन साख:** जो सामान्यतः 15-20 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है।
- **उपभोक्ता साख :** उपभोक्ताओं को अपना उपभोग बढ़ाने हेतु प्रदान की जाती है।
- **भूमि बंधक बैंक :** किसान की कृषि भूमि को गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :** ये सामान्य बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को उत्पादक कार्यों के लिये ऋण प्रदान करते हैं।

13.10 स्व परख प्रश्न (Self-Testing Questions)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. What is the meaning of Rural Finance?
ग्रामीण वित्त का क्या अर्थ है?
2. Write the importance of Agriculture Finance?
कृषि वित्त का महत्व लिखिये।
3. Describe the Non-Institutional sources of Agriculture Finance.
कृषि वित्त के गैर-संस्थागत स्रोतों का विवेचन कीजिए।
4. What do you understand by the Institutional Finance?
संस्थागत वित्त से आप क्या समझते हैं?
5. Discuss briefly about the Cooperative Institutions for agriculture credit.
कृषि साख हेतु सहकारी संस्थानों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. Describe in detail the various sources of rural finance in India.
भारत में ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
2. Explain the Need of rural and agriculture finance.
ग्रामीण एवं कृषि वित्त की आवश्यकता बताइये।

- 3 What are the main deficiencies of rural finance in India. Give suggestions for removing these deficiencies.

ग्रामीण वित्त की मुख्य कमियाँ क्या हैं? इन कमियों को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए।

13.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- अग्रवाल, गुप्ता, माथुर, : "सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास, रमेश बुक डिपो, जयपुर
- गुप्ता बी.पी. "सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार" रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Chaudhary, C.M.: "Rural Development and Co-operation", Shivam Book House (P) Ltd., Jaipur
- Patel, A.R., Khonkhoje, D.P. : "Rural Economics" Sultan Chand & Sons, New Delhi.
- Swami, Gupta : Rural Development and Co-operation, RBD, Jaipur.

13.12 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Herrick M.T. : 'Rural Credit'
- Co-operative Planning Committee, 1946
- 'Report' of the Commission on Co-Operative Principles'.
- Report of CARFICAD : The Committee for Reviewing Arrangements for Financing Institutional Credits for Agricultural and Rural Development.

13.13 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/Links)

- [https://www.nabard.org>content](https://www.nabard.org/content)
- [https://www.agriculturestudy.com>](https://www.agriculturestudy.com)
- <https://m.jagran.com>
- [http://hi.sweme.net>word..](http://hi.sweme.net)
- <http://sarkariguider.com>
- <http://www.jagranjosh.com>
- [http://www.scotbuzz.org>krshisakh.](http://www.scotbuzz.org>krshisakh)

इकाई - 14

मौद्रिक नीति

(Monetary Policy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 14.0 उद्देश्य (Objective)
- 14.1 मौद्रिक नीति का परिचय (Introduction to Monetary Policy)
- 14.2 मौद्रिक नीति का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Monetary Policy)
- 14.3 मौद्रिक नीति का उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy)
- 14.4 मौद्रिक नीति का महत्व (Importance of Monetary Policy)
- 14.5 भारत की मौद्रिक नीति (Monetary Policy in India)
- 14.6 मौद्रिक नीति के साधन (Instruments of Monetary Policy)
- 14.7 भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएं (Limitations of Monetary Policy in India)
- 14.8 सारांश (Conclusion)
- 14.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 14.10 शब्दवाली (Glossary)
- 14.11 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)
- 14.12 सदर्थ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)
- 14.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)
- 14.14 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Link)

14.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से मौद्रिक नीति का परिचय, अर्थ व परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, भारत की मौद्रिक नीति, इसके साधन व भारत में मौद्रिक नीति की सीमाओं से छात्र को अवगत कराना ही इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

14.1 मौद्रिक नीति का परिचय (Introduction to Monetary Policy)

मुद्रा पैसे के आविष्कार और उपयोग से पूरी मानव जाति को बहुत लाभ हुआ है। मुद्रा मूल्य तंत्र को संचालित करने में सक्षम बनाता है, और आधुनिक अर्थव्यवस्था में पैसे का एक गतिशील कार्य भी होता है। फिर भी, अनियंत्रित मुद्रा आपूर्ति कई समस्याएं पैदा कर सकती है, उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति, आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति। इसलिए, देश की आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा आपूर्ति को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है। इसमें वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से किसी देश का केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह

नीति देश के आर्थिक विकास की दर और दिशा निर्धारित करती है। इसे देश की केंद्रीय बैंक की नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन और ऋण, लागत और विभिन्न मौद्रिक उपायों की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

14.2 मौद्रिक नीति का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Monetary Policy)

मौद्रिक नीति ऐसी नीति को संदर्भित करती है जो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए धन और ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में, मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, पूर्ण रोजगार या आर्थिक विकास जैसे किसी विशिष्ट आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रचलन में धन की मात्रा के विस्तार और संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है।

प्रो. हैरी जी. जॉनसन के अनुसार, "मौद्रिक नीति का अर्थ उस नीति से है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।"

केंट के अनुसार, "मौद्रिक नीति एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा के विस्तार और संकुचन के प्रबंधन को संदर्भित करती है।"

पॉल आइजिंग के अनुसार, "मौद्रिक नीति में वे सभी मौद्रिक निर्णय और उपाय सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना है।

इसलिए, मौद्रिक नीति का अर्थ व्यापक अर्थों में एवं संकीर्ण अर्थ में समझाया जा सकता है। व्यापक अर्थों में, मौद्रिक नीति का तात्पर्य मुद्रा और ऋण आपूर्ति के प्रबंधन और ब्याज दरों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ मौद्रिक प्रणाली से है। इसमें सरकार द्वारा उठाए गए गैर-मौद्रिक कदम (जैसे राजकोषीय नीति के उपाय) भी शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। संकीर्ण अर्थ में, मौद्रिक नीति सरकार और बैंकिंग अधिकारियों (केंद्रीय बैंक) द्वारा धन और ऋण प्रणाली के प्रबंधन के साथ-साथ ब्याज दरों के नियंत्रण और विनियमन के लिए उठाए गए कदमों को संदर्भित करती है।

14.3 मौद्रिक नीति का उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy)

मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का एक हिस्सा है। नीति के उद्देश्यों को आर्थिक नीति से प्राप्त किया गया है। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप और आवश्यक दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मूल्य स्थिरता
2. धन की तटस्थता
3. विनिमय दर स्थिरता,
4. पूर्ण रोजगार, और,
5. आर्थिक विकास।

- (1) **मूल्य स्थिरता :** मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की मात्रा न केवल केंद्रीय बैंक पर बल्कि वाणिज्यिक बैंकों और मुद्रा बाजार पर भी निर्भर करती है। कीमतें मुद्रा की मात्रा और गैर-आर्थिक कारकों से प्रभावित होती हैं। केंद्रीय बैंक विभिन्न मौद्रिक

उपायों के माध्यम से मूल्य स्थिरता को नियंत्रित करने के प्रयास करता है। मूल्य स्थिरता के अभाव में कीमतें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न करती हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती हैं। मूल्य स्थिरता के द्वारा कीमतों में उतार-चढ़ाव को इस तरह से नियंत्रित और विनियमित किया जाना है कि इसका उत्पादन, आय और रोजगार सृजन पर वांछनीय प्रभाव पड़ सके।

- (2) **धन की तटस्थता :** मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य कई अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाया गया था, उदाहरण के लिए: विकस्टीड, हायेक और रॉबर्टसन। उनका मत था कि धन से अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में सुविधा होनी चाहिए। इससे अन्य आर्थिक संस्थाओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था में खपत और उत्पादन को प्रभावित करने की भी उम्मीद नहीं है। यदि इसकी आपूर्ति स्थिर रहती है तो धन तटस्थ रह सकता है। धन की निरंतर आपूर्ति के तहत, अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी या विकृति नहीं होगी। हालांकि, धन की तटस्थता का मतलब यह नहीं है कि पैसे की आपूर्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर रहनी चाहिए। देश के आर्थिक ढांचे में हो रहे मूलभूत परिवर्तनों को बेअसर करने के लिए इसे बदलने की अनुमति दी जा सकती है।
- (3) **विनिमय दर स्थिरता :** विदेशी विनिमय दर स्थिरता क्रेडिट नीति के पारंपरिक उद्देश्यों में से एक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए विनिमय स्थिरता एक आवश्यक शर्त है। यह वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण है। यदि विनिमय दर में अस्थिरता है, तो इससे देश का बहिर्वाह होगा और विदेशी निवेशक हतोत्साहित होंगे जो देश में सट्टा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे। नियंत्रित ऋण नीति के माध्यम से प्रतिकूल भुगतान संतुलन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्रेडिट नीति के इस उद्देश्य की कई आधारों पर आलोचना की गई है, जैसे:
 - (i) विनिमय स्थिरता मूल्य स्थिरता पर निर्भर करती है जो अर्थव्यवस्था में असमानता उत्पन्न करती है।
 - (ii) विनिमय स्थिरता अन्य देशों की नीति पर निर्भर करती है जिससे देश में मुद्रास्फीति या अपस्फीति का आयात होता है।
 - (iii) विनिमय स्थिरता की नीति दूसरे देशों पर एक देश की निर्भरता की ओर ले जाती है।
- (4) **पूर्ण रोजगार :** पूर्ण रोजगार प्राप्त करना क्रेडिट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है जबकि मूल्य स्थिरता और विनिमय दर स्थिरता माध्यमिक उद्देश्य बन गए हैं। तीस के दशक की महामंदी और कीनेसियन अर्थव्यवस्थाओं के आपातकाल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में विकसित और विकासशील दोनों देशों में आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। आर्थिक नीतियों का मूल उद्देश्य पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है। पूर्ण रोजगार का अर्थ बेरोजगारी कम स्थिति नहीं है बल्कि वह स्थिति है जिसमें संसाधनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग किया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय का उच्च स्तर प्राप्त होता है। मौजूदा संस्थागत ढांचे के तहत मुद्रास्फीति के बिना न्यूनतम बेरोजगारी स्तर प्राप्त करना है। पूर्ण रोजगार की स्थिति प्रभावी मांग पर निर्भर करती है जिसमें उपभोग व्यय और निवेश व्यय चर शामिल होते हैं।
- (5) **आर्थिक विकास :** विकसित और विकासशील देशों में ऋण नीतियों के उद्देश्य भिन्न होते हैं। एक विकासशील देश में ऋण नीति आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है जबकि एक विकसित अर्थव्यवस्था में इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना है। ऋण नीति के माध्यम से समग्र मुद्रा आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के वातावरण को प्रोत्साहित किया जाता है। आर्थिक विकास और पूंजी निर्माण के बीच घनिष्ठ संबंध है।

14.4 मौद्रिक नीति का महत्व (Importance of Monetary Policy)

विकासशील देश बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, गरीबी, बाजार की खामियों, बचत और निवेश की कमी, आर्थिक उतार-चढ़ाव आदि जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मौद्रिक नीति के साथ-साथ राजकोषीय और अन्य उपायों से विकासशील देशों को इन समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। मौद्रिक नीति की उपयोगिता या महत्व को निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है:

1. **आर्थिक विकास :** मौद्रिक नीति मूल्य स्तर, पूर्ण रोजगार आदि में स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करके देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है। मौद्रिक नीति संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है।
2. **पूंजी निर्माण :** जब देश में उपभोग की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, सरकार अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित कर सकती है। आर्थिक प्रगति पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करती है, लेकिन किसी देश के विकास के शुरुआती चरणों में पूंजी निर्माण धीमा होने की संभावना है और इसमें काफी त्याग शामिल होगा।
3. **पैसे की मांग और आपूर्ति को संतुलित करना :** देश के मौद्रिक और बैंकिंग प्राधिकरण पैसे की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए ऋण नियंत्रण उपायों का उपयोग किया जाता है।
4. **उपयुक्त ब्याज दर :** लंबी अवधि और छोटी अवधि के लिए उपयुक्त ब्याज दर होना बहुत जरूरी है। यह दर देश की मौद्रिक नीति के माध्यम से निर्धारित की जा सकती है। देश में उपयुक्त ब्याज दरों को अपनाकर निवेश और बचत का आकार बढ़ाया जा सकता है।
5. **मूल्य स्थिरता :** मुद्रास्फीति की उच्च दर देश में कई सामाजिक-आर्थिक समस्याएं पैदा करती है। मुद्रास्फीति से निपटने में मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ब्याज दरें बढ़ाकर मौद्रिक अधिकारी मुद्रास्फीति और उछाल की स्थिति के स्तर की जांच कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए उनका प्रयास अर्थव्यवस्था को मंदी में डुबाने का नहीं होगा। ब्याज दरों को बढ़ाने के अलावा मौद्रिक प्राधिकरण मुद्रास्फीति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ऋण नियंत्रण के मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का भी उपयोग करते हैं।
6. **विनिमय दर में स्थिरता :** वर्तमान में अधिकांश देशों ने विशेष रूप से 1995 में विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद मुक्त व्यापार नीति अपनाई है। इसलिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर है। सरकार विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति में हेरफेर करके विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की जांच कर सकती है।
7. **पूर्ण रोजगार:** किसी देश में संसाधनों के इष्टतम उपयोग और आर्थिक विकास के लिए पूर्ण रोजगार की शर्त आवश्यक है। मौद्रिक नीति बचत और निवेश में संतुलन स्थापित करके पूर्ण रोजगार की सुविधा प्रदान करती है।
8. **ऋण विस्तार :** विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगा हुआ है। इस आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को भारी मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंक और वित्तीय संस्थान अपर्याप्त सुरक्षा और पुनर्भुगतान क्षमता कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त प्रदान करने से कतराते हैं और बचते हैं।

14.5 भारत की मौद्रिक नीति (Monetary Policy in India)

देश के सेंट्रल बैंक (RBI) ने 1935 से 1951 तक कोई स्पष्ट मौद्रिक नीति नहीं अपनाई थी। लेकिन 1 अप्रैल, 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने के बाद भारत की मौद्रिक नीति को योजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह माना गया कि मौद्रिक नीति देश की व्यापक आर्थिक नीति का एक घटक है।

इसलिए, इसे देश के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1952 से नियंत्रित ऋण विस्तार की नीति अपनाई थी। भारत में ऋण नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. बचत को प्रोत्साहित करना और संभावित बचत एकत्र करना।
2. पूंजी निर्माण और विकास के लिए बचत जुटाना।
3. निवेश को प्रोत्साहित करना और नियोजित कार्यक्रमों में निवेश के लिए वातावरण तैयार करना।
4. कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण की आपूर्ति ताकि समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
5. मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए, सापेक्ष मूल्य संरचना और सामान्य मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए।
6. बिना किसी वित्तीय बाधा के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

भारत की मौद्रिक नीति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है:

- i. उदारीकरण से पहले की मौद्रिक नीति (1951 से 1990 तक)
- ii. उदारीकरण के बाद से मौद्रिक नीति (1991 से)।

(i) उदारीकरण से पहले की मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली योजना (1951 - 56) के दौरान मामूली प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अपनाई। बैंक दर को 3 से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत किया गया। पहली योजना के दौरान बिल बाजार योजना भी पेश की गई थी। आरबीआई ने दूसरी योजना (1956 - 61) के दौरान मौद्रिक विस्तार की नीति का पालन किया क्योंकि देश को औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता थी। बैंक दर 3.5% से बढ़ाकर 4% कर दी गई। चयनात्मक ऋण नियंत्रण की पद्धति 1956 में पेश की गई थी।

आरबीआई ने तीसरी योजना (1961-66) के दौरान बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक विनियमन की नीति का पालन किया। 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान युद्धों के कारण गैर-विकास व्यय में भारी वृद्धि हुई थी। देश में 1965-66 और 1966-67 के दौरान भीषण सूखा पड़ा। इसलिए, अभूतपूर्व खाद्य संकट और मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए एक सख्त ऋण नीति का पालन किया गया। बैंक दर में वृद्धि के साथ-साथ वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया।

चौथी और पांचवीं योजना के दौरान मुद्रास्फीति की जांच के लिए कड़े क्रेडिट नियंत्रण उपायों को अपनाया गया। बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर), सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बढ़ाया गया। छठी योजना अवधि के दौरान भी यही परिदृश्य जारी रहा।

सातवीं योजना (1985-90) के दौरान बैंक दर 10% से बढ़ाकर 11% कर दी गई थी। एसएलआर (SLR) और सीआरआर (CRR) को बढ़ाकर क्रमशः 38.5% और 15% कर दिया गया। वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आईसीआरआर) 1989 में वापस ले लिया गया था। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के उपायों का सुझाव देने के लिए नरसिंहम समिति का गठन किया गया था। नरसिंहम समिति ने नवंबर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ii) उदारीकरण के बाद से मौद्रिक नीति: भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। नरसिंहम समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) 38.5% से घटाकर 25% किया जाना चाहिए।

2. वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आईसीआरआर) को वापस ले लिया जाना चाहिए।
3. बैंकों की उधार देने की क्षमता में सुधार के लिए सीआरआर को भी कम किया जाना चाहिए।
4. ब्याज दरें बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए, वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा जमा और उधार पर ब्याज दरों के संबंध में सभी नियमों और नियंत्रणों को हटा दिया जाना चाहिए।
5. समिति ने बैंकिंग परिचालन में अधिक दक्षता लाने के लिए स्वामित्व के एकीकरण और पुनर्गठन के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को कम करने का सुझाव दिया था।
6. बैंकिंग प्रणाली पर दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।
7. राष्ट्रीयकृत बैंकों और विकास वित्त संस्थानों को संपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करनी चाहिए।
8. प्रत्येक बैंक को स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
9. बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति व्यावसायिकता और ईमानदारी के आधार पर की जानी चाहिए।
10. भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्च, 1993 तक 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) प्राप्त करना चाहिए। बाद में सीएआर मानदंडों को प्राप्त करने की समय सीमा को बदलकर मार्च, 1996 कर दिया गया।

नरसिम्हम समिति की अधिकांश सिफारिशें 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान लागू की गई हैं। नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारत की मौद्रिक नीति में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष साधनों की ओर स्पष्ट रूप से बदलाव आया है।

14.6 मौद्रिक नीति के साधन (Instruments of Monetary Policy)

किसी देश का सेंट्रल बैंक किसी देश की मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को इसके उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मौद्रिक नीति के उपकरणों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- I. सामान्य या मात्रात्मक तकनीक (General or Quantitative Technique)
- II. गुणात्मक या चयनात्मक तकनीक (Qualitative or Selective Technique)

(I) सामान्य या मात्रात्मक तकनीक:

अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण के इन तरीकों द्वारा ऋण की कुल आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। ये तकनीकें देश में क्रेडिट को बढ़ाती हैं या घटाती हैं जिन्हें 'क्रेडिट का विस्तार' और 'क्रेडिट का संकुचन' कहा जाता है। मात्रात्मक ऋण की इस तकनीक में उपयोग किए जाने वाले उपाय निम्न हैं:

1. **बैंक दर (Bank Rate) :** जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं उसे बैंक दर के रूप में जाना जाता है। इसे छूट दर भी कहा जाता है क्योंकि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिल या प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में छूट देता है और बैंक द्वारा ऋण और अग्रिम दिए जाते हैं। जब भी केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में परिवर्तन होता है, वाणिज्यिक बैंक भी उसी के अनुसार अपनी दर बदलते हैं और उधार लेने की लागत प्रभावित होती है। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर उच्च बैंक दर वसूल करते हैं जिससे क्रेडिट महंगा हो जाता

है। यह निवेश को हतोत्साहित करता है, उत्पादन और रोजगार प्रभावित होते हैं। लोगों की आय कम हो जाती है और मूल्य स्तर को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत जब बैंक दर कम हो जाती है तो ऋण सस्ता हो जाता है। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम ब्याज दर पर उधार ले सकते हैं और जिसके फलस्वरूप वे अपने ऋणों और अग्रिमों पर कम ब्याज दर भी वसूलते हैं। यह निवेश को प्रोत्साहित करता है। उत्पादन बढ़ता है और जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि होती है और मूल्य स्तर में वृद्धि के साथ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। बैंक दर कम होने से आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाती हैं।

बैंक दर नीति की सीमाएं:

- i. यदि बैंक दर में परिवर्तन के साथ अन्य दरों में परिवर्तन होता है तो ऋण का संकुचन और विस्तार संभव होगा। यदि वाणिज्यिक बैंकों के पास पर्याप्त धन है तो वे केंद्रीय बैंक पर कम निर्भर होंगे तो बैंकों से उधार लेने की लागत प्रभावित नहीं होगी।
- ii. बैंक दर की सफलता यह मानती है कि एक सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से विकसित मुद्रा बाजार होना चाहिए। अधिकांश विकासशील देशों में स्वदेशी बैंकों का अस्तित्व है जो केंद्रीय बैंक की बैंक दर नीति की नीति से प्रभावित नहीं हैं होती।
- iii. बैंक दर की सफलता अर्थव्यवस्था की संरचना के लचीलेपन पर निर्भर करती है ताकि बैंक दर का प्रभाव ब्याज दरों, निवेश, उत्पादन, मजदूरी दर, रोजगार, आय और कीमतों को प्रभावित करे।

2. **खुले बाजार के संचालन (Open Market Operations) :** वे परिचालन जिनके तहत सरकारी प्रतिभूतियों को सेंट्रल बैंक द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, उन्हें खुले बाजार के संचालन के रूप में जाना जाता है। जब सरकारी प्रतिभूतियों को सार्वजनिक और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खरीदा जाता है तो क्रय शक्ति जनता से केंद्रीय बैंक में स्थानांतरित हो जाती है। यह ऋण के संकुचन की ओर जाता है। इसके विपरीत जब सरकारी प्रतिभूतियों को सार्वजनिक और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बेचा जाता है, तो यह जनता और बैंकों की क्रय शक्ति को बढ़ाता है। यह जमा को बढ़ाता है और फलस्वरूप ऋण के विस्तार को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार, जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है तो ऋण का विस्तार होगा और जब प्रतिभूतियों की बिक्री होती है, उससे ऋण का संकुचन होगा।

सीमाएं: खुले बाजार के संचालन की प्रभावशीलता निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करती है:

- i. केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से धन की मात्रा में वृद्धि होती है और वाणिज्यिक बैंकों की तरल निधि में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत प्रतिभूतियों की बिक्री से धन की मात्रा कम हो जाती है और बैंकों की तरल निधि भी कम हो जाती है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है क्योंकि प्रतिभूतियों की बिक्री के साथ इस तरह के संचालन का प्रवाह नोटों को वापस ले सकता है और जहां संचय होता है वहां प्रवाह हो सकता है।
- ii. दूसरी शर्त यह है कि वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण और निवेश की गतिविधियों के साथ लिक्विड फंड की वृद्धि और कमी में बदलाव करते हैं। लेकिन यह मौद्रिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण संभव नहीं हो सकता है।

विकसित देशों में यह उपकरण सफल है क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के साथ वाणिज्यिक बैंकों के तरल धन में वृद्धि या कमी हुई है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में, प्रतिभूति

बाजार सीमित है और फलस्वरूप खुले बाजार के संचालन एक प्रभावी मौद्रिक नीति नहीं हैं। इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल की वांछनीय दर प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है।

उपयोगिता:

- i. बैंक दर को साख नियंत्रण का एक प्रभावी हथियार बनाने के लिए खुले बाजार के संचालन को एक पूरक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - ii. सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए साधन का उपयोग किया जा सकता है जब कीमतें कम होती हैं तो इन प्रतिभूतियों को खरीदा जा सकता है जबकि केंद्रीय बैंक द्वारा उनकी कीमतें अधिक होने पर उन्हें बेचा जा सकता है।
 - iii. उचित उतार-चढ़ाव की जांच के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। वे व्यस्त मौसम में खरीदे जाते हैं और सुस्त मौसम के दौरान बेचे जा सकते हैं।
3. **नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन (Change in Cash Reserve Ration) :** मौद्रिक नीति के ऋण नियंत्रण के साधन के रूप में नकद आरक्षित अनुपात को समय-समय पर बदला जा सकता है। वाणिज्यिक बैंकों को अपने समय और मांग जमा का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज मिलता है। केंद्रीय बैंक सीआरआर (CRR) में वृद्धि या कमी के साथ क्रेडिट अनुबंध या विस्तार कर सकता है और यह प्रिय धन नीति या सस्ती मुद्रा नीति को तदनुसार अपनाता है। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता सीआरआर (CRR) से प्रभावित होती है।
4. **वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन (Change in Statutory Liquidity Ratio):** वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा तरल रूप में रखना होता है। यह तरलता नकद और सरकारी प्रतिभूतियों में रखी जाती है। मौद्रिक नीति का यह साधन वाणिज्यिक बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब एसएलआर (SLR) बढ़ा दिया जाता है तो बैंक को अपनी कुल जमा राशि को अधिक तरल रूप में रखना पड़ता है और ऋण निर्माण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह प्रिय धन नीति को अपनाने के लिए किया जाता है, जब केंद्रीय बैंक अधिक धन उपलब्ध कराने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है तो संसाधन तो एसएलआर (SLR) कम हो जाता है।

सीमाएं:

- i. जब बैंकों के पास सरप्लस फंड नहीं होता है तो फंड में बदलाव के साथ मांग घट सकती है। यदि बैंकों के पास अधिशेष निधि है तो एसएलआर (SLR) में परिवर्तन के साथ ऋण का संकुचन नहीं होगा।
- ii. एसएलआर (SLR) में बदलाव के साथ उधारकर्ताओं में भी बदलाव होना चाहिए। जब ऋण का विस्तार किया जाता है तो उधारकर्ता अधिक उधार नहीं लेते हैं और मौद्रिक नीति के ये साधन पूरी तरह से विफल हो जाते हैं।
- iii. एसएलआर (SLR) में बार-बार होने वाले बदलावों से बैंकों के संचालन और ऋण के समायोजन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं।

गुणात्मक या चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण (Qualitative or Selective Credit Control) : साख नियंत्रण के मात्रात्मक तरीकों से या तो ऋण का संकुचन होता है या ऋण का विस्तार होता है। आरबीआई मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है और इसके परिणामस्वरूप देश में प्रिय धन नीति (क्रेडिट का संकुचन) और सस्ती मुद्रा नीति (क्रेडिट का विस्तार) की नीति का पालन करता है। लेकिन, गुणात्मक या

चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय ऋण के उपयोग और दिशा को प्रभावित करते हैं। क्रेडिट नियंत्रण के ये उपाय गैर-आवश्यक उपयोगों से आवश्यक उपयोगों के लिए और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। चुनिंदा ऋण नियंत्रण उपाय निम्नलिखित हैं:

1. **क्रेडिट का राशनिंग (Rationing or Credit) :** क्रेडिट नियंत्रण की यह विधि ऋण लेने वाले के लिए क्रेडिट मात्रा की सीमा तय करती है। जब पैसे की कमी होती है तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट माप के राशनिंग का उपयोग करता है। इस पद्धति के तहत प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और विशेष ऋण और अग्रिम की सीमा निर्धारित करता है।
2. **सुरक्षा के खिलाफ मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन (Change in Need of Margin) :** मार्जिन उधार की राशि और सुरक्षा की कीमत के बीच का अंतर है। यह चयनात्मक क्रेडिट पद्धति सट्टा उद्देश्यों के लिए क्रेडिट के उपयोग को नियंत्रित करती है। केंद्रीय बैंक को मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ाने या घटाने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय बैंक सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्जिन आवश्यकताओं के साथ ऋण के प्रवाह को मोड़ देता है।
3. **उपभोक्ता साख का विनियमन (Regulation of Consumer Credit) :** साख नियंत्रण के इस उपाय का उपयोग उपभोक्ता द्वारा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के दौरान ऋण को विनियमित करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट नियंत्रण के इस उपाय के तहत उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं या भुगतान का समय तय किया जाता है और किश्तें कम कर दी जाती हैं।
4. **सीधी कार्रवाई (Direct Action) :** यदि वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो केंद्रीय बैंक बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्रेडिट नियंत्रण की इस पद्धति के तहत केंद्रीय बैंक बिलों की छूट की सुविधा को अस्वीकार कर सकता है और बैंकों से दंडात्मक ब्याज दर भी वसूल कर सकता है।
5. **नैतिक प्रभाव (Moral Effect) :** कई बार केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई के स्थान पर वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए नैतिक दबाव का उपयोग कर सकता है। क्रेडिट नियंत्रण के इस उपाय के माध्यम से, केंद्रीय बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से सक्रिय और वांछित सहयोग प्राप्त कर सकता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. बैंक दर किसे कहते हैं?
2. साख नियंत्रण की दो प्रमुख विधियों के नाम बताइए।
3. खुले बाजार की क्रियाओं से क्या तात्पर्य है?
4. मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं?
5. भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के दो बिंदु लिखिए।

14.7 भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएं (Limitations of Monetary Policy in India)

भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

1. **थोड़ा ध्यान दिया गया :** बजट पर दिए गए भारी मीडिया के ध्यान की तुलना में, वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति पर कम ध्यान दिया गया है। मीडिया के जोर में सापेक्ष अंतर विडंबनापूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में मौद्रिक

नीति राजकोषीय नीति की तुलना में महत्व प्राप्त कर रही है। अर्थव्यवस्थाओं में अधिक खुलापन और वित्तीय बाजारों के बढ़ते महत्व, परिसंपत्ति की कीमतों और अपेक्षाओं ने मौद्रिक नीति के प्रभाव को बढ़ाया है।

2. **अनुपयुक्त वित्तीय प्रणाली :** इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है कि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए, एक लचीली, अच्छी तरह से एकीकृत और अच्छी तरह से विनियमित वित्तीय प्रणाली, संवेदनशील तरलता प्रतिक्रिया, और सूक्ष्म ब्याज दरों की आवश्यकता होती है। भारतीय वित्तीय प्रणाली संक्रमणकालीन चरण में है, इसलिए वर्तमान नीति भारतीय वित्तीय प्रणाली को वहां तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने का कार्य जारी रखती है।
3. **उच्च ब्याज दरें :** भारत में मौद्रिक नीति में उच्च विकास दर के साथ मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के दोहरे उद्देश्य थे। इसलिए, विशेष रूप से शुरुआती और मध्य नब्बे के दशक के दौरान उच्च ब्याज दरों को अपनाया गया था। लेकिन इन दरों को पूंजी की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं ठहराया गया था।
4. **हितों का टकराव :** मौद्रिक नीति के प्रबंधन और सरकारी ऋण के बीच हितों का टकराव होता है। संघर्ष को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रभावी मौद्रिक नीति के लिए बैंकों को विनियमित करने और वित्तीय प्रणाली में सुधार के बीच हितों का टकराव भी होता है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
2. मौद्रिक नीति के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए।
3. “भारतीय मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य सुनियोजित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है।” व्याख्या कीजिए।
4. मौद्रिक नीति के पूर्ण रोजगार उद्देश्य की विस्तृत विवेचना कीजिए।

14.8 सारांश (Conclusion)

मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए धन और ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में, मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, पूर्ण रोजगार या आर्थिक विकास जैसे किसी विशिष्ट आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रचलन में धन की मात्रा के विस्तार और संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसमें वे सभी उपाय शामिल हैं जिनके माध्यम से किसी देश का केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह नीति देश के आर्थिक विकास की दर और दिशा को निर्धारित करती है। इसे देश के केंद्रीय बैंक की नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन और ऋण, लागत और विभिन्न मौद्रिक उपायों की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

14.9 अधिगम परिणाम (Glossary)

मौद्रिक नीति के अध्ययन में इसके तंत्र, उद्देश्यों और प्रभावों की व्यापक समझ शामिल है। प्रमुख सीखने के परिणामों में शामिल हैं –

1. मौद्रिक नीति उपकरणों की समझ।
2. आर्थिक स्थिरीकरण।
3. केन्द्रीय बैंक के कार्यों और उद्देश्यों को समझें।
4. ब्याज दरों में बदलाव उपभोक्ता खर्च को कैसे प्रभावित करते हैं।

14.10 शब्दावली (Glossary)

- **पूर्ण रोजगार** : पूर्ण रोजगार का अर्थ तभी होता है जब रोजगार चाहने वाले सभी लोगों को वर्तमान मजदूरी दरों पर काम दिया जाता है।
- **बैंक दर** : बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक छूट देता है या अधिक सटीक रूप से पात्र बिलों को फिर से भुनाता है। व्यापक अर्थ में, यह उस न्यूनतम दर को संदर्भित करता है जिस पर केंद्रीय बैंक अंतिम उपाय के रूप में अपने कार्य के निर्वहन में वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।
- **कैश रिजर्व रेशियो (CRR)** : कैश रिजर्व रेशियो एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जिसे उसे रिजर्व बैंक के पास कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है। रिजर्व बैंक के इस अनुपात को कुल मांग और सावधि देनदारियों के 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच बदलने का अधिकार है।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** : वैधानिक तरलता अनुपात एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जिसे उसे तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखना होता है। अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आरक्षित अनुपात में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों की उधार क्षमता में कई गुना कमी आती है जो आरक्षित आवश्यकता के आधार पर होती है जो क्रेडिट धन के संचलन के वेग को प्रभावित करती है।
- **मार्जिन की आवश्यकता** : सुरक्षा के मूल्य और इस सुरक्षा के खिलाफ उधार ली गई राशि के बीच के अंतर को मार्जिन के रूप में जाना जाता है।

14.11 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य क्या हैं?
2. विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की क्या भूमिका है? विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सीमाओं को भी परिभाषित करें?
3. साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियाँ क्या हैं?
4. साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों से आप क्या समझते हैं?
5. "भारत की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य नियोजित आर्थिक विकास को प्रेरित करना है।" चर्चा करना।
6. भारत की मौद्रिक नीति पर एक निबंध लिखें?
7. "मौद्रिक नीति के उद्देश्य समय-समय पर बदलते रहे हैं और आर्थिक विकास के उद्देश्य अब अधिक महत्व प्राप्त कर चुके हैं।" चर्चा करना।
8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट नियंत्रण के तहत की गई 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' से आपका क्या तात्पर्य है?

14.12 सदर्थ व ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)

- Jain, Rathi, Sharma, Banking Service Operations, RBD Publishing House, Jaipur, MBA Edition

- Singh, Gupta, Bhandari, Money and Financial System, Ramesh Book Depot, Jaipur, 2009 – 10.
- Matta. Satisk K., Management of Financial Institutions and Services, Vrinda Publication (P) Ltd., second Edition, 2011.
- डॉ. टी.टी. सेठी, मौद्रिक अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 19th Edition, 2018 – 19.
- त्रिवेदी, सिंह, दशोरा, नागर, भण्डारी, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, आर.बी. डी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2021.

14.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Publications – Reserve Bank of India, 2013.
- Ulrich Bindseil, Monetary Policy Operations and the Financial System, Oxford Publication, 2014
- Ghate. Chetan, Kletzer. Kenneth M., Monetary Policy in India: A Modern Macroeconomics Perspective, Springer India, 2016.
- Publications – Reserve Bank of India, 2021.

14.14 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources / Link)

- [www.elibrary.imf.org>view>books.html](http://www.elibrary.imf.org/view/books.html)
- [www.rbi.org.in>scripts>PublicationsView.html](http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.html)
- [www.sciencedirect.com>topics>monetary-policy.html](http://www.sciencedirect.com/topics/monetary-policy.html)
- www.rba.gov.au/education/resources/explainers/unconventional-monetary-policy.html

इकाई - 15

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

(Non Banking Financial Companies)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

- 15.0 उद्देश्य
- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भारतीय इतिहास
- 15.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अर्थ
- 15.4 बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अंतर महत्व
- 15.5 गैर बैंकिंग संस्थाओं का महत्व
- 15.6 NBFC का नियामक ढाँचा
- 15.7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन
- 15.8 NBFC के विभिन्न प्रकार
- 15.9 प्रदान की जाने वाली सेवाएं
- 15.10 भारतीय वित्त प्रणाली में NBFC की भूमिका
- 15.11 सारांश
- 15.12 अधिगम परिणाम
- 15.13 शब्दावली
- 15.14 स्वपरख प्रश्न
- 15.15 सन्दर्भ एवं ग्रन्थसूची
- 15.16 अन्य पठन सामग्री
- 15.17 वेब संसाधन/लिंक

15.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय वित्त प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की भूमिका बताना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिचय के साथ साथ उसका इतिहास, गठन, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं में अंतर, कार्यप्रणाली, विनियमन, महत्व आदि बताना है।

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वह माध्यम हैं जो उपभोक्ताओं की बचत एवं निवेश को स्वीकार कर उन्हें ऋण प्रदान करती हैं। इस प्रकार छोटे छोटे फंड्स को पूंजीगत बनाते हैं। एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। यद्यपि ये संस्थाएं बैंक से अलग हैं परन्तु भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के नियमों एवं नियामकों से बंधी हैं। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना के आने से एनबीएफसी ने भी उद्यमिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इनके द्वारा प्रदत्त विभिन्न ऋणों में सबसे ज्यादा छोटे एवं असंगठित वर्ग को सहयोग दिया है। वर्तमान में

सरकारी बैंकों पर बड़े हुए नॉन परफॉर्मिंग अस्सेट्स और डूबत ऋण के भार ने एनबीएफसी की उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। इनकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान वाहन की खरीद पर ऋण, निजी ऋण और गृह निर्माण ऋण रहा है।

15.2 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का इतिहास (History of Non Banking Financial Institutions)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उन निवेशकों के लिए 1960 में प्रारंभ की गयी जिनकी आवश्यकताएं उपलब्ध बैंकों के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही थी। प्रारंभ में NBFCs काफी छोटे स्तर पर काम कर रही थी। उनका प्रारम्भिक कार्य निवेशकों से बचत प्राप्त कर उसी पूंजी को उद्योगपतियों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना था। प्रारम्भिक स्तर पर Companies Act इन पर लागू होता था। लेकिन इनके अनोखी एवं जटिल कार्य प्रणाली थी, क्योंकि ये न सिर्फ वित्तीय संस्था अपितु वित्तीय मध्यस्थ के रूप में भी कार्य कर रही थी अतः एव इनके लिए अलग से नियमक बनाना आवश्यक हो गया। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक Act 1934 ने अध्याय III के तहत NBFCs को कुछ अधिकार प्रदान किये जिनसे ये लोगों की बचत प्राप्त कर सकते थे। तभी से RBI ही NBFCs को विनियमित करता है। अध्याय III में जुड़ने के बाद से जो संस्थाएँ सिर्फ किराया और पट्टे पर पूंजी उपलब्ध करवाती थी वो अब साधारण निवेशकों से अपनी उपलब्ध पूंजी के बराबर जमा स्वीकार कर सकती थी, इन्हें ही NBFCs कहा गया।

1980-1990 के दशक में ये NBFCs अपनी उदारता के कारण उपभोक्ताओं में खासी प्रचलित हो गयी। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1981 में ये 7000 कि संख्या में थी, 1992 में ये बढ़ कर 30,000 हो गयी। तेज़ी से बढ़ती इनकी रफ़्तार को देखते हुए RBI ने इसे और संगठित करने के उद्देश्य से ए. सी. शाह, भूतपूर्व अध्यक्ष बैंक ऑफ़ बड़ोदा कि अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कि जिसका कार्य प्रभावी विनियमन के उपाय सुझाना था। शाह कमेटी की विभिन्न सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि इन NBFCs का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाये।

जनवरी 1997 में RBI Act 1934 मुख्यतया अध्याय III-B, III-C एवं V में वृहद बदलाव किये गए। जिनमें NBFC कि सुचारू कार्यप्रणाली, पूर्ण विनियामक एवं पर्यवेक्षण का उल्लेख था ताकि निवेशकों के हित कि रक्षा कि जा सके। 1997 के महत्वपूर्ण संशोधन के बाद NBFCs उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं इसमें इनके संचालन, उत्पादों कि श्रृंखला, बाज़ार उत्पाद, तकनीकी विस्तार आदि शामिल हैं। पिछले 20 वर्षों में NBFCs ने जो शोहरत प्राप्त की है और जो प्रमुखता वित्तीय क्षेत्र में बनाई है उसे ध्यान में रखते हुए अगस्त 2016 में यूनियन कैबिनेट ने ऑटोमेटेड रूट के तहत NBFC को FDI (Foreign Direct Investment) लाने कि अनुमति भी प्रदान कर दी है।

15.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning of NBFCs)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से सम्बंधित कार्यों में निवेश करना है। ये कंपनियाँ भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह संस्थाओं का विजातीय समूह है (वाणिज्यिक सहकारी बैंकों को छोड़कर) जो विभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है जैसे-

- जमा स्वीकार करना
- ऋण और अग्रिम प्रदान करना
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निधियां जुटाना
- अंतिम व्ययकर्ता को उधार देना

- थोक, खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली बार गैर बैंकिंग उधार दाताओं को उनके कार्य संचालन में सहूलियत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए : -
- केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी वर्तमान त्रिस्तरीय संरचना में परिवर्तन करके इन कंपनियों को एकल श्रेणी प्रदान की गयी।
- कोर निवेश कंपनियों को छोड़ कर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का उनके क्रेडिट के अनुसार भारत जोखिम का भी खुलासा किया जायेगा।
- इस अधिसूचना में कहा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिचालन को अधिक लचीला बनाने के लिए इनकी संस्था को नियमन के बजाये गतिविधि सिद्धांत के आधार पर तैयार किया जायेगा।
- एस्सेट फिनांस कंपनियों, ऋणदाता और निवेशक कंपनियों को एक साथ मिलाकर “गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवेश और क्रेडिट कंपनी” (NBFC - ICCs) के नाम से एक नयी श्रेणी प्रदान कि गयी है।

15.4 बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अंतर (Difference between Banking and Non-Banking Finance Companies)

यद्यपि बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग दोनों ही संस्थान महत्वपूर्ण वित्तीय माध्यम हैं। दोनों ही प्रायः एक ही प्रकार कि सेवाएं प्रदान करते हैं किन्तु दोनों में मुख्य अंतर ये है कि बैंकों कि तरह गैर बैंकिंग संस्थान अपने नाम से चेक व ड्राफ्ट नहीं लिख सकते। बैंक देश कि भुगतान प्रणाली का हिस्सा हैं जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं इसमें शामिल नहीं है।

तालिका 1 : बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग संस्था में अंतर

आधार	गैर बैंकिंग संस्था	बैंक
अर्थ	ये बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं।	ये सरकार द्वारा अधीकृत वित्तीय मध्यस्थ हैं, जिनका प्रमुख कार्य आम जनता को बैंकिंग सेवाएं देना है।
निगमन	कंपनी एक्ट 1956	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949
मांग जमा	अस्वीकृत	स्वीकृत
विदेशी निवेश	100% तक स्वीकृत	निजी क्षेत्र के बैंकों को 74% तक स्वीकृत
संधाय एवं निपटान प्रणाली	प्रणाली का हिस्सा नहीं है	अभिन्न हिस्सा है
आरक्षित अनुपात	आवश्यक नहीं	अनिवार्य है
जमा बीमा सुविधा	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
साख निर्माण	NBFC नहीं करती	बैंक करते हैं
लेनदेन सेवाएं	इनके द्वारा नहीं दी जाती	इनके द्वारा दी जाती हैं

बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं के बीच अति महत्वपूर्ण अंतर:-

1. एक सरकारी अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ जिसका उद्देश्य आम जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है बैंक कहलाता है। NBFC एक ऐसी संस्था है जो बिना बैंक लाइसेंस के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।
2. एक NBFC कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया है जबकि एक बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत है।
3. NBFC को ऐसी जमा राशियाँ स्वीकार करने का अनुमति नहीं है जो मांग पर चुकाने योग्य हैं। इसके विपरीत बैंक मांग जमा स्वीकार करता है।
4. NBFC में 100% तक विदेशी निवेश कि अनुमति है दूसरी ओर केवल निजी क्षेत्र के बैंक ही विदेशी निवेश के लिए पात्र हैं , और यह प्रतिशत 74% से अधिक नहीं होगा।
5. बैंक भुगतान एवं निपटान चक्र का अभिन्न अंग है जबकि NBFC इस प्रणाली का हिस्सा नहीं है।
6. बैंक के लिए CRR एवं SLR जैसे आरक्षित अनुपात बनाये रखना अनिवार्य है , इनके विपरीत NBFC को ये अनुपात बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है।
7. जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) द्वारा बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा की अनुमति है, NBFC के मामले में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है।
8. बैंक क्रेडिट का निर्माण करते हैं जबकि NBFC क्रेडिट निर्माण में शामिल नहीं होता है ।
9. बैंक ग्राहकों को लेनदेन सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा, ट्रेवलर चेक जारी करना, फंड स्थानांतरण करना आदि। ये सेवाएँ NBFC द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं।

15.5 गैर बैंकिंग संस्थाओं का महत्व (Importance of NBFCs)

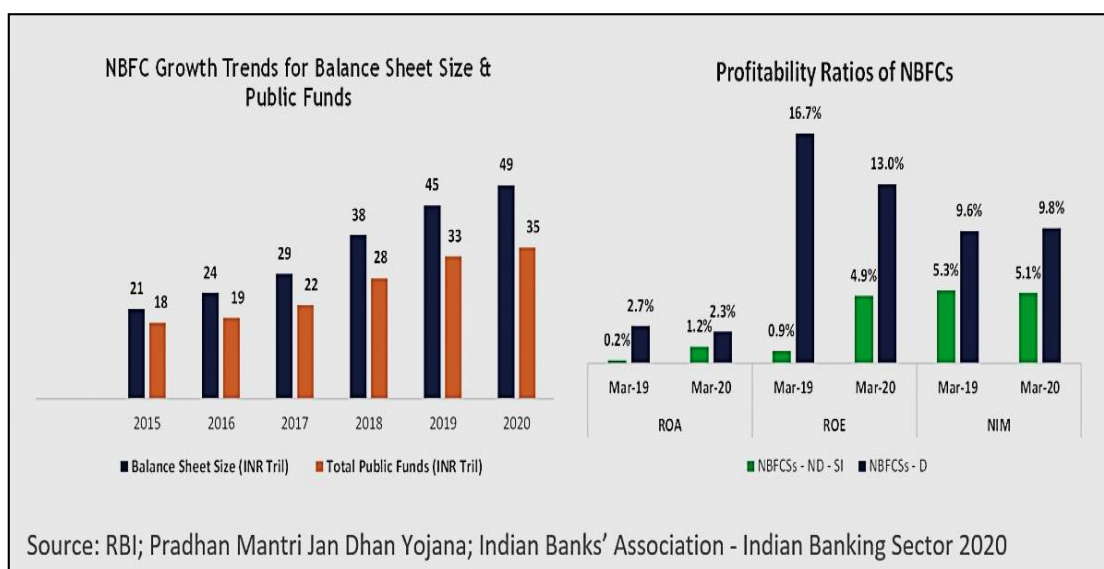
ऐतिहासिक रूप से एनबीएफसी भारतीय वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला है , जो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बचत और निवेश को चेनालाईस करती है विशेष रूप से छोटे पैमाने और खुदरा क्षेत्रों के साथ साथ कम सेवा वाले क्षेत्रों और भारतीय अर्थव्यवस्था के असंबद्ध क्षेत्रों के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एनबीएफसी के नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव किये गए हैं। विनियमन के इन उछ स्टारों को देखते हुए एनबीएफसी भी क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरे हैं, इनकी संचालन लागत बैंकों से कम होती है।

इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री जन धन योजना सहित सरकार समर्थित योजनाओं के शुभारंभ के कारण एनबीएफसी धीरे धीरे विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र बन गए हैं, जिसने बैंक खातों की संख्या वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये एनबीएफसी वित्तीय दबाव के समय जोखिमों के प्रसार को कम करने एवं प्रबंधित करने में सक्षम रहे हैं और बैंकों के लिए पूरक सेवाओं के रूप में पहचाने जाने लगे हैं।

एनबीएफसी ऋण एवं ऋण सुविधाओं, सेवा निवृत्ति योजना, मुद्रा बाजार, हामीदारी और विलय गतिविधियों सहित सभी व्यावसायिक सेवाओं के लिए अभिन्न अंग हो गए हैं । अतः ये कम्पनियाँ स्थानीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र और छोटे उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । इसके अतिरिक्त किराया खरीद वित्त (Lease) भी एनबीएफसी की सबसे बड़ी गतिविधि है। इसके अतिरिक्त ये लंबी अवधि के निवेश और वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करते हैं , जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण है। एनबीएफसी के विकास से व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए उपलब्ध उत्पादों की श्रृंखला में निवेश करने के लिए संसाधनों का विस्तार होता है।

बैंकों के साथ साथ एनबीएफसी भी MSME के लिए प्रमुख वित्त पोषण का अंग रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप एवं उद्यमशीलता के बढ़ने से एनबीएफसी की मांग और बढ़ी है। इन विभिन्न विकास कारकों के फलस्वरूप एनबीएफसी की धन में वृद्धि देखने को मिलती है। 2019 के प्रभावशाली रिटर्न के साथ ROA, ROE एवं NIM के लिए मेट्रिक्स में बेहतर लाभप्रद अनुपात देखा गया है।

चित्र 1 : गैर बैंकिंग संस्थाओं के विकास तथा लाभपराकता



15.6 एनबीएफसी का नियामन (NBFC Structure)

एनबीएफसी का पंजीकरण: एनबीएफसी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक पूरक के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एवं शासित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कि धारा 45 - IA के अनुसार एक NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र और २ करोड़ का शुद्ध सवामित्व वाला कोष ना हो।

22 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने “स्केल आधारित विनियमन” (एसबीआर) एनबीएफसी के लिए एक नया नियामक ढाँचा रखा है। जो कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। वर्तमान में एनबीएफसी को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया गया है :

(अ) देनदारियों एवं परिसंपत्ति के आकार के आधार पर— देनदारियों के प्रकार के सम्बन्ध में

- जमा स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) और
- जमा न करने वाली एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और

(ब) उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर

- (एनबीएफसी – एनडी- एससाई) 500 करोड़ रुपए से अधिक कि संपत्ति वाली और
- (एनबीएफसी– एनडी) 500 करोड़ रुपए से कम संपत्ति वाली।

(स) एनबीएफसी द्वारा कि जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर :

तालिका 2 : एनबीएफसी कि गतिविधियाँ

एनबीएफसी के प्रकार	गतिविधियों की प्रकृति
निवेश एवं क्रेडिट कम्पनियाँ (NBFC - ICC)	उधार, परिसंपत्ति वित्तपोषण एवं निवेश

सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC – MFI)	माइक्रोफिनेंस व्यवसाय
कारक (NBFC- Factor)	फैक्टरिंग व्यवसाय
हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियाँ (HFC)	हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फण्ड (NBFC- IDF)	सार्वजनिक – निजी भागीदारी में निवेश
इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC- IFC)	इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बिजनेस
कोर निवेश कंपनी (CIC)	शेयरों एवं प्रतिभूतियों में निवेश
बंधक गारंटी कंपनी (NBFC- MGC)	आवास वित्त उधारदाताओं को गिरवी गारंटियाँ प्रदान करना
गैर ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC)	एक बैंकिंग कंपनी के शेयर धारण करना
पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (NBFC-P2P)	पी 2 पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म का संचालन
अकाउंट एग्रीगेटर (NBFC- AA)	खाता एकत्रीकरण व्यवसाय
स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (SPD)	सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में निवेश

* स्केल आधारित विनियमन (SBR) ढांचे के तहत संशोधित वर्गीकरण

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ कब प्रारम्भ हुईं?
(अ) 1961 (ब) 1960 (स) 1959 (द) 1964
2. RBI Act 1934 के किस अध्याय में NBF_s के अधिकार वर्णित है?
(अ) I (ब) II (स) III (द) IV
3. अगस्त 2016, यूनियन कैबिनेट ने ऑटोमेटेड रूट के तहत NBFC को किस निवेश को लाने अनुमति प्रदान की है ?
(अ) FDI (ब) FII (स) F&O (द) IPO
4. निम्न में से कौनसा कार्य गैर बैंकिंग संस्था करती है?
(अ) जमा स्वीकार करना (ब) जमा बीमा सुविधा
(स) साख निर्माण (द) विदेशी निवेश स्वीकृति

15.7 गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का विनियमन(NBFCs Regulations)

SBR फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई ने एनबीएफसी विनियमन के लिए चार पैमाने आधारित परतें पेश की हैं (आधार परत, मध्य परत , ऊपरी परत एवं शीर्ष परत) , जिनमे आगे चलकर सभी एनबीएफसी को वर्गीकृत और विनियमित किया जायेगा | निम्न तालिका विभिन्न परतों के तहत एनबीएफसी की संरचना और सम्बंधित शर्तों को दर्शाती है :-

तालिका 3 :एनबीएफसी की संरचना एवं शर्तें

स्केल आधारित परतें	संरचना और सम्बंधित शर्तें
आधार परत (NBFC – BL)	जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (NBFC- ICC, MFI, Factor, MGC) जिनकी परिसंपत्तियां 1000 करोड़ रुपए से कम है। एनबीएफसी – पी 2 पी एनबीएफसी – एए NOFHC

	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ जो सार्वजनिक निधि का लाभ नहीं उठा रही और जिनका कोई ग्राहक संपर्क नहीं है।
मध्य परत (NBFC-ML)	एनबीएफसी – डी जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (NBFC- ICC, MFI, Factor, MGC) जिनकी परिसंपत्तियां 1000 करोड़ रूपए से अधिक है। एचएफसी सीआईसी एनबीएफसी – आईएफसी एनबीएफसी – आईडीएफ एसपीडी
ऊपरी परत (NBFC – UL)	एनबीएफसी जिन्हें विशेष रूप से आरबीआई द्वारा बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं के अधीन माना जाता है। संपत्ति के आकार के आधार पर शीर्ष 10 एनबीएफसी हमेशा ऊपरी स्तर पर आते हैं। आरबीआई शीर्ष 50 एनबीएफसी को उनके कुल एक्सपोजर के आधार पर जांच करेगा या इस परत में शामिल करने के लिए किसी अन्य एनबीएफसी (पर्यवेक्षी निर्णय के अनुसार) की पहचान करेगा मात्रात्मक मापदंडों (जैसे आकार, उत्तोलन, परस्पर सम्बन्ध और जटिलता) और गुणात्मक मापदंडों (जैसे की बैलेंस शीट पर देनदारियों कि गुणवत्ता, समूह संरचना एवं खंड पैठ) के आधार पर एनबीएफसी की पहचान के लिए निर्धारित विस्तृत स्कोरिंग पद्धति। चयनित एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा सूचित किया जायेगा और उन्हें तीन महीने के भीतर नियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति अपनानी होगी और 24 महीने के भीतर इस तरह के ढांचे को लागू करना होगा। एक बार इस परत में वर्गीकृत होने के बाद एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से 5 साल कि अवधि के लिए इस परत में रहना चाहिए चाहे वह स्कोरिंग मानदंडों को पूरा करते हो या नहीं।
शीर्ष परत (NBFC- TL)	यदि एनबीएफसी में पर्याप्त संभावित प्रणालीगत जोखिम है तो आरबीआई उन एनबीएफसी को ऊपरी परत से शीर्ष परत में स्थानांतरित करेगा। आरबीआई विशेष रूप से ऐसी एनबीएफसी के लिए उच्च पूँजी आवश्यकताओं को शीर्ष स्तर में उनके वर्गीकरण के समय सूचित करेगा। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवर्धित और गहन पर्यवेक्षी जुड़ाव के अधीन होंगी। अगर आरबीआई ऊपरी परत में एनबीएफसी के सम्बन्ध में किसी भी प्रणालीगत जोखिम को नहीं समझता है तो आरबीआई किसी भी इकाई को शीर्ष परत में वर्गीकृत नहीं कर सकता है।

स्रोत : <https://nbfclicenseindia.com>

इस तरह का वर्गीकरण आरबीआई को उन एनबीएफसी कि बारीकी से निगरानी करने में सक्षम करेगा जो अपनी फंडिंग कि स्थिति का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं और अपनी देनदारियों को समय पर चुका सकते हैं और ऐसे संभावित उच्च जोखिम वाली एनबीएफसी के लिए विशिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन और विवेकपूर्ण मानदंड स्थापित करना।

15.8 एनबीएफसी के विभिन्न प्रकार (Types of NBFCs)

एनबीएफसी प्रमुखतया दो प्रकार कि होती हैं जमा स्वीकार करने वाली एवं गैर जमा स्वीकार करने वाली | इन दो प्रकारों को 8 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

(अ) निवेश और क्रेडिट कंपनी : एनबीएफसी-आईसीसी ऐसी वित्तीय संस्था है जिसका प्रमुख कार्य – परिसंपत्ति वित्त, वित्त का प्रावधान ऋण या अग्रिम के लिए, खुद कि किसी भी गतिविधि के लिए, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए हो और आरबीआई द्वारा अपने किसी भी निर्देश में परिभाषित किसी भी अन्य प्रकार के एनबीएफसी में शामिल नहीं है।

- i) एसेट फाइनेंस कंपनी : इसके प्रमुख व्यवसाय के रूप में उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों के वित्तपोषण का कार्य करता है। उदाहरण के लिए ओटोमोबाइल, मशीनरी, भारी उद्योग उपकरण, बड़े बिजली जनरेटर सेट, अर्थमूविंग उपकरण, उत्पादन एवं कृषि उपकरण आदि। इनसे होने वाली आय इनकी कुल संपत्ति का 60% से कम नहीं होना चाहिए।
- ii) निवेश कंपनी : वित्तीय संस्था जिसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण है। यह जनता से जमा लेकर विभिन्न प्रतिभूतियों और वित्तीय उत्पादों में निवेश करता है। इस प्रकार अर्जित लाभ से परिचालन लागत निकालने के बाद शेष रही राशि शेयरधारकों को वितरित की जाता है। उदाहरण: बजाज एलाएंस जनरल इश्योरेंस कंपनी, आईडीएफसी, एचडीएफसी मुचुअल फंड्स आदि।
- iii) ऋण कंपनी : NBFC- LC एक वित्तीय संस्था है जो एएफसी को छोड़कर विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। संपत्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों जैसे कार्यशील पूंजी वित्त आदि के लिए दिया जाता है, जिसमें हाउसिंग फिनांस फर्म शामिल हैं। उदाहरण: एलआईसी हाउसिंग फिनांस लिमिटेड, पी एन बी हाउसिंग फाइनांस, एचडीएफसी, एनबीएफसी-एलसी आदि।

(आ) इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी : इस तरह कि एनबीएफसी अपनी कुल संपत्ति का $\frac{3}{4}$ भाग अवसंरचना ऋणों में लगाती है। इसका शुद्ध स्वामित्व 300 करोड़ रुपए होता है। क्रेडिट रेटिंग द्वारा कम से कम “ए” रैंक उसे प्राप्त हो और जिसका सीआरएआर कम से कम 15% हो। उदाहरण : जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी आदि।

(इ) कोर निवेश कंपनी : यह ऐसी एनबीएफसी कम्पनी है जो जनता के धन को स्वीकार करती है। इसकी संपत्ति 100 करोड़ या अधिक हो सकती है। संपत्ति में कम से कम 90% हिस्सा शेयरों, स्टॉक, ऋण या ऋण समूह कि कंपनी में निवेश के रूप में रखती है। 90% में से 60% इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है जो कि इश्यू कि तारीख से 10 साल से अधिक अवधि के न हों। आरबीआई अधिनियम 1934 कि धारा 45C या 45F में निर्देशित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होती है। विनिवेश के उद्देश्य से ब्लाक बिक्री के अलावा समूह कंपनियों में शेयरों, ऋण या ऋण में निवेश का कार्य नहीं करती है।

(ई) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फण्ड : एनबीएफसी-आईडीएफ लंबी अवधि की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए बांड के माध्यम से संसाधन जुटते हैं। बांड निवेशकों के लिए न्यूनतम 5 साल कि परिपक्वता के साथ कई मुद्राओं में जारी किये जाते हैं। यह परियोजना के परिचालन के लिए दीर्घकालिक ऋण कि सुविधा प्रदान करता है।

(उ) सूक्ष्म वित्त संस्थान : एनबीएफसी – सूक्ष्म वित्त संस्थान जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली संस्था है। इसकी संपत्ति 5 करोड़ होती है। जिसमें से कम से कम 85% संपत्ति अर्हक संपत्ति के रूप में है जो निम्न मानदंडों को पूरा करती है -:

- एनबीएफसी – एमएफआई उन ग्रामीण परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाता है जिनकी वार्षिक आय 125000 रुपये से अधिक एवं शहरी/अर्ध शहरी परिवार जिनकी वार्षिक आय 200000 रुपये से अधिक न हो।
- ऋण राशि पहले चक्र में 75000 एवं बाद के चक्रों में 125000 से अधिक नहीं होगी।
- उधारकर्ता कि कुल ऋणग्रस्तता 125000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- 30000 या अधिक राशि के ऋण के लिए समयावधि 24 माह से कम नहीं होगी।
- ऋण बिना किसी प्रतिभूति के दिया जायेगा।
- आय सृजन के लिए दिए गए ऋणों कि कुल राशि, एम् एफ आई द्वारा दिए गए कुल ऋणों के 75% से कम नहीं होगी।
- ऋण उधारकर्ता साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किशतों पर ऋण चुका सकता है।

उदाहरण : बंधन फायनेंसिअल सर्विस लिमिटेड, उज्जीवन फायनेंसिअल सर्विसेस आदि।

(ऊ) फैक्ट्रिंग कंपनी : भारत में इस प्रकार कि एन बी एफ सी बहुत कम पाई जाती हैं। ऐसी कम्पनियाँ आमतौर पर उधारदाताओं से बहुत रियायती दर पर ऋण या अग्रिम खरीदती हैं और उसके बाद छोटे से लाभ को जोड़ कर आसान निपटान सुनिश्चित करने के लिए देनदार कि पुनर्भुगतान तालिका को समायोजित करती हैं। एनबीएफसी कंपनी कि सकल संपत्ति 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए, और इस संपत्ति में से कम से कम 75% वित्तीय संपत्ति होनी चाहिए तथा सकल आय में से 75% आय फैक्ट्रिंग व्यवसाय से होनी चाहिए।

(ऋ) बंधक कंपनी : एनबीएफसी – एमजीसी वो वित्तीय संस्थान है जिसके व्यवसाय का कम से कम 90% टर्नओवर मॉर्गेज गारंटी का है या सकल आय का कम से कम 90% बंधक गारंटी व्यवसाय से है या जिसकी सकल संपत्ति 100 करोड़ रुपए है।

(ए) गैर परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी : यह वह वित्तीय संस्था है जिसके द्वारा प्रमोटरों या प्रमोटरों के समूह को बैंक खोलने कि अनुमति प्रदान कि जाती है। यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली गैर संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी है जो आरबीआई द्वारा जारी नियामक पर कार्य करती है।

15.9 प्रदान की जाने वाली सेवाएं (Services provided by NBFCs)

एनबीएफसी द्वारा कार्य कुशलता के आधार पर विभिन्न सेवाएं प्रदान कि जाती हैं जिनमें मुख्य निम्न हैं -:

- ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना
- स्टॉक / इक्विटी / शेयर / बांड / डिबेंचर / और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कि सुविधा प्रदान करना
- किराया खरीद
- चिट फण्ड
- पट्टा
- बीमा व्यवसाय सम्बंधित सेवाएं दी जाती हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. किस प्रकार की एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश करती है?
(अ) SPD (ब) CIC (स) ICC (द) MFI
2. जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली NBFC, जिसकी परिसम्पतियाँ 1000 करोड़ रुपये से कम हैं, संरचना अनुसार किस तरह की NBFC है?
(अ) आधार परत (ब) मध्य परत (स) अपरी परत (द) शीर्ष परत
3. ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग उपकरण, अर्थ मूविंग उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता करने वाली NBFC का नाम है
4. निम्न में से किस प्रकार की सेवाएँ NBFC नहीं देती है?
(अ) ऋण व अग्रिम प्रदान करना (ब) चिट फण्ड
(स) किराया खरीद (द) रोजगार स्वीकार

15.10 भारतीय वित्त प्रणाली में एनबीएफसी की भूमिका (Role of NBFC in Indian Economy)

पिछले दो दशकों में भारतीय पूंजी बाजार में लेनदेन कि मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। मर्चेन्ट बैंक, मुच्युअल फण्ड और उद्यम पूंजी उपलब्ध करवाने वाली कम्पनियाँ सामने आई हैं जो अब आज की आवश्यकता बन चुकी हैं। एनबीएफसी दूरस्थ क्षेत्रों को ऋण सुविधा प्रदान करता है और उन व्यक्तियों का समर्थन करता है जिन्हें अक्सर बैंक द्वारा अनदेखा किया जाता है। एनबीएफसी समाज के कमजोर वर्ग को सहारा देती हैं जिससे राष्ट्र में संतुलन बना रहता है।

बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग के विकास में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिए एनबीएफसी के सहयोग देता है। निम्नलिखित कारक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दर्शाते हैं:-

- **बाजार का आकार:** भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में एनबीएफसी का व्यापार बढ़ा है। एनबीएफसी क्षेत्र का आकार जहाँ 2018-19 में 30.9 लाख करोड़ रुपये था वह सितम्बर 2020 तक 50 लाख करोड़ हो गया है।
- **विकास:** वार्षिक विकास दर के मामले में एनबीएफसी क्षेत्र ने बैंकिंग को पीछे छोड़ दिया है। औसतन एनबीएफसी हर साल लगभग 22% की दर से बढ़ी है।
- **लाभप्रदता अनुपात:** एनबीएफसी किसी भी बैंक को स्थापित करने की तुलना में कम पूंजी में स्थापित हो जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है जिसके परिणाम स्वरूप ऋण व्यवसाय में वृद्धि होती है।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग:** किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है ये उसकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति से पता लगाया जा सकता है। एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को धन उधार देकर अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान देता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है जो लंबी समयावधि बाद ही राजस्व उत्पन्न करता है इसलिए इनमें जोखिम ज्यादा होता है और बैंक प्रायः इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म को ऋण देने में कतराते हैं। बैंकों के विपरीत एनबीएफसी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अधिक ऋण प्रदान कर अर्थव्यवस्था आधारभूत क्षेत्र के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है।

- **समावेशी विकास में वृद्धि :** गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं। इनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु स्तरीय उद्योगों का वित्तपोषण किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देता है। ये वित्तीय संस्थाएँ आवास परियोजनाओं के लिए स्माल टिकिट लोन भी देते हैं जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।

निम्नलिखित बिंदुओं से ये स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर चुकी हैं: -

- **रोजगार में वृद्धि:** एनबीएफसी सरकार के साथ संयुक्त रूप से एमएसएमई और निजी क्षेत्र में निवेश करके रोजगार के अवसर बढ़ाती है। निजी कम्पनियाँ कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए रोजगार सृजित करती हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों के विकास के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है।
- **दीर्घकालीन ऋण:** पारंपरिक उधारदाताओं के विपरीत एनबीएफसी व्यापक व वाणिज्य की सुविधा के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। एनबीएफसी बड़ी एवं व्यापक ढांचगत परियोजनाओं का पूंजीकरण करता है जो अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से ऊपर उठाता है।
- **संसाधनों का संग्रहण:** एनबीएफसी धन, संसाधन एवं पूंजी जुटाता है। ये परिसंपत्तियों के वितरण और अंतर क्षेत्रीय आय के बीच संतुलन बनाती है। बचत को निवेश प्रथाओं में बदलकर एनबीएफसी एक शक्तिशाली ऋणदाता साबित हुआ है।
- **जीवन स्तर का पोषण :** एनबीएफसी लोगों के जीवन स्तर को उठाकर समाज को आकार देता है। ये संस्थाएँ आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, देशों, और एजेंसियों से विदेशी बंदोबस्ती चलती हैं। इसके अलावा जनता से धन जुटाने और इसे औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों के लिए पूंजी में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यवसायों में वृद्धि होने से रोजगार में व्यापक बढ़ोतरी होती है, अंततः लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाता है।

15.11 सारांश (Summary)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अर्थ है कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित कंपनी है। आरबीआई अधिनियम कि धारा 45- आई (सी) के अनुसार एक वित्तीय संस्थान का व्यवसाय करने वाली एक गैर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी कहलाती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थान है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, उद्यमियों आदि को विभिन्न प्रकार कि वित्तीय एवं गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इन्हें बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अपितु आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना होता है। एनबीएफसी कि मुख्य व्यावसायिक गतिविधि सार्वजनिक जमाकर्ताओं और निवेशकों से पूंजी जुटाना और उन्हें सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं को देना है।

आरबीआई के अनुसार वित्तीय व्यवसाय करने कि निम्न शर्तें हैं :

- वित्तीय संपत्ति , कुल संपत्ति का 50% से अधिक हो
- वित्तीय संपत्तियों से आय सकल आय के 50% से अधिक हो

निम्न गतिविधियों को वित्तीय गतिविधि नहीं माना जाता है :-

- कृषि
- औद्योगिक

- किसी भी सामन और सेवाओं की खरीद/बिक्री (प्रतिभूतियों को छोड़कर)
- अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री/निर्माण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रकार :-

एनबीएफसी को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है :-

अ – देयताएं

- जमा स्वीकार करने वाली एवं
- जमा नहीं स्वीकार करने वाली

जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को उनके आकार के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है :

- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण (NBFC-NDSI)
- अन्य

आ – गतिविधियां

- कारक (Factors)
- बंधक गारंटी कंपनियाँ
- निवेश क्रेडिट कंपनी
- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फण्ड
- सूक्ष्म वित्त संस्थान
- नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी
- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी

एनबीएफसी पंजीकरण कि पूर्व शर्तें :-

आरबीआई कि धारा 45 (1A) के अनुसार किसी कंपनी को एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होता है ;

- **पंजीकरण** : कंपनी अधिनियम 2013 या पिछले अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत उल्लेखित नियमों, विनियमों एवं प्रावधानों के अनुसार स्थापना कि जाती है।
- **निदेशक की योग्यता** : कम से कम 1/3 निदेशकों को वित्त में अनुभव होना चाहिए और वह पूर्णकालिक निदेशक होगा।
- **अद्वितीय व्यवसाय योजना** : अगले 5 सालों के लिए एक विस्तृत व्यवसाय योजना संचालन के लिए तैयार होनी चाहिए।
- **नेट ओन्ड फण्ड (शुद्ध स्वामित्व/ NOF)** : कंपनी के पास कम से कम 2 करोड़ रुपए एनओएफ के रूप में होने चाहियें।
- **क्लीन क्रेडिट इतिहास** : कंपनी, उसके निदेशकों एवं उसके सदस्यों के CIBIL साफ़ सुथरे होने चाहिए।

यदि एनबीएफसी किसी भी राशि के भुगतान में चूक करती है तो उपभोक्ता कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या उपभोक्ता फोरम में जा सकता है।

15.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई में विद्यार्थियों को भारतीय वित्त प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को समझाया गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की परिभाषा व परिचय के साथ-साथ उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में इतिहास, गठन, कार्यप्रणाली, विनियमन एवं उनके महत्त्व को विद्यार्थी विस्तार में जान पाएंगे। इस अध्याय में विद्यार्थी बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं में अंतर पर भी प्रकाश डाला गया है।

15.13 शब्दावली (Glossary)

- **एनबीएफसी :** गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non Banking Financial Company)
- **परिसंपत्ति :** उद्यम के आर्थिक स्तोत्र जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जिनका मूल्य होता है, और जिनका उपयोग व्यापार के सन्चालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है।
- **प्रतिभूति :** शेयर , ऋण आदि संबंधित सरकारी कागज़।
- **विनियमन :** नियमानुसार नियंत्रिक।
- **वेंचर केपिटल :** एक प्रकार का वित्त पोषण है जो निवेशक छोटे व्यवसायों को व्यापार वृद्धि के लिए प्रदान करते हैं।

15.14 स्वपरख प्रश्न (Self Practice Questions)

1. एनबीएफसी क्या है और इसकी स्थापना कैसे कि जा सकती है ?
2. एनबीएफसी के नियमन एवं विनियमन प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।
3. एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी एवं बैंकिंग कंपनी में अंतर बताइये।
4. एनबीएफसी के नए विनियमन में क्या परिवर्तन किये गए हैं? टिपण्णी कीजिये।
5. एनबीएफसी कितने प्रकार की होती हैं?
6. भारतीय वित्त प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्या भूमिका है, संक्षेप में बताएं।

15.15 सन्दर्भ एवं ग्रन्थसूची (References and Bibliography)

- Babel Dr. Rajeev (2020), “Handbook of Non Financial Companies”, Bloomsbury Professional India.
- Sengupta Rajeshwari, Song, Lei lei, Vardha, Harsh- “A study of Non Banking Financial Companies in India” , ADB South Asia Working Paper series, No. 83 ISSN 2313-5867 (print), 2313-5875 (electronic) (2021).
- Taxmann (2022), “Statutory Guide for NBFCs”, 26th Edition, Taxmann Publications Pvt. Ltd. India.

15.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- सिन्हा वी.सी. , “इंडियन बैंकिंग सिस्टम “ (2020) संजय साहित्य भवन.आगरा
- सारखेल जयदेव, सलीम शेख, “इंडियन फिनांशल सिस्टम” मेक ग्रोव हिल पब्लिकेशन

15.17 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- <https://nbfclicenseindia.com>
- <https://www.bcasonline.org>
- <https://www.legalserviceindia.com>
- <https://swaritadvisors.com>
- <https://www.nelito.com>
- <https://www.drishtias.com>
- <https://www.univarta.com>
- https://www-livemint-com/industry/banking/rbi-announces-scale-based-regulatory-framework-for-nbfcs-11634908049467.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=en-GB&_x_tr_pto=op,sc

इकाई -16

विकास बैंक

(Development Bank)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 16.0 उद्देश्य
- 16.1 प्रस्तावना
- 16.2 विकास बैंक/विकास वित्तीय संस्थाओं का इतिहास
- 16.3 विकास बैंको की संकल्पना
- 16.4 वाणिज्यिक एवं विकास बैंक में अंतर
- 16.5 विकास बैंक के उद्देश्य
- 16.6 कार्य
- 16.7 परिचालक एवं प्रचारक गतिविधियां
- 16.8 भारत सरकार के विकास बैंक - IFCI, SIDBI, IDBI, ICICI, UTI
- 16.9 सारांश
- 16.10 अधिगम परिणाम
- 16.11 शब्दावली
- 16.12 स्वपरख प्रश्न
- 16.13 सन्दर्भ एवं ग्रन्थसूची
- 16.14 अन्य पठन सामग्री
- 16.15 वेब संसाधन / लिंक

16.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यरत विकास बैंको के उद्देश्य, महत्त्व, कार्य प्रणाली, आवश्यकता आदि के बारे में जानकारी देना है। जिससे किसी भी स्तरीय उद्योग (लघु, कुटीर, मध्यम व बृहद) में होने वाली वित्तीय आवश्यकताओं को इन विकास बैंकों द्वारा किस तरह से पूर्ण किया जा सकता है। विकास बैंक किस प्रकार वाणिज्यिक बैंको से अलग है उस पर भी प्रकाश डाला गया है।

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

विकास बैंक विशिष्ट वित्तीय संस्थान हैं। ये औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही जनता में बचत व निवेश की आदत को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार ये उद्यमियों का एक वर्ग बनाते हैं एवं समाज के कमजोर वर्गों को औद्योगिक संस्कृति का हिस्सा बनाने में मदद करते हैं। वित्तीय संस्थानों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये बैंक आवास क्षेत्र के विकास के लिए भी वित्त उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। ये रुग्ण व्यावसायिक अथवा नष्ट हो चुकी इकाइयों को पुनर्जीवित करने का अति महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। भारत के सार्वजनिक प्राधिकरण ने (GOI) इन इकाइयों की सहायता करने में मदद करने

के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (IIBI) की स्थापना की। विशिष्ट विकास वित्तीय संस्थान (DFI) जैसे आई डी बी आई, नाबार्ड, एन एच बी और सिडबी आदि रिजर्व बैंक के बहुमत के साथ उद्योग और कृषि की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्थापित किये गए हैं।

16.2 विकास बैंक/विकास वित्तीय संस्थाओं का इतिहास (History of Development Banks)

विकास बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए केंद्रीय बिंदु बनाया गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947 में विकास बैंकिंग के लिए संस्थागत ढाँचा शुरू हुआ, IFCI (1948), IDBI (1964), IIBI (1972), NABARD एवं EXIM Bank (1982), SIDB (1990) आदि विकसित हुए। आईएफसीआई (1948) (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) संभवतया देश का प्रथम विकास बैंक था। जिसे औद्योगिक जगत के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था।

सरकार को राज्य स्तर पर विकास वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता हुई जिसके चलते राज्य वित्तीय संघ (State Financial Corporation) एक्ट 1951 पारित किया गया। वर्तमान में 18 SFCs कार्यरत हैं। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर NSIC (National Small Industrial Corporation) का गठन 1955 में किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना था। तत्पश्चात 1955 में ICICI (Industrial Credit and Investment Corporation of India) एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिना किसी सापेक्ष सरकारी इक्विटी के अस्तित्व में आया।

16.3 विकास बैंकों की संकल्पना (The Concept of Development Banking)

विकास बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्था है जो मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जनहित सेवाएं प्रदान करना है न की लाभ प्राप्त करना। ये निजी एवं सार्वजनिक दोनों उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इन बैंकों की स्थापना विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रायः देखने को मिलती है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत में भी इनकी भूमिका देश की आर्थिक स्थिति को विकसित करने की है :-

- अन्य बैंकों की तरह ये बैंक जनता द्वारा प्राप्त बचत को उपयोग में नहीं लेते बल्कि उन्हें अधिक उत्पादित व प्रभावी ढंग से निवेश करते हैं।
- ये बैंक विशेषज्ञ वित्तीय संस्थान हैं जो निजी व सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के विकास का कार्य भी करते हैं।
- इन बैंकों द्वारा उद्योग व कृषि के क्षेत्र में माध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह एक बहुदेशीय वित्तीय संस्थान है जो न केवल वित्तीय गतिविधियों से सम्बंधित कार्य करता है, अपितु अन्य कार्य निवेश, गारंटी एवं अंडर राइटिंग आदि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

16.4 वाणिज्यिक एवं विकास बैंकों में अंतर (Difference between Commercial and Development Banks)

वाणिज्यिक बैंक व विकास बैंक में अंतर को समझने से पहले वाणिज्यिक बैंक क्या है ये समझ लेना आवश्यक है।
वाणिज्यिक बैंक: वह वित्तीय संस्थाएं हैं जो जनता से वापिस जमा प्राप्त करती हैं, एवं उन्हें उनकी जमा पर ब्याज देती हैं एवं ग्राहक द्वारा जमा राशि मांगे जाने पर दी भी जाती है। ये बैंक भी जनता को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध

करवाते हैं। इन बैंकों में लाभ, ग्राहक द्वारा लिए गए ऋण के बदले में (ऊँची ब्याज दर) प्राप्त ब्याज तथा ऋण की तुलना में जमा पर ब्याज द्वारा कमाया जाता है। वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व विदेशी बैंकों के रूप में देश भर में व्याप्त हैं।

तालिका 1 : वाणिज्यिक व विकास बैंकों में अंतर निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

आधार	वाणिज्यिक बैंक	विकास बैंक
उद्देश्य	इन बैंकों का उद्देश्य जनता को अधिक दर पर दिए गए ऋण के बदले प्राप्त ब्याज से लाभ कमाना है।	इन बैंकों का उद्देश्य सामाजिक लाभ प्राप्त करना है, जिसे ये जनता के आर्थिक स्तर में सुधार द्वारा प्राप्त करते हैं।
स्थापना	भारतीय कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हुई है।	राज्य वित्तीय संघ एक्ट 1955 के तहत किया गया है।
लक्षित ग्राहक	व्यक्ति व उद्योगपति, इनके लक्षित ग्राहक हैं।	ये सरकार को ऋण मुहैया करवाते हैं।
प्रकृति	ये वित्तीय संस्थान हैं।	ये बहु उद्देशीय संस्थान हैं।
पूँजी एकत्रण	ये जनता से प्राप्त जमा से पूँजी एकत्र करते हैं।	यह प्रतिभूतियाँ बेच के, उधारी से व अनुदान से पूँजी प्राप्त करते हैं।
क्षेत्र लक्ष्य	इनका लक्ष्य आम जनता है।	ये सिर्फ विकास क्षेत्रों को ही लक्षित करते हैं।
ऋण का प्रावधान	ये संस्थान अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं।	ये मध्यम व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं।
चैक सुविधा	ग्राहकों को चैक सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे जमा व आहरण आसानी से कर सकें।	किसी प्रकार की चैक सुविधा नहीं दी जाती है।

16.5 विकास बैंक के उद्देश्य (Objectives of Development Banks)

विलियम डायमंड के अनुसार “विकास बैंक निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने का एक वित्तीय संस्थान है।” विकास बैंक उन संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं, जो उद्योगों के वित्तपोषण, संवर्धन और विकास के कार्य में संलग्न लिप्त हैं। ये औद्योगिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद करते हैं।

विकास बैंक के निम्न लिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

- तीव्र औद्योगिक विकास :** औद्योगिक क्षेत्र भारतीय अर्थ व्यवस्था का एक गतिशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र देश में रोजगार और आय के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विकास बैंकों द्वारा एक नया व्यवसाय शुरू करने, नए क्षेत्र व्यवसाय के विस्तार और विविधीकरण आदि के लिए धन उपलब्ध करवाता है। विकास बैंक उद्यमशील गतिविधियों को बढ़ावा देकर देश के औद्योगिकीकरण के कार्यक्रमों का समर्थन करता है।
- उद्यमियों को प्रोत्साहित करना :** औद्योगिकीकरण आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को रोकने में अत्यंत उपयोगी होता है, जिससे अर्थव्यवस्था की प्रगति होती है। सरकार ने औद्योगिक विकास में उद्यमियों के महत्व को पहचाना है और इस प्रकार उन्हें औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए कई सुविधाएँ और

प्रोत्साहन प्रदान दिये गए हैं। विकास बैंक इस प्रकार के उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।

3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास :** क्षेत्रीय असामनता सदैव से एक बड़ी समस्या है। जब भी पिछड़े क्षेत्रों में विकासीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है तो विकास बैंको ने उस क्षेत्र के उद्यमियों को कम ब्याज दर पर धन उपलब्ध करवा कर विषमताओं को रोकने में मदद की है। इनकी सहायता से सभी क्षेत्रों का समान विकास करने में मदद मिलती है।
4. **अंतराल भरना :** भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों के लिए सभी ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। संगठित पूंजी बाज़ार का अभाव, उद्योगों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त सुविधाओं का आभाव, औद्योगीकरण के धीमे विकास की समस्या उत्पन्न करता है। इस अंतराल को विकास बैंकों द्वारा पूरित किया जाता है। ये उन उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं जहाँ आय की अवधि लंबी हो सकती है।
5. **सरकार की सहायता :** सरकार विकास बैंकों की सहायता से वित्तीय नीतियां बनाती है। वे इन नीतियों को लागू करने में भी मदद करते हैं। जैसे NABARD बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए एक शीर्ष विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। यह ग्रामीण विकास से संबंधित मामलों में सरकार की मदद करता है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले बैंकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसन्धान सुविधाएँ प्रदान करता है, और सरकारी बैंकों और आर. आर. बी. के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है।

16.6 विकास बैंकों के कार्य (Functions of Development Banks)

देश के सर्वांगीण औद्योगिकीकरण के लिए विकास बैंकों को बहु उद्देशीय संस्थान बनाया गया है। वित्तपोषण के अलावा ये प्रचारक का कार्य भी करते हैं। विकास बैंकों के महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या निम्न प्रकार है : -

- **वित्तीय गैप फिलर्स :** विकास बैंक सिर्फ माध्यम या दीर्घावधि के ऋण ही प्रदान नहीं करते अपितु अन्य सहायता भी औद्योगिक उपक्रमों को देते हैं। ये बैंक बॉण्ड व डिबेंचर की सदस्यता लेते हैं, अपने शेयरों और डिबेंचरों को अंडर राइट करते हैं और विदेश व घरेलू स्रोतों के लिए गए ऋण की गारंटी प्रदान करते हैं। ये औद्योगिक उपक्रमों को देश के भीतर व विदेशों से मशीनरी प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं।
- **उद्यमशीलता की भूमिका निभाते हैं :** विकास शील देशों में ऐसे उद्यमों की कमी होती है जो नई परियोजनाओं को स्थापित करने का काम कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन उद्यमों के पास विशेषज्ञता व प्रबंधकीय क्षमता का आभाव होता है। इस कमी को विकास बैंक पूरा करते हैं। ये निवेश परियोजनाओं की खोज, औद्योगिक उद्यमों को बढ़ावा देने, तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने, आर्थिक व तकनीकी अनुसन्धान करने, सर्वेक्षण करने तथा व्यवहार्यता अध्ययन आदि का कार्य करते हैं। औद्योगिकीकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए विकास बैंक की प्रचारक भूमिका अति महत्वपूर्ण है।
- **वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय :** विकास बैंक प्रायः औद्योगिक उपक्रमों को मध्यम व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। यद्यपि उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूर्ण की जाती है। विकास शील देशों में पाया गया है कि वाणिज्यिक बैंक इस कार्य को प्रभावी ढंग से करने में असमर्थ रहे हैं। उधर प्रस्तावों व प्रतिभूतियों पर सहायता करने में अपने पारंपरिक दृष्टिकोण की वजह से उद्योगों की मदद नहीं कर पाए हैं। विकास बैंक अपने ऋण के हित के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, यदि उद्यम अन्य स्रोतों से कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं।

- **संयुक्त वित्त :** विकास बैंक के संचालन की एक अन्य विशेषता अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संयुक्त वित्त पोषण करना है। बैंकों को वित्तीय संसाधनों व कानूनी समस्याओं (उधार की अधिकतम सीमा तय करना) जैसी कई बाधाएं होती हैं, जो उन्हें परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विकास बैंकों के साथ संयुक्त होने को मजबूर करती हैं। एक संस्थान द्वारा किसी अन्य संस्था की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए एक या एक से अधिक संस्थान हाथ मिलकर कार्य करते हैं। ये न केवल बड़ी अपितु मध्यम परियोजनाओं में भी वांछनीय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा में, विदेशी ऋण की आवश्यकता एक संस्था द्वारा पूरी की जाती है व प्रतिभूतियों की अंडर राइटिंग दूसरे संस्थान द्वारा।
- **पुनर्वित्त सुविधा :** विकास बैंक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसके तहत उद्योगों को कोई प्रत्यक्ष ऋण नहीं दिया जाता है, ऋण देने वाली संस्थाओं को विकास बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिए गए ऋणों के बदले धन उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार जो संस्थाएं इकाइयों को धन प्रदान करती हैं, उन्हें विकास बैंकों द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है। भारत में भारतीय औद्योगिक विकास निगम (IDBI) राज्य वित्तीय निगम (SFC) द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए सावधि ऋणों के विरुद्ध निर्भरता प्रदान करता है।
- **क्रेडिट गारंटी :** लघु पैमाने के क्षेत्र को पर्याप्त वित्तीय सहायत नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास ऋण लेने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां (as security) उपलब्ध नहीं है, जिससे उधार देने वाली ऋण संस्थाएं कराती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत और जापान सहित कई देशों ने क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट बीमा योजना तैयार की है। भारत में क्रेडिट गारंटी योजना 1960 में छोटी औद्योगिक इकाइयों को संस्थागत ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से उधार देने वाली संस्थाओं को ऐसे अग्रिमों के सम्बन्ध में संभावित नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी। जापान में क्रेडिट गारंटी के अलावा बीमा भी प्रदान किया जाता है। ये योजनाएं लघु क्षेत्र की समस्त समस्याओं को बिना किसी परेशानी के ऋण सुविधा उठाने में मदद करती हैं।
- **प्रतिभूतियों कि हामीदारी (Underwriting of securities) :** विकास बैंक औद्योगिक इकाइयों की प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष सदस्यता या हामीदारी (underwriting) या दोनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रतिभूतियों को प्रचारक कार्य (promotional work) के माध्यम से या ऋणों को इक्विटी व वरीयता शेयरों (preference shares) में परिवर्तित करके लिया जा सकता है। इसलिए विकास बैंक औद्योगिक स्टॉक व बॉन्ड के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये बैंक प्रतिभूतियों को स्थाई आधार पर नहीं रखते हैं। वे इन प्रतिभूतियों में व्यवस्थित तरीके से विनिवेश करने का प्रयास करते हैं, जिससे इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही इकाइयों का प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं खोता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. भारत में वर्तमान में कितने SFC कार्यरत हैं?
(अ) 18 (ब) 20 (स) 19 (द) 21
2. विकास बैंकों का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है?
(अ) राज्य वित्तीय संघ एक्ट 1956
(ब) राज्य वित्तीय संघ एक्ट 1955
(स) भारतीय कम्पनीज एक्ट 1955
(द) भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956
3. इनमें से कौनसा विकास बैंक का उद्देश्य नहीं है -

- (अ) तीव्र औद्योगिक विकास
 (ब) उद्यमियों को हतोत्साहित करना
 (स) संतुलित क्षेत्रीय विकास
 (द) सरकार की सहायता
4. भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है -
 (अ) जापान (ब) चीन (स) इंडोनेशिया (द) ब्राज़ील

16.7 परिचालक एवं प्रचारक गतिविधियां (Operating and Promoting Activities)

विकास बैंकों की परिचालक गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- **कम विकसित क्षेत्रों में रियायती ऋण उपलब्ध करवाना**— निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है जिसका उपयोग विकास बैंक, विकास भागीदारों के सहयोग से, बाज़ार की विफलताओं को दूर करने, अग्रणी परियोजनाओं के स्थापन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में निजी निवेश को जुटाने के लिए करता है।
- **ऊर्जा नवीकरणीय करने वाले उद्यमों को रियायती वित्त प्रदान करना**—रियायती वित्त विकास के उद्देश्यों में तेजी लाने के लिए विकास बैंकों द्वारा प्रदान बाज़ार दर से कम दर पर उपलब्ध किये जाने वाले ऋण हैं। विकास शील देश जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बचना चाहते हैं, व अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं कि एक श्रृंखला विकसित करना चाहते हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए और इनमें लगने वाली वृहद पूँजी आवश्यकता को विकास बैंक रियायती वित्त उपलब्ध करवाकर धरातल पर उतारते हैं।
- **पवार ऑफ अटर्नी** - लघु उद्योग विकास बैंक एक्ट 1989 के अध्याय VII के तहत विकास बैंक के हिस्से का हस्तान्तरण लघु उद्योग विकास बैंक में किया जाता है, तो विकास बैंक के उस हिस्से से संबंधित सभी अनुबंध, करार, विलेख, पावर ऑफ अटर्नी, कानूनी प्रतिनिधित्व आदि के सम्बन्ध में विकास बैंक ही निर्णय करेगा।
- **विभिन्न उद्यमों को ऋण उपलब्ध करवाना**—विकास बैंक सभी प्रकार के लघु उद्यम व महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मध्यकालीन व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं।
- **विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध करवाना**—पहले सिर्फ एशियन डवलपमेंट बैंक ही विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध करवाता था। परन्तु अपने सहायक विकास शील देशों कि बढ़ती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ADB ने अपने वित्तीय उत्पादों में विस्तार किया जिससे वो सभी सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर सके। विकास शील सदस्य देशों के बढ़ते करंट अकाउंट सरप्लस और बढ़े हुए कैपिटल इनफ्लो की वजह से इन देशों में उत्कृष्ट विदेशी मुद्रा का भंडार जमा हुआ है। इन देशों में पूँजी बाज़ार भी तेजी से बढ़ा है जिससे इन्हें दूसरे देशों से लोन लेने कि आवश्यकता होती नहीं है। विकास बैंक ही विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध करवाने में सक्षम होते हैं।

प्रचारक गतिविधियां

- **पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण**—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तहत विकास संस्थानों ने जून 1970 में उन क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करने के उद्देश्य से औद्योगिक सर्वेक्षण किये। इन सर्वेक्षणों में संसाधनों कि उपलब्धता, मांग क्षमता और बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण किया गया। 1982 में

83 जिलों की पहचान की गयी जहाँ मध्यम व बड़े पैमाने कि कोई औद्योगिक इकाई मौजूद नहीं थी। इसी प्रकार आज भी विकास बैंक सर्वेक्षण कर नए व चुनौतीपूर्ण उद्योगों को बढ़ावा देते हैं।

- **अंतर संस्थागत समूह**—राष्ट्रीय व राज्य वित्तीय संस्थानों को एक मंच देने कि दृष्टि से IDBI ने विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 23 अंतर संस्थागत समूहों का गठन किया है। जिनका कार्य राष्ट्रीय और राज्य नीतियों और स्थानीय आवश्यकताओं के ढांचे के बीच औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त रणनीति को विकसित करना है।
- **तकनीकी परामर्श संगठन (TCO) की स्थापना करना**— नई इकाई को बेचते समय और आधुनिकीकरण, विस्तार विविधीकरण आदि जैसे परिवर्तन करते समय तकनीकी परामर्श कि आवश्यकता होती है। लघु व माध्यम स्तर कि इकाइयां परामर्श एजेंसियों की उच्च फीस का भुगतान नहीं कर पाती हैं। इन उद्यमियों की सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं ने नाम मात्र की फीस पर परामर्श प्रदान करने के लिए 17 परामर्शी संगठनों की स्थापना की है।
- **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EPP)**—किसी देश का औद्योगिक विकास सीधे तौर पर उसके उद्यमियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। IDBI उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है। ऐसे कार्यक्रमों की लागत का कम से कम 50% IDBI वहन करता है तथा शेष लागत राज्य सरकारों या अन्य प्रायोजक संस्थाओं द्वारा वहन की जाती है। इन कार्यक्रमों का मुख्य जोर उद्यमिता गतिविधियों को संस्थागत बनाने, अनुसन्धान प्रलेखन व प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान को उत्पन्न करने एवं साझा करने तथा पेशेवरों के एक संवर्ग को तैयार करने पर रहा है। 1983 में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना अहमदाबाद में की गयी है एवं 1993 में गोहाटी में उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापना की गई।
- **तकनीकी सुधार**—विकास बैंक उद्यमियों को अकादमिक और अनुसन्धान संस्थानों की मदद से परिष्कृत तकनीक अपनाने और विज्ञान व प्रौद्योगिकी स्नातकों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं।

16.8 भारत सरकार के विकास बैंक (Government of India's Development Banks)

भारत सरकार द्वारा स्थापित विकास बैंक एक विशेष वित्तीय संस्था है जो देश के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष माध्यम से मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं। यह प्रतिभूतियों के आधार पर कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों में निवेश ऋण प्रदान करते हैं। भारत सरकार के मुख्य विकास बैंक निम्न प्रकार हैं :-

(i) आई. एफ. सी. आई. (IFCI- Industrial Finance Corporation of India): -

यह सार्वजनिक क्षेत्र की गैर वित्तीय कंपनी है। इसकी स्थापना 1948 में सांविधिक निगम के रूप में की गयी जिसका रूपांतरण सार्वजनिक कंपनी के रूप में 1 जुलाई 1993 में किया गया। इस विकास बैंक के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उद्यमिता क्षेत्र को मध्यम व दीर्घकालिक ऋण व सहायता प्रदान करना है। IFCI के प्रमुख हितधारक हैं - IDBI, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक एवं बीमा कंपनियां।

IFCI के कार्य :-

- इसका प्रमुख कार्य उद्योग व उत्पादकता सम्बंधित व्यवसायों को माध्यम व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के साथ साथ मार्गदर्शन करना भी है। यह कोई भी ऋण देने से पहले उस क्षेत्र की जांच करता है जैसे की उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व, परियोजना कि सम्पूर्ण लागत, कंपनी का प्रबंध एवं उत्पाद क्या हैं? यदि ये सभी संतोषप्रद रहते हैं तो IFCI उस उपक्रम को ऋण दे देता है।

- इन कंपनियों द्वारा जारी ऋण पत्रों की सदस्यता भी IFCI लेता है।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए ऋण पर गारंटी प्रदान करता है।
- जिन औद्योगिक कंपनियों द्वारा जारी अंश व ऋण पत्रों को जारी किया जा रहा है उनकी अंडरराइटिंग IFCI करता है।
- यदि ऋण विदेशी मुद्रा में विदेशी बैंक से लिया गया है तो IFCI ऋण के मामले में आस्थगित भुगतान की गारंटी देता है।
- निगम केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों एवं सहकारी समितियों को ही ऋण दे सकता है, निजी कंपनियों या साझेदारी फर्मों को नहीं।
- बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करना भी इसका प्रमुख कार्य है।

(ii) एसआईडीबीआई (SIDBI – Small Industrial Development Bank of India)

सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) आईडीबीआई (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे 1988 के संसद के विशेष अधिवेशन से पास किया गया था तथा इसका संचालन 2 अप्रैल 1990 से प्रारंभ हुआ। इसका मुख्यालय लखनऊ इसे लघु उद्योग विकास कोष और राष्ट्रीय इक्विटी कोष के प्रशासन के लिए जिम्मेदार बनाया गया, जो पहले IDBI द्वारा संचालित थे। सिडबी एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम) क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने व वित्तपोषण के लिए प्राथमिक वित्तीय संस्थान है। यह स्वच्छ उत्पादन एवं ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा देता है।

सिडबी एमएसएमई को अपनी प्रोद्योगिकियों, नवीन उत्पादों के बाजार विकास और व्यवसायिकरण के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने में मदद करता है।

सिडबी के कार्य :-

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उन ऋणों को पुनर्वित्त करता है जो पी.एल.आई (Production Linked Incentive) द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को दिए जाते हैं साथ ही उन्हें संसाधन भी प्रदान करता है।
- यह छूट व बिलों को फिर से भुनाता है।
- यह घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के लिए विपणन चैनलों के विस्तार में भी मदद करता है।
- यह छोटे पैमाने के क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए फैक्ट्रिंग, लीजिंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- यह रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले विशेष रूप से अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देता है और इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में लोगों के स्थानांतरण की जांच करता है।
- यह वर्तमान इकाइयों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए भी कदम उठता है।
- यह वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से लघु उद्योगों को कार्यशील पूँजी के साथ साथ सावधि ऋण के लिए समय पर ऋण के प्रवाह को सक्षम बनाता है।
- यह राज्य स्तरीय उद्यम निधियों का सह – प्रमोशन भी करता है।

तालिका 2 : सिडबी द्वारा दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त ऋण योजनाएं :

ऋण योजना	ऋण की राशि	ऋण की अवधि	पात्रता के मापदंड

MSME के लिए SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड (SMILE)	न्यूनतम ऋण आकार - उपकरण वित्त के लिए रु. 10 लाख और अन्य के लिए न्यूनतम ऋण आकार - रु. 25 लाख।	3 साल की अवधि सहित 10 साल तक	विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए उद्यम और मौजूदा उद्यम विस्तार कर रहे उद्योग
मुस्कान उपकरण वित्त (एसईएफ)	न्यूनतम ऋण राशि रु.10 लाख	72 महीने तक	जो एमएसएमई कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं और संतोषजनक वित्तीय स्थिति रखते हैं।
ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के साथ साझेदारी के तहत ऋण	रु.1 करोड़ तक	5 साल तक	जो एमएसएमई कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं और संतोषजनक वित्तीय स्थिति रखते हैं।
कार्यशील पूंजी (नकद ऋण)	आवेदक की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है	नियम और शर्तों के अनुसार	जो MSME इकाइयाँ जो SIDBI या अन्य बैंकों के मौजूदा ग्राहक हैं।
सिडबी - उद्यम के विकास के लिए उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (स्पीड)	न्यू टू बैंक (एनटीबी) ग्राहकों के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये और सिडबी मौजूदा ग्राहकों के लिए 2 करोड़ रुपये मशीनरी लागत का 100% तक।	3-6 महीने तक की मोहलत सहित 2-5 साल तक	पिछले 2 वर्षों में स्थिर बिक्री और नकद लाभ के साथ कम से कम 3 साल के संचालन के साथ एमएसएमई इकाइयाँ।
सिडबी-उद्यम के विकास प्लस (स्पीड प्लस) के लिए उपकरणों की खरीद के लिए ऋण	मशीनरी लागत का 100% तक, सिडबी के नए ग्राहकों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये और सिडबी के मौजूदा ग्राहकों के लिए 3 करोड़ रुपये तक।	3-6 महीने तक की मोहलत सहित 2-5 साल तक	पिछले 3 वर्षों में स्थिर बिक्री और नकद लाभ के साथ कम से कम 5 साल के संचालन के साथ एमएसएमई इकाइयाँ।
तत्काल उद्देश्यों के लिए टॉप अप ऋण (ट्यूलिप)	मौजूदा एक्सपोजर का 30% या शुद्ध बिक्री का 20% अधिकतम 2 करोड़ रुपये के अधीन	6 महीने की मोहलत सहित 5 साल तक	सिडबी के साथ कम से कम 1 वर्ष का जुड़ाव
रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स (स्टार) के लिए सिडबी टर्म-लोन सहायता	रु.10 लाख से रु.2.5 करोड़	3-6 महीने की मोहलत सहित 5 साल तक	2 साल के नकद लाभ और संतोषजनक वित्तीय रिकॉर्ड का प्रमाण

कोरोनवायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए सिडबी सहायता (सेफ)	50 लाख तक	5 साल तक	नए बैंक ग्राहक के लिए - कम से कम दो साल का नकद लाभ और खाता और मौजूदा बैंक ग्राहक के लिए - अंतिम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और खाते में नकद लाभ
कोरोनवायरस प्लस (सेफ प्लस) के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए सिडबी सहायता	रु.100 लाख तक	4 महीने के चक्र में चुकाने योग्य	नए बैंक ग्राहक के लिए - कम से कम दो साल का नकद लाभ और खाता और मौजूदा बैंक ग्राहक के लिए - अंतिम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और खाते में नकद लाभ
कोरोना संकट के समय में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समय पर कार्यशील पूंजी सहायता (TWARIT)	29 फरवरी, 2020 तक सिडबी के साथ कुल बकाया ऋण का 20% तक रु.25 करोड़ तक	1 महीने की मोहलत सहित 4 साल तक	29.2.2020 तक 25 करोड़ रुपये तक की संयुक्त बकाया ऋण सुविधाओं वाले सभी मौजूदा उधारकर्ता खाते।

स्रोत : <https://cleartax.in/s/sidbi-online>

(iii) आईडीबीआई (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) (IDBI – Industrial Development Bank of India)

यह विकास बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया था। यह विकाशील उद्योगों व संस्थानों की सहायता के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने वाला प्रमुख बैंक है। 1976 तक यह RBI का सहायक बैंक था 1976 के पश्चात इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (NSDL), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (HSCIL) कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन्हें IDBI द्वारा बनाया गया है।

आई डी बी आई के प्रमुख कार्य :-

- औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- औद्योगिक विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना।
- प्रचार, प्रबंध या उद्योग के विस्तार के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
- उद्योग के विकास के सम्बन्ध में बाज़ार व निवेश अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना।

(iv) आईसीआईसीआई (ICICI-Industrial Credit and Investment Corporation of India)

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का निर्माण भारतीय पूँजी बाज़ार के विकास में एक और मील का पत्थर है। इसे कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में गठित किया गया था। आई सी आई सी आई को निजी क्षेत्र में लघू एवं मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण के लिए बनाया गया था। आई एफ सी आई और एस.एफ.सी ने खुद को उधार देने की गतिविधियों तक ही सीमित रखा और अंडर राइटिंग व व्यापार में निवेश से दूर रहे। इसलिए बड़ी संख्या में और आने वाले उद्यमों को पूँजी बाज़ार में धन जुटाने में निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इसके अलावा उद्योग अपने थिन्न इक्विटी बेस के कारण वित्तीय संस्थानों से वांछित राशि प्राप्त करने कि स्थिति में नहीं थे। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, औद्योगीकरण में तेज़ी लाने के लिए हामीदारी (underwriting) सुविधा का प्रावधान आवश्यक माना गया। इन कमियों को दूर करने के लिए ICICI की स्थापना की गयी।

आई.सी.आई.सी.आई के मुख्य कार्य निम्न हैं :-

- दीर्घ अथवा मध्यम अवधि के ऋण या इक्विटी भागीदारी के रूप में वित्त उपलब्ध करवाना।
- प्रतिभूति जारी करने व अन्य प्रतिभूतियों का प्रयोजन तथा हामीदारी (underwriting) करना।
- अन्य निजी निवेश स्रोतों से ऋण की गारंटी।
- यथाशीघ्र परिक्रामी निवेश द्वारा पुनर्निवेश के लिए निधि उपलब्ध करवाना।
- परियोजना सलाहकार सेवाएं देना –
 - पूर्व निवेश के चरणों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकारी नीतियों, प्रक्रियाओं तथा व्यावहार्ता अध्ययन की जानकारी देना
 - विशिष्ट नीति संबंधों मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करना।

(v) यूटीआई (UTI – Unit Trust of India)

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) एक वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र का एक निवेश संस्थान है जिसकी स्थापना फ़रवरी 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अधीन की गयी है। यूटीआई का परिचालन 1964 में प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना पांच करोड़ की पूँजी, आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई (व सहायक कंपनियों), अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से हुई।

यू टी आई का प्रबंधन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिनमें एक अध्यक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित चार सदस्य एल आई सी द्वारा नामित एक सदस्य, एस बी आई का एक नामित सदस्य व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नामित दो सदस्य होते हैं।

यह छोटे बचतकर्ताओं को उन क्षेत्रों में निवेश करने का अवसर देता है जहाँ जोखिमों में विविधता है। एक यूनिट धारक अपनी इकाइयां यूटीआई को, यूटीआई द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेच सकता है। यू.टी.आई में निवेश करने पर यूनिट धारक को आयकर में छूट प्राप्त है साथ ही यु.टी.आई से आय प्राप्ति पर भी छूट मिलती है।

यू.टी.आई के कार्य :-

- (i) छूट, खरीद या बिक्री केबिल ऑफ़ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ़ लैंडिंग, वेअरहाउस रसीद, माल के शीर्षक के दस्तावेज आदि को स्वीकार करना
- (ii) ऋण और अग्रिम देना
- (iii) मर्चेन्ट बैंकिंग व निवेश सलाहकार सेवा देना
- (iv) लीजिंग और हायर परचेज व्यापार प्रदान करना

- (v) भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा विस्तार करना
- (vi) विदेशी मुद्रा में खरीद फरोख्त करना
- (vii) जी आई सी के साथ या एजेंट के रूप में इकाई योजना या बीमा योजना तैयार करना
- (viii) केंद्र सरकार, आर बी आई या विदेशी बैंक द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश करना।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. IDBI उद्यमिता विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम कितना % लागत का वहन करता है?
 (अ) 65% (ब) 40% (स) 50% (द) 55%
2. IFCI का पूर्ण विच्छेद बताएँ -
 (अ) Industry Finance Company of India
 (ब) Indian Finance Company of India
 (स) Industrial Finance Corporation of India
 (द) Institutional Finance Company of India
3. SIDBI द्वारा उद्यम विकास हेतु उपकरणों की खरीद के लिये अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान करता है?
 (अ) 5 करोड़ (ब) 2 करोड़ (स) आवेदन की वित्तीय क्षमता (द) 1 करोड़
4. UTI (Unit Trust of India) की स्थापना कब हुई?
 (अ) Feb, 1995 (ब) March, 1994 (स) June, 1996 (द) Feb, 1994

16.9 सारांश (Summary)

विकास बैंक प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं। इससे ऐसे उद्योग जिनके द्वारा निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन संभव होता है, को वित्तीय सहायता प्रदान करना सरल हो जाता है। इस प्रकार विकास बैंक नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए पूँजी प्रदान करके सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाते हैं।

ये उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था कई तरह से करते हैं जैसे – स्थाई पूँजी के लिए ऋण देना, निर्गमित अंशों व ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष अभिदान करना, अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, स्थगित भुगतानों की गारंटी देना आदि। विकास बैंक उद्यमियों को परियोजनाओं की जानकारी तथा वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाते हैं साथ ही बाजार सर्वेक्षण और प्रबंधकीय शासन में भी मदद करते हैं।

विकास बैंक ऋण आवेदनों को अलग अलग दृष्टिकोण से जांचते हैं जैसे – परियोजना की प्रचलन दक्षता का तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय दृष्टि से जांच करना, इससे परियोजना की त्रुटियाँ पता चलती हैं और उनमें सुधार कर एक सुदृढ़ प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

इसके साथ ही विकास बैंक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर राष्ट्रीय वित्त निगम, एशिया विकास बैंक आदि से प्राप्त ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन भी करते हैं।

16.10 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित विकास बैंकों की प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ उनके उद्देश्य, महत्त्व व कार्यप्रणाली के बारे में विद्यार्थी समझ पाएंगे।

अध्याय में विकास बैंकों व वाणिज्यिक बैंकों में अंतर स्पष्ट किया गया है।

लघु कुटीर, मध्यम व बृहद उद्योगों को स्थापित करने में विकास बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई है।

16.11 शब्दावली (Glossary)

- **एमएसएमई** : माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज
 - **हामीदारी/ अभिगोपन** : जोखिम की स्वीकृति के लिए शुल्क का आदान-प्रदान करना।
 - **आयात प्रतिस्थापन** : देश में घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले आयातों को प्रतिबंधित करना।
-

16.12 स्वपरख प्रश्न (Self testing Questions)

1. विकास बैंक अथवा विकास वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं ? इनके मुख्या उद्देश्य क्या हैं ?
 2. विकास बैंक व वाणिज्यिक बैंकों में अंतर स्पष्ट कीजिये ।
 3. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विकास बैंकों के योगदान पर प्रकाश डालिए ।
 4. विकास बैंकों के परिचालन एवं प्रचारक कार्यों को संक्षेप में समझाएं ।
 5. निम्न पर टिप्पणी करिये :-
अ – आईडीबीआई
ब - सिडबी
स – आईएफसीआई
 6. आईसीआईसीआई के गठन, संरचना व कार्यों पर प्रकाश डालिए।
-

16.13 सन्दर्भ एवं ग्रन्थसूची (Refernces and Bibliohraphy)

- Rakhi (2020) “Origin of Development Banks in India” , International Journal of Humanities and Management, Vol.7, Issue1, ISSN: 2349-7289, Pg. no.1-3.
 - Dinha Dr. V.C.(2022) “Indian Banking System” SBPD Publishing House
-

16.14 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Sharma Devender, Verma Sanjeev (2012) “Changing Role of Development Banks in India” Kunal Books
 - Gupta Rakesh Kumar (1993) “Development Bank and Industrial Development” Deep and Deep PUblications.
-

16.15 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- <https://rbi.org.in>
 - <https://mbaknol.com>
 - <https://www.idbibank.in>
 - <https://financialservices.gov.in/banking-divisions>
 - <https://www.yourarticlelibrary.com> ›
-

इकाई - 17

बीमा संगठन

(Insurance Organisations)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 17.0 उद्देश्य
- 17.1 प्रस्तावना
- 17.2 बीमा का अर्थ एवं परिभाषा
- 17.3 भारत में बीमा का इतिहास
- 17.4 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
 - 17.4.1 प्राधिकरण के उद्देश्य
 - 17.4.2 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की संरचना
 - 17.4.3 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कार्य
- 17.5 अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक विकास में बीमा क्षेत्र की प्रासंगिकता
- 17.6 भारतीय संदर्भ में बीमा क्षेत्र का विकास
- 17.7 भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र
- 17.8 सारांश
- 17.9 अधिगम परिणाम
- 17.10 शब्दावली
- 17.11 स्वपरख प्रश्न
- 17.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 17.13 अन्य पठन सामग्री
- 17.14 वेब संसाधन/लिंक

17.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई बीमा संस्थाएं के अंतर्गत विद्यार्थी बीमा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को बीमा संस्थाओं का इतिहास, बीमा सेवा प्रदाताओं की जानकारी एवं उनके द्वारा किस प्रकार की बीमा सेवाएं प्रदान करी जाती हैं, इत्यादि का ज्ञान होगा।

इस अध्याय में बीमा का इतिहास, बीमा संगठनों का उदभव, बीमा की आवश्यकता आदि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन शामिल है। इस इकाई का अन्य उद्देश्य बीमा संस्थाओं के क्रिया कलापों को नियंत्रण करने वाली संस्था बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में जानना एवं उसके द्वारा किये जा रहे भारत में बीमा के विकास एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को समझना भी है।

17.1 प्रस्तावना (Introduction)

बीमा एक साधारण विचार पर आधारित है। हालांकि मौत या आग जैसी घटना किसी के लिए भी भयानक आर्थिक आघात के रूप में आ सकती है। जब हम समाज को समग्र रूप से लेते हैं तो किसी भी वर्ष के दौरान केवल कुछ ही

लोग इस तरह तरह की घटना से पीड़ित होंगे किन्तु यदि समुदाय में सभी से एक छोटा सा योगदान एकत्र किया जाए एवं जिसका उपयोग एक कोष बनाकर उस राशि का उपयोग उन लोगों के लिए जिनको नुकसान हुआ है उन्हें पैसे देने के लिए किया जा सकता है। अतः इन जोखिमों से बचाव के लिए एकत्रित कोष का प्रयोग जब उन पीड़ित परिवारों के लिए किया जाता है, उसे ही बीमा कहते हैं।

17.2 बीमा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Insurance)

बीमा की परिभाषा (Definition of Insurance)

बीमा जोखिम और निधियों के पूलिंग द्वारा जोखिम हस्तांतरण और साझा करने का एक तंत्र है। इसमें व्यक्तियों का समूह जो उन लोगों, जिनको जोखिम के कारण नुकसान उठाना पड़ता है, के लाभ के लिए समान प्रकार के जोखिमों के संपर्क में हैं।

इस प्रकार, बीमा एक वित्तीय उपकरण है जिसे विशेष रूप से अप्रत्याशित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव को कम करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। दरअसल, हर कोई जो चाहता है आर्थिक तंगी से खुद को बचाना और इसके लिए बीमा पर विचार करना चाहिए।

परंपरागत रूप से भारत में संयुक्त परिवार एक अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा के रूप में रहा है। आधुनिक समाज में, सामाजिक सुरक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बीमा को सामाजिक साधनों में से एक माना जाता है और काफी हद तक दो प्रकार से किया जाता है।

1. पहला तरीका सामाजिक बीमा के रूप में जाना जाता है। जिसमें राज्य या केंद्र सरकार उनका ध्यान रखती है जिन्हें किसी जोखिमपूर्ण घटना के कारण नुकसान हुआ है।

उदाहरण 1:

जब कोई सेवानिवृत्त हो जाता है तो पेंशन मुफ्त चिकित्सा उपचार व अस्पताल में भर्ती आदि की लागत को पूरा करता है। इस उद्देश्य के लिए राशि करों से बने कोषों से आती है। अतः अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योगदान उन सभी लोगों द्वारा किया जाना आवश्यक है जो काम करते हैं और एक आय अर्जित करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना: ईएसआई, जो चिकित्सा प्रदान करती है, कर्मचारियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की देखभाल और अन्य लाभ जो किसी कर्मचारी की स्थिति में पेंशन और उत्तरजीवी के लाभ प्रदान करता है। ईपीएफओ इस शीर्ष के तहत लोकप्रिय योजनाएं हैं।

2. दूसरा तरीका, स्वैच्छिक निजी बीमा के माध्यम से है। यहाँ व्यक्ति और समूह बीमा के अनुबंध में प्रवेश करके बीमा कंपनी से बीमा खरीद सकते हैं। बीमा कंपनी एक अनुबंध; एक बीमा पॉलिसी। में प्रवेश करती है, जिसमें यह ; बीमाकर्ता को एक छोटी राशि जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले बीमाकर्ता व्यक्ति को एक निश्चित घटना के घटित होने पर एक निश्चित राशि जिसे बीमित राशि कहते हैं, का भुगतान करने के लिए सहमत होकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बीमा कंपनियां इस सुरक्षा को प्रदान करने के लिए प्रीमियम जमा करती हैं और बीमाकर्ता जनता से इस प्रकार एकत्र किए गए प्रीमियम का उपयोग नुकसान का भुगतान करने में करती है। दूसरे शब्दों में, एक बीमा अनुबंध के अन्तर्गत बीमाधारक से प्राप्त प्रीमियम के प्रतिफल में बीमित व्यक्ति को एक निश्चित राशि की भरपाई करने का वादा करता है।

निम्नलिखित दो उदाहरण बीमा की अवधारणा की व्याख्या करते हैं:

उदाहरण 2:

एक गाँव में 400 घर हैं, प्रत्येक की कीमत 20,000 रुपये है। हर साल, औसतन 4 घर जल जाते हैं, जिससे कुल 80,000 रुपये का नुकसान होता है।

घरों की संख्या	400
प्रत्येक घर का मूल्य	20,000 रुपये
हर साल जलने वाले घरों की औसत संख्या	4
कुल नुकसान (4 x 20,000)	80,000 रुपये
400 मकान मालिकों को नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए देना होगा योगदान:	
प्रीमियम (80,000/400)	200 रुपये
यदि सभी 400 मालिक एक साथ आते हैं और प्रत्येक को 200 रुपये का योगदान देते हैं, तो सामान्य निधि होगी 80,000 रुपये	
यह उन 4 मालिकों में से प्रत्येक को 20,000 रुपये का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है जिनके घर जल गए। इस प्रकार, 4 स्वामियों का जोखिम गांव के 400 घरों के मालिकों पर फैला हुआ है।	

उदाहरण 3:

1000 व्यक्ति हैं, जो सभी 50 वर्ष की आयु के हैं और स्वस्थ हैं। उम्मीद है कि इनमें से 10 व्यक्तियों की संभवतः वर्ष के दौरान मृत्यु हो सकती है। यदि प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति के परिवार को हुए नुकसान का आर्थिक मूल्य 20,000 रुपये माना जाती है तो

कुल नुकसान ; (10x20,000)	2,00,000 रुपये होगा।
कुल व्यक्तियों की संख्या	1000
प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक मूल्य	20,000 रुपये
वे व्यक्ति जिनकी वर्ष के दौरान मृत्यु हो सकती है (संभावित)	10
कुल हानि (10x20,000)	2,00,000 रुपये
क्षतिपूर्ति के लिए 1000 लोगों द्वारा किया जाएगा योगदान ;	
प्रीमियम (2,00,000/1000)	200 रुपये

यदि समूह का प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 200 रुपये का योगदान देता है तो सामान्य निधि 2,00,000 रुपये होगी। यह मरने वाले दस व्यक्तियों में से प्रत्येक के परिवार को 20,000 रुपये का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार, 1000 व्यक्ति 10 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान के जोखिम को साझा करते हैं।

ऊपर, यह देखा जा सकता है कि बीमा, पूलिंग, शेयरिंग और जोखिम के हस्तांतरण के लिए एक बहुत ही उपयोगी वित्तीय उपकरण है।

17.3 भारत में बीमा का इतिहास (History of Insurance in India)

भारत में बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख मनु के मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इनका लेखन संसाधनों के एक होने के संदर्भ में बात करता है जिनको आग, बाढ़, महामारी और अकाल जैसी आपदाओं के समय में फिर से वितरित किया जा सकता है। यह शायद आधुनिक बीमा का पूर्व रूप था। प्राचीन भारतीय इतिहास में बीमा की शुरुआत हुई थी। भारत में बीमा समय के साथ विकसित हुआ है जो अन्य देशों, विशेष रूप से इंग्लैंड से बहुत प्रभावित हुआ है।

1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का आगमन हुआ। हालांकि यह कंपनी 1834 में विफल हो गई। 1829 में, मद्रास इक्विटेबल ने मद्रास प्रेसीडेंसी में जीवन बीमा कारोबार शुरू कर दिया था। 1870 में ब्रिटिश बीमा अधिनियम का अधिनियमन हुआ और उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में बॉम्बे रेजीडेंसी में बॉम्बे म्यूचुअल (1871), ओरिएंटल (1874) और एम्पायर ऑफ इंडिया (1897) शुरू किए गए। हालांकि, इस युग में विदेशी बीमा कार्यालयों का वर्चस्व था, जिन्होंने भारत में अच्छा

कारोबार किया, अर्थात् अल्बर्ट लाइफ एश्योरेस, रॉयल इश्योरेस लिबरपूल और लंदन ग्लोब इश्योरेस और भारतीय कार्यालय विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार थे।

1914 में, भारत सरकार ने भारत में बीमा कंपनियों के रिटर्न प्रकाशित करना शुरू किया। भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, 1912 जीवन व्यवसाय को विनियमित करने वाला पहला वैधानिक रूप था। 1928 में, भारतीय बीमा कंपनी लागू किया गया था ताकि सरकार भविष्य में बीमा समितियों सहित भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा भारत में किए गए जीवन और गैर-जीवन व्यवसाय दोनों के बारे में सांख्यिकीय जानकारी एकत्र कर सके। 1938 में, जनता के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से, बीमा अधिनियम 1938 द्वारा बीमाकर्ताओं की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक प्रावधानों के साथ पहले के कानून को समेकित और संशोधित किया गया था।

बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Insurance Sector)

1950 के बीमा संशोधन अधिनियम ने प्रमुख एजेंसियों को समाप्त कर दिया। हालांकि, बड़ी संख्या में बीमा कंपनियां थीं और प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा था। अनुचित व्यापार नीतियों के भी आरोप लगाए गए थे। इसलिए, भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया।

19 जनवरी, 1956 को जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया और उसी वर्ष जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। एलआईसी ने 154 भारतीय, 16 गैर-भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ-साथ 75 प्रोविडेंट सोसाइटी, 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों को भी शामिल किया। 90 के दशक के अंत तक एलआईसी का एकाधिकार था इस वर्ष बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए फिर से खोल दिया गया था।

सामान्य बीमा का इतिहास पश्चिम में औद्योगिक क्रांति और 17वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार और वाणिज्य के परिणामी विकास का है। भारत में सामान्य बीमा का आरम्भ अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में वर्ष 1850 में ट्राइटन इश्योरेस कंपनी लिमिटेड की स्थापना से हुआ। 1907 में, इंडियन मर्केटाइल इश्योरेस लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह पहली कंपनी थी जिसने सामान्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों का लेन-देन किया।

1957 में जनरल इश्योरेस काउंसिल का गठन हुआ, जो भारतीय बीमा संघ की एक शाखा है। सामान्य बीमा परिषद ने निष्पक्ष आचरण और मजबूत व्यवसाय प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक आचार संहिता तैयार की।

1968 में, निवेश को विनियमित करने और न्यूनतम सॉल्वेंसी मार्जिन निर्धारित करने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया था। तब टैरिफ सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था।

1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय, राष्ट्रीयकरण अधिनियम के पारित होने के साथ, 1 जनवरी, 1973 से सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 107 बीमाकर्ताओं को समामेलित किया गया था और उन्हें चार कंपनियों में बांटा गया था, अर्थात्

1. नेशनल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड
2. न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड
3. ओरिएंटल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड और
4. यूनाइटेड इंडिया इश्योरेस कंपनी लिमिटेड

जनरल इश्योरेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1971 में एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसने 1 जनवरी 1973 को कारोबार शुरू किया।

इस सहस्राब्दी ने लगभग 200 वर्षों की यात्रा में बीमा को एक पूर्ण चक्र में देखा है। इस क्षेत्र को फिर से खोलने की प्रक्रिया 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी और पिछले दशक में और अधिक से अधिक इसे काफी हद तक खोला गया है। 1993 में, सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशों का प्रस्ताव करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर आरएन मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों को पूरा करना था। समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह सिफारिश

की गई कि निजी क्षेत्र को बीमा उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को अस्थायी तौर पर भारतीय कंपनियों द्वारा प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद, 1999 में, बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का गठन किया गया था। IRDA को अप्रैल, 2000 में एक वैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया था। IRDA के प्रमुख उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है ताकि बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाया जा सके।

आईआरडीए ने अगस्त 2000 में पंजीकरण के लिए आवेदन के आमंत्रण के साथ बाजार खोला। प्राधिकरण के पास बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114, के तहत नियम बनाने की शक्ति है और 2000 के बाद से बीमा व्यवसाय चलाने के लिए कंपनियों के पंजीकरण से लेकर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा तक के विभिन्न नियम बनाए गए हैं।

दिसंबर, 2000 में, भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कंपनियों को स्वतंत्र कंपनियों के रूप में पुनर्गठित किया गया और साथ ही जीआईसी को एक राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता में बदल दिया गया। संसद ने जुलाई, 2002 में चार सहायक कंपनियों को जीआईसी से अलग करने वाला एक विधेयक पारित किया।

आज देश में ईसीजीसी और भारतीय कृषि बीमा निगम सहित 34 सामान्य बीमा कंपनियां और 24 जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही हैं।

बीमा क्षेत्र बहुत बड़ा है और 15.20 प्रतिशत की तीव्र दर से बढ़ रहा है। बैंकिंग सेवाओं के साथ, बीमा सेवाएं देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान करती हैं। एक अच्छी तरह से विकसित बीमा क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए एक वरदान है क्योंकि यह देश की जोखिम लेने की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक धन प्रदान करता है।

बीमा कंपनी का अर्थ एक बीमा कंपनी के रूप में संगठित कंपनी है जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा कंपनियों द्वारा लिखित बीमा या पुनर्बीमा जोखिम है और जो बीमा आयुक्त या किसी राज्य के समान अधिकारी या एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण के अधीन है।

स्व-मूल्यांकन- प्रथम

1. बीमा से आप क्या समझते हैं?
2. जीवन बीमा एक व्यक्ति के किस प्रकार के हितों की रक्षा करता है और कैसे?
3. जीवन बीमा निगम पर एक लेख लिखिए।
4. भारत में बीमा के इतिहास को बताइये।
5. सामान्य बीमा पर एक लेख लिखिए।

17.4 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority)

17.4.1 प्राधिकरण के उद्देश्य (Objectives of Authority)

प्राधिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और उनके साथ उचित व्यवहार करना,
2. आम आदमी के लाभ के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और सेवानिवृत्ति भुगतान सहित) का त्वरित और व्यवस्थित विकास करना और अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए दीर्घकालिक निधि प्रदान करना,

3. सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, निष्पक्ष व्यवहार और इसे विनियमित करने वालों की क्षमता के उच्च मानकों को स्थापित करना, बढ़ावा देना, निगरानी करना और लागू करना,
4. वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा धोखाधड़ी और अन्य कदाचार को रोकना और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना,
5. बीमा से संबंधित वित्तीय बाजारों में निष्पक्षताएँ पारदर्शिता और व्यवस्थित आचरण को बढ़ावा देना और बाजार के खिलाड़ियों के बीच वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानकों को लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण करना,
6. जहां ऐसे मानक अपर्याप्त हैं या अप्रभावी रूप से लागू किए गए हैं वहां कार्रवाई करना,
7. विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में अधिकतम मात्रा में स्व-विनियमन लाना।

17.4.2 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की संरचना (Structure of Insurance Regulatory and Development Authority)

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 4 के अनुसार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था, प्राधिकरण की संरचना को निर्दिष्ट करता है।

प्राधिकरण एक दस सदस्यीय टीम है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है-

- (अ) एक अध्यक्ष,
 - (ब) पांच पूर्णकालिक सदस्य,
 - (स) चार अंशकालिक सदस्य,
- (इन सभी की भारत सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाती है।)

17.4.3 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियाँ और कार्य (Duties, Power and Functions of Insurance Regulatory and Development Authority)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

इस अधिनियम के प्रावधानों और कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अधीन, प्राधिकरण के पास बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा।

उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

1. आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना, नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या ऐसे पंजीकरण को रद्द करना,
2. पॉलिसी सौंपने, पॉलिसी धारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पॉलिसी का समर्पण मूल्य और बीमा के अनुबंधों के अन्य नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा,
3. बिचौलियों या मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थों और एजेंटों के लिए अपेक्षित योग्यता, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्ट करना
4. सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना,
5. बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना,

6. बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना,
7. इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क और अन्य शुल्क लगाना,
8. बीमा कारोबार से जुड़े बीमाकर्ताओं, बिचौलियों, बीमा बिचौलियों और अन्य संगठनों की लेखा परीक्षा सहित जानकारी मांगना, निरीक्षण करना, पूछताछ और जांच करना,
9. ऐसे सामान्य बीमा व्यवसाय जो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 के तहत टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियन्त्रित और विनियमित नहीं हैं के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा पेश की जाने वाली दरों, लाभों, नियमों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन,
10. बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यस्थों द्वारा खाते की पुस्तकों का रखरखाव और खातों का विवरण प्रदान करने के तरीके को निर्दिष्ट करना,
11. बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश को विनियमित करना,
12. सॉल्वेंसी के मार्जिन के रखरखाव को विनियमित करना,
13. बीमाकर्ताओं और बिचौलियों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का न्याय एवं निर्णयन करना,
14. टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज का पर्यवेक्षण करना,
15. खंड (एफ) में निर्दिष्ट व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए वित्त योजनाओं के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना,
16. ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय और सामान्य बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना, और
17. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो निर्धारित की जा सकती हैं

17.5 अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक विकास में बीमा क्षेत्र की प्रासंगिकता (Relevance of Insurance sector in Macro Economic development of Economy)

भारत में बीमा उद्योग कुल बीमा प्रीमियम के साथ गतिशील रूप से बढ़ रहा है। पिछले 20 वर्षों में, भारत का बीमा क्षेत्र 16.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2017 के लिए बीमा प्रवेश और घनत्व, अन्य देशों की तुलना में कम है। ये कम प्रवेश और घनत्व दर भारत में आबादी के बड़े हिस्से की अभीमाकृत प्रकृति को प्रकट करती है और एक बीमा अंतराल की उपस्थिति को दर्शाती है। प्रवेश के ऐसे न्यूनतम स्तरों के लिए मुख्य कारण दरों में घरेलू बजट पर कड़े प्रतिबंध, प्रतिकूल चयन, नैतिक जोखिम, और सामर्थ्य के मुद्दे आदि हैं। हालांकि भारत की बीमा क्षेत्र बीमा उद्योग और घनत्व उन्नत देशों की तुलना में कम है जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों में, हाल के वर्षों में, धीमी लेकिन स्थिर बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। बीमा उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में एक बड़े बदलाव का अनुभव किया है, जिसमें इसे बड़े हिस्से में जीवन और गैर-जीवन क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण द्वारा आकार दिया गया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का गठन, निजी और विदेशी दोनों संस्थाओं के लिए क्षेत्र और विदेशी निवेश कैप में 49% तक की वृद्धि हुई है। अभी तक, भारत के बीमा क्षेत्र में 59 बीमा कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 24 जीवन बीमा व्यवसाय में हैं और 35 गैर-जीवन बीमाकर्ता (पुनः बीमाकर्ता सहित) में संलग्न हैं। जीवन बीमा क्षेत्र की भारत में बीमा बाजार पर एक बड़ी 74.7% की हिस्सेदारी के साथ हावी है, जबकि गैर-जीवन बीमा खाते में शेष 25.3% (आईआरडीएआईए 2018) की हिस्सेदारी है।

17.6 भारतीय संदर्भ में बीमा क्षेत्र का विकास (Development of Insurance Sector in Indian Context)

पिछले कुछ वर्षों में भारत में बीमा क्षेत्र ने एक आदर्श बदलाव का अनुभव किया है। भारत में बीमा क्षेत्र के व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2017 के दौरान भारत में उनके वैश्विक समकक्षों के 1.5% की वृद्धि दर की तुलना में कुल बीमा प्रीमियम 10.1% की तीव्र दर से बढ़ा है। जीवन बीमा क्षेत्र में उत्पाद मिश्रण यूनिट लिंकड बीमा योजनाओं जैसे नवीन उत्पादों के अनावरण के कारण क्षेत्र बदल गया है और नए वितरण चैनल जैसे कि बैंक, एश्योरेंस, ऑनलाइन वितरण और एनबीएफसी इस क्षेत्र का और विस्तार कर रहे हैं। जीवन बीमाकर्ता वर्तमान में भारतीय बाजार में काम कर रहे हैं, जीवन बीमा निगम (LIC) सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी है। गैर-जीवन बीमा में मोटर, स्वास्थ्य और फसल बीमा इस क्षेत्र के विकास को गति दे रहे हैं। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनियों में, छह सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता हैं। इनके अलावा, एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) है।

17.7 भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र (Reinsurance Sector in India)

पुनर्बीमा, बीमा कंपनियों के बीमा में जोखिम के कुछ हिस्से को दूसरी बीमाकर्ता कम्पनी द्वारा स्थानांतरित करना शामिल है। पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए बीमाकर्ता, उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय पर अपनी सह क्रियाओं को केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं। बीमाकर्ताओं के लिए, यह क्षमता बढ़ाने के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पुनर्बीमाकर्ता जोखिम कवरेज और तकनीकी सेवाएँ प्रदान करते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं की उपस्थिति बीमाकर्ताओं के लिए अस्थिरता को भी कम करती है। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972) के अन्तर्गत सामान्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद, सामान्य बीमा निगम (GIC) को शामिल किया गया था। उदारीकरण के बाद के युग में, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 प्रभाव में आया। अधिनियम के तहत, एक संशोधन पेश किया गया, जिसने जीआईसी और उसकी अनुषंगियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जनरल के साथ बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2002) जो मार्च से लागू हुआ। भारत सरकार ने चार सहायक कंपनियों और जीआईसी का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया, एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भारत के साथ-साथ विदेशों में बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा प्रदान करता है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाइये।
2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की संरचना को समझाइये।
3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियों एवं कार्य को समझाइये।
4. भारत में बीमा के विकास पर एक लेख लिखिए।
5. भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र पर एक लेख लिखिए।

17.8 सारांश (Summary)

प्रस्तुत इकाई बीमा संगठन, के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट है कि बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय से ही मानव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता आया है एवं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर अनेकों प्रकार के जतन किया करता था। किन्तु वर्तमान समय में बीमा संस्थाओं के द्वारा मानव की अपनी और अपने परिवार को भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटनाओं से एवं जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अध्याय के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बीमा कंपनियां उनके ऊपर लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को चला रही हैं एवं आम जान को उनके भविष्य के प्रति निश्चिंतता प्रदान करती हैं।

17.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. इस अध्ययन के द्वारा विद्यार्थी बीमा के इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे।
 2. यह अध्याय भारत में बीमा व्यवसाय के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालता है।
 3. इस अध्याय से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के उद्देश्य एवं संरचना को समझाया गया है।
 4. इस अध्याय के द्वारा भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं कार्य को समझाया जा सकता है।
 5. इस अध्याय के द्वारा भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र के विकास को समझाया जा सकता है।
-

17.10 शब्दावली Glossary

- **जोखिम:** एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम अनिश्चितता के परिणामस्वरूप उपरोक्त जैसी घटनाओं से नुकसान झेलने की संभावना को संदर्भित करने के लिए करते हैं।
 - **बचत और निवेश:** जोखिमों के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय परिणामों को कम करने और आर्थिक रूप से अपनी रक्षा करने के उपाय करना हमारे लिए संभव हैं।
 - **बीमा:** बीमा जोखिम और निधियों के पूलिंग द्वारा जोखिम हस्तांतरण और साझा करने का एक तंत्र है।
 - **पुनर्बीमा:** बीमा कंपनियों के बीमा में जोखिम के कुछ हिस्से को दूसरी बीमाकर्ता कम्पनी द्वारा स्थानांतरित करना शामिल है।
-

17.11 स्वपरख प्रश्न (Self Tested Questions)

1. बीमा का अर्थ क्या है? बीमा के इतिहास को समझाइये।
 2. बीमा का अर्थ क्या है? पुनर्बीमा की सेवाओं को समझाइये।
 3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पर एक लेख लिखिए।
 4. अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक विकास में बीमा क्षेत्र की प्रासंगिकता पर एक लेख लिखिए।
-

17.12 सदर्भ व ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)

- Jain, Rathi, Sharma, Banking Service Operations, RBD Publishing House, Jaipur, MBA Edition
 - Singh, Gupta, Bhandari, Money and Financial System, Ramesh Book Depot, Jaipur, 2009 – 10.
 - Matta. Satisk K., Management of Financial Institutions and Services, Vrinda Publication (P) Ltd., second Edition, 2011.
 - डॉ. टी.टी. सेठी, मौद्रिक अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 19th Edition, 2018 – 19.
 - त्रिवेदी, सिंह, दशोरा, नागर, भण्डारी, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, आर.बी. डी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2021.
-

17.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- गौरव वाष्णेय : "इंश्योरेंस लॉज" - लेक्सिस नेक्सिस

- अवतार सिंह : "लॉज ऑफ़ इश्योरेंस" - ई बी सी
- मयनेनी : " लॉज ऑफ़ इश्योरेंस"- एशिया लॉ हाउस , इंडिया

17.14 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/NormalData_Layout.aspx?page=PageNo4&mid=2
- <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/8576.pdf>
- <https://inancialservices.gov.in/insurance-divisions/Insurance-Regulatory-&-Development-Authority>
- <https://www.insurancefunda.in/history-of-insurance-in-india/>

इकाई – 18

विदेशी विनिमय बाजार (Foreign Exchange)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

- 18.0 उद्देश्य
- 18.1 प्रस्तावना
- 18.2 विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ
- 18.3 मुद्रा बाजार में दर का निर्धारण
- 18.4 विदेशी मुद्रा बाजार का इतिहास
- 18.5 विदेशी मुद्रा बाजार व्यापार सत्र
- 18.6 विदेशी मुद्रा बाजार की विशेषताएं
- 18.7 विदेशी विनिमय बाजार का महत्व
- 18.8 विदेशी विनिमय बाजार के कार्य
- 18.9 विदेशी मुद्रा बाजार के प्रकार
- 18.10 विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक
- 18.11 भारत में मुद्रा विनिमय दरें निर्धारित करने वाले कारक
- 18.12 सारांश
- 18.13 अधिगम परिणाम
- 18.14 शब्दावली
- 18.15 स्वपरख प्रश्न
- 18.16 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 18.17 अन्य पठन सामग्री
- 18.18 वेब संसाधन/लिंक

18.0 उद्देश्य (Objectives)

इस अध्याय से विद्यार्थियों को विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ, कार्यप्रणाली, विनिमय दरों का निर्धारण इत्यादि को समझने में सहायता होगी। विद्यार्थी किसी एक देश की मुद्रा का अपने देश की मुद्रा में परिवर्तन कैसे होता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त दरों को प्रमाणित करने एवं निर्धारित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

18.1 प्रस्तावना (Introduction)

विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्राओं के व्यापार के लिए एक वैश्विक विकेन्द्रीकृत बाजार है। यह बाजार विदेशी मुद्रा दर निर्धारित करता है। इसमें वर्तमान या निर्धारित कीमतों पर मुद्राओं को खरीदने, बेचने और विनिमय करने के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। व्यापार की मात्रा के मामले में, यह दुनिया के सबसे बड़ा बाजार है।

इस बाजार में मुख्य प्रतिभागी बड़े अन्तर्राष्ट्रीय बैंक हैं। दुनिया भर के वित्तीय केंद्र सप्ताहांत के अपवाद के साथ घड़ी के आसपास कई प्रकार के खरीदारों और विक्रेताओं की एक विस्तृत शृंखला के बीच व्यापार के एंकर के रूप में कार्य

करते हैं। चूंकि मुद्राओं का हमेशा जोड़ों में कारोबार किया जाता है, इसलिए विदेशी मुद्रा बाजार मुद्रा का पूर्ण मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है बल्कि किसी अन्य मुद्रा के लिए भुगतान किए जाने पर एक मुद्रा के बाजार मूल्य को निर्धारित करके इसके सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करता है।

विदेशी मुद्रा बाजार कई स्तरों पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से काम करता है, इस बाजार में अधिकांश मुद्रा डीलर बैंक होते हैं अतः इस बाजार को “इंटरबैंक बाजार” भी कहा जाता है (हालांकि कुछ बीमा कंपनियां और अन्य प्रकार की वित्तीय फर्म भी शामिल हैं)। विदेशी मुद्रा डीलरों के बीच व्यापार बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें लाखों डॉलर शामिल हैं। दो मुद्राओं को शामिल करते समय संप्रभुता के मुद्दे के कारण, विदेशी मुद्रा में कम से कम (यदि कोई है) पर्यवेक्षी इकाई अपने कार्यों को विनियमित करती है।

विदेशी मुद्रा बाजार के द्वारा मुद्रा का रूपांतरण करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की सहायता की जाती है। घरेलू बाजार में, आप एक वस्तु खरीदते हैं और विक्रेता को रुपये में भुगतान करते हैं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत विदेशी व्यापारी माल के बदले में भारतीय रुपए में भुगतान स्वीकार नहीं करेगा और वह अपने देश की मुद्रा में भुगतान स्वीकार करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राओं के होने के कारण, बाजार दर पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की आवश्यकता होती है।

विदेशी मुद्राओं का व्यापार विशेष बाजार में किया जाता है। जिसे विदेशी विनिमय बाजार कहा जाता है। विदेशी विनिमय (या फोरेक्स या एफएक्स) एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें विदेशी व्यापारियों के बीच ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का आदान प्रदान होता है।

विदेशी मुद्राओं का व्यापार भारतीय बाजार सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्थानों में किया जाता है, और यह 24 घंटे खुला रहता है। यह बैंकों, दलालों, संस्थागत निवेशकों, खुदरा निवेशकों, और निर्यातकों और आयातकों का एक विशाल नेटवर्क है।

18.2 विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ (Meaning of Foreign Currency Market)

अब यह जानना आवश्यक है कि विदेशी विनिमय क्या है? सामान्य शब्दों में, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना विदेशी विनिमय कहलाता है। उदाहरणार्थ, एक भारतीय व्यापारी अमेरिका में एक व्यापारी से माल खरीदना है जिसका भुगतान करने के लिए रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है, इसे ही विदेशी विनिमय कहते हैं। विभिन्न देशों में, विभिन्न मुद्राओं के होने की वजह से यह आवश्यकता उत्पन्न होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिये वैश्विक समुदाय ने सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए मानक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर को चुनने पर अपनी सहमति जताई। जिसके फलस्वरूप, एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले घरेलू मुद्रा डॉलर में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह, विक्रेता को भी डॉलर में भुगतान स्वीकार करना पड़ता है और फिर इसे अपनी देश की मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है।

विदेशी विनिमय के लिये हमेशा दो मुद्राओं का होना आवश्यक होता है, जिसके अन्तर्गत एक मुद्रा खरीदी जाती है, तो दूसरी मुद्रा बेची जाती है। पहली मुद्रा को ‘आधार मुद्रा’ और दूसरी की ‘उद्धरण मुद्रा’ कहा जाता है।

विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी बचत के मूल्य को निर्धारित करने में मदद करता है। यह एक ऐसा बाजार है जहाँ विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है और हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था है जहाँ विदेशी मुद्राएँ खरीदी और बेची जाती हैं। इसके तहत आयातक विदेशी मुद्रा खरीदते हैं जिसे निर्यातकों द्वारा बेचा जाता है। वित्तीय केंद्रों में, इस प्रकार का बाजार केवल मुद्रा बाजार का एक हिस्सा होता है जहाँ विदेशी धन खरीदा और बेचा जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह विदेशी मुद्रा का बाजार है।

18.3 मुद्रा बाजार में दर का निर्धारण (Determination of Rate in Money Market)

विदेशी विनिमय बाजार में, मुद्राओं को एक सहमत दर पर आदान प्रदान किया जाता है, जिसे विनिमय दर कहते हैं। इन दरों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, और ये दरें कई आर्थिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से, घरेलू बाजार में, साथ ही सिंगापुर, दुबई और लंदन जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तटस्थ बाजारों में मुद्रा व्यापार किया जाता है। विदेशी विनिमय के स्थानीय बाजार को तटवर्ती बाजार और विदेशी बाजार को अपतटीय बाजार कहा जाता है। अपतटीय मुद्रा बाजार विभिन्न स्टैकहोल्डर्स का एक जटिल नेटवर्क है जहां व्यापारी न केवल मुद्रा व्यापार में बल्कि एनडीएफ और दर मध्यस्थता में भी शामिल होते हैं।

मुद्राओं को यूएसडी, आईएनआर, ईयूआर/यूएसडी/जेपीवाई जैसे जोड़े में उद्धृत किया जाता है। और, वहाँ प्रत्येक दो मुद्राओं के साथ दर जुड़ी हुई है। मान लें कि यूएसडी/सीएडी के लिए उद्धृत मूल्य 1.586 है। इसका मतलब है कि एक डॉलर खरीदने के लिए आपको 1.586 कैनेडियन डॉलर का भुगतान करना होगा।

विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता बहुत अधिक है। मुद्रा का मूल्यांकन कई कारकों जैसे आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों, व्याज दरों, मुद्रास्फीति आदि पर निर्भर करता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और राजनीतिक स्थिति स्थिर है, तो इसकी मुद्रा को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़त मिल सकती है। इसी तरह, आर्थिक अस्थिरता, आंतरिक और बाहरी राजनीतिक उथल-पुथल, या युद्ध, मुद्रा मूल्य गिरने का कारण बन सकते हैं।

जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आयात सस्ता हो जाता है, और निर्यात महंगा हो जाता है। आइए उपरोक्त उदाहरण को समझें। मान लीजिये कि सीएडी के लिए विदेशी विनिमय दर 1.586 से 1.579 तक बदल जाती है। इसका मतलब है कि कैनेडियन डॉलर, डॉलर के मुकाबले बढ़ गया है, और अमरीकी डालर सीएडी की तुलना में सस्ता हो गया है। इसी तरह, यदि विनिमय दर 1.5892 तक बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे कि कैनेडियन डॉलर का मूल्य कम हो गया है।

विदेशी विनिमय बाजार में, मुद्रा व्यापार तीन आकार, सूक्ष्म (माइक्रो), छोटा (मिनी) और मानक समूह में होता है। माइक्रो सबसे छोटी मात्रा है, जिसमें किसी भी मुद्रा की 1000 इकाइयां होती हैं। मिनी समूह में 10,000 इकाइयां हैं, और मानक समूह 100,000 इकाइयां है। आप चाहे तो किसी भी संख्या में व्यापार कर सकते हैं, जैसे -सात माइक्रो समूह, तीन मिनी समूह या पंद्रह मानक समूह।

18.4 विदेशी मुद्रा बाजार का इतिहास (History of Foreign Money Market)

इतिहास में दो विशेष घटनाओं के कारण विदेशी मुद्रा बाजार का गठन हुआ है। इन दो घटनाओं से ऐतिहासिक स्वर्ण मानक प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली का निर्माण हुआ। वर्ष 1825 में गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली का गठन हुआ। यह सरकारों की गारंटी है कि एक मुद्रा को सोने के द्वारा समर्थित किया जाएगा। सभी प्रमुख आर्थिक देशों में सोने की एक औंस के लिए मुद्रा की राशि में परिभाषित करना और इन राशियों के लिए उस अनुपात में सोना उनकी मुद्राओं के मूल्य के लिए मुद्रा विनिमय दरों का आधार बन गया। यह इतिहास में मुद्रा विनिमय की पहली मानकीकृत साधन के रूप में चिह्नित प्रणाली है।

आधुनिक विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक के दौरान शुरू हुआ। इसने मौद्रिक प्रबंधन के ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन पर तीन दशकों के सरकारी प्रतिबंधों का पालन किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के प्रमुख औद्योगिक राज्यों के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय संबंधों के नियम निर्धारित किए। विभिन्न देश

धीरे-धीरे पिछली विनिमय दर व्यवस्था से परिवर्तनशील विनिमय दरों में स्विच हो गए, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अनुसार तय रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रबंधन की ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थापित करने के लिए ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में एक बैठक की व्यवस्था की गई। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के निर्माण के स्थिर विनिमय दर के गठन के लिए नेतृत्व के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के सोने की एक औंस के लिए \$35 के बराबर और अन्य देशों के संदर्भ में अमेरिकी डॉलर के मूल्य में परिभाषित डॉलर के लिए अपनी मुद्राओं को आंका गया था। अमेरिकी डॉलर मुख्य आरक्षित मुद्रा केवल ऐसी मुद्रा है जिसे सोने से समर्थन प्राप्त हुआ। अमेरिकी कोष द्वारा सभी विदेशी केंद्रीय बैंकों द्वारा आयोजित भंडार को कवर करना असंभव था अतः 1970 में अमेरिका स्वर्ण भंडार समाप्त हो गया।

18.5 विदेशी मुद्रा बाजार व्यापार सत्र (Trading Session in Foreign Money Market)

मुद्रा विनिमय बाजार कभी नहीं सोता है और उद्घरण लगातार बदलते हैं। सप्ताह में पांच दिन 24 घंटे यही एकमात्र बाजार खुला रहता है। मुद्राओं की बड़ी मात्रा ज्यूरिख, हांगकांग, न्यूयॉर्क, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, लंदन, सिडनी, पेरिस और अन्य वैश्विक वित्तीय केंद्रों में अन्तर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार पर कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंटरबैंक बाजार हमेशा खुला रहता है-जब दुनिया के एक हिस्से में वर्किंग डे खत्म होता है, तो दूसरे गोलार्द्ध में बैंकों ने पहले ही अपने दरवाजे खोल दिए हैं और व्यापार चल रहा है।

विदेशी मुद्रा बाजार विभिन्न प्रतिभागियों से बना है, जिन्हें विदेशी मुद्रा बाजार के खिलाड़ी कहा जाता है, जो विभिन्न कारणों से बाजार में व्यापार करते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार के मुख्य सहभागी निम्न हैं:

1. सरकार और केंद्रीय बैंक
2. वाणिज्यिक बैंक और कम्पनियाँ
3. हेज फंड
4. ब्रोकरेजकम्पनियाँ
5. निवेशक
6. खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारी
7. सट्टेबाज

18.6 विदेशी मुद्रा बाजार की विशेषताएं (Characteristics of Foreign Money Market)

1. विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए एक सामूहिक शब्द है। विदेशी मुद्रा बैंक, आम तौर पर उन स्थानों को संदर्भित करता है जहां विनिमय बैंकिंग लेन-देन किए जाते हैं।
2. विदेशी मुद्रा बैंकों के ग्राहक, मुख्य रूप से व्यापारी जो उत्पादों का आयात और निर्यात करते हैं, आर्थिक लेन-देन जैसे किराया, बीमा प्रीमियम, ब्याज और लाभांश, विदेशी यात्रा व्यय, विदेशी प्रतिभूति निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण जो पूंजीगत लेन-देन का संचालन करते हैं।
3. मुद्रा परिवर्तक जो विदेशी मुद्रा का विनिमय करते हैं, वे विदेशी मुद्रा बैंकों के ग्राहक भी हैं। विदेशी मुद्रा बैंक विदेशी विनिमय स्थिति और ऐसे ग्राहक लेन-देन के कारण होने वाली धनराशि की अधिकता या कमी को समायोजित करने के लिए एक दूसरे के साथ विदेशी विनिमय खरीदते हैं और बेचते हैं। विनिमय बैंकों के बीच के इस लेन-देन को इंटरबैंक लेन-देन कहा जाता है, और इस बाजार को इंटरबैंक बाजार कहा जाता है।

4. इंटरबैंक बाजार में दो प्रकार के लेन-देन होते हैं: वे जो विदेशी मुद्रा दलालों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, और जो सीधे विदेशी मुद्रा बैंकों के बीच आदान-प्रदान होते हैं।
5. मुद्रा दलालों के माध्यम से बहुत सारे लेन-देन होते हैं। इंटरबैंक लेन-देन एक स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं, लेकिन शाखाओं या विदेशी बैंकों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों या विदेशी बाजारों की एक विस्तृत शृंखला में सक्रिय रूप से संचालित होते हैं।
6. सरकार और केंद्रीय बैंक (मुद्रा प्राधिकरण) भी अंतर बैंक बाजार में भाग लेते हैं। यह विशिष्ट नीति उद्देश्यों के साथ विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
7. इंटरबैंक लेन-देन मोटे तौर पर स्पॉट लेन-देन, वायदा लेन-देन और स्वैप लेन-देन में विभाजित हैं।
8. स्पॉट लेन-देन में, लेन-देन का भुगतान सिद्धांत रूप में लेन-देन की तारीख के बाद अगले कार्य दिवस (दूसरे व्यावसायिक दिन) पर किया जाता है।
9. वायदा लेन-देन वह होता है जिसमें भविष्य में डिलीवरी की तारीख एक विशिष्ट तिथि पर की जाती है, लेकिन डिलीवरी की तारीख आमतौर पर एक निश्चित तारीख होती है, जो मासिक लेन-देन के आधार पर एक या छह महीने में विभाजित होती है।
10. स्वैप लेन-देन एक स्पॉट लेन-देन और विपरीत दिशा में वायदा लेन-देन, या एक ही समकक्ष के साथ एक ही समय में अलग-अलग डिलीवरी तिथियों के साथ विपरीत दिशाओं में दो वायदा लेन-देन होते हैं।
11. अंतर बैंक बाजार में स्थापित विनिमय दर जिसे ग्राहक दर भी कहा जाता है, के लिए मानक है। दूसरे शब्दों में, ग्राहकों के लिए बाजार को विभिन्न प्रकार के बाहरी लेन-देन से निपटा जा सकता है, और इससे उत्पन्न विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और मांग इंटरबैंक बाजार में फिर से दिखाई दे सकती है।
12. इंटरबैंक मार्केट में, एक्सचेंज होते हैं जहां पार्टियां विदेशी एक्सचेंजों (जर्मनी, इटली, फ्रांस, आदि) को खरीदने और बेचने के लिए हर दिन एक विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा होती हैं और व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन, टेलीक्स और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (कंप्यूटर लाइन) द्वारा लेन-देन होते हैं।
13. विदेशी मुद्रा बाजारों में, बैंकों जैसे डीलरों की एक विस्तृत विविधता होती है। विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले बैंकों की विभिन्न देशों में शाखाएँ होती हैं। इन्हें “एक्सचेंज बैंक” भी कहा जाता है, जहां से दुनिया भर में विनिमय सेवाएं उपलब्ध हैं।
14. ऐसे बैंकों द्वारा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन किया जाता है। विनिमय के विदेशी बिलों पर छूट और बिक्री करना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और क्रेडिट इंस्ट्रुमेंट्स का प्रभाव, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर राशि की वसूली।
15. विदेशी मुद्रा में, विदेशी बिल में बिल दलाल होते हैं जो खरीदारों और विक्रेताओं की सहायता करते हैं। बिचौलिये होने के कारण बैंक प्रत्यक्ष डीलर नहीं होते हैं।
16. विदेशी मुद्रा में, स्वीकृति गृह डीलर होते हैं जो ग्राहकों की ओर से बिल स्वीकार करके विदेशी प्रेषण में मदद करते हैं। विदेशी मुद्रा में, केंद्रीय बैंक और देश का खजाना भी डीलर होते हैं जो बाजार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। विनिमय दरों का प्रबंधन इन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न तरीकों से विनिमय नियंत्रण लागू किए जाते हैं। भारत में ऐसा कोई एक्सचेंज मार्केट नहीं है। भारत में सख्त विनिमय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

18.7 विदेशी विनिमय बाजार का महत्व (Importance of Foreign Money Market)

1. विदेशी मुद्रा बाजार का मुख्य महत्व किसी व्यवसाय का सर्वोत्तम बाजार मूल्य प्राप्त करना है। विदेशी मुद्रा बाजार एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है।
2. विदेशी मुद्रा बाजार, कुछ मुद्रा के लिए विनिमय दर निर्धारित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भंडार के लिए, नीलामी तय करता है।
3. भारत में शेयर बाजार की निगरानी के उद्देश्य से, निगमीय दलालों को किराए पर लेते हैं। जहां वित्तीय दलाल कंपनियों को उनके निवेश की बाजार स्थिति बनाए रखने में सहायता करते हैं।

18.8 विदेशी विनिमय बाजार के कार्य (Functions of Foreign Exchange Market)

विदेशी मुद्रा बाजार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं :-

1. प्रथम कार्य वित्त और क्रय शक्ति को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना है।
2. विदेशी बिलों के माध्यम से प्रेषण जो टेलीग्राफिक हस्तांतरण के माध्यम से किए गए थे, इस प्रकार के हस्तांतरण प्रभावित होते हैं।
3. दो देशों के बीच क्रय शक्ति के हस्तांतरण को पूरा करने के उद्देश्य से, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की सुविधा प्रदान करना।
4. विभिन्न क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से ट्रांसफर क्रय शक्ति प्रभावित होती है जैसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बैंक ड्राफ्ट और विदेशी बिल।
5. ऋण समाशोधन के लिए, विदेशी मुद्रा बाजार अंतरराष्ट्रीय भुगतान करता है।
6. विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी मुद्रा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऋण प्रदान करती है।
7. हेजिंग कार्य: यह हेजिंग (जोखिम) सुविधाओं के लिए है जैसे स्पॉट या फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज खरीदने और बेचने की सुविधा। यह “विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव” को प्रदर्शित करता है क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के संदर्भ में अन्य देश की मुद्रा की कीमत में परिवर्तन के कारण व्यापारी को लाभ या हानि हो सकती है। विदेशी मुद्रा में बड़ी मात्रा में शुद्ध दावों या शुद्ध देनदारियों के मामले में एक व्यक्ति या एक फर्म, जैसा भी मामला हो, एक उच्च विनिमय जोखिम उठा सकता है।

अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की विनिमय जोखिम को कम किया जाना चाहिए। इसके बदले में, विदेशी मुद्रा बाजार अग्रप्रेषण अनुबंधों के माध्यम से, प्रत्याशित हेजिंग के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है। एक भावी अनुबंध इस प्रकार का अनुबंध है जो भविष्य में किसी देश की मुद्रा के खिलाफ विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने से संबंधित मूल्य पर निश्चित तिथि पर होता है। इस प्रकार के अनुबंध से विनिमय दर में बदलाव से बचना संभव होता है। यह वायदा बाजार विनिमय स्थिति की हेजिंग में मदद करता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. विदेशी विनिमय से क्या आशय है?

2. मुद्रा बाजार का अर्थ बताइए।
3. विदेशी मुद्रा बाजार की कोई दो विशेषताएँ बताइये।
4. विदेशी विनिमय बाजार के कार्य बताइये।
5. विदेशी विनिमय बाजार के महत्त्व बताइये।

18.9 विदेशी मुद्रा बाजार के प्रकार (Types of Foreign Exchange Market)

विदेशी विनिमय बाजार, आकार और मात्रा के संदर्भ में, सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें अप्रैल 2021 में प्रति दिन 9.67 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है। विदेशी विनिमय व्यापार के लिए सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और टोक्यो हैं।

विदेशी विनिमय बाजार सप्ताह में पांच दिनों सोमवार से शुक्रवार में 24 घंटे के लिए खुला रहता है, यह एक अत्यधिक तरल बाजार है। विदेशी मुद्रा विनिमय के लिये बाजारों के निम्नलिखित रूप होते हैं:

स्पॉट मार्केट (Spot Market)

स्पॉट मार्केट में, मुद्रा प्राप्त करने के दो दिनों के भीतर व्यापार होता है। फर्क सिर्फ कैनेडियन डॉलर में है, जिसमें व्यापारियों को अगले कारोबारी दिन पर व्यापार करना होता है।

स्पॉट मार्केट अत्यधिक अस्थिर है और कम अवधि में बाजार की प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करते हैं। इसमें व्यापारी दैनिक मांग और आपूर्ति कारकों के आधार पर कीमत में उतार चढ़ाव को भुनाने की कोशिश करते हैं। दीर्घकालिक मुद्रा परिवर्तन देश की अर्थव्यवस्था, नीति, ब्याज दरों और अन्य राजनीतिक विचारों में मूलभूत परिवर्तनों पर निर्भर करता है।

फॉरवर्ड मार्केट (Forward Market)

फॉरवर्ड बाजार, स्पॉट मार्केट से भिन्न होता है, जहां मुद्राओं का व्यापार तुरंत के बजाय भविष्य की किसी तारीख पर किया जाता है। भावी कीमत को स्पॉट दर के साथ तुलना करके शेष अंक को (दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर अंतर) जोड़कर या घटाकर निर्धारित किया जाता है। दरें लेन-देन की तारीख पर तय की जाती हैं, लेकिन परिसंपत्ति को परिपक्वता तिथि पर अंतरित किया जाता है।

सामान्यता फॉरवर्ड अनुबंध एक वर्ष के लिए होते हैं। लेकिन कुछ बैंक लम्बी अवधि के अनुबंध भी करते हैं। ये अनुबंध व्यापार में शामिल पक्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी भी विदेशी मुद्रा के लिए हो सकते हैं।

फ्यूचर बाजार (Future Market)

फ्यूचर्स अनुबंध फॉरवर्ड अनुबंध के समान ही होते हैं, जहां सौदा एक निश्चित दर पर भावी तारीख पर तय किया जाता है। इन अनुबंधों का कमोडिटी बाजार में कारोबार किया जाता है और व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्राओं में निवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है।

उदाहरण:

विदेशी विनिमय व्यापार अनुमानों पर आधारित होता है। मान लें कि व्यापारी यूरोपीय सेंट्रल बैंक से डॉलर के मुकाबले यूरो की कीमत को समायोजित करने की कोशिश करता है, तो डॉलर में बढ़त होगी। इससे, वह 1.20 की विनिमय दर के लिए €200,000 के लिए एक अल्पकालिक अनुबंध से जुड़ जाता है। अब मान लें कि बाजार में मंदी आ जाती है और यूरो 1.15 तक कम हो जाता है। तो, व्यापार में, व्यापारी 10,000 का लाभ कमाता है।

अल्पकालिक अनुबंध से व्यापारी 2,10,000 कमा सकता है। यूरो का मूल्य गिरने पर, व्यापारियों को मुद्रा पुनर्खरीद के लिए केवल 23,000 डॉलर का भुगतान करना होगा, इस प्रकार 2,000 का लाभ होगा। यूरो की कीमत में वृद्धि होने पर, व्यापारी को नुकसान होगा।

अब, विनिमय बाजार क्या है, यह जानने के पश्चात्, आइए देखें कि वास्तव में विदेशी मुद्रा बाजार कैसे काम करता है।

विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाले व्यापार में एक साथ खरीद शामिल है एक मुद्रा का क्रय और दूसरी मुद्रा की बिक्री। इसका कारण यह है कि एक मुद्रा का मूल्य सापेक्ष है अन्य मुद्रा के लिए और उनकी तुलना से निर्धारित होता है।

प्रत्येक मुद्रा जोड़ी एक “आधार मुद्रा” (पहली मुद्रा) से मिलकर एक इकाई के बारे में सोचा जा सकता है और दूसरी मुद्रा “काउंटर (या उद्धृत) मुद्रा” जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। यह दिखाता है कि कितना आधार मुद्रा की एक यूनिट खरीदने के लिए उद्धृत मुद्रा की जरूरत होती है। तो, EURO/USD मुद्रा जोड़ी में EURO आधार मुद्रा है और USD उद्धृत मुद्रा है। यदि आप यूरो की कीमत के खिलाफ वृद्धि की उम्मीद में अमेरिकी डॉलर की कीमत में आप EURO/USD मुद्रा जोड़ी खरीद सकते हैं। जबकि एक मुद्रा जोड़ी खरीदने आधार मुद्रा (यूरो) खरीदी जा रही है, जबकि उद्धृत मुद्रा (USD) बेची जा रही है। इस प्रकार, आप EURO/USD मुद्रा जोड़ी कम कीमत पर खरीदते हैं बाद में इसे उच्च कीमत पर बेचने के लिए और एक परिणाम के रूप में एक लाभ बनाते हैं। यदि आप विपरीत स्थिति की उम्मीद है, आप मुद्रा जोड़ी बेच सकते हैं, जिसका अर्थ है यूरो बेचते हैं और अमेरिकी डॉलर खरीदते हैं।

18.10 विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting Exchange Rate)

विदेशी विनिमय दर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से किसी देश के आर्थिक परिस्थितियों का सापेक्ष स्तर निर्धारित किया जाता है। एक देश की विदेशी विनिमय दर उसकी आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, इसे लगातार विश्लेषण किया जाता है।

विनिमय दर को निर्धारित करने में कई प्रकार के कारकों का योगदान है। विनिमय दरें सापेक्ष हैं और दो देशों की मुद्राओं की तुलना के रूप में व्यक्त की जाती है।

विनिमय दर को प्रभावित करने वाले मुख्यकारक निम्न प्रकार से हैं:-

(i) मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate)

बाजार में मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है। जिस देश की मुद्रास्फीति दर कम होती है वह अन्य उच्च मुद्रास्फीति दर वाले देश की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि देखेगा। जिस देश में मुद्रास्फीति दर कम होती है वहां वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में धीमी दर में वृद्धि होती है। लगातार कम मुद्रास्फीति दर वाला देश बढ़ती मुद्रा मूल्य प्रदर्शित करता है जबकि उच्च मुद्रास्फीति वाला देश आमतौर पर अपनी मुद्रा में मूल्यहास देखता है और आमतौर पर उच्च ब्याज दरों को प्रदर्शित करता है।

(ii) ब्याज दरें (Interest Rate)

ब्याज दर में परिवर्तन मुद्रा के मूल्य और डॉलर की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। विदेशी मुद्रा दरें, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति सभी परस्पर सह संबन्धित हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से देश की मुद्रा की सराहना होती है क्योंकि उच्च ब्याज दरें ऋणदाताओं को अधिक ब्याज प्रदान करती हैं, जिससे अधिक विदेशी पूंजी का विनियोग होता है, जिससे विनिमय दरों में वृद्धि होती है।

(iii) देश का चालू खाता भुगतान संतुलन (Balance of Payment of Country's Current Account)

एक देश का चालू खाता, विदेशी निवेश पर व्यापार और आय के संतुलन को दर्शाता है। इसमें इसके निर्यात, आयात, ऋण आदि लेन-देन की कुल संख्या सम्मिलित है। निर्यात की बिक्री के माध्यम से कमाई की तुलना में उत्पादों के आयात पर अपनी मुद्रा का अधिक खर्च होने से चालू खाते में असंतुलन उत्पन्न होता है जिस कारण कमी प्रदर्शित होती है एवं यह कमी मूल्यहास का कारण बनती है। भुगतान संतुलन इसकी घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव करता है।

(iv) सरकारी ऋण (Government Loan)

सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण या केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला राष्ट्रीय ऋण है। यदि किसी राष्ट्र में सरकारी ऋणों की अधिकता है तो उस देश में विदेशी पूंजी प्राप्त होने की संभावना कम होती है जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है। यदि बाजार किसी देश के द्वारा भीतर सरकारी ऋण की भविष्यवाणी की जाती है। तो विदेशी निवेशक अपने बांड खुले बाजार में बेचेंगे। नतीजतन, उस देश की विनिमय दर के मूल्य में कमी आएगी।

(v) व्यापार की शर्तें (Conditions of Trade)

चालू खातों और भुगतान संतुलन से संबंधित, व्यापार की शर्तें निर्यात कीमतों का आयात कीमतों का अनुपात है। एक देश की व्यापार की शर्तों में सुधार होता है यदि उसके निर्यात की कीमतों में उसके आयात की कीमतों की तुलना में अधिक दर से वृद्धि होती है। इसका परिणाम उच्च राजस्व में होता है, जिससे देश की मुद्रा की मांग अधिक होती है और इसकी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है।

(vi) राजनीतिक स्थिरता और प्रदर्शन (Political Stability and Exhibition)

किसी देश की मुद्रा शक्ति उस राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक प्रदर्शन उसकी मुद्रा शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। जिस देश में राजनीतिक उथल-पुथल के लिए कम जोखिम वाला देश, विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक है, परिणामस्वरूप, अधिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता वाले अन्य देशों से निवेश को दूर करना। बदले में, विदेशी पूंजी में वृद्धि से इसकी घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मजबूत वित्तीय और व्यापार नीति वाला देश अपनी मुद्रा के मूल्य में अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं देता है। लेकिन, राजनीतिक भ्रम वाले देश में विनिमय दरों में मूल्यहास देखने को मिल सकता है।

(vii) मंदी की स्थिति (Recession)

जब कोई देश मंदी का अनुभव करता है, तो उसकी ब्याज दरों में गिरावट की संभावना होती है, जिससे विदेशी पूंजी हासिल करने की संभावना कम हो जाती है। नतीजतन, इसकी मुद्रा अन्य देशों की तुलना में कमजोर होती है, इसलिए विनिमय दर कम हो जाती है।

यदि किसी देश का मुद्रा मूल्य बढ़ने की उम्मीद है, तो निकट भविष्य में लाभ कमाने के लिए निवेशक उस मुद्रा की अधिक मांग करेंगे। नतीजतन, मांग में वृद्धि के कारण मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। मुद्रा मूल्य में इस वृद्धि के साथ विनिमय दर में भी वृद्धि होती है।

ये सभी कारक विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को निर्धारित करते हैं। यदि आप बार-बार पैसा भेजते या प्राप्त करते हैं, तो इन कारकों पर सामयिक (Upto date) रहने से आपको अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए सर्वोत्तम

(Optimal) समय का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। मुद्रा विनिमय दरों में किसी भी संभावित गिरावट से बचने के लिए, लॉक-इन विनिमय दर सेवा का विकल्प चुनें, जो यह गारंटी देगा कि प्रतिकूल उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक के बावजूद आपकी मुद्रा का उसी दर पर आदान-प्रदान किया जाता है।

18.11 भारत में मुद्रा विनिमय दरें निर्धारित करने वाले कारक (Factors determining Money Exchange rates in India)

हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कोई भी एक प्राधिकरण या संस्थान भारत में विनिमय दर निर्धारित नहीं करता है। भारत में एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली है जहां एक अन्य मुद्रा के साथ रुपये की विनिमय दर बाजार के कारकों जैसे आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित की जाती है।

उदाहरण के लिए: यदि विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ती है, तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा। वर्तमान में यह मामला है क्योंकि भारत से अमेरिका को निर्यात की तुलना में अमेरिका भारत में अधिक माल आयात किया जाता है। स्थानीय भारतीय व्यापारियों को आयातित माल के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना होगा। इस प्रकार वे अमेरिकी डॉलर को रुपये के बदले में खरीदते हैं जो यूएस डॉलर की मांग को बढ़ाता है।

आपूर्ति और मांग के अलावा, निम्नलिखित 6 कारक व्यापक रूप से एक मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करने में मदद करता है :-

(i) देश में महंगाई (Dearness in Country)

आपने पुरानी पीढ़ी को महंगाई की शिकायत करते सुना होगा। वस्तुओं या सेवाओं की कीमत बढ़ जाएगी यदि वे दुर्लभ हो जाते हैं (कम आपूर्ति, समान या बढ़ी हुई मांग) या यदि अर्थव्यवस्था में धन अधिक आपूर्ति में है। इसे ही महंगाई कहते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति और इस प्रकार इसके मूल्य में गिरावट लाती है।

(ii) ब्याज दर या रेपो दर (Interest Rate or Repo Rate)

भारत की ब्याज दर आरबीआई द्वारा तय की जाती है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई भारत में बैंकों को पैसा उधार देता है। उच्च ब्याज दर का मतलब होगा कि निवेशक, सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए दौड़ेंगे क्योंकि रिटर्न अधिक होगा। रुपये की मांग अधिक होगी और इसका मूल्य बढ़ेगा।

हालांकि, उच्च ब्याज दर का नकारात्मक पक्ष यह होगा कि जब बैंक लोगों को पैसा उधार दे रहे होते हैं, तो वे अपने ऋण पर लाभ कमाने के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए शुल्क से भी अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। यह उन लोगों को हतोत्साहित कर सकता है जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या घर, कार खरीदने या अपनी शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहते हैं। ऋण के रूप में पूंजी के प्रवाह के बिना, किसी देश की आर्थिक गतिविधि दब सकती है और धीमी हो सकती है।

(iii) चालू खाता घाटे का स्तर (Level of Current Account Loss)

एक चालू खाता एक देश के विदेशी लेन-देन का प्रतिनिधित्व करता है। चालू खाता घाटा का अर्थ है कि एक देश निर्यात के माध्यम से पैसा कमाने की तुलना में विदेशों से सामान और सेवा आयात करने पर अधिक पैसा खर्च कर रहा है। चूंकि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात से अधिक है, और आयात को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, इससे उस मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और इसलिए रुपये के संबंध में इसका मूल्य बढ़ जाता है। यदि इसके विपरीत मामला था जहां निर्यात आयात से अधिक है, तो रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा के संबंध में बढ़ जाएगा।

(iv) सोने का आयात और निर्यात (Import and Export of Gold)

हमने ऊपर विनिमय दर पर चालू खाता घाटे के प्रभाव के बारे में बात की। जब कोई देश निर्यात से अधिक वस्तुओं का आयात करता है, तो उसकी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसका एक सीधा असर भारत में

सोना आयात करने के मामले में देखा जा सकता है। ऐसे देश जो सोने के साथ कई तरह के उत्पाद बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, लेकिन जिनके पास सोने का बड़ा भंडार नहीं है, वे स्वयं सोने की अधिक मात्रा का आयात करते हैं। ऐसे देशों में आम तौर पर कमजोर मुद्रा होगी। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है, तो भारतीय रुपये की मजबूती उसी के अनुसार नीचे जाती है।

(v) सार्वजनिक ऋण की राशि (Amount of Public Loan)

यदि किसी देश में उच्च स्तर का बजट घाटा है और वह इस लागत को कवर करने के लिए उधार ले रहा है, तो इसका परिणाम कम मुद्रा मूल्यांकन होगा। यह कैसे होता है? भारी मात्रा में सार्वजनिक ऋण वाले देश में मुद्रास्फीति का बहुत अधिक जोखिम होता है। इसे या तो अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए नई मुद्रा को छापना होगा (जो फिर से मुद्रास्फीति को बढ़ाता है) या विदेशी निवेशकों को प्रतिभूतियों की बिक्री में वृद्धि करता है, इसलिए उनकी कीमतें कम होती हैं। अगर कर्ज बहुत बड़ा है और निवेशकों को देश के कर्ज को चुकाने की क्षमता पर भरोसा नहीं है, तो वे उस मुद्रा में मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस प्रकार मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मुद्रा मूल्यांकन नीचे जाएगा।=

(vi) स्थिरता और आर्थिक विकास (Stability and Economic Development)

विदेशी निवेशक अपने निवेश से लाभ की तलाश करते हैं। इसलिए किसी देश के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए एक स्थिर सरकार और मजबूत आर्थिक नीतियों का होना महत्वपूर्ण है। अधिक विदेशी निवेश से रुपये की मांग में वृद्धि होती है और इसलिए इसकी कीमत बढ़ जाती है।

अतः उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि वर्तमान में, भारत में मुद्रा विनिमय दरें बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं क्योंकि भारत एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के बजाय एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. विदेशी मुद्रा बाजार के स्पॉट मार्केट को समझाइये।
2. विदेशी मुद्रा बाजार की विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।
3. देश का चालू खाता भुगतान असंतुलन को समझाइये।
4. मुद्रा स्फीति दर से आप क्या समझते हैं?

18.12 सारांश (Conclusion)

प्रस्तुत अध्याय में विदेशी मुद्रा बाजार के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्राओं के व्यापार के लिए एक वैश्विक विकेन्द्रीकृत बाजार है। यह बाजार विदेशी मुद्रा दर निर्धारित करता है। इस बाजार में मुख्य प्रतिभागी बड़े अन्तराष्ट्रीय बैंक हैं। विदेशी मुद्रा बाजार कई स्तरों पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से काम करता है, एवं इस बाजार में अधिकांश मुद्रा डीलर बैंक होते हैं अतः इस बाजार को “इंटरबैंक बाजार” भी कहा जाता है। विदेशी विनिमय बाजार में, मुद्राओं को एक सहमत दर पर आदान प्रदान किया जाता है, जिसे विनिमय दर कहते हैं। इन दरों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, और ये दरें कई आर्थिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। विदेशी विनिमय बाजार, आकार और मात्रा के संदर्भ में, सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें अप्रैल 2021 में प्रति दिन 9.67 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है। विदेशी विनिमय व्यापार के लिए सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और टोक्यो हैं।

18.13 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को विदेशी विनिमय बाजार के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होगा।

2. इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को मुद्रा बाजार की जानकारी प्राप्त होगी।
3. इस इकाई के द्वारा विद्यार्थी मुद्रा बाजार की विशेषताएँ एवं महत्त्व को जानेंगे।
4. इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को मुद्रा बाजार के प्रकार एवं उनकी कार्यविधि का ज्ञान प्राप्त होगा।
5. इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करने वाले कारक एवं भारत में मुद्रा विनिमय दरें निर्धारित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होगी।

18.14 शब्दावली (Glossary)

- **विदेशी मुद्रा बाजार:** मुद्राओं के व्यापार के लिए एक वैश्विक विकेन्द्रीकृत बाजार है। यह बाजार विदेशी मुद्रा दर को निर्धारित करता है।
- **विदेशी विनिमय:** सामान्य शब्दों में, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना विदेशी विनिमय कहलाता है।
- **स्पॉट मार्केट:** स्पॉट मार्केट में, मुद्रा प्राप्त करने के दो दिनों के भीतर व्यापार होता है। फर्क सिर्फ कैनेडियन डॉलर में है, जिसमें व्यापारियों को अगले कारोबारी दिन पर व्यापार करना होता है।
- **फॉरवर्ड बाजार:** फॉरवर्ड बाजार, स्पॉट मार्केट से भिन्न होता है, जहां मुद्राओं का व्यापार तुरंत के बजाय भविष्य की किसी तारीख पर किया जाता है। भावी कीमत को स्पॉट दर के साथ तुलना करके शेष अंक को (दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर अंतर) जोड़कर या घटाकर निर्धारित किया जाता है। दरें लेन-देन की तारीख पर तय की जाती हैं, लेकिन परिसंपत्ति को परिपक्वता तिथि पर अंतरित किया जाता है।
- **फ्यूचर्स अनुबंध:** फ्यूचर्स अनुबंध फॉरवर्ड अनुबंध के समान ही होते हैं, जहां सौदा एक निश्चित दर पर भावी तारीख पर तय किया जाता है। इन अनुबंधों का कमोडिटी बाजार में कारोबार किया जाता है और व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्राओं में निवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **विदेशी विनिमय दर:** विदेशी विनिमय दर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से किसी देश के आर्थिक परिस्थितियों का सापेक्ष स्तर निर्धारित किया जाता है। एक देश की विदेशी विनिमय दर उसकी आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, इसे लगातार देखा और विश्लेषण किया जाता है।

18.15 स्व-परख प्रश्न (Self Tested Questions)

1. विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार किस प्रकार किया जाता है? समझाइये।
2. विदेशी मुद्रा बाजार की विशेषताओं एवं महत्त्व को समझाइये।
3. विनिमय दर से क्या आशय है? विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइये।
4. विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ समझाइये एवं विदेशी विनिमय बाजार के कार्यों को समझाइये।
5. भारत में मुद्रा विनिमय दर निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइये।

18.16 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)

- Bhagwati, J. International Trade: Selected Readings, Cambridge University Press.
- Cherunilam, Francis, International Economics, Oxford University Press India.
- Mithani, D.M., International Economics, Himalaya Publishing House.

18.17 अन्य पठान सामग्री (Other Reading Material)

- अंकित गाला जीतेन्द्र गाला: “फॉरेन एक्सचेंज एंड फोरेक्स ट्रेडिंग”- ए बज़्जिंग स्टॉक पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई.
 - जेम्स चैन: “एसेंशल्स ऑफ़ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग” -एसेंसिअल सीरीज -जॉन वाइली एंड संस, मुम्बई.
 - टिम वैदेर्स: “फॉरेन एक्सचेंज ए प्रैक्टिकल गाईड टू एफएक्स मार्केट्स” -वाइली पब्लिशिंग, यूएसए.
-

18.18 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Link)

- <https://www.britannica.com/topic/foreign-exchange-market>
- <https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/foreign-exchange-market>
- https://www.bis.org/statistics/about_fx_stats.htm
- <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/77577.pdf>
- <https://www.idfcfirstbank.com/infirst-blogs/beyond-banking/forex-trading-in-india-an-introduction-for-new-traders>

इकाई -19

वित्तीय सेवायें

(Financial Services)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

- 19.0 उद्देश्य
- 19.1 प्रस्तावना
- 19.2 वित्तीय सेवाओं इतिहास
- 19.3 बैंकों द्वारा प्रदान वित्तीय सेवायें
 - 19.3.1 वाणिज्यिक बैंकिंग सेवाएं
 - 19.3.2 निवेश बैंकिंग सेवाएं
- 19.4 विदेशी मुद्रा सेवाएं
- 19.5 निवेश सेवाएं
- 19.6 बीमा और संबंधित सेवाएं
- 19.7 अन्य वित्तीय सेवाएं
- 19.8 वित्तीय निर्यात
- 19.9 इंटर व्यक्ति
- 19.10 सेवाओं की लागत
- 19.11 विनियमन
- 19.12 उत्पादक उपयोग
- 19.13 वित्तीय सेवा क्षेत्र
- 19.14 सारांश
- 19.15 अधिगम परिणाम
- 19.16 शब्दावली
- 19.17 स्वपरख प्रश्न
- 19.18 संदर्भ व ग्रंथ सूची
- 19.19 अन्य पठन सामग्री
- 19.20 वेब संसाधन/लिंक

19.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई वित्तीय सेवायें के अंतर्गत विद्यार्थी वित्तीय सेवाओं, उद्देश्य, इतिहास आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाताओं की जानकारी एवं उनके द्वारा किस प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करी जाती हैं, इत्यादि का ज्ञान भी होगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थी धन का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियों, बीमा कंपनियों, लेखा कंपनियों, उपभोक्ता-वित्त कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरेज, निवेश निधि क्रेडिट आदि के बारे में विस्तृत

रूप से अध्ययन शामिल है एवं इस इकाई का अन्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं के क्रिया कलापों को जानना एवं उनके द्वारा किये जा रहे लेन देन की प्रक्रिया को समझना भी हैं।

19.1 प्रस्तावना (Introduction)

वित्त उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सेवाएं वित्तीय सेवाएं होती हैं। इसके अंतर्गत धन का प्रबंधन करने वाले व्यवसायों यथा क्रेडिट-कार्ड कंपनियों, बीमा कंपनियों, लेखा कंपनियों, उपभोक्ता वित्त कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरेज, निवेश निधि क्रेडिट यूनियनों, बैंकों सहित एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

वित्तीय सेवा में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेनदेन शामिल है। वित्तीय सेवा, रियल एस्टेट, उपभोक्ता वित्त, बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों में कई अलग-अलग प्रकार के लेनदेन को कवर करती है। इसमें प्रतिभूतियों सहित निवेश फंडिंग का एक व्यापक स्पेक्ट्रम भी शामिल है।

19.2 वित्तीय सेवाओं का इतिहास (History of Financial Services)

वित्तीय सेवा शब्द, संयुक्त राज्य अमेरिका में आंशिक रूप से 1990 के दशक के ग्रैम-लीच-बिल्ले अधिनियम के परिणामस्वरूप अधिक प्रचलित हो गया, जिसने उस समय यू.एस. वित्तीय सेवा उद्योग में काम करने वाली विभिन्न प्रकार की कंपनियों को विलय करने में सक्षम बनाया।

वित्तीय सेवा के व्यवसाय के लिए कंपनियों के पास आमतौर पर दो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण एक बैंक होगा जो केवल एक बीमा कंपनी या एक निवेश बैंक खरीदता है अधिग्रहीत फर्म के मूल ब्रांड रखता है और अपनी होल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण को केवल अपनी कमाई में विविधता लाने के लिए जोड़ता है। दूसरी शैली में एक बैंक, केवल अपना बीमा डिवीजन या ब्रोकरेज डिवीजन बनाएगा और उन उत्पादों को अपने मौजूदा ग्राहकों को बेचने का प्रयास करेगा।

वित्तीय क्षेत्र पारंपरिक रूप से व्यापक आर्थिक संकट के समय में सरकारी सहायता प्राप्त करने वालों में से है। हालांकि इस तरह की सहायता को अन्य उद्योगों की तुलना में कम सार्वजनिक समर्थन मिलता है।

19.3 बैंकों द्वारा प्रदान वित्तीय सेवायें (Financial Services by Banks)

1. **जमा और चुकाने योग्य धन स्वीकार करें और ऋण लें:** प्रदाता उन्हें भुगतान करते हैं जो उन्हें पैसा देते हैं जिसे वे बदले में उधार देते हैं या निवेश करते हैं जो वे जमाकर्ताओं को भुगतान करते हैं और उन्हें उधारकर्ताओं से प्राप्त राशि के बीच अंतर पर लाभ कमाने के लक्ष्य के साथ निवेश करते हैं।
2. **भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करें:** प्रदाता भुगतानकर्ताओं से प्राप्तकर्ताओं को धन हस्तांतरित करना और क्रेडिट और डेबिट कार्ड बैंक ड्राफ्ट जैसे चेक और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से लेनदेन और खातों के निपटान की सुविधा प्रदान करते हैं।
3. **व्यापार:** प्रदाता कंपनियों को प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव खरीदने और बेचने में मदद करते हैं।
4. **प्रतिभूतियां जारी करें:** प्रदाता व्यवसायों में शेयर बेचकर या बांड जारी करके उधारकर्ताओं को धन जुटाने में मदद करते हैं।
5. **संपत्ति का प्रबंधन करें:** प्रदाता ग्राहकों की ओर से सलाह देते हैं या फंड का निवेश करते हैं जो उनकी विशेषज्ञता के लिए भुगतान करते हैं।
लेकिन वित्तीय क्षेत्र के भीतर अंतर साफ नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो अचल संपत्ति उद्योग में काम करता है जैसे कि एक बंधक दलाल ग्राहकों को उनकी परिस्थितियों के अनुकूल परिपक्वता और ब्याज दर संरचना के साथ एक गृह ऋण खोजने में मदद करके एक सेवा प्रदान कर सकता है। लेकिन वे ग्राहक अपने

क्रेडिट कार्ड या किसी वाणिज्यिक बैंक से भी उधार ले सकते थे। एक वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों से जमा लेता है और उन जमाओं के लिए भुगतान की तुलना में अधिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए धन उधार देता है। एक निवेश बैंक फर्मों को धन जुटाने में मदद करता है। बीमा कंपनियाँ उन ग्राहकों से प्रीमियम लेती हैं जो इस जोखिम के विरुद्ध पॉलिसी खरीदते हैं।

19.3.1 वाणिज्यिक बैंकिंग सेवाएं (Commercial Banking Services)

एक वाणिज्यिक बैंक वह है जिसे आमतौर पर केवल एक बैंक कहा जाता है। शब्द, वाणिज्यिक बैंक का उपयोग इसे एक निवेश बैंक से अलग करने के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक एक प्रकार की वित्तीय सेवा इकाई है जो किसी व्यवसाय को सीधे धन उधार देने के बजाय, व्यवसायों को बांड, ऋण या शेयर पूंजी के रूप में अन्य फर्मों से धन जुटाने में मदद करती है।

वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक संचालन में शामिल हैं:

1. जरूरत पड़ने पर निकासी की अनुमति देते हुए पैसे को सुरक्षित रखना।
2. चेकबुक जारी करना ताकि बिलों का भुगतान किया जा सके।
3. व्यक्तिगत ऋण, वाणिज्यिक ऋण और बंधक ऋण प्रदान करें: आमतौर पर घर- संपत्ति या व्यवसाय खरीदने के लिए ऋण।
4. क्रेडिट कार्ड जारी करना और क्रेडिट कार्ड लेनदेन और बिलिंग की प्रक्रिया करना।
5. चेक के विकल्प के रूप में उपयोग के लिए डेबिट कार्ड जारी करना।
6. शाखाओं में या स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन की अनुमति देना।
7. बैंकों के बीच निधियों के तार अंतरण और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रदान करना।
8. स्थायी आदेशों और प्रत्यक्ष डेबिट की सुविधाएं ताकि बिलों का भुगतान स्वचालित रूप से किया जा सके।
9. एक ग्राहक के चालू खाते में मासिक खर्च करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बैंक के स्वयं के पैसे की अस्थायी ओवरड्राफ्ट सीमा प्रदान करना।
10. इंटरनेट के माध्यम से अपने संबंधित खातों को देखने और संचालित करने के लिए ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली प्रदान करना।
11. बैंक द्वारा गारंटीकृत चेक और ग्राहक द्वारा प्रीपेड चेक प्रदान करना जैसे कैशियर चेक या प्रमाणित चेक।
12. वित्तीय और अन्य दस्तावेजों के लिए नोटेरी सेवा।
13. ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और उन्हें ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
14. म्यूचुअल फंड आदि जैसे निवेश उत्पाद बेचना।

19.3.2 निवेश बैंकिंग सेवाएं (Investment Banking Services)

1. **ऋण और इक्विटी अंडरराइटिंग:** पूंजी जुटाने के लिए संस्थाओं के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऋण और इक्विटी अंडरराइटिंग सेवाएं प्रदान करना।
2. **विलय और अधिग्रहण:** कंपनियों को विलय या अधिग्रहण पर अंडरराइट करने और सलाह देने का कार्य करना।
3. **संरचित वित्त:** अधिक जटिल वित्तीय जरूरतों वाले उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और संस्थानों के लिए जटिल।
4. **पुनर्गठन:** कंपनियों को वित्तीय रूप से पुनर्गठित करने में सहायता प्रदान करना।
5. **निवेश प्रबंधन:** ग्राहकों के निर्दिष्ट निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों जैसे अचल संपत्ति का प्रबंधन।

6. **प्रतिभूति अनुसंधान:** अपने स्वयं के विभाग को बनाए रखना जिससे कि सेवाएं देकर अपने व्यापारियों ग्राहकों की सहायता करें और विशिष्ट प्रतिभूतियों और उद्योगों पर एक सार्वजनिक रुख बनाए रखें।
7. **ब्रोकर सेवाएं:** अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियां खरीदना और बेचना: कभी-कभी इसमें वित्तीय परामर्श भी शामिल हो सकता है।
8. **प्राइम ब्रोकरेज:** एक विशेष प्रकार की बंडल ब्रोकर सेवा जो विशेष रूप से हेज फंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है।
9. **निजी बैंकिंग:** निजी बैंक विशेष रूप से उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। कई वित्तीय सेवा फर्मों को निजी बैंकिंग सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति या परिवार के पास एक निश्चित न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता होती है।

19.4 विदेशी मुद्रा सेवाएं (Foreign Currency Services)

विदेशी मुद्रा सेवाएं दुनिया भर के कई बैंकों और विशेषज्ञ विदेशी मुद्रा दलालों द्वारा प्रदान की जाती हैं। विदेशी मुद्रा सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **मुद्रा विनिमय:** जिसके द्वारा ग्राहक विदेशी मुद्रा बैंक नोट खरीद और बेच सकते हैं।
2. **वायर ट्रांसफर:** जिसके द्वारा ग्राहक विदेशों में अंतरराष्ट्रीय बैंकों को कोष भेज सकते हैं।
3. **विप्रेषण:** जिसके द्वारा ग्राहक जो प्रवासी श्रमिक हैं, अपने देश में पैसा भेज सकते हैं।

19.5 निवेश सेवाएं (Investment Services)

1. **सामूहिक निवेश कोष:** एक ऐसा कोष जो एक निवेश पूल के रूप में कार्य करता है ताकि निवेशक इस प्रकार के कोष में पैसा लगा सकें जो इसे उनके सामान्य उल्लिखित निवेश लक्ष्य के आधार पर विभिन्न प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश करेगा।
2. **निवेश सलाहकार कार्यालय:** पंजीकृत निवेश सलाहकारों द्वारा संचालित कार्यालय जो ग्राहकों को वित्तीय नियोजन में सलाह देते हैं और उनके कोषों का निवेश करते हैं।
3. **हेज फंड प्रबंधन:** हेज फंड अक्सर अपने व्यापारी को निष्पादित करने के लिए प्रमुख निवेश बैंकों में प्राइम ब्रोकरेज डिवीजनों की सेवाओं को नियोजित करते हैं।
4. **निजी इक्विटी:** निजी इक्विटी कोष आमतौर पर क्लोज एंड फंड होते हैं जो आमतौर पर उन व्यवसायों में इक्विटी हिस्सेदारी को नियंत्रित करते हैं जो निजी होते हैं। निजी इक्विटी फंड अक्सर उन फर्मों का अधिग्रहण करने के लिए लीवरेज्ड बायआउट्स (LBO) का उपयोग करते हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। सबसे सफल निजी इक्विटी कोष इक्विटी बाजारों द्वारा प्रदान किए गए प्रत्याय की तुलना में काफी अधिक प्रत्याय उत्पन्न कर सकते हैं।
5. **उद्यम पूंजी:** निजी इक्विटी पूंजी वह पूंजी है जो आमतौर पर पेशेवर बाहरी निवेशकों द्वारा नई उच्च विकास संभावित कंपनियों को कंपनी को आईपीओ या व्यवसाय की व्यापार बिक्री में ले जाने के हित में प्रदान की जाती है।
6. **पारिवारिक कार्यालय:** इस प्रकार की निवेश और धन प्रबंधन फर्म जो निजी बैंकिंग के समान एक धनी परिवार या धनी व्यक्तियों के छोटे समूह को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी वित्तीय योजनाओं को बनाती एवं देखरेख करती है।
7. **सलाहकार सेवाएं:** ये फर्में या एक बड़ी इकाई के भीतर वित्तीय सलाहकारों के साथ ग्राहकों को वित्तीय सलाह की सेवा प्रदान करती हैं जो एक दलाल के साथ, साथ एक वित्तीय सलाहकार दोनों के रूप में काम करते हैं।

8. **सुरक्षा सेवाएं:** इन सेवाओं में विश्व के प्रतिभूतियों के व्यापार की सुरक्षा और प्रसंस्करण और संबंधित पोर्टफोलियो की सेवाएँ सम्मिलित है।

19.6 बीमा और संबंधित सेवाएं (Insurance and Related Services)

1. **प्रत्यक्ष बीमाकर्ता:** उन लोगों से पूल भुगतान (प्रीमियम) करते हैं जो जोखिम को कवर करना चाहते हैं और उन लोगों को भुगतान करते हैं जो एक कवर व्यक्तिगत या व्यवसाय से संबंधित घटना का सामना करते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल दुर्घटना या जहाज का डूबना।
2. **बीमा बिचौलिये:** जैसे कि एजेंसियां और दलाल जोखिम को कवर करने के लिए भुगतान करने वालों से मेल खाते हैं जो इसे मूल्य के लिए मानने के इच्छुक हैं।
3. **बीमा दलाली:** बीमा दलाल ग्राहकों की ओर से बीमा (आमतौर पर कॉर्पोरेट संपत्ति और दुर्घटना बीमा) के लिए खरीदारी करते हैं। इस कार्य के लिये पूर्व में बीमा दलाल व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क करके बीमा करते थे किन्तु वर्तमान में कई वेबसाइटें उपभोक्ताओं को बीमा जैसी सेवाओं के लिए बुनियादी कीमतों की तुलना देने के लिए बनाई गई हैं।
4. **बीमा हामीदारी (Underwriting):** व्यक्तिगत बीमा हामीदार वास्तव में व्यक्तियों के लिए बीमा को हामीदार करते हैं। बीमा सेवा अभी भी मुख्य रूप से एजेंटों, बीमा दलालों और स्टॉक दलालों के माध्यम से दी जाती है। अंडरराइटर्स व्यवसायों के लिए समान व्यावसायिक अवसरों की पेशकश भी कर सकते हैं। इनकी गतिविधियों में बीमा और वार्षिकियां, जीवन बीमा, सेवानिवृत्ति बीमा, स्वास्थ्य बीमा और संपत्ति बीमा और आकस्मिक बीमा आदि शामिल हैं।
5. **वित्त और बीमा:** यह सेवा अभी भी मुख्य रूप से परिसंपत्ति डीलरशिप पर दी जाती है। इसके अन्तर्गत वित्त एवं बीमा प्रबन्धक डीलर द्वारा बेची गई संपत्ति के वित्तपोषण और बीमा को शामिल करता है।
6. **पुनर्बीमा:** जब बीमित राशि इतनी अधिक होती है कि उस स्तर की जोखिम वहन करना किसी एक बीमाकर्ता के लिये संभव नहीं होता है तो वह इसकी कुछ राशि का बीमा किसी अन्य कम्पनी से करा लेती है इसे पुनर्बीमा कहते हैं। पुनर्बीमा वह बीमा है जो स्वयं बीमाकर्ताओं को बेचा जाता है ताकि उन्हें विनाशकारी नुकसान से बचाया जा सके।

19.7 अन्य वित्तीय सेवाएं (Other Financial Services)

1. **एंजेल निवेश नेटवर्क:** एंजेल निवेशकों का एक समूह भविष्य की कंपनियों के लिए वित्तीय आधार बनने के लिए अपना नेटवर्क बना सकता है।
2. **क्रेडिट कार्ड नेटवर्किंग:** कंपनियां जो खुदरा विक्रेताओं और बैंक कार्ड जारी करने वाले बैंकों के बीच सेतु का काम करती हैं। प्रमुख क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हैं: मास्टरकार्ड, वीजा, रुपये, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर फाइनेंशियल।
3. **ऋण समाधान:** एक उपभोक्ता सेवा जो उन व्यक्तियों की सहायता करती है जिनके पास अनुरोध के अनुसार भुगतान करने के लिए बहुत अधिक ऋण है लेकिन वे दिवालियापन दर्ज नहीं करना चाहते हैं और अपने बकाया ऋण का भुगतान करना चाहते हैं। यह ऋण विभिन्न तरीकों से अर्जित किया जा सकता है जिसमें व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड, आदि।
4. **वित्तीय बाजार उपयोगिताओं:** संगठन, जो वित्तीय सेवाओं के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डेरिवेटिव और कमोडिटी एक्सचेंज और भुगतान प्रणाली जैसे रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम या इंटरबैंक नेटवर्क।

5. **भुगतान की वसूली:** व्यवसायों द्वारा विक्रेताओं को अनजाने में भुगतान किए गए धन की वसूली में सहायता, जैसे चालान के आकस्मिक डुप्लिकेट भुगतान या जमा राशि वापस करने में विफलता।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. वित्तीय सेवाओं से क्या आशय है? बैंकों द्वारा प्रदान करी जाने वाली वित्तीय सेवाओं को समझाइये।
2. वाणिज्यिक वित्तीय सेवायें क्या हैं? स्पष्ट कीजिये।
3. निवेश बैंकिंग सेवाओं को समझाइये।
4. विदेशी मुद्रा सेवाओं पर लेख लिखिए।
5. विभिन्न प्रकार की निवेश सेवाओं को समझाइये।

19.8 वित्तीय निर्यात (Financial Export)

वित्तीय निर्यात, एक विदेशी फर्म या व्यक्ति को एक घरेलू फर्म (स्वामित्व की परवाह किए बिना) द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवा है। जबकि बैंकिंग, बीमा और निवेश प्रबंधन जैसी वित्तीय सेवाओं को अक्सर घरेलू सेवाओं के रूप में देखा जाता है वित्तीय सेवाओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ही कुछ देशों, जैसे जापान, जो कभी आत्मनिर्भर थे, ने तेजी से वित्तीय सेवाओं का आयात किया है। हाल के वैश्विक संकट के बाद, वित्तीय सेवाओं के कड़े नियमन का आह्वान किया गया है।

19.9 इंटर व्यक्ति (Inter Person)

इसके केंद्र में वित्तीय क्षेत्र मध्यवर्ती है। यह बचतकर्ताओं से कर्ज लेने वालों के लिए पैसा भेजता है और यह उन लोगों से मेल खाता है जो जोखिम कम करना चाहते हैं जो उस जोखिम को लेने के इच्छुक हैं। उदाहरण के लिए सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने वाले लोगों को मध्यस्थता से लाभ हो सकता है। भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों को उनके पैसे पर जितना अधिक रिटर्न मिलता है उतना ही उन्हें अपने लक्ष्य सेवानिवृत्ति आय को प्राप्त करने और मुद्रास्फीति के लिए खाते में बचत करने की आवश्यकता होती है। उस रिटर्न को अर्जित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को उधार देने की आवश्यकता होती है जो पैसे के उपयोग के लिए ब्याज का भुगतान करेगा। उधार देना और भुगतान एकत्र करना जटिल और जोखिम भरा है और बचतकर्ताओं के पास अक्सर ऐसा करने के लिए विशेषज्ञता या समय नहीं होता है। एक बिचौलिए को ढूँढना एक बेहतर मार्ग हो सकता है।

कुछ बचतकर्ता अपनी बचत एक वाणिज्यिक बैंक में जमा करते हैं जो सबसे पुराने प्रकार के वित्तीय सेवा प्रदाताओं में से एक है। एक वाणिज्यिक बैंक विभिन्न स्रोतों से जमा लेता है और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करता है। बैंक व्यक्तियों या व्यवसायों को उधार देकर उस ब्याज का भुगतान करने के लिए पैसा कमाता है। ऋण घर खरीदने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को, निवेश करने वाले व्यवसाय को या पेट्रोल को पूरा करने के लिए नकदी की आवश्यकता के लिए या सरकार को हो सकता है।

बैंक अपने दैनिक कारोबार के हिस्से के रूप में कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। जमाकर्ताओं की सेवा वह देखभाल है जो बैंक ऋणों पर शुल्क लगाने के लिए उचित ब्याज दर का आकलन करने में करता है और यह आश्वासन देता है कि जमा को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। बंधक उधारकर्ता की सेवा एक घर खरीदने और समय के साथ इसके लिए भुगतान करने में करता है।

वही व्यवसायों और सरकारों के लिए जाता है जो किसी भी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक जा सकते हैं। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंक का भुगतान ऋण के लिए ब्याज दरों और जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली राशि के बीच का अंतर है।

लोग अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए बचत कर सकते हैं जैसे वे सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। लेकिन बीमारी और ऑटो दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं की तुलना में सेवानिवृत्ति की अधिक संभावना है। जो लोग इस तरह के जोखिमों को कवर करना चाहते हैं वे आम तौर पर एक ऐसी बीमा पॉलिसी खरीदना बेहतर समझते हैं जो कवर की गई घटना की स्थिति में भुगतान करती है। बीमा मध्यस्थ पॉलिसी खरीदारों के भुगतान (प्रीमियम कहा जाता है) को पूल करता है और उन लोगों को भुगतान करने का जोखिम मानता है जो बीमार हो जाते हैं या दुर्घटना हो जाती है, साथ ही कंपनी भी यह पैसा निवेश करके कमा सकती है।

वित्तीय सेवाओं के प्रदाताएँ फिर, बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं को नकद में मदद करते हैं और जोखिम को पुनर्वितरित करते हैं। वे बचतकर्ताओं के पैसे को एकत्र करके, निवेश की निगरानी करके और व्यक्तिगत सदस्यों के लिए इसे प्रबंधनीय रखने के लिए जोखिम को पूल करके निवेशक के लिए मूल्य जोड़ सकते हैं। कई मामलों में मध्यस्थता में जोखिम और पैसा दोनों शामिल होते हैं। बैंक आखिरकार, जोखिम उठाते हैं कि उधारकर्ता चुका नहीं पाएंगे, जमाकर्ताओं को उस जोखिम को छोड़ने की इजाजत देता है। बहुत सारे कर्जदार होने से, अगर एक या दो भुगतान नहीं करते हैं तो वे अपंग नहीं होते हैं। और बीमा कंपनियाँ नकद जमा करती हैं जिसका उपयोग तब पॉलिसी धारकों को भुगतान करने के लिए किया जाता है जिनके जोखिम का एहसास होता है। लोग कई वित्तीय सेवाओं को स्वयं संभाल सकते हैं लेकिन इसे करने के लिए किसी और को भुगतान करना अधिक लागत प्रभावी हो सकता है।

19.10 सेवाओं की लागत (Cost of Services)

लोग वित्तीय सेवाओं के लिए भुगतान कैसे करते हैं यह व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है और लागत हमेशा पारदर्शी नहीं होती है। अपेक्षाकृत सरल लेनदेन के लिए मुआवजा फ्लैट दर के आधार पर हो सकता है। जैसे, आवेदन दाखिल करने के बदले में; ₹.100 शुल्क भी तय किया जा सकता है, ऋण भुगतान की प्रक्रिया के लिए; ₹. 20 प्रति घंटा, कमीशन के आधार पर; बेचे गए बंधक के मूल्य का 1% या मुनाफे के आधार पर; ऋण और जमा दरों के बीच का अंतर। प्रत्येक प्रकार के मुआवजे के लिए प्रोत्साहन अलग-अलग होते हैं।

19.11 विनियमन (Regulation)

एक अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए वित्तीय सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना, पैसे बचाने वाले व्यक्तियों को उधार लेने की आवश्यकता वाले लोगों को खोजने में परेशानी हो सकती है और इसके विपरीत वित्तीय सेवाओं के बिना, लोग जोखिम को कवर करने के लिए बचत करने के लिए इतने इच्छुक होंगे कि वे बहुत अधिक सामान और सेवाएं नहीं खरीदेंगे।

इसके अलावा, अपेक्षाकृत सरल वित्तीय सामान भी जटिल हो सकते हैं और सेवा की खरीद और प्रदाता को सेवा देने की तारीखों के बीच अक्सर लंबा अंतराल होता है। सेवाओं का बाजार काफी हद तक भरोसे पर निर्भर करता है। ग्राहकों (बचतकर्ता और उधारकर्ता दोनों) को उन्हें प्राप्त होने वाली सलाह और जानकारी पर भरोसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा के खरीदार, मृत्यु के समय बीमा कंपनी की आस-पास होने पर भरोसा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि नामित लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन होगा और बीमा कंपनी उत्तराधिकारियों को धोखा नहीं देगी।

अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सेवाओं का महत्व और प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता उन कारणों में से हैं जो सरकारें कई वित्तीय सेवाओं के प्रावधान की देखरेख करती हैं। इस निरीक्षण में लाइसेंसिंग, विनियमन और पर्यवेक्षण शामिल है जो देश के अनुसार भिन्न होता है। संयुक्त राज्य में कई एजेंसियाँ हैं जो कुछ राज्य, कुछ संघीय व बाजार के विभिन्न हिस्सों की निगरानी और विनियमन करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय सेवा प्राधिकरण बैंकों से लेकर बीमा कंपनियों तक पूरे वित्तीय क्षेत्र की देखरेख करता है।

वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक नियम लागू करते हैं और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देते हैं। पर्यवेक्षण में नियमित रिपोर्टिंग और खातों और प्रदाताओं की जांच, निरीक्षण और शिकायतों की जांच शामिल हो सकती है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लागू करना भी शामिल हो सकता है जैसे क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों की सीमा और खाता ओवरड्राफ्ट शुल्क की जाँच करना। हालांकि वित्तीय क्षेत्र में हालिया अचानक वृद्धि, विशेष रूप से नए वित्तीय साधनों के परिणामस्वरूप, जोखिम पर लगाम लगाने के लिए नियामकों और पर्यवेक्षकों की क्षमता पर कर लगा सकता है। विनियम और प्रवर्तन प्रयास हमेशा विफलताओं को नहीं रोक सकते, विनियम नई गतिविधियों को कवर नहीं कर सकते हैं और गलत कार्य कभी-कभी प्रवर्तन से बच जाते हैं। इन विफलताओं के कारण, पर्यवेक्षकों के पास अक्सर आवश्यक होने पर एक वित्तीय संस्थान को संभालने का अधिकार होता है।

हाल के संकट में बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों की भूमिका नए वित्तीय साधनों का एक उदाहरण है जिसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। इस मामले में स्थिर आय की तलाश करने वाली वित्तीय फर्मों ने मूल बैंकों से बंधक खरीदे और फिर विभिन्न बांडों को भुगतान आवंटित किया, जो बंधक के अंतर्निहित प्रदर्शन के अनुसार भुगतान किया गया था। बैंकों को अतिरिक्त ऋण देने के लिए अधिक नकदी के बदले में गिरवी बेचने से लाभ हुआ, लेकिन क्योंकि ऋण निर्माताओं ने ऋण नहीं रखा, इसलिए उधारकर्ताओं की साख की जांच करने के लिए उनका प्रोत्साहन समाप्त हो गया। बंधक वित्तीय फर्मों की तुलना में जोखिम भरा था जिन्होंने उन्हें प्रत्याशित रूप से खरीदा था, और बांडों ने अपेक्षा के अनुरूप भुगतान नहीं किया था। अपनी कम आय के कारण उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट होने की अधिक संभावना थी, जिससे बॉन्डधारकों की राशि कम हो गई। दोनों ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को नुकसान पहुंचाया। बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों को शुरू में जोखिम को कम करने में मदद करने का इरादा था (और सही परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता था), लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाना समाप्त कर दिया।

19.12 उत्पादक उपयोग (Product Use)

वित्तीय सेवाएं धन को उत्पादक उपयोग में लाने में मदद करती हैं। उपभोक्ता अपनी बचत बिचौलियों को दे सकते हैं जो उन्हें अगली महान तकनीक में निवेश कर सकते हैं या किसी को घर खरीदने की अनुमति दे सकते हैं। इन प्रवाहों के बीच में आने वाले तंत्र जटिल हो सकते हैं और अधिकांश देश उधारकर्ताओं और उधारदाताओं की सुरक्षा के लिए विनियमन पर भरोसा करते हैं और सभी वित्तीय सेवाओं को कम करने वाले विश्वास को बनाए रखने में मदद करते हैं।

वित्तीय सेवा क्षेत्र हमारे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के एक महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े पैमाने पर बिजली की कटौतीएँ हाल की प्राकृतिक आपदाएँ और संख्या में वृद्धि और साइबर हमलों की परिष्कृतता इस क्षेत्र के सामने आने वाले संभावित जोखिमों की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करती है।

वित्तीय सेवा क्षेत्र में हजारों डिपॉजिटरी संस्थान, निवेश उत्पादों के प्रदाता, बीमा कंपनियाँ, अन्य क्रेडिट और वित्तपोषण संगठन, और महत्वपूर्ण वित्तीय उपयोगिताओं और सेवाओं के प्रदाता शामिल हैं जो इन कार्यों का समर्थन करते हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी वैश्विक कंपनियों से लेकर हजारों कर्मचारियों और कई अरबों डॉलर की संपत्ति तक, सामुदायिक बैंकों और क्रेडिट यूनियनों में व्यक्तिगत समुदायों की सेवा करने वाले कर्मचारियों की एक छोटी संख्या के साथ वित्तीय संस्थान आकार और उपस्थिति में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। ये उत्पाद ग्राहकों को इसकी अनुमति देते हैं:

1. फंड जमा करें और अन्य पार्टियों को भुगतान करें
2. ग्राहकों को ऋण और तरलता प्रदान करें

3. लंबी और छोटी दोनों अवधि के लिए फंड निवेश करें
4. ग्राहकों के बीच वित्तीय जोखिमों का हस्तांतरण

19.13 वित्तीय सेवा क्षेत्र (Financial Service Sector)

विशिष्ट योजना यह जानकारी देती है कि राष्ट्रीय अवसंरचना संरक्षण योजना जोखिम प्रबंधन ढांचे को, क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं और जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में कैसे लागू किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन एजेंसी अपने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारों को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रयास के माध्यम से एक क्षेत्र-विशिष्ट योजना विकसित करती है। ट्रेजरी विभाग को वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए सेक्टर जोखिम प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रपति नीति निर्देश 21 ने 2013 में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र का नाम बदलकर वित्तीय सेवा क्षेत्र कर दिया।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. वित्तीय निर्यात का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए।
2. इंटर व्यक्ति पर लेख लिखिए।
3. सेवाओं की लागत को समझाइये।
4. विनियमन पर लेख लिखिए।
5. उत्पादक उपयोग को समझाइये।

19.14 सारांश (Conclusion)

प्रस्तुत इकाई वित्तीय सेवायें, के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हैं कि वित्तीय सेवाओं का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। आज के दौर में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान परिदृश्य में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां इन पर निर्भर हैं। प्रस्तुत इकाई में विद्यार्थियों को वित्तीय सेवाओं के उद्देश्य, वित्तीय सेवा प्रदाताओं की जानकारी एवं उनके द्वारा किस प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करी जाती हैं इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करी गई है।

19.15 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. इस अध्याय के द्वारा वित्तीय सेवाओं के इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी।
2. विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं यथा बैंकों द्वारा वित्तीय सेवायें, वाणिज्यिक बैंकिंग सेवायें आदि का ज्ञान प्राप्त होगा।
3. इस अध्याय द्वारा विदेशी मुद्रा सेवायें, निवेश सम्बन्धी सेवायें बीमा एवं वित्तीय सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।
4. विद्यार्थियों को वित्तीय निर्यात, वित्तीय सेवाओं की लागत, विनियमन आदि की जानकारी प्राप्त होगी।

19.16 शब्दावली (Glossary)

- **वित्तीय सेवाएं:** वित्त उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सेवाएं वित्तीय सेवाएं होती हैं।
- **वाणिज्यिक बैंक:** वाणिज्यिक बैंक एक प्रकार की वित्तीय सेवा इकाई जो किसी व्यवसाय को सीधे धन उधार देने के बजाय, व्यवसायों को बॉण्ड (ऋण) या शेयर पूंजी के रूप में अन्य फर्मों से धन जुटाने में मदद करती है।

- **सामूहिक निवेश कोष:** एक ऐसा कोष जो एक निवेश पूल के रूप में कार्य करता है ताकि निवेशक इस प्रकार के कोष में पैसा लगा सकें जो इसे उनके सामान्य, उल्लिखित निवेश लक्ष्य के आधार पर विभिन्न प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश करेगा।
- **पुनर्बीमा:** जब बीमित राशि इतनी अधिक होती है कि उस स्तर की जोखिम वहन करना किसी एक बीमाकर्ता के लिये संभव नहीं होता है तो वह इसकी कुछ राशि का बीमा किसी अन्य कम्पनी से करा लेती है इसे पुनर्बीमा कहते हैं।

19.17 स्वपरख प्रश्न (Self Tested Questions)

1. वित्तीय सेवाओं का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सेवाओं को समझाइये।
2. वित्तीय सेवाओं का अर्थ क्या है? वित्तीय सेवाओं में बीमा की सेवाओं को समझाइये।
3. वित्तीय सेवाओं में विनियमन एवं उत्पादक उपयोग को समझाइये।

19.18 सन्दर्भ व ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)

- Bhoj, Jyoti & Others. 'SEBI: Achievements, Problems and Emerging Challenges', Indian Journal of Applied Research. Vol.6|issue:4|April 2016. pp 118-120.
- 'Economic Legislation - I', The Icfai University Press, Hyderabad, 2006. pp. 402-408.
- Francis Cherunilam, 'Business Environment: Text & Cases', Himalaya Publishing House, Mumbai, 2008. pp. 433-440.

19.19 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- जांक्विल लोवे, लियन लू, पैट्रिक रिंग, अमनदीप सहोता: "ए प्रैक्टिकल गाइड टू फाइनेंसियल सर्विसेज रू नॉलेज ए ओपोर्चुनिटीज एंड इन्क्लूजन"- दिसम्बर 2021 . रूटलेज पब्लिकेशन
- पीटर रोज एंड सिल्विया कन्वे हुड्गिंस : "बैंक मैनेजमेंट एंड फाइनेंसियल सर्विसेज"
- "फाइनेंसियल सर्विसेज इन इंडिया- कांसेप्ट एंड एप्लीकेशन" - सेज पब्लिकेशन

19.20 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- <https://www.mbaknol.com/business-finance/definition-of-financial-services/>
- <https://vskub.ac.in/wp-content/uploads/2020/04/FINANCIAL-SERVICES-6th-Sem.pdf>
- <https://www.ibef.org/industry/financial-services-india>
- <https://www.pwc.in/industries/financial-services.html>

इकाई- 20

स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 20.0 उद्देश्य (Objective)
- 20.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 20.2 स्टॉक एक्सचेंज की परिभाषाएँ (Definitions of stock exchange)
- 20.3 स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ (Characteristics of stock exchange)
- 20.4 स्टॉक एक्सचेंज केन्द्रों के लाभ (Advantage of Stock Exchange)
- 20.5 स्टॉक एक्सचेंज की हानियाँ (Disadvantage of Stock Exchange)
- 20.6 स्टॉक एक्सचेंज के कार्य (Function of Stock Exchange)
- 20.7 स्टॉक एक्सचेंज की नियामक व्यवस्था (Regulatory Frame Work of Stock Exchange)
- 20.8 सार्वजनिक निर्गमन मूल्य निर्धारण (Public Issue)
- 20.9 सार्वजनिक निर्गमन का विपणन (Marketing of Public Issue)
- 20.10 सहायक बाजार में सुधार (Reform in Secondary Market)
- 20.11 सारांश (Summary)
- 20.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 20.13 शब्दावली (Glossary)
- 20.14 स्वपरख प्रश्न (Self Examination Questions)
- 20.15 संदर्भ ग्रंथ (Reference)
- 20.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)
- 20.17 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

20.0 उद्देश्य (Objective)

अंशों, ऋणपत्रों या बोनडों के प्रथम निर्गमन पश्चात मौजूद प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सहायक बाजार या गौण बाजार में किया जाता है। इस बाजार को स्टॉक मार्केट कहा जाता है एवं जिन विनियम केन्द्रों के माध्यम से अंश ऋणपत्र इत्यादि प्रतिभूतियाँ क्रय विक्रय की जाती है वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। सहायक बाजारों में भाग लेने वाली कई मध्यस्थ हो सकते हैं जैसे LIC, UTI, General Insurance पारस्परिक कोष, दलाल, अभिगोपक, उपदलाल, मर्चेन्ट बैंकट, स्कन्ध विनियम केन्द्र इत्यादि।

स्टॉक एक्सचेंज को देश की अर्थव्यवस्था का मापक समझा जाता है। ये देश की पूंजी को उद्योगों की ओर आकर्षित करती है। यह जनता की बचतों का आर्थिक प्रगति और उत्पादन कुशलता का मापन एवं साधन है। विनिमय को आर्थिक परिवर्तनों का स्कंध सूचकांक माना जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देश की आर्थिक प्रगति किस दिशा में हो रही है।

स्टॉक एक्सचेंज किसी भी देश की स्कन्ध विपणि उसके पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण अंग होती है। यह एक ऐसी सुसंगठित एवं स्थायी विपणि होती है जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है। निवेशकों को अपनी बचतों को अधिक प्रतिफल देने वाली प्रतिभूतियों में बदलने का अवसर प्रदान करती है तथा साथ ही पूंजी निर्माण करने, पूंजी को तरलता देने एवं उसमें गतिशीलता लाने का कार्य करती है। स्कन्ध विपणि से देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

20.1 प्रस्तावना (Introduction)

स्टॉक एक्सचेंज का आशय ऐसे संगठित एवं स्थायी बाजार से होता है जहाँ संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों, जनोपयोगी संस्थाओं, सरकारी, अर्ध सरकारी निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है।

स्कन्ध विनिमय केंद्र एक बाजार या सेवा का संगठन करता है जो जनता, क्रेता-विक्रेता के हितों के लिए कार्य करें तथा प्रतिभूतियों का विपणन निरंतर होता रहे। सी.डी. देशमुख के अनुसार “स्कन्ध विनिमय केंद्र एक प्रतिभूति बाजार है जो प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय करने, मांग पूर्ति के आधार पर उनका वास्तविक मूल्यांकन करने, प्रतिभूतियों के व्यवहारों में सुरक्षा प्रदान करने तथा मूल्यों में गतिशीलता लाने में सहायता करता है। यह बचतों को विनियोजित करता है।”

इस पाठ में स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी दी गई है।

20.2 स्टॉक एक्सचेंज की परिभाषाएँ (Definitions of Stock Exchange)

स्टॉक एक्सचेंज की कुछ परिभाषाएँ निम्न हैं -

1. “एक ऐसा संगठित एवं स्थायी बाजार है जहाँ संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी जनोपयोगी संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है।” स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है।
2. “स्टॉक एक्सचेंज वह बाजार है जहाँ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग या सट्टे के उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है” - पायले
3. “स्कन्ध विपणि का आशय व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है, जो समामेलित हो या असमामेलित किन्तु जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता करने तथा इसका नियमन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई है।” - प्रतिभूति अनुबन्ध अधिनियम (नियमन)
4. “स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध या असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का संगठित नीलामी बाजार है, जहाँ क्रेता एवं विक्रेता अपने-अपने दलालों के माध्यम से प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए परस्पर सम्पर्क करते हैं।” - गस्टन बर्ग उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज वह संगठित बाजार है जहाँ पर प्रतिभूतियों का नियमानुसार क्रय विक्रय किया जाता है।

20.3 स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ (Characteristics of Stock Exchange)

1. स्टॉक एक्सचेंज में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है।

2. स्कन्ध विनिमय केन्द्र में व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है। फर्म या कम्पनी को सदस्य नहीं बनाया जाता।
3. स्कन्ध विनिमय केन्द्र संगठित बाजार है, जहाँ से उद्योगों, निगमों आदि को पूंजी प्राप्त होती है।
4. स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्कन्ध विनिमय केन्द्रों में सूचीयन होने के बाद ही किया जाता है।
5. स्टॉक एक्सचेंज में समस्त कार्य नियमों, उपनियमों के अन्तर्गत किये जाते हैं जो कि इसके संविधान में निहित हैं।
6. स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सौदे या व्यवहार नकद या वायदे के आधार पर किये जाते हैं।
7. स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पंजीकृत दलालों, उपदलालों के द्वारा ही किया जाता है।
8. स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय राष्ट्रीय स्तर पर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

20.4 स्टॉक एक्सचेंज केन्द्रों के लाभ (Advantages of Stock Exchange Centres)

जनता की बचतों को एकत्र करना, उनका पूंजी निर्माण में प्रयोग करना, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, औद्योगिक विकास की दिशा तय करना इत्यादि स्टॉक एक्सचेंज के लाभ हैं एवं स्टॉक एक्सचेंज आर्थिक समृद्धि का मापन यंत्र होता है। स्टॉक एक्सचेंज में स्कन्ध विपणि से होने वाले लाभों को तीन भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. निवेश कर्ताओं को लाभ
2. संस्थाओं एवं कम्पनियों को लाभ
3. राष्ट्र को लाभ
1. निवेश कर्ताओं को लाभ

1. **निवेश की सुरक्षा (Safety to Investment)-** स्टॉक एक्सचेंज निवेश –कर्ताओं को सुरक्षित प्रतिभूतियों में विनिमय की प्रेरणा दे कर उनके हितों की रक्षा करता है। स्कन्ध विपणि में सूचिबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय से धोखाधड़ी व जोखिम की संभावना कम रहती है। स्टॉक एक्सचेंज में क्रय-विक्रय नियमों के अंतर्गत सारे व्यवहार होते हैं, अतः छल कपट भी नहीं होता है। इसी तरह स्कन्ध विपणि में प्रतिभूतियों के मूल्य एवं आवश्यक सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं जिससे निवेशकर्ताओं को उचित जानकारी मिलती रहती है एवं उचित लाभ मिलता रहता है।
2. **निवेशों के लिए स्थान उपलब्ध कराना (Provide Place for Investment)** स्टॉक एक्सचेंज विनियोगकर्ताओं की समस्या को दूर करता है कि उन्हें कहाँ पर विनियोग करना चाहिए। क्रय-विक्रय करने वाले दलाल, उप दलाल, जाबर लिपिक, अन्य सदस्य निवेशकर्ताओं को सही सलाह एवं मार्ग दर्शन देते हैं एवं निवेशकर्ताओं को एक ही स्थान पर इनकी सेवाओं का लाभ मिल जाता है।
3. **नियमित बाजार उपलब्ध कराना (Provide Regular Market)-** स्टॉक एक्सचेंज विनियोगकर्ताओं को विनियोग करने के लिए सहायक बाजार उपलब्ध कराते हैं। इन बाजारों में प्रतिभूतियों का चुनाव करके निवेशक अपनी बचतों का निवेश कर सकता है। विनियोक्ता नये निर्गमनों एवं पश्चात्कर्तों निर्गमनों में विनियोग कर सकता है। निवेशकर्ताओं के लिए निवेश के सभी विकल्प खुले रहते हैं।
4. **निवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू करना (Implement of Investments Guidelines)-** स्टॉक एक्सचेंज विनियोग सुरक्षा एवं नियोक्ता संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है। स्कन्ध विपणियों में प्रतिभूतियों

से संबंधित बाजार मूल्य प्रतिवेदन विशिष्टों की राय, जोखिम की मात्रा, सूचीयन प्रतिभूतियाँ, मूल्यों में उच्चावचन आदि सामग्री का प्रकाशन किया जाता है।

5. **निवेशों में तरलता (Liquidity Investment)**- स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी समय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके विनियोगों को नकद धन राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि स्कन्ध विपणि में सूचीयन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में कठिनाई नहीं आती है एवं मूल्य की जानकारी आसान होती है। इसमें स्कन्ध विपणी विनियोगों में तरलता प्रदान करती है।

6. **प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण (Transferability of Securities)** स्कन्ध विपणियों में प्रतिभूतियों में हस्तान्तरणीय होती है। निवेशकर्ता आवश्यकतानुसार इन प्रतिभूतियों को क्रय-विक्रय करके दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित कर सकता है या फिर बैंक में जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकता है।

2. संस्थाओं एवं कम्पनियों को लाभ (Advantages to Companies and Organisations)

1. **प्रतिभूतियों का सूचीयन (Listing of Securities)** : स्टॉक एक्सचेंज में कम्पनियों व संस्थाओं की प्रतिभूतियों का सूचीयन किया जाता है। सूचीयन कराने से कम्पनी की ख्याति बढ़ जाती है। प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है और विनियोक्ता का कम्पनी के प्रति विश्वास बढ़ता है एवं प्रतिभूतियों के मूल्य में उच्चावचन नहीं होता।

2. **सहायक बाजार उपलब्ध कराना (Provide Secondary Market)** : स्टॉक संस्थाओं को सहायक बाजार की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। सहायक बाजार से ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी कम्पनियाँ प्राप्त कर सकती है एवं पुरानी प्रतिभूतियों को बेच कर अच्छी लाभप्रद प्रतिभूतियाँ भी क्रय की जा सकती हैं।

3. **प्रतिभूतियों के मूल्य में उच्चावचन नहीं होना (No Fluctuation of Securities Prices)**: कम्पनी को प्रमुख लाभ यह मिलता है कि प्रतिभूतियों के मूल्य में अत्यधिक उच्चावचन नहीं होता। कम्पनियों की प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थिरता रहती है जिससे कि विनियोक्ता अधिक विनियोग करते हैं।

3. राष्ट्र को लाभ (Advance of Nation)

1. **संतुलित विकास (Balanced Growth)** - स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्र को संतुलित विकास में सहयोग प्रदान करता है। ये निवेशकर्ताओं को लाभकारी उद्योगों की प्रतिभूतियों में विनियोजन का अवसर देते हैं एवं अलाभकारी तथा आवश्यकता विहिन उद्योगों की पूंजी को निकाल कर उनका उचित विनियोग करवाते हैं।

2. **सतत् पूंजी निर्माण (Continuous Capital Formation)** - स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पूंजी निर्माण प्रक्रिया सतत् रूप से चालू रहती है। स्कन्ध विनिमय केन्द्र छोटी छोटी बचतों को एकत्र करवाकर प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं। यह पूंजी निर्माण में सहायक होता है एवं इस पर लाभांश भी मिलता है।

3. **विदेशी पूंजी का आकर्षण (Attraction of Foreign Capital)** : अनिवासीय व्यक्ति भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से विनियोग कर सकते हैं। विदेशी पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में सारी सूचनाएँ उपलब्ध कराकर आकर्षित किया जा सकता है।

4. **सरकार को वित्त प्राप्ति में सुविधा (Facilities for Raising of Capital to the Government)**: सरकार अपनी योजनाओं के लिए स्कन्ध विनिमय केन्द्रों से आवश्यक वित्त प्राप्त कर सकती है। सरकार वित्तीय प्रतिभूतियाँ यथा ऋणपत्र, बॉण्ड्स इत्यादि का निर्गमन कर वित्त प्राप्ति कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज सरकार को सहायता पहुंचाते हैं।

5. **आयात निर्यात के भुगतान की सुविधा उपलब्ध होना (Provide facilitation for Import & Export Payment)** - स्कन्ध विनिमय केन्द्रों से आयात निर्यात संबंधी भुगतान समस्या हल हो जाती है।
6. **औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त उपलब्ध कराना (Provide Finance for Industrial Sectors)-** औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। औद्योगिक क्षेत्रों को वित्त आवश्यकता की पूर्ति सरलतापूर्वक सभी समय हेतु हो जाती है। वित्त उपलब्धि के कारण दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन औद्योगिक परियोजनाएँ समय पर पूरी हो जाती है। इससे राष्ट्र का औद्योगिक ढांचा मजबूत होता है।

20.5 स्टॉक एक्सचेंज की हानियाँ (Disadvantage of Stock Exchange)

1. **सट्टेबाजी को प्रोत्साहन (Encourage Speculation)** - स्कन्ध विपणि सट्टेबाजी को प्रोत्साहन देती है। अग्रिम सोदों, उधार सोदों, को हस्तान्तरण के कारण एवं राशि जमानत के रूप में जमा न करवाने के कारण स्कन्ध विपणी में सट्टेबाजी बढ़ जाती है।
2. **प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव-(Fluctuations in the Price of Securities)** : प्रतिभूतियों के मूल्य में घटक बढ़त के कारण अस्थिरता रहती है एवं विनियोग कम होता है।
3. **अकुशल एवं अनुभव हीन कर्मचारी (Unskilled and Non Experienced Employees)-** जो कर्मचारी इस कार्य से जुड़े होते हैं उन्हें सामान्यतया अनुभव नहीं होता है एवं अकुशल होते हैं। उन्हें नियमों की जानकारी भी पूरी नहीं होती है अतः भ्रामात्मक जानकारी दे सकते हैं। नियमानुसार केवल दलाल या अधिकृत व्यक्ति ही स्कन्ध विपणि पर सौदे कर सकते हैं लेकिन अनुभवहीन लिपिक द्वारा सौदे करवाने से निवेशकों को हानि उठानी पड़ सकती है।
4. **उदार दृष्टिकोण (Liberal Attitude)-** नियम उपनियम की कठोरता परन्तु पालना में उदारता अनुचित सौदों को प्रोत्साहित करता है।
5. **विकास में रूकावट (Hurdles in Development)-** स्टॉक एक्सचेंज में कपटपूर्ण व्यवहार सट्टेबाजी के सौदे, बिना प्रविष्टि के सौदों आदि के कारण स्कन्ध विपणी को सन्देह की नजर से देखा जाता है जिससे कि निवेशक निवेश हेतु तैयार नहीं होता है। इस तरह स्कन्ध विपणी से पर्याप्त वित्त पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है।
6. **कम्पनी की साख क्षमता प्रभावित होना (Effective Companies Credit Efficiencies)** – स्कन्ध विपणि में कम्पनियों की प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है। यदि कोई कम्पनी नई पूँजी प्राप्त करना चाहती है एवं बाज़ार मूल्य ऊँचा हो तो कोई कठिनाई नहीं आयेगी लेकिन बाज़ार मूल्य कम हो तो पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई आती है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. स्टॉक एक्सचेंज के उद्देश्य समझाइये।
2. स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. स्टॉक एक्सचेंज की हानियों को संक्षेप में समझाइये।
4. सूचीयन के निस्तारण को समझाइये।
5. विनियोग की तरलता को समझाइये।

20.6 स्टॉक एक्सचेंज के कार्य (Functions of Stock Exchange)

स्टॉक एक्सचेंज को देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक बेरोमीटर माना जाता है और इससे देश की आर्थिक प्रगति की जानकारी मिलती है एवं राष्ट्र के सभी उद्योगों को पूँजी उपलब्ध होती है।

“इसके बिना जन साधारण की बचतों का आर्थिक प्रगति और उत्पादन कुशलता का मापन एवं साधन है, आज की अपेक्षा से कहीं अधिक क्षतिजनक रूप से प्रयोग किया गया होगा।” – डब्ल्यू.टी.किंग

स्टॉक एक्सचेंज के निम्नलिखित कार्य हैं -

- I. **निवेशकों के लिए (For Investors) :-** स्टॉक एक्सचेंज विनियोजकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो निम्नानुसार हैं -
 1. **प्रतिभूतियों में तरलता प्रदान करना (Provide Liquidity in Securities) :** स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूति क्रेताविक्रेता के लिए एक सुसंगठित बाजार उपलब्ध कराता है। निर्धारक अपनी इच्छानुसार उचित मूल्य पर प्रतिभूतियाँ बेच कर नकदी में जिसमें प्रतिभूति परिवर्तित करा लेता है एवं नई प्रतिभूतियाँ क्रय कर सकता है।
 2. **प्रतिभूतियों का चुनाव करना (Selection of Securities) :** स्टॉक एक्सचेंज विनियोजकों को मार्गदर्शन देता है कि उन्हें अपना धन किस प्रकार की प्रतिभूति में विनियोजित करना चाहिए।
 3. **प्रतिभूतियों के सूचीयन की जानकारी देना (Provide Information of Listing Securities):** स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियाँ सूचीयत हैं या असूचीयत इसकी जानकारी विनियोजकों को प्रदान करता है। सूचीयत प्रतिभूतियाँ किसी स्कन्ध विनिमय केन्द्र में क्रय विक्रय के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं एवं इन्हें बैंक में जमानत के रूप में रख कर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। स्कन्ध विनिमय केन्द्र सूचीयत प्रतिभूतियों की मूल्य सूची का प्रकाशन कर के विनियोजकों को वास्तविक मूल्यों की जानकारी देता है।
 4. **जोखिम में कमी करना (Reduce in Risk):** स्टॉक एक्सचेंज विनियोजकों को प्रतिभूतियों की जोखिम की जानकारी प्रदान करते हैं विनियोजक अपना धन अधिक जोखिम वाली प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से बच जाता है और धोखाधड़ी का शिकार नहीं होता। जो प्रतिभूति स्कन्ध विनिमय केन्द्र में सूचीयत होती है उसमें जोखिम कम रहता है, क्योंकि इन्हें कम्पनी की सुदृढ़ता के आधार पर ही सूचीयत किया जाता है।
- II. **कम्पनी के लिए (For Companies):** स्टॉक एक्सचेंज के कारण ही निगम क्षेत्र विकसित हुआ है। संयुक्त स्कन्ध वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियों का निर्माण, विकास एवं विस्तार हुआ है। इन कम्पनियों के संबंध में निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं -
 1. **कम्पनियों की साख में वृद्धि करना (Increase in the Credit of the Companies):** स्कन्ध विनिमय केन्द्र कम्पनियों को सूचीयन की सुविधा प्रदान करता है जिससे कि उनकी प्रतिभूतियाँ अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं। इससे उनकी साख व प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और पूँजी बाजार से दीर्घकालीन ऋण लेने में सहायता मिलती है।
 2. **पूँजी की गतिशीलता में वृद्धि (Increase in the Mobility of Capital) :-** स्कन्ध विनिमय केन्द्र में केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिससे कम्पनियों को आवश्यक मात्रा में पूँजी प्राप्त हो जाती है और पूँजी की गतिशीलता बढ़ती जाती है।

3. **प्रतिभूतियों की हस्तान्तरणीयता में वृद्धि (Increase in Transferability of Securities):** स्कन्ध विनिमय प्रतिभूतियों को हस्तान्तरणीयता में वृद्धि कर कम्पनियों को दीर्घकालीन वित्त प्राप्ति में सहायता पहुंचाते हैं। प्रतिभूतियों की विपणनशीलता जितनी अधिक होगी, हस्तान्तरणीयता भी उतनी अधिक होगी।
 4. **प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण में सहायक (Helpful in Price Determination of Securities):** कम्पनियों की प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का निर्धारण कम्पनी की आर्थिक सुदृढ़ता, लाभांश की दर, आय अर्जन की शक्ति और कर चुकाने के बाद घोषित लाभ मात्रा पर निर्भर करता है। स्कंध विनिमय केन्द्र इन सब का अध्ययन करके प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करते हैं जिसका लाभ कम्पनियों को मिलता है।
 5. **सट्टे की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण (Control on Speculation Tendencies):** अच्छे स्कन्ध विनिमय केन्द्र प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उच्चावचन पर नियंत्रण रखते हैं। प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थायित्व रखते हैं जिससे कि सट्टे की प्रवृत्तियाँ स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। स्कन्ध विनिमय केन्द्र में नियमों व परम्पराओं को अपनाया जाता है जिससे कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संतुलन स्थापित होता है और सट्टे की प्रवृत्तियाँ नियंत्रित हो जाती हैं।
- III. समाज व देश के लिए कार्य (Function for Society and Nation) :** स्कन्ध विनिमय समाज व देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। समाज में बचतों को बढ़ावा देकर औद्योगिक विनियोगों की ओर आकर्षित करते हैं इससे देश में संस्थागत विनियोजकों के पास पर्याप्त पूंजी एकत्र हो जाती है जोकि पूंजी निर्माण में सहायक होती है और पूंजी निर्माण के कारण देश का विकास होता है। अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नये नये उद्योग धन्धे स्थापित होते हैं, अर्थव्यवस्था में निरन्तरता बनी रहती है।
- स्कन्ध विनिमय केन्द्र प्रतिभूतियों के सहायक गौण बाजारों के रूप में विकसित होते हैं। इसमें केन्द्र राज्य, स्थानीय सरकारों, निजी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों से पूंजी का प्रवाह उद्योगों की ओर तथा उद्योगों से जनता की ओर होता रहता है। इसी पूंजी प्रवाह के कारण पूंजी निर्माण में बढ़ावा मिलता है और देश का विकास होने लगता है।

20.7 स्टॉक एक्सचेंज की नियामक व्यवस्था (Regulatory Frame Work of Stock Exchange)

स्टॉक एक्सचेंज की नियामक व्यवस्था के निम्न चार विधान हैं —

1. कम्पनी अधिनियम
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड एक्ट (SEBI)
3. प्रतिभूति अनुबन्ध अधिनियम
4. डिपाजिटरी एक्ट

स्टॉक एक्सचेंज का त्रिस्तरीय ढाँचे (Three Tire Regulatory Structure) के अनुसार प्रबंध एवं नियमन होता है। ये त्रिस्तरीय ढाँचे में निम्न है -

- 1 **वित्त मंत्रालय (Financel Ministry)-** वित्त मंत्रालय में स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन के पास प्रतिभूति अनुबन्ध नियामक अधिनियम एवं डीलर लाइसेंस से संबंधित अधिकार हैं। सेबी अधिनियम 1992 के अनुसार वित्त मंत्रालय के पास अपीलीय एवं निरीक्षण के समस्त अधिकार होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने एवं उसके कार्यों को नियमित करने का अधिकार भी होता है। वित्त मंत्रालय को स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग

बोर्ड में जनता के प्रतिनिधि को नामांकित करने का तथा मुख्य कार्यकारी को नियुक्त करने का अधिकार भी प्राप्त है जोकि स्टॉक एक्सचेंज से अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम का उत्तरदायी होता है।

- 2 **भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड एक्ट, 1992 (Securities and Exchange Board of India Act, 1992 – SEBI)**- सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी किन्तु 4 अप्रैल, 1992 से सेबी को “वैधानिक अधिकार” एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई जिससे कि इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। सभी वित्तीय संस्थाओं, एजेंसियों, प्राथमिक एवं सहायक बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फण्ड प्रतिभूति बाजार के सभी मध्यस्थ इसके कार्यक्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये जिन्हें कि सेबी के सभी नियम, अधिनियम, उपनियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना पड़ेगा। सेबी को स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार को नियमित करने का अधिकार है तथा इसमें कार्य करने वाले दलाल, उपदलाल, मर्चेन्ट, बैंकर एवं अन्य सभी मध्यस्थों को रजिस्टर्ड करने तथा उनके कार्यों को नियंत्रित करने का भी अधिकार है। स्टॉक एक्सचेंज को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सेबी के यहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है। सेबी को प्रतिभूति बाजार के विकास एवं विस्तार के अधिकार भी प्राप्त हैं। यह निवेशकों को संरक्षण देने के लिए उचित कार्यवाही कर सकता है।
- 3 **प्रशासनिक मण्डल (Governing Board)** - स्टॉक एक्सचेंज के प्रशासकीय मण्डल में चुने हुए नामांकित एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के नियम, उपनियम, अधिनियम के जानकार होते हैं। इनको स्टॉक एक्सचेंज के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को संचालित करने का अधिकार होता है। ये कार्यकारी संचालक के रूप में कार्य करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के प्रशासकीय मण्डल में 13 सदस्य होते हैं। इनमें स्टॉक एक्सचेंज से चुने हुए 6 सदस्य होते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य, बोर्ड द्वारा नामांकित 3 जनता के प्रतिनिधि, सेबी द्वारा नामांकित अधिकतम 3 सदस्य, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी संचालक होता है।

प्रशासनिक मण्डल के सदस्यों का चुनाव दो वर्षों के लिए होता है। ये सदस्य अपने बीच में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो कि एक वर्ष के लिए होता है।

20.8 सार्वजनिक निर्गमन मूल्य निर्धारण (Pricing of Public Issue)

सार्वजनिक निर्गमन (Public Issue)

प्रतिभूतियों के निर्गमन की सफलता उसके मूल्य करती है। कुछ सार्वजनिक निर्गमन सफल रहते हैं, कुछ असफल सफल निर्गमन के लिए उचित मूल्य निर्धारण आवश्यक है। आगे इनका वर्णन किया जा रहा है -

सार्वजनिक निर्गमन का मूल्य निर्धारण (Pricing of Public Issue) : सार्वजनिक कम्पनी की प्रतिभूतियों विशेषकर अंशों के मूल्य निर्धारण के संबंध में कई तत्व प्रभाव डालते हैं जैसे कि समय तत्व, विपणन तत्व, सरकारी नीतियाँ, ब्याज दर एवं कम्पनी अधिनियम, के प्रावधान आदि। जब कोई कम्पनी अंशों का मूल्य निर्धारण करती है तो इन तत्वों पर विचार करती है। एक नई स्थापित कम्पनी के द्वारा अंशों का मूल्य निर्धारण अलग होता है तथा पूर्व स्थापित पुरानी कम्पनी के अंशों का मूल्य निर्धारण अलग होता है। आगे इन्हें समझाया गया है -

नये निर्गमन का मूल्य निर्धारण (Pricing of New Issue) : जब एक नवीन स्थापित कम्पनी पहली बार अपने अंशों का निर्गमन करती है तो सममूल्य कम पर निर्गमन नहीं कर सकती। भारत में सम मूल्य समता अंशों के लिए 10 रु. एवं पूर्वाधिकार अंशों के लिए 100 रु. निर्धारित किया गया है। अधिकांश भारतीय कम्पनी इन्हीं दो मूल्य वर्ग में अंशों का मूल्य निर्धारण करती है।

विद्यमान कम्पनियों के निर्गमन का मूल्य निर्धारण (Pricing of Existing Company Issue)- विद्यमान कम्पनियाँ जो पहले से ही स्थापित हैं, अपने पूर्व निर्गमित अंशों को कटौती पर निर्गमित कर सकती हैं, किन्तु इसके लिए कम्पनी अधिनियम की शर्तों का अनुपालन करना पड़ेगा। ये शर्तें निम्न हैं -

1. कम्पनी की साधारण सभा में अंशों को कटौती पर निर्गमन करने का प्रस्ताव पास करना चाहिए और इस पर कम्पनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति होनी चाहिए।
2. प्रस्ताव में कटौती की अधिकतम दर का उल्लेख होना चाहिए परन्तु यह दर 10 प्रतिशत या उस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके लिए कम्पनी लॉ बोर्ड कुछ विशेष शर्तों के साथ अनुमति दे दे।
3. कम्पनी का व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त करने की तारीख से 1 वर्ष बाद ही अंश कटौती पर निर्गमित किये जा सकते हैं।
4. कम्पनी लॉ बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने के दो माह के अन्दर कटौती वाले अंशों का निर्गमन कर देना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
5. जिन अंशों का पहले निर्गमन हो चुका है, उसी वर्ग के अंशों को बाद में कटौती पर निर्गमित किया जाता है।
6. कटौती पर अंशों के निर्गमन के लिए कम्पनी लॉ बोर्ड जिन शर्तों को उचित समझता है, उनके आधार पर सहमति प्रदान कर देता है।
7. अंशों के निर्गमन में कटौती के विवरण भी होने चाहिए।

अंशों के मूल्य निर्धारण में यह देखा जाता है कि पूंजी बाजार में विद्यमान कम्पनियों के अंशों की क्या स्थिति है? यदि बाजार मूल्य ऊँचा है तो समझा जाता है कि कम्पनी आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है। उसके पास पर्याप्त कोष हैं। ऐसी कम्पनी अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। इसके लिए कम्पनी लॉ बोर्ड से प्रस्ताव आदि पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में डाला जाता है।

20.9 सार्वजनिक निर्गमन का विपणन (Marketing of Public Issue)

सार्वजनिक निर्गमन का विपणन (Marketing of Public Issue) - निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार में विनियोक्ताओं द्वारा शीघ्र ही क्रय कर ली जाती हैं तो यह समझा जाता है कि प्रतिभूति में विपणनशीलता अधिक है। यदि इसके विपरीत होता है तो कम्पनी को पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है और कम्पनी की सारी योजनाएँ ठप्प हो सकती हैं। कम्पनी की विपणनशीलता को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है -

अ) नई प्रवर्तित कम्पनियों द्वारा प्रथम निर्गमित प्रतिभूतियाँ (First Issue of Securities of Newly Promoted Companies) - जब कोई कम्पनी नई प्रवर्तित होती है और प्रथम बार प्रतिभूतियाँ निर्गमित करती है इस पर निम्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है -

1. **नीचा सम मूल्य (Low Par-value) :** नीचा सममूल्य होने के कारण प्रतिभूति क्रय करने वाली विनियोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मध्य वर्ग के विनियोक्ता भी ऐसी प्रतिभूतियाँ क्रय करते हैं। यदि ऊँचा सम मूल्य निर्धारित होता है तो विनियोक्ताओं की संख्या कम हो जाएगी।
2. **आय (Income)-** विनियोक्ताओं को अधिक ब्याज प्रदान करने वाली प्रतिभूतियाँ पसन्द हैं। ऐसी प्रतिभूतियों में पूर्वाधिकारी अंश तथा ऋणपत्र शामिल हैं। यदि अंशों पर अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा तो अंशों की बिक्री बढ़ जाएगी।

3. **सुरक्षा (Safety)**- विनियोजक अपनी विनियोजित राशि पर सुरक्षा चाहता है। नई प्रवर्तित कम्पनी किसी बड़े औद्योगिक घराने से संबंधित है तो विनियोजक आख मूंद कर विनियोजन करेगा अन्यथा विश्वास होने पर ही विनियोग करेगा।
 4. **निर्गमन का समय (Time of Issue)** - नई कम्पनियों की प्रतिभूतियों में विनियोजन पर समय तत्व का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि ब्याज की दरों का प्रचलन, अनुकूल बाजार की दशाएँ, तेजी काल, अनुकूल राजकोषीय नीतियाँ, मूल्यों में स्थिरता आदि निर्गमन के अनुसार हैं तो प्रतिभूतियों के विनियोजन अधिक होगा अन्यथा कम विनियोजन होगा अर्थात् प्रतिभूतियाँ का विपणन अनुकूल परिस्थितियों में अधिक एवं प्रतिकूल में कम होगा।
 5. **प्रबंधकों की ख्याति (Goodwill of Management)** - यदि प्रबंधकगण ख्याति प्राप्त है, ईमानदार एवं निष्ठावान हैं तो प्रतिभूति का विपणन अधिक होगा अन्यथा परिणाम इसके विपरीत होगा।
 6. **निर्गमनों का आकार प्रकार-(Size and Type of Issue)** - निर्गमनों के आकार-प्रकार का प्रभाव इसके विपणन पर पड़ता है। यदि निर्गमनों का आकार बहुत बड़ा होगा तो उसकी पूर्ति संदिग्ध हो जाएगी। इसी प्रकार यदि एक ही प्रकार की प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जावे तो कम सफल होता है। प्रतिभूतियों के अधिक विपणन के लिए छोटे आकार एवं विविधतापूर्ण निर्गमन ही सफल हो सकते हैं।
 7. **कर से छूट (Exemption from Tax)** : आय एवं उसमें जिन प्रतिभूतियों से प्राप्त विनियोजन राशि आयकर से मुक्त होगी ऐसी प्रतिभूतियों का विपणन अधिक होता है जैसे यु.आई.टी.(UIT) की स्कीमे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जो कि ICICI बैंक, IDBI बैंक द्वारा निर्गमित किये जाते हैं तथा जिनमें आयकर के अन्तर्गत छूट प्राप्त होती है।
 8. **अभिगोपन करने वाली संस्थाओं की सेवाएँ (Services from Under –writer)**- प्रतिभूतियों के विपणन के लिए अभिगोपन कार्य करने वाली संस्थाओं, दलालों, कमीशन एजेंट आदि की सेवाएँ प्राप्त की जाएँ तो विपणन अधिक होता है। इनकी सेवाएँ न लेने पर प्रतिभूतियों का विपणन कम व देरी से होता है।
- ब . विद्यमान कम्पनियों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ (Public Issue of Securities by Existing Companies)** - विद्यमान कम्पनियाँ जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निर्गमन करती हैं तो ऐसे कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है जिससे प्रतिभूतियों की बिक्री कम या अधिक हो सकती हैं। इसका वर्णन आगे किया जा रहा है -
1. **घोषित लाभांश की दर (Declare Dividend Rate)**- विद्यमान कम्पनी की लाभांश की दर कितनी है इसका प्रभाव निर्गमन पर पड़ता है। यदि घोषित लाभांश की दर अन्य निर्गमनों से अधिक है तो प्रतिभूतियों की बिक्री अधिक होगी। इसी तरह पिछले वर्षों में घोषित दरों का भी प्रभाव पड़ता है।
 2. **लाभांश भुगतान में नियमितता (Regularity in Payment of Dividend)** - कम्पनी पिछले कई वर्षों से अपने विनियोजकों को लाभांश का नियमित भुगतान करती आ रही है तो नये निर्गमन की बिक्री आसान होगी।
 3. **पूंजी प्राप्ति का उद्देश्य (Objective of Receipt of Capital)** : कम्पनी का पूंजी प्राप्त करने का उद्देश्य ही पूंजी निर्गमनों की सफलता का कारण माना जाता है। जैसे कि नये प्लान्ट की स्थापना, कम्पनी का विस्तार, या पूंजी मात्रा में वृद्धि आदि। यदि जोखिमपूर्ण काम के लिए पूंजी प्राप्त की जाए तो इसका विपणन कम होता है।
 4. **विकल्पों की सुविधा (Provide Option)**- कम्पनी निर्गमन के साथ कुछ विकल्प भी प्रदान करती है तो यह निर्गमनों की बिक्री बढ़ा सकता है। जैसे कि पूर्वाधिकारी अंशों को समता अंशों में परिवर्तन की सुविधा।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. कम्पनियों की साख में वृद्धि करना समझाइये।
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम एक्ट 1992 को समझाइये।
3. सार्वजनिक निर्गमन का विपणन को स्पष्ट कीजिए।
4. सूचीयन कि एक परिभाषा दीजिये।
5. सूचीयन के उद्देश्य बताइए।

20.10 सहायक बाजार में सुधार (Reform in Secondary Market)

सहायक बाजार में कार्य करने वाले विभिन्न मध्यस्थों की गतिविधियों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सेबी ने कुछ उपाय बताये हैं। स्कन्ध विनियम केन्द्रों में कार्य करने वाले दलाल, उपदलाल, जाबर, रजिस्ट्रार, अभिगोपक, अंश, हस्तान्तरण करने वाले एजेंट आदि को मानदण्डों को मानने एवं उन्हें आचारसंहिता की सीमा में लाने के लिए नियम-उपनियम बनाये गये हैं। इनका पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है। कुछ सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:

1. दलालों को स्वयं रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
2. दलालों की पूंजी सीमा 3 प्रतिशत तथा निगम के सदस्यों की 6 प्रतिशत की गई है।
3. ग्राहकों से दलालों को मूल्य अन्तर की राशि के संबंध में तथा दलालों द्वारा हस्तान्तरण की समय-सीमा निश्चित की गई है।
4. दलालों द्वारा ग्राहकों के लिए तथा अपने लिए अलग-अलग खाते रखना अनिवार्य है।
5. प्रतिवर्ष दलालों द्वारा खातों का अंकेक्षण करा कर रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत करें।
6. सेबी के स्कन्ध विनियम केन्द्रों के कार्यों का निरीक्षण कर नियमों का पालन न करने पर भारी दण्ड या जुर्माना का प्रावधान निश्चित किया है।
7. स्कन्ध विनियम केन्द्रों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने एवं अंशों के मूल्य में परिवर्तन को नियंत्रित किया गया है।
8. विभिन्न स्कन्ध विनियम केन्द्रों में इन्टरनेट व्यापार प्रारंभ किया है।
9. स्कन्ध विनियम केन्द्रों में समाशोधन गृह स्थापित करने की अनुमति दी है।
10. विदेशी संस्थागत विनियोक्ता को असूचीबद्ध कम्पनियों में पूर्ण निवेश की छूट दी गई है।

सेबी के इन उपायों से स्कन्ध विनियम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता दिखाई पड़ती है तथा दलालों को भी नियंत्रित हो कर कार्य करना पड़ता है।

20.11 सारांश (Summary)

पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण अंग स्कन्ध विपणि होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक व्यवस्थित एवं सुसंगठित विपणि बाजार होता है जहाँ पर कम्पनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। निवेशकों को अपनी बचतों को समय-समय पर अधिक प्रतिफल देने वाली एवं तरलता वाली प्रतिभूतियाँ परिवर्तन करने का सुअवसर प्रदान होता है।

एक देश के आर्थिक विकास हेतु स्टॉक एक्सचेंज एक आर्थिक बेरोमीटर का कार्य करता है।

स्टॉक एक्सचेंज पर सभी प्रतिभूतियाँ सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी सूचीबद्ध होती हैं एवं सभी निवेशकों को पूर्ण जानकारी होती है ताकि निवेशक भ्रमात्मक स्थिति में नहीं रहे।

स्टॉक एक्सचेंज से निवेश की सुरक्षा, निवेश का स्थान, नियमित बाजार, निवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त, तरलता एवं प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण इत्यादि लाभ होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से कम्पनियों सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं अन्य संस्थाओं को भी लाभ होता है और उन्हें अंश पूंजी निर्गमन, ऋण पत्र, बोन्ड्स इत्यादि निर्गमन में सहायता होती है। स्टॉक एक्सचेंज से राष्ट्र को सन्तुलित विकास, सतत् पूंजी निर्माण, विदेशी पूंजी उपलब्धि, सरकारी वित्त में सुविधा मिलती है।

स्टॉक एक्सचेंज में लाभ के अलावा कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। यदि उसका दुरुपयोग किया जावे तो जैसे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, मूल्यों में उतारचढ़ाव, अनुभवहीन कर्मचारी द्वारा सलाह इत्यादि।

स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों, कम्पनियों एवं समाज व देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है।

स्टॉक एक्सचेंज किसी भी देश में उस देश की नियामक व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्य करता है। भारत में वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, प्रशासनिक मण्डल।

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सार्वजनिक निर्गमन मूल्य का भी निर्धारण किया जाता है। जिसके लिए विभिन्न नियमों एवं बोर्ड से स्वीकृति ली जाती है एवं अधिनियमों का ध्यान रखा है।

सार्वजनिक निर्गमन का विपणन भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है जिससे निर्गमन का मूल्य, उसकी सुरक्षा इत्यादि का ध्यान रखा जाता है ताकि निवेशकों को उनके द्वारा किये गये विनियोगों पर उचित प्रत्याय मिल सके।

20.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस पाठ से हमें स्टॉक एक्सचेंज की विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त हुई। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह वित्तीय साधनों के व्यापारियों और लक्षित खरीददारों के बीच लेन-देन की जानकारी प्राप्त होती है। स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ, लाभ-हानियाँ की जानकारी प्राप्त हुई। स्टॉक एक्सचेंज की नियामक व्यवस्था, सार्वजनिक निर्गमन मूल्य निर्धारण, सार्वजनिक निर्गमन का विपणन आदि की जानकारी प्राप्त हुई एवं उन सभी का अध्ययन किया गया।

20.13 शब्दावली (Glossary)

- **SEBI** : Securities and Exchange Board of India
- **IDBI** : Industrial Development Bank of India
- **UTI** : Unit Trust of India
- **ICICI** : Industrial Credit and Investment Corporation of India
- **LIC** : Life Insurance Corporation of India

20.14 स्वपरख प्रश्न (Self Examination Questions)

1. सूचीयन के उद्देश्य एवं लाभ बताइए।
2. सूचीयन के निरस्तीकरण को समझाइए।
3. स्टॉक एक्सचेंज किसी देश के “आर्थिक स्वास्थ्य” का मापक यंत्र होता है। समझाइए।
4. स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ बताइए।

5. स्टॉक एक्सचेंज से विनियोक्ताओं को क्या लाभ मिलते हैं?
6. स्कन्ध विनिमय से कम्पनी को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? समझाइए।
7. स्टॉक एक्सचेंज के दोषों का वर्णन कीजिए।
8. विनियोक्ता के लिए स्कन्ध विनिमय के कार्य बताइए।
9. कम्पनियों के लिए स्कन्ध विनिमय के कार्यों को समझाइए।
10. सूचीयन की वैधानिक आवश्यकता को समझाइए।
11. निर्गम की विपणनशीलता को समझाइए।
12. स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? स्कन्ध विपणी के कार्यों को बताइए।
13. स्टॉक एक्सचेंज को परिभाषित कीजिए। सहायक बाजार में इसके कार्य एवं भूमिका को समझाइए।

20.15 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

- John J. Murphy - Technical Analyzes of the Financial Markets
- William J.O. Neil - How o Make money in stocks
- MolishchandeKaushik - How to make profit in share market
- Raghu Palat - Fundamental Analysis for Invertors
- Ravi M Kishore - Financial Management –
- Agarwal, Agarwal: प्रबंध लेखांकन
- Agarwal, M.R., प्रबंध लेखांकन
- Ravi M. Kishore - Management Account

20.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- स्टॉक मार्केट में निवेश एवं ट्रेडिंग के सीक्रेट्स – स्वामीनथन अन्नामलाई
- The Intelligent Investor by Benjamin Graham
- Fundamental Analysis for Investors by Raghu Palat
- One Upon Wall Street by Peter Lyrich

20.17 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

- <https://www.bseindia.com>
- <https://nsdl.co.in>
- <https://www.nseindia.com>
- <https://www.msec.in>

इकाई - 21

भारतीय प्रतिभूति एवम् विनियम बोर्ड (Security and Exchange Board of India - SEBI)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 21.0 उद्देश्य (Objectives)
- 21.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 21.2 सेबी की वैधानिक स्थिति (Legal Status of SEBI)
- 21.3 अधिनियम के उद्देश्य (Objectives of Act)
- 21.4 सेबी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features of SEBI Act)
- 21.5 सेबी बोर्ड का गठन (Constitution of Board of SEBI)
- 21.6 सेबी के कार्य (Functions of SEBI)
- 21.7 निर्देशों को जारी करने का अधिकार (Powers to issue directions)
- 21.8 स्कन्ध विनियम केन्द्रों के सम्बन्ध में सेबी के अधिकार (Powers of SEBI in Relation to Stock Exchanges)
- 21.9 दलालों, उपदलालों, आदि का पंजीयन (Registration of Brokers, Sub-Brokers etc.)
- 21.10 सेबी द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश (Guidelines Issued by SEBI)
- 21.11 सेबी की उपलब्धियां (Achievements of SEBI)
- 21.12 निवेशकर्ताओं के हित संरक्षण में सेबी की भूमिका/योगदान (Role/Contribution of SEBI in Investor Protection)
- 21.13 सारांश (Summary)
- 21.14 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)
- 21.15 शब्दावली (Glossary)
- 21.16 स्वपरख प्रश्न (Questions for Self-Assessment)
- 21.17 सन्दर्भ (References)
- 21.18 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)
- 21.19 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

21.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय प्रतिभूति एवम् विनियम बोर्ड के उद्देश्य, वैधानिक स्थिति, प्रमुख विशेषताएँ, कार्य, निवेशकों के अधिकार, दलालों एवं उपदलालों का पंजीयन, भारतीय प्रतिभूति एवम् विनियम बोर्ड के क्रियाकलापों/उपलब्धियों की जानकारी आदि से अवगत कराना है।

21.1 प्रस्तावना (Introduction)

निवेशकों की बढ़ती संख्या एवं बढ़ते बाजार पूंजीकरण के फलस्वरूप कई कंपनियों, दलालों, मर्चेन्ट बैंकर्स, निवेश सलाहकारों और अन्य जो नए निर्गमनों और स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों द्वारा कई प्रकार की शिकायत के मामले सामने आने लगे। अनुचित व्यवहारों के फलस्वरूप निवेशकों का विश्वास डोलने लगा एवं निवेशकों की परिवेदनाओं में वृद्धि होने लगी। सरकार और स्कन्ध विनियम केन्द्र मौजूदा अधिनियम में दण्डकारी प्रावधानों के अभाव में इन परिवेदनाओं का निवारण करने में असहाय थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अप्रैल 1988 में विनियम बाजार के नियमन एवं समृद्धि के लिए भारतीय प्रतिभूति एवम् विनियम बोर्ड का गठन एक निगरानी संस्था के रूप में किया गया।

21.2 सेबी की वैधानिक स्थिति (Legal Status of SEBI)

आरम्भ में सेबी की स्थापना वित्त मंत्रालय के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन एक अंतरिम निकाय के रूप में की गयी। तत्पश्चात सेबी को वैधानिक अधिकार प्रदान किये गए। ये अधिकार प्रतिभूति एवम् विनियम बोर्ड ऑफ़ इन्डिया अध्यादेश 1992 द्वारा प्रदत्त किये गए। बाद में इस अध्यादेश का स्थान संसद द्वारा पारित भारतीय प्रतिभूति एवम् विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (Securities and Exchange Board of India Act 1992) ने ले लिया।

सेबी की उद्देशिका (Preamble): प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार का विकास एवं उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

21.3 अधिनियम के उद्देश्य (Objectives of Act)

- अ. निर्गमनकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियों के उचित व्यवहार को संवर्द्धित करना और ऐसे बाजार स्थल को उपलब्ध कराना जहाँ से वे कम लागत पर धन एकत्र कर सकें।
- ब. निवेशकर्ताओं को एक स्तर तक संरक्षण प्रदान करना एवं उनके हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना ताकि बाजार में बचत का निरंतर प्रवाह बना रहे।
- स. मध्यस्थ जैसे दलाल, मर्चेन्ट बैंकर आदि को प्रतिस्पर्धी एवं पेशेवर बनाने के लिए आचारसंहिता का नियमन एवं विकास करना।

स्कन्ध विनियम केन्द्रों का नियमन कार्य पूर्व की तरह चालू रहेगा लेकिन सेबी एक तरफ स्कन्ध विनियम केन्द्रों का एक ओर पर्यवेक्षण, निगरानी, और क्रियाओं का नियन्त्रण करेगी तथा दूसरी तरफ कंपनियों के व्यवहारों को देखेगी, सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार का सुव्यवस्थित विकास ही रहेगा।

21.4 सेबी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features of SEBI Act)

सेबी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं

- अ. सेबी नाम से यह एक निगमित संस्था बनी रहेगी जिसका अविच्छिन्न उतराधिकार रहेगा और एक सार्वमुद्रा होगी जो किसी चल एवं अचल संपत्ति को अधिकृत और निस्तारित करने और अपने नाम से अनुबंध करने, वाद करने और इस पर वाद किया जा सकेगा।

- ब. बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में होगा, बोर्ड अपने कार्यालय भारत में अन्य स्थानों पर स्थापित कर सकता है। मुम्बई में बोर्ड का कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी-विंग, 224, नरीमन पॉइंट मुम्बई 400021 में स्थित है, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकत्ता, चेन्नई, और नई दिल्ली में स्थित हैं।
- स. बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार के द्वारा की जाएगी।
- द. सरकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, सेवा शर्तें निर्धारित कर सकेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में सदस्यों को सेबी अधिनियम की धारा 6 के अधीन बर्खास्त किया जा सकता है।
- य. बोर्ड का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह ऐसे उपायों से जिन्हें उचित समझे प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की सुरक्षा करे एवं प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन करे।

21.5 सेबी बोर्ड का गठन (Constitution of Board of SEBI)

सेबी बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के सदस्यों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, केन्द्र सरकार सदस्यों के कार्यालय की शर्तों एवं सेवा शर्तों एवं उन्हें पदमुक्त करने से संबंधित सभी प्रावधान करती है, यदि कोई कठिन आकस्मिकता हो या विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार सेबी का स्थान ले लेगी। सेबी में वर्तमान में श्री अजय त्यागी, अध्यक्ष, श्री जी. महालिंगम, पूर्ण कालीन सदस्य, श्री एस. के. मोहंती, पूर्ण कालीन सदस्य, श्री अनंत बरुआ, पूर्ण कालीन सदस्य, श्री एम. राजेश्वर राव, अल्प कालीन सदस्य, एवं रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के उप गवर्नर, श्री आनन्द मोहन बजाज, अल्प कालीन सदस्य, अतिरिक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार और श्री के. वी. आर. मूर्ति, अल्प कालीन सदस्य, संयुक्त सचिव, कम्पनी मामलात मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) हैं।

21.6 सेबी के कार्य (Functions of SEBI)

सेबी की स्थापना सरकार ने प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित एवं स्वस्थ विकास और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की। सेबी के अध्यक्ष के पास सेबी के कार्यों को प्रभावकारी तरीके से सम्पादित करने के अधिकार होंगे। इस उद्देश्य के लिए सेबी पर्याप्त सहयोगी स्टाफ एवं संसाधनों का निर्माण करेगी। सेबी की प्राथमिक वित्त व्यवस्था सार्वजनिक वित्तीय एवं विनियोग संस्थानों के सहयोग से की जाएगी।

कार्य -

- अ. सेबी प्रतिभूति बाजार के विकास एवं नियमन और निवेशकों के हितों की रक्षा से संबंधित सभी मामलों में व्यवहार करेगी और सरकार को इन विषयों पर सलाह देगी।
- ब. सेबी प्रतिभूति बाजार के नियमन और विकास के लिए एक व्यापक अधिनियम का निर्माण करेगी।
- स. सेबी प्रतिभूति बाजार के विकास एवं नियमन के लिए बोर्ड/अध्यक्ष से सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य कराएगी। सेबी स्वयं की कार्यविधियाँ निर्धारित करने को स्वतंत्र होगी और उसे अधिकार होगा कि वह राजकीय और गैर राजकीय संस्थाओं के रिकॉर्ड, रिटर्न्स, नोट्स, विवरण पत्र, आंकड़ों और अन्य संबंधित सामग्री की मांग कर सके और उनके साथ विचार विमर्श कर सके।

सेबी द्वारा सरकार के मांगने पर प्रतिभूति बाजार के विभिन्न पहलुओं पर और सरकार द्वारा मांगे गए विशिष्ट मामलों पर सरकार को सामयिक रिपोर्ट पेश करेगी।

बोर्ड को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं—

- i. स्कन्ध विनियम केन्द्रों और अन्य प्रतिभूति बाजार का नियमन करना।

- ii. स्टॉक दलालों, उपदलालों, अंश हस्तांतरण एजेंट, निर्गमन के बैंकर, प्रत्यास डीड के प्रत्यासियों, निर्गमन के रजिस्ट्रार, मर्चेट बैंकर्स, अभिगोपक, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, विनियोग सलाहकार और अन्य ऐसे मध्यस्थों जो किसी भी रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़े हों, के कार्यों का पंजीयन एवं नियमन करना।
- iii. म्यूच्युअल फण्ड सहित सामूहिक विनियोग योजनाओं का पंजीयन एवं नियमन।
- iv. स्वः नियामक संस्थाओं का संवर्धन एवं नियमन।
- v. प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकना।
- vi. विनियोक्ता शिक्षा का संवर्धन करना और प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना।
- vii. प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार (इन्साइडर ट्रेडिंग) को रोकना।
- viii. कंपनियों के अंशों के पर्याप्त अधिकरण और कंपनियों की अधिप्राप्ति (takeover) को नियमित करना।
- ix. प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थों एवं शेयर बाजार में स्वनियामित संगठनों के निरीक्षण, जांच करने और अंकेक्षण के लिए सूचनाएं माँगना।
- x. प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम 1956 (Securities Contracts [Regulations] Act 1956) में दिये गए प्रावधानों द्वारा प्रदत्त ऐसे कार्यों को निष्पादित करना और केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य करना।
- xi. इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये फीस एवं अन्य शुल्क लगाना।
- xii. उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए शोध करना।
- xiii. अन्य सौंपे गए कार्य सम्पादित करना।
- xiv. सेबी को प्रतिभूतियों के व्यापार को निलंबित करने, किसी व्यक्ति को शेयर बाजार से संपर्क करने से रोकने, प्रतिभूतियों की रकम को जब्त करने, संपत्ति को कुर्क करने के व्यापक अधिकार दिये हैं और –
 1. शेयर बाजार में भेदिया व्यापार (इन्साइडर ट्रेडिंग) और कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकना।
 2. किसी कम्पनी को प्रविवरण के निर्गमन या प्रस्ताव दस्तावेज या विज्ञापन के प्रकाशन को रोकना।
 3. किसी आदेश को रोकना या छूट देना।
 4. एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाना (इन्साइडर ट्रेडिंग के मामले में रुपये 25 करोड़ तक)।

भारत में प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी अधिनियम की प्रस्तावना में एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है जो प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करे और प्रतिभूति बाजार का विकास एवं नियमन के साथ उससे संबंधित आने वाले मामलों का निपटारा करे। ये कार्य बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार से किये जाएंगे—

21.7 निर्देशों को जारी करने का अधिकार (Powers to issue directions)

धारा 11 में अन्यथा उपबन्धों के सिवाय यदि जांच करने या करवाने के बाद यदि बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि यह आवश्यक है कि –

- अ. निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए या
- ब. निवेशकों या शेयर बाजार के हितों को हानि पहुँचाने वाले किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे धारा 12 में संदर्भित किया गया है, के व्यवहार को रोकना या

- स. किसी ऐसे मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए यह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो –
- धारा 12 में संदर्भित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जो प्रतिभूति बाजार से जुड़े हों या
 - विनियोक्ताओं के पर्याप्त हितों के लिए किसी कम्पनी को निर्देश देना जो धारा 11a में वर्णित मामलों से संबंधित हो।

सेबी द्वारा नियमन के विभिन्न आयामों या नियमनों के अभाव से संबंधित विभिन्न क्रिया कलापों के वैधानिक पहलुओं में उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। इनमें से कुछ समितियां निम्नानुसार हैं-

1. भगवती समिति	सेबी, 1994 (पर्याप्त अंशों की अधिप्राप्ति और अधिग्रहण) के बारे में
2. धानुका समिति	प्रतिभूति अधिनियमों का पुनरुत्थान
3. आर.चंद्रशेखरन समिति	अंशों के हस्तांतरण में देरी की समस्या के सम्बन्ध में
4. विजय रंजन समिति	मध्यस्थ के रूप में पूँजी बाजार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जांच एवं प्रमाणन
5. बी. डी. शाह समिति	शेयर बाजार में शोर्ट सेलिंग के तौर तरीकों के बारे में
6. जी. एस. पटेल और जे. आर. वर्मा समिति	शेयर बाजार में आगे ले जाना प्रणाली (carry forward system) का पुनर्मूल्यांकन करना
7. सी. बी. भावे समिति	कंपनियों द्वारा अंशों के हस्तांतरण से संबंधित मामलों से संबंधित समस्याओं के बारे में
8. लिमये समिति	शेयर बाजार में मार्जिन निपटान तंत्र के सुदृढीकरण और निपटान के बारे में
9. एल. सी. गुप्ता समिति	म्यूच्यूअल फण्ड नियमन के बारे में
10. मालेगाम समिति	प्राथमिक बाजार सुधार के बारे में
11. दवे समिति	OTCEI के पैकेज के पुनरुत्थान के बारे में

21.8 स्कन्ध विनियम केन्द्रों के सम्बन्ध में सेबी के अधिकार (Powers of SEBI in Relation to Stock Exchanges)

सेबी अधिनियम द्वारा प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम 1956 में संशोधन कर निम्न मामलों में सेबी को अधिकार प्रदान किये गए हैं। इस अधिनियम से पहले इन अधिकारों का प्रयोग केन्द्र सरकार करती थी -

- स्कन्ध विनियम केन्द्रों से सामयिक प्रतिवेदन मांगने का अधिकार। [धारा-6(1)]

- ii. स्कन्ध विनियम केन्द्रों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के रखरखाव को नियत करना। [धारा-6(2)]
- iii. स्कन्ध विनियम केन्द्र या अन्य सदस्य(यों) से संबंधित मामलों में स्पष्टीकरण देने या सूचना देने हेतु बुलाने का अधिकार; स्कन्ध विनियम केन्द्र की शासकीय निकाय (Governing Body) या स्कन्ध विनियम केन्द्र के किसी सदस्य के मामलों की जांच के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति का अधिकार। [धारा-6(3)]
- iv. स्कन्ध विनियम केन्द्र(द्रों) के नियमन और अनुबंधों के नियन्त्रण के लिए उपनियमों को अनुमोदन करने का अधिकार। [धारा-9]
- v. स्कन्ध विनियम केन्द्र(द्रों) के उपनियमों में संशोधन करने का अधिकार। [धारा-10]
- vi. निर्धारित क्षेत्रों में प्रतिभूतियों के डीलर्स को लाइसेंस प्रदान करना। [धारा-17]
- vii. किसी सार्वजनिक कम्पनी पर अपने अंशों को सूचीबद्ध करने के लिए दबाव डालना। [धारा-21]

किसी स्कन्ध विनियम केन्द्र को मान्यता देने या मान्यताओं को वापस लेने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है। यद्यपि SCRA में एक अधिकार प्रदान करने वाला प्रावधान है (New Section-29) सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा केन्द्र सरकार इस अधिकार को सेबी में निहित कर सकती है लेकिन ऐसा अधिकार उन शर्तों के अधीन होगा जो ऐसे आदेश के साथ निश्चित की गई हों, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की अधिकारों को पूर्ण हस्तान्तरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल अधिकार सौंपना है जिसका अर्थ यह है की ऐसे अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। इसका प्रभाव यह है की अधिनियम के लागू होने के बाद भी केन्द्रीय सरकार SCRA के अधिकारों के अधीन निम्न अधिकारों का प्रयोग करती रहेगी। -

- i. स्कन्ध विनियम केन्द्र को मान्यता देने का अधिकार। [धारा-4]
- ii. स्कन्ध विनियम केन्द्र को दी गयी मान्यता को रद्द करने का अधिकार। [धारा-5]
- iii. स्कन्ध विनियम केन्द्र के नियमों को संशोधित करने के निर्देश देने का अधिकार जो कि स्कन्ध विनियम केन्द्र के गठन, स्कन्ध विनियम केन्द्र के सदस्यों - जिसमे नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों का पुनःप्रवेश, योग्यताएं, निलंबन/निष्कासन आदि सम्मिलित हों। [धारा-8]
- iv. किसी भी स्कन्ध विनियम केन्द्र के प्रशासकीय निकाय के अधिकारों को अपने हाथ में लेने का अधिकार।
- v. एक मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनियम केन्द्र के व्यवसाय को निलंबित करने का अधिकार। [धारा-12]
- vi. अधिसूचित क्षेत्रों में अनुबंधों को अवैधानिक घोषित करना। [धारा-13]
- vii. अधिसूचित क्षेत्रों में अनुबंधों को व्यर्थ घोषित करना। [धारा-13]
- viii. विशिष्ट मामले में अनुबंधों को प्रतिबंधित करना।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकार SCRA अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अपने पास रखे गए हैं, इस सम्भावना के साथ कि अधिसूचित आदेश द्वारा कुछ अधिकार सेबी में निहित होंगे। कुछ मामलों में सेबी को SCRA के अधीन पूर्ण अधिकार दिये गए हैं।

21.9 दलालों, उपदलालों, आदि का पंजीयन (Registration of Brokers, Sub-Brokers etc.)

धारा 12 में प्रावधान है कि एक दलाल, उपदलाल, अंश हस्तांतरण एजेंट, निर्गमन का बैंकर, ट्रस्ट डीड का ट्रस्टी, निर्गमन का रजिस्ट्रार, मर्चेन्ट बैंकर, अभिगोपक, पोर्टफोलियो मैनेजर, विनियोग सलाहकार और कोई अन्य मध्यस्थ

बोर्ड द्वारा स्वीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय या उनमें व्यवहार नहीं कर सकता। इस सन्दर्भ में नियमों की अधिसूचना सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 28 में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के वर्ग को धारा 12 के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है।

21.10 सेबी द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश (Guidelines Issued by SEBI)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 06 अप्रैल 1990 के अधीन, सेबी ने निश्चित मर्चेन्ट बैंकर्स को अधिकृत किया है और उन्हें समय समय पर शासकीय मामलों के प्रबन्ध एवं अन्य गतिविधियों के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किये हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के पारित होने और Merchant Bankers Rules and Regulations के प्रसारित होने के बाद ऐसे अधिकृत मर्चेन्ट बैंकर्स और अन्य जो मर्चेन्ट बैंकर्स गतिविधियाँ करने को इच्छुक हों, के लिए भी आवश्यक है कि वे स्वयं को धारा 12 के अधीन सेबी के पास पंजीयन करावें। जहाँ और जब आवश्यक हो सेबी वित्तीय बाजार के उचित नियमन हेतु दिशा निर्देश जारी करती रही है मर्चेन्ट बैंकर्स को दिये गए निर्देशों को दो श्रृंखलाओं में विभाजित करने हेतु जिनका नाम – DIP Series जो Disclosure and Investor Protection दिनांक 11 जून 1992 के दिशा निर्देशों को सम्मिलित करती है और GI Series जो सेबी द्वारा समय समय पर दिये दिशा निर्देशों को सम्मिलित करती है, किया गया। Disclosures and Investor Protection दिशा निर्देश ऐसी कंपनियों के नियमन के लिए जारी किये जाते हैं जो सार्वजनिक निर्गमन (आवश्यक नहीं की समता अंश ही हो) की योजना बना रहे हों और इस उद्देश्य के लिए विभिन्न औपचारिकताओं के पालन से सम्बन्ध रखते हैं। सेबी ने ऐसे 15 दिशा निर्देश (a to p) जारी किये हैं और 19 स्पष्टीकरण (14-05-1997 तक है) इन दिशा निर्देशों के लिए जारी किये गए हैं।

मर्चेन्ट बैंकर्स के दिशा निर्देशों के नियमन हेतु (6 प्रमुख निर्देश a से f तक) मर्चेन्ट बैंकर्स को उनकी नेट वर्थ के आधार पर चार श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है प्रत्येक श्रेणी के लिए कुछ करने (do's) और नहीं करने (dont's) सेबी द्वारा निर्धारित किये गए हैं इस दिशा में SEBI (Merchant Bankers) Regulations 1992 और SEBI (Merchant Bankers) Rules 1992 उपलब्ध हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. सेबी का गठन कब किया गया?
2. सेबी के अध्यक्ष एवं सदस्यों (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों को छोड़कर) किसके द्वारा की जाती है?
3. सेबी को स्कन्ध विनियम केन्द्रों से प्रतिवेदन मांगने का अधिकार किस धारा में किया गया है?
4. सरकार किस धारा के अधीन व्यक्ति/व्यक्तियों के वर्ग धारा 12 के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है?
5. “निर्गमन का बैंकर” का अर्थ लिखिए।

21.11 सेबी की उपलब्धियाँ (Achievements of SEBI)

- i. **निर्गमनकर्ता कंपनियों को दिशा निर्देश (Guidelines to Issuing Companies) :** सेबी ने नई और पुरानी कंपनियों को सूचनाओं के प्रकटीकरण और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा निर्देश कंपनियों के प्रथम निर्गमन, विद्यमान कंपनियों के प्रथम निर्गमन, परिवर्तनीय ऋण पत्रों के निर्गमन आदि से संबंधित हैं, ऐसे दिशा निर्देश विद्यमान कानूनों के अतिरिक्त दिये गए हैं। CCI के समाप्त होने के बाद कंपनियां अपने ऑफर डॉक्यूमेंट से सेबी से अनुमोदित कराने के पश्चात्, बिना सरकार की अनुमति के पूँजी बाजार में प्रवेश कर सकती हैं, अन्य शब्दों में सेबी को नए निर्गमन बाजार और पुराने

निर्गमन बाजार अर्थात् शेयर मार्केट नियन्त्रण एवं नियमन करने का अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक निर्गमनों में उचित एवं सत्य प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने विज्ञापन संहिता प्रारम्भ की। सेबी ने निर्गमन के अभिगोपन को निश्चित दशाओं में वैकल्पिक किया है।

इसका उद्देश्य निर्गमन लागत को कम करना है, इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा और उन्हें भ्रमित सूचनाओं के कारण होने वाले शोषण से बचाना है, यदि कंपनियां इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो सेबी उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है, कंपनियों को नए निर्गमन से पूर्व सेबी की अनुमति लेना अनिवार्य है।

- ii. **पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं का नियमन (Regulation of Portfolio Management Services) :** अति अनियन्त्रित (Highly Infringed) पोर्टफोलियो सेवा को 11 जनवरी 1993 को सेबी के नियमन के अधीन किया गया। यह चौथी आर्थिक गतिविधि थी जिसे सेबी के अधीन लाया गया पूर्व में अंश दलालों और उपदलालों, मर्चेन्ट बैंकिंग और भेदिया व्यापार (Insider Trading) को सेबी के अधीन लाया गया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवा और विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न समकक्ष सेवाओं और मर्चेन्ट बैंकिंग सहायकों द्वारा दी गयी सेवाएं प्रतिभूति घोटाले के तहत नियमों का उल्लंघन करते पाई गयी, जानकी रमन समिति ने अपनी रिपोर्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं का स्पष्ट उल्लंघन पाया (जानकीरमन समिति की रिपोर्ट 26 अगस्त 1992 को प्रकाशित हुई) सेबी के नियमन प्रतिभूति घोटालों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। यह देखा गया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिये रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया का कार्य पर्यवेक्षक प्रमुख के रूप में शिथिल रहा है और यही हाल वित्त मंत्रालय का भी रहा। सेबी को अब पोर्टफोलियो मैनेजर के लिये नीति निर्माण और निवेशकों के हितों की पर्याप्त रक्षा का कार्य सौंपा गया है, सेबी के लिए यह एक अच्छी शुरुआत है और इसे सेबी की उपलब्धि कहा जा सकता है।
- iii. **म्यूच्यूअल फण्डो का नियमन (Regulation of Mutual Funds) :** 20 जनवरी 1993 को म्यूच्यूअल फण्डो को सेबी के अधीन किया गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवा के पश्चात यह पांचवी आर्थिक गतिविधि है जिसे सेबी के नियामक ढांचे के अधीन लाया गया, म्यूच्यूअल फंडों पर प्रतिभूतियों के वैकल्पिक व्यापार (Option Trading), Short Selling तथा Carry Forward गतिविधियों में सम्मिलित होने पर रोक लगा दी गयी। केवल मुद्रा/पूँजी बाजार में हस्तान्तरणीय प्रतिभूतियों में विनियोग करने की स्वीकृति दी गयी। अब केवल उन्ही म्यूच्यूअल फंडों को पंजीकृत किया जाएगा जो यह प्रमाणित कर सकें कि वे सक्षम हैं एवं सेबी द्वारा निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये नियामक उपाय म्यूच्यूअल फंडों के कार्यों में सुधार करेंगे और उन्हें स्वस्थ दिशा में ले जाएंगे। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेबी सकारात्मक भूमिका निभा रही है।
- iv. **हस्तांतरण और रिफंड में देरी के लिय कार्यवाही (Action for Delays in Transfers and Refunds) :** सेबी ने अनेक कंपनियों के विरुद्ध जिन्होंने अंशों के हस्तान्तरण में और सार्वजनिक धन के रिफंड में देरी की है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की है, यह कदम निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है और विलम्ब से होने वाले भुगतान से होने वाले शोषण से बचाता है।
- v. **मध्यस्थों के लिए दिशा निर्देशों का निर्गमन (Issue of Guidelines to Intermediaries) ;** पूँजी बाजार के संबंध में नरसिंहम समिति ने 1991 में कई सुझाव दिये, समिति ने सुझाया कि सेबी को निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दिशा निर्देशों के नये सेट का निर्माण करना चाहिये, विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर के सेबी ने मध्यस्थों को दिशा निर्देश देने के नरसिंहम समिति के सुझावों को कार्यान्वित किया, ये

सुझाव निवेशकों के हितों को रक्षा प्रदान करेंगे और प्रतिभूति बाजार में काम करने वाले मध्यस्थों के अनुचित व्यवहार पर नियन्त्रण रखेंगे। यह सेबी की सकारात्मकता का उदाहरण है।

- vi. **अधिग्रहण और संविलियन के लिए दिशा निर्देश (Guidelines on Takeovers and Mergers) :** सेबी ने अधिग्रहण एवं संविलियन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं, इनका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है जो कि अंशों की अधिप्राप्ति, सार्वजनिक घोषणा द्वारा उचित एवं सत्य प्रकटीकरण और अधिग्रहण एवं संविलियन में अनुचित व्यवहार को रोकने के सम्बन्ध में हो। सेबी द्वारा छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये यह दिशा निर्देश जारी किया गया है।
- vii. **निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये विशेष उपाय (Special Measures for Protection of Investors) :** सेबी ने निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया है। पूंजी निर्गमनकर्ताओं और सहयोगी बाजार मध्यस्थों द्वारा भावी निवेशकों को पूर्ण एवं उचित सूचना प्रदान करने, बाजार मध्यस्थों के पंजीयन और निवेशकों की शिकायतों पर विशेष बल दिया गया है। यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है जिसके परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में बाजार मध्यस्थ सेबी के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण के अधीन आ जाएंगे।
- viii. **निवेशकों की शिक्षा एवं मार्गदर्शन (Education and Guidance of Investors) :** सेबी ने निवेशकों और अन्य मध्यस्थकर्ताओं को शिक्षा एवं मार्गदर्शन करने हेतु, बड़ी संख्या में प्रकाशन किये हैं निवेशकर्ता परिवेदना – अधिकार एवं उपाय (Investors' Grievances - Rights and Remedies), मर्चेन्ट बैंकर्स – नियम एवं नियमन (Merchant Bankers – Rules and Regulations), सेबी अधिनियम 1992, सेबी बाजार सर्वेक्षण इन प्रकाशनों में प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।
- ix. **स्कन्ध विनिमय केन्द्रों का सुचारू संचालन (Orderly Functioning of Stock Exchanges) :** सेबी, स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, निपटान अवधि (Settlement Period) को कम करने, सौदों में पारदर्शिता का विकास करने, दलालों में पेशाकरण का संवर्धन करने और स्कन्ध विनिमय केन्द्रों को अपना कार्य कम्प्यूटरीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है।
ये उपाय भारतीय स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के स्वस्थ विकास के लिये है और भारत में स्कन्ध विनिमय केन्द्रों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेंगे। सेबी ने स्कन्ध विनिमय केन्द्रों हेतु एक समान एवं लम्बे कार्य घंटों का निधारण किया है, सेबी ने 20 अप्रैल 1993 को स्कन्ध विनिमय केन्द्रों की शासकीय निकाय को विस्तृत आधार देने के लिए नियमों/अंतर्नियमों में संशोधन का वैधानिक आदेश दिया है।
- x. **विदेशी संस्थागत निवेशकों का नियमन (Regulation of Foreign Institutional Investors) :** सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के पंजीयन का कार्य प्रारम्भ किया है, यह कार्य सरकार द्वारा सितम्बर 1992 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये जाने वाले विनियोग के सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों की अनुपालना में किया गया है। यह उन निवेशकों पर नियन्त्रण करने के लिए उचित कदम है जो भविष्य में भारी निवेश कर सकते हैं।
- xi. **मर्चेन्ट बैंकिंग पर नियन्त्रण (Control on Merchant Banking) :** मर्चेन्ट बैंकिंग को सेबी के विधायी नियामक ढांचे के अधीन लाया गया है, मर्चेन्ट बैंकों को अब सेबी द्वारा अधिकृत किया जाता है। उन्हें निर्धारित पर्याप्त पूँजी मापदंडों को अपनाना होगा और विशेष रूप से ऐसी आचारसंहिता का पालन करना होगा जो अंशों के मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण तथा प्रविवरण के प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निवेशकों के प्रति उच्च

स्तरीय उत्तरदायित्व से संबंधित है, मर्चेन्ट बैंकर अब प्रस्ताव दस्तावेज और निर्गमन प्रक्रिया के सम्बन्ध में ज्यादा जवाबदेह हैं।

21.12 निवेशकर्ताओं के हित संरक्षण में सेबी की भूमिका/योगदान

(Role/Contribution of SEBI in Investor Protection)

- i. **मार्गदर्शन जारी करना (Issue of Guidelines) :** सेबी ने कंपनियों (बाजार में नया निर्गमन लाने वाली), म्यूच्युअल फण्ड, पोर्टफोलियो मैनेजर, मर्चेन्ट बैंकर्स, अभिगोपक, शीर्ष प्रबंधक (Lead Managers), आदि को दिशा निर्देश जारी किये हैं, ये दिशा निर्देश इनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने हेतु दिये गए हैं और निवेशकर्ताओं के किसी एक या अन्य प्रकार से शोषण से बचाव करते हैं। सेबी ने सार्वजनिक निर्गमनों में उचित एवं सत्य प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु विज्ञापन संहिता प्रारम्भ की है। यह आदेश निर्गमन की लागत में कमी करने और अभिगोपन को निश्चित शर्तों के अधीन संचालित करने से संबंधित है, यह आदेश उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये है। सेबी सही दिशा में दिशा निर्देश जारी करती है और मध्यस्थों पर निगरानी रखती है, इन सभी कदमों से निवेशकों के हितों की रक्षा हुई है।
- ii. **जनहित विज्ञापन (Public Interest Advertisements) :** सेबी निवेशकों द्वारा विनियोग चयन करने और विभिन्न प्रतिभूतियों में धन लगाने के सम्बन्ध में जनहित विज्ञापन जारी करती है। सेबी निवेशकों के अधिकार उनकी शिकायतों के निवारण के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करती है। सेबी निवेशकों को सूचना देने एवं मार्गदर्शन के लिए अनेक पुस्तिकाओं का प्रकाशन करती है।
- iii. **उपभोक्ताओं की शिकायतों के सम्बन्ध में व्यवहार (Dealing with Complaints of Investors):** निवेशकर्ताओं को औद्योगिक प्रतिभूति और वित्तीय प्रतिभूति के बारे में कोई समस्या हो तो वे सेबी को शिकायत कर सकते हैं, सेबी के पास हजारों की संख्या में रिफंड आर्डर प्राप्त न होने, आवंटन पत्र, लाभांश या ब्याज का ना मिलना और अंशों और ऋण पत्रों के हस्तांतरण में विलम्ब के सम्बन्ध में प्राप्त होती है, सेबी उचित उपायों द्वारा इन शिकायतों को हल करने का प्रयास करती है।
सेबी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कई उपभोक्ता संघों के साथ निवारण तंत्र के सम्बन्ध में सहयोग कर रही है, फिर भी बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं।
- iv. **निवेशकर्ता शिक्षा (Investor Education) :** निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए निवेशकर्ता शिक्षा आवश्यक है, इसके लिए निवेशक संघों के गठन को सेबी प्रोत्साहित करती है और न्यूज लैटर जारी करती है, नौ से अधिक ऐसे संघों का सेबी के पास पंजीयन हो चुका है, और सेबी दो मासिक प्रकाशन निवेशकों के लिए जारी करती है। इनके नाम SEBI – Market Review और SEBI Newsletter हैं, ये प्रकाशन निवेशकों की शिक्षा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए हैं।
- v. **निवेशकर्ता सर्वेक्षण (Investor Survey) :** विनियोग और अवसरों के सम्बन्ध में छोटे निवेशकों के लाभ हेतु सेबी सर्वेक्षणों का आयोजन करती है, इन सर्वेक्षणों के तथ्यों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है, ताकि निवेशकों को विनियोग निर्णय के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- vi. **स्टॉक इन्वेस्ट का आरम्भ (Introduction – Stock Invest) :** अंश प्रस्तुत करते समय सेबी ने एक नये उपकरण – स्टॉक इन्वेस्ट को प्रारम्भ किया है, यह उपकरण बैंकों के सहयोग से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है ताकि अंशों के आवंटन की तिथि तक वे आवेदन राशि पर ब्याज प्राप्त कर सकें।

- vii. **कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण (Disclosure by Companies) :** सेबी ने कंपनियों के अर्धवार्षिक अंकेक्षण पूर्व (Unaudited) परिणामों को प्रस्तुत करना प्रारम्भ कराया है, सेबी ने निवेशकर्ताओं को ज्यादा सूचनाएं देने के लिए प्रविवरण के प्रारूप को संशोधित किया है। प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधान छोटे/औसत निवेशकर्ता के संरक्षण और सूचना के लिए है।
- ix. **अधिग्रहण के सम्बन्ध में आचरण (Code regarding Takeovers) :** सेबी ने कंपनियों के अधिग्रहण विलयन और एकीकरण के सम्बन्ध में आचरण नियम जारी किये हैं, सेबी ने पर्याप्त मात्रा में अंशों की अधिप्राप्ति और अधिग्रहण के लिए नियमन जारी किये हैं और उन परिस्थितियों को निर्धारित किया है जिनमें सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए अंश धारकों हेतु प्रकटीकरण को अनिवार्य किया है। यहां निवेशकों के हितों की रक्षा करना ही उद्देश्य है भले ही वे प्रत्यक्षतय अधिग्रहण से संबंधित न हों।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. सेबी की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए।
2. बोर्ड को सौंपे गये कोई पांच कार्य बताइए।
3. सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं?
4. सेबी निवेशकर्ताओं की शिक्षा के लिए क्या-क्या कार्य करती है?

21.13 सारांश (Summary)

भारत सरकार ने पूँजी बाजारों को स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के सुचारु संचालन और निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) का गठन किया है, सेबी के गठन के पश्चात भारतीय पूँजी बाजारों और स्कन्ध विनिमय केन्द्रों के कार्यों में पारदर्शिता आयी है और कम्प्यूटरीकृत होने से निवेशकों को तुरंत अपने निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, सेबी के कार्य प्रारम्भ करने के बाद भारतीय पूँजी बाजार और भारत के स्कन्ध विनिमय केन्द्र काफी मजबूत हुए हैं और निवेशकों का इनमें विश्वास बढ़ा है जिससे स्कन्ध विनिमय केन्द्रों में धन का प्रवाह बढ़ा है।

21.14 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का सामान्य परिचय प्रदान किया गया।
2. सेबी की वैधानिक स्थिति एवं सेबी बोर्ड के गठन की जानकारी दी गई।
3. सेबी के कार्यों, अधिकारों और निर्देशों की जानकारी दी गई।
4. सेबी की उपलब्धियों एवं निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा में सेबी की भूमिका का वर्णन किया गया।

21.15 शब्दावली (Glossary)

- **प्रतिभूति(Securities) :** का आशय समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र, बांड आदि से है।
- **स्कन्ध विनिमय केन्द्र :** सामान्य शब्दों में इसका अर्थ शेयर बाजार से लगाया जाता है।
- **निर्गमन का बैंकर :** से आशय उस संस्था अथवा बैंक से है जो किसी कम्पनी के अंशों/ऋण पत्रों के निर्गमन का दायित्व लेता है।

21.16 स्वपरख प्रश्न (Question for Self-Assessment)

1. सेबी बोर्ड का गठन किस प्रकार किया गया है?

2. सेबी द्वारा विनियोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये क्या-क्या कदम उठाये गए हैं?
3. सेबी के अधिकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।

21.17 सन्दर्भ व ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)

- Bhoj, Jyoti & Others. 'SEBI: Achievements, Problems and Emerging Challenges', Indian Journal of Applied Research. Vol.6|issue:4|April 2016. pp 118-120.
- 'Economic Legislation - I', The Icfai University Press, Hyderabad, 2006. pp. 402-408.
- Francis Cherunilam, 'Business Environment: Text & Cases', Himalaya Publishing House, Mumbai, 2008. pp. 433-440.
- मूल अधिनियम - भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम 1992 [द्वारा संशोधित के रूप में प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014]

21.18 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

1. आर.एच.पाटिल "दि केपिटल मार्केट इन 21st सेंचुरी", इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, नवम्बर, 2000
2. ए.शाह.एस.टॉमस- "सेक्युरिटीज मार्केट्स", इण्डिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, एडिटर के.एस.पारिख पृष्ठ सं167-192
3. तुषार वाघमारे- डिफ्यूजर ऑफ इण्डियाज स्टॉक मार्केट्स 1997 IIEF, New Delhi, XXXIV (34), 183-194
4. सेबी मानुअल – टेक्समन एडिटोरियल बोर्ड, 9789357782074 ISBN
5. के.शेखर – गाइड टू सेबी, केपिटल इश्यूज, डिबेंचर्स & लिस्टिंग (तीन भागों में), 2019

21.19 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- Achievements of Sebi @sanchit.
<https://www.scribd.com/document/249417045/Achievements-of-Sebi-Sanchit>
- Board Members – Sebi.
<https://www.sebi.gov.in/sebiweb/boardmember/BoardMemberAction.do?doBoardMember=yes>
- Securities and Exchange Board of India.
https://en.wikipedia.com/wiki/Securities_and_Exchange_Board_of_India

इकाई - 22

साख सन्निधारण (Credit Rating)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 22.0 उद्देश्य
- 22.1 प्रस्तावना
- 22.2 क्रेडिट रेटिंग की संकल्पना
- 22.3 क्रेडिट रेटिंग कब अनिवार्य है?
- 22.4 क्रेडिट रेटिंग की विषय- सूची
- 22.5 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं?
- 22.6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्य/ महत्व
- 22.7 क्रेडिट रेटिंग के लाभ
- 22.8 क्रेडिट रेटिंग के दौरान विचार किए जाने वाले घटक
- 22.9 क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया
- 22.10 क्रेडिट रेटिंग के प्रकार
- 22.11 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ
- 22.12 सिबिल/क्रेडिट रेटिंग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 22.13 शासकीय क्रेडिट रेटिंग क्या है?
- 22.14 सारांश
- 22.15 अधिगम परिणाम
- 22.16 शब्दावली
- 22.17 स्वपरख प्रश्न
- 22.18 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
- 22.19 अन्य पठन सामग्री
- 22.20 वेब संसाधन और लिंक

22.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप क्रेडिट रेटिंग एवं इस कार्य को कर रही एजेंसियों के बारे में जान सकेंगे। क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता को समझ सकेंगे। विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली रेटिंग की पहचान कर सकेंगे एवं उन मामलों

को जान सकेंगे जिनमें अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग आवश्यक है। भारत में क्रेडिट रेटिंग के कार्य करने के तरीके एवं महत्व की जानकारी ले सकेंगे।

क्रेडिट रेटिंग के विभिन्न पक्षकारों को होने वाले लाभों एवं कारकों की पहचान कर सकेंगे।

22.1 प्रस्तावना (Introduction)

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी है जो लेनदारों को क्रेडिट स्कोर के माध्यम से वैयक्तिक विनियोक्तियों एवं कारपोरेट संस्थाओं की साख से संबंधित सलाह देती है। यह स्कोर संपत्ति, देनदारियों, ऋण चुनौती क्षमता, ऋण चुनौती रिकॉर्ड अथवा ऋण चुकाने में चूक के इतिहास जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का उद्भव 1980 के दशक के अंत में पहली बार हुआ जब भारतीय सीआरए- क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) को 1987 में स्थापित किया गया था, वर्तमान में, सेबी के साथ जो पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, वे हैं:- क्रिसिल, फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ("आई.सी.आर.ए") क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड ("केयर"), ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनफॉर्मेशन वैल्यूएशन एंड प्राइवेट लिमिटेड तथा एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("एसएमईआरए")।

भारत में रेटिंग के विकास के प्रमुख घटकों में 1981-90 में हुई औसत राष्ट्रीय आय में (5.0 % वृद्धि) और 1989 - 1990 के मध्य (10.5% वृद्धि) है। 1991 के बाद भारत में अनेक क्षेत्रों यथा बैंकिंग, औद्योगिक, बुनियादी ढांचा बीमा एवं अन्य क्षेत्रों में पूंजी के मजबूत प्रवाह के कारण प्रति व्यक्ति खर्च क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। कारपोरेट्स एवं व्यक्तिगत निवेशकों में इस वृद्धि के कारण कुल मूल्य एवं मात्रात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस सबके फलस्वरूप देश में आर्थिक गतिविधियों में बढ़त महसूस की गई। तथापि निजी एवं संस्थागत निवेशक यह भी चाहते थे कि उनका निवेश सुरक्षित रहे। इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्रेडिट रेटिंग का कार्य देश में आरंभ हुआ।

22.3 क्रेडिट रेटिंग की संकल्पना (Concept of Credit Rating)

क्रेडिट रेटिंग का अर्थ: क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता की साख लेने की योग्यता का मात्रात्मक मूल्यांकन है। ऐसा सामान्य शर्तों या किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग कार्य किसी भी संस्था को सौंपा जा सकता है। यह उनके लिए किया जाता है, जो पैसे उधार लेना चाहते हैं- जैसे: एक व्यक्ति, निगम, राज्य, प्रांतीय प्राधिकरण अथवा संप्रभु सरकार। क्रेडिट ब्यूरो द्वारा व्यक्तिगत साख गणना की जाती है। कंपनियों और सरकारों के लिए साख आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य आमतौर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है यथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी), मूडीज अथवा फिच रेटिंग एजेंसी। इन रेटिंग एजेंसियों को उस इकाई द्वारा भुगतान किया जाता है जो अपने लिए या अपने किसी ऋण निर्गम के लिए क्रेडिट रेटिंग की मांग कर रही है।

क्रेडिट रेटिंग की परिभाषा: क्रेडिट रेटिंग वित्तीय दायित्व से जुड़ी साख संबंधी जोखिम का विश्लेषण है जो किसी वित्तीय लेख पत्र अथवा वित्तीय इकाई के लिए किया जाता है। यह एक विशेष इकाई को दी गई रेटिंग है, जो बताती है कि साख और इकाई के वित्तीय विवरण किस हद तक सही हैं, तथा वह उधार लेने और उधार देने की शर्तें जो अतीत में तय की गई हैं के आधार पर दी जाती हैं। क्रेडिट ब्यूरो उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास का मूल्यांकन करता है और फिर उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करता है। क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट ब्यूरो के अनुरोध पर ऋणदाता को ऋण का भुगतान करने की उधारकर्ता की क्षमता को दर्शाती है। इसकी गणना वित्तीय इतिहास, वर्तमान संपत्ति एवं देनदारियों पर निर्भर करती है। एक उधारकर्ता द्वारा लिये गये अपने ऋण के भुगतान करने की संभावना को इसके द्वारा देखा जा सकता है जो एक ऋणदाता या निवेशक को इस हेतु बताता है।

क्रेडिट रेटिंग से संबद्ध मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. इसका उपयोग कंपनी, देश या व्यक्ति के लिए साख की योग्यता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
2. वित्तीय, गैर-वित्तीय मापदंडों तथा पिछले क्रेडिट इतिहास जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद यह क्रेडिट रेटिंग की जाती है।
3. रेटिंग जब कर ली जाती है तो वह सरल रूपों में सार्वभौमिक समझ प्रदान करती है। क्रेडिट रेटिंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों को सामान्यीकृत किया जाता है तथा इसे सभी के लिए सरल एवं सामान्य समझ के अनुरूप बना लिया जाता है।
4. क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। इसमें वित्तीय, ग्राहक के कार्यालय, कार्य की जानकारी तथा अन्य प्रबंधन जानकारी सम्मिलित की जाती है।
5. यह रेटिंग वित्तीय दायित्व (अर्थात मूल राशि एवं ब्याज) को चुकाने की, उधार लेने वालों की क्षमता का आकलन है।
6. एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता का वित्तीय समकों के आधार पर आकलन करती है।
7. क्रेडिट रेटिंग प्राप्तियों में व्यक्त की जाती है उदाहरण के लिए एएए, बीबीबी हो सकता है जिसे आम आदमी समझ सकता है।
8. क्रेडिट रेटिंग प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा ही की जाती है।
9. क्रेडिट रेटिंग केवल विनियोगकर्ताओं हेतु मार्गदर्शन है। यह किसी विशेष प्रतिभूति में विनियोग की सिफारिश करती है।

आमतौर पर क्रेडिट रेटिंग उधार लेने या उधार देने वाले के वित्तीय इतिहास एवं किसी इकाई या व्यक्ति की ऋण योग्यता के आधार पर उसकी संपत्ति एवं देनदारियों के विवरण से प्राप्त ऋण को पूरा करने की क्षमता निर्धारित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट होती है। यह इकाई विशेष की शोधन क्षमता का आकलन करने में मदद करती है। विस्तृत विश्लेषण के आधार पर ये रेटिंग विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे- स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, इन्वेस्टर्स सर्विस और आई.सी.आर.ए. के द्वारा प्रकाशित की जाती है।

22.3 क्रेडिट रेटिंग कब अनिवार्य है? (When Credit Rating Become Compulsory?)

क्रेडिट रेटिंग तब अनिवार्य होती है जब उधारदाताओं को कुछ जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसा उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है कि ऋण लेने वाला समय पर ऋण चुका देगा। इसमें सभी ऋणदाता एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं और जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं। आमतौर पर क्रेडिट रेटिंग साख लेने वाले के वित्तीय इतिहास पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में होती है जो उधार लेने या उधार देने एवं इकाई या व्यक्ति से प्राप्त की जाने वाली ऋण योग्यता, अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों को पूरा करने की उनकी क्षमता का निर्धारण करने के उद्देश्य से की जाती है। यह विशेष इकाई की शोधन क्षमता का आकलन करने में मदद करती है। इस विस्तृत विश्लेषण के आधार पर रेटिंग विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की जाती है-जैसे: स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, इन्वेस्टर्स सर्विस और आई.सी.आर.ए।

क्रेडिट रेटिंग कैसे काम करती है?

ऋण एक देनदारी है- अनिवार्य रूप से यह एक संविदात्मक वचन है। क्रेडिट रेटिंग इस संभावना को सुनिश्चित करती है कि उधारकर्ता ऋण को ऋण समझौते की सीमाओं के भीतर, बिना कोई चूक किए भुगतान करने में सक्षम एवं इच्छुक होगा। उच्च क्रेडिट रेटिंग बिना किसी समस्या के संपूर्णता के साथ ऋण का भुगतान करने की संभावना को

इंगित करता है। खराब क्रेडिट रेटिंग यह इंगित करती है कि कर्दाता को पूर्व में कर्ज चुकाने में परेशानी हुई है तथा वह भविष्य में उसी व्यवहार को बनाए रख सकता है। क्रेडिट रेटिंग यह तय करने में मदद करती है कि किसी दिए गए ऋण के स्वीकृत होने अथवा इस ऋण के अनुकूल शर्तों पर प्राप्त करने की संभावना कितनी है?

एक क्रेडिट रेटिंग एक संभावित देनदार (एक व्यक्ति, एक व्यवसाय, कंपनी या सरकार) के ऋण जोखिम का मूल्यांकन है, जो उसकी ऋण चुकाने की क्षमता की संभावना को दर्शाती है। यह देनदार के ऋण का भुगतान करने में चूक की संभावना का एक अंतर्निहित पूर्वानुमान है। क्रेडिट रेटिंग संभावित देनदार हेतु गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें संभावित देनदार द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के विश्लेषकों द्वारा प्राप्त अन्य गैर-सार्वजनिक जानकारियां सम्मिलित है। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्टिंग (या क्रेडिट स्कोर) क्रेडिट रेटिंग का एक वर्ग है जो किसी व्यक्ति की साख प्राप्त करने की योग्यता का संख्यात्मक मूल्यांकन है। इसे क्रेडिट ब्यूरो अथवा उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जाता है।

22.4 क्रेडिट रेटिंग की विषय- सूची (Content list of Credit Rating)

क्रेडिट रेटिंग से संबंधित विषय सामग्री में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है:-

- शासकीय क्रेडिट रेटिंग
- लघु एवं दीर्घकालीन क्रेडिट रेटिंग
- निगमीय क्रेडिट रेटिंग
- शासकीय क्रेडिट रेटिंग

एक शासकीय क्रेडिट रेटिंग एक संप्रभु इकाई की क्रेडिट रेटिंग है। यथा किसी राष्ट्रीय सरकार की क्रेडिट रेटिंग। शासकीय क्रेडिट रेटिंग किसी देश के निवेश वातावरण में निहित जोखिम के स्तर को इंगित करती है तथा निवेशकों द्वारा विशेष अधिकार क्षेत्र में निवेश करने हेतु उपयोगी होती है। यह राजनीतिक जोखिम को भी दृष्टिगत रखती है।

देश जोखिम रैंकिंग : नीचे विश्व के सबसे कम ग्यारह जोखिम वाले राष्ट्रों की सूची दी गई है जो स्टैंडर्ड एवं पूअर ने 2021 वर्ष के लिए जारी की थी।

1. जर्मनी
2. ऑस्ट्रेलिया
3. कनाडा
4. स्विट्जरलैंड
5. डेनमार्क
6. लिटेस्टोन
7. लक्जमबर्ग
8. नीदरलैंड
9. नॉर्वे
10. स्वीडन
11. सिंगापुर

उपरोक्त सूची "देश जोखिम रैंकिंग" वर्ष 2021 तक निवेश के लिए विश्व के ग्यारह सबसे कम जोखिम वाले देशों को दर्शाती है। इस रेटिंग को आगे राजनीतिक जोखिम, आर्थिक जोखिम सहित घटकों में विभाजित किया जाता है। यूरोमनी का द्विवार्षिक जोखिम सूचकांक 185 देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता की निगरानी करता है।

परिणाम अर्थशास्त्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से निर्यातकों के लिए संप्रभु डिफॉल्ट जोखिम या भुगतान डिफॉल्ट जोखिम (जिसे व्यापार ऋण जोखिम भी कहा जाता है)।

ए.एम.बेस्ट ने "देश जोखिम" को ऐसी जोखिम के रूप में परिभाषित किया है जिसमें देश-विशिष्ट कारक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

लघु और दीर्घकालिक रेटिंग: यह रेटिंग इस संभावना को व्यक्त करती है कि एक श्रेणी निर्धारित किया जाने वाला पक्षकार कितने समय में ऋण चुकाने में त्रुटि करने वाला बन सकता है। सामान्य तौर पर, एक वर्ष या उससे कम की समयावधि को अल्पावधि माना जाता है। इससे ऊपर की किसी भी अवधि को दीर्घकालिक माना जाता है। पूर्व में संस्थागत निवेशक लंबी अवधि की रेटिंग पर विचार करना पसंद करते थे, किंतु आजकल अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग व्यवसायों एवं सरकारों के लिए की जाती है, जबकि क्रेडिट स्कोर व्यक्तियों पर लागू होते हैं। क्रेडिट स्कोर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों जैसे:-इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और ट्रांसयुनियन द्वारा बनाए गए क्रेडिट इतिहास से प्राप्त किए जाते हैं। किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर संख्या के रूप में सूचित किया जाता है। आमतौर पर यह संख्या 300 से 850 तक होती है। इसी तरह, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग राष्ट्रीय सरकारों पर लागू होती है, जबकि कारपोरेट क्रेडिट रेटिंग पूरी तरह से निगमित निकायों के लिए होती है।

अल्पकालिक क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता के एक वर्ष की अवधि के भीतर चूक करने की संभावना को दर्शाती है। इस तरह की अल्पावधि क्रेडिट रेटिंग हाल ही के वर्षों में अत्यंत उपयोगी बन गई है। पूर्व में, लंबी अवधि की क्रेडिट रेटिंग पर अधिक विचार किया जाता था। लंबी अवधि की क्रेडिट रेटिंग विस्तारित अवधि में किसी भी समय उधारकर्ता की चूक की संभावना का अनुमान लगाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर रेटिंग दर्शाने के लिए वर्णमाला ग्रेड प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, स्टैंडर्ड एवं पूअर रेटिंग एजेंसी का क्रेडिट रेटिंग पैमाना AAA (उत्कृष्ट) से लेकर C और D तक होता है। ABB से नीचे रेटिंग वाले ऋण प्रदत्त को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक अथवा अधिक ब्याज दर वसूल किया जाने वाला ऋणपत्र माना जाता है, जिसका अर्थ यह है की अदायगी में त्रुटि होने की अधिक संभावना है।

प्रमुख निष्कर्ष

- क्रेडिट रेटिंग सामान्य शर्तों अथवा किसी विशेष ऋण अथवा वित्तीय दायित्व के संबंध में एक उधारकर्ता की साख का मूल्यांकन है।
- क्रेडिट रेटिंग न केवल यह निर्धारित करता है कि एक उधारकर्ता को ऋण स्वीकृत किया जाएगा या नहीं अपितु यह किसी ऋण अथवा वित्तीय दायित्व हेतु ब्याज दर को भी निर्धारित करता है, जिस पर ऋण दिया जा सकता है तथा जिसे चुकाना आवश्यक होगा।
- उधार लेने की इच्छा रखने वाली किसी भी इकाई को क्रेडिट रेटिंग अथवा अंक प्रदान किया जा सकता है, यह इकाई एक व्यक्ति, निगम, राज्य या प्रांतीय प्राधिकरण या संप्रभु सरकार हो सकती है। व्यक्तिगत क्रेडिट की गणना फेयर इसाक निगम के आधार पर संख्यात्मक पैमाने पर की जाती है जबकि व्यवसायों एवं सरकारों द्वारा जारी किए गए बांडों पर क्रेडिट एजेंसियों द्वारा एक वर्णमाला आधारित प्रणाली पर मूल्यांकित किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग "बडी तीन" क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों वाला एक अत्यधिक केंद्रित उद्यम है जिनके द्वारा लगभग 95 प्रतिशत रेटिंग व्यवसाय को नियंत्रित किया जाता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) मिलकर वैश्विक बाजार के 80 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करते हैं, जबकि फिच रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग उद्योग की 15 प्रतिशत बाजार नियंत्रित करती है।

क्रेडिट रेटिंग क्या नहीं है?

- पूरी कंपनी के लिए नहीं, क्रेडिट रेटिंग किसी विशेष वित्तीय दस्तावेज के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए ऋणपत्रों के एक विशेष वर्ग के लिए न कि समग्र रूप से कंपनी के लिए। यह संभव है कि एक ही कंपनी द्वारा जारी किए गए दो वित्तीय दस्तावेज अलग-अलग हों तो उनकी रेटिंग भी अलग अलग हो सकती है।
- विश्वसनीय संबंध नहीं: क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और निवेशक के मध्य विश्वास का संबंध (Fiduciary Relationships) नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ निवेशकों के लिए जोखिम मूल्यांकन की जानकारी कराती है।
- रेटेड कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता का सत्यापन नहीं: रेटिंग का अर्थ यह नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस सूचना की सत्यता की भी पुष्टि भी करती है जिसे रेटेड कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है।
- रेटिंग हमेशा के लिए नहीं : क्रेडिट रेटिंग जोखिम का एकमुश्त मूल्यांकन नहीं है यह कंपनी के पूरे जीवन काल के लिए मान्य नहीं होती है तथा समय समय पर बदल सकती है।

अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग: निम्नलिखित मामलों में क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना अनिवार्य है:

1. **ऋण प्रतिभूतियों के लिए :** भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने मिलकर क्रेडिट रेटिंग बनाई है। सभी गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में यह अनिवार्य है जहां परिकल्पना अवधि 18 महीने से अधिक हो।
2. **सार्वजनिक जमा :** कंपनियों में जमाओं की रेटिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
3. **वाणिज्य पत्रों के लिए :** इन पत्रों की जानकारी करने से पूर्व भी क्रेडिट रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार वाणिज्य पत्रों के लिए क्रिसिल द्वारा पी 2 की रेटिंग या आई.सी.आर.ए. द्वारा ए 2 अथवा केयर द्वारा पी पी 2 रेटिंग आवश्यक है।
4. **गैर-बैंकिंग कंपनियां, गैर-वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के साथ सावधी जमा लिए:** गैर बैंकिंग कंपनियों के लिये कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा सावधी जमा लेने के लिए अनिवार्य कर दी गई है।

22.5 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं? (How Credit Rating Agencies Work in India?)

क्रेडिट रेटिंग की गणना करने के लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी की अपनी कार्यविधि होती है। कंपनियां, राज्य सरकारों, गैर-लाभकारी संगठनों, देशों, प्रतिभूतियों, विशेष प्रयोजन संस्थाओं और स्थानीय सरकारी निकायों सहित यह अनेक तरह की संस्थाओं का मूल्यांकन करती है। रेटिंग की गणना के समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्तीय विवरण, ऋण के प्रकार, उधार और उधार इतिहास, ऋण चुकाने की क्षमता एवं इकाई के पिछले ऋणों की रेटिंग इत्यादि अनेक कारकों को ध्यान में रखते हैं। एक बार जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी संस्थाओं का मूल्यांकन करती है, तो ये निवेशकों को अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान करती हैं इसके बाद निवेशक विश्लेषण करता है तथा एक अच्छा निवेश निर्णय लेता है। संस्थाओं को दी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग वित्तीय बाजार नियमों के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करती है। तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि रेटिंग को निवेशकों के लिए सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए अपितु इसे ठोस निर्णय लेने हेतु एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

विभिन्न रेटिंग स्केल

किसी व्यक्ति की साख योग्यता को उसके स्कोर द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह, कंपनी की साख योग्यता को एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), कंपनी

जमा, सावधी जमा, का मूल्यांकन करती हैं। नीचे लंबी अवधि एवं मध्य अवधि के ऋण साधनों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाये गये कुछ क्रेडिट रेटिंग प्रतीकों पर एक नजर डाली जा सकती है।

सारणी - 1

रेटिंग माप	इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च	क्रिसिल	ब्रिकवर्क रेटिंग	केयर	आई सी आर ए
उच्चतम सुरक्षा : डिफाल्टर बनने की बहुत कम जोखिम	आई एन डी ए ए ए	क्रिसिल ए ए ए	बी डब्ल्यू आर ए ए ए	केयर ए ए ए	आई सी आर ए ए ए ए
उच्चतम सुरक्षा: बहुत कम क्रेडिट जोखिम	आई एन डी ए ए	क्रिसिल ए ए	बी डब्ल्यू आर ए ए	केयर ए ए	आई सी आर ए ए ए
कम जोखिम	आई एन डी ए	क्रिसिल ए	बी डब्ल्यू आर ए	केयर ए	आई सी आर ए ए
मध्यम सुरक्षा : मध्यम क्रेडिट जोखिम	आई एन डी बी बी बी	क्रिसिल बी बी बी	बी डब्ल्यू आर बी बी बी	केयर बी बी बी	आई सी आर ए बी बी बी
मध्यम जोखिम : चूक जाने की मध्यम जोखिम	आई एन डी बी बी	क्रिसिल बी बी	बी डब्ल्यू आर बी बी	केयर बी बी	आई सी आर ए बी बी
उच्च जोखिम : चूक जाने की उच्च जोखिम	आई एन डी बी	क्रिसिल बी	बी डब्ल्यू आर बी	केयर बी	आई सी आर ए बी
अत्यधिक उच्च जोखिम: चूक जाने की अत्यधिक जोखिम	आई एन डी सी	क्रिसिल सी	बी डब्ल्यू आर सी	केयर सी	आई सी आर ए सी
चूक : लिखत पहिले से ही चूक की श्रेणी में अथवा चूक के कगार पर	आई एन डी डी	क्रिसिल डी	बी डब्ल्यू आर डी	केयर डी	आई सी आर ए डी

22.6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्य/महत्व (Function/Importance of Credit Rating Agencies)

1. **निष्पक्ष राय** : रेटिंग एजेंसी निवेशकों को निष्पक्ष राय प्रदान करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेटेड कंपनी में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है।

2. **गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद जानकारी :** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जोखिम का आकलन करने के लिए योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को रोजगार पर रखती है। इनके पास उधार लेने वाली कंपनी की साख के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी होती है इसलिए वे ऋण लेने वाले के बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
3. **समझने के आसान भाषा में जानकारी :** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ सूचनाओं का विश्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्षों को समझने में आसान भाषा में प्रस्तुत करती हैं। यह प्रतीकात्मक भाषा के रूप में जो प्रायः एएए, बीबी सी वर्णमाला में होती है, न कि तकनीकी भाषा में अथवा लंबी रिपोर्ट के रूप में।
4. **सूचना निःशुल्क या नाममात्र की लागत पर :** लिखतों अथवा वित्तीय दस्तावेजों की रेटिंग प्रायः वित्तीय समाचार पत्रों एवं रेटेड कंपनियों के विज्ञापनों में प्रकाशित होती हैं। आमजन को इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। इसे कोई भी व्यक्ति नाममात्र शुल्क का भुगतान करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त कर सकता है।
5. **निवेशकों को निवेश सम्बन्धी फैसले लेने में मदद :** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग कर जोखिम का आकलन और निवेश निर्णय लेने में निवेशकों की मदद करती है।
6. **कारपोरेट उधारकर्ता में अनुशासन को प्रोत्साहन :** जब एक उधारकर्ता को उच्च क्रेडिट रेटिंग मिलती है तो यह उसकी ख्याति में वृद्धि करने में सहायक होती है। अन्य कंपनियाँ भी रेटिंग करवाने में पीछे नहीं रहना चाहती। वे इस हेतु अपने कामकाज में वित्तीय अनुशासन पैदा करने एवं नैतिक मापदंडों का पालन करने का प्रयास करती है ताकि वे अच्छी रेटिंग के योग्य बन सकें। यह प्रवृत्ति कंपनियों में स्वस्थ अनुशासन को बढ़ावा देती है।
7. **निवेश पर सार्वजनिक नीति का निर्माण :** जब ऋण प्रपत्र को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित किया गया हो तो सेबी एवं आर बी आई जैसे नियामकों द्वारा नीतियाँ निर्धारित की जा सकती हैं जो प्रतिभूतियों की पात्रता के बारे में बताती है जिसके आधार पर विभिन्न संस्थाओं जैसे- म्यूचल फंड, भविष्य निधि ट्रस्ट आदि के द्वारा अपने धन का निवेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि एक म्यूचल फंड किसी कंपनी के डिबेंचर में तब तक निवेश करने का निर्णय नहीं करे जब तक की उसे एएए रेटिंग न मिली हो।

22.7 क्रेडिट रेटिंग के लाभ (Advantage of Credit Rating)

क्रेडिट रेटिंग के अनेक फायदे हैं जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- निवेशक को लाभ
- रेटेड कंपनी को लाभ
- बिचौलियों को लाभ
- व्यापार जगत को लाभ
- **निवेशकों को लाभ:-** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग के बाद निवेशकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो जाते हैं-
 1. **जोखिम का आकलन-** क्रेडिट रेटिंग के बाद निवेशक नए निवेश में निहित जोखिम का आकलन कर सकता है। एक छोटे व्यक्तिगत निवेशक के पास पर्याप्त कौशल, समय और संसाधन नहीं होते कि वह विस्तृत जोखिम का मूल्यांकन स्वयं कर सके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जिनके पास विशेषज्ञ, ज्ञान, कौशल एवं जन शक्ति होती है इन विषयों का अध्ययन कर इस काम को कर सकती हैं। ये रेटिंग एजेंसियाँ प्रतीकों में व्यक्त की जाने वाली रेटिंग है जैसे एएए, बीबी आदि। इस प्रकार की गयी रेटिंग को निवेशकों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

2. **कम कीमत में सूचना-** क्रेडिट रेटिंग वित्तीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती हैं तथा रेटिंग एजेंसियों से नाम मात्र के शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है। इस तरह निवेशकों को बिना किसी या कम कीमत पर उधारकर्ताओं की साख के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
3. **निरंतर निगरानी का लाभ-** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सामान्यतः एक बार ही प्रतिभूतियों की रेटिंग नहीं करती हैं, वह लगातार उनकी निगरानी करती हैं तथा बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर रेटिंग को अपग्रेड अथवा डाउनग्रेड करती रहती हैं।
4. **निवेशकों को निवेश का विकल्प प्रदान करती हैं-** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ विभिन्न कंपनियों की साख के बारे में जानकारी एकत्रित करने में निवेशकों की मदद करती हैं। इस तरह निवेशकों के पास किसी न किसी कंपनी में निवेश करने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है।
5. **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग भरोसेमंद होती है-** एक रेटिंग एजेंसी की मूल्यांकन की जा रही प्रतिभूति में कोई रुचि नहीं होती तथा इसका जानकारी कंपनी के प्रबंधन के साथ कोई व्यवसायिक संबंध भी नहीं होता, इसलिए इनके द्वारा दी गई रेटिंग निष्पक्ष और विश्वसनीय होती है।

● **रेटेड कंपनी को लाभ**

1. **उधार लेने में आसानी-** यदि कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के लिए उच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करती है, तो वह पूंजी बाजार में अधिक आसानी के साथ धन एकत्र कर सकती है।
2. **सस्ती दरों पर उधार लेना-** एक अनुकूल रूप से मूल्यांकित कंपनी को निवेशकों का विश्वास हासिल होता है इसलिए वह कम ब्याज दर पर उधार ले सकती है।
3. **विकास को सुगम बनाती है-** अनुकूल रेटिंग से उत्साहित कंपनी प्रवर्तक अपने व्यवसाय की विचाराधीन व विकास योजनाओं को प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित किये जा सकते हैं। इसके अलावा उच्च श्रेणी से रेटेड कंपनियों को स्वामित्व अथवा ऋण प्रतिभूति के माध्यम से जनता से धन जुटाना आसान लगता है। उन्हें बैंकों से कर्ज लेना भी आसान हो जाता है।
4. **कम ज्ञात कंपनियों को मान्यता-** प्रतिभूतियों की अनुकूल क्रेडिट रेटिंग कम ज्ञात या अज्ञात कंपनियों को निवेश करने वाली जनता की नजर में विश्वसनीयता एवं पहचान प्रदान करती हैं।
5. **रेटेड कंपनी की ख्याति में वृद्धि-** यदि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को मूल्यांकन के आधार पर एजेंसियाँ द्वारा उच्च दर्जा दिया जाता है तो ऐसी कंपनी की बाजार में ख्याति स्वतः ही बढ़ जाती है।
6. **उधारकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू करना-** उधार लेने वाली कंपनियाँ यह जानती हैं कि उन्हें उच्च क्रेडिट रेटिंग तभी मिलेगी जब वह अनुशासित तरीके से अपने वित्त का प्रबंधन करेंगी। अतः वे अच्छी परिचालन कुशलता, उपयुक्त तरलता एवं अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्ति बनाए रखने हेतु प्रेरित होती हैं। इसके फलस्वरूप कंपनी में वित्तीय अनुशासन की भावना विकसित होती है।
7. **अधिक जानकारी प्रकट करना-** किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए, कंपनियों को स्वयं के संचालन के बारे में बहुत सारी जानकारियों का खुलासा करना होता है। यह अधिक से अधिक सूचना प्रकटीकरण, बेहतर लेखा मानकों एवं बेहतर वित्तीय जानकारी को प्रोत्साहित करता है। जो बदले में निवेशकों की सुरक्षा में मदद करती है।

● **बिचौलियों को लाभ**

1. **मर्चेन्ट बैंकरों और दलालों का कार्य आसान :** क्रेडिट रेटिंग के अभाव में मर्चेन्ट बैंकरों एवं दलालों को उधार लेने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों को स्वयं समझाना होता। जब एक उधार लेने वाली कंपनी की क्रेडिट रेटिंग किसी प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की जाती है तो मर्चेन्ट बैंकरों एवं

दलालों का काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि निवेशक अनावश्यक रूप से मर्चेट बैंकर एवं दलालों से अनेक प्रकार की खोजबीन एवं प्रश्न नहीं करते।

- **व्यापार जगत को लाभ**

1. **निवेशक आबादी में वृद्धि** : यदि निवेशकों को क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से ऋण साधनों में पैसा निवेश के बारे में अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो अधिक से अधिक लोग कारपोरेट ऋणों में अपनी बचत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वे अपने धन को अच्छी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं।
2. **विदेशी निवेशकों का मार्गदर्शन** : विदेशी सहयोगी अपने वित्तीय संसाधन को उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है। क्रेडिट रेटिंग उन्हें कंपनी की आर्थिक स्थिति की पहचान करने में सक्षम बनाती है। किसी दूसरे देश में विनियोग की दशा में क्रेडिट रेटिंग निर्णय लेने में विदेशी निवेशकों की सहायता करती हैं।

22.8 क्रेडिट रेटिंग के दौरान विचार किए जाने वाले घटक (Factors to be considered during Credit Rating)

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग देने से पूर्व प्रायः निम्नलिखित घटकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं :

1. **जारीकर्ता द्वारा लिए गए ऋण हेतु सेवा प्रदान करने की क्षमता-**
 - जारीकर्ता कंपनी का अतीत में और भविष्य के लिए नकदी प्रवाह।
 - आकलन कि कंपनी को उधार पर ब्याज के रूप में कितना पैसा देना होगा।
 - उसकी स्वयं की आय कितनी होगी?
 - बकाया ऋण कितने हैं ?
 - चालू अनुपात की गणना के माध्यम से कंपनी की अल्पकालिक शोधन क्षमता।
 - कंपनी द्वारा संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्या।
 - उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की उपलब्धता, गुणवत्ता, अनुकूल स्थान एवं लागत लाभ।
 - प्रवर्तकों, संचालकों एवं कर्मचारियों की विशेषज्ञता एवं पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड।
2. **कंपनी की बाजार स्थिति** : कंपनी के विभिन्न उत्पादों का बाजार में अंश कितना है? यदि वह स्थिर हो तो भी क्या कंपनी को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त है, वितरण नेटवर्क के कारण लाभ, ग्राहक आधार, अनुसंधान, विकास सुविधाएं आदि।
3. **प्रबंधन की गुणवंता** : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वरिष्ठ प्रबंधन के पुराने निष्पादन को भी ध्यान में रखेगी साथ ही प्रबंधक द्वारा बनाई गयी रणनीति, उसकी योग्यता और प्रबंधकीय दर्शन को भी ध्यान में रखा जाता है।
4. **लिखित प्रतिभूति की कानूनी स्थिति** : इसका मतलब यह है कि क्या जारी किया गया लिखित प्रतिरूप कानूनी रूप से वैध है; उन्हें जारी करने और शोधन के नियम और शर्तें क्या हैं; वे किस सीमा तक धोखाधड़ी से सुरक्षित हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड की शर्तें क्या हैं आदि।
5. **उद्योग जोखिम** : मांग और आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर उद्योग की जोखिम का अध्ययन किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि उस उद्योग के उत्पादों (जैसे लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन) के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति कैसी है?, उस उद्योग के लिए भविष्य की संभावनाएं क्या हैं?, इसमें क्या नया चल रहा है?, यह उद्योग मरणासन्न है अथवा क्या इसका विस्तार होगा?

6. **नियामक वातावरण** : क्या उद्योग को सरकार द्वारा विनियमित किया जा सकता है (स्वर्ण आभूषण उद्योग की तरह)? क्या इस पर मूल्य नियंत्रण है?, क्या इसके लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है?, क्या यह कर रियायतों इत्यादि का लाभ उठा सकता है?
7. **अन्य कारक** : उपरोक्त के अलावा, क्रेडिट रेटिंग के लिए ध्यान देने योग्य अन्य कारकों में एक कंपनी की लागत संरचना, बीमा कवर, लेखा गुणवत्ता, बाजार प्रतिष्ठा, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, मानव संसाधन गुणवत्ता, वित्त पोषण नीति, लाभ उठाने की स्थिति, लचीलापन, विनिमय दर जोखिम आदि प्रमुख हैं।

22.9 क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया (Process of Credit Rating)

भारत में क्रेडिट रेटिंग ज्यादातर उधारकर्ता अथवा जारीकर्ता कंपनियों के अनुरोध पर की जाती है। उधारकर्ता या जारीकर्ता कंपनी रेटिंग निर्दिष्ट करने हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अनुरोध करती है। अधिकांश क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

1. **समझौता** : रेटिंग एजेंसी और पैसा प्राप्त करने की इच्छुक कंपनी के बीच एक समझौता किया जाता है। इसमें रेटिंग करने के नियमों और शर्तों के बारे में विवरण सम्मिलित है।
2. **विश्लेषणात्मक टीम की नियुक्ति** : रेटिंग एजेंसी विशेषज्ञों की एक टीम को काम सौंपती है। टीम में आमतौर पर दो विश्लेषक होते हैं जिन्हें प्रासंगिक व्यवसायिक क्षेत्र का विशेषज्ञ ज्ञान होता है एवं ये ही रेटिंग करने हेतु जिम्मेदार होते हैं।
3. **जानकारी प्राप्त करना** : विश्लेषण टीम ग्राहक कंपनी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करती है तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह अध्ययन, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति एवं आधार, बाजार हिस्सेदारी, परिचालन दक्षता व्यवस्था, प्रबंधन लागत संरचना, विक्रय एवं वितरण रिकॉर्ड, ऊर्जा (बिजली) और श्रम की स्थिति आदि की जानकारी एकत्र करती है।
4. **अधिकारियों से मिलना** : ग्राहकों के व्यवसाय के बारे में स्पष्टीकरण एवं समझ के लिए विश्लेषण टीम ग्राहकों के अधिकारियों के पास जाती है और बातचीत करती है।
5. **निष्कर्षों के बारे में चर्चा** : तथ्यों के अध्ययन और उनके विश्लेषण के पूरा हो जाने के बाद विश्लेषण दल द्वारा मामले को आंतरिक समिति के समक्ष रखा जाता है (जिसमें वरिष्ठ विश्लेषक सम्मिलित होते हैं)। रेटिंग के बारे में उनकी राय ली जाती है।
6. **रेटिंग समिति की बैठक** : आंतरिक समिति के निष्कर्षों को "रेटिंग समिति" के लिए संदर्भित किया जाता है जिसमें प्रायः कुछ निदेशक सम्मिलित होते हैं, जिन्हें रेटिंग देने का अंतिम अधिकार होता है।
7. **निर्णय का संचार** : रेटिंग समिति द्वारा तय की गई रेटिंग के बारे में अनुरोध करने वाली कंपनी को सूचित कर दिया जाता है।
8. **जनता को सूचना** : रेटिंग एजेंसी/कंपनी द्वारा रेटिंग रिपोर्ट एवं प्रेस के माध्यम से विज्ञापित कर प्रचार भी किया जाता है।
9. **रेटिंग में संशोधन** : एक बार जारीकर्ता कंपनी ने रेटिंग स्वीकार कर ली है तो रेटिंग एजेंसी सौंपी गई रेटिंग की निगरानी करने के लिए बाध्य है। रेटिंग एजेंसी प्रतिभूति लिखत के जीवन के दौरान सभी प्रदान की गयी रेटिंग की निगरानी करती है।

22.10 क्रेडिट रेटिंग के प्रकार (Kinds of Credit Rating)

भारत में निम्नलिखित प्रकार की क्रेडिट रेटिंग की जाती है :

1. **बांड और डिबेंचर की रेटिंग :** बांड एवं ऋण पत्रों के लिए रेटिंग सबसे अधिक लोकप्रिय है। व्यवहारिक रूप से, सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बांड एवं डिबेंचर के लिए रेटिंग कर रही हैं।
2. **समता अंशों की रेटिंग:** भारत में समताअंशों की रेटिंग अनिवार्य नहीं है लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए, ने समताअंशों रेटिंग के लिए एक प्रणाली तैयार की है। यहां तक कि सेबी के पास भी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग के लिए कोई तत्कालिक योजना नहीं है।
3. **पूर्वाधिकार अंशों की रेटिंग:** भारत में पूर्वाधिकार अंशों का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, हालांकि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस 1973 से वरीयता शेयरों की रेटिंग कर रही है एवं आईसीआरए के पास भी इस हेतु प्रावधान हैं।
4. **मध्यम अवधि के ऋणों की रेटिंग (सार्वजनिक जमा, जमा प्रमाण पत्र आदि) :** भारत में कंपनियों द्वारा लिए गए सावधि जमा को नियमित पैमाने पर रेटिंग दी जाती है।
5. **अल्पकालीन लिखतों की रेटिंग (वाणिज्यिक पत्र सीपी) :** अल्पकालिक लिखतों जैसे:- वाणिज्यिक पत्र की क्रेडिट रेटिंग 1990 से शुरू की गई है। अल्पकालिक लिखतों की क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है जो क्रिसिल, आईसीआरए एवं केयर के द्वारा की जा रही है।
6. **उधारकर्ताओं की रेटिंग:** उधारकर्ताओं की रेटिंग (जो एक व्यक्ति या कोई कंपनी हो सकती है) के लिए भी रेटिंग देने का कार्य एजेंसियाँ करती हैं।
7. **रियल एस्टेट बिल्डरों और डेवलपर्स की रेटिंग-** बहुत सारे निजी कॉलोनी बनाने वाले, फ्लैट बनाने वाले बड़े शहरों में बिल्डर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके बारे में रेटिंग यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वे ठीक से कॉलोनी को विकसित करेंगे तथा फ्लैट बनाएं। क्रिसिल ने भवन बनाने एवं कॉलोनियों का विकास करने वालों की भी रेटिंग शुरू कर दी है।
8. **चिटफंड की रेटिंग:** चिटफंड बचतकर्ताओं से मासिक योगदान एकत्र करते हैं तथा उन प्रतिभागियों को ऋण भी देते हैं जो उच्चतम ब्याज दर की पेशकश करते हैं। चिटफंड की रेटिंग ग्राहकों को पुरस्कार राशि का समय पर भुगतान करने की उनकी क्षमता के आधार पर की जाती है। क्रिसिल चिटफंड की क्रेडिट रेटिंग का कार्य करता है।
9. **बीमा कंपनियों की रेटिंग:** निजी क्षेत्र के कंपनियों के बीमा क्षेत्र में प्रवेश के साथ बीमा कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग भी जोर पकड़ रही है। बीमा कंपनियों का उनकी दावा भुगतान की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है (यह उच्च पर्याप्त, मध्यम या कमजोर दावा-भुगतान की क्षमता हो सकती है) आईसीआरए बीमा कंपनियों की रेटिंग का कार्य कर रही हैं।
10. **सामूहिक निवेश योजनाओं की रेटिंग :** जब बड़ी संख्या में निवेशकों का धन सामूहिक रूप से निवेश किया जाता है तो उन्हें सामूहिक निवेश योजनाएं का जाता है। उनके बारे में क्रेडिट रेटिंग के आकलन का मतलब है कि क्या योजना सफल होगी अथवा विफल? आईसीआरए ऐसी योजनाओं की क्रेडिट रेटिंग कर रहा है।
11. **बैंकों की रेटिंग :** निजी और सहकारी बैंक पिछले कुछ समय में नियमित रूप से विफल हो रहे हैं। आमजन उन बैंकों में पैसा जमा कराना पसंद करते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत एवं सक्षम हो तथा जमाकर्ताओं की जमा राशि समय पर वापस करने के समर्थ हो। क्रिसिल एवं आईसीआरए बैंकों की रेटिंग क्रेडिट रेटिंग कर रहे हैं।
12. **राज्यों की रेटिंग :** भारत में राज्यों को भी अब आईसीआरए रेट किया जा रहा है कि क्या वे नए निवेश हेतु उपयुक्त हैं अथवा नहीं। अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले राज्य देश के भीतर एवं विदेशों से निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं।
13. **देश की रेटिंग :** विदेशी निवेशक और ऋणदाता यह जानने में रुचि रखते हैं कि ऋण लेने वाले देश की ऋण चुकाने की क्षमता एवं लिए गए ऋण को चुकाने की इच्छा कितनी है? वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उस देश में निवेश लाभदायक है भी अथवा नहीं? किसी देश की रेटिंग के दौरान जिन कारकों पर विचार किया जाता है,

वह हैं उसका औद्योगिक व कृषि उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी नीतियां, मुद्रास्फीति की दर, घाटे के वित्तपोषण की सीमा इत्यादि। मूडीज एवं मार्गन स्टेनली देशों की रेटिंग का कार्य कर रहे हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया के चरणों के बिन्दुओं का उल्लेख कीजिए।
2. क्रेडिट रेटिंग समिति की भूमिका से अप क्या समझते हैं?
3. क्या भारत में समता अंशों की रेटिंग अनिवार्य है?
4. रियल एस्टेट बिल्डरों एवं डवल्लोपर्स की रेटिंग से क्या लाभ हैं?
5. बैंकों की रेटिंग से क्या लाभ हैं?

22.11 भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating Agencies in India)

भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं एवं जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं, उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-

1. **क्रेडिट रेटिंग एंड इनफार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)**- यह भारत की पहली रेटिंग एजेंसी है, जिसे निगमित किया गया था और जिसे यूटीआई (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया), आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड ने अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ वर्ष 1987 में मिलकर प्रवर्तित किया था।
 - 1 वर्ष बाद अर्थात् 1988 में इसने अपना संचालन शुरू किया।
 - इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।
 - यह भारत की सर्वाधिक रेटिंग देने वाला संस्थान है साथ ही शोध एवं अनुसंधान, विश्लेषण और समाधान, विकास और नवाचार के एक मजबूत ट्रेक रिकॉर्ड के साथ यह भारत की अग्रणी रेटिंग प्रदाता एजेंसी है।
 - यह स्वतंत्र राय देने एवं कुशल समाधान प्रदान करने की दृष्टि से अपनी ख्याति बनाए हुए हैं।
 - क्रिसिल का व्यवसाय संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, पोलैंड, ब्रिटेन, भारत, चीन, हांगकांग और सिंगापुर सहित 8 देशों से संचालित होता है।
 - क्रिसिल का बहुसंख्यक शेयर धारक स्टैंडर्ड एंड पूअर्स है।
 - यह भारत में सरकारों और नीति निर्माताओं के साथ बुनियादी ढांचे के उभरते बाजारों के साथ भी काम करता है।
2. **निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आई.सी.आर.ए.)**
 - भारत में कार्यरत दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आई.सी.आर.ए. थी जो 1991 में स्थापित की गई थी। इसे प्रमुख वित्तीय निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय सेवा कंपनियों ने मिलकर स्थापित किया था। यह एक स्वतंत्र एवं पेशेवर निवेश सूचना देने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में स्थापित की गई थी।
 - यह एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी है।
 - उसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
 - आईसीआई की बहुसंख्यक शेयर धारक मूडीज है।
3. **क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)**
 - 1993 में स्थापित की जाने वाली एक अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर थी।
 - यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।

- उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।
- केयर रेटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी के पाँच भागीदारों में से एक है जिसे एआरसी रेटिंग कहा जाता है।

4. ओनिक्का

- यह ओनिडा फाइनेंस द्वारा स्थापित एक निजी क्षेत्र की एजेंसी है।
- इसका प्रधान कार्यालय गुड़गांव में स्थित है।
- यह व्यक्ति एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट को जोखिम मूल्यांकन एवं विश्लेषणात्मक समाधान प्रदान करती है।
- यह एन.एस.आई.सी. (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम) द्वारा लाइसेंस प्राप्त केवल 7 एजेंसियों में से एक है जो एमएसएमई को रेटिंग प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी।
- इसके 125 स्थानों पर कार्यालय हैं एवं इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है।

5. एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च (पहले एसएमईआरए रेटिंग्स लिमिटेड)

2011 में स्थापित यह एजेंसी जिसे पहले स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को अब एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च नाम दिया गया है। इसके दो प्रमुख विभाग हैं- बॉन्ड रेटिंग और लघु एवं मध्यम उपक्रम रेटिंग। यह मौजूदा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है।

6. ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सेबी के साथ पंजीकृत होने के अलावा ब्रिकवर्क रेटिंग (बीडब्ल्यूआर) भी आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है और एनसीडी, एनएसआईसी, एमएसएमई रेटिंग और ग्रेडिंग सेवाओं द्वारा सूचीबद्ध है। इसके प्रमुख प्रवर्तक और रणनीतिक साझेदार के रूप में केनरा बैंक है। यह बैंक ऋणों, पूंजी बाजार उपकरणों, नगर-निगम और एसएमई को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करता है। इसके अलावा यह रियल एस्टेट निवेश, गैर-सरकारी संगठनों, अस्पतालों, एमएफआई आदि को भी ग्रेड देता है। यह विभिन्न वित्तीय संसाधनों के आधार पर कई रेटिंग सिस्टम प्रदान करता है।

7. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड

पूर्व में फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट के रूप में जाना जाता था। यह कॉर्पोरेट निर्गमकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों, प्रबंधित फंडों, परियोजना वित्त कंपनियों, संरचित वित्त कंपनियों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करता है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च भारत की सबसे सम्मानित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो भारत के क्रेडिट बाजारों को सटीक, समय पर और संभावित क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्र सोच, कठोर विश्लेषण और क्रेडिट अनुसंधान के प्रति एक खुले एवं संतुलित दृष्टिकोण की नींव पर निर्मित, यह रेटिंग एजेंसी पिछले एक दशक के दौरान तेजी से विकसित हुई है, भारत के निश्चित आय बाजार में यह महत्वपूर्ण बाजार उपस्थिति प्राप्त कर रही है।

यह एजेंसी वर्तमान में कॉर्पोरेट निर्गमकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों (बैंक और बीमा कंपनियों सहित), वित्त और पट्टे पर देने वाली कंपनियों, प्रबंधित कोष, शहरी स्थानीय निकायों एवं संगठित वित्त और परियोजना वित्त कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रही है।

मुंबई में मुख्यालय के अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में इसके सात शाखा कार्यालय हैं। इस एजेंसी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक से मान्यता प्राप्त है यह फिच ग्रुप की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। फिच ग्रुप 30 से अधिक देशों में परिचालन के साथ वित्तीय सूचना सेवाएं प्रदान करने वाला एक वैश्विक अग्रणी ग्रुप है। फिच ग्रुप में शामिल

हैं फिच रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग और अनुसंधान, फिच सोलुशन, साख बाजार, विश्लेषणात्मक उपकरण और जोखिम सेवाएँ। बीएमआई रिसर्च, उभरते और सीमांत बाजारों में विशेषज्ञता वाले देश के जोखिम और उद्योग विश्लेषण का एक स्वतंत्र प्रदाता भी है। लंदन न्यूयॉर्क में दोहरे मुख्यालय के साथ फिच ग्रुप का बहुमत हर्स्ट के पास है।

8. इनफॉर्मेट्रिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

पूर्व वित्त पेशेवरों, बैंकों और प्रशासनिक सेवा कर्मियों द्वारा स्थापित इनफॉर्मेट्रिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक आरबीआई मान्यता प्राप्त और सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह बैंकों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों (एसएमयू) और बड़े कॉरपोरेट्स की साख का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उधारदाताओं और निवेशकों के बीच किसी भी प्रकार की सूचना विषमता को कम करना है। इसके मूल्य रूप में पारदर्शिता है और इस प्रकार यह अपने सभी ग्राहकों को सटीक और व्यापक रिपोर्ट तथा क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने का प्रयास करता है।

22.12 सिबिल/क्रेडिट-रेटिंग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently asked questions about CIBIL/Credit Rating)

1. क्रेडिट रेटिंग क्या है और यह क्या बताती है ?
क्रेडिट रेटिंग साख का आकलन है। यह वित्तीय दायित्वों या ऋणों के संबंध में है। क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को दी जाती है जो पैसा उधार लेना चाहता है। एक निगम, व्यक्ति, प्रांतीय प्राधिकरण या राज्य को क्रेडिट रेटिंग दी जा सकती है।
2. क्रेडिट रेटिंग कैसे की जाती है?
क्रेडिट रेटिंग किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। यह उधार लेने वाले की उधार ली गई राशि को चुकाने की क्षमता का आकलन करती है। दूसरी ओर क्रेडिट स्कोर की गणना क्रेडिट ब्यूरो द्वारा की जाती है। यह ब्यूरो किसी व्यक्ति के पुनर्भुगतान व्यवहार एवं क्रेडिट इतिहास जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद रेटिंग करता है। क्रेडिट स्कोर किसी संगठन या कंपनी को भी सौंपा जा सकता है।
3. रेटिंग को कैसे निरूपित किया जाता है?
क्रेडिट रेटिंग को हमेशा AA+, A-जैसे वर्णानुक्रमिक प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान में रखें कि धन और ऋण चिन्ह आपकी क्रेडिट रेटिंग के बेहतर अंतर को दर्शाते हैं। माइनस सिंबल का नेगेटिव अर्थ नहीं होता है। अगर आपकी रेटिंग 'एए-' है, तो यह 'ए+' जैसी रेटिंग से बेहतर है।
4. अल्पकालिक क्रेडिट रेटिंग क्या है?
एक अल्पकालिक क्रेडिट रेटिंग कम समय के भीतर किसी व्यक्ति की साख को दर्शाती है। अल्पकालिक क्रेडिट रेटिंग एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी उधार लेने वाले की चूक करने की संभावना को दर्शाती है।
5. क्रेडिट रेटिंग कैसे निर्धारित की जाती है?
क्रेडिट रिपोर्ट में मौजूद जानकारी और विवरण के आधार पर एक क्रेडिट स्कोर बनाया और सौंपा जाता है। भुगतान इतिहास (35%), बकाया राशि (30%), इतिहास की अवधि (15%), नया क्रेडिट (10%), उपयोग किए गए क्रेडिट के प्रकार (10%) जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

- i. भारत में सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौनसी है
- ii. भारत में कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं। सभी के नाम लिखिए।
- iii. भारत की अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौनसी है और क्यों ?

- iv. भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीयां किस प्रकार कार्य करती है?
- v. क्रेडिट स्कोर एवं क्रेडिट रेटिंग के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

22.13 शासकीय क्रेडिट रेटिंग क्या है? (What is Sovereign Credit rating)

शासकीय क्रेडिट रेटिंग किसी देश की साख का आकलन है। यह किसी विशेष देश को उधार देने से जुड़े जोखिम के स्तर को दर्शाता है। यह सरकार द्वारा जारी सभी बांडों पर लागू होता है।

किसी देश की साख का मूल्यांकन करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीयां उपयुक्त क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने से पूर्व राजनीतिक वातावरण, आर्थिक स्थिति एवं साख जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करती हैं। एक ऐसे देश के लिए एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जो अंतरराष्ट्रीय बांड बाजार में विकास परियोजनाओं के लिए धन निरंतर प्राप्त करना चाहता है। साथ ही, अच्छी रेटिंग वाले देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आकर्षित कर सकते हैं। शासकीय रेटिंग हेतु तीन प्रमुख रेटिंग एजेंसीयों में मूडीज सर्विसेज, फिच रेटिंग और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैं। यद्यपि अन्य छोटी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी हैं, लेकिन उपरोक्त तीन एजेंसीयां ही अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार में निर्णय लेने वालों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं।

- एक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एक संप्रभु इकाई के ऋण जोखिम का मूल्यांकन है जो देय ऋणों का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करती हैं।
- किसी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फंड तक पहुंचने की उसकी क्षमता का निर्धारण करती है।
- तीन प्रभावशाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीयों मूडीज, फिच रेटिंग और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स शामिल हैं।
- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अंतरराष्ट्रीय बांड बाजार में धन का उपयोग करना चाहते हैं।
- आमतौर पर, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सरकार के अनुरोध पर देश के आर्थिक एवं राजनीतिक माहौल का मूल्यांकन करती है तथा एएए ग्रेड से डी ग्रेड तक रेटिंग प्रदान करती है।

बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीयों को अपनी अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने की अनुमति देकर, एक देश यह दर्शाता है कि वह अपनी वित्तीय जानकारी निवेशकों के लिए सार्वजनिक करने के लिए तैयार है। उच्च क्रेडिट रेटिंग वाला देश अंतरराष्ट्रीय बांड बाजार से आसानी से धन प्राप्त कर सकता है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आकर्षित कर सकता है। कम सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि देश को ऋण चुकाने में त्रुटि की उच्च एवं कर्ज चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सॉवरेन क्रेडिट जोखिम का स्तर देश के ऋण सेवा अनुपात, आयात अनुपात, घरेलू मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि आदि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

1900 के शुरुआत में सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग शुरू की गई थी इस दौरान अनेक देश अपने अंतरराष्ट्रीय बांडों पर चूक कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, महामंदी के दौरान 21 अंतरराष्ट्रीय बांड बाजार में अनेक ऋण दायित्वों को पूरा करने में चूक गए। इन वर्षों में, 70 से अधिक देशों ने अपने घरेलू या विदेशी ऋणों को चुकाने में चूक की है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीयां किसी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करती हैं। रिचर्ड कैंटर और फ्रैंक पैकर द्वारा "निर्धारक और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के प्रभाव" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में विभिन्न कारकों को रेखांकित किया है जो विभिन्न रेटिंग एजेंसीयों द्वारा निर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग में अंतर की व्याख्या करते हैं। इन कारकों में शामिल हैं:

1. **प्रति व्यक्ति आय :** प्रति व्यक्ति आय एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा अर्जित आय का अनुमान है। इसकी गणना किसी दिए गए क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। एक उच्च प्रति व्यक्ति आय सरकार के संभावित कर आधार को बताती है, जो बाद में सरकार की अपने ऋण चुकाने की क्षमता को बढ़ाती है।
2. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि :** किसी देश की जीडीपी वृद्धि दर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक तिमाही से दूसरी तिमाही में प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करती है। मजबूत जीडीपी विकास का मतलब है कि एक देश अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होगा। क्योंकि, जीडीपी में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार को उच्च कर राजस्व प्राप्त होता है। यदि विकास दर नकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था एक संकुचन का अनुभव कर रही है, और यदि यही स्थिति जारी रहती है तो देश अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में विफल हो सकता है।
3. **मुद्रास्फीति की दर :** संप्रभु ऋण मुद्रास्फीति की दर में बदलाव के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। मुद्रास्फीति में वृद्धि से देश के कर्ज को वित्तपोषित करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। एक उच्च मुद्रास्फीति दर देश के वित्त में सकारात्मक संरचनात्मक समस्याओं की ओर इशारा करती है, और इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना रहती है क्योंकि जनता बढ़ती मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप असंतुष्ट हो जाती है।
4. **बाहरी कर्ज :** कुछ देश अपने विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाहरी ऋणों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। बढ़ते कर्ज का स्तर ऋण चुकाने की चूक के उच्च जोखिम में बदल जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं से धन प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह बोझ तब बढ़ जाता है जब विदेशी मुद्रा ऋण निर्यात के रूप में किसी देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से होने वाली आय से अधिक हो जाता है।
5. **आर्थिक विकास :** किसी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विकास के स्तर पर भी विचार करती हैं। आमतौर पर, एक बार जब कोई देश विकास या प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके ऋण दायित्वों में चूक की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों की तुलना में आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्रों के ऋण चुकाने में चूक होने की संभावना कम मानी जाती है।
6. **चूक का इतिहास :** एक देश जो अतीत में अपने ऋण दायित्वों पर चूक कर देता है तो उसे रेटिंग एजेंसियों द्वारा उच्च संप्रभु ऋण जोखिम माना जाता है। इसका मतलब है कि चूक के रिकॉर्ड वाले देशों को निम्न श्रेणी की रेटिंग प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप वे कम जोखिम वाले देश निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं रह जाते हैं।

22.14 सारांश (Summary)

क्रेडिट रेटिंग इस संभावना के बारे में एक पेशेवर निर्णय है कि कोई व्यक्ति, संगठन, निकाय, स्वायत्तशासी संस्थान अथवा राज्य नियत समय पर अपने दायित्वों को पूरा करेगा भी अथवा नहीं। क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से, ऋण भुगतान की संभावना और ऋण लेने वाले की साख परिलक्षित होती है। क्रेडिट रेटिंग का कार्य विशिष्ट एजेंसियां अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करती हैं। इन एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग से निवेशकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने में आसानी होती है।

22.15 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपके निम्नलिखित अधिगम परिणाम रहे हैं : -

1. क्रेडिट रेटिंग क्यों की जाती है, इसकी संकल्पना की जानकारी दी गई है।
2. क्रेडिट रेटिंग कब अनिवार्य होता है?

3. भारत में क्रेडिट रेटिंग की कार्य प्रणाली की जानकारी होती है।
4. क्रेडिट रेटिंग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य एवं लाभों से परिचय।
5. क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया में निहित चरणों की जानकारी प्राप्त हुई है।
6. भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से परिचय।

22.16 शब्दावली (Glossary)

- **क्रेडिट स्कोर:** यह तीन अंकों वाली संख्या है जो बैंक एवं वित्तीय संस्थान से एक व्यक्ति के लेनदेन रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। 300 सबसे कम जबकि 900 सबसे अधिक क्रेडिट स्कोर होता है।
- **क्रेडिट रेटिंग:** किसी उधार लेने वाले या किसी ऋण या वित्तीय देयता के संबंध में साख की मात्रा का आकलन जो किसी व्यक्ति, कंपनी, राज्य, प्रांतीय प्राधिकरण या संप्रभु (सावरेन) सरकार के लिए हो सकती है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी:** एजेंसियाँ जो परोक्ष रूप से यह बताती हैं कि देश, संस्था या व्यक्ति आर्थिक रूप से कितने सुदृढ़ हैं एवं उन्हें कितना ऋण दिया जा सकता है? ये एजेंसियाँ इस कार्य को करने हेतु अधिकृत होती हैं।
- **संप्रभु :** ऐसी सत्ता जिसके ऊपर कोई और सत्ताधारी ना हो।
- **ऋण बाजार:** यह वह बाजार है जहाँ निश्चित दर पर ब्याज/आय देने वाली विभिन्न प्रकार और विशेषता वाली प्रतिभूतियाँ क्रय विक्रय की जाती हैं।
- **लिखत:** लिखा हुआ वित्तीय प्रलेख।

22.17 स्वपरख प्रश्न (Self Testing Questions)

1. क्रेडिट रेटिंग क्या दर्शाती है ?
What does credit rating indicate ?
2. क्रेडिट रेटिंग के क्या उद्देश्य हैं?
What are the objectives of Credit Ratings ?
3. क्रेडिट रेटिंग के प्रकार बताइए।
Explain the types of credit ratings?
4. क्रेडिट रेटिंग किस तरह की जाती है ?
How is credit rating done ?
5. क्रेडिट रेटिंग को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Define credit rating and explain its features.
6. निगमों की क्रेडिट रेटिंग के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले घटकों की विवेचना कीजिए।
Discuss the factors being considered while credit rating of corporates?
7. क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया को समझाइए।
Explain the process of Credit Rating.
8. विभिन्न पक्षकारों को क्रेडिट रेटिंग से होने वाले लाभों को समझाइए।
Explain the benefits of Credit Rating to different parties.

9. सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग से आपका क्या आशय है ?

What do you mean by sovereign credit rating?

22.18 सन्दर्भ एवं ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- Bankers Handbook on credit management, Indian Institute of Banking and Finance.
- Murali S.and Subhakrishna; Bank credit Management, Himalaya Publishing House 3rd Ed.
- Bhattacharya Mausumi; Credit Rating- The Indian Scenario
- Bensal Aman ; Systematic Approach to Credit Appraisal
- बैंकिंग एवं वित्तीय सचेतता- सामान्य बैंकिंग एवं सामाजिक आर्थिक सचेतता; किरण प्रकाशन

22.19 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material)

- Kuljeet kaur and Rajkumar Kaur; Credit Rating Agencies in India:An Appraisal; Lamber Academic Publishing.
- Langohr Herwig and Langohr Patricia ; The Rating Agencies and their credit rating ; Wiley Finance Series.
- भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीयां- टेस्ट बुक डॉट कॉम

22.20 वेब संसाधन लिंक (Web Resources/Link)

- <https://guides.newman,baruch.cuny.edu/corporatecreditratings/online resources>
- <https://www.fitchratings.com/resources/sovereigns/fitch-affirms-india-at-bbb-outlook-negative-16-11-2021>
- <https://www.iosco.org/library/publics/pdf/10scoPD271.pdf>

इकाई- 23

अन्तर्राष्ट्रीय विनियम

(International Investment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 23.0 उद्देश्य
- 23.1 प्रस्तावना
- 23.2 विदेशी विनियम का अभिप्राय
- 23.3 विदेशी विनियम दर को प्रभावित करने वाले तत्व
- 23.4 विनियम को प्रभावित करने वाले तत्व
- 23.5 विदेशी विनियोग के प्रकार
- 23.6 विदेशी विनियोग का महत्व
- 23.7 विदेशी विनियोग की नई प्रवृत्तियाँ
- 23.8 गैर विनियोग विदेश नियंत्रित उत्पादन
- 23.9 विदेशी पूँजी से संबंधित नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- 23.10 ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद
- 23.11 यूरो परिवर्तनीय बॉण्ड
- 23.12 विदेशी पूँजी के संदर्भ में भारत सरकार की वर्तमान नीति
- 23.13 उद्धारण
- 23.14 सारांश
- 23.15 अधिगम प्रणाली
- 23.16 शब्दावली
- 23.17 स्वपरख प्रश्न
- 23.18 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 23.19 अन्य पठन सामग्री
- 23.20 वेब संसाधन/लिंक

23.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को विदेशी विनियम का अर्थ विदेशी विनियम की आवश्यकता, उसका महत्व, विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व, विदेशी विनियोग के प्रकार की जानकारी दे रहे हैं तथा साथ ही प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से विदेशी पूँजी के संदर्भ में भारत सरकार की वर्तमान नीति को विद्यार्थी समझ सकेंगे। तथा

भारत में विदेशी विनियोग समुद्रपारीय वित्तीय साधन, ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद तथा यूरो परिवर्तनीय बॉण्ड से भी अवगत कराना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

23.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई में विदेशी विनिमय का अर्थ विदेशी विनिमय की आवश्यकता, उसका महत्व, विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व, विदेशी विनियोग के प्रकार एवं उनका विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूंजी के सन्दर्भ में भारत सरकार की वर्तमान नीति का वर्णन किया गया है। तथा भारत में विदेशी विनियोग समुद्रपारीय वित्तीय साधन, ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद तथा यूरो परिवर्तनीय बॉण्ड की विस्तृत चर्चा की गई है।

आर्थिक वृद्धि के सबसे सरल माडल के अंतर्गत वृद्धि, हतवृद्धि विनियोग अर्थात् पूंजी की मात्रा में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसी क्रम में विनियोग बचतों की दर पर निर्भर करता है जो घरेलू बचतों एवं कंपनियों तथा उपक्रमों की संचित आयों पर निर्भर करती हैं। जब औसत प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो बचतें सीमित होती हैं। न्यून आय के प्रभाव पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका पूंजी का आयात करना होता है। आयातित या विदेशी पूंजी विनियोग में सहायता करती है तथा इस प्रकार अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर के वृद्धि करने में सहायता करती है। वास्तव में यह तथ्य, इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन में उपयोग की जाने वाली विनियोजित पूंजी के लिए आवश्यक प्रकार का कुशल श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

23.2 विदेशी विनियम का अभिप्राय (Meaning of Foreign Exchange):

साधारणतया अन्य देशों की मुद्राओं को विदेशी विनिमय के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में निम्नवत दो अर्थों में किया जाता है।

सामान्य भाषा में विनिमय दर को जानने का प्रयास करें तो विनिमय दर (Exchange Rate) वह दर है जिस पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है। यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत कही जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम भुगतान के रूप में विनिमय दर की आवश्यकता पड़ती है। आज जबकि विभिन्न देशों में स्वतंत्र एवं अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा प्रचलन में है। ऐसे में एक देश की मुद्रा दूसरे देश की वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदने के प्रयोग में नहीं लायी जा सकती। अतः एक देश की मुद्रा के मूल्य का दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी को विनिमय दर (Exchange Rate) कहते हैं जो कि एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य में प्रदर्शित करती है।

"दो देशों की विदेशी विनिमय दर जो कि दो देशों की मुद्रा इकाइयों के बीच हो। एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को क्रय किया जा सकता है।"

दूसरे शब्दों में हम विदेशी विनिमय दर का अर्थ जानना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि दो राष्ट्रों की मुद्रा इकाइयों के मध्य विनिमय दर से हमारा आशय एक राष्ट्र की मुद्रा की उन इकाइयों से होता है जो दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की इकाई को खरीदने के लिए आवश्यक होती है। दोनों ही मुद्राओं में से किसी भी एक मुद्रा की इकाई का दूसरी मुद्रा की इकाई का मूल्य व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है:-

1. विदेशी मुद्राओं के रूप में
2. विदेशी विनिमय दर के रूप में

1. **विदेशी मुद्राओं के रूप में:-** कुछ अर्थशास्त्री विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी मुद्राओं से लगाते हैं अर्थात् यह कहा जाता है कि बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर रहे हैं तब इसका संदर्भ विदेशी मुद्राओं से ही होता है सामान्यतः विदेशी विनिमय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है उदाहरणार्थ भारत के लिए अन्य देशों की मुद्राएं यूरो डॉलर और युआन आदि विदेशी विनिमय है।
2. **विदेशी विनिमय दर के रूप में:-** विदेशी विनिमय का अभिप्राय विदेशी विनिमय दर से भी लिया जाता है अर्थात् किस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है सेयर्स के शब्दों में चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है इसलिए जब यह कहा जाता है कि विनिमय दर किसी देश के अनुकूल और प्रतिकूल है तब इसका अभिप्राय विदेशी विनिमय दर से होता है।
इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय का प्रयोग कभी-कभी उन सुविधाओं के लिए भी किया जाता है जो विदेशी भुगतान से संबंधित होती है।
विस्तृत अर्थ में विदेशी विनिमय का प्रयोग उन सभी क्रियाओं एवं विधियों से लिया जाता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक देशों के व्यापारी अपनी व्यावसायिक दायित्वों का भुगतान करते हैं इस प्रकार विदेशी विनिमय के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं जो विदेशी भुगतान करती है और वह दर जिस पर विदेशी भुगतान किया जाता है सम्मिलित होती है। विदेशी विनिमय का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने लिखा है कि “विनिमय प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारियों का भुगतान करते हैं” इस प्रकार के साधन का उपयोग अन्य देशों के भुगतान के लिए किया जाता है तो वह विदेशी विनिमय कहलाता है।

23.3 विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors affecting Foreign Exchange rate)

विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण विनिमय दर में परिवर्तन हो जाते हैं।

- (1) **क्रीमतों में परिवर्तन :** सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी एक देश की सापेक्षिक दृष्टि से क्रीमत में परिवर्तन होने से विनिमय दर भी परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए माना कि भारत में क्रीमत स्तर में बढ़ोत्तरी हो जाये और इंग्लैंड में कोई परिवर्तन न हो। स्वाभाविक रूप से इंग्लैंडवासियों को भारत की वस्तुएँ महँगी पड़ने लगेंगी। इसीलिये भारत के निर्यात कम हो जाएंगे। परिणामस्वरूप भारत को इंग्लैंड से होने वाली आमदनी कम हो जाएगी। यानि कि पौंड की पूर्ति कम हो जाएगी।
वहीं दूसरी ओर भारतवासियों को इंग्लैंड की वस्तुएँ सस्ती पड़ने लगेंगी। इसीलिये भारतवासी इंग्लैंड से भारी मात्रा में वस्तुएँ आयात करने लगेंगे। अतः पौंड की माँग बढ़ने लगेगी। सामान्य शब्दों में कहें तो भारत में पौंड की पूर्ति कम होगी। यानि कि माँग बढ़ेगी। परिणामस्वरूप पौंड का मूल्य रुपयों में बढ़ जाएगा।
- (2) **आयात और निर्यात में परिवर्तन :** यदि किसी देश के निर्यात उसके आयातों से अधिक हैं तो देश की मुद्रा की माँग बढ़ने लगेगी। फलतः विदेशी विनिमय दर देश के हित में परिवर्तित होगी। इसके विपरीत यदि किसी देश के आयात, उसके निर्यात से अधिक हैं तो विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ेगी तथा विनिमय दर में परिवर्तन देश के विपक्ष में होगा। अर्थात् आयात व निर्यात में परिवर्तन से विदेशी विनिमय की माँग व पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है।
- (3) **पूँजी का आवागमन :** जिस देश में विदेशों से पूँजी आती है उस देश में मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप विनिमय दर उस देश के पक्ष में होती है। जबकि इसके विपरीत जब पूँजी देश से विदेश में जाती है तो विदेशी विनिमय की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर में परिवर्तन उस देश के विपक्ष में होता है।

- (4) **बैंकिंग संबंधी प्रभाव :** बैंक अपनी क्रियाओं के द्वारा भी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। यदि व्यापारिक बैंक विदेशी बैंक पर बड़ी मात्रा में बैंकर्स ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार के साख पत्र जारी करता है तो इससे विदेशी विनिमय की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत जब विदेशी बैंक, देश के बैंकों के ऊपर साख पत्र जारी करते हैं तो देशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। बैंक दर भी विनिमय दर को प्रभावित करती है। यदि केंद्रीय बैंक देश में बैंक दर को बढ़ा देता है तो विदेशी लोग ऊँची ब्याज दर प्राप्त करने के लिए देश में अपनी पूँजी भेजना शुरू कर देते हैं। जिससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक, बैंक दर को घटा देता है तो विदेशी लोग अपनी पूँजी को देश से वापस मंगाना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे विदेशी विनिमय की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है।
- (5) **सट्टा संबंधी प्रभाव :** सट्टे की बढ़ती क्रियाएँ भी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार में अनिश्चितता विदेशी विनिमय में सट्टे को प्रोत्साहित करती है। यदि सटोरिये निकट भविष्य में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी होने का अनुमान लगते हैं तो वह तुरन्त उस मुद्रा को बेचकर दूसरी मुद्रा, जिसके मूल्य में वृद्धि की आशा है, को खरीदते हैं। जिसके परिणामस्वरूप पहली मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तथा उसकी विनिमय दर गिर जाती है जबकि दूसरी मुद्रा की माँग बढ़ती है तथा उसकी विनिमय दर बढ़ जाती है।
- (6) **स्टॉक एक्सचेंज संबंधी प्रभाव :** स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाएँ, जैसे स्टॉक एवं शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि देशवासी विदेशों में स्टॉक शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय की माँग बढ़ती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि देशवासी स्टॉक, शेयर्स तथा प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो विदेशियों को इनकी क्रियामें देश की मुद्रा में चुकानी पड़ती है। जिससे देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है तथा विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है।
- (7) **संरचनात्मक परिवर्तन संबंधी प्रभाव :** संरचनात्मक परिवर्तनों से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो कि उपभोक्ताओं की वस्तुओं संबंधी माँग में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इसमें तकनीकी परिवर्तन, नवप्रवर्तन आदि को शामिल किया जाता है। यह वस्तुओं की माँग के साथ लागत के ढाँचे में भी परिवर्तन कर देते हैं। देश में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विदेशों में हमारे देश की वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है जिससे देश के निर्यात बढ़ते हैं तथा देश की मुद्रा की माँग बढ़ती है। परिणामस्वरूप विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है।
- (8) **राजनैतिक दशाएँ :** राजनैतिक परिस्थितियाँ भी विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यदि देश में राजनैतिक स्थिरता है तथा सरकार मजबूत व कार्यकुशल है तो विदेशी अपनी पूँजी देश में विनियोजित करना चाहेंगे। जिससे देश की मुद्रा की माँग बढ़ेगी तथा विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी। इसके विपरीत यदि देश में राजनैतिक अस्थिरता है, सरकार अक्षम और भ्रष्ट है तथा लोगों के जान-माल की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो पूँजी का देश से बहिर्गमन होगा।

23.4 विदेशी विनिमय को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors affecting International Exchange)

1. तकनीकी विकास तथा नये आविष्कार
2. प्राकृतिक साधनों की खोज
3. सरकारी नीतियां

4. विदेशी व्यापार
5. राजनीतिक वातावरण
6. भविष्य में लाभ प्राप्ति की सम्भावनाएं
7. जनसंख्या वृद्धि की दर
8. क्षेत्रीय विस्तार
9. कीमत स्तर का ढांचा
10. निवेश के लिए वित्त की उपलब्धता
11. श्रम बाजार की स्थिति
12. पूंजी का वर्तमान स्टॉक
13. कुल मांग में कमी या वृद्धि की सम्भावना

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. किसे 'विनिमय दर' कहा जाता है?

- अ) एक देश की मुद्रा की एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की दर
- ब) विदेशी निवेश की दर
- स) रेट एक्सचेंज दर
- द) बैंक रेट

2. विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले किस कारक से सम्बंधित है?

- अ) अर्थशास्त्रीय, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति
- ब) साहित्यिक रुपरेखा
- स) सामाजिक उत्पत्ति
- द) इतिहासी घटनाएं

3. 'ग्लोबल डेपोजिटरी रसीद' का क्या महत्त्व है?

- अ) विदेशी विनियोग में विशेष रूप से सुरक्षित रूप से मुद्रा संरक्षण का साधन
- ब) स्वदेशी विनियोग की वृद्धि का कारण
- स) ग्रामीण विकास के लिए संगठित स्थानीय दल
- द) व्यापारिक स्थानीयता की रक्षा करने वाला उपाय

4. क्या भारत सरकार की वर्तमान नीति में विदेशी पूंजी के संदर्भ में कोई बदलाव हुआ है?

- अ) हाँ
- ब) नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है
- स) केवल आर्थिक संगठनों के लिए हुआ है
- द) विदेशी विनियोग में नकारात्मक प्रभाव करने के लिए हुआ है

उत्तर – 1 (अ) 2 (अ) 3 (अ) 4 (अ)

23.5 विदेशी विनियोग के प्रकार (Types of Foreign Investment):

विदेशी निवेश तीन प्रकार के होते हैं - (1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, (2) एक सरकार से दूसरी सरकार को ऋण, (3) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण।

- 1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Direct Foreign Investment)—यह विनियोग एक देश की निजी विदेशी संस्थाओं द्वारा दूसरे देश की निजी या सार्वजनिक संस्थाओं में किया जाता है।

विदेशी निवेशक दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं -**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई (और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)** किसी भी दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला निवेश एफडीआई है। यह सीधा निवेश होता है और दीर्घावधि के लिए होता है। विदेशी कंपनी इसके जरिये मेजबान देश की कंपनी में अहम हिस्सेदारी खरीदकर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है।

विदेशी पूँजी की चर्चा में इसका अर्थ स्वाभाविक रूप से विदेशी निजी पूँजी से होता है। इसमें बहुपक्षीय संगठनों, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि द्विपक्षीय संगठनों टी.आई.ए.एस.यू. से प्राप्त विदेशी निवेश इत्यादि डी.आई.एफ.डी. की सार्वजनिक पूँजी सम्मिलित नहीं होती है। किंतु विनियोग के लिए उपलब्ध पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने के रूप में इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक पूँजी का प्रभाव विदेशी निजी पूँजी के समान ही होता है। विदेशी निजी पूँजी दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष व्यावसायिक विनियोग, जिसे 'विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग' भी कहा जाता है तथा प्रमुख रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों का एकदेश की कंपनी में मेजबान एफ.डी.आई. का पोर्टफोलियो विनियोग एफ.आई.आई. विनियोग होता है। स्वाभाविक रूप से यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित करता है, क्योंकि इसके कार्यकलाप एक से अधिक देश में होंगे। हो सकता है यह वह विनियोग हो जो बाजार की खोज करता है तथा घरेलू बाजार में अवसरों का उपयोग करने के प्रयास करता है। यह इस अर्थ में कुशलता की खोज करता भी हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी विकासशील देश में न्यून मजदूरी करने वाले श्रमिकों का उपयोग करके अपनी उत्पादन लागत को कम करने का प्रयास कर सकती है। एफ.डी.आई. का तीसरा कारण दुर्लभ संसाधनों, खनिजों एवं इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं तक पहुँच हो सकती है।

एक बहुकलापों में समन्वय राष्ट्रीय कंपनी सामान्यतः विभिन्न स्थानों पर अपनी क्रिया करने का प्रयास करती है। यह कच्चा माल या पुर्जों का उत्पादन एक देश में कर सकती है तथा उन्हें अन्य देश में जोड़ने या विनिर्मित करने के लिए हस्तांतरित कर सकती है। इस अंतरफर्म व्यापार में हस्तांतरण कीमत निर्धारण, मूल देश के लाभों में वृद्धि करने के लिए मेजबान देश से पूर्ति किए गए आगतों की कीमतों को कम रखने के अवसर हो सकते हैं। विदेशी पूँजी का अन्य रूप सामान्यतः एफ.आई.आई. द्वारा पोर्टफोलियो विनियोग होता है किंतु इसके अंतर्गत मेजबान देश की कंपनी में विनियोजित पूर्तिकर्ता की साख भी सम्मिलित होते हैं। आजकल एफ.आई.आई. विनियोग बहुत अधिक है। अनिवासी सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के विनियोग कोषों के माध्यम से करते हैं। इनमें से कुछ विनियोग कोष बहुत बड़े सार्वजनिक कोष हैं जैसा सेवानिवृत्त अध्यापकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं इसी प्रकार के अन्य लोगों के पेंशन कोष इत्यादि। इस प्रकार की विदेशी पूँजी अपेक्षाकृत अधिक प्रतिफल दर की खोज में विनियोजित की जाती है। विकासशील देश की अर्थव्यवस्थाओं एवं उनके स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अब अपने प्रतिपक्ष विकसित देशों की अपेक्षा बेहतर कार्य किए जाने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में एफ.आई.आई. पूँजी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विनियोग की खोज कर रही है। इस प्रकार की पूँजी का अधिकांश भाग स्कंध बाजार शेयर बाजार में विनियोजित है। एफ.आई.डी. एवं एफ.आई.आई. में बहुत बड़ा अंतर होता है। पहला सापेक्षिक रूप में स्थिर होता है क्योंकि मेजबान देश से विनियोग की वचनबद्धता होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनी एक प्लांट या वितरण या विपणन कार्य का ढाँचा स्थापित करती है तथा उससे मेजबान देश में समुचित दीर्घकाल तक बने रहने की

आशा की जाती है। प्रतिफल दरों में अल्पकालीन अंतरों से विनियोजित पूँजी को वापस लेने की संभावना उत्पन्न नहीं होती है।

23.6 विदेशी विनियोग का महत्व (Importance of Foreign Investment):

विदेशी पूँजी के पक्ष में उपरोक्त तर्कों को संक्षेप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। विकासशील देश तीन अंतराल का सामना कर सकते हैं, बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल एवं प्रौद्योगिक अंतराल। ये तीनों अंतराल (तकनीक) विदेशी पूँजी द्वारा कम किए जा सकते हैं। अब हम बचत अंतराल के सरल गणित का अवलोकन करते हैं।

23.7 विदेशी विनियोग की नई प्रवृत्तियाँ (New Trends in Foreign Investment):

विदेशी पूँजी के प्रति भारत सरकार की नीति विदेशी व्यापार के समान, विदेशी पूँजी द्वारा विनियोग से संबंधित भारत की नीति को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है: 1991 से पूर्व एवं 1991 के पश्चात्। 1991 से पूर्व एफ.डी.आई. कम्पनियों पर राष्ट्र के अनेक नियंत्रण थे। एफ.डी.आई. में भारतीय भागीदारी बनाना आवश्यक होता था तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ सममूल्य अंशों में केवल 40 प्रतिशत तक ही विनियोग कर सकती थीं। इस नीति के कारण, उदाहरण के लिए, एक बार आई कोला कंपनी को भारत से बाहर जाना पड़ा एवं 1991 के बाद सममूल्य अंशों में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की अनुमति एफ.डी.आई. प्रदान कर दी गई जिसका अर्थ यह होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की नियंत्रणत्मक रुचि हो सकती है।

किंतु इस नीति के बड़े पैमाने पर विरोध ने सरकार को इसे निलंबित करने पर बाध्य कर दिया। भारत में अब भी विदेशी पूँजी के प्रति अत्यधिक अविश्वास है।

23.8 गैर विनियोग विदेश नियंत्रित उत्पादन (Non-appropriation Foreign Controlled Production)

अनेक बातों में से एक जिस पर एफ.डी.आई. से संबंधित अत्यधिक चर्चा की जाती है वह मेजबान देश में आर्थिक गतिविधियों का विदेशी नियंत्रण है। किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि मेजबान देश की आर्थिक गतिविधियों पर विदेशी प्रभाव बिना किसी पूँजी विनियोग के भी भली-भाँति हो सकता है यह संबंधों के अनेक नए रूपों में होता है। ठेका युक्त विनिर्माण एवं खेती, सेवाओं का बहिस्सोतीकरण तथा फ्रैंचाइज अथवा लाइसेंस प्रदान करना। वैश्विक उत्पादन का एक निरंतर बढ़ता हुआ रूप वैश्विक उत्पादन नेटवर्क (जी.पी.एन.) के अंतर्गत ठेकायुक्त उत्पादन या वैश्विक उत्पादन श्रृंखला (जी.वी.जी.) का है। जी.पी.एन. उत्पादन के अंतर्गत विक्रेता अपने उत्पाद को बाजार में वस्तुओं के रूप में नहीं बेचते हैं न तो वे बहुराष्ट्रीय कंपनी शाखाओं के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं। इसके बजाय उत्पादक उन्हें क्रेताओं से ठेके के आधार पर उत्पादन करते हैं। यह स्थिति अनेक श्रम प्रधान वस्तुओं - सिले सिलाए वस्त्रां या चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में अनेक बार होती है।

इस प्रकार के ठेकायुक्त वैश्विक उत्पादन में क्रेता उत्पादन को बहुत विस्तार में स्पष्ट करते हैं। डिजाइन, रंग, वस्त्र, सहायक वस्तुओं के प्रकार बहुत स्पष्ट होते हैं। माल की पूर्ति का समय निश्चित होता है। अतः कीमतें भी निश्चित होती हैं। इस प्रकार के श्रृंखला या नेटवर्क उत्पादन के अंतर्गत क्रेताओं को उत्पादन सुविधाओं में कोई भी विनियोग नहीं करना पड़ता है तथा कथित शासन के रूप क्रेताओं को उत्पादन पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं।

इस प्रकार ठेका युक्त उत्पादन सिलेसिलाए वस्त्रों एवं चमड़े के उत्पादों जैसे सापेक्षिक रूप में सरल क्षेत्रों से आगे लैपटॉप एवं अन्य कंप्यूटरों जैसे जटिल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक विस्तृत हो गए हैं। प्रारंभ में क्रेता या ठेकेदार इस प्रकार के ठेकायुक्त उत्पादन में श्रम दशाओं के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते थे। उनका तर्क था कि यह विक्रेताओं या उत्पादकों का उत्तरदायित्व होता है, किंतु ठेकायुक्त उत्पादन से क्रेताओं को अत्यधिक लाभ होने के कारण विकसित देशों में नागरिक आंदोलनों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन श्रम दशाओं के लिए क्रेताओं का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

कम से कम कुछ श्रम दशाओं के लिए इस उत्तरदायित्व ने श्रम दशाओं के राज्य शासन के अतिरिक्त निगमित शासन के रूपों को जन्म दिया है। बहुचर्चित श्रम दशाओं से संबंधित बात बाल श्रमिकों की है। संचार माध्यम के दबाव, सामान्य जन आंदोलन तथा सरकार ने उत्पादन के कार्यशाला केंद्रों या मुख्य कारखानों से बाल श्रमिकों को अधिकांशतः हटा दिया है। किंतु अन्वेषणों से यह प्रदर्शित होता है कि इससे पूर्ति श्रृंखला से संपूर्ण बाल श्रमिक नहीं हटा है, इसके बजाय घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों जैसे हाथ की कढ़ाई आदि में बाल श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या निरंतर लगी हुई है। तथापि, मुख्य बात यह है कि उत्पादन पर विदेशी नियंत्रण के ऐसे रूप हैं जिनमें विदेशी पूँजी विनियोग सम्मिलित नहीं होते हैं। ठेकायुक्त उत्पादन के उन रूपों की वृद्धि जिनमें बिना किसी पूँजी विनियोग के विदेशी क्रेताओं को नियंत्रण प्रदान करते हैं, उन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

23.9 विदेशी पूँजी से संबंधित नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Foreign Capital Policy):

व्यापार एवं विदेशी पूँजी के संबंध में अर्थव्यवस्था के खुले होने से लेकर अब तक कोई बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ है और न तो विदेशी पूँजी द्वारा अर्थव्यवस्था का अधिग्रहण किया गया है। वास्तव में, विदेशी पूँजी चाहे वह एफ.डी.आई. या पोर्टफोलियो विनियोग, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आई है।

23.10 ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (Global depository Receipt)

एक वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (GDR) एक निवेश साधन है जिसे विदेशी हितों के लिए अपने मूल राष्ट्र के बाहर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में खरीदने के लिए आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनिवार्य रूप से, यह एक विदेशी फर्म में स्टॉक शेयर के बराबर है जिसे विदेशी मुद्रा और अन्य प्रशासनिक बाधाओं में भिन्न मूल्यों के लिए संरचित किया गया है जो अन्यथा कंपनियों में विदेशी निवेश को हतोत्साहित करेगा। जीडीआर ऐसी डिपॉजिटरी रिसीट्स का सबसे पहला रूप है, जिसे अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट (ADR) के रूप में जाना जाता है, जो पहली बार 1927 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था।

एक वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद का मूल्य राष्ट्र से राष्ट्र और कंपनी से कंपनी में भिन्न हो सकता है। वे यह भी जरूरी नहीं है कि एक फर्म में स्टॉक के मानक शेयरों के लिए एक-एक आधार पर समान हो, और एक जीडीआर स्टॉक के कई पूर्ण या आंशिक शेयरों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परंपरागत रूप से, एक जीडीआर एक फर्म में स्टॉक के दस शेयरों के बराबर होता है। डिपॉजिटरी रसीद अपने आप में देश के एक स्थानीय देशी बैंक के पास होती है जिसमें फर्म का मुख्यालय होता है, विदेशी निवेशकों की ओर से जो इस कंपनी के शेयरों को अपने स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करते हैं।

23.11 यूरो परिवर्तनीय बॉण्ड (Euro Convertible bond)

एक Eurobond एक अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड है जो उस मुद्रा में अंकित होता है जो देश के मूल निवासी नहीं है जहां इसे जारी किया जाता है। इसे बाहरी बॉण्ड भी कहा जाता है; “बाहरी बॉण्ड जो सख्ती से न तो Eurobond हैं और न ही विदेशी Bonds में भी शामिल होंगे विदेशी मुद्रा घरेलू बॉण्ड, बॉण्ड के मुद्दों और बैंक ऋण द्वारा पैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सकता है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी किया जाता है।

इसे उस मुद्रा के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें इसे जारी किया जाता है। लंदन लक्समबर्ग इन उपकरणों के लिए प्राथमिक लिस्टिंग केंद्र होने के साथ, Eurobond बाजार के केंद्रों में से एक है। अंतर यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पैसा एक मुद्रा में आ सकता है जो आम तौर पर उधारकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। एक विदेशी bond एक विदेशी उधारकर्ता द्वारा किसी विशेष देश में जारी एक Bond है। Eurobond एक से अधिक देशों में अंडर लिखे और बेचे जाते हैं।

Eurobond के विभिन्न प्रकार निम्न हैं:

- **सीधे Bonds:** Bonds में एक निर्दिष्ट ब्याज कूपन और एक निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि है। सीधे bond ब्याज की एक फ्लोटिंग दर के साथ जारी किया जा सकता है। इस तरह के Bonds में ब्याज की मुद्रा में जमा के लिए LIBOR पर उल्लिखित मार्जिन के छह महीने के अंतराल पर उनकी ब्याज दर तय हो सकती है। इसलिए, Eurodollar Bonds के मामले में, ब्याज दर Eurodollar जमा के लिए LIBOR पर आधारित हो सकती है।
- **कन्वर्टिबल Eurobond:** Eurobond एक Bond है जिसमें निर्दिष्ट ब्याज कूपन और परिपक्वता तिथि है। लेकिन, इस मुद्दे को कंपनी के इक्विटी शेयर में कंपनी के इक्विटी शेयर में बदलने के लिए एक विकल्प शामिल है जो जारी होने के समय सेट रूपांतरण मूल्य पर है।
- **मध्यम अवधि के Eurobond:** मध्यम अवधि के यूरो नोट्स छोटे अवधि वाले Eurobond होते हैं जिनमें तीन से आठ साल की परिपक्वता होती है। बड़ी Bond के मुकाबले उनकी जारी करने की प्रक्रिया कम औपचारिक है। यूरो नोट्स पर ब्याज दरें तय या परिवर्तनीय हो सकती हैं। मध्यम अवधि के यूरो ओवर नोट मध्यम अवधि के रोल – Eurodollar क्रेडिट के समान होते हैं। अंतर यह है कि Eurodollar बाजार में उधारकर्ताओं को बैंक पर दावा नहीं होता है, न कि उधारकर्ता पर सीधे।

23.12 विदेशी पूंजी के सन्दर्भ में भारत सरकार की वर्तमान नीति (Current Policy of Government of India with respect to Foreign Capital)

भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक अहम भूमिका रही है। यह एफ.डी.आई. का स्रोत है। सरकार का प्रयास रहा है कि वह एक सक्षम बिना कर्ज लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण और निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति लागू करे। एफ.डी.आई नीति को निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने और निवेश के रास्ते में आने वाली नीतिगत अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साढ़े छह साल में इस दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह लगातार, रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता जा रहा है। एफडीआई क्षेत्र में लगातार उदारीकरण और सरलीकरण की नीति के तहत सरकार ने विभिन्न सेक्टर में एफडीआई से संबंधित सुधार किए हैं।

सरकार द्वारा एफडीआई नीति में सुधार, निवेश प्रक्रिया सरल और बिजनेस करना आसान, करने जैसे उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निम्नलिखित रुझानों से साफ है कि भारत, वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख स्थान बन गया है:

- अप्रैल से दिसंबर, 2020 के दौरान, 67.54 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई देश में आया है। यह किसी वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में आया सबसे अधिक एफडीआई है। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में एफडीआई 22 फीसदी बढ़ा है। इस दौरान 55.14 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।
- वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों के दौरान, इक्विटी के जरिए आने वाले एफडीआई में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जो कि इस अवधि में 51.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में इक्विटी के जरिए 36.77 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई आया था।
- अकेले वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 26.16 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। जो कि 2019-20 में आए एफडीआई 19.09 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 37 फीसदी ज्यादा है।
- इसी तरह केवल दिसंबर 2020 में 9.22 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। जो कि दिसंबर 2019 के 7.46 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 24 फीसदी ज्यादा है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. विदेशी विनिमय दर किसे कहा जाता है?
2. विदेशी विनियोग दर क्या है और इसका क्या महत्त्व है?
3. भारत सरकार की वर्तमान नीति में विदेशी पूंजी के संदर्भ में कैसे बदलाव हुआ है?

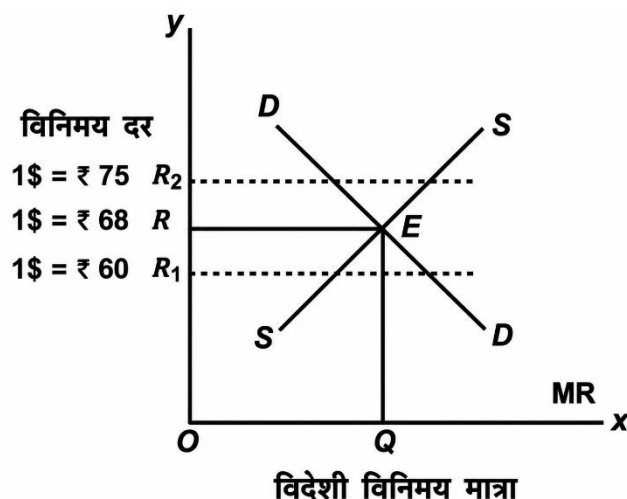
23.13 उदहारण (Example)

विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की प्रक्रिया

विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। अर्थात् विनिमय दर वह दर है जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी में परिवर्तित की जाती है। विदेशी विनिमय दर विनिमय बाजार में तय होती है। जहाँ दो या अधिक देशों के मध्य उनकी मुद्राओं का विनिमय होता है। विनिमय दर कई प्रकार की होती है। जैसे – अग्रिम, तत्काल, अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर और अस्थिर विनिमय दर।

विनिमय दर का निर्धारण – अर्थशास्त्रियों द्वारा विनिमय दर के निर्धारण के लिए माँग पूर्ति सिद्धान्त, क्रय शक्ति समता सिद्धान्त, भुगतान शेष सिद्धान्त और टकसाल दर समता सिद्धान्त आदि प्रतिपादित किये गए हैं।

माँग पूर्ति सिद्धान्त – जिस प्रकार बाजारों में कीमतों का निर्धारण ये उनकी माँग और पूर्ति के द्वारा होता है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है।



चित्र में सन्तुलन E बिन्दु पर है जहाँ DD विदेशी विनिमय की माँग SS विदेशी विनिमय की पूर्ति के बराबर है। विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति OQ होती है। विनिमय दर OR है। यदि विनिमय की दर OR 1 होती है तो विदेशी विनिमय की पूर्ति माँग से अधिक होगी। परिणामस्वरूप विनिमय दर विदेशी विनिमय मात्रा घटेगी और E पर साम्य होंगे। इसके विपरीत OR 1 पर विदेशी विनिमय की माँग विदेशी विनिमय की पूर्ति से अधिक है जिससे विनिमय दर बढ़कर पुनः सन्तुलन E पर स्थापित होगा। भुगतान सन्तुलन इन लोचदार विनिमय दरों के कारण सन्तुलन की स्थिति में रहता है। इस प्रकार विनिमय दरों में परिवर्तन से विदेशी विनिमय की माँग पूर्ति में भी परिवर्तन आता है। इसके अन्य कई आर्थिक कारण भी उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे – आयात और निर्यात की मात्रा, देश की पूँजी का प्रवाह, बैंक दर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अनिश्चितता और देश का राजनैतिक वातावरण।

23.14 सारांश (Summary)

विदेशी पूँजी तीन प्रकार के अंतरणों - बचत अंतराल, विदेशी विनिमय अंतराल एवं प्रौद्योगिकी अंतराल, में कमी करने के माध्यम से एक विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान करती है। विदेशी पूँजी सार्वजनिक जैसे बहुपक्षीय संगठनों (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक) से हो सकती है या निजी हो सकती है। पुनः विदेशी निजी पूँजी दो प्रकार की होती है - विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एवं पोर्टफोलियो विनियोग।

अर्थव्यवस्था के खुले होने के साथ विदेशी पूँजी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, कुल विदेशी विनियोग पोर्टफोलियो के कारण अस्थिर हो गया है। अनेक नए प्रकार के विनियोग (बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, कच्चे माल को प्राप्त करना) उभर कर आ गए हैं।

उत्पादन पर विदेशी नियंत्रण के ऐसे भी रूप होते हैं जिनमें पूँजी का विनियोग सम्मिलित नहीं होता है जैसे सेवाओं का बहिर्सीतीकरण, फ्रैन्चाइज या लाइसेंस प्रदान करना, वैश्विक उत्पादन नेटवर्क इत्यादि। तथापि, कुल मिलाकर भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी न तो सभी रोगों की रामबाण है और न ही इसकी प्रभुसत्ता को धमकी।

23.15 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के सिद्धांत (Principles of International Investment) :
 - अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के मौलिक सिद्धांतों को समझना।
 - विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेश की पहचान करना।
2. विदेशी निवेश के प्रकार (Types of Foreign Investment) :
 - सीधे निवेश और अन्य प्रकार के विदेशी निवेश के बीच अंतर को समझना।
 - पोर्टफोलियो निवेश और सीधे निवेश में अंतर समझना।
3. विदेशी निवेश के लाभ और हानि (Benefits and Risks of Foreign Investment) :
 - विदेशी निवेश के लाभ और जोखिमों को समझना।
 - राज्यों और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन का प्रभाव समझना।
4. अन्तर्राष्ट्रीय निवेश में परिवर्तन (Changes of International Investment) :
 - ग्लोबल मानकों में हो रहे परिवर्तनों को ट्रैक करना।
 - विदेशी निवेश में हो रहे अन्य परिवर्तनों का पता लगाना।

23.16 शब्दावली (Glossary)

- विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग :- यह सामान्य रूप से किसी विदेशी उपक्रम के सममूल्य अंशों में एम.एन.सी.के विनियोग के मूल्य को व्यक्त करता है।

23.17 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Questions)

1. आर्थिक सुधारों के बाद विनिमय बाजार में होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में समझाइये।
Briefly explain the changes that took place in the exchange market after the economic reforms.
2. यूरो मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताएं बताइये।
State the main features of Euro money market.
3. विनिमय दर के अर्थ को समझाइये।
Explain the meaning of exchange rate.

23.18 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- Bhagwati, J. International Trade: Selected Readings, Cambridge University Press.
- Cherunilam, Francis, International Economics, Oxford University Press India.
- Mithani, D.M., International Economics, Himalaya Publishing House.

23.19 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material)

- वी. श्रीनिवास- “अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष”.

23.20 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- <https://www.studyboosting.com/2021/05/foreign-exchange-rate-in-hindi%20.html>
- <https://www.studyboosting.com/2021/05/foreign-exchange-rate-in-hindi%20.html>
- <https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6>
- <https://www.jagran.com/business/top15-know-what-is-fdi-and-fpi-175919669.html>
- <https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/28285/1/Unit-19.pdf>
- <https://www.netinbag.com/hi/finance/what-is-a-global-depository-receipt.html>
- <https://www.ilearnlot.com/eurobonds/परिभाषा-प्रकार-लक्षण-और-लाभ>
- <https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/MAEC-608.pdf>